(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 4] षष्ठम् विधान सभा के चतुर्थ सत्र का 4 था दिवस [संख्या 12

शुक्रवार,

दिनांक 10 नवम्बर, 1978

विधान सभा की बैठक म० पू० 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री लक्ष्मणसिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ! श्री समरथलाल, श्री चेनाराम, श्री रामजीलाल महामना, श्री मूलचन्द सामरिया, श्री उदाराम हटीला !

राजस्थान न्यायिक सेवाओं में आरक्षण

327. **श्री समरथलाल** (राजगढ़), **श्री चेनाराम** (सिवाना), **श्री रामजीलाल महामना** (वैर), **श्री मूलचन्द सामरिया** (दौसा), **श्री उदाराम हटीला** (नोखा) : क्या विधि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि जब देश की आई. ए. एस. जैसी उच्चतम सेवाओं में अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के अधिकारियों को पदोन्नति में आरक्षण दिया जाता है तो राजस्थान न्यायिक सेवा में पदोन्नति में आरक्षण क्यों नहीं दिया जाता ? क्या सरकार इस बारे में कुछ कर रही है ?

(2) क्या अनुसूचित जाति एवं जनजाति के 22 न्यायिक मजिस्ट्रेट केवल मजिस्ट्रेट बने रहने की ही योग्यता रखते हैं ? क्या उनमें से एक भी सैशन जज बनने योग्य नहीं है ? यदि योग्य हैं तो इनमें से एक को भी न्यायिक सेवा क्षेत्र में आज तक सैशन जज क्यों नहीं बनाया गया ?

विधि मन्त्री (श्री विरदमल सिंघवी) : (1) राजस्थान न्यायिक सेवा में न्यायिक अधिकारियों का चयन लोक सेवा आयोग के माध्यम से किया जाता है। राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 1955 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के अधिकारियों को आरक्षण के आधार पर पदोन्नत करने के दिनांक 21-3-78 से पूर्व कोई प्रावधान नहीं थे। अब राज्य सरकार ने दिनांक 21-3-78 से उक्त नियमों में संशोधन कर आरक्षण के आधार पर पदोन्नति का प्रावधान जोड़ दिया है और तदनुसार पदोन्नतियां की गई हैं।

(2) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के अधिकारियों में से राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक को सिविल न्यायाधीश से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पद पर पदोन्नत किया है एवं तीन अधिकारियों को मुन्सिफ के पद से सिविल न्यायाधीश के पद पर पदोन्नत किया है।

(2)

श्री बिरदमल सिंघवी

राजस्थान उच्चतर न्यायिक सेवा नियमों में सीधी भर्ती में आरक्षण का प्रावधान है। राजस्थान उच्चतर न्यायिक सेवा नियमों में पदोन्नति वरिष्ठता के आधार पर उच्च न्यायालय की सिफारिश के अनुसार राज्यपाल महोदय द्वारा की जाती है। इन नियमों में केवल सीधी भर्ती द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों के लिये आरक्षण का प्रावधान है और इसी प्रावधान के अनुसार दो आरक्षित पदों के लिये समय-समय पर प्रार्थना पत्र मांगे गये थे किन्तु आरक्षण श्रेणी का कोई भी व्यक्ति निर्धारित मापदण्ड में ढिलाई देने के बावजूद भी चयनित नहीं हो सका। अब अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति की सीधी भर्ती द्वारा राजस्थान उच्चतर न्यायिक सेवा में नियुक्ति का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है। यथाशीघ्र उसकी नियुक्ति की कार्यवाही की जा रही है।

श्री समरथलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि जो डाइरेक्ट प्रमोशन होता है आर. एच.जे.एस. में क्या उसमें शिड्यूल्ड कास्ट्स या शिड्यूल्ड ट्राइब्स का कोई अधिकारी लिया गया है ?

श्री बिरदमल सिंघवी : न्यायिक सेवा में पहले से ही प्रोविजन था और लिया गया है।

श्री समरथलाल : क्या कोई लिया है ? कोई उदाहरण आप दे सकते हैं ?

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : आपने अभी कहा कि रूल्स में अमेण्डमेन्ट किया है। कब किया है ?

श्री बिरदमल सिंघवी : 21-3-78 को।

श्री मूलचन्द डागा : क्या उसमें यह भी प्रोविजन है जो आप फर्मा रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री समरथलाल : मैं यह पूछ रहा हूं कि आर. एच. जे. एस. में डाइरेक्ट जो पदोन्नति की जाती है उसमें शिड्यूल्ड कास्टस या शिड्यूल्ड ट्राइब्स में से कोई भी व्यक्ति लिया गया है ?

श्री बालकृष्ण थानवी (फलौदी) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि न्यायिक सेवा में आरक्षण के आधार पर जो परिवर्तन किया गया है उसके अनुसार कितने व्यक्तियों को लिया गया ?

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : नियमों में जो अमेण्डमेन्ट किया गया है उसके मुताबिक कितने पर्सेन्ट लोगों को पदोन्नत किया गया या सीधी भर्ती दी गई ? पूर्व में जो सर्विस में थे कास्ट्स और ट्राइब्स के क्या आपने कोई जांच की है कि उनको पदोन्नत क्यों नहीं किया गया ?

श्री अध्यक्ष : पदोन्नति क्यों नहीं की जा रही है, यह प्रश्न है आपका।

श्री बिरदमल सिंघवी : अध्यक्ष महोदय, सीधी भर्ती में अभी तक तो किसी को नहीं लिया गया है। इसका प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है। शीघ्र ही उस पर निर्णय लिया जायगा।

श्री अध्यक्ष : यह जानकारी नहीं है तो कह दीजिये, मन्त्री महोदय, जानकारी प्राप्त की जायगी।

Page No. 3

(3)

श्री मूलचन्द सामरिया : आपने नियमों में संशोधन किया, यह जांच की है कि आर. एच. जे. एस. में कितने अधिकारियों का प्रमोशन हो सकता है ? उनको प्रमोशन नहीं दिया गया तो क्यों नहीं दिया गया ?

श्री अध्यक्ष : अभी इसकी जानकारी नहीं है, माननीय सदस्य।

श्री मूलचन्द सामरिया : तो, श्रीमान्, इसको स्थगित फर्मा दिया जाय, यह बहुत इम्पोर्टेन्ट प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न इम्पोर्टेन्ट है इसमें दो राय नहीं हो सकती, लेकिन उत्तर तो तभी आ सकता है जब जानकारी हो।

श्री मूलचन्द सामरिया : तो इसको स्थगित कर दिया जावे, श्रीमन्।

श्री बजरंगलाल शर्मा (बनीपार्क, जयपुर) : क्या एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति को राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनाने का प्रस्ताव किया था ? क्या राज्य सरकार उसमें बाधा डाल रही है ?

मैं सूचना के तौर पर निवेदन करना चाहता हूं कि श्री कैलाशजी मेघवाल के लिए होनैय्या साहब ने प्रस्ताव किया था लेकिन राज्य सरकार ने उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया।

श्री मूलचन्द सामरिया : यह मैंने सुना है कि वे इस मापदण्ड में नहीं आते, यह लिखा गया है।

श्री मोहम्मद जहूर (कामां) : क्या सरकार यह उचित समझती है कि राजस्थान न्यायिक सेवा में और राजस्थान उच्च न्यायिक सेवा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति के अलावा अन्य पिछड़ी जातियों के लोगों को भी आरक्षण दिया जाय ?

एक माननीय सदस्य : आरक्षित कोटा के अनुसार प्रमोशन नहीं दिया जाता इसलिए इसको स्पष्ट किया जाय।

श्री मूलचन्द सामरिया : अध्यक्ष महोदय, अगर इनके पास जानकारी नहीं है तो क्योंकि यह एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है इसलिए इसको या तो दूसरे दिन के लिए स्थगित कर दिया जाय या सत्र के किसी और दिन के लिए स्थगित कर दिया जाय। यह तो एक मुख्य बात है कि उनका प्रमोशन क्यों नहीं हो रहा है ? इसका भी जवाब नहीं है। इसको स्थगित किया जाय ताकि मन्त्री महोदय स्टडी करके उत्तर दे सकें।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : जानकारी कब तक आ जायगी ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आपके दिमाग में यह बात आई कि मन्त्री महोदय के पास जानकारी नहीं है। मैंने पहले ही कहा था।

श्री मूलचन्द सामरिया : अध्यक्ष महोदय, इसीलिए मैं इसको स्थगित करने के लिए निवेदन कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : मैं आपके प्रश्न को सहर्ष स्थगित करता हूं।

श्री विजयेन्द्रपालसिंह !

Page No. 4

(४)

आमेर में नेशनल पार्क की योजना

328. श्री विजयेन्द्रपालसिंह (आसींद) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) आमेर के पास में जो जंगल है, उसे 'नेशनल पार्क' बनाने या सैंक्चुरी बनाने की राज्य सरकार की क्या योजना है ? अगर हां, तो उसे कब तक कार्यान्वित कराये जाने का विचार है ?

(2) उस योजना के लिए कितनी धनराशि व्यय होगी ? इस वित्तीय वर्ष में कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है ?

(3) क्या उसके लिए कोई अतिरिक्त स्टाफ स्वीकृत किया गया है ? यदि हां, तो कब तक के लिये कितना होगा ?

राज्य मन्त्री, वन (श्री हरिसिंह यादव): (1) जयपुर के पास आमेर के क्षेत्र को 'नेशनल पार्क' बनाने की योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है । योजना स्वीकृत होने पर क्रियान्वित कराई जायगी ।

(2) योजना का प्रारूप तैयार होने पर व्यय की वस्तुस्थिति स्पष्ट होगी । इस वित्तीय वर्ष में परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने एवं अन्य विकास कार्यों के लिये 1.58 लाख रुपयों का प्रावधान किया गया है ।

(व्यवधान)

(3) परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने एवं अन्य विकास कार्यों के लिये 28-2-79 तक के लिए एक क्षेत्रीय, एक कनिष्ठ लिपिक, एक वन पाल एवं चार वन रक्षक के पद स्वीकृत किये गये हैं ।

श्री विजयेन्द्रपालसिंह : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है....

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं ?

श्री विजयेन्द्रपालसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या राज्य सरकार टूरिज्म का विकास करने की दृष्टि से टूरिज्म का एक काम्प्लेक्स बना कर रेस्ट हाउस बनाने का विचार रखती है ।

श्री हरिसिंह यादव : आपके सुझाव पर राज्य सरकार विचार करेगी ।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट ।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद): अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि आज की तारीख तक लाखों रुपया व्यय होने के बावजूद कोटा क्षेत्र में पत्थर की खानों को बन्द नहीं किया गया है ? पत्थर की खानें चल रही हैं वन विभाग ने उसके लिए अलग से क्या व्यवस्था की है ।

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है ।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, कई बार मन्त्री महोदय को कहा गया है । आज भी खानें बन्द नहीं हैं । मैं वन मन्त्री महोदय को निवेदन करूंगा, उस सैंक्चुरी में जो जंगल के जानवर हैं, जंगल के राजा हैं, वह उपस्थित हैं ।

(व्यवधान)

श्री बहादुरसिंह (नोहर) : इस नेशनल पार्क को बनाने में कितना व्यय होगा और उससे कितना लाभ होगा ?

श्री अध्यक्ष : यह मामला विचाराधीन है ।

नैक्स्ट । श्री दाऊदयाल जोशी ।

ग्राम सांडवा (चूरू) के भू० पू० सरपंच के विरुद्ध जांच

329. श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सांडवा (तहसील सुजानगढ़, जिला चूरू) के सरपंच भू० पू० जागीरदार श्री गुलाबसिंह को गम्भीर आरोपों के कारण दिनांक 8-8-1977 को मुअत्तिल किया गया था ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त गम्भीर आरोपों की असत्यता प्रमाणित हुए बिना ही पुनः सरपंच को बहाल कर दिया गया ?

(3) क्या यह भी सही है कि जिलाधीश चूरू का जांच प्रतिवेदन दिनांक 18-7-1978 को सांडवा सरपंच के खिलाफ प्रमाणित हो कर आ चुका है ,? यदि हां, तो उनको पुनः कब तक मुअत्तिल किया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(4) क्या यह सही है कि सरपंच ने खसरा नं० 463 व 461 के पास में आबादी की भूमि का हजारों रुपयों का विक्रय किया है, व आबादी की भूमि का अनधिकृत रूप से दुरुपयोग कर रहा है ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही राज्य सरकार कर रही है तथा कब तक कार्यवाही पूरी कर लेगी ?

पंचायत मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह): (1) श्री गुमानसिंह, सरपंच, ग्राम पंचायत सांडवा को दिनांक 9-8-77 को निलम्बित किया गया।

(2) श्री गुमानसिंह, सरपंच ग्राम पंचायत सांडवा द्वारा निलम्बन आदेश पर पुनः विचार किये जाने का प्रार्थना पत्र मय पंचों के शपथ पत्र के प्रस्तुत किया गया। उक्त पत्र के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सरपंच के विरुद्ध विभागीय जांच चालू रखते हुए दि० 4-10-77 को सरपंच को बहाल करने के आदेश दिये गये।

(3) जिलाधीश की जांच रिपोर्ट दि० 18-7-78 को विभाग में प्राप्त हुई, किन्तु जांच अपूर्ण होने के कारण समस्त मुद्दों पर पूर्ण रूप से जांच कर जांच रिपोर्ट भिजवाने हेतु जिलाधीश को लिखा गया है। जिलाधीश से जांच रिपोर्ट आने पर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(4) प्रश्न संख्या (3) में उल्लिखित जांच पूर्ण होने पर ही भूमि के दुरुपयोग बाबत स्थिति स्पष्ट हो सकेगी एवं तदुपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, जिलाधीश की जांच की रिपोर्ट 18-7-78 को आ चुकी है फिर क्यों नहीं मुअत्तिल किया जा रहा है ? कौन पंच हैं जिन्होंने शपथ पत्र दिया है ? क्या पंचों के शपथ-पत्रों के आधार पर ही भ्रष्टाचार के मामले को छोड़ा जा सकता है ? क्या इस प्रकार के लोगों को दण्ड दिया जायगा ?

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक सप्लीमेण्ट्री करना चाहता हूं।

श्री दिग्विजयसिंह : एक सप्लीमेण्ट्री का उत्तर दे रहा हूं। प्रश्नकर्ता के सप्लीमेण्ट्री का उत्तर दे रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि प्रश्नकर्त्ता ने फर्माया, जिलाधीश महोदय की रिपोर्ट आ

(श्री दिग्विजयसिंह)

चुकी थी पर अपर्याप्त होने के कारण पुनः लिखा गया है। जो पाइण्ट रखे गये हैं, उनकी निश्चित जांच करके निश्चित रिपोर्ट भेजें ताकि आगे कार्यवाही की जा सके।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, पहले सस्पेंशन में था। दुबारा परिपत्रों के आधार पर रीइंस्टेट कर दिया। मन्त्री महोदय को कलेक्टर ने रिपोर्ट दी तो राज्य सरकार ने बिना सोचे समझे किन पाइण्ट्स के आधार पर, प्रिलिमिनरी आधार पर सस्पेण्ड किया? दुबारा ऐसे कौन से तथ्य आये जिनके आधार पर रीइन्स्टेट करना पड़ा ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री बजरंगलाल !

श्री बजरंगलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो जिलाधीश महोदय की रिपोर्ट आई, उसमें कौन दोषी माना गया है ? आपने कोई कारण नहीं बताया है। प्राथमिक जांच कराने के बाद वह कौन सा फैक्ट था, जिस कारण उसको सस्पेण्ड नहीं किया गया ? जिलाधीश की रिपोर्ट खिलाफ आई है। जिलाधीश की रिपोर्ट खिलाफ आने पर, उसमें भी दोषी पाये जाने के बावजूद भी सस्पेण्ड नहीं किया गया है।

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : अध्यक्ष महोदय, क्या एक बात बताने की कृपा करेंगे....

श्री रघुनाथ विश्नोई : जांच रिपोर्ट खिलाफ आने के बाद भी वापस निलम्बित नहीं कर रहे हैं।

मेजर श्री फतहसिंह (भीम) : जिन पर मुकदमे किये गये हैं क्या रिपोर्ट आने पर वह मुकदमे वापस ले लिये गये हैं ?

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, यह भ्रष्टाचार को मिटाने वाली सरकार है, दोषी सरपंचों के झूठे हलफनामे लेकर उसके द्वारा उनको बहाल किया गया है, क्या यह सही है ?

अध्यक्ष महोदय, यह साबित होगा....

एक माननीय सदस्य : एक मेरा भी प्रश्न है।

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : हां, हां, हां।

श्री अब्दुल अजीज : क्या सरपंच के गम्भीर आरोपों को इस प्रकार से खतम किया जा सकता है ?

एक माननीय सदस्य : क्या मन्त्री महोदय यह बतायेंगे कि उसको सस्पेण्ड करके फिर क्यों बहाल किया है ?

श्री दिग्विजयसिंह : यह अलग से प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : बिलकुल।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अलग से नहीं है।

श्री दिग्विजयसिंह : मैंने बताया है कि पूर्ण जांच रिपोर्ट आने पर कार्यवाही की जायगी।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : जिन आधारों पर सस्पेण्ड किया फिर क्या कारण हुए कि उसको बहाल किया है ?

श्री अध्यक्ष : श्री मनोहरसिंह !

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं, हो सकता है कि सरपंच जनता पार्टी से सम्बन्धित हो लेकिन क्या यह बात जनता पार्टी को डुबोएगी या नहीं ?

श्री दाऊदयाल जोशी : नहीं, उसका जनता पार्टी से कोई सम्बन्ध नहीं है।

(व्यवधान)

श्री मनोहरसिंह मेहता : मान लीजिए, मैंने यह अर्ज किया है।

(व्यवधान)

मैं यह पूछना चाहता हूं कि अगर आप किसी को सस्पेंड करके वापस बहाल करते हैं और फिर सस्पेंड करते हैं तो क्या इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं मिलता है ?

श्री अब्दुल अजीज : यह सरकार के तिरने और डूबने का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री श्रवणलाल !

श्री श्रवणलाल (हिण्डौन) : क्या यह सही है कि सरपंच को जब सस्पेंड किया गया था तब हलफनामे के आधार पर किया गया था, और वापस बहाल किया गया तो वह भी हलफनामे के आधार पर ही किया गया है ?

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल ऐरन (नसीराबाद) : क्या यह सही है कि जिलाधीश के जांच प्रतिवेदन में इस सरपंच को दोषी पाया गया था ? अगर हां, तो उसको बहाल करना केवल लीपापोती मात्र नहीं है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है। यह एक स्पेसिफिक सप्लीमेन्ट्री पूछा गया है। यह बिल्कुल रेलेवेन्ट है। मंत्री महोदय, कृपया इसका उत्तर देवें।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावर) : इससे पहले मेरा प्रश्न है, मान्यवर।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है। उत्तर आने दीजिये, उसके बाद सप्लीमेन्ट्रीज की बौछार होने दीजिये।

श्री रामनारायण चौधरी : फिर तो अन्याय हो जायेगा। एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : पूछ लीजिये।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह वैसा ही किस्सा है जिसमें कि सदन में मैंने आरोप लगाया था कि तत्कालीन पंचायत राज मंत्री हलफनामों के आधार पर सरपचों को सस्पेंड कर रहे हैं। वह सीकर का केस था जिसमें हलफनामे के आधार पर मंत्री महोदय ने मुगालते में आकर सरपंच को सस्पेंड किया था, और अब सरपंच ने काउन्टर एफीडेविट दिया तो माननीय मंत्री महोदय कन्विन्स हो गये और उनको बहाल किया गया। दुबारा चुनाव हुए तो वहां सरपंच 1100 वोटों से जीत

(श्री रामनारायण चौधरी)

कर आये। इस पर पराजित सरपंच ने फिर मंत्री महोदय को इरेलेवन्ट शिकायतें इनके खिलाफ करके सस्पेंड कराना चाहा। क्योंकि पराजित सरपच जनता पार्टी का है, इसलिये आप उस सरपच को सस्पेंड कराना चाहते हैं जो कि 1100 वोटों से जीत कर आया है।

श्री दिग्विजयसिंह : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस सरपंच को सस्पेन्ड किया गया और पुनः बहाल किया गया, इसकी तो पूरी जानकारी मेरे पास नहीं है। उसको हलफनामे पर बहाल किया गया और उसके बाद कलेक्टर साहब को लिख दिया गया है कि उसकी पूरी जांच करके रिपोर्ट भेजें। इस रिपोर्ट के आते ही जल्दी से जल्दी कार्यवाही की जायेगी। किसी को भी बख्शा नहीं जायेगा। अगर कोई दोषी पाया गया तो अवश्य कार्यवाही की जायेगी।

श्री रामनारायण चौधरी : वह तो आप करेंगे ही।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द सामरिया!

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : अध्यक्ष महोदय, माननीय रामनारायण जी ने जो आरोप लगाया है उसके सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि कांग्रेस मिनिस्टर्स ने तो बिना प्रारम्भिक जांच के और बिना किसी हलफनामे के ही सरपंचों को सस्पेन्ड किया है

पंचायत एक्ट के अन्तर्गत सरपंचों को डाइरेक्ट पब्लिक के द्वारा चुना जाता है। जिस तरह से एम० एल० ए० चुन कर आते हैं, उसी प्रकार सरपंचों का भी चुनाव होता है। कानून में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि ऐसे चुने हुए व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति की मामूली शिकायत पर, चाहे वह हलफनामे के आधार पर ही हो, सस्पेंड कर दिया जाय, यह जनता की अवहेलना और अपमान है। जब तक अन्तिम जांच नहीं हो जाती है, उसको किस आधार पर सस्पेन्ड किया जाता है? यह जनता का अपमान है।

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय) : राजस्थान पंचायत एक्ट की धारा 17 (4) के अन्तर्गत जब प्राइमरी इन्क्वायरी होकर आ जाती है, तब सस्पेन्ड किया जाता है। तो बिना इन्क्वायरी के क्यों सस्पेन्ड किया गया? और अगर इन्क्वायरी के बाद सस्पेन्ड किया गया तो वापस बहाल क्यों किया गया?

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : सांडवा का सरपंच कांग्रेस का मेम्बर था। माननीय रामनारायण जी बतायें कि कांग्रेस....

श्री श्योपतसिंह मकासर : कांग्रेस में तो जागीरदार है ही नहीं।

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : मैं कहता हूं कि वह बहुत अच्छा आदमी है और गरीबों का मददगार है। तमाम फ्यूडल एलीमेन्ट्स उसके खिलाफ है, फिर भी वह जीतता है।

(व्यवधान)

वीकर सेक्शन्स, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के तमाम लोग उसके साथ हैं, स्माल फार्मर्स उसके साथ हैं इसलिए जनता पार्टी उसको सस्पेन्ड करना चाहती है, पहले भी सस्पेण्ड किया था

(श्री रामनारायण चौधरी)

और अब भी कर रहे हैं । झूठे इल्जाम लगा कर सस्पेण्ड करेंगे ।

श्री रतनलाल वर्मा (निनाय) : यह तो भाषण शुरू हो गया ।

श्रीमती उज्जला अरोड़ा (जयपुर-ग्रामीण) : खानपुर के सरपंच, जो कि कांग्रेस (आई) के हैं, के खिलाफ 21 आरोप हैं, उनके खिलाफ प्रारम्भिक रिपोर्ट आने के बाद भी एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है ? अभी भी वह गलत काम कर रहे हैं लेकिन उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा रहा है ।

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, प्रश्नों की बोछार हो गई, लेकिन उत्तर नहीं आ रहा है ।

श्री दिग्विजयसिंह : माननीय सदस्य ने धारा 17 (1) का उल्लेख किया, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान पंचायत एक्ट की उस धारा के अन्तर्गत गवर्नमेन्ट को डिस्क्रीशन है कि वह ग्रेविटी आफ दी केस को देखकर, चाहे तो बिना प्रारम्भिक रिपोर्ट के काल किये ही सस्पेन्ड कर सकती है । साधारणतया प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी की जाती है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है । यह धारा बिल्कुल स्पष्ट है । माननीय सदस्य खुद वकील हैं । सरपंच की इलेक्टेड पोस्ट तो जरूर है, लेकिन कानून के अन्तर्गत प्रावधान है कि राज्य सरकार बिना प्रारम्भिक जांच के भी सस्पेन्ड कर सकती है ।

श्री मूलचन्द सामरिया : लेकिन उस प्रावधान का उपयोग किसी को जलील करने के लिये किया जाये तो यह गलत होगा ।

श्री अध्यक्ष : पर्याप्त है ।

नैक्स्ट क्वेश्चन ।

अजमेर नगर में भूमि-बन्दोबस्त

310. **श्री चिरंजीलाल गर्ग (पुष्कर) :** क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अजमेर नगर में भूमि बन्दोबस्त का काम कब आरंभ होगा ?

(2) उक्त नगर में जमीनों के नामान्तरण के कितने मामले विचाराधीन हैं ?

(3) पिछले पांच-पांच सालों से जमीन स्थानान्तरण के मामलों का निर्णय क्यों नहीं हो रहा है ?

(4) जमीन स्थानान्तरण के पांच सालों से विचाराधीन मामलों की सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें ।

(5) जमीन स्थानान्तरण के मामलों को टालने वाले अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

राजस्व मंत्री (श्री पुरुषोत्तम मन्त्री) : (1) अजमेर नगर में बन्दोबस्त कार्य शीघ्र कराया जा रहा है ।

(2) अजमेर नगर में भूमि के नामान्तरकरण संबंधी 200 मामले शेष हैं ।

(3) अजमेर जिले में राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 106 व 107 का

Page No. 10

(10)

(श्री पुरुषोत्तम मंत्री)

विज्ञापन होने के कारण नामान्तरकरण के मामलों को निर्णीत नहीं किया जा सका।

(4) सूची संलग्न है।

(5) जमीन स्थानान्तरण के मामलों को टालने जैसा कोई विषय नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री चिरंजीलाल गर्ग : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा, आपने कहा कि केवल 200 केसेज शेष हैं सो कितने केसेज निपटे हैं राजस्व अभियान चला उस समय से ?

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : अध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल अलग सवाल है। दूसरे जैसा मैंने निवेदन किया कि धारा 106 और 107 के सिलसिले में जब आपरेशन के नोटिफिकेशन जारी थे तो उसमें अड़चन थी इसलिए अब कितने केसेज निपटे यह तो सेपरेट क्वेश्चन है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री कल्याणसिंह सांखला (अजमेर पूर्व): राजस्व अभियान के तहत अजमेर नगर के कितने मामले निपटाये हैं ? अजमेर का एक केस भी नहीं निपटा है।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह राजस्व अभियान से सम्बन्धित मामला नहीं है। आपका प्रश्न स्पेसिफिक है कि जमीनों के नामान्तरण के कितने मामले विचाराधीन हैं, पेन्डिंग हैं, मैंने अर्ज कर दिया कि 200 केसेस हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी : सांगोद पंचायत समिति में....

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : सांगोद कहां से आ गया ?

श्री कल्याणसिंह सांखला : अध्यक्ष महोदय, खण्ड (3) में स्पष्ट लिखा हुआ है कि पांच-पांच सालों से जमीन स्थानान्तरण के मामलों का निर्णय क्यों नहीं हो रहा है ? तो कितने मामले पेन्डिंग पड़े थे जिनका निपटारा नहीं हुआ ? आप स्पष्ट उत्तर दें।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : धारा 106 और 107 की वजह से नहीं हो सका। कितने हैं, यह जवाब दिया है कि 200 हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (माण्डल) : अध्यक्ष महोदय जिन स्थानों पर बन्दोबस्त हो चुका है....

श्री श्योपतसिंह मकासर (हनुमानगढ़) : यह अजमेर की बात है। अजमेर की पूछो।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : भीलवाड़ा जिले में कई स्थानों का बन्दोबस्त हो चुका है कई तहसीलों में रिकार्ड चला गया। मैं यह पूछना चाहूंगा कि जिन स्थानों का बन्दोबस्त हो चुका है रिकार्ड नहीं गया उनका रिकार्ड कब तक पहुंच जायगा ?

श्री करतारसिंह (किशनगढ़) : अजमेर जिले के सैटलमेन्ट के बारे में आपने अभी कहा कि सैटलमेन्ट वापस होगा अजमेर जिले में, तो यह बताने का कष्ट करें कि यह सैटलमेन्ट कब तक हो जायेगा, कितने सालों में पूरा हो जायेगा तथा सैटलमेन्ट करने का आधार क्या होगा ?

श्री ईश्वरचन्द्र (पिड़ावा) : आप अजमेर जिले का जवाब दे रहे हैं या नगर का जवाब दे रहे हैं ?

श्री पुरुषोतम मन्त्री : दोनों का दे रहा हूं।

श्री ईश्वरचन्द्र : अजमेर जिले के बारे में जो कमेटी बनाई उसने सिफारिश की कि तुरन्त काम चालू किया जाये। तो आपने अभी तक सैटलमेन्ट क्यों नहीं कराया ?

श्री अध्यक्ष : नगर का ही प्रश्न है, मन्त्री महोदय नगर का ही लीजिए।

श्री पुरुषोतम मन्त्री : अध्यक्ष महोदय, नगर के बारे में भी मैंने निवेदन कर दिया है।

श्री शिवचरणसिंह (बयाना) : यह जो बन्दोबस्त है यह जमीन का हुआ या सदस्यों का बन्दोबस्त हुआ है ?

श्री कल्याणसिंह सांखला : मन्त्री महोदय बतायें कि जो अजमेर के बन्दोबस्त के लिए आपने कमेटी बनाई और जिसकी रिपोर्ट आपके पास है उस पर क्यों नहीं कार्यवाही आरम्भ हुई ?

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : बन्दोबस्त करने के लिए कोई कमेटी गठित नहीं की गयी थी, कमेटी इसलिए गठित की गई थी कि पिछले बन्दोबस्त में क्या गड़बड़ियां हुई हैं। उसने रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट में पुनः सैटलमेन्ट कराने के लिए कोई सिफारिश नहीं की लेकिन हालात को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय किया कि पुनः बन्दोबस्त किया जाये।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट ! श्री मयूर खां !

पशुपालन के नियमों से राजस्व को हानि

331. श्री मयूर खां (तिजारा) : क्या पशुपालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

क्या यह सही है कि पशुपालन के निम्नलिखित नियमों के कारण राज्य सरकार को राजस्व की हानि होती है: --

1. जलाशय लीज पर देने से।
2. जलाशय रायल्टी-कम-ठेके पर देने से।
3. छोटी मछली पर रोक लगाने से।
4. मुखान मना करने से।

यदि हां, तो इन नियमों में राज्य सरकार द्वारा क्यों नहीं संशोधन की कार्यवाही करके राजस्व की आय बढ़ाई जाय ?'

मंत्री, मत्स्य विभाग (श्री दिग्विजयसिंह) : अध्यक्ष महोदय, मत्स्य विभाग मेरे पास है....

श्री बजरंगलाल शर्मा : पशुपालन मंत्री

श्री दिग्विजयसिंह : मत्स्य विभाग मेरे पास है और यह सवाल सिर्फ मच्छी से ही सम्बन्धित है।

श्री बजरंगलाल शर्मा : पशुपालन मंत्री से पूछा गया है।

श्री अध्यक्ष : कृपया आपस में बात मत करें।

श्री किशनसिंह भाटी (जैसलमेर) : मछली पशु है या परिन्दा।

श्री अध्यक्ष : यह जो आप सोचे वह है।

श्री बजरंगलाल शर्मा : पशुपालन मंत्री के नाम से यह प्रश्न है, पंचायत राज मन्त्री के नाम नहीं है। मत्स्य मन्त्री के नाम से भी नहीं है। इसलिए इसका उत्तर सही मन्त्री से दिलवाया जाये।

श्री अध्यक्ष : आप किस मन्त्री को सही मानते हैं ?

श्री बजरंगलाल शर्मा : मैं तो किसी को नहीं मानता हूं। जो मन्त्री पशुपालन के हो गये हैं उनसे उत्तर दिलवायें।

श्री दिग्विजयसिंह : वैसे सब माननीय सदस्यों को मालूम है कि पशुपालन से मत्स्य को अलग कर दिया गया है और वह मेरे पास है। इसलिए मैं ही इसका उत्तर दूंगा।

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(4) इस प्रकार का कोई प्रावधान नियमों में नहीं है। संबंधित नहीं है।

श्री अयूब खां : अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो जलाशय 5 हजार से नीचे बोली पर जाते हैं उनको पांच साल के लिए लीज पर दिया जाता है ?

श्री दिग्विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि 5 हजार के नीचे वाले जो बंध हैं उनको लीज पर दिया जाता है तो मैं अर्ज करूं कि इस संबंध में मेरे पास जानकारी नहीं। जानकारी प्राप्त करके बता दूंगा माननीय सदस्य को।

श्री अयूब खां : अध्यक्ष महोदय, अलवर का मंगलासर और अजबगढ़ का बांध है वह कब तक बोली पर दिया गया है ?

श्री दिग्विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, एक पर्टीकुलर बांध के लिए पूछा जा रहा है। इसमें यह प्रश्न पूछा नहीं था। जो पूछा था उसका उत्तर दे दिया।

श्री अयूब खां : जनरल मैंने लीज के बारे में पूछा है। यह लीज से संबंधित है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय, आपको जानकारी करके दे देंगे।

श्री अयूब खां : एक छोटी सी बात और है। जो यह छोटी मछलियां होती हैं हमारे यहां अधिकारियों ने ऐसा नियम बना रखा है कि उनको वह पकड़ने नहीं देते हैं। जो छोटे नाले होते हैं उनकी उसमें मछलियां रहती हैं और फिर वह मर जाती हैं, सड़ जाती हैं और बीमारियों का कारण बनती हैं। तो क्या मंत्री महोदय उचित समझेंगे कि ऐसी जगह के लिए नियम बनाये जायें ?

श्री बजरंगलाल शर्मा : छोटी मछलियां अन्त्योदय से लाभ उठा सकें, ऐसे नियम बना दिये जायें, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : बजरंगलाल जी, कुछ तो खामोशी अख्तियार करो।

श्री दिग्विजयसिंह : नियमों में ऐसा प्रावधान नहीं है।

श्री शिवचरणसिंह : इनकी खामोशी तो हाई कोर्ट जज बनने के बाद ही अख्तियार होगी।

श्री दिग्विजयसिंह : कुछ मछलियों के बच्चों को छोड़ कर जिनकी पाबन्दी है कि उनके बच्चों को नहीं पकड़ सकते बाकी दूसरों के लिए पाबन्दी नहीं है। वह है मेजर कार्प, रहू, कतलाप, लिगल तथा कालाआसु। इन जाति के बच्चों को पकड़ने के लिए निषेध है बाकी दूसरे बच्चों को पकड़ने में निषेध नहीं है।

श्री अयूब खां : अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा था कि रायल्टी पर देने से राजस्व की हानि होती है। अलवर में सिलीसेड़ का बांध है वह पिछले साल एक लाख से ऊपर गया था। इसी डर की वजह से किसी ने भी उसके ऊपर बोली नहीं लगाई। क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि मेरी बात सही है या नहीं ?

श्री दिग्विजयसिंह : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक लाभ-हानि का सवाल है तो इस सिस्टम से कोई हानि नहीं होती है और न हुई है। गत वर्ष 56 लाख का ठेका हुआ था राजस्थान में सारे जलाशयों का और इस वर्ष 1 करोड़ 2 लाख का ठेका हुआ है। अभी करीब 200 जलाशय और होने बाकी हैं, इसलिए कोई हानि नहीं हुई।

श्री अयूब खां : यह तो सही है कि इस बार खुली बोली होने से फायदा हुआ है अगर गुपचुप जलाशय दिए गए तो क्या हानि नहीं होगी ?

श्री दिग्विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, गुपचुप का प्रश्न नहीं है।

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय, यह बताने की कृपा करें कि कम रेट पर पांच साल के लिए राज्य सरकार ने लीज आउट कर दिया है ? बड़ा अहम सवाल है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उनको जानकारी नहीं है, यह कहते हैं।

श्री मन्जूर अली (सवाईमाधोपुर) : बच्चों को पकड़ना मना है। बच्चों की परिभाषा क्या है, इसका स्पष्टीकरण करें वरना आफिसर ठेकेदारों को परेशान करते हैं।

श्री अध्यक्ष : बच्चों की परिभाषा क्या है ?

श्री अब्दुल अजीज : 5 साल के लिये ठेका दिया है कि नहीं।

श्री दिग्विजयसिंह : नहीं दिया।

श्री मोहम्मद जहूर : लीज पर नहीं दिया ?

श्री दिग्विजयसिंह : इस साल नहीं दिया।

श्री श्योपतसिंह मकासर : हमारी केन्टीन में कोई व्यवस्था कराइये मच्छी की।

श्री अध्यक्ष : श्री गुलमोहम्मद।

श्री गुल मोहम्मद (जोहरीबाजार जयपुर) : माननीय मन्त्री महोदय यह बताने का कष्ट करें कि बच्चों की परिभाषा क्या है ?

श्री अध्यक्ष : दो इन्च से कम मानते हैं बच्चों को।

श्री दिग्विजयसिंह : रूल्स के मुताबिक सामान्यतः 6 इन्च से कम लम्बी मछली को नहीं पकड़ सकते

श्री टीकमचन्द कांत (जालौर) : अध्यक्ष महोदय, यह मछली मार्केट का सा वातावरण हो रहा है।

श्री गुलमोहम्मद : माननीय मन्त्री महोदय से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। काली सिंध नदी के लिए 3 लाख 60 हजार रुपये का रखा गया था। 2 लाख में ठेका छोड़ दिया गया था। यह मिलीभगत वहां के अधिकारियों की थी। राज्य सरकार को 1.60 लाख का नुकसान हुआ।

श्री दिग्विजयसिंह : यह अलग से प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री शंकरलाल !

विधायकों को बैठकों की सूचना

332. श्री शंकरलाल (जैतारण) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली जिले के जैतारण उप-खण्ड अधिकारी द्वारा अप्रेल. 78 से सितम्बर, 78 तक कितनी बार कौन–कौन सी तारीखों को अलाटमेंट कमेटी व अन्त्योदय एवं नियमन से सम्बन्धित कमेटी की बैठकों की सूचना जैतारण उपखण्ड से सम्बन्धित विधायकों को भेजी गई व ऐसी मीटिंग को कब कब और स्थगित किया गया व स्थगित होने की सूचना कब कब भेजी गई सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

क्या यह सही है कि उपखण्ड जैतारण से सम्बन्धित विधायकों ने उन्हें मीटिंगों की सूचना समय पर न दिये जाने की व प्रोग्राम से जानबूझ कर अलग रखने की शिकायत उपखण्ड अधिकारी के विरुद्ध जिलाधीश पाली व राज्य सरकार को की थी ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

राजस्व मन्त्री (श्री पुरुषोत्तम मन्त्री) :

(1) सूची संलग्न है।

(2) जी हां, श्री शंकरलाल विधायक द्वारा जिलाधीश को एक पत्र द्वारा इस सम्बन्ध में लिखा था उसकी जांच की जा रही है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री शंकरलाल : सूची मुझको मिली नहीं। मैंने खुद आपको शिकायत की थी। तारीखें बताऊं, 5 जून की मीटिंग रखी गई थी। उस मीटिंग में मैं खुद गया वह स्थगित कर दी। वहां पर एस. डी. ओ. नहीं था। हजारों गांवों के लोग आये मीटिंग को स्थगित करने की सूचना नहीं दी गई। हम एस.डी.ओ. के पास गये। बाहर से चपरासी से कहला दिया मीटिंग स्थगित हो गई है। अन्दर बैठे शराब पी रहे थे। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को आप संरक्षण देते हैं। दिनांक 17–9 की मीटिंग रखी गई। उस मीटिंग को भी स्थगित कर दिया। मैं खुद वहां जैतारण गया। न एस. डी. ओ. का पता, और न तहसीलदार का पता....

एक माननीय सदस्य: आप प्रश्न पूछिये।

श्री शंकरलाल : प्रश्न यह है कि क्या यह सही है कि 5 जून की सेंदड़ा की मीटिंग

(श्री शंकरलाल)

बिना इत्तला के कैंसिल कर दी थी ? क्या यह सही है कि 17–9 की मीटिंग, जब कि गांव वाले इकट्ठे हो गये, बिना सूचना के कैंसिल कर दी ? मैं स्वयं एस. डी. ओ. के मकान पर गया था । बाहर से चपरासी से कहला दिया कि मीटिंग स्थगित हो गई है । अन्दर बैठे शराब पी रहे थे । ग्राम जैतपुरा में जो मीटिंग हुई है वह अन्त्योदय के नाम से मीटिंग बुलाई गई, अध्यक्ष महोदय । ग्राम जैतपुरा में एक आदमी, जो जमीन पर काबिज था को जमीन दी । हजारों रुपये रिश्वत के लेने की शिकायत है । रेवेन्यू मिनिस्टर को खुद मैंने कहा....

एक माननीय सदस्य : यह भाषण हो रहा है....

(व्यवधान)

श्री कौशलकिशोर जैन : क्या माननीय सदस्यों को इस बात का दुःख है वे अकेले पी रहे थे, इनको साथ नहीं ले गये ?

(व्यवधान)

मेजर श्री फतहसिंह : शंकरलालजी ने जिलाधीश को और राज्य सरकार को शिकायत कब की थी ? उसकी जांच कब शुरू हुई ?

श्री ईश्वरचन्द्र : न केवल शंकरलालजी ने बल्कि कई विधायकों ने राजस्व मन्त्री को शिकायतें लिखी हैं । मैंने भी लिखी है, भंवरसिंह चारण एस. डी ओ. नवलगढ़, जिन्होंने सरपंच को निकाल दिया, के खिलाफ लिखित में शिकायत मन्त्री महोदय से की, उस पर आज तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई । मुझे कहने को विवश होना पड़ रहा है कि नौकरशाही आप पर पूरी तरह हावी है । जन प्रतिनिधि के सम्मान की कोई परवाह नहीं करते ।

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर पर है ।

मन्त्री महोदय, जो प्रश्न माननीय शंकरलालजी ने रखा है उसका उत्तर दे दें ।

श्री पुरुषोतम मन्त्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, पहली मीटिंग 25–4–78 से 8–5–78 तक रखी गई जो स्थगित नहीं हुई । दूसरी मीटिंग 5–6–78 से 11-6-78 तक रखी गई । बिजलीघर कर्मचारियों की हड़ताल होने की वजह से स्थगित कर दी ...

श्री शंकरलाल : सूचना क्यों नहीं भेजी ?

श्री पुरुषोतम मन्त्री : 17 तारीख की कोई मीटिंग नहीं रखी गई । 20-6-78 से 28-6-78 की मीटिंग रखी गई, वह स्थगित नहीं की गई । 28-7-78 से 7-8-78 की मीटिंग रखी गई, वह स्थगित नहीं की गई । 21-8-78 से 1-9-73 तक की रखी गई । वह स्थगित नहीं की गई । 18-9-78 से 30-9-78 की जो मीटिंग रखी गई वहां पर जो वर का डाक बंगला है, लघु सिंचाई की वजह से यह मीटिंग रखी गई थी । मैं यह निवेदन करूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय शंकरलाल जी ने लिख कर जरूर दिया । मैंने टेलीफोन पर कलेक्टर को कहा था । जांच की जा रही है । अभी रिपोर्ट मेरे पास नहीं आई है । मैंने दुबारा भी रिमाइण्डर कर दिया है ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : शिकायत कब की ? आपने कब कहा ?

Page No. 16

(16)

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय शंकरलाल जी के सामने कलेक्टर को फोन किया था। यह इनको ज्ञात है !

श्री श्योपतसिंह मकासर : कलेक्टर को कब लिखा ?

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : तारीख मेरे पास नहीं है। यह तारीख मैं इस वक्त नहीं बता सकता।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता !

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय आपने बताया कि 17 तारीख को मीटिंग नहीं रखी गई। क्रमांक 642–692 द्वारा 18-9-78 से 30-9-78 तक मीटिंग रखी गई। उसकी इत्तला नहीं दी गई। 20-9-78, 2 -9-78 से 30-9-78 तक की मीटिंग स्थगित कर दी और मैं आपको बताऊं कि 19-9 की मीटिंग रखी थी उसकी सूचना भी मुझे नहीं दी गई। इसलिये आपके पास जो सूचना है वह सही नहीं है।

मेरा एक प्रश्न यह भी है, क्या यह सही है कि एस० डी. ओ. की भ्रष्टाचार की शिकायतें होने पर उसका तबादला आपने कर दिया था लेकिन आपने ही वापस कैंसिल कर दिया ? अगर तबादला किया था तो क्यों ? और कैंसिल किया है, तो क्यों ? यह बतावें। यह कहा जाता है एस० डी० एम० के द्वारा कि तबादला कैंसिल कराने के लिए हजारों रुपये दिये हैं इसलिये कैंसिल हुआ है।

(व्यवधान)

श्री सुखलाल सेंणचा (रायपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह पाली जिले से सम्बन्धित है। जैतारण सब-डिविजन से सम्बन्धित होने के कारण मुझे भी एक मीटिंग की इत्तला नहीं दी। इसकी उसी समय मैंने जिलाधीश महोदय को तार द्वारा सूचना दे दी थी कि मुझे उप-जिलाधीश मीटिंग में नहीं बुला रहे हैं। मैंने इस सम्बन्ध में मुख्य मंत्री को भी लिखा था कि एस० डी० एम० भयंकर रिश्वतखोरी कर रहा है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपने बहुत कह दिया, माननीय सदस्य। मंत्री महोदय समझ गए और मैं भी समझ गया हूं।

श्री सुखलाल सेंणचा : जो मीटिंग हुई है उसकी कार्यवाही को कैंसिल करके हमको बुला करके वापस मीटिंग करनी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब भाषण नहीं होगा, माननीय सदस्य।

श्री बजरंगलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्नोत्तर काल समाप्त होने वाला है, आगे चल कर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न संख्या 350 है उसको अभी ले लिया जावे।

श्री शंकरलाल : पहले हमारे प्रश्नों के उत्तर आने चाहिए।

श्री अध्यक्ष : मैं विवश हूं, माननीय सदस्य।

श्री बजरंगलाल शर्मा : आज माननीय मन्त्री महोदय भी स्थान को सुशोभित कर रहे हैं इसलिये मेहरबानी करके इस प्रश्न का उत्तर दिलाया जाय।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री एच. एन. शर्मा (वेगूं) : अध्यक्ष महोदय यह घूसखोरी से सम्बन्धित ही मामला है। बजरंगलालजी का प्रश्न अवश्य लिया जावे।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, एस. डी एम. तो अरब के शहजादों को तरह से घूमते हैं। आपने एम. एल. ए. को डिग्रेड कर दिया है....

(व्यवधान)

आपके एस. डी. एम. तो अरब के शहजादों की तरह से जीपों में घूमते हैं। उनकी कोई लायबिलिटी नहीं है कि वह राजस्व अभियान में उस क्षेत्र के विधायक से बात करें, उसको साथ बिठा कर ले जावें। कोई उनकी जिम्मेदारी नहीं है। विधायक तो बस में आएगा, पैदल आएगा, ऊंट पर बैठ कर आएगा और आपका एस. डी. एम., तहसीलदार जीप में चढ़ कर घूमेगा। यही आपका लोकतंत्र है!

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें कृपया। इस बारे में बहुत चर्चा हो गई है।

(व्यवधान)

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : मैं इसका जवाब निवेदन कर दूं, साहब।

श्री मूलचन्द डागा : सवाल यह है....

श्री मूलचन्द सामरिया : एस. डी. एम. प्रतापगढ़ वहां के विधायक कालू भाई को राजस्व अभियान में ले गया और बीच में ही छोड़ दिया जिससे बीस किलोमीटर तक पैदल आना पड़ा था। इस तरह से विधायकों की हालत की जाती है, उनको रास्ते में उतार दिया जाता है।

श्री शंकरलाल : लोकतन्त्र की दुहाई देने वाले भी यह कह रहे हैं। लोकतन्त्र की दुहाई देने वालों का यह हाल है, विधायकों की यह हालत कर रखी है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें ताकि कार्यवाही सुचारु रूप से चल सके।

(व्यवधान)

आसन पैरों पर है, मन्त्री महोदय। ये आपके उत्तर से सन्तोष नहीं करेंगे।

(व्यवधान)

आप मुझे भी कहने देंगे या नहीं कहने देंगे?

अगर मेरा सुझाव आपके गले उतरता हो तो आपको संतोष कराऊंगा अन्यथा मैं पांच मिनट और दूंगा इस प्रश्न पर।

श्री अब्दुल अजीज : आपका आदेश शिरोधार्य है।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय, यह विधायकों की बैठक के सम्बन्ध में ठीक व्यवस्था प्रतीत नहीं होती। इधर के माननीय सदस्य ईश्वरचन्द्र भटनागर ने भी आपका ध्यान आकर्षित किया। शंकरलालजी का यह प्रश्न था और कई माननीय सदस्यों ने इस सम्बन्ध में आपत्तियां उठाई हैं। मन्त्री महोदय, मेरा यह नम्रतापूर्वक निवेदन है कि आप

(श्री अध्यक्ष)

ऐसा सक्यूलर इश्यू कर दें कि विधायकों की अवहेलना हर्गिज नहीं हो। यदि विधायकों की अवहेलना कोई कर्मचारी करेगा तो उसका जवाब तलब किया जाएगा और उस पर उचित कठोर कदम उठाया जायगा।

नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : मैं इसको स्वीकार करता हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय ने मेरे सुझाव को स्वीकार कर लिया है, अब और क्या रह जाता है ?

(व्यवधान)

मैं संकेत करूंगा कि अब कोई न बोलें।

श्रीमती उजला अरोड़ा।

जयपुर जिले में मन्डी शुल्क की वसूली

333. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर जिले में कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा किसानों से अब तक कुल कितना मण्डी शुल्क वसूल किया गया है ? सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या उक्त मण्डी शुल्क का ग्रामीण विकास कार्यों के लिए कोई उपयोग किया गया है ? यदि हां, तो कितनी-कितनी धनराशि कहां-कहां कब-कब कितने-कितने निर्माण कार्य के लिए खर्च की गई ? सूची सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या राज्य सरकार उक्त धनराशि से गांवों की छोटी-छोटी अप्रोच रोड्स निर्माण कार्य तक खर्च कराने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो राज्य सरकार की कब-कब, कहां-कहां पर कितनी कितनी धनराशि खर्च करने की योजना है ? विवरण सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

कृषि मन्त्री (श्री कल्याणसिंह कालवी) : (1) जयपुर जिले में कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा किसानों से कोई मण्डी शुल्क वसूल नहीं किया जाता है। मण्डी शुल्क क्रेता व्यापारियों से वसूल किया जाता है। अभी तक वसूल किये गये मण्डी शुल्क का विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दिया गया है।

(2) जी हां, मण्डी शुल्क की राशि से मण्डियों का निर्माण तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पर्क सड़कों का निर्माण किया जाता है। इनके विवरण की सूची प्रस्तुत है।

(3) जी हां, एप्रोच रोड के लिए राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत मास्टर प्लान में सड़कों का विवरण दिया गया है। प्रति व सूची सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

(मास्टर प्लान की प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने मास्टर प्लान तो एक बहुत बड़े पोथे के रूप में मुझे

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

दिया है। मैं यह पूछना चाहूंगी कि ये सड़कें कब तक बनना शुरू हो जावेंगी ? एक तो मेरा प्रश्न यह है।

दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि जो यह मण्डी शुल्क लिया जाता है, वह चाहे व्यापारियों से लिया जाता हो या उपभोक्ताओं से लिया जाता हो, जहां पर मण्डी ही नहीं है तो फिर क्यों लिया जा रहा है ?

तीसरा मेरा प्रश्न यह है कि जहां पर ऐसी कोई विशेष उपज ही पैदा नहीं होती तो फिर किस आधार पर मण्डी शुल्क लिया जाता है ? यह मैं मान सकती हूं कि जिस तरह से गंगानगर का माल्टा है, उसको विशेष उपज में लिया जा सकता है, वह मण्डी के अन्तर्गत आ सकता है। इसी तरह का टौंक का खरबूजा है या चौमू का बेर है। जयपुर में ऐसी कौन सी उपज है जिसके लिए मन्डी शुल्क वसूल किया जा रहा है, जब कि मण्डी का निर्माण हो नहीं किया जा रहा है, मंत्री महोदय यह बता दें।

श्री अब्दुल अजीज : इसका मापदण्ड क्या होगा ?

श्री समरथलाल : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने कई नई कृषि मंडियां बनाई हैं जो अभी तक मास्टर प्लान में शामिल नहीं की हैं, क्या उनको भी शामिल किया जाएगा? जो अभी-अभी नई कृषि उपज मंडियां स्थापित की गई हैं क्या उनको भी मास्टर प्लान में शामिल किया जायगा ? और किया जाएगा, तो कब किया जाएगा ?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : एक प्रश्न है अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करें कि अप्रोच रोड आपने किस को माना है ? उदयपुर जिले में आपका 12 लाख रुपया है वह रुपया पी० डब्ल्यू० डी० की रोड्स के लिये देकर उनको क्या आपने एप्रोच रोड माना है ? आप एप्रोच रोड किस को मानते हैं ? यह बता दें।

श्री करतारसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : एक-एक कर के पूछिए। उत्तर भी सुनिए। अप्रोच रोड का जो प्रश्न है वह महत्वपूर्ण है। उसका उत्तर सुनिए।

श्री ईश्वरचन्द्र : अप्रोच रोड वह रोड है जिसको ऑफिसर बनाते हैं और उसको मानते हैं।

श्री करतारसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि जो मास्टर प्लान बनाया गया है क्या इस मास्टर प्लान को बनाने के सम्बन्ध में जन प्रतिनिधियों का सहयोग लिया गया है ? सरपंचों को कन्सल्ट किया गया है या फिर इसको अधिकारियों की मर्जी पर छोड़ दिया गया है ?

श्री गुल मोहम्मद : पहले जवाब आने दीजिए।

श्री माधोसिंह (रेवदर) : अध्यक्ष महोदय, उत्पादन शुल्क किसी विशेष जगह पर लगाया जाता है ? रेवदर क्षेत्र आबू रोड मंडी में है तो वहां से जो व्यापारी खरीदते हैं उसका मंडी शुल्क आबू रोड में लिया जाता है। दूसरी जगह सुमेरपुर में भी लिया जाता है। ऐसी जगह, जिन पंचायतों में मंडियां नहीं

(श्री माधोसिंह)

हैं पर दोहरा भार न पड़े। यह दोहरा टैक्स क्यों लिया जाता है ?

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री कल्याणसिंह कालवी : अध्यक्ष महोदय, जहां तक जयपुर जिले की सड़कों का सम्बन्ध है एक रोड को दूसरी सड़क से जोड़ा जाता है वह लिंक रोड होती है। मेन सड़क से जिस गांव को जोड़ा जाता है वह अप्रोच रोड होती है। इस तरह से जिन गांवों से कृषि उपज का माल आता है उसको मेन रोड़ से जोड़ने का कार्य कृषि उपज मंडी ने अपने हाथ में ले रखा है।

जहां तक माननीय सदस्या का प्रश्न है सड़क के बारे में, स्पेशली जयपुर जिले के बारे में मैंने यह कहा था कि जयपुर जिले की सड़कें हाथ में ली गई हैं उन पर काम चालू है और इस वित्तीय वर्ष में बहुत कुछ सड़कें समाप्त हो जाएंगी। जिन सड़कों के लिए पैसे की मन्जूरी दी गई है वे तीन, चार सड़कें हैं। वे मैं आपको बता दूं। एक तो करवाड़ा से मांचवा तक सड़क ली गई है वह एक किलोमीटर की दूरी पर है और उसके लिए 50 000 रुपये की स्वीकृति दी गई है। दूसरी सड़क नांगल से गजसिंहपुरा, तीन किलोमीटर की सड़क है जिस पर पांच लाख रुपये खर्च होंगे। एक लाख रुपये की स्वीकृति वित्तीय वर्ष में दी जा चुकी है....

श्री मदनसिंह दांता : क्या कहा, सड़कें समाप्त हो जाएंगी।

श्री सूर्य नारायण चौधरी : निर्माण कार्य समाप्त हो जाएगा।

श्री कल्याणसिंह कालवी : इसी तरह से दो और सड़कें ली गई हैं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री करतारसिंह : अधिकारियों ने क्या टेबल पर बैठ कर के एप्रोच रोड और लिंक रोड बना दी हैं ? इस बात को स्पष्ट रूप से बताया जाए।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : एक छोटा सा प्रश्न है....

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मन्त्री महोदय ने सड़कों की बात बताई। मेरा प्रश्न यह है कि जयपुर में ऐसी कौनसी उपज है जिस पर मन्डी शुल्क लिया जाता है ? जयपुर में मन्डी नहीं बनाई गई है फिर शुल्क क्यों लिया जा रहा है ? मन्त्री महोदय ने बताया कि पचास हजार, एक लाख रुपया स्वीकृत किया गया है। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि पचास हजार, एक लाख रुपये में कितनी सी सड़क बनती है।

श्री अब्दुल अजीज : जिन वस्तुओं पर नगरपालिका टैक्स लगाती है क्या उन्हीं वस्तुओं पर मन्डी टैक्स लगाना भी उचित है ?

श्री गुलमोहम्मद : मन्डी शुल्क वहां लिया जाता है जहां पर मन्डी है। जयपुर में में मन्डी नहीं है फिर भी मन्डी शुल्क लिया जाता है।

श्री अध्यक्ष : 12 बज चुके हैं। अब मन्त्री महोदय का उत्तर सुन लीजिये।

श्री गुल मोहम्मद : मास्टर प्लान में बार-बार रद्दोबदल की जा रही है। क्या ऐसे अधिकारियों के खिलाफ मन्त्री महोदय कार्यवाही करेंगे ?

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न महत्वपूर्ण है। जिन वस्तुओं पर नगरपालिका टैक्स लगाती है उन पर कृषि उपज मन्डी द्वारा टैक्स लगाना क्या उचित है ? मन्त्री महोदय यह बताने का कष्ट करें।

श्री कल्याणसिंह कालवी : कृषि उपज मन्डी जिन वस्तुओं पर टैक्स लगाती है उनकी सूची घोषित की जा चुकी है। उन्हीं वस्तुओं पर टैक्स लिया जाता है। जितना भी माल जिस कृषि उपज मन्डी में आता है वह चाहे जहां पैदा हो, उस पर टैक्स लगता है। ऐसा कानून में प्रावधान है।

श्री अब्दुल अजीज : ऐसी वस्तुओं पर नहीं लगना चाहिये जिन पर नगरपालिका टैक्स लगाती है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण !

श्री ईश्वरचन्द्र : कृपया एक मिनट।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान नियम 41 की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। इसमें यह व्यवस्था है कि जिस प्रश्न का मौखिक उत्तर देने के लिए समय नहीं बचा हो, उसका उत्तर प्रश्न के घन्टे के अन्त में यदि मन्त्री अध्यक्ष से अभ्यावेदन करें कि वह प्रश्न विशेष लोकहित का है और उसका वह उत्तर देना चाहता है तो अध्यक्ष की अनुज्ञा से दिया जा सकेगा। माननीय सदस्य बजरंगलाल जी ने प्रश्न संख्या 356 में बड़े गंभीर आरोप लगाये हैं कि इस सरकार के पास गुप्त कोष है और वह गुप्त कोष उन लोगों को दिया गया है जो आज मन्त्री बन गये हैं। मैं चाहूंगा कि हमारे वित्त मन्त्री जी हमारी सरकार और हमारी पार्टी की छवि को ठीक करने के लिए इस सवाल का जवाब दें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष : सदस्य महोदया, आसन पैरों पर है।

माननीय सदस्य ईश्वरचन्द्र ने मेरा ध्यान जिस प्रश्न की ओर आकर्षित किया है उस सम्बन्ध में माननीय प्रश्नकर्ता श्री बजरंगलाल ने भी मेरा ध्यान आकर्षित किया है। क्रम के अनुसार प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि कोई खास कारण हो और अध्यक्ष की सूझबूझ में वह आवश्यक हो कि कोई अमुक प्रश्न क्रम के उपरान्त भी पूछा जाए तो वह पूछा जा सकता है। यह नियमों में प्रावधान है। माननीय सदस्य बजरंगलाल जी ने जो प्रश्न पूछा है, उसको पूछने देने की और क्रम भंग करने की आवश्यकता मैं महसूस नहीं करता हूं। श्री ईश्वरचन्द्र ने जो मेरा ध्यान नियम की ओर आकर्षित किया है उस सम्बन्ध में मेरी यह व्यवस्था सुनाता हूं।

माननीय सदस्या उजला अरोड़ा का प्रश्न है उसके उत्तर में माननीय मन्त्रीजी ने जो जानकारी दी है वह जयपुर जिले के सम्बन्ध में है और उस पर प्रकाश डाला है। इसमें एक प्रश्न मैं महत्वपूर्ण समझता हूं वह यह है कि पहले आप इसको एग्जामिन करालें, एक वस्तु के ऊपर अगर टैक्स दो बार, तीन

(श्री अध्यक्ष)

बार, मल्टी पाइन्ट पर लगता है तो मेरे ख्याल में वह रेशनल नहीं है। सरकार के डिस्क्रिशन के अनुसार यह हो सकता है। परन्तु यह जो व्यवस्था टैक्सेशन की है उसकी मैं प्रशन्सा करने में असमर्थ हूं। सरकार सक्षम है, सरकार इस पर विचार करे।

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह टैक्स नहीं है। यह तो सर्विस चार्जेज हैं। जो मंडी में सामान लाते हैं उनको जो सर्विस रेन्डर की जाती है, उसके चार्जेज हैं। यह टैक्स की परिभाषा में नहीं आता है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य गण, प्रश्न काल समाप्त हुआ।

श्री रतनलाल वर्मा : यह टैक्स है। डबल टैक्स नहीं लिया जा सकता....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या उजला अरोड़ा कोई प्रश्न करना चाहती हैं तो पहले मैं सुन लूं। उसका उत्तर आवश्यक होगा तो दिलाऊंगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आज्ञा दिनांक 4 मार्च 1975 की ओर आकर्षित करना चाहती हूं, जिसके द्वारा भूतपूर्व जोशी सरकार द्वारा फल सब्जी पर टैक्स को समाप्त कर दिया गया था। परन्तु हमारी सरकार ने उसको पुनः लेना शुरू कर दिया है। व्यावहारिकता को देखते हुए यह टैक्स उचित नहीं है। क्या इस व्यावहारिकता को देखते हुए सरकार इस टैक्स को समाप्त करने का विचार करेगी? अब इन पर टैक्स क्यों लिया जाता है? मन्त्री महोदय जवाब दें।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

भरतपुर सौंख सड़क का कार्य

274. श्री काशीनाथ गुप्त (कुम्हेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) भरतपुर जिले में भरतपुर-सौंख रोड कितने किलो मीटर लम्बी है तथा कब से निर्माणाधीन है एवं कितने किलोमीटर अब तक बन चुकी है तथा शेष किस दशा में है?

(2) क्या यह सही है कि गत वर्ष ही इस सड़क के निर्माण की पूरी राशि भरतपुर डिवीजन को राज्य सरकार दे चुकी है और मार्च, 1978 तक यह सड़क पूर्ण होती थी? यदि हां, तो अब तक इसका निर्माण क्यों नहीं पूर्ण हुआ और अब कब तक यह सड़क बन जायेगी?

उत्तर

(1) भरतपुर जिले में भरतपुर सौंख रोड 16 किलो मीटर लम्बी है एवं 1975 से निर्माणाधीन है। इस रोड पर अब तक 5 किलो मीटर लम्बी सड़क बन चुकी है। शेष मार्ग का कार्य प्रगति पर है।

(2) जी नहीं, पर्याप्त धनराशि उपलब्ध होना सम्भव न होने के कारण कार्यों को पूरा नहीं कराया जा सका तथा वर्ष 78-79 के लिए 5 लाख का प्रावधान किया गया है। कार्यों का मार्च, 79 तक पूरा होने की सम्भावना है।

गुढ़ाचन्द्रजी-टोड़ाभीम सड़क का निर्माण कार्य

275. श्री बत्तीलाल मीणा (टोडाभीम): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि गुढ़ाचन्द्रजी और टोडाभीम के मध्य की दूरी 15 कि. मी. है और इसके बीच में आठ पंचायतें और करीब 50 ग्राम पड़ते हैं जिनकी आबादी लगभग 55000 हैं ? यदि हां, तो इस क्षेत्र को किसी सड़क के द्वारा जोड़ने का राज्य सरकार का इरादा है ? यदि हां, तो क्या प्लान है और वह कब तक पूरा कर लिया जावेगा ?

उत्तर

यह सही नहीं है। छठी पंचवर्षीय योजना में 23.00 लाख की लागत से सड़क निर्माण कराने का प्रस्ताव रखा गया है।

घाटोल-गनोडा सड़क

276. श्री नाथूलाल (घाटोल) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

राज्य की घाटोल से गनोड़ा सड़क में कितनी पुलियां आती हैं ? उनमें से कितनी पूर्ण हो चुकी हैं और कितनी अपूर्ण है? अपूर्ण पुलियां कब तक पूर्ण की जायेगी ?

उत्तर

इस सड़क पर कुल 44 पुलियां बनी हुई हैं। तथा 2 पुलियां बनी हुई नहीं हैं। इन दो पुलिया के बनाने के लिये किसी भी मद में प्रावधान नहीं है। इसलिये इन दो पुलिया को बनाना सम्भव नहीं है। इन दोनों पुलिया व अप्रोच रोड की लागत 5 लाख रुपये है। और अभी इनकी स्वीकृति प्रस्तावित नहीं है।

चारभुजा रोड़-गोमती सड़क का कार्य

277. श्री गोविन्द सिंह शक्तावत (कुम्भलगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या चारभुजा रोड से गोमती सड़क (जिला उदयपुर) जो 19 कि. मी. है तथा पुरानी पक्की सड़क है और पुलिया बनी हुई हैं, पर राज्य सरकार डामर बिछाने का विचार कर रही है ?

(2) नाथद्वारा से ओलादर सड़क जो एक तीर्थ और ऐतिहासिक स्थान कुम्भलगढ़ को जोड़ती है, का कार्य पूरा करने की राज्य सरकार की क्या योजना है तथा इसे कब तक क्रियान्वित करने का राज्य सरकार का विचार है ?

(3) कांकरोली से ओलादर सड़क कितने कि. मी. कच्ची है ? इसे पक्का करने का क्या राज्य सरकार का इरादा है ;

उत्तर

(1) जी हां, राज्य सरकार का अभी इस सड़क पर डामर बिछाने का कोई प्रावधान नहीं है।

(2) नाथद्वारा से ओलादर सड़क को पक्का करने का राज्य सरकार की ओर से अभी कोई प्रावधान नहीं है।

(3) कांकरोली से ओलादर सड़क की कुल लम्बाई 34 कि. मी. है। जिसमें से

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

29 कि. मी. ग्रेवल एवं 5 कि. मी. फेयर वेदर है। इसे पक्का करने का कोई प्रावधान नहीं है।

कपासन तहसील में सड़कों का निर्माण एवं मरम्मत का कार्य

279. श्रीमती श्यामा कुमारी संगर (कपासन) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कपासन तहसील में इस वर्ष कौन-कौन सी नई सड़क डामर की बनाई जा रही है और कौन-कौन सी पुरानी सड़कों पर डामर मरम्मत या बिछाया जा रहा है ?

(2) क्या यह सही है कि जनता सरकार द्वारा कपासन तहसील में अब तक एक भी नई सड़क नहीं बनाई गई है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ? क्या राज्य सरकार अब कपासन क्षेत्र में कोई नई सड़क बनायेगी ?

(3) क्या यह सही है कि गत वर्ष फतहनगर से वाया पटालिया और आकोला तक सड़क कीर की चौकी से आकोला तक डामर की सड़क और भूपालसागर से जासमा वाली सड़क जो आगे रेलमगरा वाली सड़क में मिलती है बनाने हेतु प्रार्थना-पत्र भेजे गये फिर भी राज्य सरकार द्वारा ध्यान नहीं दिया गया है ?

(4) क्या राज्य सरकार इसी प्रकार भादसोड़ा से कपासन तक वाया मंडलिया की सड़क बनाने की भी सोच रही है? अगर हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) कपासन से पाण्डोली वाया वेलाड सड़क हेतु कृषि उपज मण्डी सड़क योजना के अन्तर्गत 3.50 लाख रुपये की स्वीकृति प्राप्त हुई है। चालू वित्तीय वर्ष में मात्र 0.50 लाख रुपये का प्रावधान है अतः इस वर्ष डामर की सड़क बनाना सम्भव नहीं होगा। कपासन वि० स० क्षेत्र में मरम्मत कार्यक्रम के अन्तर्गत केवल 14 कि० मी० में इस वर्ष डामर किये जाने का प्रस्ताव है जिसका विवरण संलग्न तालिका "अ" में प्रदर्शित है।

(2) जी नहीं। कपासन विधान सभा क्षेत्र में छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत संलग्न तालिका "ब" में प्रदर्शित विवरण के अनुसार सड़क निर्माण प्रस्तावित है।

(3) जी नहीं। फतेहनगर आकोला सड़क को छठी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कर लिया गया है। कीर की चौकी, आकोला, भूपालसागर, जासमा सडक भी छठी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित है।

(4) भादसोड़ा से कपासन सड़क का मार्ग वाया मण्डलिया न होकर वाया रोलिया है। इस सडक का निर्माण छठी पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित है तथा इसे वार्षिक सड़क निर्माण योजना वर्ष 80-81 में सम्मिलित कर लिया गया है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

बाइस गोदाम इण्डस्ट्रियल एरिया के प्लाट्स एवं शेड्स

280. श्री श्रवणलाल (हिण्डौन) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बाइस गोदाम इण्डस्ट्रियल एरिया में कितने प्लाट्स व शेड हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(श्री श्रवणलाल)

(2) क्या किसी यूनिट के प्रोपराइटर के पास एक से अधिक प्लाट्स व शेड्स हैं ऐसा आवंटन करने का क्या प्रयोजन है ? ऐसे कितने उद्यमी हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) कितने उद्यमियों की अर्जियां प्लाट्स व शेड्स आवंटित करने के लिए आई और कितनों को आवंटन किया जा चुका है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) प्लाट्स व शेड्स आवंटित करने का क्या पैमाना रखा है और इंजीनियरिंग स्नातक, शिक्षित बेरोजगार, अनुसूचित जाति व अन्य का कितना कितना प्रतिशत निश्चित किया गया है ?

(5) क्या यह भी सही है कि कुछ उद्यमियों को प्राथमिकता देकर प्लाट्स व शेड्स आवंटित कर दिये गये जब कि उन्होंने अरनेस्टमनी वगैरह भी जमा नहीं कराया था ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(6) ऐसी कितनी यूनिट्स हैं जिन्होंने काफी समय से प्लाट्स आवंटित करा लिये लेकिन काफी समय गुजरने के पश्चात् भी किसी प्रकार का कार्य शुरू नहीं किया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। साथ ही साथ राज्य सरकार इनके खिलाफ क्या क्या कदम उठाने जा रही है ?

(7) क्या ऐसा प्रावधान है कि आवंटित प्लाटों को दूसरे उद्यमियों को किराये पर दे सकते हैं ऐसे कितने उद्यमी हैं जिन्होंने प्लाट किराए पर दे रखें हैं ?

उत्तर

(1) बाईस गोदाम औद्योगिक क्षेत्र में 64 शेड व 118 प्लाट्स हैं। ए श्रेणी के 18, बी श्रेणी के 14 व सी श्रेणी के 32 शेड हैं।

(2) जी हां। 36 औद्योगिक इकाइयों के पास एक से अधिक प्लाट या शेड है। उद्योग की विक्रय क्षमता, उत्पादित वस्तु, भविष्य में विस्तार, भण्डारण की आवश्यकता आदि को दृष्टिकोण में रखते हुए एक से अधिक प्लाट या शेड आवंटन करना आवश्यक समझा गया। जिन इकाइयों को एक से अधिक प्लाट या शेड आवंटित किये गये है, उनकी सूची 'क' सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) बाईस गोदाम में प्लाट्स व शेडों का आवंटन वर्ष 1959-60 में प्रारम्भ किया गया था। जिन प्रार्थियों के आवेदन अस्वीकृत किये गये, उनकी प्रतिभूति समय-समय पर वापस की जाती रही है। आवंटन पश्चात् निरस्तीकरण भी होते रहे हैं। अतः आवेदन पत्रों की सूची प्रस्तुत करना संभव नहीं है। वर्तमान में आवंटित प्लाटों व शेडों की सूची 'ब' सदन के पटल पर रख दी गई है।

(4) आवंटन का पैमाना उद्योगों की किस्म, क्षमता, उत्पादित वस्तुओं की प्रकृति, भण्डारण, भविष्य में विस्तार आदि रही है। इंजी० स्नातक, शिक्षित बेरोजगार अनु० जाति के लिये कोई प्रतिशत निश्चित नहीं किया गया है।

(5) इस प्रकार के किसी मामले की जानकारी विभाग को नहीं है।

(6) बाईस गोदाम में इस प्रकार की कोई औद्योगिक इकाई नहीं है जिसने आवंटन के काफी समय गुजरने के पश्चात् आज की

(उद्योग मंत्री)

तिथि तक किसी भी प्रकार का कार्य शुरू नहीं किया है। निम्न इकाइयों ने अब तक उत्पादन प्रारम्भ नहीं किया है :–

1) मैसर्स शिव इन्जीनियरिंग एन्टरप्राइजेज स्पेशल-ए, आंशिक भवन निर्माण किया गया है। उत्पादन प्रारम्भ नहीं किया है। इकाई द्वारा अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन किया है जो विचाराधीन है।

2) मैसर्स दामोदर दास रामशरण दास–बी-8– इकाई द्वारा भवन निर्माण पूरा किया जा चुका है और मशीनरी के आर्डर दिये जा चुके हैं। उन्हें मशीनरी स्थापित करने का अवसर दिया गया है। इसके अतिरिक्त निम्न दो उद्योगों द्वारा उत्पादन पूर्व में प्रारम्भ कर दिया गया था, परन्तु वर्तमान में बन्द है :—

1) मैसर्स फूलचन्द गंगाराम-ए 19, ए 20।

2) मैसर्स राज इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन बी–82

इन इकाइयों को नोटिस जारी कर दिया गया है।

(7) जी नहीं। आवंटन शर्तों के अनुसार प्लाटों को दूसरे उद्यमियों को किराये पर नहीं दिये जा सकते हैं। वर्तमान में निम्न तीन उद्यमियों द्वारा बाईस गोदाम में प्लाट किराये पर दे रखे हैं:—

1) मैसर्स फूलचन्द गंगाराम ए–19, ए–20 निदेशालय के पत्रांक एस.एस.आई.(16) आई. ई./3354 दिनांक 17-5-78 द्वारा नोटिस दिया गया है।

2) मैसर्स इण्डिया पेल्ट मैन्यू० कंपनी ए–5, आवंटन निरस्त हो चुका है।

3) मैसर्स राजस्थान ट्रेड कम्पनी, स्पेशल एफ-निदेशालय के पत्र क्रमांक एस. एच.आई.(163) आई. ई./3217 दिनांक 29–9–78 द्वारा नोटिस दिया गया है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

औद्योगिक क्षेत्र उदयपुर में आवासीय मकानों का निर्माण

281. श्री कमलेन्द्र सिंह (वल्लभनगर): क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) उदयपुर में उद्योग विभाग के औद्योगिक क्षेत्र (सुन्दरवास से स्टेशन) में कितने आवंटित प्लाटों में आवासीय मकान बन गये हैं ?

(2) क्या ऐसे व्यक्ति, जिन्होंने ऐसे प्लाटों में आवासीय मकान बनाये हैं, के विरुद्ध कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो कितने मामलों में कार्यवाही हो रही है ?

उत्तर

(1) उदयपुर में उद्योग विभाग के औद्योगिक क्षेत्र (सुन्दरवास से स्टेशन) में सात आवंटित प्लाटों में लेबर झोंपड़ी अथवा आवासीय मकान बना लिये गये हैं।

(2) जिन इकाइयों द्वारा आवासीय मकान अथवा लेबर के लिए झोंपड़ियां बनवाई हैं, उन्हें नोटिस दिये गये हैं। इस प्रकार के सभी सातों मामलों में नोटिस दिये गये हैं।

सोजत में चूने पत्थर का उद्योग

283. श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही कि सोजत में चूने के पत्थर का उद्योग बहुत बड़ा है और दस

(श्री माधोसिंह कछवाह)

हजार से अधिक श्रमिक रोजगार में लगे हैं ?

(2) क्या यह सही है कि चूने का उद्योग कोयले पर निर्भर है ?

(3) क्या यह सही है कि विभिन्न चूने के पत्थर का उद्योग करने वाली इकाइयों को आवश्यकता अर्थात् उनके उत्पादन क्षमता के समकक्ष मांग में कम कोयला दिया गया है ? अगर हां, तो क्यों ?

(4) क्या राज्य सरकार भविष्य में कोयला उत्पादन क्षमता के अनुसार प्रत्येक इकाई को सोजत क्षेत्र में देगी ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या चूने का उद्योग वाली इकाइयों को कम कोयला देने से हजारों मजदूर बेरोजगार नहीं होंगे ? अगर हां, तो राज्य सरकार क्या प्रबन्ध करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। सोजत में चूना उद्योग का काफी महत्वपूर्ण स्थान है और वर्तमान में 44 भट्टे सोजत क्षेत्र में लगे हैं जिनमें 425 श्रमिक कार्यरत हैं। खानों पर कार्यरत श्रमिक इसमें सम्मिलित नहीं हैं।

(2) जी हां। चूने का उद्योग कोयले पर निर्भर है।

(3) जी हां। इकाइयों को उनकी उत्पादन क्षमता के समकक्ष मांग से कम कोयला दिया जा रहा है। राज्य की कुल स्टीम कोल की आवश्यकता वर्तमान में करीब 2000 वैगन प्रति माह है, जब कि वैगनों की निर्धारित सीमा 200 वैगन प्रति माह है। अतः क्षमतानुसार वैगन दिया जाना संभव नहीं है। सोजत की इकाइयों की आवश्यकता 308 वैगन प्रति माह की है और इसके प्रति 151 वैगन प्रति माह स्पोनसर किया गया है।

(4) जी नहीं। केवल सोजत की इकाइयों की उत्पादन क्षमता के अनुरूप कोयला दिया जाना संभव नहीं है। कोयले के वैगनों की निर्धारित सीमा आवश्यकता से कम होने के कारण राज्य की सभी इकाइयों पर कमी का प्रभाव पड़ेगा।

(5) मजदूरों को बेरोजगारी से बचाने के लिए सड़क यातायात के माध्यम से भी कोयला मंगवाने हेतु जिन इकाइयों ने आवेदन-पत्र दिये उन्हें स्वीकृति दी जाती रही है। इसके अतिरिक्त चूना पकाने वाली इकाइयों को ब्रीज कोक (कोयले की चूरी) आवंटित की गई है तथा प्रान्त के लिये निर्धारित वैगनों की सीमा के अतिरिक्त कोयला प्रान्त में लाने हेतु स्वीकृति दी गई है। सोजत की इकाइयों को भी सीलिंग के बाहर 50 वैगन ब्रीज कोक प्रति माह लाने के लिये स्पोंसर किया गया है।

जोधपुर में एल्युमिनियम कोटे का वितरण

284. श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जोधपुर में कितना एल्युमिनियम किन-किन औद्योगिक इकाइयों को दिया जा रहा है ? उनकी मात्रा कितनी है ?

Page No. 28

(28)

(श्री माधोसिंह कछवाह)

(2) क्या दिया जाने वाला एल्युमिनियम कोटा उनकी आवश्यकता से कम नहीं है ? अगर हां, तो उनकी पूर्ति कब की जायेगी ?

उत्तर

(1) दो प्रकार का एल्युमिनियम औद्योगिक इकाइयों द्वारा काम में लाया जाता है:—

कार्मशियल ग्रेड एल्युमिनियम
ई-सी-ग्रेड एल्युमिनियम

कार्मशियल ग्रेड पर कोई पाबन्दी नहीं है। और यह खुले बाजार में मिलता है। कार्मशियल ग्रेड एल्युमिनियम काम में लेने वाली जोधपुर में 34 इकाइयां हैं। ई-सी-ग्रेड एल्युमिनियम काम में लाने वाली इकाइयां केवल दो हैं जिनकी स्थापना वर्ष 1977-78 में हुई है, उनको निम्न प्रकार ई-सी-ग्रेड एल्युमिनियम मिला है:—

		1977-78	1978-79 (अप्रेल से जून)
1.	मैं० महावीर कण्डक्टर्स, जोधपुर।	90 मै. टन	45.383 मै.टन
2.	मै० ट्यूब्स एण्ड ब्रास, जोधपुर	43·50 मै. टन	34·00 मै. टन

भारत सरकार द्वारा ई-सी-ग्रेड एल्युमिनियम वितरण प्रणाली सरल बना दी गई है, और राज्य सरकार द्वारा इकाइयों की क्षमता विकास आयुक्त, लघु उद्योग, भारत सरकार को प्रेषित कर दी जाती है। विकास आयुक्त द्वारा यह सूचना ई-सी-ग्रेड एल्युमिनियम उत्पादकों को प्रेषित कर दी जाती है और उत्पादक फैक्ट्रियों द्वारा इनकी मता तथा विद्युत मण्डलों के आर्डरों को ध्यान में रखते हुए स्वदेशी माल सीधे ही आवंटन किया जाता है।

(2) देश में एल्युमिनियम की कमी को देखते हुए भारत सरकार द्वारा ई-सी-ग्रेड एल्युमिनियम व कामर्शियल ग्रेड एल्युमिनियम का आयात किया जा रहा है। राज्य के एल्युमिनियम खपत किये जाने वाली इकाइयों के जितने भी प्रार्थना-पत्र आयातित माल के लिए प्राप्त हुए, सभी की अभिषंशा कर दी गई है। जोधपुर में निम्न इकाइयों की अभिषंशा की गई है:—

क्र. सं.	इकाई का नाम	मात्रा मै. टन
1.	मै० महावीर कन्डक्टर्स, जोधपुर	90 मै. टन
2.	मै० ट्यूब्स एण्ड ब्रास. जोधपुर	160 मै. टन

कार्मशियल ग्रेड एल्युमिनियम

क्र. सं.	इकाई का नाम	मात्रा मै. टन
1.	मै. विजय उद्योग, जोधपुर	10 मै. टन
2.	मै. सिमको इण्डस्ट्रीज, जोधपुर	10 मै. टन
3.	मै. जोधपुर सिमको मेटल वर्क्स	13 मै. टन

फसल की कोस्ट प्राइस

285. श्रीमती श्यामाकुमारी सेंगर (कपासन) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या राज्य में किसानों की उपज अभी जिस हालत में जिलेवार पकाई जा रही है उसमें उनको हर फसल की कोस्ट प्राइस मिल रही है ? अगर हां, तो किस प्रकार और कौन-कौन सी उपज में तो मिलती है और कौन-कौन सी उपज में नहीं मिलती है ?

उत्तर

कृषि विभाग द्वारा राज्य में नियमित रूप से प्रत्येक जिलेवार जिन्स उत्पादन व्यय का अध्ययन नहीं किया जाता। अलवर, सवाई माधोपुर व चित्तौड़गढ़ जिलों में वर्ष 1975-76, 76-77 व 77-78 में मुख्य-मुख्य फसलों के उत्पादन व्यय के अध्ययन, के आधार पर औसत उत्पादन लागत व आमद, प्रति एकड़ निम्न प्रकार है:—

फसल	उत्पादन लागत (रु० में)	आमद (रु० में)
गेहूं	875.98	1040.65
बाजरा	278.12	319.14
मक्का	487.83	553.84

भूमि का किराया (Rental Value) लागत में शामिल नहीं है।

ग्राम रोहुंआ में भरा हुआ पानी

286. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम रोहुंआ जिला सिरोही में पिछले दो वर्षों से वर्षा का पानी भरा हुआ है ? अगर हां, तो कब से पानी भरा हुआ है?

(2) उक्त ग्राम में भरा हुआ पानी निकालने के लिये राज्य सरकार कब तक क्या कार्यवाही करेगी ? अब तक उक्त ग्राम का पानी निकाल कर काश्तकारों को राहत पहुंचाने के लिये राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

(3) क्या राज्य सरकार आने वाली रबी की फसले तक उक्त ग्राम में भरा पानी बाहर निकालने में कामयाब हो सकेगी ? अगर हां, तो ग्राम में भरा पानी खाली कराने की निश्चित तिथि बताने की कृपा करें।

(4) उक्त ग्राम में भरा पानी निकालने में इतनी देरी लगने का क्या कारण है ?

(5) उक्त ग्राम का पानी बाहर निकाल कर बेघरबार हुए काश्तकारों को पुनः बसाने की राज्य सरकार ने क्या योजना बनाई है एवं उसमें कितनी धनराशि कब तक खर्च की जायेगी ?

उत्तर

(1) इसी तरह का ग्राम रोहुंआ में भरे हुए पानी से सम्बन्धित प्रश्न संख्या 17/कृ० मं० विधायक श्री रघुनाथ विश्नोई का ही था जिसका उत्तर दिनांक 9-11-78 को दिया गया है जिसकी प्रति संलग्न है। यह उत्तर इस प्रश्न के सभी भागों पर लागू होता है।

(2)-सिंचाई विभाग को शीघ्र पानी निकालने हेतु 2 लाख 33 हजार की राशि स्वीकृत कर दी गई है।

(कृषि मंत्री)

(3) भाग (1) व (2) में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

(4) सिंचाई विभाग की तकनीकी राय व योजना बनाने में समय लगा।

(5) पानी निकालने की योजना क्रियान्वित होने पर यह भूमि कृषि के काम में पुनः ली जा सकेगी।

अजमेर जिले में कृषि विस्तार का कार्यक्रम

237. श्री करतारसिंह (किशनगढ़) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे.—

(1) अजमेर जिले में कृषि विस्तार कार्यक्रम कब से लागू किया गया है? जिला स्तर के विभागीय ढांचे को बताते हुए इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जिले से ग्राम विस्तार स्तर तक विभिन्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों के नाम, पद एवं मुख्यावास एवं कार्यक्षेत्र आदि की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि इस नवीन कृषि विस्तार कार्यक्रम की जानकारी वहां के जन प्रतिनिधियों को नहीं है और न ही विभाग द्वारा क्षेत्रीय पंच, सरपंच एवं अन्य जन प्रतिनिधियों को आज तक इस कार्यक्रम की रूपरेखा बताई गई है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या राज्य सरकार यह उचित नहीं मानती है कि ग्राम अवाम से संबंधित इस राष्ट्रीय कार्यक्रम की जानकारी जन प्रतिनिधियों को दी जाय? यदि हां, तो राज्य सरकार इस संदर्भ में क्या कदम उठाने जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) अजमेर जिले में कृषि विस्तार कार्यक्रम पूर्ण रूप से 1-3-78 में प्रारम्भ किया गया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 2 उप-जिले बनाये गये हैं जो निम्न प्रकार कार्यरत हैं—

(1) अजमेर–पंचायत समिति, श्रीनगर, अराई, सिलोरा, पीसागन।

(2) ब्यावर–पंचायत समिति, जवाजा, मसूदा, भिनाय व केकड़ी

प्रत्येक उप-जिले पर तीन विषय विशेषज्ञ रहेंगे। अब तक दो विषय विशेषज्ञ की नियुक्ति की गयी है। इस समय 103 विस्तार कार्यकर्ता व 20 सहायक कृषि अधिकारी कार्य कर रहे हैं, जिनकी सूची सलग्न है।

(2) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम सेवक चयनित कृषक परिवारों से निश्चित दिन सम्पर्क करते हैं व उन्हें आगामी पन्द्रह रोज में क्या कार्य करना है उसकी तकनीकी जानकारी देते हैं। इस कार्यक्रम की जानकारी पंच, सरपंच व अन्य जन प्रतिनिधियों को समय-समय पर इनसे सम्पर्क किया जाकर इस पद्धति एवं ग्राम सेवकों के कार्य के बारे में बताया जाता है।

(3) सरकार उचित मानती है कि इस कार्यक्रम की जानकारी जन-प्रतिनिधियों व आम जनता को हो। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम विस्तार कार्यकर्ता सोमवार से बृहस्पतिवार तक नियमित समय सारिणी के

(कृषि मंत्री)

अनुसार भ्रमण करते हैं तथा पाक्षिक प्रशिक्षण के समय जो खेतों पर आयोजित किए जाते हैं, कृषक वर्ग उपस्थित रहता है। तथा समय-समय पर किसान दिवस आयोजित किए जाते हैं जिसके फलस्वरूप इस पद्धति की जानकारी आम जनता को होती रहती है।

राज्य कृषि व उद्योग निगम

288. श्री मोहम्मद जहूर (कामां): क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान कृषि यांत्रिक मंडल को 1968 में ही समाप्त कर कृषि व उद्योग निगम की स्थापना कर दी गई थी ?

(2) उक्त मन्डल के समाप्त होने के बाद से अब तक इस मन्डल में नियुक्त स्टाफ कितना है तथा उन पर वार्षिक व्यय कितना हुआ है. उनके दायित्व क्या हैं, तथा उनके कार्यकाल में कब-कब वृद्धि की गई है और किन कारणों से ?

(3) उक्त मण्डल के भंग किये जाने के बाद से अब तक कितना कार्य किया गया है और कितना कार्य और शेष है ?

(4) क्या यह सही है कि कृषि यांत्रिक मण्डल मे कार्यरत कर्मचारियों के वेतन आदि का व्यय भार कृषि उद्योग निगम को दिया गया है ? यदि हां, तो कब तथा इसकी परिपालना किस प्रकार की गयी है ? विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(5) क्या यह सही है कि तत्कालीन कृषि यांत्रिक मण्डल में लगभग एक करोड़ रु० की राशि कृषि उद्योग निगम की ओर विगत नौ वर्षों से बकाया चली आ रही है. इस राशि की वसूली अभी तक भी क्यों व किन कारणों से नहीं की गई है ? राज्य सरकार ने इस वसूली के लिये अब तक क्या क्या कार्यवाही की और कितनी राशि वसूल की जा चुकी है और कितनी बाकी है और शेष कब तक वसूल की जाने की संभावना है।

(6) क्या यह सही है कि उक्त कृषि यांत्रिक मण्डल की ओर भी बकाया है ? यदि हां, तो किन-किन विभागों तथा व्यक्तियों की ओर से तथा कितनी-कितनी ? इसकी वसूली की अब तक क्या कार्यवाही की गई है, कितनी वसूल हो चुकी है कितनी बाकी है ? वसूल नहीं होने के क्या कारण है ? कौन अधिकारी जिम्मेदार है ?

(7) क्या यह सही है कि उक्त कृषि यांत्रिक मन्डल का अधिकांश रेकार्ड अधिकारियों की असावधानी से नष्ट हो गया है और खो गया है ? यदि हां, तो कौन-कौन अधिकारी इसके लिये उत्तरदायी हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

(8) क्या कृषि यांत्रिक मण्डल के भंग होने के बाद सभी वसूली आदि के कार्य को निगम को नहीं सौंपा जा सकता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। राजस्थान स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज का पंजीयन 1 अगस्त, 1969 को हुआ और राजस्थान कृषि अभियान्त्रिक मण्डल ने कृषि मंत्रालय का भार दिनांक 8-7-70 को सौंपा, राजस्थान कृषि अभियांत्रिक मण्डल का मुख्यालय दिनांक 31-3-73 तक चलता रहा और इसके पश्चात् कृषि मण्डल के शेष कार्य को एक विशेष प्रकोष्ठ

Page No. 32

(32)

(कृषि मंत्री)

को ल .र दिनांक 1-9-75 को सौंप दिया गया।

(2) मण्डल के समाप्त होने के पश्चात् दिनांक 1-9-75 से एक विशेष प्रकोष्ठ की राज्य सरकार की स्वीकृति के साथ स्थापना हुई। इस मण्डल एवं प्रकोष्ठ में निम्नलिखित अधिकारी / कर्मचारी समय-समय पर कार्यरत रहे :–

(क) अवधि दिनांक 1-9-75 से 22-12-75 तक

प्रभारी : स्वर्गीय श्री एम० पी० सारथी

लेखाधिकारी : श्री रामनाथ विजय दिनांक 25-11-75 से

(ख) अवधि : 23-12-75 से 5-2-76 तक

प्रभारी एवं लेखाधिकारी : श्री रामनाथ विजय

लेखाकार : दिनांक 3-5-76 से श्री उमरावचन्द जैन

क० लेखाकार : दिनांक 12-1-76 से श्री माणकचन्द अजमेरा

क० लिपिक : दिनांक 3-1-76 से श्री प्रकाश चन्द

(ग) अवधि 6-2-76 से 11-6-76 तक

प्रभारी : श्री एस० अडावियप्पा (प्रबन्ध संचालक)

लेखाधिकारी : श्री रामनाथ विजय

लेखाकार : श्री उमरावमल जैन

क० लेखाकार : श्री माणकचन्द अजमेरा

क० लिपिक : श्री प्रकाशचन्द

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी : श्री प्रहलाद मिश्रा

अवधि : 11-6-76 से अब तक

प्रभारी : श्री एस०सी० आनन्द, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (19-2-77 से अब तक)

लेखाधिकारी : श्री रामनाथ विजय दिनांक 2-5-78 तक

श्री जी० एस० गुप्ता दिनांक 2-5-78 से

लेखाकार : श्री उमरावमल जैन दिनांक 17-6-78 तक

क. लेखाकार : श्री मोहनलाल गुप्ता दिनांक 22-4-78 से

व० लिपिक : श्री सुवराम शर्मा दिनांक 17-7-77 से

क० लिपिक : श्री प्रकाशचन्द

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी : श्री प्रहलाद मिश्रा

इस प्रकोष्ठ का वार्षिक व्यय लगभग रु० 60,000/- प्रति वर्ष आता है एवं गत तीन वर्ष में रु. 1,30,000/- व्यय हुआ है।

इस प्रकोष्ठ का मुख्य कार्य :–

महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर के प्रतिवेदनों की परिपालना (1961 से 3-7-70 तक) करना है।

(3) व (4) विशेष प्रकोष्ठ की स्थापना के समय महालेखाकार राजस्थान के प्रतिवेदनों (1961 से 8-7-70 तक) की परिपालना में 130 अनुच्छेद बाकी थे उनमें से 93 अनुच्छेदों का निपटारा कराया जा चुका हैं और अब केवल 37 अनुच्छेद बाकी है। कृषि अभियान्त्रिक मण्डल के कार्य को निपटाने हेतु

(कृषि-मन्त्री)

स्थापित विशेष प्रकोष्ठ नियुक्त कर्मचारियों के वेतन आदि का भुगतान अन्तरिम रूप से राजस्थान स्टेट एग्रो इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन द्वारा 1-10-76 से संचालक मण्डल की 60वीं बैठक दिनांक 20-12-76 में पारित प्रस्ताव के अनुसार राज्य सरकार की ओर से किया जा रहा है। इस विषय पर अन्तिम निर्णय के लिये राज्य सरकार एवं कारपोरेशन के बीच पत्राचार चल रहा है।

(5) जी नहीं। लगभग 56 लाख रुपये की राशि निगम की ओर बकाया है। इसके अलावा कुछ जमीनों का मूल्य देय है जिसके मूल्यांकन के बारे में भी वार्ता चल रही है। इसमें से 24.17 लाख रुपये निगम द्वारा देना स्वीकार कर लिया गया है। जिसमें से 7.97 लाख रुपये की राशि का क्रेडिट भी दिया जा चुका है। शेष राशि के सत्यापन की कार्यवाही चालू है। इस मामले को जल्दी निपटाने की आशा की जाती है।

(6) जी हां। मण्डल की अपनी इकाइयों के प्रति रुपये 23,99,073/- बकाया है। इसके अतिरिक्त राशि रुपये 17,85,536.04 अन्य विभागों में भी शेष है जिसका विवरण निम्न प्रकार है:—

1. पंचायत समिति	5,22,500.34
2. कृषि विभाग	10,91,445.70
3. अन्य विभाग	1,71,590.00
	17,85,536.04

उक्त वसूली के लिए सम्बन्धित विभाग से पत्र व्यवहार जारी है। इस रकम की वसूली नहीं होने का कारण यह भी है कि यह मामला इतना पुराना है कि सम्बन्धित राशि का पूर्ण विवरण उपलब्ध नहीं है। यह बकाया राशि मण्डल के समय से ही शेष चली आ रही है और इसकी वसूली के लिए उस समय के अधिकारी/कर्मचारी ही जिम्मेदार हैं. क्योंकि बकाया राशि का समायोजन वर्ष प्रति वर्ष हो जाना चाहिये था। ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय पूर्ण सावधानी नहीं रखी गयी। स्वर्गीय श्री एम० पी० सारथी इस मण्डल के शुरू से अन्त तक प्रभारी थे, जिनका अचानक 22-12-75 को स्वगर्वास हो गया।

(7) जी नहीं। केवल कुछ रेकार्ड उपलब्ध नहीं हो रहा है क्योंकि ऐसी कोई लिखित में सूची उपलब्ध नहीं है कि न मिलने वाला रेकार्ड किसको सौंपा गया था। जब तक इस बारे में कोई स्पष्ट लेख उपलब्ध न हो तब तक किसी व्यक्ति विशेष को उत्तरदायी माना जाना सम्भव नहीं है। प्रयत्न जारी है कि रेकार्ड उपलब्ध हो सके और मण्डल से सम्बन्धित मामले शीघ्र निपटाये जा सकें।

(8) यह कार्य विशेष प्रकोष्ठ को सौंपा हुआ है, निगम को सौंपना उचित नहीं होगा क्योंकि जमा खर्च के विवादों में राजस्थान स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन भी एक पक्ष है।

कृषि उपज मंडी समिति नरायना का सेवा मुक्त कर्मचारी

289. श्री मूलचन्द डागा (पाली): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री कालूराम जाजोरिया की नियुक्ति कृषि उपज मण्डी समिति, नरायना (जयपुर) में हुई थी ?

(श्री मूलचन्द डागा)

यदि हां, तो कब तथा किस पद पर की गयी थी ? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह भी सही है कि श्री जाजोरिया को अब उक्त मण्डी समिति से सेवामुक्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि श्री जाजोरिया की नियुक्ति अनुसूचित जाति के आरक्षित पद पर समाज कल्याण विभाग के नियोजन प्रकोष्ठ के माध्यम से की गई थी तथा उक्त पद के आरक्षित होने पर उक्त व्यक्ति की नियुक्ति की गई थी तथा टंकण परीक्षा में 6 माह की छूट राज्य-सरकार के आदेश को मद्दे नजर रखते हुए नियुक्ति के समय दी गई थी लेकिन उसको हटा दिया गया है ?

(4) क्या यह सही है कि श्री जाजोरिया को सेवामुक्त करते समय राज्य-सरकार तथा मण्डी नियमों को ध्यान में रखा गया है ? यदि हां, तो ऐसे नियम/आदेश परिपत्र आदि की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(5) क्या यह सही है कि मण्डी प्रशासक (सांभर लेक) ने नियम आदि को ताक में रख कर अपनी मनमानी से उक्त कर्मचारी को हटा कर अपने पद का लाभ उठाया है ? यदि हां तो क्या ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को तुरन्त निलम्बित कर उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(6) क्या यह सही है कि उक्त कर्मचारी ने नियुक्ति के लिये बार बार संबंधित अधिकारियों मंत्री आदि से मिल कर स्थिति स्पष्ट कर आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर दिया था लेकिन उस पर कोई कार्यवाही न होकर बल्कि बार-बार चक्कर ही काटना पड़ रहा है ? यदि हां, तो अब उक्त कर्मचारी की पिछली सेवा को निरन्तर मानते हुए कब तक सेवा में ले लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(7) क्या यह सही है कि उक्त मण्डी समिति में पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो कुल कितने तथा उनमें आरक्षित पद कितने है ? क्या प्रशासक ने अपनी मनमानी से पदों के नाम परिवर्तन कर अपनी सफाई को छिपाया है जब कि ऐसा कोई नया पद पिछले 6 माह से सृजित नहीं हुआ है।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि श्री कालूराम जाजोरिया की नियुक्ति कृषि उपज मण्डी समिति, नरायना (जयपुर) में नीलामी लिपिक के पद पर 6 माह के लिये अस्थाई तौर पर की गयी थी।

आदेश की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। यह सही है कि श्री जाजोरिया को दिनांक 29-6-78 को सेवा मुक्त किया गया क्योंकि 6 माह का नियुक्त काल समाप्त हो गया था। आदेश की प्रति प्रस्तुत कर दी गई है।

(3) जी हां। यह सही है कि श्री जाजोरिया की नियुक्ति अनुसूचित जाति के आरक्षित पद पर समाज कल्याण विभाग के

(कृषि मन्त्री)

नियोजन प्रकोष्ठ के माध्यम से की गई थी तथा उक्त पद के आरक्षित होने पर टंकण परीक्षा हेतु राज्य सरकार के आदेश को मद्दे नजर रखते हुए टाइप टेस्ट की 6 माह हेतु छूट दी गई थी। पुनः नियुक्ति हेतु उक्त कर्मचारी की टंकण परीक्षा ली गई जिसमें वह उत्तीर्ण नहीं हुआ।

(4) जी हां। यह सही है कि श्री जाजोरिया को सेवामुक्त करते समय नियमों को ध्यान में रखा गया है। श्री जाजोरिया को सेवा मुक्त करते समय राजस्थान राज्य कृषि उपज विपणी नियम/मण्डी कर्मचारी सेवा नियम, 1975 के नियम 66 के अन्तर्गत कार्यवाही की गई। इस नियम की प्रति प्रस्तुत है।

(5) जी नहीं। यह कहना सही नहीं है। श्री जाजोरिया की नियुक्ति अस्थाई तौर पर 6 माह के लिये नीलामकर्ता के पद पर की गई थी। समिति प्रशासक ने समस्त कार्यवाही नियमानुसार की है व इसमें किसी प्रकार भ्रष्ट अधिकारी का आचरण आरोपित नहीं होता। अतः उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने अथवा उन्हें निलम्बित करने का प्रश्न नहीं उठता।

(6) जी हां, उक्त कर्मचारी ने अपनी पुनः नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किये है किन्तु चूंकि अब नरायना समिति में अनुसूचित जन-जाति के लिए कोई आरक्षित स्थान खाली नहीं है व उक्त कर्मचारी टंकण परीक्षा में फेल हो गया है अतः कर्मचारी को पुनः नियुक्ति किया जाना सम्भव नहीं है। इस समिति में अब एक पद नीलाम लिपिक का जनरल कोटा में रिक्त है जिस पर नियमानुसार नियुक्ति नियोजन कार्यालय के माध्यम से नाम मंगवाकर टंकण परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद ही की जा सकती है।

(7) जी हां, समिति में एक नीलाम लिपिक का पद जनरल-कोटा में रिक्त है। इस समिति में केवल एक पद आरक्षित कोटा का है जिस पर कृषि उपज मण्डी समिति हनुमानगढ़ के एक कर्मचारी का स्थानान्तरण हो चुका है तथा समिति में कार्यरत है। समिति प्रशासक ने मनमानी से पदों के नाम में किसी प्रकार का परिवर्तन कर सचाई को नहीं छिपाया है।

(आदेश की प्रतियों के लिये कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

सुपरवाइजरों के रिक्त पदों पर नियुक्ति

290. श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा सुपरवाइजर के रिक्त पदों के लिए सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने के लिए आवेदन पत्र आमन्त्रित किये गये ? यदि हां, तो कब और कितने स्थानों के लिए ?

(2) अन्तिम रूप से कब और कितने सुपरवाइजरों को चयनित घोषित किया गया ?

(3) क्या चयनितों को प्रशिक्षण दिया गया ? यदि हां, तो किस संस्था में कितने समय का ? प्रशिक्षण में कितने अभ्यर्थी सफल घोषित किये गये।

(श्री रामनारायण चौधरी)

(4) क्या चयनित अभ्यर्थियों से प्रशिक्षण से पूर्व कोई अनुबन्ध किया गया था ? यदि हां तो उस अनुबन्ध की क्या-क्या शर्तें थीं ? क्या उन शर्तों का उल्लंघन हुआ ? यदि हां, तो क्यों ?

(5) सफल प्रशिक्षण के पश्चात् कितने अभ्यर्थियों को सुपरवाइजर के पद पर नियुक्ति मिल गई ? क्या नियुक्ति योग्यता क्रमानुसार दी गई ? यदि नहीं तो क्यों ?

(6) क्या विपणन बोर्ड पुनः सुपरवाइजर के पदों के लिए विज्ञापन निकाल रहा है ? यदि हां, तो क्यों जब कि वह पूर्व में ही चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्तियां नहीं दे पाया है ।

(7) सफल चयन के पश्चात् कितने अभ्यर्थी ओवर एज हो गये ? क्या राज्य सरकार उनको नियुक्ति देने की गारन्टी देगी ?

उत्तर

(1) जी हां, । सन् 1976 में सुपरवाइजरों के 49 स्थानों के लिए सीधी भर्ती हेतु 290 आवेदन पत्र आमन्त्रित किये गये थे ।

(2) अन्तिम रूप से सन् 1977 में 49 व्यक्तियों को सुपरवाइजर के पद को प्रशिक्षण देने हेतु चयनित किया गया था ।

(3) जी हां । चयनितों को राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा चार माह का प्रशिक्षण दिया गया था । प्रशिक्षण में सभी 42 अभ्यर्थी सफल घोषित किये गये ।

(4) जी हां । चयनित अभ्यर्थियों से प्रशिक्षण से पूर्व अनुबन्ध किया गया था । अनुबन्ध की मुख्य शर्तें यह थीं कि प्रत्येक व्यक्ति प्रशिक्षण के एक वर्ष के अन्दर कहीं अन्य नौकरी नहीं करेगा । सुपरवाइजर के पद पर नियुक्ति मिलने पर 5 वर्ष तक नौकरी करनी होगी, अगर 5 वर्ष से कम अवधि में नौकरी छोड़ देगा तो बकाया अवधि का देय वेतन बोर्ड में जमा कराना होगा । अभी तक इन शर्तों का उल्लघंन नहीं हुआ है ।

(5) सफल प्रशिक्षण के पश्चात् 17 व्यक्तियों को नियुक्ति मिल गई है । मण्डी समितियों, जो नियुक्तियां करने में सक्षम है, को बोर्ड द्वारा योग्यता क्रम के अनुसार नियुक्ति करने के निर्देश जारी किये गये थे । कुछ मण्डी समितियों ने नियुक्तियां नहीं कीं, इसी कारण नियुक्तियां योग्यता क्रम के अनुसार नहीं हो पाई ।

(6) जी नहीं ।

(7) दो अभ्यर्थी चयन होने के बाद ओवर एज हुए हैं । इनकी नियुक्ति की गारन्टी देने का कोई प्रश्न ही नहीं है ।

गंगानगर में कीटनाशक दवाओं की अवैध बिक्री

291. श्री हरचन्द सिंह (पीलीबंगा): क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि हरवंश सिंह जाखड़ ए. पी. पो. ओ. (भू. पू.) गंगानगर ने कीटनाशक दवाओं की अवैध बिक्री एवं मिलावट की शिकायतें मिलने पर अनेकों दवा विक्रेताओं पर छापे मारे, अत्यधिक मात्रा में अवैध औषधियों की बिक्री पकड़ कर माल जब्त किया ?

(श्री हरचन्द सिंह)

(2) क्या यह सही है कि करणपुर की फर्म विश्वनाथ एण्ड कम्पनी की अवैध औषधियों के पकड़े जाने के बाद श्री जे. के. वासुदेव, संयुक्त निदेशक कृषि, गंगानगर ने ए. पी. पी. ओ. को मामला समाप्त करने हेतु दबाव दिया ? ए. पी. पी. ओ. के न मानने पर भी वासुदेव ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके उक्त ए. पी. पी. ओ. के कीटनाशक दवाओं की बिक्री केन्द्रों के निरीक्षण के अधिकार को समाप्त करा दिया ?

(3) क्या यह सही है कि कृषि निदेशक ए. पी. पी. ओ. को निरीक्षण अधिकार वापस लेने या समाप्त करने का कोई अधिकार नहीं था ? अगर नहीं तो उन्होंने ऐसा क्यों किया ?

(4) क्या राज्य सरकार इस घोटाले की जांच करवाने की इच्छा रखती है और कृषि जगत के साथ ऐसा खिलवाड़ करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करने की सोच रही है ? अगर हां, तो कब तक और क्या ? यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

(5) क्या कीटनाशक दवाओं की दुकानों का निरीक्षण करने का अधिकार आज तक किसी कृषि विभाग के अधिकारी के पास गंगानगर जिले में है ? अगर हां, तो किस के पास और यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

(6) कीटनाशक दवाओं की दुकानों का निरीक्षण करने का अधिकार श्री जे. के. वासुदेव की भ्रष्ट प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार ने समाप्त किया है ? क्या यह सही है कि गंगानगर की फर्म सत्यपाल राजकुमार को 1500 रुपये का जुर्माना हुआ व माल पकड़ा गया और जब्त किया जाना था, जो जब्त न करके पार्टी सजायाब को पुनः लाइसेंस देकर माल वापिस दे दिया गया ?

उत्तर

(1) श्री हरवंश सिंह जाखड़, ए. पी. पी. ओ. श्री गंगानगर ने कुछ दवा विक्रेताओं के सामान्य निरीक्षण के दौरान कीटनाशी अधिनियम, 1968 के अन्तर्गत केवल कीटनाशक दवाओं की अवैध बिक्री किये जाने पर ही अधिनियम के प्रावधान अनुसार कार्यवाही की है ।

(2) श्री गंगानगर पेस्टीसाइड एसोसिएसन के कुछ सदस्यों की शिकायत पर श्री हरवंश सिंह जाखड़, ए. पी. पी. ओ. श्री गंगानगर के निरीक्षण के अधिकारों को विभाग द्वारा अस्थाई रूप से स्थगित किया गया था ।

(3 कृषि निदेशक द्वारा शिकायत पर अग्रिम आदेश तक अस्थाई रूप से अधिकार स्थगित किये गये थे, जिनकी पुष्टि राज्य सरकार से चाही गई थी ।

(4) विभाग के समक्ष घोटालों की कोई सूचना नहीं है । अतः इस सम्बन्ध में कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

(5) कीटनाशक अधिनियम, 1968 के तहत कीटनाशक दवाओं की दुकानों का निरीक्षण करने का अधिकार श्री गंगानगर जिले में खण्ड स्तरीय सहायक पौध संरक्षण अधिकारी एवं हनुमानगढ़ जिले में जिला स्तरीय सहायक पौध संरक्षण अधिकारी को राज्य सरकार द्वारा दिये गये हैं ।

(38)

(कृषि मन्त्री)

(6) कीटनाशक दवाओं का निरीक्षण करने का अधिकार राज्य सरकार ने समाप्त नहीं किया है। श्री गंगानगर की फर्म सत्यपाल राजकुमार को कीटनाशी अधिनियम, 1968 के प्रावधान में उल्लंघन के आरोपों में न्यायालय द्वारा 1500/5 रुपये का जुर्माना व सजा दी गई। कीटनाशक अधिनियम, 1968 के तहत जुर्म में सजायाफ्ता फर्म को लाइसेन्स देने में कोई मनाई करने का प्रावधान न होने के कारण उक्त फर्म को लाइसेन्स दिया गया।

एक गांव में एक ही समिति का सिद्धांत

292. श्री खंगारसिंह चौधरी (खारची): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सहकारिता के सिद्धांत के अनुसार राज्य सरकार ने सिद्धांत रूप में यह माना है कि एक गांव में एक प्रकार की एक ही सहकारी समिति बनाई जावे ?

(2) क्या यह भी सही है कि एक गांव में एक ही समिति के सिद्धांत से गांवों में सहकारिता की भावना बढ़ती है व समिति में दलगत पार्टीबाजी को प्रोत्साहन नहीं मिलता है ?

(3) क्या यह भी सही है कि एक गांव में एक ही समिति के सिद्धांत से समिति की व्यवस्था व प्रशासन पर भी खर्चा कम आता है ?

(4) क्या यह भी सही है कि एक गांव में एक ही समिति से समिति के क्षेत्राधिकार में रहने वाले सदस्यों के क्षेत्राधिकार का विवाद नहीं उठता है व एक गांव में एक से अधिक सहकारी समिति का गठन करने से समिति के कार्य क्षेत्र व सदस्यों के कार्यक्षेत्र का विवाद स्वाभाविक है जो सहकारिता के सिद्धांत को हानिकारक है ?

(5) क्या राज्य सरकार सहकारिता के हित में सहकारी समितियों के पंजीयन हेतु सही नीति अपनावेगी व एक समिति के कार्य क्षेत्र के सदस्यों को अपने सदस्य न बना सके इस हेतु एक गांव में एक ही समिति के सिद्धांत को लागू करेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) ऐसा आवश्यक नहीं है।

(3) ऐसा आवश्यक नहीं है।

(4) ऐसा आवश्यक नहीं है।

(5) यह नीति सम्बन्धी विषय है।

पंचायत समिति इटावा की सहकारी समितियों में गबन

294. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, इटावा की कई ग्राम सेवा सहकारी समितियों में गबन है ? यदि हां, तो किन किन सहकारी समितियों में है ? राज्य सरकार इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ?

(श्री हीरालाल आर्य)

(2) पंचायत समिति, इटावा में किस किस सहकारी समिति में किन-किन व्यक्तियों पर कितनी-कितनी राशि बकाया है ? सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत करने की कृपा करें। राज्य सरकार इस बकाया राशि को वसूल करने हेतु क्या प्रयत्न कर रही है ? तथा अब तक क्या प्रयत्न किए गये हैं ?

उत्तर

(1) जी हां 18 सहकारी समितियों में गबन है। (सूची संलग्न है। विभाग द्वारा राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम 1965 की धारा 74 के अन्तर्गत कार्यवाही जारी है।

(2) सहकारी समितियों के सदस्यों की ओर जो राशि शेष है उसकी सूची संलग्न है। विभाग द्वारा राजस्थान सहकारी समितियां अधिनियम, 1965 की धारा 117 व 118 के तहत वसूली की कार्यवाही जारी है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान-सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पंचायत समिति किशनगढ़ (सिलोरा) में ए० एन० पा० के अन्तर्गत धनराशि का दुरुपयोग

295. श्री करतारसिंह (किशनगढ़): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) अजमेर जिले की पंचायत समिति किशनगढ़ (सिलोरा) में ए. एन. पी. (अप्लाइड न्यूट्रीशन प्रोग्राम) कब से प्रारम्भ किया गया तथा किन किन पंचायतों में किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रारम्भ किए गए समय से अब तक कितनी कितनी धनराशि किस किस मद में खर्च की गई ? कृपया पंचायतवाइज सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) वर्तमान में किन-किन पंचायतों में कितना कितना सामान (उपकरण आदि) विद्यमान है और किस स्थिति में है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या यह सही है कि इस प्रोग्राम के अन्तर्गत दी गई धनराशि का दुरुपयोग हुआ है तथा उपकरण आदि भी बदल दिए गए हैं ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इसकी जांच करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति, किशनगढ़ (सिलोरा) में व्यवहारिक पोषाहार कार्यक्रम वर्ष 1965 से प्रारम्भ किया गया। यह प्रोग्राम जिन जिन पंचायतों में चालू किया है उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) इस प्रोग्राम के लिए दी गई धनराशि का कोई दुरुपयोग नहीं हुआ और न ही उपकरण बदले गये हैं अतः जांच की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि इस प्रकार की

(पंचायत मन्त्री)

कोई विशेष रूप से शिकायत प्राप्त होगी तो राज्य सरकार जांच करायेगी।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

पेरु पंचायत समिति, दांतारामगढ़ के वरिष्ठ लिपिक के विरुद्ध जांच

298. श्री मदन सिंह दांता (दांतारामगढ़) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि उप-विकास आयुक्त जांच विकास विभाग, पेरु पंचायत समिति, दांतारामगढ़ सीकर ने श्री सागरमल शर्मा, वरिष्ठ लिपिक की जांच की थी? अगर हां, तो उन्होंने क्या जांच की थी?

(2) क्या यह भी सही है कि श्री शर्मा ने भी बयान दिये हैं? अगर हां, तो क्या बयान दिये?

(3) क्या यह भी सही है कि श्री सागर मल शर्मा एवं ए. एच. ई. ओ. श्री व्यास के खिलाफ भी शिकायतें मिली हैं? अगर हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

उत्तर

(1) जी हां। जांच में श्री सागरमल के कार्य के बारे में कोई कमियां नहीं पायी गईं। उसके द्वारा यात्रा भत्ता बिलों के भुगतान के सम्बन्ध में कुछ अनियमिततायें पायी गयी थीं जिनको विस्तृत जांच कर आवश्यक कार्यवाही हेतु विकास अधिकारी को लिख दिया गया है।

(2) जी हां। श्री सागरमल शर्मा ने अपने बयानों में स्वयं को दोष मुक्त बताते हुए कहा कि परिवार नियोजन कार्यक्रम के सम्बन्ध में उसके द्वारा जो भी नोटिस जारी किये गये वह विकास अधिकारी के मौखिक आदेशानुसार जारी किये गये थे।

(3) जी हां। श्री सागरमल शर्मा के विरुद्ध शिकायत की जाँच की जा चुकी है जैसा कि प्रश्न संख्या (1) के उत्तर में अंकित किया गया है। ए. एच. ई. ओ. के विरुद्ध प्राप्त शिकायत पर कार्यवाही विचाराधीन है।

पंचायत समिति, मालपुरा के ग्रुप सचिव की नियुक्ति

300. श्री अजीतसिंह (टोंक) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति मालपुरा जिला टोंक में श्री दुर्गालाल वर्मा अध्यापक का केडर बदल कर ग्रुप सचिव के पद पर नियुक्ति हुई है?

(2) क्या यह सही है कि अध्यापक और ग्रुप सचिव का वेतनमान समान न होने के कारण केडर नहीं बदला जा सकता?

(3) क्या यह सही है कि श्री दुर्गालाल वर्मा के सेवा चयन आयोग द्वारा चयनित नहीं होते हुए भी ग्रुप सचिव के पद पर नियुक्ति की गई है?

(4) क्या यह सही है कि श्री दुर्गालाल वर्मा ने राज्य सरकार से व पंचायत से एक साथ दोहरा वेतन लाभ उठाया? यदि हां, तो पंचायत विभाग इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रहा है?

(5) क्या यह सही है कि श्री दुर्गालाल वर्मा के सम्बन्ध में विभाग के पास उपरोक्त

(श्री अजीतसिंह)

तथ्यों के सम्बन्ध में पत्रावलो विचाराधीन है ? अगर हां, तो इसका निर्णय क्या हुआ ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। ग्रुप सचिवों एवं अध्यापकों का केडर अलग अलग है।

(3) जी हां।

(4) जी नहीं। श्री दुर्गलाल वर्मा को अध्यापक पद के कार्य के अतिरिक्त ग्राम पंचायत डिग्गी के सचिव पद का अतिरिक्त कार्य करने के फलस्वरूप सम्बन्धित पंचायत द्वारा पारिश्रमिक दिया गया था न कि दोहरा वेतन।

(5) जी हां। मामला अभी तक विचाराधीन है।

तहसील भीनमाल में नाजायज कब्जों के मामले

301. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि रानीवाड़ा-सेवाड़ियां डूंगरी- आम्बपुरा-सेवाड़िया एवं रानीवाड़ा-आजोदर मार्ग पर कई काश्तकारों द्वारा नाजायज कब्जे कर लिये गये थे ? अगर हां, तो कब कब नाजायज कब्जे किये गये थे ?

(2) क्या यह भी सही है कि तहसील भीनमाल द्वारा उक्त रास्तों पर नाजायज कब्जे हटाने हेतु करीबन 40 मामले 91 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा के अन्तर्गत दर्ज किये जाकर नाजायज कब्जे शीघ्र हटाने के आदेश दिये गये थे एवं जुर्माने भी किये गये थे ? अगर हां, तो कब कब एवं कितना जुर्माना किया गया था ? क्या उक्त नाजायज कब्जे हटाने की मौके पर पालना कर दी गई है एवं जुर्माने वसूल कर लिये गये हैं ? अगर हां तो कब ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि बावजूद नाजायज कब्जे हटाने के आदेशों के कुछ लोगों ने अभी तक नाजायज कब्जे नहीं हटाये हैं ? अगर हां, तो वे कौन कौन हैं एवं उनके नाजायज कब्जे हटाने के लिये अब तक क्या क्या कार्यवाही अमल में लाई जायेगी ? उनके रास्तों पर नाजायज कब्जे कब तक हटवा दिये जायेंगे ? निश्चित अवधि बताने की कृपा करें।

(4) क्या यह भी सही है कि पिछले विधान सभा सत्र में ऐसे नाजायज कब्जे शीघ्र हटाने के लिए राज्य सरकार ने आश्वासन दिया था ? अगर हां, तो उन आदेशों की अब तक पालना क्यों नहीं की गई है ?

(5) क्या यह भी सही है कि स्टेशन से रानीवाड़ा गांव में जाने के रास्ते पर एवं पंचायत समिति कालोनी से गांव में जाने के रास्ते पर भी नाजायज कब्जे किये हुए हैं ? अगर हां तो उन नाजाजय कब्जों को कब तक हटा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) रानीवाड़ा - सेवाड़ियां, डूंगरी-आम्बपुरा, सेवाड़िया एवं आजोदर मार्ग पर गत वर्ष 28 व्यक्तियों द्वारा नाजायज कब्जे किये गये थे। उन सभी अतिक्रमणियों को

(राजस्व मंत्री)

मौके से हटा दिया गया था । इस वर्ष 12 व्यक्तियों द्वारा नाजायज कब्जे किये गये हैं जिनको हटाने की कार्यवाही की जा रही है ।

(2) यह असत्य है । रेवेन्यू एक्ट की धारा 91 के अन्तर्गत 28 मामलों में बेदखली एवं जुर्माने के आदेश दिये गये थे । उन सभी को मौके से हटा दिया गया था तथा उनमें से 9 व्यक्तियों से जुर्माना वसूल हो चुका है । शेष से वसूली की कार्यवाही जारी है ।

(3) गत वर्ष जिन 28 व्यक्तियों ने नाजायज कब्जे किये थे उन सभी को हटवा दिया गया था । इस वर्ष निम्न व्यक्तियों ने कब्जे किये हैं:—

1. हंसा पुत्र तुलसा पुरोहित
2. ऊंका पुत्र गांका राजपूत
3. बलवन्तसिंह पुत्र भंवरसिंह राजपूत
4. बांका पुत्र खूमा राजपूत
5. जवाहरसिंह राजपूत
6. भ्ररा पुत्र तेजा राजपूत
7. जगा पुत्र जीवा राजपूत
8. खुमाराम पुत्र लखाजी भील
9. गेना पुत्र लीलाजी माली
10. चेता पुत्र लीलाजी माली
11. मकाना पुत्र अनाजी
12. रूपा पुत्र चूना जी
13. ऊंका पुत्र बांका राजपूत ।

क्र. सं. 1 से 3 के कब्जे राजस्व अभियान के अन्त तक हटवा दिये जायेंगे । क्र. सं. 4 से 13 के सम्बन्ध में 91 की कार्यवाही सार्वजनिक निर्माण विभाग के पास विचाराधीन है ।

(4) पिछले विधान सभा सत्र में एक प्रश्न के उत्तर में कहा गया था कि अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही हेतु जिलाधीश को आदेश दे दिये गये हैं ।

(5) इन आदेशों के अनुसार 28 अतिक्रमणियों के कब्जे मौके से जिलाधीश ने हटवा दिये थे । यह रास्ते ग्राम पंचायत के अधीन हैं । विकास अधिकारी ने सूचित किया है कि पंचायत का रिकार्ड सीज होने के कारण कार्यवाही नहीं प्रारम्भ हो पा रही है । तहसीलदार, भीनमाल को उन्हें सीमा बताने हेतु निर्देश दे दिये गये हैं।

बाली जोड़ की भूमि

302. **श्री उगम राज मेहता** (ब्यावर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बाली (जिला पाली) में बाली जोड़ नामक 7234 बीघा जमीन आई हुई है और यह राज्य सरकार के कब्जे में 2-3-76 से है ?

(2) क्या यह सही है कि बाली में किसानों एवं पशुपालकों के करीब 25,000 मवेशी इसी जोड़ में चरते थे ? यदि हां तो अब इन्हें क्यों और किसके द्वारा रोका गया ?

(3) क्या यह भी सही है कि 1963 में राजाओं की भूमि अधिग्रहण करने सबंधी कानून को हाई कोर्ट में चुनौती देते वक्त भू. पू. महाराजा जोधपुर ने हाई कोर्ट में अण्डरटेकिंग दी थी कि इस भूमि का किसी भी रूप में हस्तान्तरण नहीं करेंगे और उपरोक्त

(श्री उगम राज मेहता)

अन्डरटेकिंग देने के बाद हुक्म अदूली करते हुए 7234 बीघा जमीन 1969—70 में बिना स्टाम्प, बिना रजिस्ट्रेशन के बेच दी गई? यदि हां, तो राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की, जब कि यह जमीन राज्य सरकार के कब्जे में थी ?

(4) क्या यह भी सत्य है कि 29-7-77 को रेवेन्यू कमिश्नर ने एकपक्षीय बात सुन कर एस. डी. ओ., बाली को टेलीफोनिक जनता विरोधी आदेश दिये ? यदि हां, तो क्या आदेश दिये ? विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(5) क्या यह भी सही है कि बाली की जनता ने उक्त आदेश के विरोध में आंदोलनात्मक रुख लिया, पुलिस कार्यवाही हुई ? यदि हां तो राज्य सरकार ने किसानों के मवेशी को बचाने हेतु क्या कार्यवाही की ?

(6) क्या यह भी सही है कि बाली की जनता की ओर से शिकायतें होने पर जिलाधीश, पाली ने विस्तृत जांच कराई और जिलाधीश पाली को तहसीलदार, बाली द्वारा विस्तृत रिपोर्ट पत्र संख्या 135 व 137 दिनांक 12-8-72 को भेजी जिसमें सारी स्थिति स्पष्ट है ? कृपया उपरोक्त रिपोर्ट सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) यह सही है कि कस्बा बाली जिला पाली में बाली जोड़ नामक 7234 बीघा जमीन आई हुई है और यह भूमि दिनांक 2-3-76 से राज्य सरकार के कब्जे में है।

(2) यह सही नहीं है कि बाली के किसान एवं पशु पालकों के कोई 23,000 मवेशी इसी जोड़ में चरते थे क्योंकि पशु गणना के अनुसार बाली के मवेशियों की सं. 8817 है परन्तु यह सही है कि इनमें से अधिकांश मवेशी पूर्व में चराई शुल्क देकर इस जमीन पर चराये जाते थे। पुलिस को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 4-8-77 को बाली के ग्रामवासियों को निम्न लोगों द्वारा पशु चराने से रोका गया :—

1— श्री हनुमन्तसिंह निवासी, बोया
2— श्री हुकमसिंह (टूटूबना), जोधपुर
3— श्री ओंकारसिंह राजपूत, सैला
4— श्री दीया मोतिया, कस्बा बाली
5— श्री किसनसिंह भवानीसिह, सैला
6— श्री पृथ्वीसिंह बाली एवं अन्य व्यक्ति जो कुल मिलाकर करीब 40 थे।

(3) इस मामले में उच्च न्यायालय में अनेक रिट याचिकाएं विचाराधीन हैं। इस भूमि का राजस्थान भूमि सुधार एवं भूस्वामियों की भू सम्पदा अवाप्ति अधिनियम, 1963 के तहत कब्जा लेने के आदेश वर्ष 1975 में हुए थे।

(4) जिन लोगों के पक्ष में उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश था उनके प्रतिनिधियों ने बताया था कि उस आदेश की अवहेलना होकर उनके कब्जे में दखल किया जा रहा है। इस पर उप जिलाधीश को सूचित कर सतर्क किया गया था कि ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की जानी चाहिये जिससे उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश की अवहेलना हो।

(5) इस मामले में चराई को लेकर कुछ विवाद दिनांक 4-8-77 को दोनों पक्षों के बीच हुआ एवं पुलिस से लिखित प्रार्थना-पत्र के पश्चात् धारा 107; 116 (3)

(राजस्व मंत्री)

जाब्ता फौजदारी के तहत एक पार्टी में 10 एवं दूसरी पार्टी में 11 व्यक्तियों पर मुकदमा उप खण्ड दण्डनायक, बाली के न्यायालय में दर्ज किया गया।

(6) तहसीलदार, बाली द्वारा पत्र क्रमांक आर/ 135 व 137 दि. 12-8-72 को जिलाधीश को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की प्रतिलिपि संलग्न है।

(रिपोर्ट की प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पीपलिया की भूमि पर निर्माण कार्य की इजाजत

303. श्री हनुवन्तसिह राणावत(बाली) श्री ईश्वरचंद (पिडावा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि तहसील रायपुर में एक ही दिन में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पीपलिया, जिला पाली की भूमि पर निर्माण कार्य करने की इजाजत दी गई ?

(2) क्या यह सही है कि अस्पताल की भूमि के नक्शे में पटवारी द्वारा गलत तरमीम की गई ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) ग्राम पीपलिया कलां के अस्पताल के लिए 9 बीघा नौ बिस्वा भूमि गिफ्ट की गई थी। अस्पताल के पास अभी नौ बीघा भूमि है। नौ बिस्वा भूमि कम है। सड़क की बाउन्ड्री को छोडकर सड़क के उत्तर की तरफ व अस्पताल की बाउन्ड्री के दक्षिण की तरफ अर्थात् सड़क और अस्पताल की दक्षिणी दिवार के बीच सात बिस्वा भूमि है। अस्पताल की भूमि जो पूर्व में अस्पताल को गिफ्ट के रूप में दी गई थी उसके रकबे की तरमीम न की जाकर मौजूदा में अस्पताल की बाउन्ड्री मौके पर जिस कदर है उसी प्रकार नक्शे में तरमीम, गिफ्ट दी गई भूमि से तरमीम कम बताई गई है। अस्पताल हेतु 9।) 4 भूमि गिफ्ट की गई है। इस मामले में जांच करा ली जावेगी।

पटवार सर्किल कोलीवाडा को भूमि पर अनधिकृत कब्जे

304. श्री हनुवन्तसिह राणावत(बाली): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) पटवार सर्किल कोलीवाड़ा तहसील बाली में सिवाय चक, गैरमुमकिन, गोचर, रास्ता व अन्य भूमियों पर 1975 के बाद किन-किन लोगों ने कहां-कहां पर कितनी-कितनी भूमि पर अनधिकृत कब्जे किये हैं ? कृपया विस्तृत सूची वर्षवार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त अनधिकृत कब्जों को हटाने के बारे में विभाग ने आज तक क्या कार्यवाही की है ?

(3) उक्त पटवार सर्किल में 1963 से आज तक ग्राम पंचायत ने कितनी गैर आबादी भूमि पर पट्टे जारी किये हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(श्री हनुवन्तसिंह राणावत)

(4) उक्त पट्टे यदि नियमानुसार नहीं हैं तो उन्हें रद्द करने की विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) सूची 'अ' संलग्न है ।

(2) अतिक्रमियों के विरुद्ध नियमानुसार राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत मामले दर्ज कर वेदखली के आदेश दिये गये व जुर्माना आरोपित किया गया एवं सभी मामलों में पटवारी द्वारा मौके पर कब्जा भी लिया गया ।

(3) सूची 'ब' संलग्न है ।

(4) इस सम्बन्ध में उप जिला विकास अधिकारी, पाली के द्वारा जांच की जा रही है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई ।)

भूतपूर्व सैनिकों को सहकारी समिति ग्राम ढाबां को आवंटित भूमि

305. श्री हरचन्दसिंह (पीलीबंगा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी समिति ग्राम ढाबा का 22 एल. जी. डब्ल्यू. को कितनी भूमि आवंटित हुयी थी ?

(2) क्या उक्त भूमि पर भूतपूर्व सैनिक, जो सदस्य सहकारी समिति थे, कर आज कब्जा है ?

(3) कौन-कौन सदस्य थे ? सूची ब्योरेवार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(4) क्या यह भूमि बिक चुकी है ? अगर हां, तो समिति ने किन-किन को बेची ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(5) क्या समिति को उक्त भूमि बेचने का भी अधिकार था ? अगर हां तो कैसे ? अगर नहीं, तो क्यों बेची ?

(6) क्या समिति से खरीदने वाले लोगों के पास ही उक्त भूमि का कब्जा है या आगे उन्होंने किसी और को बेच दी है ? अगर हां, तो नये खरीददारों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(7) उक्त सारी भूमि की कुल कीमत कितनी है ?

(8) क्या राज्य सरकार उक्त भूमि को अपने कब्जे में लेने की नहीं सोच रही है क्योंकि समिति ने अवैध बेचान किया है । क्या आवंटन रद्द करके जमीन राज्य सरकार अपने कब्जे में लेने की कार्यवाही नहीं कर रही है ? अगर हां, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) ग्राम ढाबां का 22 एल. जी. डब्ल्यू. में भूतपूर्व सैनिकों की कोई सहकारी समिति नहीं है । अतः भूमि आवंटन का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है ।

(2) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है ।

(3) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है ।

(4) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है ।

(5) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है ।

(राजस्व मंत्री)

(6) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

(7) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

(8) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

भूतपूर्व राज्य मन्त्री द्वारा भूमि का बेचान एवं खरीद

306. श्री हरचन्दसिंह (पीलीबंगा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या चौधरी मनफूलसिंह, भूतपूर्व राज्य मन्त्री ने सन् 1960 से 1978 तक किसी भूमि का बेचान या खरीद की है ? सूचा मय मालियत के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या मनफूलसिंह ने ग्रोल्ड सीलिंग लॉ में अपनी धारणा की भूमि की घोषणा की थी ? अगर हां, तो पूर्ण ब्योरेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या मनफूलसिंह ने न्यू सीलिंग लॉ के तहत अपनी धार की भूमि की घोषणा विस्थापित प्रपत्र में की थी ? अगर हां, तो सूची पूर्ण ब्योरेवार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या पुराने व नये कानून में भरे गये प्रपत्रों में भरी गई भूमि आपस में मेल खाती है ? अगर नहीं, तो क्यों ? और इस बाबत राज्य सरकार ने क्या जांच की ?

(5) क्या मनफूलसिंह की पुरानी व नई सीलिंग पत्रावलियों की पुनः जांच हो रही है ?

(6) श्योकरण पुत्र श्री मोटाराम की मृत्यु कब हुई ? उसकी बेवा कहां रहती है ? उसके नाम कितनी भूमि है ?

(7) क्या यह सही है कि श्योकरण की बेवा कभी यहां (सूरतगढ़ बडोपल) नहीं रही बल्कि वास्तव में उसके नाम फर्जी इन्द्राज करके जमीन मनफूलसिंह व बीरबल ने हड़प रखी है व सीलिंग से उक्त भूमि छुपाई है ?

(8) क्या राज्य सरकार इस घोटाले की जांच करवा रही है ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) हां, श्री मनफूलसिंह ने चक 8 बी. आर. पी. की 3 बीघा 18 बिस्वा, चक 20 एसपीडी की 12 बीघा 2 बिस्वा, चक 6 बीआरपी की 12 बीघा 11 बिस्वा, और चक 31 एस टी जी की 17 बीघा, 9 बिस्वा, कुल 46 बीघा 31-3-70 को अपने भाई बीरबल के पुत्रों राजेन्द्र प्रसाद और महेन्द्र प्रसाद को बेची और श्री मनफूलसिंह के लड़के श्री सुरेन्द्रसिंह ने 13-5-74 को 45 एस टी जी की 10 बीघा भूमि मानकथेडी के सुभाषचन्द्र और महेन्द्र कुमार को बेची। श्री मनफूलसिंह द्वारा अपने स्वयं के नाम पर भूमि खरीद करने का कोई विवरण नहीं मिलता परन्तु उनके लड़के श्री सुरेन्द्रसिंह के नाम से उन्होंने अपने भाई बीरबल से 6 बी आर पी और 7 बी आर पी की 12 बीघा 11 बिस्वा 13-5-70 को, पतराम पुत्र जगराम ब्राह्मण निवासी सूरतगढ़ से 45 एस टी जी में 10 बीघा भूमि 18-5-70 को और टीकमचन्द पुत्र सुन्दरलाल महाजन, जयपुर से जयपुर शहर

(राजस्व मंत्री)

के पास गांव हीरापुर / जयपुर / की तन में 9-00 बीघा बारानी भूमि 4-12-63 को खरीदी है।

(2) रिकार्ड के अनुसार यह सही है कि श्री मनफूलसिंह ने पुराने सीलिंग कानून में घोषणा-पत्र नहीं भरा।

(3) हां। यह सही है कि श्री मनफूलसिंह ने नये सीलिंग कानून के अन्तर्गत अपनी धारणा भूमि की घोषणा की थी जिसका विवरण निम्न प्रकार है:—

स्वयं मनफूलसिंह पुत्र चौधरी मोटाराम भादू के नाम — 31 एसटीजी की 25 बीघा, 6 एआर डब्ल्यू और 2 पी डब्ल्यू एम 27 बीघा, 8 बी आर पी एवं 20 एस पी डी की 16 बीघा 5 बिस्वा

68 बीघा 5 बिस्वा

अपनी धर्मपत्नी— कौशल्या देवी के नाम — चक 31 एस टी जी में 9 बीघा 16 बिस्वा नहरी

अपने लडके सुरेन्द्रसिंह के नाम—
चक 7 बी आर पी 17 बीघा नहरी
–गांव हीरापुरा, तहसील जयपुर
9 बीघा बारानी

(4) पुराने सीलिंग कानून में घोषणा भरी ही नहीं गई इसलिये नये कानून के घोषणा-पत्र से मिलान करने का प्रश्न ही नहीं आता। परन्तु नए सीलिंग कानून में घोषणा-पत्र में उन्होंने स्वयं द्वारा अथवा अपने परिवार के सदस्यों द्वारा भूमि बेचने और खरीदने का कोई विवरण नहीं दिया है। जब कि प्रश्न संख्या (1) में दी गई भूमियों की खरीद फरोख्त हुई है। इसके अतिरिक्त तहसीलदार से इस प्रश्न के लिये जांच कराई गई तो उससे श्री मनफूलसिंह के नाम 7 बी आर पी में 12 बीघा 11 बिस्वा नहरी 17 एस पी डी में 19 बीघा 12 बिस्वा एवं उनके लड़के सुरेन्द्रसिंह के नाम 45 एस टी जी में 9 बीघा 6 बिस्वा नाली 11 और पुत्री चन्द्रकला के नाम 31 एस टी जी में 21 बीघा, 14 बिस्वा नाली 11 भूमि घोषणा-पत्र में नहीं दिखाई गई है। 8 बी आर पी और 20 एस. पी. डी. की भूमि का सही विवरण नहीं दिया है। पहले इस मामले में जांच नहीं हुई है अब जांच प्रारम्भ कर दी गई है।

(5) हां। श्री मनफूलसिंह के सीलिंग परिवाद की जांच अब प्रारम्भ कर दी गई है।

(6) श्री श्योकरण की मृत्यु की सही तारीख मालूम नहीं परन्तु करीब 40.50 साल पहले उनकी मृत्यु हुई / उनकी बेवा श्रीमती कस्तूरी देवी पंजाब में किसी स्थान पर रहती है। रिकार्ड के अनुसार मुसम्मात कस्तूरी देवी के नाम 102 बीघा 6 बिस्वा भूमि है जिसका विवरण निम्न प्रकार है:—

6 बीआरपी	12 बीघा	11 बिस्वा नहरी
8 बीआरपी	3 बीघा	18 बिस्वा नहरी
20 एसपीडी	16 बीघा	5 बिस्वा
31 एसटीजी	42 बीघा	9 बिस्वा
7 एआरडब्ल्यू	(बीघा	8 बिस्वा नहरी
2 पीडब्ल्यूएम	6 बीघा	15 बिस्वा

Page No. 48

(48)

(राजस्व मंत्री)

(7) हां। तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार मुसम्मात कस्तूरीबाई बडोपल/सूरतगढ़ में नहीं रहती। उनकी भूमि का फायदा रामस्वरूप एवं मनीराम उठा रहे हैं। मुसम्मात कस्तूरी की तरफ से नए सीलिंग एक्ट के तहत घोषणा-पत्र भरा गया था जिसमें 35 बीघा 16 बिस्वा भूमि अधिग्रहीत की गई है।

(8) इस मामले की जांच पहले नहीं हुई है। अब श्री मनफूलसिंह, उसके भाई बीरबलसिंह और श्योकरण के परिवार के सदस्यों की भूमि की जांच प्रारम्भ करा दी गई है।

भूतपूर्व प्रधान पंचायत समिति, जहाजपुर के नाम भूमि का आवंटन

307. श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पन्डेर (जहाजपुर) जिला भीलवाड़ा के मूल निवासी श्री रतनलाल ताम्बी, भूतपूर्व प्रधान, पंचायत समिति, जहाजपुर के नाम सन् 1962 से 1976 तक कितनी कितनी भूमि कहां कहां अलाट हुई?

(2) कितनी जमीन श्री ताम्बी के सगे सम्बन्धियों के नाम है?

(3) राज्य सरकार उक्त जमीन को छुड़ाने के लिये क्या कार्यवाही करेगी?

उत्तर

(1) विवरण संलग्न सूची 'क' में अंकित है।

(2) विवरण संलग्न सूची 'ख' में अंकित है।

(3) ग्राम टिटोड़ी में ख० नं० 1071 रकबा 4½ बीघा जो दिनांक 27-7-66 को आवंटन हुआ है वह आवंटन आवंटन नियम 1970 के नियम 14 (4) के अन्तर्गत खारिज हो चुका है तथा भूमि बिलानाम दर्ज हो चुकी है।

ग्राम तसवारिया को आवंटनशुदा भूमि 572/3 रकबा 14½ बीघा अतिरिक्त जिलाधीश, भीलवाड़ा के निर्णय दिनांक 31-7-75 से बहाल रहा है व आ० नं० 588/2 रकबा 7½ बीघा जो नियमन हुआ वह भी अतिरिक्त जिलाधीश, भीलवाड़ा के आदेश दिनांक 31-7-75 से बहाल रहा है।

श्री चान्दमल पिता श्री धन्नालाल ताम्बी को ग्राम पन्डेर में आ० नं० 5534/1 रकबा 15½ बीघा भूमि जो आवंटन हुई उस आवंटन को अतिरिक्त जिलाधीश, भीलवाड़ा के निर्णय दिनांक 22-9-73 से बहाल रखा गया है।

श्री जगदीश प्रसाद पिता श्री पन्नालाल को ग्राम पन्डेर में आ० नं० 2056 रकबा 10½ बीघा का आवंटन भी अतिरिक्त जिलाधीश, भीलवाड़ा ने उनके आदेश दिनांक 31-7-75 से बहाल रखा है।

शेष आवंटन के बाबत यह दिखवा लिया जावेगा कि क्या उनमें अनियमितता हुई है। बाद जांच इस बाबत कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट II देखें)

उप-जिलाधीश एवं सहायक जिलाधीशों के न्यायालयों में विचाराधीन मामले

309. श्री आर. डी. यादव (चौमू) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में अब तक उप जिलाधीश एवं सहायक जिलाधीशों के कुल कितने न्यायालय हैं तथा उनमें कुल विचाराधीन मुकदमे कितने हैं ?

(2) जयपुर शहर में सहायक जिलाधीश के कितने कार्यालय हैं तथा उनमें कितने-कितने मुकदमे विचाराधीन हैं ? सूची सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या चौमू (जयपुर) में सहायक जिलाधीश न्यायालय स्थापित करने का प्रस्ताव राज्य सरकार के पास विचाराधीन है ? अगर हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो, क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) उप-जिलाधीश एवं सहायक जिलाधीश न्यायालयों व मुकदमों की संख्या की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जयपुर शहर की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी हां। विचाराधीन है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

जागीरदारों के मुआवजे की बकाया राशि

310. श्री हरजी राम बुरड़क (लाडनू): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में कुछ ऐसे जागीरदार भी हैं जिनको अभी तक मुआवजा नहीं मिला है ? यदि हां, तो कौन कौन से और उनका कितना-कितना मुआवजा बकाया है ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) अभी तक बकाया रहने के कारण क्या हैं तथा उनका भुगतान कब तक कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान में अब तक 1,90,599 जागीरदारों/पातीदारों को मुआवजा के रूप में देय राशि रु. 40,69,050 का भुगतान नहीं हो पाया है। नामवार सूचियों की संख्या अधिक होने के कारण समय में प्राप्त करना सम्भव नहीं है।

(2) जागीरदारों को अभी तक मुआवजे की राशि का भुगतान न हो सकने के निम्न कारण हैं :—

(क) जागीरदारों के विरुद्ध सरकार की वसूल तलब राशि अधिक निकलती है।

(ख) जागीरदारों एवं सरकार द्वारा निर्धारित मुआवजे के विरुद्ध राजस्व मंडल, उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय में अपीलें कर दी हैं।

(ग) अधिकांश छोटे जागीरदार, जिन्हें राशि देय है, स्वर्गवासी हो चुके हैं। उनके वारिशों के पते ग्रामवासियों से पूछने पर भी सही पते नहीं मिल रहे हैं।

(घ) कई जागीरदार जागीर ग्राम छोड़ कर अन्यत्र बस गये है तथा पते ज्ञात नहीं होते।

(ङ) मृतक जागीरदारों के वारिस, जिन्हें रु. 200) या कम राशि देय है उत्तराधिकारी प्रमाण-पत्र प्राप्त करके रकम उठाने में रुचि नहीं लेते।

उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण होने पर शीघ्र भुगतान कर दिया जावेगा।

उदयपुर डिवीजन में लगाये गये नये जंगल

311. **श्रीमती श्यामा कुमारी संगर** (कपासन) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उदयपुर डिवीजन में इस वर्ष कौन-कौन से नये जंगल लगाये गये हैं और उनकी सुरक्षा कैसे की जावेगी जिससे वे बड़े हो जावें ?

(2) क्या यह सही है कि अब तक पिछली सरकार द्वारा जंगल बड़े खराब तरीके में काटे गये इस कारण नये जंगल नहीं पनप सके और पिछले 30 सालों में हजारों एकड़ के घने जंगल नष्ट हो गये ? अगर हां, तो पिछले 30 सालों में कितने जंगल नष्ट हुए हैं ?

(3) राज्य सरकार अब उक्त क्षेत्र में नये जंगल लगाने हेतु कितनी राशि स्वीकार करने की सोच रही है ? क्या राज्य सरकार जंगल लगाने हेतु कोई मास्टर प्लान या पंचवर्षीय योजना बनाने की सोच रही है ?

(4) क्या राज्य सरकार यह नहीं महसूस करती कि उक्त क्षेत्र के आदिवासियों के पास इतनी जमीन नहीं है कि वे अपने कुटुम्ब का भोजन साल भर का वहां से पैदा करलें इसी कारण से आज भी वे उदयपुर में चोरी-छिपे कोयला आदि पाड़ कर जंगल से ला रहे हैं और अगर इसी प्रकार आता रहा ता जंगल अब शीघ्र ही नष्ट हो जायेगा अगर हां, तो उनके जीविकोपार्जन के लिये राज्य सरकार कहां कहां क्या इन्तजाम कर रही है ?

(5) क्या राज्य सरकार झाडोल तहसील, कुम्भलगढ, गिरवा और सलूम्बर तहसीलों में जंगल लगाने हेतु और आदिवासियों को धन्धे में लगाने की कोई योजना बना रही है ? अगर हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) इस वर्ष वृक्षारोपण कार्यक्रम एवं विभागीय योजना के अन्तर्गत संलग्न सूची के अनुसार उदयपुर जिले के वन क्षेत्रों में वृक्ष लगाये गये हैं। नवीन लगाये गये वृक्ष एवं पुराने वृक्षों की सुरक्षा हेतु वृक्षारोपण वाले प्रत्येक क्लोजर में एक केटल गार्ड तैनात किया गया है। इसके अतिरिक्त पौधों को पनपा कर बड़े किये जाने के उद्देश्य से उनका संधारण किया जाता है।

(2) जी नहीं।

(3) प्रश्न नहीं उठता। अलवत्ता उदयपुर जिले के वन क्षेत्रों में वर्ष 79-80 में नवीन वृक्ष लगाये जाने हेतु राशि रु.6,09,000 का प्रावधान प्रस्तुत किया है। राज्य सरकार जन-जाति क्षेत्रों के खुले वन क्षेत्रों को बन्द कर उनमें पर्याप्त संख्या में नवीन वृक्ष लगाने हेतु एक दस वर्षीय योजना बनाने जा रही है। योजना बनाने का कार्य आयुक्त, जनजाति विकास विभाग के स्तर पर जारी है।

(4) आदिवासियों को जंगल काट कर जीविकोपार्जन हेतु धन राशि कमाने की प्रवृत्ति में परिवर्तन लाने तथा उनके जीवन को विकसित बनाने हेतु राज्य सरकार ने पृथक से "जन जाति योजना" के नाम से एक योजना बनाई है जो गत तीन वर्षों से चल रही है। चालू वित्तीय वर्ष में इस योजना के अन्तर्गत राशि रु. 5.79,620) के खर्च का प्रावधान है तथा आगामी वर्ष के लिये राशि रु. 24,04,400) का प्रावधान प्रस्तावित किया है साथ ही रियायती दरों पर आवास व्यवस्था हेतु आवश्यक कवाड़ा लकड़ी उपलब्ध कराने हेतु भी आगामी वर्ष में व्यवस्था का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार जन-जाति क्षेत्रों का विकास करने तथा आदिवासियों के जीविकोपार्जन हेतु साधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक दस वर्षीय योजना बनाने जा रही है। योजना बनाने का कार्य आयुक्त जनजाति विकास विभाग के अन्तर्गत चल रहा है।

(वन मंत्री)

(5) झाडोल, गिरवा एवं सलूम्बर तहसीलों में आगामी वर्ष के वृक्षारोपण कार्यक्रम जन जाति उपयोजना एवं अन्य विभागीय योजनाओं के अन्तर्गत पर्याप्त संख्या में नवीन वृक्ष लगाये जाने का प्रावधान रखा गया है। साथ ही अन्य विकास कार्य प्रारम्भ किये जाने का भी प्रस्ताव है जिससे काफी बड़ी संख्या में आदिवासियों को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 18 देखें)

पाली जिले में फसल को क्षति

312. **श्री खंगारसिंह चौधरी** (खारची): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) इस वर्ष पाली में वर्षा के अभाव तथा असामयिक वर्षा से जिले में सावणु फसल को कितना नुकसान हुआ है ?

(2) क्या यह सही है कि जिले में वर्षा फसल के लिये समय पर नहीं हुई तथा औसत से कम हुई ?

(3) जिले में वर्षा अभाव के कारण सावणु फसल को जो नुकसान हुआ उसका क्या कोई राज्य सरकार द्वारा सर्वेक्षण कराया गया ? यदि करवाया गया, तो क्या रिपोर्ट प्राप्त हुई ? यदि नहीं करवाया गया, तो क्यों नहीं तथा कौन अधिकारी उसके लिये जिम्मेदार हैं ?

(4) जिले में पहले वर्षा अभाव तथा बाद में असामयिक वर्षा होने से खड़ी सावणु फसलों को कितना नुकसान हुआ ?

(5) सावणु फसलें किन-किन रोगों से ग्रसित रहीं तथा जिला प्रशासन द्वारा रोगों की रोकथाम के लिये क्या क्या कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो की गई कार्यवाही की रिपोर्ट पेश करें। यदि नहीं, तो किस कारण से और कौन कौन से अधिकारी जिम्मेदार हैं ?

उत्तर

(1) जिले के कुल 853 गांवों में से 228 गांवों में इस वर्ष खरीफ की फसल में खराबा 50 प्रतिशत से 75 प्रतिशत होने की प्रथम रिपोर्ट जिलाधीश से प्राप्त हुई है। इन 228 गांवों की तहसीलवाइज स्थिति निम्न प्रकार है:–

सोजत	42
खारची	44
पाली	15
रायपुर	60
बाली	59
देसूरी	8
जैतारण	–
योग....	228

(2) जी हां।

(3) जिले में खरीफ फसल की क्षति का जायजा लेने हेतु गिरदावरी का कार्य पूरा किया जा चुका है तथा सरकार को जिले से प्रथम रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। अन्तिम रिपोर्ट 20.11.78 तक भेजने हेतु जिलाधीश को निर्देश भेजे जा चुके हैं। कोई दोषी नहीं है।

(4) जिले की कुल 7 तहसीलों में से तहसील जैतारण को छोड़कर शेष 6 तहसीलों के 228 गांवों में 50 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक फसलों को नुकसान हुआ है।

(5) जिलाधीश की प्रथम रिपोर्ट में फसलों की रोग ग्रस्तता के बाबत कोई सूचना नहीं है।

जन अभियोक्ता आबकारी के पद

313. **श्री गुलाबचन्द कटारिया** (उदयपुर) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में सहायक जन अभियोक्ता, आबकारी के कितने पद हैं एवं उनमें से

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

कितने पद रिक्त हैं एवं कितने स्थानों पर आबकारी एवं मद्यनिषेध के अभियोगों की पैरवी गृह विभाग के अन्तर्गत कार्यरत सहायक जन अभियोक्ता कर रहे हैं ?

(2) राज्य में सहायक जन अभियोक्ता, आबकारी के अलग पदों की क्या आवश्यकता है, जबकि सहायक जन अभियोक्ता (गृह विभाग) भी आबकारी एवं मद्य निषेध के अभियोगों की पैरवी कई जिलों में कर रहे हैं ?

(3) सहायक जन अभियोक्ता (आबकारी) एवं उनके साथ लगे हुए कर्मचारीगणों पर अनावश्यक रूप से राज्य सरकार का कितना खर्चा (वेतन, यात्रा भत्ता एवं अन्य खर्चा) हो रहा है ? इतना व्यर्थ का खर्चा राज्य सरकार पर क्यों है, जब कि गृह विभाग के सहायक जन अभियोक्ता इनकी पैरवी के लिये योग्य-सक्षम है एवं कुशलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं ?

(4) सहायक जन अभियोक्ता (आबकारी) एवं सहायक जन अभियोक्ता (गृह विभाग) के वेतनमान में अन्तर क्यों है जबकि वह पूर्व में इनसे अधिक वेतन पा रहे थे एवं जब कि इनको 10 से 15 तक न्यायालयों में पैरवी का कार्य करना पड़ता है ?

(5) क्या यह सही है कि सहायक जन अभियोक्ताओं का वेतनमान दि. 1-5-76 से ही रिवाइज कर दिया गया ? यदि हां, तो आबकारी के सहायक जन अभियोक्ताओं को वह क्यों कर नहीं दिया गया, जब कि वेतन पद के केडर के अनुसार होता है, विभाग के अनुसार नहीं ?

उत्तर

(1) आबकारी विभाग में कुल 23 सहायक जन अभियोक्ता के पद स्वीकृत हैं। वर्तमान में केवल एक सहायक जन अभियोक्ता का पद राजस्व जिला झुंझुनू में रिक्त है। इस विभाग द्वारा गृह विभाग के किसी सहायक जन अभियोक्ता को आबकारी एवं मद्य निषेध के अभियोगों की पैरवी हेतु नियुक्त नहीं किया है।

(2) आबकारी एवं मद्य निषेध के अभियोगों जिन्हें आबकारी विभाग के अधिकारी बनाते हैं, की पैरवी आबकारी विभाग के सहायक जन अभियोक्ता ही करते हैं। परन्तु चूंकि आबकारी अधिनियम के तहत पुलिस विभाग के अधिकारी भी आबकारी से सम्बन्धित अभियोग बना सकते हैं, ऐसे मामलों में गृह विभाग के जन अभियोक्ता ही अभियोगों की पैरवी करते हैं।

(3) उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए अनावश्यक खर्च का प्रश्न नहीं होता, खास कर जब कि पुलिस के अधिकारियों के पास पहले ही समय की कमी रहती है।

(4) पिछली बार जब वेतनमान बढ़ाये गये थे तो इनके लिये जिन वेतनमानों की सिफारिश कार्य को देखते हुए की गई थी वही मान लिये गये थे।

(5) वेतनमान कार्य को ध्यान में रखते हुए ही निर्धारित किये गये हैं। पुलिस विभाग में अनेक प्रकार के अभियोगों को बनाये जाने के कारण उनका कार्य अधिक मानते हुए वेतनमान रखे गये हैं। आबकारी विभाग के सहायक जन अभियोक्ताओं का केडर अलग है।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई हैं:-

(1) श्री श्योपतसिंह मकासर, सदस्य विधान सभा की ओर से राजस्थान में राष्ट्रीय स्तर व राज्य स्तर के खिलाड़ियों की उपेक्षा व सरकार की ओर से विद्यार्थी खिलाड़ियों को सहायता देने में किए जा रहे पक्षपात के विषय में,

(श्री अध्यक्ष)

(2) सर्व श्री दुलाराम व नरपतराम, सदस्य विधान सभा की ओर से भरतपुर व अलवर जिलों के हरिजनों की भूमि पर गैर हरिजनों द्वारा नाजायज कब्जा करने के विषय में,

(3) श्री मूलचन्द डागा, सदस्य विधान सभा की ओर से पाली तहसील में कुछ कुओं का पेयजल वहां की फैक्ट्रियों से निकलने वाले क्षार के कारण दूषित हो जाने के विषय में,

(4) श्री समरथलाल, सदस्य विधान सभा की ओर से एस. डी. ओ. राजगढ़ का मुख्यालय अलवर में रखने से उत्पन्न स्थिति के विषय में,

(5) श्री अब्दुल अजीज व श्री नूरा, सदस्य विधान सभा की ओर से अलीगढ़ की घटनाओं का प्रभाव राजस्थान के अल्पसंख्यकों पर पड़ने की संभावना के विषय में,

मैं इन प्रस्तावों को राज्य सरकार के पास आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज रहा हूं। इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

श्री ओम प्रकाश शर्मा (बूंदी) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न संख्या 33 अति आवश्यक है। इस पर आधे घंटे की चर्चा की अनुमति दी जाए। इस पर आधे घंटे की चर्चा के लिए अलग से समय दिया जाए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य प्रश्नकाल समाप्त हो चुका है।

श्री श्योपतसिंह !

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री श्योपतसिंह मकासर (हनुमानगढ़): अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान के अन्दर राष्ट्रीय और अन्तराष्ट्रीय स्तर के हमारे कालेज के और दूसरे खिलाड़ी हैं, उन खिलाड़ियों के साथ भेदभाव बरता जाता है, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उसके सम्बन्ध में मेरा स्थगन प्रस्ताव है।

अध्यक्ष महोदय, चाहे कोई ओलम्पिक खेल हो, चाहे क्रिकेट का खेल हो, चाहे हाकी का खेल हो और चाहे अथेलिटिक मीट हो, जब ये सारे खेल होते हैं, हमारे खिलाड़ी जब इनमें जाते हैं, इन खेलों के रिजल्ट हम सुनते हैं, उनमें उनकी नाकामयाबी की खबर आती है। एक करोड़ की आबादी का मुल्क 62 करोड़ की आबादी वाले मुल्क को हरा देता है अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर तो हम बहुत ही लज्जित होते हैं। हम डे बाय डे खेलों में पिछड़ते जा रहे हैं और नीचे जा रहे हैं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर। आज जो हमारी हालत है वह बहुत ही शर्मनाक है, दयनीय है। मुझे हैरानी होती है जब सुनता हूं कि एक छोटे से साम्राज्यवादी मुल्क पूर्वी जर्मनी, जो आगे बढ़ रहा को हम हार गये। वह आज केवल हिन्दुस्तान है, हो नहीं अमेरिका को भी पीट रहा है। जो हमारे हुक्मरान लोग हैं, जिन्होंने तीस साल तक हकूमत की है और आज जो हकूमत में बैठे हैं, पता नहीं उनको इससे शर्म महसूस होती है या नहीं. परन्तु हम लोग तो शर्म महसूस करते हैं। सारे देश के नौजवान खिलाड़ी इस बात को महसूस करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, परसों . . .

श्री अध्यक्ष : हालत खस्ता है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मेरी एक विद्यार्थी से बात हुई थी। खेल में मेरी दिलचस्पी थी। मुझे खेलों में विद्यार्थी जीवन से ही दिलचस्पी है। मैं उस खिलाड़ी की बात आपको सुनाता हूं। वह एम. ए. का विद्यार्थी है कॉलेज में पढ़ता है और राष्ट्रीय स्तर पर वह हमारे राजस्थान को रिप्रेजेन्ट करता है। रेस में वह अव्वल नम्बर आता है। मैंने पूछा क्या दिक्कत है ? राष्ट्रीय स्तर के हो तो इसके लिए जरूरत है खुराक की। मैंने पूछा, बोलो बादाम खाते हो ? यह बताओ कि दूध पीते हो या बादाम वगैरह भी खाते हो ? वह बोला कि बादाम तो

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

नहीं मगर चने जरूर खाता हूं। भुने हुए चने खाता हूं एम. ए. का विद्यार्थी है। राजस्थान के अन्दर उसने टाप किया है। राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी वह बालक है ओमप्रकाश विश्नोई। इस तरह से दूसरे तीसरे, चौथे को खड़ा करके आप महसूस करें कि हिन्दुस्तान के खिलाड़ी कम नहीं हैं। आज बाड़मेर में आपको पंजाब के साढे छः फीट के जवान की तरह जवान मिलेंगे। राजस्थान में हिन्दुस्तान के लिए सब से बढ़िया खिलाड़ी निकल सकते हैं। मैंने इस बात को प्रूव किया है विद्यार्थी जीवन के अन्दर। मगर अफसोस है कि आज बाकी मुल्कों का स्तर विद्यार्थी खिलाडियों का ऊंचा हो रहा है। आज वे राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम हांसिल कर सके हैं। हमें शर्म के सिवाय और कुछ महसूस नहीं होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज क्रिकेट का खेल बहुत महंगा पड़ता है और उसमें शहरों के पिलपिले लोग जाकर बहुत बड़ा खर्चा करते है और बहुत बड़ी दुनिया व्यापी हंसी होती हैं। इन खिलाड़ियों की जगह जो रीजनल खिलाड़ी हैं उन खिलाड़ियों की ओर ध्यान देने की क्यों नहीं कोशिश की जाती है? जितना आप क्रिकेट के लिए प्रचार करते हैं उतना उनके लिए नहीं करते हैं। क्रिकेट में शहरों के पिलपिले लोग हैं। उन पर उन लोगों का अधिकार है। क्रिकेट का आप बाड़मेर में केम्प लगा दें और वहां पर गांव के लोगों को 6 महीने की ट्रेनिंग दे दें तो दुनियां की कोई ताकत नहीं है कि उनका मुकाबला कर सके। अभी हमारे यहां पर एक अथेलेट मीट में वेट लिफ्टिग का मुकाबला हुआ। इसमें भीलों के बच्चे आये पाली से। उनका इतना शानदार रिकार्ड था। मैंने पूछा कि आपके यहां वेट लिफ्टिग के लिए सारा यह सामान है? तो उन्होंने यह बताया कि हम पत्थर की चक्की के जो पाट होते हैं उनसे प्रेक्टिस करते हैं। हमारे राजस्थान में प्रतिभावान जाज्वल्यमान, और राजस्थान का सर बुलन्द रखने वाले नौजवान और खिलाड़ी मौजूद हैं अगर राजस्थान सरकार ध्यान दे तो कम से कम राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय पैमाने पर अच्छे नौजवान राजस्थान भेज सकता है। जनता पार्टी के लीडरों से मैं कहना चाहूंगा कि कम से कम बाकी अच्छे काम नहीं कर सकते हो तो एक जगह तो पकड़ लो, कहीं तो अवसर लो या सब जगह ऐसे ही रहोगे। कहीं न कहीं तो ऐसी जगह बनायें कि जहां सब मिला करें और आप कहें कि हमने यह प्रोग्राम बनाया। अच्छे काम न करें और कहीं ध्यान न दें लेकिन इस सम्बन्ध में तो कुछ करो। अध्यक्ष महोदय मैं ज्यादा इस बात पर क्या कहूं। हमारे यहां पर प्रतिभावान खिलाड़ी मौजूद हैं। वह एम.ए. का विद्यार्थी है और राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी है उसको सरकार की तरफ से सहायता न मिले और उसके खाने की व्यवस्था न हो तो यह शर्मनाक है।

श्री भवनसिंह दांता (दांता रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का अधिकार तो नहीं है लेकिन यह बात सही है कि आज जो हमारे खेलों और खिलाड़ियों की स्थिति है उसको देखते हैं तो मुझे शर्म आती है। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर एक नट जाति होती है जो ऊंट और हाथियों को जम्प कर जाती है। अगर उनको आर्गनाइज किया जाय और ट्रेनिंग दी जाय तो सारे वर्ल्ड के रिकार्ड को ब्रेक कर सकते हैं। उनके बच्चों को आप ट्रेनिंग दें।

श्री केदारनाथ (श्रम मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं एक पाइंट निवेदन करना चाहता हूं। माननीय सदस्य ने स्पोर्ट्स की गिरावट के बारे में कहा। मैं स्वयं मानता हूं कि वर्ल्ड मीट में हम आज हार गये और जो हमारा स्टेन्डर्ड होना चाहिए था वह नहीं हो पाया। उसके अन्दर सेन्टर ने एक कमेटी नियुक्त कर दी है जो यह जांचेगी कि हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स में गिरावट आई है वह क्यों आई है, कैसे उस कमी को दूर कर सकते हैं? फिजीकल एजूकेशन को कम्पलसरी बनाने के बारे में आल इंडिया लेवल पर बात चल रही है। जहां तक राजस्थान का सवाल है मैं माननीय सदस्यों को जानकारी देना

(श्री केदारनाथ)

चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के स्पोर्टस् मीट में राजस्थान का स्थान बहुत ऊंचा है। पिछले तीन साल से इन्टर स्टेट यूनिवर्सिटी टूर्नामेंटस में बास्केट बाल में हम नम्बर लाते रहे हैं। इसी तरीके से इन्टर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में राजस्थान का नम्बर तीसरा रहा है पंजाब और हरियाणा के बाद। बास्केट बाल में लगातार हम 3 साल से शील्ड लेते रहे हैं। जनरल गिरावट है मैं इस बात को मानता हूं।

हमने, अध्यक्षजी, इसी साल राजस्थान स्पोर्टस् कौन्सिल की नई बोडी कान्स्टीटयूट की है। उसमें एक सब-कमेटी बनाई है, जो यह देखेगी कि रूरल स्पोर्टस् और गेम्स को कैसे हम बढ़ावा दे सकते हैं, आगे उनको स्कालरशिप दे सकते हैं, कैसे उनको सहायता दे सकते हैं। उस सब-कमेटी की रिपोर्ट 15-20 दिन में आ जायेगी।

मैं, माननीय अध्यक्षजी, आपकी मार्फत माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार के परिवर्तन के बाद इसमें भी चेन्जेज आये हैं। जो पुराने स्पोर्टस्मैं रहे है और जिनके पास रोजगार नहीं है उनको 100 रु. पर मन्थ पेंशन देने के लिए कह दिया है।

दूसरा यह है कि जो स्पोर्टस्मैन इन्टर यूनिवर्सिटी और इन्टर कालेज टूर्नामेंट्स में बेस्ट ऐथलेट साबित होता है उसको हर महीने स्कालरशिप दी जायगी।

अब जहां तक नेशल लेवल के स्पोर्टस्मैन को नौकरियां देने का सवाल है राजस्थान सरकार की कैबिनेट ने यह फैसला कर दिया है कि आयन्दा जो भर्ती करे तो 5-10 पर्सेन्ट स्पोर्टस्मैन का अपाईन्टमेंट करें

हमने, अध्यक्षजी, यहां तक इन्सट्रक्शन दे दिये हैं कि जितने प्राइवेट कारखाने हैं, आपकी जानकारी के लिए मैं कह दूं कि उनमें से जो रेयन्स का कारखाना है जे. के. का है उनके यहां हिन्दुस्तान के अच्छे अच्छे खिलाड़ी है और बास्केट बॉल का और वाली बॉल का रेयन्स का अपना क्लब है। जयपुर में जितनी इन्डस्ट्रीज हैं, कोटा की इन्डस्ट्रीज है उनको हर एक को कहा गया है कि जितने भी वे रिक्रूटमेंट करें उनमें 5-5 खिलाड़ी रखें और उनको स्पेशल तौर से पैसा दें।

इसी तरीके से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की बास्केट बाल की जो नेशनल लेवल की टीम है उसमें हमारे 6 खिलाडी खेल रहे हैं। जो फुटबाल की टीम है नेशनल लेवल की, उसकी केप्टीनशिप हमारे बीकानेर के मदनसिंह ने की है एशियाई मीट में। यह बात नहीं है कि हमारे राजस्थान के खिलाड़ी राष्ट्रीय लेवल पर नहीं हैं।

रूरल स्पोर्टस् के कोचिंग के लिये जो बीकानेर में पहले स्कूल था जो कि बन्द हो गया था उसको फिर हम शुरू कर रहे हैं। और भी 3-4 स्कूल इस प्रकार के हों जिनमें विद्यार्थी भर्ती हो अलग-अलग कोर्स में और उनको इस तरह से ट्रेनिंग मिले, यह स्कीम हमारे कन्सीडरेशन में है। इस स्कीम को पूरा करके इन्ट्रोड्यूस कर देंगे। जनरल जो गिरावट है वह हमारे लेवल पर भी है।

फीजीकल एजूकेशन कैसी इन्ट्रोड्यूस हो उसकी स्कीम मेरे खयाल से नेशनल स्पोर्टस् कौन्सिल बना रही है। उसको हम देखेंगे।

श्री श्योपतसिंह मकासर : आप स्टेण्डर्ड फिक्स कर दें। राजस्थान आगे बढ़े, कम से कम टाप पर हो हिन्दुस्तान में। बाकी सारी दुनियां में हिन्दुस्तान का नाम रोशन होना चाहिए। जब हमारे पास प्रतिभा है, हमारे पास योग्यता है और यदि हमारे पास फाइनेन्स न हों तो यह तय कर दें कि जो स्टेट के स्तर का है उसको इतना देंगे और जो राष्ट्रीय स्तर का है उसको इतना देंगे। जब तक आप यह नहीं करोगे तो जैसी कि मैंने अभी आपको

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

मिसाल दी है कि एक एम.ए. का विद्यार्थी जो कि यूनिवर्सिटी में पढ़ता है वह बहुत गरीब है उसको आप क्या देंगे ? मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि एक राष्ट्रीय स्तर का प्लेयर है वह घर नहीं रह रहा है तो आप उसको 500–1000 रु. देकर उसकी पूरी डाइट का इन्तजाम करें। मैं नौकरी की बात नहीं करूंगा कि हमारी गुलामी के नीचे आ जायें। हमको यह मालूम है कि वह राजस्थान को रिप्रेजेन्ट कर रहा है देश में तो उसका सारा खर्चा सरकार के जिम्मे होना चाहिए। मुझे खिलाड़ियों के बारे में पता है क्योंकि मैं भी अपनी यूनिवर्सिटी एजूकेशन के जमाने में खिलाडी रहा हूं। जब कॉलेज छोड़कर आया तो सारे पंजाब कॉलेज के लोग मेरे साथ आ गये अमृतसर के खालसा कॉलेज की बात है। तो, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप यह तय कर लें कि जो राजस्थान में टाप पर आयेगा उसको 300 या 400 रुपये देंगे। जो आगे जाकर देश के अन्दर टाप करे उसके लिये तय कर दें 1000) रु. डाइट का। वह बालक मुझसे मिलने आया तो उसने मुझे यह जानकारी दी तो मुझे अफसोस हुआ।

श्री केदारनाथ : मैं आपको यह बात बताता हूं कि स्पोर्ट्स् कौन्सिल ने उसका 100 रु. पर मन्थ कर दिया है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : कुछ नहीं मिला।

श्री केदारनाथ : और देख लूंगा।

श्री अध्यक्ष : अगर मंत्री महोदय मीलों के अन्दर से लें तो उनमें काफी स्टेमिना है, अभूतपूर्व स्टेमिना है।

श्री केदारनाथ : मेरे ख्याल से जल्दी फैसला करेंगे।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, जब तक ग्राउन्ड नहीं होगा प्लेयर नहीं आयेगा।

श्री मदनसिंह दांता : वह ग्राउन्ड नहीं हो लेकिन सलेक्टेड हो, जैसा अमेरिका में है।

श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा) : विदेशों में खिलाड़ी तैयार करने के लिये 5-10-20 साल की योजना बना ली जाती है। खिलाडियों की खुराक, उनके डाक्टर तय हो जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : पाकिस्तान में तो खुराक फ्री, दूध फ्री।

श्री माधोसिंह कछवाह : तो हमारी सरकार को भी निश्चित प्रोग्राम बना कर कार्य करना चाहिए।

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी बडी मेहरबानी समझता हूं कि आपने मेरा स्थगन प्रस्ताव राज्य सरकार को कार्यवाही के लिये भेजा है। हमारे देश में बिगड़ी हुई हालत विशेष तौर पर अलीगढ़ शहर में चल रही है। अध्यक्ष महोदय, फसादात हमारे देश में सबसे बेहतरीन मुहिम है, उसमें गैर मुल्क के लोगों का भी हाथ होता है। अध्यक्ष महोदय, हमारे मुल्क में सहानुभूति सब कल्चर से रखने वाले लोग रहते आये हैं। तमाम कौमें आजादी के साथ रहती आई है। वह आजादी से रहती रहें, यह मैं खुदा से प्रार्थना करता हूं। आज, अध्यक्ष महोदय, किसी की आलोचना नहीं करना चाहता, चाहे कोई सरकार हो। अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करना चाहता हूं, एक महीने पहले अलीगढ़ में फसादात हुए वह केवल मुस्लिमों के आपसी मामलों को लेकर हुए। वह केवल इस बात पर हुए कि किसी ने मुसलमान को मार दिया। गलत अफवाह के प्रचार से इतना विस्फोट हुआ। अध्यक्ष महोदय, जब हम टिड्डी आप पर उसका मामला इतने गंभीर रूप से लेते हैं तो इस तरह के फसादात, जिनमें बेकसूर, मासूम, बेगुनाह लोग मारे जाते हैं, को क्यों नहीं हमारा देश आगे बढ़ कर रोकने की कोशिश करता ? अध्यक्ष महोदय, जब हम अप।

(श्री अब्दुल अजीज)

देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं तो इस प्रकार की कठिनाइयां किसी भी दल को ठेस पहुंचाती है। अभी हाल ही में हिन्दुस्तान टाइम्स, नेशनल हेराल्ड, राजस्थान पत्रिका ने और यहां तक बी. बी. सी. रेडियो लन्दन ने भी इस बात का प्रचार किया है कि अलीगढ़ में सांप्रदायिक दंगे हुए हैं। कौन असामाजिक लोग हैं यह अलग बात है, लेकिन हमारे राजस्थान में भी जिलाधीशों को संकेत यदि राजस्थान सरकार ने नहीं दिया और ऐसे समय में जो असामाजिक लोग हैं, जो न मुसलमान हैं, न हिन्दू हैं जिनका कोई मजहब नहीं है, अगर उनका ध्यान नहीं रखा गया तो किसी भी समय ऐसी छुट-पुट घटनाएं बड़ा रूप ले सकती हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि जिस तरह का अलीगढ़ में, फिर कानपुर, हैदराबाद, लखनऊ में वाकया गुजरा उसी तरह का राजस्थान में चितौड़ में भी वाकया गुजर चुका है। मैं तो केवल सदन के माध्यम से राज्य सरकार का इस बिन्दु पर ध्यान आकर्षित करने के लिये, तवज्जोह दिलाने के लिये अर्ज कर सकता हूं। मैं किसी पार्टी पर लांछन नहीं लगाना चाहता, किन्हीं लोगों पर लान्छन नहीं लगाना चाहता। इसकी जांच तो जुडिशियल इन्क्वायरी में लाग कर रहे हैं मेरी अर्ज है कि राजस्थान में आप क्या प्रिकाशन लेना चाहते हैं, इस पर गौर कर लें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

हमारी राजस्थान सरकार सक्रिय रहे, सावचेत रहे कि अखबारों के जरिये, रेडियो के जरिये इस प्रकार का प्रचार न हो जिलाधीशों को, पुलिस आथोरिटीज़ को समय-समय पर प्रिकाशन लेने का आदेश देती रहे। धन्यवाद।

श्री नूरा (मसूदा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा इसी विषय पर स्थगन प्रस्ताव है जिस पर विधायक महोदय बोले हैं। यह झगड़ा आज नया नहीं है। अलीगढ़ में, दूसरी जगहों में भी ये झगड़े हुए हैं। इनके पीछे एक साजिश है। एक जबरदस्त हवा फैला कर झगड़े करवाये जाते हैं। राजस्थान में कुछ अर्से पहले एक हवा फैली कि बच्चों को इंजेक्शन लगा दिये जाते हैं और बच्चे मर जाते हैं। हवा इतनी जोर से फैल गई कि बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया। ये अफवाहें फैलाने वाली टीमें हैं जो योजनाबद्ध तरीके से हवा फैलाती हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं अभी अखबारों में समाचार-पत्रों में इसको खूब साया किया कि जान-माल को जिन्दा जला रहे हैं। झगड़ा कराने में आर.एस.एस. के लोग बहुत होशियार हैं। ऐसे लोगों के कारण इस तरह के झगड़े हो रहे हैं। राजस्थान में भी हुए हैं। अफवाहों के आधार पर जानें चली जाती हैं। मैं कहना चाहूंगा सरकार को कि यह कोई नई बात नहीं है। ऐसे सांप्रदायिक झगड़े हुए हैं। ऐसा गिरोह, ऐसी संस्था जाति के लिये खतरा बनती हैं जो झगड़े को खेल समझे हुए हैं, अपना काम समझे हुए हैं, जो झगड़ा पैदा करके अशांति पैदा करती हैं। जैसे चितौड़ में एक दफा मस्जिद तोड़ दी गई वे झगड़ा कराने वाले लोग कौन हैं। किसी हद तक मैं मानता हूं आर.एस.एस. के लोग पूरे योजनाबद्ध तरीके से झगड़े कराते रहे हैं। यहां सरकार में भी बहुत से साथी हैं। वे सरकार में बैठते हैं। अगर आप में ऐसा कोई रोग नहीं है या आपकी प्लानिंग नहीं है तो ऐसे लोगों को बाहर निकालें...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अध्यक्ष महोदय, ऐसे झगड़ों से भारी परेशानियां होती रही हैं। पता नहीं ये झगड़े कब कहां उठ जांय इसलिये हम निवेदन करना चाहते हैं कि ऐसे झगड़ों के मामलों में सावधानी बरतें। इस तरह की अफवाहों से समय-समय पर जो सैकड़ों लोग मारे जाते हैं उनकी जान माल की रक्षा करनी चाहिये, यह मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि विधायक महोदय द्वारा गलत काम करने वाले को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिये। उनका तो बहिष्कार करना चाहिये

श्री मदनसिंह दांता : माननीय अध्यक्ष महोदय, सवाल यह था, मकराना से आने वाले..

श्री अध्यक्ष : गलत नहीं है।

श्री मदनसिंह दांता : मकराना से आने वाले, माननीय सदस्य ने बहुत ढंग से, बड़े प्यार से सभी बात कही हैं। दूसरे माननीय सदस्य आर.एस.एस. पर आरोप लगाते हैं। मैं आर.एस. एस. से सम्बन्धित हूं कि आज तक कभी भी ऐसी बात नहीं हुई है।

श्री नूरा : आप गलत लोगों के साथ क्यों है ?

एक माननीय सदस्य : मैंने तो माननीय दांता की बात का स्वागत किया है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी (मंत्री, संसदीय मामलात) : आप बैठ जाइये।

श्री मदनसिंह दांता: विशेष रूप से कार्य कर्ताओं नाम लेते हैं तो यह ठीक नहीं है। यह जो आग लगाते हैं यह ठीक नहीं। एक संगठन पर यह आरोप लगाते हैं कि वह मुसलमानों पर हमला करते हैं। ऐसा कहते हैं तो आर.एस. एस. को बुरा लगता है।

श्री नूरा : अध्यक्ष महोदय, हमारे बच्चे आर. एस. एस. में जाने को तैयार हैं। लेकिन वह इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि आप इसके लिए तैयार नहीं हैं।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : यह बात नहीं हो सकती है मस्जिद में कोई शराब नहीं पी सकते हैं।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त करें।

श्री मदनसिंह दांता : अध्यक्ष महोदय शाखाओं में आपके बच्चे भी आ सकते हैं। अगर कोई रोके तो आप हमें शिकायत करें। कोई रोके तो हमें कहें। अगर राजस्थान, में ऐसी बात होती तो मैं निश्चित रूप से लिखूंगा।

श्री नूरा : चितौड़ में क्या हुआ है।

श्री मदनसिंह दांता : आर. एस. एस. ने हिन्दू महासभा..

श्री सूर्यनारायण चौधरी : इस पर बहस नहीं होनी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) यह सरासर झूठा आरोप लगाते हैं।

श्री नूरा : झूठा नहीं लगाते हैं। सही लगाते हैं।

(व्यवधान)

श्री चिरंजीलाल गर्ग (पुष्कर):इस तरह से गलत बातें रखी जाती हैं।

श्री नूरा : अध्यक्ष महोदय, तुम्हारी पार्टी की एक संस्था है। आप उसके बारे में सुनने के लिए तैयार नहीं है।

(व्यवधान)

मैं कहता हूं कि आर.एस.एस. की जिम्मेदारी है।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : नहीं है।

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : राजनारायण खुदा नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री चिरंजीलाल गर्ग : झूठे आरोप हम भी सहन नहीं करेंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य !

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है !

श्री अध्यक्ष श्री डूंगाराम।

(व्यवधान)

श्री नूरा : यह मैं नहीं कह रहा हूं, देश के निकलने वाले समाचार पत्र कह रहे हैं। आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। आपका क्या जवाब है।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : व्यवस्था का प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय।

एक माननीय सदस्य : जो सुनना नहीं चाहते हैं, वह बाहर चले जायें।

श्री रामनारायण चौधरी : आप क्या कहेंगे....

(व्यवधान)

श्री नूरा : मैंने कहा है, आप कह दो यह नहीं है। यह नहीं है तो जांच होनी चाहिए।

श्री गोविन्दसिंह शक्तावत (कुम्भलगढ): मैं माननीय सदस्य की भावनाओं की कद्र करता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। पाइन्ट आफ आर्डर है।

व्यवस्था का प्रश्न
सदन से मुख्य मंत्री की अनुपस्थिति

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर यह है कि पिछले दो तीन दिनों से माननीय मुख्य मंत्री महोदय जयपुर में होते हुए भी सदन में नहीं पधार रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, सन् 1952 से यह सदन की परम्परा रही है कि जयपुर में रहते हुए मुख्यमंत्री सदन में आते रहे हैं। लेकिन पिछले तीन-चार दिन से मुख्य मंत्री महोदय जयपुर में होते हुए भी सदन में नहीं आते हैं। वह विधान सभा भवन में आते हैं सदन में नहीं आते हैं। वह सदन के नेता हैं। ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर वह उत्तर दे सकते हैं। कल भी वह यहां मौजूद जरूर थे लेकिन वह सदन में नहीं पधारे आज भी वह सेक्रेटेरिएट में बैठे हैं कुछ सदस्यों को बुला कर उन्होंने मीटिंग की है। सदन के नेता, जैसी कि सदन की परम्परा रही है, कम से कम कुछ समय सदन में आकर बैठें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उनको महत्वपूर्ण काम हो सकते हैं लेकिन सदन की अवहेलना नहीं कर सकते हैं।

एक माननीय सदस्य : भाषण नहीं होना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री सूर्यनारायण चौधरी : आप बेकार बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : पहले भी इस प्रकार की व्यवस्था रही है।

श्री मूलचन्द डागा : यह सदन की परम्परा है। पॉइन्ट आफ आर्डर सही है।

श्री गोविन्दसिंह शक्तावत : यह भी क्या है कि पांच-पांच, छः-छः आदमी खड़े हो जाते हैं। कोई कुछ बोल ही नहीं सकता है।

श्री मूलचन्द डागा : The leader should always be present in the House for most of the time and during the question hour and there

Page No. 60

(60)

(श्री मूलचन्द डागा)

after at the beginning of the normal business of the House. His formost duty is to assist the Speaker in the conduct of t e business. He should be at all times prepared to intervene in the discussions, respond to the demands of the Opposition in the matter of giving opportunity for debate यह सदन का अपमान है। सदन की उपेक्षा है। इस प्रकार का नेता अगर सदन का है तो विधान सभा की गरिमा घट जाएगी। क्या विधान सभा का कोई महत्व नहीं है ? हमने कई बार कहा है, He is the Leader of the House. He is not present. He should be present here. इस बीच

(व्यवस्था-सूचक-घंटी)

ऑफ प्रिविलेज ऑफ हाउस का मोशन रखना चाहते हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर: अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का सवाल है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी: क्या व्यवस्था का सवाल है ?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय, यह व्यवस्था का प्रश्न स्पीकर को एड्रेस होता है ट्रेजरी बेंचेज को नहीं होता है।

श्री श्योपतसिंह मकासर: अध्यक्ष महोदय, मैंने कल भी कहा है। क्वेश्चन आवर के अन्दर आने वाले महत्वपूर्ण सवाल होते हैं। हमको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि किस प्रकार से मिनिस्टर बने और वे बनावें, किस प्रकार से वे पोर्टफोलियो किसको दें, या राजस्थान को डूबोयें, हमको इससे कोई ताल्लुक नहीं है।

(व्यवधान)

हमें तो इस बात में दिलचस्पी है और हमारा यह कहने का फर्ज है कि सदन के अन्दर बैठ कर सदन की गरिमा को कायम रखनें सदन के महत्व को कम नहीं करने का सदन के नेता का सबसे बड़ा फर्ज होना चाहिए। अगर वे इस सदन की परवाह नहीं करते हैं, सेक्रेटेरियट में बैठना ज्यादा जरूरी समझते हैं तो फिर असेम्बली का कोई महत्व नहीं रहेगा, सदन का कोई महत्व नहीं रहेगा। हमने कल भी इस बात को महसूस किया और आज भी निवेदन कर रहे हैं। इस सदन की गरिमा को कायम रखने का काम है, इसमें,. अध्यक्ष महोदय, आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। आप इस पर व्यवस्था दीजिये। हम यह कहना चाहते हैं कि अगर मुख्य मन्त्री शहर में रहें फिर भी यहां नहीं आवें और हमको उनके भानुमति के कुनबे के सहारे छोड़ दिया जाय और उनके सहारे राज्य का प्रशासन चले यह बुरी बात है। हमको इनके झगड़े से कोई वास्ता नहीं, जहन्नम में जायं इनके झगड़े।

(व्यवधान)

श्री निर्मलकुमार सकलेचा (झालरापाटन): अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मकासर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि मुख्य मंत्री जहन्नम में जायं, ये शब्द वापस लिये जाने चाहिएं।

(व्यवधान)

ये असंसदीय शब्द हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर: मैंने कहा है, जनता पार्टी के झगड़े जहन्नम में जायं।

श्री नूरा: आपके झगड़े हैं और आप लड़ेंगे।

श्री शिवचरणसिंह (बयाना): अध्यक्ष महोदय, भानुमति का कुनबा भी नहीं कहना चाहिये।

श्री गोविन्दसिंह शक्तावत: अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है..

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो पाइंट ऑफ

(श्री रामनारायण चौधरी)

ऑर्डर माननीय रघुनाथजी विश्नोई ने उठाया और जिसका समर्थन माननीय डागाजी ने किया, मान्यवर, इसका सदन की परम्परा से ताल्लुक है, आपने भी विरोधी पक्ष में बैठ कर इस सदन को सुशोभित किया है और बड़ी परम्परायें कायम की हैं। सन् 1952 से आज तक जितने भी सदन के नेता रहे हैं, यह कभी भी नहीं हुआ, बहुत कम अवसर ऐसे आये जब कि सदन के नेता सत्रकाल में सदन में नहीं रहे। प्रश्न आवर और जीरो आवर में पिछले तीन दिनों से हम देखते हैं मुख्य मंत्रीजी, जो सदन के नेता हैं, प्रारम्भ में आते ही नहीं और सदन की कार्यवाही समाप्त होने को होती है, उससे घंटे आध घंटे पहले आते हैं और फिर प्रस्थान कर जाते हैं। मान्यवर, यह हमारे सदन का अपमान है। इस सदन, जिसके वे नेता हैं, के नियमों में यह आवश्यक है या नहीं मैं नहीं कहता लेकिन यह परम्परा है और परम्परा और नियमों में कोई अन्तर नहीं होता बल्कि नियमों से परम्परायें बड़ी महान हैं। इसलिये मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सदन की जो परम्परायें रही हैं जिनको कायम करने में आपका भी बड़ा हाथ रहा है, उनको कायम रखने की आप व्यवस्था करें ताकि सदन की प्रतिष्ठा भविष्य के अन्दर बढ़े।

श्री भवर्नासह दांता : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रेक्टिकली देखता हूं कि भैरोंसिंहजी, मुख्य-मंत्री बहुत बिजी रहते हैं लेकिन वे जब यहां रहते हैं तो सदन में गम्भीरता रहती है। किसी प्रश्न का जवाब नहीं आता है तो वे जवाब देते हैं और सही जवाब देते हैं। अब ये मंत्रिमंडल के लोग हैं इनमें से किसी को कोई पता नहीं है। केदारजी पुराने आदमी हैं वे कुछ बात कहते हैं लेकिन कोई पालिसी की बात हो तो वे भी कुछ नहीं बोल सकते। जब जोशीजी और सुखाड़िया जी राजस्थान के मुख्य मंत्री थे तो सदन में गम्भीरता रहती थी। अगर भैरोंसिंहजी नहीं हों तो यह मंत्रिमंडल विधवा की तरह से है, यह नहीं होना चाहिये।

श्री मूलचन्द डागा : सारी सत्ता का केन्द्रीकरण कर लिया है इन्होंने अपने हाथ में।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री रघुनाथ विश्नोई ने मेरा ध्यान व्यवस्था के प्रश्न के जरिये आकर्षित किया, उस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि मुख्य मंत्रीजी परसों भी यहां थे और कल भी आये थे। सदन में वे आते हैं और मुझे विश्वास है कि आवश्यकता उनकी उपस्थिति की होगी तो अवश्य आ जायेंगे। अगर किसी कारणवश अनुपस्थित होंगे तो मैं आपको उस सम्बन्ध में अवगत कराऊंगा। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं....

एक माननीय सदस्य : आपको सूचना दी है ?

श्री अध्यक्ष : सदन की गरिमा और महिमा के सम्बन्ध में आपसे पहले मुझे ध्यान है। और सदन की गरिमा और महिमा का मुख्य मंत्रीजी को मेरे से भी अधिक ध्यान है इसमें वे कोई भी कमी नहीं आने देंगे। रहा सवाल प्रश्नोत्तर-काल का और जीरो आवर का, मैंने संकेत किया कि जब उनकी उपस्थिति आवश्यक होगी तो वे अवश्य आवेंगे। अगर आप चाहेंगे और आवश्यक होगा तो वे यहां रहेंगे। मंत्रिमंडल के माननीय सदस्य तीन-चार निरन्तर यहां उपस्थित रहते हैं उसके उपरांत यह आवश्यक नहीं है कि मुख्य मंत्रीजी लगातार सदन में बैठें। पहले के मुख्य मंत्री थे जब मैं विरोधी पक्ष में बैठता था, वे कभी आते थे और कभी नहीं आते थे, प्रश्नोत्तर काल और जीरो आवर में भी नहीं आते थे। मेरे खयाल में माननीय मुख्य मंत्रीजी को बाध्य नहीं किया जा सकता कि वे निरंतर बैठे ही रहें। उनके पास दूसरे भी काम हैं, सारे राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था उनके हाथ में है और कई जरूरी मसले उनके पास हैं। इसलिए मैं माननीय सदस्यों को संकेत करूंगा कि आप विश्वास करें और इस विषय में उदारता का परिचय देवें। मंत्रिमंडल के माननीय सदस्यों में से कोई भी उपस्थित नहीं हो तो मैं यह परम

(श्री अध्यक्ष)

आवश्यक समझता हूं कि बाध्य किया जाय कि वे उपस्थित रहें और इस सम्बन्ध में उचित व्यवस्था करूं ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, सवाल बाध्य करने का नहीं है। हमारा मकसद यह नहीं है। हम यह चाहते हैं कि...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस पर पर्याप्त चर्चा हो गई । अब आप क्या चाहते हैं ?

श्री माधोसिंह कछवाह : इनको किसी बात से संतोष नहीं होता ।

श्री मूलचन्द डागा : संसद में जब जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे चार-चार घंटे तक पार्लियामेंट में रहते थे, उनका रिकार्ड मौजूद हैं । श्रीमती इन्दिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थीं तब भी क्वेश्चन आवर में और दूसरे वक्त....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह कोई प्वाइन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं है, माननीय सदस्य ।

श्री रघुनन्दन व्यास : यह सदन का समय बरबाद करते हैं ।

श्री मूलचन्द डागा : यह तो हमारा सुझाव है—

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री सूर्यनारायण चौधरी (मंत्री संसदीय मामलात) : मैं उस मुद्दे पर बोल रहा हूं जो माननीय अब्दुल अजीज ने उठाया है . . . . . .

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : आप किस मुद्दे पर बोल रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अगर मंत्रिमंडल के कोई सदस्य इस संबंध में अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं तो आप उनको नहीं सुनेंगे ?

कई माननीय सदस्य : जरूर ।

श्री मूलचंद डागा : ये तो उद्योग मंत्री हैं ।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मैं संसदीय मामलात का मंत्री भी हूं ।

अध्यक्ष महोदय, मकराना से आने वाले माननीय सदस्य व श्री नूराजी ने जो प्रश्न उठाया वह वास्तव में एक राष्ट्रवादी प्रश्न हैं । इस देश में साम्प्रदायिक सद्भाव बना रहे, यह सभी राजनीतिज्ञों की इच्छा है और इससे उन्होंने इन्कार नहीं किया । राजनैतिक दल, प्रशासन और समाज के नेता इन सब का मिला-जुला उत्तरदायित्व है कि वे साम्प्रदायिक एकता और सद्भाव देश में बनाये रखें । इस संबंध में माननीय अब्दुल अजीज ने बहुत ही गंभीरता से, संयत तरीके से अपने विचार व्यक्त किए हैं और नूराजी ने अपने विचार व्यक्त करते समय एक संगठन का नाम लेकर उसको इंगित करने की चेष्टा की । यह उनका स्वयं का अधिकार है, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता । लेकिन मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं ...

श्री नूरा : आप भी तो मुझे इंगित करके बोल रहे हैं, हमारा भी राजनैतिक दल है ।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : लेकिन मैं इस संबंध में इतना निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोग जब ऐसे डेलीकेट इश्यू को उठायें तो हमें बहुत दूरगामी दृष्टि रखनी चाहिए इस देश में कहीं पर कोई भी प्रकार की चिनगारी भड़कती है तो हम सब लोगों के लिए यह सोचने का विषय है, सब के लिए कलंक

(श्री सूर्यनारायण चौधरी)

की बात है। हम यह अपेक्षा करेंगे कि आप ऐसे प्रश्नों को बहुत ही संयत तरीके से रखें। जो भी आपके सुझाव हों रखें। सरकार की तरफ से मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो सुझाव आपने सतर्कता के सम्बन्ध में दिए हैं, सरकार की सतर्कता में कहीं भी कमी नजर आती है तो आप हमारा ध्यान आकर्षित करें। कहीं कोई आशंका नजर आती है कि इस प्रकार का भड़काव राजस्थान में कहीं पर भी संभव है तो तुरंत उस पर राज्य सरकार कार्यवाही करेगी। हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इस संबंध में पहले से ही हिदायतें दे रखी हैं। मैं चाहूंगा कि सदन के सभी पक्षों के माननीय सदस्य इस कार्य के अन्दर सरकार का सहयोग अपना स्वयं का उत्तरदायित्व मान कर करें।

श्री नूरा : मैंने सुझाव दिया है संगठन के बारे में। केरल सरकार ने खतरनाक औजार प्रदर्शन करने पर पाबंदी लगाई है। जगह जगह झगड़े हुए है। इसलिये हमने आपको आगाह किया है।

श्री मदनसिंह दांता : सी.पी.आई. के लोगों ने कहां कहां कतल कराए? इसका मतलब उस पार्टी को बंद कर दें?

श्री नूरा : कहीं कतल नहीं कराया।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री दुलाराम !

श्री दुलाराम (रायसिंहनगर : अध्यक्ष महोदय, मैं एक ऐसे वर्ग का प्रश्न उठा रहा हूं, उस जाति का सवाल उठा रहा हूं जो हरिजन हैं, मजहबी सिक्ख हैं, उनकी जाति के एक व्यक्ति औरंगजेब के जमाने में जब गुरु तेगबहादुर का चांदनी चौक दिल्ली में शीश काटा गया था आज जहां शीशगंज गुरुद्वारा बना हुआ है, वहां से गुरु साहब का शीश लाए थे। मान्यवर, जब हिन्दुस्तान पाकिस्तान बना तो उनको अलवर, भरतपुर में भारत सरकार के आदेश पर राजस्थान सरकार ने जमीनें दीं। वे लोग वहां आबाद हो गए लेकिन रिकार्ड में गिरदावरी में, जमाबंदी में मजहबी सिक्ख की जगह उनको सिक्ख धर्म में दर्ज किया गया। इस कारण उनकी जमीनों पर सवर्ण लोगों ने कब्जे करना शुरू कर दिया। इन मजहबी सिक्खों ने दिनांक 21–2–76 को उप खंड अधिकारी, राजगढ़, जिला अलवर व भरतपुर के जिलाधीश के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किए कि हमारी भूमि पर, अनुसूचित जाति के लोगों की भूमि पर, मजहबी सिक्खों की भूमि पर, जिनके नाम अनसूची धारा 40 पर अंकित हैं, सवर्णों ने कब्जा कर लिया है, उनसे वह कब्जा छुड़वा लिया जाए। इस पर भरतपुर व अलवर के जिलाधीशों ने राज्य सरकार के समाज कल्याण विभाग से स्पष्टीकरण मांगा कि क्या यह जाति हरिजन है या नहीं? इस पर समाज कल्याण विभाग ने उनको सूचना दी कि यह जाति अनुसूचित जाति में अनुसूची धारा 40 पर अंकित है, ये शिड्यूल्ड कास्ट के हैं। उसके बाद राजस्थान समाज कल्याण विभाग के सहायक सचिव जयपुर ने जिलाधीशों को लिखा कि यह जाति अनुसूचित जाति की गणना में आती हैं। मगर पता नहीं राज्य सरकार ने किस दबाव के नीचे आकर भारत सरकार के गृह मंत्रालय से 16 जून 1976 को स्पष्टीकरण मांगा कि क्या मजहबी सिक्खों की जाति अनुसूचित जाति की गणना में आती है या नहीं?

इसके बाद, मान्यवर, भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने राजस्थान सरकार के समाज कल्याण विभाग को दिनांक 23 दिसम्बर, 1976 को लिखा है संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 के अनुच्छेद 3 के अनुसार हिन्दू तथा सिक्ख धर्मावलम्बियों को छोड़ कर अन्य कोई भी धर्मावलम्बी अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं समझा

(श्री दुलाराम)

जायेगा। इसलिए वे सभी व्यक्ति, जो हिन्दू तथा सिक्ख धर्म के अनुयायी हैं, राजस्थान के लिए घोषित की गई अनुसूचित जातियों के सदस्य हैं और राज्य के निर्दिष्ट क्षेत्रों में राष्ट्रपति के कथित आदेश की उद्घोषणा की तिथि से रह रहे हैं, अनुसूचित जाति के सदस्य समझे जावेंगे।"ऐसा स्पष्टीकरण राजस्थान सरकार को दिया गया। यही स्पष्टीकरण उन्होंने इस मजहबी दल के अध्यक्ष को भी दिया। इसके बाद कोई कार्यवाही नहीं हुई उनकी भूमि नहीं छुड़ाई। वह एक नहीं, दस नहीं, बीस नहीं बल्कि मेरी राय में सात सौ, आठ सौ परिवार हैं जो वहां आबाद हैं। करीब 1350 परिवार हैं। उनमें से पांच सौ, छ: सौ व्यक्तियों की भूमि पर दूसरे सवर्ण लोगों ने कब्जा कर रखा है। इसके खिलाफ भारतीय कांग्रेस पार्टी के महासचिव श्री बूटासिंह ने 11 मार्च, 1978 को पत्र लिखा है कि मजहबी सिक्खों की भूमि पर जिन सवर्णों ने अवैध कब्जा कर रखा है उनको यह राजस्थान सरकार नहीं छुड़वा रही है। 23 मार्च, 1978 को भारत सरकार के प्रधान मंत्री श्री मोरारजी भाई ने पत्र लिखा।

भाई श्री बूटासिंह,

राजस्थान के अलवर और भरतपुर जिले में मजहबी सिक्खों को उनकी बिकी हुई जमीन वापस दिलाये जाने के बारे में मुझे आपका 11 मार्च, 1978 का पत्र मिला। इस विषय में मैं राजस्थान सरकार को लिख रहा हूं।

यह पत्र मेरी समझ में राजस्थान सरकार को पहुंचाया नहीं, राजस्थान सरकार के अधिकारियों ने गुम करा दिया या राजस्थान सरकार ने किसी राजनैतिक दबाव के नीचे आकर आगे कुछ नहीं किया। यह एक रहस्य है।

इसके बाद भरतपुर जिलाधीश ने 14 अप्रेल, 1978 को तहसीलदार कामां को एक पत्र लिखा है पत्र क्रमांक/रीडर/78 दिनांक 14 अप्रेल, 1978 इस पत्र में लिखा है "जो सुविधायें अनुसूचित जाति के सदस्यों को दी जाती हैं वह इन मजहबी सिक्खों को भी दी जावें। साथ ही राजस्थान टैनेन्सी अधिनियम, 1955 तथा अन्य अधिनियमों के अधीन जिन भूमियों का बेचान करके अथवा अन्य ढंग से सवर्णों को हस्तान्तरण कर दिया गया है तथा जिन भूमि पर सवर्णों को उप कृषक अंकित कर दिया गया है ऐसे मामलों में राजस्थान टैनेन्सी अधिनियम की धारा 175 के अधीन प्रकरण तैयार किये जाकर आवश्यक कार्यवाही हेतु संबंधित राजस्व न्यायालय को प्रस्तुत करें।

यह पत्र जिलाधीश भरतपुर ने तहसीलदार कामां को लिखा। इसी प्रकार जिलाधीश अलवर ने तहसीलदार या उप-खण्ड अधिकारी जो भी संबंधित था, को पत्र लिखा। उन्होंने भी उन राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिया :–

"ऐसे मामलों में आवश्यक जांच की जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 175 के अंतर्गत प्रकरण तैयार किये जाकर संबंधित सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत किये जावें तथा जो सुविधायें अनुसूचित जाति के सदस्यों को दी जाती हैं वह मजहबी सिक्खों को भी दी जावें।"

इस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। लोग मारे-मारे फिर रहे हैं। उनकी कोई बात नहीं सुन रहा है। जनता सरकार ने उन मजहबी सिक्खों को इतना दबा दिया है कि आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई क्योंकि दावे पहुंचने ही नहीं दिये। उनके प्रार्थना-पत्र तक नहीं लिए।

इसके बाद समाज कल्याण विभाग के उप-निदेशक हैं उन्होंने जिलाधीश भरतपुर को पत्र लिखा क्रमांक एफ 9(5) शोध/सकवि/78/52618-19 दिनांक 28-7-78

(श्री दुलाराम)

और प्रतिलिपि भेजी है श्री चन्दनसिंह, महामंत्री राजस्थान शिरोमणि बाबा जीवन सिंह मजहबी दल सतवाड़ी, भरतपुर। इस पत्र के द्वारा सूचित किया है :–

"श्री चन्दनसिंह, महामंत्री, राजस्थान शिरोमणि बाबा जीवनसिंह मजहबी दल अलवर ने अपने पत्र दिनांक 9-5-78 के द्वारा सूचित किया है कि इस समुदाय के व्यक्तियों को भूमि की रजिस्ट्रियां अभी तक मन्सूख नहीं की गई हैं और भूमि संबंधित विवाद लम्बित पड़े हैं। आपसे निवेदन है कि कृपया ऐसे मामलों को शीघ्र निपटाने का कष्ट करें।"

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री दुलाराम : दो मिनट।

मान्यवर, ताज्जुब हो रहा है इस जनता सरकार पर, ताज्जुब हो रहा है अन्त्योदय योजना पर और ताज्जुब हो रहा है इन 600 परिवारों पर, जिनके उदय का अन्त हो गया। कृपा कीजिये आप उन जिलाधीशों पर जिन्होंने इनको लिखा।

इसके बाद उप-निदेशक, समाज कल्याण विभाग ने श्री चन्दनसिंह महामंत्री, राजस्थान शिरोमणि बाबा जीवनसिंह मजहबी दल सतवाड़ी, भरतपुर को पत्र क्रमांक आर. एण्ड पी./ सकवि./ 78/ 60367 दिनांक 13-9-78 को लिखा है जिसमें लिखा है:–

"संबंधित जिलाधीशों को आपके समुदाय की समस्याओं के बारे में लिखा गया था। संबंधित जिलाधीशों ने इस विभाग को अवगत कराया है कि इस प्रकार की कोई समस्या बकाया नहीं है और अगर है तो आप सीधे ही संबंधित जिलाधीशों को लिखें ताकि उनका निराकरण हो सके।"

लिखते हैं, कोई समस्या बकाया नहीं है। मेरे पास रजिस्टर है। मान्यवर, इस रजिस्टर में मजहबी जातियों के....

एक माननीय सदस्य : रजिस्टर असली है या नकली है?

श्री माधोसिंह कछवाह : अध्यक्ष महोदय, समय बहुत अधिक दिया जा रहा है। दो मिनट बोलना चाहिए। यह तो बहुत अधिक बोल रहे हैं

श्री दुलाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार सावरे वल्द बृजा जाति जाटव गांव बलोद खसरा 158 तहसील कामां, बीरल वल्द कनरी जाति गुजर बलोद, विधा वल्द चपडाराम जाति जाटव, कलवा राम वल्द चपड़ाराम जाति जाटव गांव बिलोद तहसील कामां, खसरा 59 गांव बासर लड्डू का तहसील कामां, बिसराम वल्द रतना जाति गूजर गांव बिवोद तहसील कामां, बीस सूत्री प्रोग्राम के तहत इन हरिजनों को जमीन वापस दी गयी। मान्यवर, तवज्जोह देने वाली बात है कि जिन हरिजनों को जमीन मिल गयी कलेक्टर को, राजस्व अधिकारी को राजस्थान टेनेन्सी एक्ट की धारा 45 के तहत रकबा को रिन्यू करने के तो अधिकार हैं लेकिन सवर्णों को नहीं दे सकते। उन्होंने उस रकबा को सवर्ण जाति के सदस्यों को वापस दे दिया। इसी प्रकार से फूसियों वल्द नथूराम जाति जाटव गांव बलोद खसरा न. 174 3 बीघा 9 विस्वा, गांव बासर लड्डू का तहसील कामां पर भम्मन पंडित का कब्जा है वह भी वापस ले लिया गया था। राजस्थान टेनेन्सी एक्ट के मुताबिक उस राजस्व अधिकारी, चाहे वह कलेक्टर या एस.डी.ओ. या तहसीलदार था, को राइट नहीं था कि हरिजन की जमीन पंडित को वापस दे देता। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस बहरी सरकार को निवेदन करना चाहता हूं, यह अन्त्योदय के तहत अपना मतलब हल कर रही है और अपने व्यक्ति चुन रही है, हरिजनों को पीछे छोड़ रही है। दस में से केवल एक हरिजन

(श्री दुलाराम)

चुना जाता है इससे सरकार कितने हरिजनों को संरक्षण दे सकती है, यह तो आपके आंकड़े ही बतायेंगे ।

(समय-समाप्ति- सूचक घंटी)

अन्त्योदय योजना के तहत भी हरिजनों को प्रोटेक्शन नहीं दिया गया । यह मजहबी सिक्ख, जिनकी लिस्ट....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें । मैंने दो तीन बार घंटी बजा दी है ।

श्री दुलाराम : मान्यवर, एक मिनट ।

आपके माध्यम से निवेदन करूं कि यह अहम मसला है । इनकी कोई सुनने वाला नहीं है । राजनैतिक कारणों से इनको दबाया जा रहा है । मान्यवर, आपको बहुत उदारतावादी मानता हूं । अनुसूचित जाति के सदस्य हैं उनको समय दें ।

श्री शिवचरण सिंह अध्यक्ष महोदय, एक बात कहना चाहता हूं । ये 600 कुन्बे हैं । ये मजहबी सिखों की बात कह रहे हैं । यह बात सही है, अध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान बनने के बाद इन्होंने रजिस्टरी के जरिये जमीनें बेची हैं । पंजाब चले गये और पंजाब से वापस आकर जिन लोगों को जमीनें बेची है उनसे वापस लेने जा रहे हैं । यह परिस्थिति है । रजिस्ट्री के जरिये बेचान किया है । यह सारे परिवार पहले जमीनें बेच कर पंजाब चले गये और अब जत्थे बनाकर वापस आ रहे हैं.....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय मोहम्मद जहूर सदस्य हैं उनके क्षेत्र की बात है । मैं उस इलाके में गया था ऐसी 40 रजिस्ट्रियां मैंने देखी है । खुद बेच कर गये हैं और बेचने के बाद पंजाब जाकर बस गये । पंजाब से अब वापस आ रहे हैं ।

श्री जगतारसिंह : यह क्या तरीका है ?

श्री शिवचरणसिंह : सदन को जानकारी दे रहा हूं

श्री जगतारसिंह : आप गलत जानकारी दे रहे हैं ।

श्री शिवचरणसिंह : अगर गलत है तो इस्तीफा दूंगा नहीं हो तो आप इस्तीफा दें ।

श्री दुलाराम : धारा 42 क्या इस बात की परमिशन देती है कि वह भूमि सवर्ण के पास रहे ? यह स्पष्टीकरण करें ।

श्री माधोसिंह कछवाह : यह नकली रजिस्टर है जो प्रकट हो गया ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें ।

श्री मूलचन्द डागा !

श्री रामनारायण चौधरी : सरदार जगतारसिंह का भी नाम है ।

श्री जगतारसिंह : सिख का सवाल है ।

श्री अध्यक्ष : आपका नाम नहीं है । आपके दल के सदस्य बहुत बोल चुके हैं । कृपया आसन को सहयोग दीजिये । आपका नाम नहीं है, आप स्थान ग्रहण करें ।

श्री रामनारायण चौधरी : दो मिनट में समर्थन कर देता है ।

श्री अध्यक्ष : आपकी भी चिट नहीं है । दो-दो मिनट बोलें, तो बोल लीजिये ।

श्री समरथ लाल : यह आपकी दो-दो मिनट की व्यवस्था से हमारे अहम सवाल न रह जायें ?

श्री अध्यक्ष : समरथलालजी, आपका नाम भी नहीं है ।

श्री समरथलाल : मेरा नाम है।

श्री अध्यक्ष : होगा तो मैं देखता हूं। आपका टर्न आयेगा तो समय दूंगा।

श्री जगतारसिंह : हरिजनों के बारे में उनकी सही गाथा . . .

श्री अध्यक्ष : श्री समरथलाल जी का नाम नहीं है।

श्री समरथलाल : श्रीमान, आपने नाम पुकारा है। मैंने सुना है।

श्री अध्यक्ष : राजगढ वाला, हां, हां मैंने खास तौर से रखा है। 5,5 मिनिट कह दीजिये।

श्री जगतारसिंह : सिखों के लिये राजस्थान अभिशाप बना हुआ है। चाहे सवर्ण जाति हो, चाहे हरिजन जाति हो, सिखों के समुदाय के साथ राजस्थान में एक तरह से अहम सौतेला व्यवहार किया जाता है। मान्यवर भी जानते हैं, इस जनता सरकार के घोषणा-पत्र में यह घोषणा की गई थी कि अल्प संख्यकों को संरक्षण देंगे मगर मान्यवर, उस घोषणा-पत्र की सब बातों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। मान्यवर चाहे वह जमीन का मसला हो, चाहे जन प्रतिनिधित्व की बात हो, चाहे सरकारी नौकरी में लेने की बात हो, सिखों के प्रमोशन का सवाल हो, मान्यवर, हर तरह से सिख जाति के लोगों को पीछे रखा जाता है। मान्यवर, अलवर में एल.एल. एम., बी. ए. एल. एल. बी., सुखदेव सिंह को राजस्थान सरकार की नौकरी में स्थाई नहीं कर रहे हैं। वह सिख नवयुवक आपके पास भी आया, पर्चे फेंकने के मामले में उसको ताड़ना दी गई। आपने ऐसा आदेश नहीं दिया, कि उसके साथ न्याय किया जावे। मान्यवर, सरकार दो दो साल कर्मचारी को एक जगह रखती है उस सुखदेव सिंह का एक साल में चार बार ट्रांसफर कर दिया। मान्यवर इसीलिए चार बार ट्रांसफर किया गया कि वह सिख है। सरकारी कर्मचारियों में जब प्रमोशन का सवाल आता है तो कोई सिख हो उसको प्रमोशन नहीं दिया जाता। मान्यवर, क्या आप बता सकते हैं! डिप्टी डाइरेक्टर एजूकेशन के प्रमोशन में सरकार ने घोषणा पत्र की धज्जियां उड़ाई . . .

श्री सूर्यनारायण चौधरी : विषयान्तर हो रहे हैं।

श्री जगतारसिंह : मान्यवर, मैं आपको इरिगेशन डिपार्टमेंट के बारे में कहना चाहता हूं आज तक यह परम्परा रही है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : जो ओरिजिनल प्रस्ताव है उससे विषयान्तर हो रहे हैं। यह कोई बजट की डिबेट नहीं है।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री जगतारसिंह : राजस्थान केनाल के चीफ इन्जीनियर है प्रोजेक्ट में बहुत ही अच्छा काम किया है। उसको अवोइड करके किसी दूसरे व्यक्ति को राजस्थान कैनाल बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है क्योंकि वह चीफ इन्जीनियर सिख है और वह बैंक वर्ड क्लास को बिलांग करता है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें। आपके दल के दूसरे सदस्यों का टाइम कन्ज्यूम कर रहे हैं। मेरे ख्याल में यह एन्टी सोशल तरीका है।

श्री केदारनाथ (श्रम मंत्री) : करणपुर से जो माननीय सदस्य आये हैं सिखों के बारे में डिस्कस कर रहे है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस चीफ इन्जीनियर की बात कर रहे हैं वे आज भी सी. ए. डी. में चीफ इन्जीनियर है। एजूकेशन में मिस ग्रेवाल, जोइन्ट डाइरेक्टर के पद से रिटायर हुई है मुझे अफसोस है आपको जानकारी नहीं है। इसलिए चाहे गवर्नमेंट नौकरी का सवाल, हो चाहे प्रमोशन का सवाल हो, चाहे जमीन के अलाटमेंट का सवाल हो, चाहे कोई भी बिजनेस पाइन्ट आफ व्यू हो,

(श्री केदारनाथ)

सिखों के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है। यह बड़ी गलतफहमी है इनको। जहां 65 हजार आदमियों को अलाटमेंट किये गये हैं उनमें सैकड़ों हजारों आदमी सिख हैं।

एक और निवेदन कर देना चाहता हूं। राजस्थान सरकार ने अनुदान के रूप में रुपया किसी कालेज को नहीं दिया। आपको जान कर खुशी होगी, एक लाख रुपया स्पेशल ग्रांट के रूप में खालसा कॉलेज को हमने दिया है। इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि जैसा रायसिंह नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने जिक्र किया, मजहबी सिख पहले तो सिख ही थे लेकिन बाद में मजहब बदलने से उनको शिड्यूल्ड कास्ट का माना जाता है। वैसे बाई कास्ट ये हरिजन हैं। मैंने खुद ने कहा है कि इनको हरिजन ट्रीट करके पूरी फैसे-लिटी दी जावे, उनको पूरा प्रोटेक्शन दिया जावे। ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि जो जमीन उनको दी गई है उसका कब्जा उनको नहीं दिया गया। अगर आपने कोई केस बताया है तो उसकी जानकारी करवा ली जाएगी। मैं आपकी जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले पन्द्रह महीनों में जितने जमीनों पर, शिड्यूल्ड कास्टस् की जमीनों पर सवर्णों के कब्जे हुए हैं उतने पहले नहीं हुए लेकिन उसके साथ ही जितने कब्जे हटा कर वापस हरिजनों को कब्जे दिलाए गए हैं उतने कब्जे पहले कभी नहीं दिलाए गए। उनके कब्जे वापस रेस्टोर कर दिये गए हैं जिसका आपको अन्दाजा नहीं हो सकता। अगर ऐसा कोई केस है जो आपने कहा तो उसकी जांच करवा लेंगे।

श्री दुलाराम : यह भी हरिजन ही है। आप वापस अपने कब्जे में तो ले लें।

श्री रामनारायण चौधरी : आप जांच किससे करवायेंगे और कितने अर्से के बाद पूरी करा देंगे। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय के प्रति पूरा सम्मान रखते हुए भी मैं सरकार से आश्वासन चाहता हूं कि अलवर और भरतपुर के मजहबी सिक्खों के बारे में जो कुछ हुआ है, शिड्यूल्ड कास्टस् की जमीने ले रखी है उन जमीनों के मामले की जांच किस से करवायेंगे और कितने समय में करा देंगे? कानून के मुताबिक जो भी कार्यवाही हो सकती है वह कार्यवाही करेंगे तो कितने समय में इस मामले को डिस्पोज आफ करवा देंगे ?

श्री केदारनाथ : डिप्टी सेक्रेटरी रेवेन्यु कालोनाइजेशन जांच करेंगे।

श्री दुलाराम : यह 13-9-78 का पत्र है कलेक्टर का जो उन्होंने राज्य सरकार को लिखा है कि ऐसा कोई केस पेन्डिंग है ही नहीं। आप क्या कह रहे हैं ? किस बात की जांच करा रहे हैं ?

श्री केदारनाथ : मैंने कह दिया है कि जांच करा दूंगा।

श्री दुलाराम : गंगानगर में हजारों सवर्णों के कब्जे आपने कराये हैं। आप कैसे कब्जे रेस्टोर करा देंगे ? आपने एक हरिजन को पांच सी टी एम में कब्जा दिलाया तीन दिन बाद उस का सिर काट कर फेंक दिया।

श्री केदारनाथ : यह आपको मालूम ही नहीं है। यह टोडी का केस है। टोडी के अन्दर शिड्यूल्ड कास्टस् के लोगों की जमीन पर सिक्खों की कोआपरेटिव ने कब्जा किया था, वह वापस कब्जा करवा दिया है। डिप्टी सेक्रेटरी रेवेन्यू कोलोनाईजेशन इसकी जांच कर रहे हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : किससे जांच करायेंगे।

श्री केदारनाथ : डिप्टी सेक्रेटरी रेवेन्यू कालोनाइजेशन है।

श्री रामनारायण चौधरी : अलवर, भरतपुर में कालोनाइजेशन है क्या ?

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की जनता पानी की एक-एक बूंद के लिए तरस रही है। हजारों गांवों में पेयजल नहीं है। पानी बिना परेशान है पाली तहसील के 70 गांव। फैक्ट्रियों, के पानी के कारण वहां जल प्रदूषण बढ़ा है। जल प्रदूषण से फैक्ट्रियों के पानी से हजारों काश्तकार बरबाद हो गए हैं। वहां एक दाना उगना तो दूर रहा घास भी नहीं उगती। मीठे पानी के कुओं में पानी जहरीला हो गया है जिसके कारण किसानों का लाखों रुपयों का नुकसान हो चुका है। हाइड्रोलोजिस्ट ने जांच की है। तीस नमूनों की जानकारी से यह निष्कर्ष निकाला कि पानी भयंकर रूप से प्रदूषित है। यदि इसकी रोकथाम की व्यवस्था नहीं की गई तो पाली नगर की अस्सी हजार की जनसंख्या विभिन्न रोगों की शिकार हो जाएगी जिसमें गुर्दे का कैंसर प्रमुख होगा। आपकी जो व्यवस्था है उसके अनुसार उद्योग लगाते हैं नदी के किनारे किनारे। नदी के किनारे के जितने भी गांव है, मरडिया, सोना इलाका, मुरडियां, दीवानजी, सारे गावों के नाम गिनाने में ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं इन गांवों के कुओं में आज फैक्ट्रियों का पानी जा चुका है किसान बरबाद हो गए हैं और खेती बिलकुल नहीं हो रही है। एक दाना पैदा नहीं होता। एक ओर दस हजार आदमियों को आप एम्पलायमेंट देते हैं और दूसरी तरफ तीस हजार आदमियों को बेकार करते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं, श्रीमान, आपके द्वारा कि यह हमारा दुर्भाग्य है। उद्योग मंत्रीजी बैठे हैं मैं बार-बार कहता हूं कि डिपार्टमेंट्स में कोई काआर्डिनेशन नहीं है। हाइड्रोलोजिस्ट कहता है वाटर पोल्यूशन बोर्ड ने 1975 में रिपोर्ट दी। 1975 के बाद तीन साल हो गए, क्या हुआ ? इधर राजस्थान का खनिज व उद्योग विकास निगम कहता है कि कपड़ा उद्योग के चार संयंत्र लगाने में सहयोग देंगे उधर वाटर पोल्यूशन बोर्ड की यह रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट के आधार पर पाली में फैक्ट्रियां लग रही हैं उनका सारा पानी तालाब में जा रहा है और नदी में चला गया है। एक तरफ आप करोड़ों रुपया लगाते हो दूसरी तरफ गांवों में पीने का पानी नहीं है और जिन गांवों में पीने का पानी था वह भी प्रदूषित हो चुका है। कृपा करके जांच कर लीजिए मेरे पहले के जो यहां पर विधायक हैं माननीय शंकरलाल, वह भी मौजूद हैं। वे चेयरमैन थे, उन्होंने जांच की थी और उन्होंने बड़ गहराई से निवेदन किया था कि इस प्रकार की फैक्ट्रियों को लगाने से कुछ आदमीयों को रोजगार मिलता है लेकिन हजारों काश्तकार बरबाद हो जाते हैं।. . . .

श्री शंकरलाल : जांच रिपोर्ट पर सरकार कार्यवाही कहां कर रही है।

श्री मूलचन्द डागा : पब्लिक अन्डरटेंकिग कमेटी की रिपोर्ट की भी सरकार अवहेलना कर रही है। हमारा कर्त्तव्य होता है और आपकी कृपा होती है इसलिए हम सदन का इतना अमूल्य समय लेते हैं। उसके बावजूद एक लाख जनता के साथ और गांवों की दो लाख जनता के साथ इस प्रकार से खिलवाड़ किया जाता है। यह निकम्मी सरकार है मुझे ये शब्द काम में लेने पड़ते हैं, इस सरकार के न दिमाग है, न दिल है, न इसमें मानवता है। मैं तो कहते–कहते थक गया हूं,आज तो मेरा गला भी इस बात की साक्षी दे रहा है, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं ? कोई बात सोचने की शक्ति नहीं है। वहां पर लगातार औद्योगिक बस्तियां बन रही हैं। उद्योग विभाग अपनी अलग लगा रहा है बस्ती। आर. आई. ए म. डी· सी. अलग लगा रहा है। प्राइवेट अलग लग रही है। पाली में बारह जगह औद्योगिक बस्तियां कायम हो चुकी हैं। एक रामदेवकी नाडी पर है एक सोजत रोड़ पर है, एक सुमेरपुर रोड पर है, मांडिया रोड पर है, और गुरलाई पर है। लेकिन विभागों का कोआर्डिनेशन नहीं है। इंजीनियर भरपेट खाते हैं, जिसको चाहते हैं जमीन देते हैं। काश्तकार जिस जमीन से अपना जीवन चलाता है उससे वह जमीन छीन कर फैक्ट्रियां लगाई जा रही है। न कोई कानून है, न कोई नियम है।

(श्री मूलचन्द डागा)

मैं तो कहते -कहते थक गया हूं। मुख्य मन्त्री ने कहा कि मैं इसकी जल्दी से जल्दी रिपोर्ट मंगाऊंगा । मुझे समझ में नहीं आता कि कब मंगायेंगे जब आदमी चला जाएगा दुनिया से ? आज चार साल हो गए। चार साल होने के बाद भी यह परिणाम निकला कि यह जनता सरकार इस प्रकार का काम कर रही है । आज मजदूरों के घरों तक पानी पहुंच गया है। हिम्मतनगर मजदूरों की बस्ती है . .

श्री केदारनाथ : चेयरमैन तो आप ही थे ।

श्री रघुनन्दन व्यास : पाली के बारे में एक बात कहना चाहता हूं । माननीय डागाजी गलत सूचना दे रहे हैं सदन में। जब आप खुद नगरपालिका के चेयरमैन थे, अंधा धुंध कब्जे करवा कर आपने कई फैक्ट्रियां लगवाई थी और कांग्रेस पार्टी को चन्दा दिलवा कर भवन बनाया गया था जो आज भी अधूरा है । गलत निर्णय के आधार पर आपने सारे नगर को बरबाद किया है । आज प्रदूषण के नाम पर, श्रीमान डागाजी सदन में गलत सूचना दे रहे हैं हजारों रुपये चन्दे के लिये गये और कांग्रेस भवन बनाया गया जो अधूरा पडा हुआ है। अब भी प्रदूषण के कारण उसकी व्यवस्था के लिए जो भी योजना जाती है उसका विरोध करते हैं और यहां पर यह बातें करते हैं।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : आप जांच करा लीजिये । मुझे फांसी पर चढ़ायें अगर मैंने एक भी फैक्ट्री लगाई हो . . . .

श्री एच. एन. शर्मा : आपका मतलब है, आपकी सरकार ।

श्री मूलचन्द डागा : किसी माननीय सदस्य पर इस तरह से दोषारोपण नहीं करना चाहिए बिना इत्तला दिए हुए । रूल 273 मना करता है । आपने आरोप लगा दिया है इसलिए मैं, श्रीमान, कहता हूं कि सवाल यह नहीं है कि मैंने किसको शिकायत की थी और किसको नहीं की थी मैंने मिस्टर अग्रवाल, जो उस समय कलेक्टर थे, शिकायत की थी। मैंने मिस्टर पांडे की शिकायत की कि उन्होंने पैसा खा करके पिछली सरकार के वक्त यह काम किया है । मैं कहता हूं, यह काम हुआ है। मैं यह नहीं कहता कि मेरी सरकार ने नहीं किया । लेकिन आपने तो मेरा ही नाम ले लिया । मेरे टाइम में एक भी फैक्ट्री नहीं लग सकी । कोई हिम्मत नहीं कर सकता था । कोई प्रमोशन का सवाल नहीं था । मेरा इसमें कोई दोष नहीं है । मैंने शिकायत की सेन्टर को कि इनकी इंक्वायरी हो । मुझे मालूम है कि मैं कहां तक कार्यवाही करता रहा हूं । अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो आप बता दें। मैं इस बात को कबूल कर सकता हूं लेकिन इस तरह से मेरे पर दोषारोपण लगाना निर्मूल है । मैं प्रार्थना करूंगा । कितने भवनों के लिये चन्दा किया गया । भवन इधर....

श्री किशनसिंह भाटी : डागा जी भी शामिल थे ।

श्री मूलचन्द डागा : मैं नहीं था, नहीं था मैं गलत काम में मदद नहीं देता हूं। अगर बता दें तो मुझे अभी सदन से निकाल दीजिये। सवाल यह नहीं है . . .

श्री खंगारसिंह : पैसे वालों के पास ही पैसा है और पैसे से सरकार खरीद सकते हैं। काश्तकार गरीब हैं । उनके पास पैसा नहीं है । उन पर कुर्कियां लाते है, उनकी कुर्कियां होती हैं । आज वे रोजी और रोटी से वंचित हैं । बहुत अन्याय किया है काश्तकार के साथ । आज वे भूखे और नंगे हैं। जमीनों में न तो पानी मिलता है और न बिजली, । कुओं का पानी बिल्कुल खराब हो गया है । मैंने तो मुख्य मंत्री जी को, जब वे, सुमेरपुर पधारे थे . . . .

श्री अध्यक्ष : भाषण मत दीजिये। काम की बात करिये कृपया ।

श्री खंगारसिंह : इसके अन्दर जो बैठते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : 15 महीने की सरकार, जो आज 18 महीनों की हो गई, ने क्या कदम उठाये हैं ? इस सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ? दूसरी बात मैं फिर कहना चाहता हूं आपने अपने विभागों का कोई कोओर्डिनेशन नहीं किया इसलिए नुकसान हो गया। मजदूरों के गांवों में पानी भरा है। उनके घर गिर रहे हैं गरीब नुकसान भुगत रहे हैं। आपका सारा . . . .

श्री शीशराम ओला : इससे पहले जो उद्योग मंत्रीजी थे।

श्री सूर्यनारायण चौधरी (उद्योग मंत्री): हमें सारा ध्यान है। मैं जवाब दे रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय डागा जी ने जो प्रश्न उठाया उसे सरकार बहुत गंभीर मानती है। मैं आपकी सूचना के लिये निवेदन करना चाहता हूं। मैं डागाजी से अपेक्षा करूंगा कि वे इस संबंध में सरकार को सहयोग दें। जोधपुर में और पाली दोनों जगहों में जो वाटर पोल्यूशन की समस्या है इस पर विचार करने के लिये 12 तारीख को हमने मीटिंग रखी है।

श्री शीशराम ओला : उससे भी मामला गंभीर है। खेतड़ी का इसमें कहां है। खेतड़ी

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : खेतड़ी जैसा पोल्यूशन तो है ही नहीं।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मैं उसी मीटिंग में खेतड़ी का भी प्रयत्न करूंगा।

श्री श्योपतसिंह मकासर : हमने आपको ध्यान दिलाया था। आपको ध्यान होना चाहिए। यह खेतड़ी की तो बहुत बड़ी प्राब्लम है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले में पिछली सरकार ने क्या किया, क्या नहीं किया, उसको छोड़ दीजिये। गलत हुआ या सही हुआ। यह मानवीय प्रश्न है। कोई भी सरकार जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। इसलिए इस मामले में बहुत गंभीरता से हम विचार कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात डागाजी और शीशराम जी से जरूर चाहूंगा। इसमें हम कठोर निर्णय लेंगे। इस प्रकार की भी स्थिति हो सकती है कि अगर कुछ उद्योगपति हमारे द्वारा निर्धारित निर्देशों, जो प्रदूषण को रोकने के लिये होंगे, को नहीं मानेंगे तो हमको उनके खिलाफ कार्यवाही करनी पड़ेगी।

(व्यवधान)

आप पहले सुन लीजिये। सदन में आप कुछ कहें और बाहर जाकर कुछ कहें . .

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। माननीय सदस्य ने सरकार पर आरोप लगाया। ये . . .

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मैं आपसे सहयोग मांग रहा हूं। आरोप नहीं लगा रहा हूं।

श्री मूलचन्द डागा : आप तो बन्द करो। धक्के देना।

श्री श्योपतसिंह मकासर : इससे पहले कितनी दफा कितने सेठों की सिफारिशें लेकर आये ?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : आपसे कब कहा ? मैं डागा जी पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं जोधपुर गया था . . .

(व्यवधान)

आप सुन लीजिये।

(श्री सूर्यनारायण चौधरी)

मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप किसी से मिले हुए हैं। आप भी मंत्री रहे हैं। आप भी समाज में हैं। आप भी राजनीतिज्ञ हैं। आप जानते हैं मंत्री का निर्णय, प्रशासन का निर्णय इधर-उधर हो सकता है। मैं डागा जी पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। लेकिन मैं इतना चाहूंगा कि वह जो सहयोग दे वह पोजिटिव होना चाहिये।

दूसरी बात मैं निवेदन करूंगा, डागा साहब ने कहा कि 12 गांवों के लिये, बस्तियों के लिये सिफारिश लेकर . . .

श्री मूलचन्द डागा : मैं कभी सिफारिश लेकर नहीं आया। कोई सिफारिश लेकर नहीं आया पाण्डे जी और रतनलाल के खिलाफ . . . .

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मेरी पूरी बात तो खतम करने दीजिये।

मैं, अध्यक्ष महोदय, डागा साहब का कुछ मंतव्य नहीं समझ पाया। इन्होंने कहा कि अन्धाधुंध उद्योग कायम हो रहे हैं। क्या आप चाहते हैं कि पाली का औद्योगीकरण नहीं हो ?

श्री मूलचन्द डागा : It must be in a planned way. Please try to understand me. It should be in a planned way and not in a haphazard way.

औद्योगिक बस्तियों का, जब मैं चेयरमैन था, मनुभाई शाह ने उद्घाटन किया। बड़ी जमीनें लीं। आपके नेता लोगों ने 12 बस्तियां बसाईं।

श्री रघुनन्दन व्यास : 12 बस्तियां क्या जनता पार्टी की सरकार आने के बाद कुछ ले देकर बसाई गई? डागा जी स्पष्ट करें।

श्री मूलचन्द डागा : जी हां, आपकी सरकार आने के बाद।

श्री शोशराम श्रोला : माननीय अध्यक्ष महोदय, ये 24 घंटे हाउस को गुमराह करते रहे हैं। क्या ये जनता की भलाई करेंगे ? आपकी सरकार भी जनता की चुनी हुई सरकार है। कोई भी सरकार हो।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैंने शुरू में ही कह दिया था कि कांग्रेस के जमाने में चाहे जो कुछ हुआ यह माननीय प्रश्न है। इसमें किसी का भी दोष रहा हो, चाहे पुरानी सरकार का रहा हो। चाहे मौजूदा सरकार पर आरोप लगावें यह मैं मानता हूं कि गरीबों के मकान गिर गये हैं। हम उन्हें देखने गये थे। हमने मना किया। शर्मा जी ने मना किया। हमें कोई आपत्ति नहीं। हम तो कहते हैं जो कुछ किया . . . .

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था दीजिये, क्या हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : जरूरत हो व्यवस्था देने की तो दूं न ?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 12 तारीख को इस पर विचार करेंगे। 17 से 20 तक जो कमिश्नर्स हैं इंडस्ट्रीज के, वे भी वहां आ जाय। मैं इस बात के लिय बहुत आतुर हूं कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट अधिक लगाने चाहिए। इसके अन्दर जो निजी उद्योगपति हैं उनका सहयोग चाहिए। इसलिये मैंने डागा साहब और माननीय शंकरलाल जी से सहयोग की अपेक्षा की थी

श्री मूलचन्द डागा : हमने 12 बस्तियों की योजना बनाई। जवाई बांध की रिपोर्ट आ चुकी है। 10 महीने से पहले भी मैं फाईट कर रहा हूं, माननीय मंत्री महोदय, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिये 11 क्यूसेक पानी पोसिबल नहीं हुआ। रुपये उनके पास है नहीं। जब 11 क्यूसेक पानी ही उपलब्ध नहीं है, तो कैसे होगा ? It is not possible यह रिपोर्ट है 1977

(श्री मूलचन्द डागा)

को है और आज हो गया सन् 1978। मैं वहां का रहने वाला हूं। आपकी भावना और आपके विचार सुन कर मैं प्रभावित हुआ, लेकिन मैं जानता हूं कि आपसे काम नहीं हो सकता है। आप केवल प्रोपेगंडा करने में होशियार हैं। विचार किया जा रहा है गम्भीर चिन्तन हो रहा है, इस तरह की बातें करने में आप होशियार हैं। वहां तो रोज फैक्ट्रीज लग रही हैं ईपहईजर्ड वे में।

श्री अध्यक्ष : यह रिपोर्ट कब की है?

श्री मूलचन्द डागा : 1977 की। अध्यक्ष महोदय, मुझे तो जो लिट्रेचर आपकी कृपा से यहां से मिल जाता है, उसे गौर से पढता हूं।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय, सहयोग की इच्छा रखते हैं।

(व्यवधान)

श्री एच. एन. शर्मा : 11 क्यूसेक्स पानी उपलब्ध करने की क्या योजना है?

श्री शंकरलाल : 12 तारीख की मीटिंग में डागा साहब को भी बुलालें।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : 12 तारीख को वाटर पोल्यूशन पर एक सेमीनार हो रहा है।

श्री मूलचन्द डागा : 13 तारीख का तो यहां हमें होम पर बहस करनी है। 12 तारीख को तो हमें उसके लिये तैयारी करनी होगी।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : तो आप मत आइये आपसे कौन कह रहा है कि आप आइये।

जहां तक इन्डस्ट्रियलाइजेशन का सवाल है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप किसी को सुनिये मत आप तो कह दीजिये।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : डागाजी अपने क्षेत्र में अगर इन्डस्ट्रियलाइजेशन के खिलाफ कुछ कह दें, तो उनके लिये मुसीबत हो जायगी।

श्री मूलचन्द डागा : मैं तो रोज कहता हूं।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मिनीवाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी बनते हैं, उस सम्बन्ध में भी हम विचार कर रहे हैं। सारी स्थिति देखकर आप भी अपने सुझाव दें।

श्री मूलचन्द डागा : 15 महीने पहले दे दिये। आपके कागजों में होंगे। पढ़ते तो हैं नहीं, भाषण दे देते हैं।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इनको कुछ शिष्टाचार तो सिखाइये।

श्री अध्यक्ष : आप मंत्री महोदय, इनको डोमीनेट करिये अपनी स्पीच से। Over come him.

श्री मदनसिंह दांता : Through proper arguments.

श्री अध्यक्ष : हम तो विपक्ष में बैठते तो आंखें बन्द करके लगाते थे।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : तो मैं निवेदन कर रहा था कि सरकार सचेत है और यथाशीघ्र इस पर कार्यवाही की जायेगी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब हो गया, माननीय सदस्य। माननीय मंत्री महोदय ने समाप्त कर दिया।

श्री हनवंतसिंह (पाली) : अध्यक्ष महोदय, काश्तकारों को बरबाद करके किसी नगर का औद्योगीकरण नहीं किया जा सकता मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आज पाली जिले के काश्तकार इस वाटर पोल्यूशन से इतने परेशान हैं, इतनी दिक्कत में है कि वह एक मिनट भी इन्तजार नहीं कर सकते। 12 तारीख को सरकार सेमीनार करवा रही है, उसके 8 महीने बाद निर्णय होगा और कार्यवाही होगी 12 महीने बाद। आज तक सरकार ने क्या कार्यवाही की? क्या यह बता सकते है?

श्री मूलचन्द डागा : Thankyou

श्री हनवंतसिंह : जब कभी इस सदन में यह प्रश्न आता है तो सरकार यह कह कर टाल देती है कि शीघ्र ही कार्यवाही की जायेगी लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होती। इसलिये सरकार निश्चित तारीख बता दे, अध्यक्ष महोदय, जिस तारीख तक इस समस्या का निश्चित रूप से समाधान हो जायेगा। यह एक व्यक्ति का प्रश्न नहीं है यह सम्पूर्ण जिले का और सम्पूर्ण मानवता का प्रश्न है। इस काम को टाला नहीं जा सकता मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि निश्चित समय और निश्चित तिथि बतादे कि कब तक इस समस्या का समाधान हो जायेगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं आपको दो मिनट दूंगा।

श्री समरथलाल : मैंने एक स्थगन प्रस्ताव पेश किया था, उसको आपने स्वीकार तो नहीं किया, लेकिन मुझे बोलने का मौका दे दिया, उसके लिये धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री समरथलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एस. डी.ओ. राजगढ़ का मुख्यालय अलवर के अन्दर है। इसके बारे में मैंने सरकार से विगत सत्रों में प्रश्न पूछे पहले सत्र में, अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। फिर मैंने अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहा। मैंने प्रश्न के जरिये इस सवाल को पहले सत्र में भी उठाया था कि एस. डी. ओ. राजगढ़ के मुख्यालय को अलवर में रखने का क्या कारण है। जवाब दिया कि राजगढ़ में भवन की व्यवस्था नहीं है। इसी सवाल को दूसरे सत्र में रखा तो जवाब मिला कि वित्तीय कारणों की वजह से हैडक्वार्टर राजगढ़ में नहीं रखा जा सकता। तीसरे सत्र में मैंने सवाल रखा तो सरकार की तरफ से राजस्व मंत्री जी ने उत्तर दिया कि प्रशासनिक कारणों की वजह से राजगढ़ में नहीं रख सकते। इस प्रकार तीन सत्रों में अलग अलग प्रकार के जवाब मिले। सवाल बिलकुल साधारण है कि राजगढ के एस. डी. ओ. के मुख्यालय को अलवर में क्यों रखा है, राजगढ में क्यों नहीं ?

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि राजगढ के एस. डी. ओ. के अन्तर्गत राजगढ की तीन तहसीलें आती हैं, राजगढ, लक्ष्मणगढ़ और थानागाजी। इन तीन तहसीलों की आबादी करीब 5 लाख है। पूरे अलवर जिले की आबादी 14 लाख है। उस आबादी के अन्दर चार एस. डी. ओज. आते हैं, बहरोड, किशनगढ़ अलवर और राजगढ़। राजगढ की 5 लाख की आबादी को छोड़कर बाकी तीनों एस. डी. ओज. के अन्तर्गत कुल मिलाकर 8 या 9 लाख आबादी आती है। तो एक तरफ तो अकेले एक एस डी. ओ की आबादी 5 लाख और दूसरी तरफ तीन एस. डी. ओज. की आबादी आठ नो लाख। तो अब कौन से प्रशासनिक कारण है कि राजगढ़ के एस. डी. ओ. का मुख्यालय राजगढ़ में न रखकर अलवर में रखा गया है ? अलवर तहसील खुद राजगढ में नहीं है। अलवर से राजगढ 47 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर राजगढ़ का अन्तिम गांव देखा जाये तो वहां पहुंचने के लिये अलवर से 125 किलोमीटर जाना पड़ता है। इसी प्रकार लक्ष्मणगढ़ तहसील के

(श्री समरथलाल)

गांव से अलवर जाने के लिये 60 किलोमीटर चलना पड़ता है। जो थानागाजी से 45 कि. मी. चलना पड़ता है। फिर क्या कारण है ? अध्यक्ष महोदय, राजगढ सब-डिविजन में तीन तहसीलें हैं। 5 लाख की पापूलेशन है। उसमें से ढाई पौने तीन लाख अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोग हैं। उनको कोई भी काम होता है तो वहां जाना पड़ता है। लक्ष्मणगढ और थानागाजी वालों को भी जाना पड़ता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक सवाल के, अध्यक्ष महोदय, तीन अलग-अलग उत्तर हैं। अध्यक्ष महोदय, आप ही विचार कर सकते हैं कि सरकार के सामने माननीय सदस्यों की क्या स्थिति है ?

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री समरथलाल : अध्यक्ष महोदय, इसी लिए मैंने यह निवेदन किया था इस सवाल के जवाब के मामले में कि इस समय जो माननीय मंत्री महोदय बैठे हैं, उनको जवाब देने की कोई क्षमता नहीं है। इसका जवाब मुख्य मंत्री ही दे सकते थे। माननीय मुख्य मंत्री जी निरन्तर अनुपस्थित रहते हैं। तो मेरा यह निवेदन है कि मुख्य मंत्री महोदय का उपस्थित रहना बहुत आवश्यक है।

व्यवस्था का प्रश्न

अनुत्तरित तारांकित प्रश्नों का लिखित उत्तर

श्री बजरंगलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय मैं व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था का प्रश्न ? अपने स्थान पर जायं।

श्री बजरंग लाल शर्मा : जी हां।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : You will excuse me. You understand everything. I am sorry to pull you up.

श्री बजरंगलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय मैं नियम 35 की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं :

"If any question placed on the list of questions for oral answer on any day is not called for answer within the time available for answering questions on that day, the Minister to whom the question is addressed shall forthwith lay on the Table a written reply to the question, and no oral reply shall be required to such question and no supplementary questions shall be asked in respect thereof."

I lay stress on the words "forthwith lay on the Table".

यह नियम है, अध्यक्ष महोदय। इस बात के लिए मंत्री को पाबन्द करें। यदि ओरल रिप्लाई नहीं हुआ है तो कन्सर्न्ड मंत्री महोदय ......

श्री अध्यक्ष : These are not questions for oral answers

श्री बजरंग लाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय मेरा निवेदन यह है कि मेरा क्वेश्चन सं. 1356 लिस्ट में था। मंत्री महोदय का दायित्व था कि तुरन्त उसका उत्तर वे हाउस के टेबल पर रखते।

श्री अध्यक्ष : आपको उत्तर नहीं प्राप्त हुआ ?

श्री बजरंगलाल शर्मा : नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष : आप मेरे चेम्बर में मिल लें।

श्री बजरंगलाल शर्मा : जहां तक मेरी जानकारी है, इस प्रश्न का उत्तर हाउस के टेबल पर नहीं रखा गया है ।

एक माननीय सदस्य : नियमों की परिपालना कतई नहीं होती है ।

श्री बजरंगलाल शर्मा : मेरा यह भी निवेदन है, 356 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है । उत्तर नहीं आता है तो मेरे अधिकार का हनन होता है । उस पर फिर हम हाफ एन आवर की चर्चा भी नहीं उठा सकते हैं । इसलिए मेरा यह निवेदन है कि तुरन्त नियमों की पालना कराने का निर्देश दें

श्री श्योसतसिंह मकासर : डिसक्वालिफाई।

श्री अध्यक्ष : क्वेश्चन टेबल नहीं किया है ? प्राइमाफेसी माननीय सदस्य ने आपत्ति उठाई है । वह चेम्बर में आकर मिल लें। तीनों ही माननीय सदस्य आकर मिल लेंगे तो इस बारे में बातचीत कर लूंगा । निष्पक्ष रूप से इस बारे में जो आवश्यक होगा, निर्णय लूंगा ।

श्री बजरंगलाल शर्मा : मंत्री महोदय, को दण्डित करने की व्यवस्था माननीय अध्यक्ष महोदय करें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं इस स्थिति में कमेण्ट नहीं दूंगा ।

मेजर श्री फतहसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके आदेश की अवहेलना नहीं करना चाहता हूं। इसकी आप व्यवस्था करेंगे कि उसका उत्तर हाउस के टेबल पर तत्काल रखा जाय ताकि हम उस पर चर्चा कर सकें । अन्यथा कोई व्यवस्था नहीं रहेगी ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, You cannot bind the Government to answer every question.

श्री ईश्वरचन्द्र : मैं यह निवेदन कर रहा हूं, अध्यक्ष महोदय एक बार प्रश्न को इन्क्लूड कर लेते हैं सूची में तो नियमों में यह मान्यता है । मैं आपका ध्यान 14-3-73 के एक निर्णय की ओर आकर्षित करता हूं जिसमें यह कहा है, 'मैंने सचिवालय को ऐसे निर्देश दे दिये हैं कि जिन प्रश्नों का उत्तर नहीं आये, वह उत्तर माननीय सदस्यों को भिजवा दिये जायें । अब अगर सरकार यह चाहे कि उत्तर नहीं दें तो क्योंकि प्रश्न सूची में शामिल कर लिया गया है इसलिए उत्तर आप दिला दीजिए ।

मेजर श्री फतहसिंह : जब तक यह नियम और प्रक्रिया पुस्तक में है, तब तक बाध्य कर सकते हैं । आप बाध्य करें कि वह उत्तर दें । So long as the rule remains.

श्री मदनसिंह दांता : उत्तर नहीं देने का कारण समय की कमी था ।

श्री अध्यक्ष : अब इसके ऊपर मैं एक शब्द नहीं कहूंगा ।

श्री मदनसिंह दांता : अध्यक्ष महोदय, एक बहुत ही बारीकी की बात कहना चाहता हूं । समय होता तो उत्तर देते, समय नहीं हो तो उत्तर तो देना चाहिए लिखित में

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपके अधिकारों की रक्षा मैं करूंगा जब तक मैं यहां पर हूं आपके अधिकारों की रक्षा नहीं होगी तो मेरे अधिकारों का हनन होगा । I will not tolerate it.

(व्यवधान)

श्री बजरंगलाल शर्मा : The rule requires that the minister should lay the auswer forthwith on the table of the House.

क्वेश्चन आवर और जीरो आवर समाप्त हुए दो घंटे हो गये, अभी तक उत्त

श्री बजरंगलाल शर्मा)

टेबल पर नहीं रखा गया। अपराध कम्पलीट हो चुका है। अपराधी को सजा देने का आपका अधिकार सुरक्षित है।

श्री अध्यक्ष : I can assure you that Sweet will of any individual shall not prevail contrary to the rules of the House.

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री टीकमचन्द कांत (जालोर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है, सिन्धी शरणार्थियों के बारे में। मैं अभी तीन दिन के लिए उनके शिविर में बाड़मेर होकर आया हूं। सात वर्ष से नागरिकता के जिस प्रश्न के लिए लड़ रहे थे, इस सदन में बैठने वाले माननीय सदस्य, सात वर्ष के बाद में यह दिन आया कि अब उनको भारतीय नागरिकता मिली हैं। यह हमारे दुर्भाग्य की बात है कि इस देश का बंटवारा हुआ, लेकिन वे लोग, जो इस देश को अपनी कर्मभूमि, पितृभूमि और मातृभूमि मानते हैं, उस युद्ध के समय में इस देश में आये। उन लोगों को कैम्प में बसाया गया। अध्यक्ष महोदय, उनको जितनी सहानुभूति मिलनी चाहिए थी, उनके जितना प्रेम मिलना चाहिए था, उनको साथ जो सोहार्दपूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए था, में अभी-तीन चार दिन पहले वहां गया था, वह उनको नहीं मिल रहा है। वहां का जो चीफ कैम्प कमाण्डेण्ट है उनकी नाराजगी की वजह से यह सब हो रहा है। उसके नाम से अध्यक्ष महोदय, एक-एक शरणार्थी के शरीर में सिहरन पैदा होती है, चीफ कैम्प कमाण्डेण्ट से एक एक व्यक्ति कांपता है, वहां पर सारे शरणार्थी आतंकित है। अध्यक्ष महोदय, उस चीफ कैम्प कमाण्डेण्ट को जल्दी से जल्दी वहां से हटाया जाय, यह मैं निवेदन करता हूं।

इसके साथ ही यह भी कहना चाहूंगा कि पहले जो चीफ कैम्प कमाण्डेन्ट था वह अच्छा आदमी था। वहां के लोग कहते हैं कि वह राजा अदमी था भगवान का आदमी था।

श्री श्योपतसिंह मकासर : राजा जैसा ?

श्री टीकमचन्द कान्त : मेरा मतलब है, राजा जैसा उदार दिल रखता था। अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार वहां पर चरम सीमा पर पहुंच गया है। मैं धनाऊ कैम्प में गया था, शरणार्थियों को वहां पर हर माह जो राशन दिया जाता है प्रत्येक परिवार को उसमें से अक्सर, मेरे पास जैसी कि शिकायतें आई हैं, प्रत्येक राशन कार्ड पर दो किलो अनाज कम दिया जाता है। वहां जो प्रभारी अधिकारी है वह काट लेता है। वहां तीन-सौ राशन कार्ड हैं तो 6बोरी उनके लिये बच जाती हैं। इस तरह से हर महीने वे कमाई करके ऊपर तक हिस्सा करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं वहां पर गया था, उस समय ठीक तोला गया मेरे कहने पर।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

लेकिन आज भी वहां पर इसी तरह से अनाज काट लिया जाता है। इसके अलावा प्रत्येक राशन कार्ड पर प्रत्येक शरणार्थी को कुछ पैसा भी मिलता है, एक निश्चित रकम उनको दी जाती है। उस रकम के अन्दर से भी प्रभारी अधिकारी, जो चौहटन का पुनर्वास तहसीलदार है दो रुपया काट लेता है। वहां पर एक अन्य प्रकार की व्यवस्था भी चल रही है जिससे कि लोगों की हाजिरी होती है, वह नहीं होनी चाहिए। हाजरी वहां ऐसे होती है जिस प्रकार से कैदियों की होती है। अगर किसी कारण से वे बाहर चले गये तो उनकी एबसेन्ट लगा दी जाती है। फिर उसे ठीक करने के लिए भ्रष्टाचार का सहारा लिया जाता है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह जनता पार्टी का राज आया जब से है।

श्री टीकमचन्द कान्त : यह किसी पार्टी के कारण से नहीं है, आफिसर के कारण है

(श्री टीकमचन्द कान्त)

यदि कोई आवश्यक कार्य हेतु बाहर चला जाय तो उसका नाम काट दिया जाता है और महीनों उसको राशन नहीं मिलता । अध्यक्ष महोदय, उनकी कमाई के लिये कोई साधन नहीं है। महीनों की अनुपस्थिति को ठीक करने हेतु बाद में उनसे रिश्वत मांगी जाती है । रिश्वत नहीं मिलती है तो उनका काम नहीं होता है । ऐसा होने के साथ-साथ भ्रष्टाचार के और भी कई तरीके हैं । एक व्यक्ति एक कैम्प से दूसरे केम्प में चला जाता , उसको अगर अपना नाम बदलवाना होता है तो सर्टिफिकेट के लिए 15 रुपये रिश्वत मांगी जाती है । सबसे बडी बात एक और वहां पर यह हुई, यह कहा गया कि राजस्थान नहर पर शरणार्थियों को बसाया जायगा, तीन हजार परिवार वहां पर बसाये जायेंगे । उनमें से सी परिवार भी अनुसूचित जाति के नहीं बसाये गये । राजस्थान नहर पर जो बसाये जाने वाले तीन हजार परिवार हैं अनुसूचित जाति के कम से कम हजार परिवार भी बसायें जाय ऐसा मैं निवेदन करना चाहता हूं ,अध्यक्ष महोदय,. . . .

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

शरणार्थियों की समस्याओं का कोई निराकरण नहीं हुआ है । वहां पर एक समिति बनी हुई है, जो आपकी नहीं, सरकार की नहीं, उन्हीं लोगों की है ? उसमें पांच एम. पी. और सात एम. एल. ए. है, उनको इन समस्याओं के निवारण में सम्मिलित किया जाना चाहिए, ताकि उनको राहत मिल सके ।

अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर शरणार्थी उस कैम्प कमाण्डर से मिलने जाते हैं तो उनको धक्का देकर बाहर निकाल दिया जाता है । ऐसे कैम्प कमाण्डर को जल्दी से जल्दी वहां से हटाया जाना चाहिए । अध्यक्ष महोदय, मेरे पास कल ही तार आया है । उन्होंने लिखा है कि शरणार्थी लोग उनसे मिलने गये तो उनको धक्का देकर बाहर निकाल दिया । ऐसे आफिसर को तुरन्त हटाया जाना चाहिए । अब तो उनको नागरिकता भी मिल चुकी हैं । उन्होंने लिखा है कि वे आन्दोलन करेंगे अब उनका यह अधिकार है । युद्ध के समय में उन्होंने देश की सहायता की है, सैनिकों का साथ दिया है और अब वे लोग अपना हक मांगते हैं तो उनको धक्का देकर बाहर निकाल दिया जाता है । मैं यह निवेदन करूंगा कि कैम्प कमाण्डर को फोरन वहां से हटाया जाय । एक सबसे बड़ी बात यह है कि 50-50 परिवार ऐसे हैं जो कि शरणार्थियों की परिभाषा में नहीं आते । दिसम्बर 71 और दिसम्बर 72 के बीच में जो परिवार आये थे, उनको ही विस्थापित माना जायगा यह तय हो चुका लेकिन उन 50-60 परिवारों को भी विस्थापित माना गया जो कि अनुचित है जो सभी शरणार्थियों को लाभ मिल रहा है वह उन पर युद्ध पीड़ित परिवारों को मिल रहा है क्यों ? इसके अलावा जो लाखों रुपयों का भ्रष्टाचार इन गैर शरणार्थी लोगों ने उस कैम्प कमाण्डर के साथ मिलकर किया है, मैं निवेदन करूंगा कि उसकी जांच की जाय ।

श्री नवलराय बच्चाणी (अजमेर पश्चिम): अध्यक्ष महोदय, दो मिनट मैं भी इस प्रस्ताव पर बोलना चाहता हूं । अप्रैल, 78 से शरणार्थियों को नागरिकता मिली है,

श्री अध्यक्ष : आपको कहना हो तो मेरे कक्ष में कह दीजिये ।

श्री नवलराय बच्चाणी : अध्यक्ष महोदय, केवल दो मिनट । इतनी देर में तो मैं कह भी देता ।

पुनर्वास के सम्बन्ध में कहूंगा । कैम्प में भी पुनर्वास के लोगों से मिला था । आफिसर से मेरी बात हुई थी । उन्होंने कहा कि हम जल्दी करेंगे । लेकिन अध्यक्ष महोदय, छः महीने हो गये हैं । वे लोग वहां पर सड़ रहे हैं, उनके बारे में कोई भी नीति नहीं बनाई गई है ।

(व्यवधान)

(श्री मंवलराय बच्चाणी)

उनमें से बहुत से लोग काश्तकार है, मजदूर हैं, व्यापारी हैं उनको बसाने की कोई भी योजना नहीं । मैं वहां का-चार वार दौरा कर चुका हूं। वहां पर जो सिंधी शरणार्थी समस्या निवारण समिति बनी हुई है उसका में सचिव हूं। अभी माई टीकम-चन्द कान्त साहब ने जो समस्या रखी उसके बारे में ही निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर कोई पुनर्वास नहीं हो रहा है। इसको शीघ्र किया जाना चाहिए जिससे जो खर्चा राशन पर लग रहा है वह कम हो। जो कैम्पों के बाहर लोग हैं और जिन्होंने आप्शन फार्म भरकर दिए हैं कि हम अमुक स्थान पर बसना चाहते हैं उनको वहां नहीं बसा कर जो बाड़मेर और जोधपुर में गोदाम और दुकान बनाए गए हैं, उनसे आग्रह किया जा रहा है कि आपको वहीं बसाया जाएगा। इसलिए जो उनकी समिति है उनके प्रतिनिधियों से बैठ कर पूरी योजना रखी जाए ताकि उनका पुनर्वास हो सके ।

श्री रघुनन्दन व्यास : एक मिनट

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्री मांगीलाल : मेरा प्रस्ताव है ।

श्री अध्यक्ष : मैं इजाजत नहीं देता।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इन्होंने 7 दिन पहले प्रस्ताव दिया था

श्री मांगीलाल : मैंने प्रस्ताव दिया है, मुझे आंकड़े मंगाकर दें . . . .

श्री अध्यक्ष : आंकड़े मंगा लेंगे ।

आधे घण्टे की चर्चा । श्री शंकरलाल

आधे घंटे की चर्चा

पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां

तारांकित प्रश्न संख्या 163

श्री शंकरलाल (जैतारण) : अध्यक्ष महोदय, मैंने 10 अक्टूबर को, प्रश्न संख्या 163 इस सदन में रखा था, उसके बारे में आधे घंटे की चर्चा के लिए आपसे निवेदन किया और आपने अनुमति प्रदान की, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैंने जिस प्रश्न को उठाया है वह राजस्थान की, 50 से भी अधिक पिछड़ी जातियों से संबंधित है। उनके लिए जनता पार्टी की सरकार ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम उनको नौकरियों में आरक्षण देंगे। नौकरियों में आरक्षण देना तो दूर रहा, लेकिन जो पिछली सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में ट्यूशन फीस माफ करने और सीमावर्ती क्षेत्रों में प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति देने का आश्वासन था जिसके लिए सदन में समाज कल्याण मंत्री ने स्वीकार किया था उससे ये पीछे हट गए। मैं जो तथ्य सदन में रखूंगा उससे सबको आश्चर्य होगा कि किस प्रकार समाज कल्याण विभाग की निकम्मी व अधिनायकवादी प्रवृत्ति चल रही है। किस प्रकार का घटाटोप का राज चल रहा है, आपाधापी चल रही है।

मैंने 28 मार्च को पूछा था: "क्या यह सही है कि राजस्थान में अनुसूचित जाति व जनजाति के अलावा अन्य पिछड़ी जातियों की सूची प्रकाशित की गई है? यदि हां तो उसकी प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें"। जवाब मिला, 'जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।" सूची मुझे दे दी। उसके विषय में निवेदन है कि वह गलत है। उसके बाद जो मेरा प्रश्न था, जो बहुत रेलेवंट है जिसके लिए मुझे आधे घंटे की चर्चा उठानी पड़ी, वह था "इन पिछड़ी जातियों को राज्य सरकार द्वारा क्या-क्या सुविधायें किन-किन विभागों द्वारा दिए जाने का प्रावधान है?' अध्यक्ष महोदय, इसका क्या उत्तर आया? यह 28-3-78 का उत्तर है इन "अन्य पिछड़ी जातियों के छात्र-छात्राओं को शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षा के सभी स्तरों पर ट्यूशन फीस पूरी तथा अन्य फी की आधी फीस की छूट है। इसके अतिरिक्त सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले अन्य पिछड़ी जातियों के छात्र व छात्राओं

(श्री शंकरलाल)

को समाज कल्याण विभाग द्वारा प्री-मेट्रिक छात्रवृत्ति भी दी जाती है ।"

यह 28-3-78 के प्रश्न का जवाब आ गया। इसके बाद में जब हमें मालूम हुआ कि इसकी पालना नहीं हो रही है तब मैंने मुख्य मंत्री, समाज कल्याण मंत्री व शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा। मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है, आज आपके सामने व्यवस्था के प्रश्न के जरिये मुख्य मंत्री के लिए माननीय सदस्य कह रहे थे, उन्होंने जवाब दिया कि आपका पत्र शिक्षा मंत्री के पास कार्यवाही के लिए भेज दिया गया। स्वयं उस पर हस्ताक्षर मुख्य मंत्री ने करके भेजा है :–

'प्रिय शंकरलाल जी,

मुझे आपका पत्र क्रमांक शून्य दिनांक 1-7-78 बाबत पिछड़ी जातियों के विद्यार्थियों को ट्यूशन फीस में छूट के संदर्भ में प्राप्त हुआ। मैं इसे माननीय शिक्षा मंत्रीजी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवा रहा हूं

भैरोंसिंह शेखावत

मुझे आश्चर्य है कि मुख्य मंत्री स्वयं जवाब दे रहे हैं लेकिन शिक्षा मंत्री की इतनी भी सद्भावना नहीं कि वह एक विधायक को स्वयं अपने हस्ताक्षरों से जवाब भेजें। उनके निजी सचिव जवाब भेजते हैं।

"श्री शंकरलाल, विधायक, जैतारण (पाली) का एक पत्र संलग्न है। इस पत्र के द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों से फीस वसूली जाती है जबकि वे फीस की देनदारी से मुक्त हैं। संभवतः इस संबंध में मंत्री महोदय की शिक्षा आयुक्त से भी प्रत्यक्षतः वार्ता हो चुकी है। मंत्री महोदय ने यह आदेश दिया है कि एक विज्ञप्ति विभाग द्वारा पुनः जारी की जावे ताकि सभी संबंधित अधिकारी इस संबंध में प्रचलित परिपत्र से सुपरिचित हो सकें। इस संबंध में जारी किए गए परिपत्र की एक प्रतिलिपि मंत्री महोदय के अवलोकनार्थ भी भेजी जावे।

आज्ञा से,
शिक्षा आयुक्त। घनश्याम शर्मा
निजी सचिव।

प्रतिलिपि श्री शंकरलाल विधायक, जैतारण।"

अध्यक्ष महोदय यह क्या सरकार है? प्रश्न था अन्य पिछड़ी जातियों का निजी सचिव गलत उत्तर दे रहे हैं। शिक्षा मंत्री के पास में उत्तर देने के लिए समय नहीं था, निजी सचिव ने उत्तर दिया। खैर। उसके बाद में एक और उत्तर मिला जो शिक्षा उप निदेशक समाज कल्याण विभाग द्वारा दिनांक 18-7-1978 को निदेशक प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर को लिखा गया है :–

"शिक्षा विभाग, राजस्थान के आदेश संख्या एफ-20/शिक्षा/11/51 दिनांक 25 जून 1956 द्वारा राज्य की अनुसूचित जाति, जन-जाति एवं अन्य पिछड़ी जाति के मूल निवासियों, जो आर्थिक कठिनाई में हों, को शिक्षा के सभी स्तर पर शैक्षणिक शुल्क से मुक्त रखा गया है किन्तु अनेक स्थानों से यह शिकायत प्राप्त होती है कि ऐसे विद्यार्थियों से भी शिक्षण शुल्क मांगा जाता है। अतः आपसे निवेदन है कि कृपया इस विषय में सभी शिक्षण संस्थाओं को यह आदेश दें कि इन जातियों के गरीब विद्यार्थियों से शिक्षण शुल्क नहीं वसूल किया जाय।"

इस पत्र की प्रतिलिपि मुझे भी भेजी है। 28-3-78 को जो उत्तर दिया उसमें है कि शिड्यूल्ड कास्ट व शिड्यूल्ड ट्राईब्स व अन्य पिछड़ी जातियों के छात्र-छात्राओं को शिक्षा विभाग द्वारा सभी स्तर पर ट्यूशन फीस की पूरी छूट है तब हमने प्रतिवेदन दिया मुख्य मंत्री व शिक्षा मंत्री को। जब उससे हल नहीं निकला तो मैंने 10 अक्टूबर

(श्री शंकरलाल)

को प्रश्न किया। उसका जवाब 28-3-78 के उत्तर से भिन्न है मैंने पूछा:

"क्या यह सही है कि विधान सभा के गत बजट सत्र में प्रश्न के लिखित उत्तर में यह बताया गया था कि अन्य पिछड़ी हुई जातियों के विद्यार्थियों को सरकार द्वारा ट्यूशन फीस माफ करने और सीमावर्ती इलाकों में पी मैट्रिकुलेट छात्रवृत्ति देने की सुविधा घोषित की हुई है ?" आप कहते है "जी हां।"

दूसरा भाग था : "क्या यह सही है कि राजस्थान अन्य पिछड़ी जाति महासभा की तरफ से इस आशय का प्रतिवेदन मुख्य मंत्री व समाज कल्याण मंत्रीजी को प्रेषित करने पर कि राज्य सरकार की घोषणा का पालन नहीं हो रहा है, समाज कल्याण विभाग द्वारा निदेशक, शिक्षा विभाग के नाम जो पत्र जारी किया गया उसमें पिछड़ी जातियों के गरीब विद्यार्थियों को यह सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया?" इसका उत्तर दिया, "जी हां।"

तीसरा भाग था : "इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा विधान सभा में दिए गए उत्तर व वास्तविक निर्देशों में भिन्नता क्यों है और कौनसी बात सही है ? गरीब विद्यार्थी किसे माना गया है ?" इसका उत्तर दिया, "भिन्नता नहीं है। अन्य पिछड़ी जातियों में गरीब उन विद्यार्थियों को माना गया है जिनके माता पिता की आय 600) रु. वार्षिक से कम हो।"

यह परिभाषा क्यों बनाई ? पहले आपने उत्तर ऐसा क्यों दिया ? अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं इस सरकार के ऊपर चार्ज लगाना चाहता हूं कि पिछड़ी हुई जातियां, जिनके लिए कि आपने यह कहा कि····

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अध्यक्ष महोदय, आधा घंटे की चर्चा है और अभी 15 मिनट भी नहीं हुए····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य दो और समर्थक हैं। एक और अन्य सदस्य आपके दल के बोलेंगे।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा बोलूंगा। दूसरे सदस्य इतना नहीं बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष : चर्चा आधा घंटे की ही होनी चाहिए।

श्री शंकरलाल : आधा घंटे में ही समाप्त कर देंगे।

श्री अध्यक्ष : एक-एक माननीय सदस्य आधा-आधा घंटा बोलेंगे तब तो अर्थ का अनर्थ है।

श्री शंकरलाल : दूसरे माननीय सदस्य इतना नहीं बोलेंगे। सारे फैक्ट्स एण्ड फिगर्स मैं रख देता हूं गवर्नमेंट का भी उत्तर इसी आधा-घंटे में आ जायेगा।

श्री माधवसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं बोलूंगा। इनको बोलने दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अगर आपको अपना टाइम देते हैं तो 5 मिनट और बोल लें।

श्री शंकरलाल : आधा घंटे की चर्चा का सवाल है। 20 मिनट में बोल लूंगा और 5 मिनट माननीय सदस्य 5 मिनट में मंत्री महोदय जवाब दे देंगे।

श्री अध्यक्ष : अगर आधा घंटे की चर्चा को 20 मिनट में समाप्त करते हैं तो सरकारी पक्ष का उत्तर भी आ जायेगा। ठीक है ?

श्री शंकरलाल : ठीक है।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, मैंने रूल 45 सब-रूल (5) में लेटर दिया है मुझे हक है इस पर बोलने का।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, यह समय नहीं जोड़ा जाये। इसको मेरे टाइम में से निकाल दिया जाये।

श्री शिवचरणसिंह : राजस्थान की 40 पर्सेन्ट आबादी का प्रश्न है उसका कैसे गला घोंट रहे हैं, यह सवाल है।

श्री मूलचन्द डागा : रूल 45 सब-रूल (5) है....

श्री अध्यक्ष : Let us not waste our time in looking into the rules.

श्री शंकरलाल : तो, अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके समक्ष रखा कि इनके उत्तर में किस प्रकार भिन्नता है। यह विशेषाधिकार का भी प्रश्न बनता है लेकिन इसका एक्सप्लेशन माननीय मंत्री महोदय से आ जायेगा उसके बारे में सदन विचार करेगा।

गलत जवाब दोनों दिए गए। फिर गरीब छात्रों की परिभाषा बदल दी। जो आर्डर 1956 का बताते हैं उसमें शिड्यूल्ड कास्टस, शिड्यूल्ड ट्राइब्स और अन्य बैकवर्ड क्लास सबके लिए बराबर की बात रखी गयी है।

एक बात और बताऊं। इनको यह भी पता नहीं है कि अन्य बैकवर्ड क्लास की लिस्ट जो इन्होंने दी थी 28-3-78 को वह उस समय ही संशोधित हो चुकी थी। वह भी सदन के विशेषाधिकार का हनन किया है। इन्होंने यह लिस्ट दी। इस प्रकार की गलत सूचना देते हैं 57 जातियों को बैकवर्ड बताया। अध्यक्ष महोदय, मिनिस्ट्री आफ लॉ एण्ड जस्टिस, गवर्नमेंट आफ इन्डिया का गजट नोटिफिकेशन हो गया। 27 जुलाई, 1977 से यह राजस्थान में इफेक्ट में आ गया Gazette of India Extraordinary published by Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Legislative Department) Government of India.

'This issues with the concurrence of the Government of Rajasthan in Social Welfare Department.

उसके अन्तर्गत 4 जो जातियां थीं जैसे धोबी है, ढोली है, नायक है, धानका और बावरी है इनको शिड्यूल्ड कास्ट्स में ले लिया। 28-3-78 को समाज कल्याण मंत्री ने जो सूची दी है उसमें यह जातियां भी शामिल हैं। पिछड़ी हुई जातियों के बारे में न तो सही उत्तर है और न सही जवाब है। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं निवेदन करूँगा कि आप इसके बारे में सरकार को ताड़ना ही नहीं दें बल्कि इनसे सही उत्तर भी प्राप्त करायें। जो अन्य बैकवर्ड क्लासेज के लिए सुविधायें हैं उनके बारे में 28-3-78 को जवाब दिया। हमने महासंघ की ओर से सबको उत्तर दे दिया कि गवर्नमेंट का ऐसा उत्तर आ गया। छात्र कहने लगे कि गवर्नमेंट का उत्तर है। फिर यह बात बदल देते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। श्री शिवचरणसिंह जी इसके बारे में कहेंगे लेकिन आपके सामने बात आ गयी कि किस प्रकार की गलतियां हो रही हैं। यह अकर्मण्य सरकार है।

श्री मदनसिंह दांता : बीच में मैं बोलना तो नहीं चाहता। इसकी परिभाषा यह होनी चाहिए कि जो इन्कम टैक्स पेई हैं इसमें वह इनक्लूडेड है।

श्री अध्यक्ष : नयी सरकार है शायद कोआर्डिनेशन कम है।

श्री शिवचरणसिंह (बयाना) : संविधान में अंदर बैकवर्ड क्लासेज को संरक्षण

(श्री शिवचरणसिंह)

दिया है । संविधान की मूल भावना के विपरीत किस प्रकार उनको उससे वंचित रखा है उस पर मेरे पूर्व वक्ता ने प्रकाश डाला है । हमारे संविधान में शिड्यूल्ड कास्ट्स और बैकवर्ड क्लासेस की अनुसूची बनी हुई है, राजस्थान में भी लिस्ट बनी हुई है । अध्यक्ष महोदय, पिछली बार जब मुख्य मंत्री जी नहीं थे तो एडजोर्नमेंट मोशन के जरिये अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए मैंने प्रश्न किया था तो मुख्य मंत्रीजी की जगह केदारजी ने यह उत्तर दिया था कि उनको संरक्षण देने के बारे में जो हमारे मेनीफेस्टो में कमिटमेंट है उसके बारे में हम विचार कर रहे हैं । मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि जब वोटों की जरूरत थी उस समय राजस्थान या हिन्दुस्तान में 20 पर्सेंट बैकवर्ड क्लासेज के लोगों को धोखा दिया और भ्रम में डालकर भूतपूर्व सरकार के खिलाफ वोट लिए । अदर बैकवर्ड क्लासेज के लोगों को केवल मात्र उत्तर प्रदेश और बिहार के अन्दर संरक्षण दिया है लेकिन राजस्थान की इस निकम्मी सरकार ने बैकवर्ड क्लासेज लोगों के साथ वायदा खिलाफी की है । उनके बारे में विचार नहीं किया श्री केदार जी ने कहा, मुख्य मंत्री जी से मिलकर उन्होंने आश्वासन दिया कि आल इन्डिया बेसिस पर एक कमेटी अपाइन्ट की गयी है । उसका निर्णय होने के बाद आल इन्डिया बेसिस पर कमीशन का गठन किया जा रहा है । लेकिन राज्य सरकार ने कोई परवाह नहीं की । संविधान के तहत पुराने जमाने में अजमेर राज्य था और राजस्थान अलग था । अजमेर और राजस्थान के अन्दर अन्दर बैकवर्ड क्लासेज की लिस्ट है उसके अन्दर एक सुविधा दी थी कि बैकवर्ड क्लासेज के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क शिक्षा होगी मैट्रिकुलेशन तक और जो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहां यह सुविधा होगी । शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिडयूल्ड ट्राइब्स और बैकवर्ड क्लासेज को एक प्रकार की सुविधा थी लेकिन सरकार की घोषणा के बाद निर्णय और डिपार्टमेन्टल आर्डर्स के बावजूद जो बैकवर्ड क्लासेज के लोग हैं जिसमें अनेक जातियों के लोग हैं; अजमेर की लिस्ट है और राजस्थान की लिस्ट है उनको शिक्षा से भी वंचित रखा गया । कई चिट्ठी पत्री और जवाब के बाद आप इस निर्णय पर आये होंगे कि जो सोशली और एजूकेशनली बैकवर्ड है, जिनकी हालत खराब है और जिनका कान्सटीटयूशनल राइट है उनको किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाय । इस सरकार ने शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को तो इग्नोर किया ही है बैकवर्ड को भी कर दिया । यह 5 पर्सेंट हिन्दुस्तान के समाज का जो मक्खन है वह सरकार बना कर बैठे हैं । कैसे काम चलेगा ? 25 पर्सेंट शिड्यूल्ड कास्टस गये, 15 पर्सेंट ट्राइब्स के गये तो 40 पर्सेंट की तो यह आबादी गयी और 40 पर्सेंट बैकवर्ड क्लास के गये, इस तरह से 80 पर्सेंट आबादी को मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया है, उनकी कोई परवाह नहीं की । यह सब इनके एक्शन से पता चलता है । हर एक्शन इनका इनके वायदे के खिलाफ है ।

अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं शिड्यूल्ड ट्राइब्स के इलाके के हैं, आपको अनुभव होगा कि उनकी क्या परिस्थिति है ? उनके बच्चों की शैक्षणिक और अन्य सुविधाओं के बारे में क्या स्थिति है? बैकवर्ड क्लास का इश्यू उठाया तो इस सरकार ने केवल मात्र मुख्य मंत्रीजीसेमिलने के बाद एक आश्वासन दिया और चिट्ठी भी लिखी उन्होंने जितने भी एम एल. ए. बैठे हैं मैं उनको मुर्दे की संज्ञा देता हूं । इन्होंने घोषणा-पत्र में कहा कि आप हम को वोट दो हम आपको संरक्षण देंगे....

श्री माधोसिंह कछवाह : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय सदस्य ने शब्द यूज किया है कि यहां बैठे हैं उनको मुर्दे की संज्ञा देता हूं इन शब्दों को कार्यवाही से निकाला जावे

श्री शिवचरणसिंह : जो काम नहीं करेंगे वह मुर्दे से भी बदतर है। आपने मेनीफेस्टो में लिखा है

श्री अध्यक्ष : मैं प्रासीडिंग्स को देखूंगा।

श्री शिवचरणसिंह : आपको अधिकार नहीं है बैठने का। आपने जो घोषणा की अगर उसको पूरा नहीं कर सकते तो आप मुर्दा ही नहीं, निकम्मे हैं।

(व्यवधान)

श्री माधोसिंह कछवाह : आप भी सरकार में रह चुके हैं, आप मंत्री भी थे।

श्री शिवचरणसिंह : आपके दिमाग में जो हौआ है मैं उसको भगा दूंगा। आपकी पार्टी ने बैकवर्ड क्लास के लोगों को धोखा दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री की तरह बैकवर्ड क्लास के लोगों को संरक्षण दो। सरकार को आप ताड़ना दो। संविधान के अन्दर जो संरक्षण मौजूद है, भूतपूर्व सरकार के जो निर्णय हैं, आपका कमिटमेंट है, आपने उसको पूरा नहीं किया। यू.पी. ने किया, पंजाब ने किया, हरियाणा ने किया और काश्मीर में और दूसरे प्रांतों में हो गया। आपमें हिम्मत नहीं है। बैकवर्ड क्लासेज के प्रति मोह नहीं है। क्या आप चाहते हैं कि शिड्यूल्ड कास्ट्स, ट्राइब्स और बैकवर्ड क्लासेज मुर्दे की तरह पड़ी रहें, आप हलुआ खाकर राज करते चले जायें। यह लाटरी निकल आई, आप आ गये। जब कमाओगे, तब पता चलेगा....

(व्यवधान)

हिम्मत करके माननीय केदार जी ने जिस प्रकार घोषणा की उसी प्रकार घोषणा करें।

श्रीमती विद्या पाठक (राज्य मंत्री, समाज कल्याण) : अध्यक्ष महोदय, सदन में जो बातें उठाई गई हैं, उसके संबंध में संभवतः माननीय सदस्य के पास उसका इतिहास न हो। मैं संक्षिप्त में इस बारे में बताना चाहती हूं। 1960 में स्टेट सोशल वेलफेयर बोर्ड मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई दिल्ली में। 1961 में चीफ मिनिस्टर्स कान्फ्रेन्स हुई दिल्ली में। स्टेट स्टडी टीम की सिफारिश अंदर बैकवर्ड क्लासेज के बारे में सेन्टर में गई। इन तीनों की सिफारिशों पर, अध्यक्ष महोदय, होम मिनिस्टर दिल्ली ने आदेश प्रसारित किये....

'Caste cannot be the Criteria for definition of backward classes."

इस तरह का आदेश प्रसारित किया गया।

श्री श्योपतसिंह मकासर : कितनी तारीख को ?

श्रीमती विद्या पाठक : यह है 1961 का।

श्री शंकरलाल : और आपने जवाब दिया ...

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि स्टेट के टाइम में अजमेर में जो व्यवस्था थी उसको सुपरसीड करते हुए '56 में एजूकेशन डिपार्टमेंट ने एक आदेश प्रसारित किया। बैकवर्ड क्लासेज के सभी स्टूडेन्ट्स को एक्जेम्प्टेड माना जाये।
"Bonafide students are fully exempted from tuition fee at all stages of education."
इस तरह के आदेश प्रसारित किये गये थे। इसके ही कन्टीन्यूएशन में, अध्यक्ष महोदय, शिक्षा विभाग की ओर से 25-6-56 के अनुसार 1962 में इस तरह के आदेश प्रसारित किये गये। राजस्थान मंत्रिमंडल ने 1961-62 में यह निर्णय लिया। यह निर्णय है 1961 का। यह आदेश प्रसारित किये गये कि 600 से वार्षिक आय जिनकी कम है उनको बैकवर्ड क्लासेज के बैनिफिट्स दिये जायें। वह सम्भवतः इस आइडिया से

(श्रीमती विद्या पाठक)

किया गया है कि उनकी फाइनेन्शियल पोजिशन टाइट रहती है। सबको सुविधायें देना सम्भव नहीं होता है इसलिए लोएस्ट क्लास के प्रायोरिटी में आयें उसी को सुविधा दी जानी चाहिए। आज पोजिशन यह है, अध्यक्ष महोदय, शिक्षा विभाग की ओर से 1969 में जो आदेश प्रसारित किये गये हैं उनमें, सारे स्टूडेन्ट्स, किसी एजूकेशनल स्टेज में हों, ट्यूशन फीस एक्जेम्पटेड है। बोइज फण्ड फीस में 50 प्रतिशत का कन्सेशन है। जुलाई में जो फीस ली जाती है वह इन सभी बैकवर्ड क्लासेज से अक्टूबर में ली जाती है ताकि उनको जो स्टाइपन्ड मिलने वाला है वह मिल जाय और वे टाइमली फीस दे सकें। 2 वर्ष तक जो फेल हो जाय उसका एक साल के लिये बेनिफिट सस्पेन्ड कर दिया जाता है। इस तरह के आदेश शिक्षा विभाग ने पहले भी जारी किये। इसका रिमाइन्डर 21-10-78 को प्रसारित किया गया है कि टोटल इम्पलीमेंटेशन एनश्योर करेंगे। फिर से आदेश प्रसारित किये गये हैं। इसके अतिरिक्त समाज कल्याण विभाग की ओर से, अध्यक्ष महोदय, प्री. मैट्रिक स्कालरशिप सभी बोर्डर एरिया में पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों को दी जाती है। जहां तक माननीय सदस्य ने कहा कि तीनों जवाबों में कन्ट्रोवर्सी थी, इसमें कोई कन्ट्रोवर्सी मुझे नजर नहीं आती। पूर्व के इतिहास की जानकारी न होने से सम्भवतः ऐसा हुआ हो।

श्री शंकरलाल : जो जवाब दिया है, उसमें कहां लिखा है 600 से कम आय वालों को एक्जेम्पशन दिया जायगा? इसमें कहां लिखा है...

(2.48 म. प.)

(श्री रामचन्द्र उपाध्यक्ष, पीठासीन)

श्रीमती विद्यापाठक : फाइनेन्शियली जो सबसे ज्यादा लोएस्ट है...

श्री शंकरलाल : आपने गलत जवाब दिया है। आपने विशेषाधिकार का हनन किया है। गलत जवाब दे रही हैं। दूसरी अन्य पिछड़ी जातियों के सभी बच्चों को शिक्षा विभाग द्वारा ट्यूशन फीस में एक्जेम्पशन दिया जायगा। यह इसमें कहां लिखा है। यह बाद में आपने 10-10 को लिखा है। आप यह तो मानिये कि गलत जवाब दिया है।

श्रीमती विद्या पाठक : आप सुन तो लीजिये। यह एजूकेशन डिपार्टमेंट का जो नोटिफिकेशन है, सभी विद्यार्थियों के लिये है।

श्री शिवचरण सिंह : आप गजट नोटिफिकेशन पढ़ लीजिये।

श्री शंकरलाल : तीनों का लिखा हुआ है। मैं पढ़ कर सुनाता हूं--

"In supersation of this office order of even number dated the 17th July 1951 His Highness the Rajpramukh has been pleased to order that bonafide students of the scheduled castes, scheduled tribes and other backward classes....

तीनों के बारे में है। आप छुपा रही हैं। फिर 28-3-78 को जो जवाब दिया है। आप मानों तो सही कि आपने गलत उत्तर दिया है। यह सदन का अपमान है..

श्रीमती विद्या पाठक : मैं यह बात कह रही थी कि एजूकेशन डिपार्टमेंट को रिमाइण्डर भेजा गया है...

(व्यवधान)

मेरी बात तो पूरी नहीं सुनते हैं..

श्री शंकरलाल : आप तो यह बता दें कि 28-3-78 को प्रश्न संख्या 546 का जो जवाब दिया था क्या वह सही था?

(व्यवधान)

श्रीमती विद्या पाठक : आप मेरी बात सुनने की तो कृपा करें ।

श्री उदाराम हटीला (नौखा) : यह क्या बीच-बीच में बोलते हैं । जवाब सुनना ही नहीं चाहते हैं । काम की बात तो सुनना ही नहीं चाहते हैं ।

(व्यवधान)

आप लोगों ने हरिजनों को बहुत बेवकूफ बनाया है । मैं भी हरिजन हूं, मैं जानता हूं कि आपने क्या किया था ?

श्री शंकरलाल : यह आपके समझ के बाहर की बात है ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शंकरलालजी, माननीय मंत्री महोदय को अपनी बात समाप्त करने दें ।

(व्यवधान)

श्री उदाराम हटीला : बड़े हरिजनों के हिमायती बनते हैं । इनकी हिम्मत तो देखो ।

श्री शंकरलाल : यह आपके समझ की बात नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : ओन ए पोइन्ट आफ आर्डर....

(व्यवधान)

मेरा पोइन्ट आफ आर्डर यह है कि सदन के अन्दर कोई भी व्यक्ति, जो सत्ता पक्ष का मिनिस्टर है, अगर चला-चला करके गलत जवाब देता है, उसका एलान यहां पर कर देता है तो हम यहां पर हरिजनों की ठेकेदारी तो नहीं करते लेकिन वह जवाब प्रचारित हो जाता है कि यह जवाब है, उसके बाद फिर दूसरा जवाब दिया जाता है तो यह प्रिविलेज का सवाल बन जाता है । इसको लाइटली मत लीजिए, मंत्री महोदय । बार-बार सदस्य महोदय कह रहे हैं कि यह आदेश है उसके विपरीत आदेश दिया गया है । इसके आधार पर हां या ना कहिए । आपकी तरफ से गलत जवाब आ गया है तो वैसा कह दें, क्षमा मांग लें ।

श्री शिवचरणसिंह : हम तो क्षमा याचना के इच्छुक नहीं हैं । हम तो बेकवर्ड क्लास की फैसेलिटी के इच्छुक हैं । जो क्राइटेरिया है, जो नियम बने हुए हैं, आप जो हुक्म दे रहे हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है । आपने हुक्म अभी भेजा है ।

श्री उपाध्यक्ष : आप कृपया विराजिये ।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो आर्डर दिया हुआ है...

श्री उपाध्यक्ष : शायद स्पष्टीकरण भी दे सकती हैं । आप सुनें तो सही ।

श्रीमती विद्या पाठक : यह आदेश दिया हुआ है, शिक्षा विभाग से यदि किसी अन्य विभाग से भी आदेश दिया जाय और उसमें कहीं लेप्स रह जाता है तो उसकी जानकारी दी जा सकती है, उस पर कार्यवाही की जा सकती है । इसके अतिरिक्त, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी .....

श्री श्योपतसिंह मकासर : Don't dictate please.

श्री उपाध्यक्ष : सुझाव दे सकते हैं ।

(व्यवधान)

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले बताया और यह निवेदन किया जब कोई लेप्स रह जाता है तो उस पर कार्यवाही की जा सकती है । ट्यूशन फीस माफ है सभी बैकवर्ड क्लासेज की । इसके साथ ही बॉयज फण्ड मे भी सभी जगह

(श्रीमती विद्यापाठक)

कन्सेशन है। इसके अतिरिक्त दो साल तक जो फेल हो जाता है इम्तिहान में उसका बेनीफिट एक साल के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। बोर्डर एरियाज में पूर्व-मैट्रिक स्कालरशिप भी दी जाती है....।

श्री मदनसिंह दांता: यह अंकित हो गया है, माननीय मंत्री महोदया। यह गलत हो गया तो आप फिर देख लीजिए।

श्री शंकरलाल : जो आपने उत्तर दिया है वह क्या स्टेण्ड रहेगा ?

श्रीमती विद्या पाठक : ट्यूशन फीस सभी बेकवर्ड क्लासेज छात्रों की माफ है।

श्री शिववरणसिंह : बहुत-बहुत धन्यवाद

श्री शंकरलाल : इसका मतलब यह हुआ कि बाद में जो 10 अक्टूबर को जवाब दिया है वह गलत था, पहले वाला सही था ? 10 अक्टूबर का जवाब गलत था ?

श्रीमती विद्या पाठक : 10 अक्टूबर का जवाब पढ़ कर सुनाती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : कोई जरूरत नहीं है आपका उत्तर पर्याप्त है।

श्री शिववरण सिंह : हम तो आपके उत्तर से पूर्ण सतुष्ट हो ग! है

श्री मूलचन्द डागा : मैं तो केवल एक सवाल पूछना चाहता हूं। आर्टिकल 46 संविधान का और निर्देशक सिद्धान्त डायरेक्टिव प्रिन्सिपल आफ दी कांस्टीट्यूशन है उसमें बैकवर्ड वर्ड है। आपकी जनता पार्टी की सरकार ने वीकर सेक्शन के लिए, उनकी विषमता, उनकी डिसपेरिटी को कम करने के लिए वीकर सेक्शन वर्ड लिखा है आर्टिकल 46 में वह बैकवर्ड वर्ड एक है। Specially for weaker sections.

श्री रघुनंदन व्यास : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर। माननीय डागाजी अब कौन से पोइन्ट पर बोल रहे हैं ? आधे घंटे की चर्चा तो समाप्त हो गई फिर किस पर बोल रहे हैं ?

श्री अब्दुल मजीज : अभी समाप्त कहां हुई है।

श्री मूलचन्द डागा : रूल 49 के सब रूल (5) मुझे क्वेश्चन पूछने का हक है। मैंने इन्टीमेशन दी है। आप हमें यह बताइये कि जो आपने लिस्ट दी है जो सूची है उसका आपने इवेल्यूएशन करा के उनके लिए कोई बजट अलग से प्रोवाइड किया है जिसके आधार पर उनकी आर्थिक उन्नति कर सकेंगे और उनको विकास करने का अवसर मिलेगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डागाजी, आधा घण्टे की चर्चा का बहुत लिमिटेड स्कोप होता है।

श्री मूलचन्द डागा : Sir very limited scope.

श्री उपाध्यक्ष : आप बहुत सी बातें उठा रहे हैं उनका जवाब देना कैसे सम्भव है। आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं। इस चर्चा का बहुत लिमिटेड स्कोप है।

श्रीमती विद्या पाठक : आज आप डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स इवेल्यूएशन की बात करते हैं लेकिन जितना डेफिसिट बजट आपने छोड़ा था उसके अन्दर इतना स्कोप ही कहां है कि सब को दे सकें। कितना डेफिसिट बजट आपने छोड़ा था क्या यह भी मुझे आपको बताना पड़ेगा ? डेढ़ साल में कितना काम हो सकता है, यह भी भी आपको बताना पड़ेगा ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय, ने काफी कह दिया है, अब संतुष्ट हो जाइये।

(श्री उपाध्यक्ष)

सदन की मेज पर रखा जाने वाला पत्र

श्री दिग्विजयसिंह !

सदन को मेज पर रखा गया पत्र
प्रतिवेदन

श्री दिग्विजयसिंह (पंचायत मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं रिपोर्ट आफ दी कमेटी आन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की प्रति सदन की मेज पर रखता हूं ।

श्री सुखलाल सेणचा (रायपुर) : इस रिपोर्ट के हम कई महीनों से इन्तजार में थे । हम चाहेंगे कि आप इसका हिन्दी अनुवाद हमें दें । इसलिए कि गांवों में कुछ लोग इस रिपोर्ट को पढ़ना चाहेंगे और हम . . . .

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : यह इनवेलिड है । विधान सभा की भाषा हिन्दी है । यह भी निर्णय हो गया था कि इस पर डिस्कशन होगा लेकिन हिन्दी में इसका अनुवाद नहीं किया गया है । कई लोगों का अधिकार है वह बहस नहीं कर सकेंगे । इसका हिन्दी में ट्रान्सलेशन कराइये । तारीख आगे रखिये बहस करने की ।

श्री दिग्विजयसिंह : मैं डागाजी से निवेदन करता हूं, वे इतने बुद्धिमान हैं फिर भी आश्चर्य होता है कि इस तरह की बात कह रहे हैं । यह जो रिपोर्ट आई है, यह केन्द्र से आई है, यह इंगलिश में आई है । फिर भी माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए हमने इसका सार हिन्दी में ट्रांसलेट करा दिया है । जो माननीय सदस्य मौजूद हैं उनको मिल जाएगा, बाकी के घर पहुंचा दिया जाएगा ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डागाजी, मैं पूछना चाहता हूं, कृपया बतायें कि पहले भी गिरधारीलाल व्यास कमेटी की रिपोर्ट आई थी, क्या वह अंग्रेजी में थी या हिन्दी में थी ?

श्री सुखलाल सेणचा : हाउस में पेश नहीं हुई थी ।

श्री उपाध्यक्ष : राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के आय-व्ययक पर चर्चा ।

शासकीय प्रस्ताव

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के आय-व्ययक अनुमान 1978–79 पर विचार

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (विद्युत मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान राज्य विद्युत मंडल के आय-व्ययक अनुमान 1978-79 पर विचार किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : विद्युत मंत्री जी, क्या आप प्रारंभिक चर्चा के रूप में इस पर बोलना पसन्द करेंगे ।

श्री मूलचन्द डागा : यह क्या नई परम्परा है । हम पहले अपनी बात कह लें उसके बाद आप अपना उत्तर दें ।

श्री उपाध्यक्ष : इनको अधिकार है प्रारंभिक चर्चा करने का । ये कह सकते हैं ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर । अभी तक राजस्थान राज्य विद्युत मंडल के आय-व्ययक पर विचार नहीं हुआ है । बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने तय किया है वह यह नहीं है कि इसका बजट पेश कर दिया जाए । इसका सारे का अवलोकन करने के लिहाज से, इस सारी व्यवस्था के बारे में विचार करने के लिए यह विषय यहां पर रखा गया है, इसलिए इस पर माननीय मंत्री महोदय को इन्ट्रोडक्ट्री स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है । इसका दायरा कोई लिमिटेड नहीं है । इस तरह की व्यवस्था है जैसे अकाल राहत के बारे में चर्चा हुई थी उसी तरह से इस सवाल के ऊपर बहस रखी गई है । इसका मकसद यही है ।

श्री शंकरलाल : माननीय उपाध्यक्ष, माननीय श्योपतसिंह जी ने जो कहा है, वह सही है। आज जो विषय है वह 78-79 की रिपोर्ट पर ही विचार करने का है। वह रिपोर्ट हमारे सामने है। इस पर चर्चा पहले हो जाए उसके बाद, चर्चा के बाद माननीय मंत्री जी बोलें, उत्तर दें तो अच्छा होगा। यह परम्परा नहीं है। आप हाऊस की प्रोसिडिंग्स उठा कर देख लीजिए....

श्री कौशल किशोर जैन : उपाध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दे दी है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं यह मानता हूं कि जो प्रस्तावकर्त्ता है वह प्रारंभिक चर्चा भी उठा सकते हैं। यह उनका अधिकार है। मंत्री जी संक्षेप में कह देंगे, ऐसी क्या बात है ?

श्री शंकरलाल : यह जरूरी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे यह बताया गया है कि वे बोलना चाहेंगे।

श्री शंकरलाल : पहले हम को सुन लिया जाए।

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह बोलना चाहेंगे तो हम स्वागत करेंगे। परन्तु इनके काम बोल रहे हैं। हम इनके काम बताना चाहते हैं। ये बड़ा मधुर बोलते हैं। परन्तु बाहर इनके काम बोल रहे हैं। पहले हम बोल लें तब ये जवाब दें, हम को कोई परेशानी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : ये कहना चाहते हैं, कहने दें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (विद्युत मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष, मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बजट से संबंधित कुछ सेलियेन्ट फीचर रखने की अनुमति दी है। आपने चाहा है कि माननीय सदस्यों को कुछ जानकारी दूं। वे चाहेंगे कि इस विषय पर वार्तालाप करें। मैं उनके सुझावों का स्वागत करता हूं न केवल इस बजट पर किन्तु यदि वे पहले की रिपोर्ट पर भी कहना चाहेंगे और विद्युत् मंडल की गतिविधियों पर, उसके कार्य करने की दृष्टि से कोई अमूल्य सुझाव देंगे तो मैं उनका हृदय से स्वागत करूंगा, न केवल स्वागत ही करूंगा निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि उनके सुझावों को कार्यान्वित करने की दृष्टि से राजस्थान सरकार पूरा-पूरा प्रयास करेगी।

माननीय उपाध्यक्ष, विद्युत् की अधिकाधिक मांग को महसूस करते हुए राज्य सरकार ने पावर क्षेत्र में निधि के आंवटन में वृद्धि का निर्णय लिया। विद्युत् विकास कार्य में 1978-79 में कुल अनुमानित व्यय 101 करोड रुपये तक बढ़ाया गया है। जो वर्ष 1977-78 के मूल अनुमान व्यय से 83.6 प्रतिशत ज्यादा है और 1976-77 में जो हमारी पुरानी सरकार का अन्तिम कार्यकाल था उससे यह 92.97 प्रतिशत अधिक है राज्य सरकार एवं राज्य विद्युत् मंडल दोनों ही विद्युत् क्षेत्र के अधिकाधिक विकास हेतु अतिरिक्त वित्तीय साधन जुटाने में लगे हुए हैं। लम्बे अर्से से चली आ रही मांग को देखते हुए 11 के. वी. लाइन द्वारा बस्तियों को विद्युतीकृत करने के लिए 78-79 में विशेष रूप से 150 लाख रुपये का आंवटन किया गया है, जिससे 150 से 200 गांवों को विद्युतीकृत करना संभव हो सकेगा। लगभग 200 ऐसे गांव हैं जो लाइन के होते हुए छूट गये हैं उनको विद्युत कनेक्शन देना संभव होगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि पिछले साल जो गांव रह गये थे उनके लिए इस प्रकार की योजना है कि उन गांवों को बिजली मिले। पुरानी सरकार के कार्यकलाप को ठीक करने के लिए 150 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। हम चाहते हैं कि ये गांव रेगुलेराइज हो। उपाध्यक्ष महोदय, ग्राम समूह योजना के अन्दर......

श्री मूलचन्द डागा : आप अपनी उपलब्धि बतावें। We are not going to hear you.

कई माननीय सदस्य : यह तो प्रतिवेदन में से कह रहे हैं। यह प्रतिवेदन तो हमारे पास में है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं तो इसके सेलियेन्ट फीचर रख रहा हूं। आज चारों तरफ बिजली की मांग हो रही है। कई गांव छूट गये हैं उनको हम विद्युतीकृत करना चाहते हैं . . . .

(व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई : यह रिपोर्ट हमारे पास है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : इस रिपोर्ट में कुछ नहीं है। अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं।

श्री रतनलाल वर्मा : हल्ला करके मंत्री जी को नहीं बोलने दे रहे हैं। यह तो उचित नहीं।

श्री मूलचन्द डागा : इनका तो काम बोलेगा।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में सबसे अधिक विद्युतीकरण अगर कहीं हुआ है तो वह पाली जिले में हुआ है इसलिए डागा साहब को बोलने का अधिकार नहीं है। कांग्रेस राज्य में इनके जिले में अधिक बिजली लगी है।

(व्यवधान)

श्री खंगारसिंह (खारची) : उपाध्यक्ष महोदय, यह कहना सरासर गलत है कि पाली जिले मे अधिक विद्युतीकरण हुआ है

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, विराजिए।

श्री खंगारसिंह : उपाध्यक्ष महोदय यह सरासर गलत कह रहे हैं। इनकी रिपोर्ट गलत कह रही है....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय माथुर साहब।

(व्यवधान)

कृपया विराजिये। माननीय खंगारसिंह जी. कृपया विराजें। मैं आपको अभी अवसर नहीं दे रहा हूं बोलने के लिये। आप मेरी अनुमति से कहें।

श्री खंगारसिंह : मैं चुन कर आया हूं मुझे कहने का अधिकार है

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं आपको अवसर दूंगा।

(व्यवधान)

कृपया आप विराजें।

श्री मथुरादास माथुर (डीडवाना) : उपाध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एक्ट के सैक्शन 61 के नीचे स्टेटमेंट हमारे सामने पेश हुआ है। सदन में प्रस्ताव भी रखा गया है। इसके ऊपर इस सदन में चर्चा हो रही है। माननीय मंत्री महोदय प्रस्ताव के जरिए इनफारमेशन देने के रूप में कह सकते हैं। मगर कोई रिटन स्टेटमेंट नहीं पढ़ सकते हैं। यह बजट स्पीच नहीं है। वे इस पर चर्चा जरूर कर सकते हैं परन्तु रिटन स्टेटमेंट नही पढ़ सकते। मैं निवेदन करूंगा कि वे रिटन स्टेटमेन्ट न पढ़ें। अगर अपनी तरफ से कोई खुलासा करना चाहें ...

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं आपके सामने आपके माध्यम से 1977-78 का जो बजट रखा गया है उसके सेलियेन्ट फीचर रख रहा हूं। वक्तव्य देने का सवाल नहीं है।

150 लाख रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है। गांवों में बिजली पहुंचाई गई परन्तु पता नहीं कौनसे कारण थे, बीच में कई गांव छूट गये। हो सकता है राज-

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

नैतिक कारण रहे हों । इसकी चर्चा मैं नहीं करना चाहता । पर बजट में 150 लाख रुपये का प्रावधान हमने किया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो रेवेन्यू है 1976-77 में ये आंकड़े पढ़ने ही पड़ेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : यह आप देख सकते हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : 1976-77 में 67.52 करोड़ रुपये बजट में थे । 1977-78 में जनता पार्टी की सरका आनेके बाद 75.68 करोड हो गये जो 12.(.9 प्रतिशत ज्यादा है और ऐसी आकांक्षा है कि 1978-79 में 47.02 करोड रुपये और अधिक हो जाएं । इस बजट के जो सेलियेन्ट फीचर हैं वह मैं आपके ध्यान में लाऊं कि अब 1975-76 से 27.57 करोड़ रुपये ज्यादा हो गये हैं । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं कुवों में विद्युत् कनेक्शन का टार्गेट हमने तय किया था । गांवों में विद्युत कनेक्शन देने का टार्गेट तय किया था। पिछले वर्ष 1600 गांवों और 25000 कुओं को कनेक्शन देने की बात कही । अक्टूबर तक 5664 कुओं में नये कनेक्शन दिये जा चुके हैं। और केवल अक्टूबर में 2434 कुओं पर कनेक्शन दिये जा चुके हैं ,। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गत वर्ष की तुलना में जैसा मैंने आपको निवेदन किया यद्यपि पेंतीस पाइन्ट कुछ इस प्रकार के गांव हैं लेकिन पापूलेशन के आधार पर 46 प्रतिशत लोगों, जो गांवों में रहते हैं, को बिजली उपलब्ध करा दी गई है ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : यहो पिछले साल थी ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जी हां, 1976-77में जब 45 प्रतिशत की बढ़ोतरी करते हुए 14.03 करोड़ के लाभ से 36 ग्रामीण विद्युतीकरण की योजनाएं हमने स्वीकार की थी उनकी समापन अवधि में 1900 गांवों का विद्युतीकरण हो गया और 10650 कुओं का विद्युतीकरण हो गया। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं इसी प्रकार पिछले वर्ष 32 लाख रुपये हरिजन बस्तियों के लिये अलाट करे थे उन पर 34 लाख रुपये व्यय किये गये । हमने यह भी तय किया है कि जब कभी भी हरिजनों की एप्लीकेशन आएगी नगरपालिका के सर्टिफिकेट से सरपंच, ग्राम पंचायत के सर्टिफिकेट से, हम उनको राहत देने की कोशिश करेंगे । केवल 34 लाख ही नहीं 34 लाख से आगे बढ़ कर भी हम हरिजन बस्तियों को बिजली देना चाहेंगे। उपाध्यक्ष महोदय 1978-79 में 1 अप्रेल,1978 से 30 सितम्बर 1978 तक विभिन्न गांवों के सर्वेक्षण किया गया है । 2853 गांवों का सर्वेक्षण ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के द्वारा किया गया है । डी. पी. ए. पी. में 1100 गांवों का प्लानिंग विद्युतीकरण हेतु किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं जो आज कृषि पर काम करने वाले किसान भाई हैं उनको राहत देने के लिये जनता पार्टी की सरकार ने इस वर्ष और पिछले वर्ष बजट के आधार पर यह तय किया है । यद्यपि पहले ऐसा हुआ करता था बिजली लगाने की योजनाओं में 11 के.वी.की लाइन का सारा पैसा किसानों से लिया जाता था, किन्तु जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हमनेप्रावधान किया है कि ऐसा व्यय 200 मीटर तक हम वहन करेंगे । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज इस प्रकार की योजना थी जो भी किसान भाई, जो भी व्यक्ति इस प्रकार का कनेक्शन लगवाने के लिये आते थे उनसे पैसे 7 हजार तक अग्रिम जमा करवाये जाते थे लेकिन जनता पार्टी की सरकार ने तय कर दिया है कि यह अग्रिम लेना समाप्त करेंगे । जो तकनीकी आधार पर स्वीकृत नहीं हो सकती थी उसके लिये बजट में हमने पैसे का प्रावधान किया है । मैं जानता हूं, मांग बहुत है । 37 हजार कुओं पर अभी लोगों को बिजली चाहिए। आप जानते हैं 25 हजार कुओं को बिजली देने की बात कही है । मैं कहना

Page No. 92

(92)

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभी पार्टियों के माननीय सदस्यों को कहना चाहता हूं।

(व्यवधान)

16 फरवरी से 30 सितम्बर के बीच में पहले यह होता था कि जब किसान कुओं पर बिजली लेते थे तो चार्जेज लिये जाते थे किन्तु अब हमने तय किया है कि 16 फरवरी से 30 सितम्बर के बीच में जो भी किसान बिजली लेंगे इस अवधि में जो भी खर्चा होगा वह बिजली मंडल देगा। तकनीकी आधार पर किसी भी कुएं के लिये ऐसा नहीं कहा जाएगा कि बिजली देने की व्यवस्था नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बाढग्रस्त क्षेत्रों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं . . .

श्री मूलचन्द डागा : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर। मेरा पाइन्ट आफ आर्डर यह है कि राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड 61 एक्ट के सेक्शन है वह यह कहता है कि आप फरवरी के महीने में . . . .

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं उसका जवाब दूंगा। मैं आपको डिटेल्स बता दूं उसके बाद में आप कहें।

श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमूं) : माननीय उपाध्यक्ष, इस संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां विद्युत मंत्रीजी ने विद्युत मंडल का बजट रखा उसी के बाद में जो सेलियेन्ट फीचर्स पर माननीय मंत्री को कहना था उस संदर्भ में वह कहना चाहिए, लेकिन जो रिपोर्ट आपने पेश की है उसका जो हिन्दी ट्रान्सलेशन है उसी को पढ़ कर सुनाने की बात कर रहे हैं। अगर कोई पाइंट हो, कानून की बात हो तो कहें। मेरे ख्याल से इस रिपोर्ट के बारे में ही कहना है तो चर्चा न करें। माननीय सदस्य कह दें और माननीय मंत्री महोदय उसका जवाब दे दें तो वह उचित होगा।

(व्यवधान)

इस रिपोर्ट के बारे में माननीय मंत्री महोदय विस्तृत जवाब देते हैं या पढ़ कर सुना देते हैं तो माननीय सदस्यों को कहने के लिए कुछ नहीं रहता है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि कितना समय और लगेगा ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : 5 मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : 5 मिनट में समाप्त कर दें।

(व्यवधान)

इस पर उन्होंने चर्चा आरम्भ कर दी है और उनको इसकी अनुमति दे दी है। वह 5 मिनट में ही समाप्त कर रहे हैं तो उनको समाप्त कर लेने दें।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : माननीय उपाध्यक्ष, इस संदर्भ में एक बात और कहना चाहता हूं कि सेलियेन्ट फीचर्स, प्रस्तावना पर आधा घंटे की चर्चा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य आधा घंटा विचार करेंगे तो, माननीय उपाध्यक्ष उनको भी इजाजत देना पड़ेगी।

श्री उपाध्यक्ष : यह आधा घंटे की चर्चा नहीं है।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : **प्रस्तावना** के रूप में माननीय मंत्रीजी यदि आधा घंटा लेते हैं, इस पर अपने विचार आधा घंटे से ज्यादा रख रहे हैं तो 5 मिनट में पूरा नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह स्थिति आये उस वक्त राय व्यक्त करें।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि किसी उपभोक्ता का किसी विद्युत की तस्करी या चोरी के सम्बन्ध में सम्बन्ध विच्छेद कर दिया जाय तो उससे उसका सम्बन्ध पुनः जोड़ने के लिए पैसा नहीं लिया जाता है। पहले उसको 200 रुपये प्रति अश्व शक्ति की दर से राशि जमा करानी होती थी। विद्युत–मण्डल ने यह तय किया है कि यदि वह मूल्यांकित राशि का भुगतान 30–6–78 तक कर दे तो उसका कनेक्शन फिर जारी कर दिया जाय, उसका विद्युत सम्बन्ध फिर जोड़ दिया जाय।

माननीय उपाध्यक्ष, इसके ....

श्री रामेश्वरदयाल यादव : माननीय उपाध्यक्ष, मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय जो पढ़ रहे हैं वह इस परिपत्र में से पढ़ रहे हैं। मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, आप प्रोसीडिंग्स का मुलाहिजा फर्मा लें। वह प्रस्तावना के रूप में कुछ भी कह सकते हैं लेकिन इसको पढ़ नहीं सकते।

(व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष, यह रिपोर्ट इसलिए दी है कि आपको जानकारी हो। मैं केवल इसीलिए बता रहा हूं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में नहीं आता है कि मैम्बर्स इतना आब्जेक्शन क्यों कर रहे हैं? अगर विद्युत मन्त्री ने बोर्ड फिगर्स बनाये हैं तो वह आंकड़े किस को बतायेंगे और किसका जवाब देंगे?

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : आपको कितने गांवों में बिजली चाहिए?

श्री रघुनन्दन व्यास : प्वाइंट आफ आर्डर, उपाध्यक्ष महोदय, ...

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बैठिये। चर्चा समाप्त हो जाय उसके बाद में पाइंट आफ आर्डर रेज करें।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : 5 मिनट और लूंगा।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : माननीय उपाध्यक्ष, प्वाइंट आफ आर्डर....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं आपको कह चुका हूं कि आप बीच में इन्ट्रप्ट न करें। आपको जो कुछ भी रेज करना है वह एक ही बार में रेज कर दें।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि अगर कोई माननीय सदस्य इस सदन में कोई व्यवस्था का प्रश्न उठाते हैं तो क्या आसन की ओर से उसको रोका जा सकता है?

श्री उपाध्यक्ष : रोका नहीं जा सकता है लेकिन अगर मैं यह महसूस करूं कि पाइंट आफ आर्डर जिस स्टेज पर उठाया गया है उस स्टेज पर वह पाइंट आफ आर्डर नहीं उठ सकता है तो मैं कह सकता हूं कि पाइंट आफ आर्डर रेज करने की यह स्टेज नहीं है।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : माननीय सदस्य अपनी भावनाओं से अवगत नहीं करा सकते?

Page No. 94

(94)

श्री उपाध्यक्ष : जैसे ही माननीय सदस्य अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहते हैं और पाइंट आफ आर्डर पेश करना चाहते हैं तो मैं समझ जाता हूं कि अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक भुगतान का सवाल है आप जानते हैं कि पिछली बार बैंक ने बोर्ड से असहयोग किया तो हमने जितने भी जूनियर इंजीनियर व असिस्टेन्ट इंजीनियर के कार्यालय हैं वहां पर बिलों के भुगतान जमा कराने की व्यवस्था की है। यह भी तय किया कि दूर के गांवों में रोकड़िया जाय, वह वहां पहले से ही तारीख दे दे और लोग बिल जमा करा दें। इसके कारण लोगों को राहत मिली है, बिलों के पैसा जमा कराने में हम बैंकों से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। कमीशन बढ़ाने की व्यवस्था थोड़ी बहुत होती है तो वह पूरी कर दी जा सकेगी। उसके लिए बैंकों से प्रयत्न किये जा रहे हैं।

जो रुग्ण इकाइयां हैं और उनके कनेक्शन बन्द कर दिये हैं, उनके लिए हमने आदेश दे दिये हैं बिजली फिर से चालू करने के लिए। हम उनके लिए 6 से 10 मासिक किश्तें बांध रहे हैं। हम चाहते हैं भगवान करे वे रुग्ण इकाइयां फिर से चालू हो जायं और बन्द इन्डस्ट्रीज़ चल सकें। इससे उनको राहत मिली है।

एक माननीय सदस्य : माननीय उपाध्यक्ष, आप हमारा समय खराब कर रहे हैं। आपकी यह रिपोर्ट पढ़ लेंगे। उसमें जो जानकारी दी है उसको देख लेंगे।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब तक कृषि उपभोक्ताओं से जमानत की राशि 40 रु० प्रति के० डब्ल्यू० ली जाती थी। इस प्रकार की स्थिति के लिए हमने कह दिया है कि उपभोक्ताओं को 40 रुपये प्रति के० डब्ल्यू० या इसके अंश की दर से अथवा पिछले वर्ष के औसत उपयोग की राशि के आधार पर जो राशि आती है इसमें जो भी अधिक होगी प्रतिभूति के रूप में जमा करानी पड़ेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की प्रायोरिटी को समाप्त कर दिया है। उनको दूसरों की तुलना में प्रायोरिटी पर लेकर कनेक्शन देने की बात करने की योजना है। इसमें इस प्रकार का प्रावधान किया जा सकता है कि बिजली पहुंचाने की जो योजना है वहां पर बिजली दे दी जानी चाहिए। पहले यह था कि जब तक वह टार्गेट पूरे नहीं होते हैं बिजली देने की सुविधा नहीं थी। विद्युत मण्डल ने तय किया कि जहां पर इस प्रकार की योजना चल रही है, और स्थानों को मांग पर नये कनेक्शन दिये जा सकते हैं, नये कुओं को दिये जा सकते हैं। जहां ट्रांसफार्मर्स हैं वहां नये कनेक्शन्स देने की व्यवस्था के नाते हमने यह किया है।

(व्यवधान)

मैं इसीलिए कहना चाहता हूं कि जैसा कि प्रारम्भ में कहा था, अब समय आ गया है कि गांव वालों को बिजली मिले और बहुत से लोगों को बिजली मुहैया हो। इस वर्ष प्रति व्यक्ति विद्युत का उपभोग 103 यूनिट राजस्थान में हो जायेगा। इन्हीं योजनाओं के आधार पर हमने यह बजट बनाया है और यह रिपोर्ट पेश की है। मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य अपने सुझाव दें, अपने

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

विचार बतायें और राज्य सरकार की जो क्षमता है उसके नाते से आगे बढ़े।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया शान्त रहें। माननीय रामरघुनाथजी पाइंट आफ आर्डर रेज कर रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : मैंने पहले कहा था....

श्री उपाध्यक्ष : पहले उनकी बात सुन लें फिर आप बोलें।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष, आप यह व्यवस्था दें कि माननीय सदस्य जो सुझाव दें और विचार प्रस्तुत करें उसके बाद माननीय मंत्री महोदय दुबारा बोलें तो जो कुछ भाषण अभी आपने दिया है इसको नहीं दोहरायें। अन्त में जो आपको कहना था वह आपने पहले ही कह दिया और सारा समय ले लिया। आप हमें बता दें कि जो कुछ अभी आप बोले हैं उसकी एक लाइन भी दुबारा नहीं बोलेंगे और सदन विचार करेगा उसका जवाब देंगे।

श्री मदनसिंह दांता : माननीय उपाध्यक्ष, माननीय सदस्य, जो इनकी बातों को समझ गये हैं, भी इन पर नहीं बोलेंगे।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : जो इन्होंने कहा है, वह सदन में हम नहीं बोलेंगे। सदन का समय क्यों बरबाद करते हैं?

श्री उपाध्यक्ष : यह प्रश्न तो हम तभी हल कर सकेंगे जब चर्चा उठायेंगे। माननीय मन्त्री महोदय आवश्यक समझेंगे तो चर्चा उठा सकेंगे।

व्यवस्था का प्रश्न

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का गत वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन सदन-पटल पर नहीं रखा जाना।

श्री मूलचन्द डागा : मेरा पाइण्ट आफ आर्डर है सब बजट खतम हो चुका है। सेक्शन 61 यह कहता है —

"(1) In February of each year the Board shall submit to the State Government a statement in the prescribed form of the estimated capital and revenue receipts and expenditures for the ensuing year.

(2) The said Statement shall include a Statement of the salaries of the Members, officers and servants of the Board and of such other particulars as may be prescribed.

(3) The State Government shall as soon as may be after the receipt of the said statement." यह नवम्बर में जाकर डिस्कशन कर रहे हैं।

The word is "as soon as". "as soon as" means immediately.

"................shall be open to discussion there in but shall not be subject to vote."

इसका पर्पज क्या है? हम इस पर वोट नहीं दे सकते हैं। गवर्नमेन्ट को फरवरी से पहले इस बोर्ड को अपना बजट दे देना

(श्री मूलचन्द डागा)

चाहिए। देने के बाद गवर्नमेन्ट को हाऊस में तुरन्त लाना चाहिए। उसके बाद हम कमेंट देते। इसके बाद उनकी रिपोर्ट आती। मेरी यह मांग थी, सैक्शन 75 के अन्दर यह रिपोर्ट पेश करना चाहते हैं। सभी काम कर रहे हैं वह मार्च का कर रहे हैं। इतने दिनों के बाद कर रहे हैं जब कि बजट के तीन चार महीने रहे हैं। 78–79 का बजट मार्च में खतम हो जाता है। हम नवम्बर में विधान सभा में बहस कर रहे हैं। हम सब की यह भावना है।

एक माननीय सदस्य : सबकी नहीं है। सिर्फ आपकी है।

श्री मूलचन्द डागा : हां जी, हमारी ही है।

मेरा निवेदन है कि सदन के सामने इस की उपलब्धियां आनी चाहिए। अभी जैसा कि माननीय श्योपतसिंह जी ने कहा कि हम सारे कार्य पर विचार करना चाहते हैं। हम को आपने मौका दिया है, इस पर हम सोचते हैं, जो हो गया, वह हो गया। लेकिन भविष्य में हमें विचार करने का मौका मिलना चाहिए।

(व्यवधान)

इस पर विचार करने का मौका मिलना चाहिए कि इतना लेट क्यों हुआ? They must give the reasons

श्री मथुरादास माथुर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने 1977-78 की रिपोर्ट सदन की मेज पर रख दी है? 78–79 के बजट पर चर्चा चल रही है। क्या वह रिपोर्ट सदन की मेज पर रखी या नहीं?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : 1977-78 की रिपोर्ट ......

श्री मथुरादास माथुर : फिर हम क्या कर रहे हैं? वह अभी तक रखी नहीं गई है। आप आंकड़े रख सकते हैं। 1977-78 की रिपोर्ट रखी नहीं गई है। सदस्यों को उस की कापी सप्लाई नहीं की गई है रिपोर्ट क्यों नहीं रखी गई है, माननीय मन्त्री महोदय बतायें? फिर तो यह बहस अधूरी है। 1976-77 की रिपोर्ट है हमारे पास।

एक माननीय सदस्य : बिजली विभाग में इस प्रकार का अन्धेरा क्यों है?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : 78-79 का बजट 6-4-78 को सदन की मेज पर रखा जा चुका है।

श्री मूलचंद डागा : यह फरवरी में आना चाहिये थ

एक माननीय सदस्य : आपके उजाले में अंधेरा है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की रिपोर्ट के बारे में कोई एक्जेक्ट डेट निश्चित नहीं है कि इस समय रखी जाये।

एक माननीय सदस्य : क्यों?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : नियम से सरकार के पास सितम्बर के महीने में भेजनी चाहिए। यह आपको मालूम है कि दो महीने हड़ताल आदि की चर्चा चलती रही है। अकाउण्टेन्ट जनरल आदि से

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

ऑडिट नहीं हुआ था। आने वाले सदन में रखने का प्रयत्न करेंगे। यह 78-79 की हमने रखी है।

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने गलती स्वीकार करके कह दिया है। सेक्शन 75 आप सुन लीजिये–

"The Board shall as soon as may be after the end of each financial" year, "financial year" means 31st March. "and in such form as may be prescribed a report giving an account of its activities during the previous financial year and the report shall also give an account of the activities, if any, which are likely to undertaken by the Board in the next financial year, and the State Government shall cause every such report to be laid before the State Legislature as soon as may be after it is received by the State Government."

Financial year मार्च, 31 को खतम हो गया है। मार्च से लेकर अब तक मार्च, अप्रेल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितम्बर और अक्टूबर, आठ महीने हो गये हैं। आठ महीने तक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने गवर्नमेन्ट को रिपोर्ट नहीं दी है। 78-79 की आप पेश कर रहे हैं। जब 78-79 की पेश कर रहे हैं तो 77-78 की सदन की मेज पर रखी जानी चाहिए थी। बोर्ड चलता है उसे राज्य सरकार को फाइनेन्शियल ईयर खतम होते ही रिपोर्ट देनी चाहिए। मैं पांच दिन से लाइब्रेरी में घूम रहा हूं हमें टेलीफोन करना पड़ा। आठ-आठ महीने रिपोर्ट रखने में डिले करते हैं। You are firing in the air.

श्री मूलचंद डागा : मैंने आते ही पूछा। मैंने कहा, रिपोर्ट दीजिये। रिपोर्ट दी नहीं।

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय सेक्शन 75 बहुत ही गौर-तलब बात है। 78-79 की बजट रिपोर्ट आने के पहले 77-78 की रिपोर्ट आनी चाहिये जिससे इसके ऊपर विचार किया जा सके। 78-79 की रिपोर्ट डिस्कस करने के लिए जरूरी है कि 77-78 की रिपोर्ट हमारे सामने आये अन्यथा 78-79 की रिपोर्ट पर हाउस में बहस नहीं कर सकते हैं। इसको स्थगित किया जाना चाहिये। The Report should come. Then and then only the budget can be discussed.

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, जैसा कि पाली से आने वाले माननीय विधायक ने कहा है, उन्होंने जो फ़रवरी के बारे में कहा....

श्री मथुरादास माथुर : वह तो हो गया है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : यह तो हमारी जानकारी में है। डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा था। मैंने निवेदन किया है कि रिपोर्ट के विषय में देरी हुई है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। किन्तु आज हम उसके बजट पर विचार कर रहे हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं कि बजट सत्र में उस पर और विचार कर लिया जायगा।

श्री मथुरादास माथुर : आपने कहा कि आडिटर जनरल की रिपोर्ट नहीं है। इसमें तो इसकी जरूरत भी नहीं है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : यह तो मैंने अकाउन्ट वाली बात के लिये कहा था।

श्री उपाध्यक्ष माननीय माथुर साहब, मन्त्री महोदय ने कह दिया है कि वे क्षमा-प्रार्थी हैं, इसलिए अब विचार किया जा सकता है।

श्री मथुरादास माथुर : सवाल यह नहीं है........

श्री शंकरलाल : सवाल यह है कि 77-78 की रिपोर्ट पर उसके आये बिना ही डिस्कस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? आज दिन तक ऐसा नहीं हुआ। 1977-78 की रिपोर्ट नहीं आई और हम 78-79 के बजट को डिस्कस कर रहे हैं।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : पुराने सालों का रिकार्ड है मेरे पास।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने आपके पाइन्ट आफ आर्डर पर विचार कर लिया है सैक्शन 75 भी मैंने पढ़ लिया है। मैं यह मानता हूं कि बजट डिस्कस होने से पहले प्रिवियस ईयर की क्या एक्टीविटीज है और क्या इम्प्लीमेण्टेशन हुआ है इसकी रिपोर्ट आनी चाहिये। लेकिन यह एक जनरल रूल है इसमे एक्सेप्शन भी हो सकते हैं, कोई हार्ड एण्ड फास्ट रूल नहीं है। इसको मेण्डेटरी प्रोविजन मानकर बजट को डिस्कस नहीं कर सकते, इस तरह की कोई बात नहीं है। मन्त्री महोदय ने कह दिया है, उन्होंने आश्वासन दे दिया है कि इस तरह का ध्यान रखेंगे। विशेष परिस्थितियां हो सकती हैं।

श्री मूलचन्द डागा : It is not general rule. It is mandatory.

श्री उपाध्यक्ष : जनरल रूल की कम्प्लायेन्स होनी चाहिए, सक्शन 75 बाद में लिया गया है।

श्री मदनसिंह दांता : Let us commence the debate. जो पब्लिक के लिए उपयोगी बात हो सकती है।

श्री उपाध्यक्ष । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस बजट डिस्कशन को रेगुलेट करने के लिये समय बांध दिया जाय या....

श्री मथुरादास माथुर : यह बजट कई वर्षों के बाद डिस्कस हो रहा है, इसके लिये पूरा समय मिलना चाहिए।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : हमने हिम्मत तो कर ली।

श्री मथुरादास माथुर : हमने जबरदस्ती इसको बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में रखवाया है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : चलो इसी कारण सही।

श्री मथुरादास माथुर : मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह एक अहम मसला है इस पर पूरा समय दिया जाना चाहिए। 12 बजे तक भी बैठने को हम तैयार हैं, इससे गवर्नमेन्ट को भी बड़ा बेनिफिट होगा।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : उपाध्यक्ष महोदय, इस पर टाइम फिक्स नहीं करें। कई माननीय सदस्य इस पर अपने विचार व्यक्त करना चाहेंगे। इसमें किसानों और इण्डस्ट्रीज के बारे में चर्चा होगी, कई दिनों के इन्तजार के बाद यह मामला आया है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी माननीय सदस्य बोलना चाहें, रेलेवेन्ट बोलें और रिपीट नहीं करें। जो पूर्व वक्ता महोदय कह दें उसको रिपीट नहीं करें।

सूचना

अशोक मेहता कमेटी के प्रतिवेदन को सूचना कार्यालय में उपलब्धि

श्री दिग्विजय सिंह (पंचायत मंत्री) : आन ए पाइन्ट ऑफ इन्फोर्मेशन। मैं सदन की सूचना के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायत राज की अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट सूचना कार्यालय में उपलब्ध है। माननीय सदस्य वहां से प्राप्त कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप सचिवालय में दे दीजिये।

श्री दिग्विजयसिंह : मैं यही निवेदन कर रहा हूं कि सचिवालय में आ गई है और सूचना कार्यालय में उपलब्ध है।

श्री मदनसिंह दांता : रात के 12 बजे तक यहां रहेंगे तो फिर कब उसको पढ़ेंगे।

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, हमेशा 12 बजे तक बैठना स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह बात बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में डिस्कस हो चुकी है। उसी के अनुसार यह एजेण्डा यहां पर रखा गया है।

श्री मूलचन्द डागा : इसके लिए दो दिन रख लीजिये मुझे मालूम है आपका प्रोग्राम 16 तारीख तक का है।

श्री उपाध्यक्ष : पहले जो तय हो गया है उसी की सूचना है।

श्री शिवचरणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रारम्भ करूं।

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के आय-व्ययक 1978-79 पर विचार

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि जिन माननीय सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिये हैं उनको मैं प्राथमिकता दूंगा, उनकी संख्या बहुत ही कम है, 7, 8 ही है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक दल के एक लोग हैं उनका विशेष ध्यान रखा जाय। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में यह तय हुआ उस समय हम भी मौजूद थे। अकेला आदमी है उसको जरूरी काम हो सकता है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री जयकृष्ण जी।

श्री जयकृष्ण शर्मा (रामगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी विद्युत मन्त्री जी ने जो कुछ पढ़ कर सुनाया उससे यह आभास होता है कि 18 महीने के जनता पार्टी के राज में राजस्थान बिजली से बड़ा जगमगा गया है और राजस्थान के अन्दर बिजली की चकाचौंध हो रही है, हर किसान के कुए पर बिजली मिल गई है, सारे किसान बिजली से लाभान्वित हो गये हैं। मुबारक हो, माननीय विद्युत् मन्त्री महोदय, जिनको यह दिखाई नहीं देता कि राजस्थान का किसान राजस्थान के वे छोटे-छोटे उद्योगपति जो

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

अपने उद्योग धन्धे में लगे हुए हैं, आज बिजली से कितने दुखी हैं। उनको थोड़ा सा भी उनके दुःख का आभास नहीं होता है। उन्हें उन पर इसलिए तरस नहीं आता कि वो क्या जाने पीर पराई जिसके पैर फटी न बिवाई हो। वे किसानों के दुःख को क्या जाने। किसानों को क्या दुःख है किस प्रकार से वे त्रस्त हैं, उन्हें इस बात का पता नहीं है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं मेरी ओर से चेलेन्ज देता हूं कि आज भी किसान, जिनके खेत गेहूं के खड़े हैं, को दिन के अन्दर बिजली नहीं मिलती अगर उन्हें इस बात का आभास नहीं हो तो वे मेरे साथ चलें। अलवर जिले के अन्दर और बहुत सी जगह मैं ऐसी दिखा सकता हूं जहां के किसान यह कहते हैं कि दिन के अन्दर भी बिजली नहीं मिल रही है। वह किन कारणों से नहीं मिल रही है उनमें नहीं जाना चाहता। मैं यह कहना चाहता हूं कि कोई भी बात कहने के पहले आप जानकारी करें क्योंकि आप एक जिम्मेदार पद पर बैठे हैं इस तरह से शेखी बघारने से, कुर्त्ते की बांहें उंची करने से या उछलने से किसानों को बिजली नहीं मिलने वाली है। किसान के खेतों में पानी जायेगा तो वह कहेगा कि आपकी पार्टी के लोगों के दिल के अन्दर किसानों के प्रति हमदर्दी है। अगर किसानों के खेत के अन्दर बिजली नहीं जायगी, किसानों के खेत में पानी नहीं जायेगा तो कभी यह सम्भव नहीं हो सकता कि आपके सुनहरे वायदों, जो आपने उनके साथ किये हैं से किसानों को कोई राहत मिलेगी, आप सोचिए और आप इस बात को समझिए। आप बतलाइए राजस्थान में कितने डीजल इन्जन बिके? कितने इन्जन उन गांवों में लगे हैं जहां विद्युतीकरण हो चुका है? इसके क्या कारण हैं? इसके कारणों में जाना होगा। अगर किसी गांव का विद्युतीकरण हुआ हो और उस गांव का किसान आज डीजल इंजन लगा दे तो इसका मतलब है कि वह आपके विद्युतीकरण से दुखी है उसकी कुछ समस्याएं हैं। अगर राजस्थान भर के आंकड़े आपके पास उपलब्ध हो सके तो मंगाइए। आपको उनसे प्रेरणा मिलेगी और आपके मंडल की उदासीनता और कार्य करने का जो तरीका है उससे आप अवगत हो सकेंगे। मैं इन बातों को देखता हूं और किसानों से बात करता हूं कि किन कारणों से उनको बिजली नहीं मिली तो वे बताते हैं कि यह खम्भे गाड़ने का समय है। मेरे पास किसानों का शिष्टमण्डल आया। मैंने अलवर के एस०ई० व एक्स०ई एन से पूछा कि दिन में आपने बिजली क्यों बंद कर रखी है तो जवाब मिला कि प्रातः 10 से 5 तक खंभे गड़ रहे हैं इसलिए इस समय में बिजली नहीं मिल सकती? अभी ये आप रात में परेड कराते हैं।

दूसरा कारण यह है कि आपके मण्डल के जितने अधिकारी हैं वे बात को सुनते नहीं, सुनने की कोशिश नहीं करते। उदाहरण के लिए मैं बताना चाहता हूं कि आपने खंभे गाड़े हैं, बिजली के खंभे कहीं खड़े किए जाते हैं। किसान उसके लिए ना नहीं कर सकता लेकिन खंभे गाड़ने के बाद आपके पास किन्हीं लोगों ने अप्रोच किया तो मेरे ही क्षेत्र के अंदर जो बन्जर पहाड़ी है, डी.पी.ए.पी. के तहत जो खम्भे लगे हैं उनको हटाने का आदेश देते हो। अगर आपके विभाग का गड़े हुए खंभों को उखाड़ कर दूसरी जगह लगाने का तौर तरीका रहा तो वह दिन दूर नहीं कि कोई किसान आपको खंभे नहीं गाड़ने देगा। इस प्रकार बिजली की बढ़ो-

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

तरी नहीं हो सकेगी। इन बातों के पीछे कुछ राजनैतिक कारण और पैसे के कारण हैं। इन कारणों से ये बातें होती हैं। मैंने वहां के एस॰ ई॰ और दूसरे अधिकारियों से कहा कि अगर इस प्रकार की बातों का प्रयास किया तो बिजली का काम सही तौर से नहीं हो सकेगा। मन्त्री महोदय, आप जानते हैं कि जिस लड़के को हम जन्म देते हैं वह 18 साल बाद बालिग होता है। तो कांग्रेस सरकार ने जिन स्कीम्स को मंजूर कराया था, वह स्कीम्स पिछले 18 महीने में आपने लागू की हैं चाहे आर॰ई॰सी की हों या और स्कीम्स हों। आगे मालूम पड़ेगा कि कितनी तेजी से आप इन कामों को करना चाहते हैं। कोई भी कारण हो। आप कहते हैं कि हम हरिजनों के गांवों का विद्युतीकरण करना चाहते हैं। आप यह राजनैतिक आधार पर करना चाहते हैं। मेरी कान्सटीट्यूएन्सी में अलवर जिले के बड़े बड़े गांव हैं चाहे गोविन्दगढ़ कस्बा हो, और चाहे मुबारकपुर हो वहां पर हरिजनों ने आपसे विद्युतीकरण की मांग की क्योंकि आपकी पार्टी का आपकी विचारधारा का विधायक चुन कर नहीं आया इसलिए आपके कानों पर जूं तक नहीं रेंगी आपने उस पर ध्यान नहीं दिया है इस प्रकार की कार्यवाहियां हरिजनों के गांवों के विद्युतीकरण के अन्दर हुई।

दूसरी तरफ मैंने पढ़ा कि आपने श्रम कल्याण के लिये कोष रखा है। सब जानते हैं कि आपके विद्युत मंडल में यूनियन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो आपसे संबद्ध नहीं है। आप चाहते हैं कि यूनियन आपकी छत्र-छाया में ही रहे व भारतीय मजदूर संघ का दबाव विद्युत मंडल में रहे। अभी हमने देखा और बहुत से लोगों को सड़कों पर बात करते सुना कि मन्त्रियों के विभागों में चेंज हुए परन्तु अभी भी जो बी॰ एम॰ एस को सपोर्ट करते हैं उन्हीं मंत्री के पास सार्वजनिक विभाग है जिससे वे मजदूर संगठनों को मजबूत कर सकें। इसी कारण विद्युत मण्डल आपके पास है, हमें इसका अफसोस नहीं। अलवर में मजदूरों का आन्दोलन चला ...

श्री **कौशल किशोर जैन** : आपके दामोदर मौर्य ने विद्युत मण्डल में काले कारनामे किए। संजय गांधी के नाम पर करोड़ों रुपये व्यय किए....

(व्यवधान)

श्री **जयकृष्ण शर्मा** : तुम्हारा तो 18 महीने में ही काला इतिहास सामने आ गया है। देख लेना वह दिन दूर नहीं जब जनता तुमको सड़कों पर निकालेगी।

श्री **कौशल किशोर जैन** : शाह कमीशन में मामला चल रहा है संजय गांधी का।

श्री **जयकृष्ण शर्मा** : मैं इस बात से इन्कार नहीं करता कि अलवर में मजदूरों के साथ आपने बैठ कर समझौता किया। उनकी मांग थी कि उनसे बेगार नहीं ली जाए, आपको मैंने 7-8 मांगें इसी विधान सभा में सुनाई थीं मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहता, उनके साथ समझौता हुआ। आज आपने कर्मचारियों में से चुन-चुन कर तबादले करने शुरू किए। अगर इस तरह मजदूरों का विक्टीमाइजेशन करना चाहते हैं, उनके साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं तो

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

क्या आप जानते हैं कि आपके बड़े–बड़े अधिकारी बिजली के खम्भे खींचेंगे, ये लोग ट्रांसफार्मर्स लगायेंगे और आपके विद्युत मंडल में राम राज आयगा ? अगर इस तरह से मजदूरों का विक्टीमाइजेशन होगा किसी एक यूनियन का होगा तो कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जायगा । न कभी बर्दाश्त हुआ है, न कभी होने वाला है ।

आप 1977-78 की रिपोर्ट पेश करते तो हो सकता है कि तुलनात्मक हम बहुत सी बातें रखते । आप और जगह भी विद्युतीकरण करेंगे परन्तु मैं कहना चाहता हूं कि इस सदन में एक ही एलान कर दें । आपने एलान किया कि हमने जो हार्स पावर के मिनिमम व मैक्सीमम चार्जेज लगा रखे हैं उनको हटा देंगे। फ्लेट रेट की बात आई। एक उद्योगपति या दूसरा आदमी जितनी बिजली जलाता है उतना ही उससे वसूल करते हैं परन्तु एक किसान, जिसके पास 5 बीघा जमीन है, यदि 5 हार्स पावर की मोटर लगाता है तो आप उसे कहते हैं कि तुमको 7:0) देने पड़ेंगे। अगर किसी किसान का मीटर अपने आप टूट जाए, एक उदाहरण देता हूं. एक किसान ने जूनियर इंजीनियर से कहा, मेरे मीटर का पतरा टूट गया है तो उस पर 1500) या 1800) की पेनल्टी लगा दी। उससे कहा कि तुमने मीटर तोड़ दिया है । तो इस प्रकार की कार्यवाही जहां हो रही हैं वहां आप कहना चाहते हैं पहले 65 करोड़ था अब 9 पाइंट बढ़ा दिया है । आप 54 वर्ष के आज हो तो अगले साल 55 के हो जाओगे। इसी प्रकार बिजली के आंकड़े बढ़ेंगे, वोर्ड की आमदनी बढ़ेगी । राजस्थान में इन्डस्ट्रीज लगेंगी तो इन्डस्ट्रीज से आमदनी बढ़ेगी । इसमें कौनसा तीर मार लिया। हमारी तो समझ मे नहीं आया कि आपने किस प्रकार का तीर मारा है । आपकी उम्र बढ़ेगी । हम तो जब जानेंगे जब आज आपकी उम्र 40 वर्ष की है उसे अगले साल आप 39 वर्ष कर लें । माननीय विद्युत मंत्रीजी, आयुर्वेद की कोई दवा लेकर ऐसा करके बतादें । उपाध्यक्ष महोदय, मैं विद्युत मंत्री जी से आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि आज के दिन वह दो बातों का आश्वासन दे दें । एक तो किसान से उतना पैसा वसूल करें जितनी उसके मीटर के आधार पर बिजली कन्ज्यूम होती है । दूसरा एक निवेदन करना चाहता हूं कि आज यह भी आश्वासन दें कि किसान को दिन के अन्दर बिजली मिलेगी । माघ और पौस के महीने में किसान रात के समय में अपने खेतों के अंदर पानी नहीं पिलायेगा । वह दिन में काम करेगा और दिन में ही पानी पिलायेगा । इसलिए ये दो आश्वासन आप दें । बिजली कितने गांवों में बढ़ायेंगे यह तो आर्थिक साधनों के ऊपर डिपेण्ड करेगा। यह तो भारत सरकार से जितना पैसा ले सकेंगे और जितना खर्च में कटौती कर सकेंगे उस पर निर्भर करेगा । यह तो आंकड़ों का माया जाल है। इससे किसान और हरिजन का पेट भरने वाला नहीं है। इसलिए आप दो ही आश्वासन दें, एक तो उसको दिन में बिजली मिले और दूसरा जितनी बिजली कन्ज्यूम करेगा उतना पैसा लिया जायगा ।

आज आप गांवों में जायें और लोगों से पूछें। पहले लोग रेवेन्यू वालों से परेशान थे। उसके बाद पुलिस वालों से परेशान हुए। आज यदि गांवों में जायें तो लोग

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

यही कहेंगे कि अगर कहीं भ्रष्टाचार है तो विद्युत विभाग में है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आपके दिल और दिमाग सही हैं और आपके दिमाग में किसान के प्रति हमदर्दी है तो मैं समझता हूं कि आपकी तरफ बैठने वाले लोग भी यही कहेंगे कि विद्युत विभाग में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, काफी भेदभाव और अनियमिततायें हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं कि मुबारकबाद तो इसलिये देता हूं कि आप तड़क-भड़क के साथ चलते हैं।

एक माननीय सदस्य : आप कहां थे ?

श्री मदनसिंह दांता : कल मंत्री जी ने जवाब दिया था कि दांता में तो पहले से ही बिजली एवरेज से ज्यादा लगी है। किसने लगाई थी ? कांग्रेस की सरकार ने लगाई थी।

श्री जयकृष्ण शर्मा : इसलिये मैं कहना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी, आप इस पर ध्यान दें मैं विद्युत विभाग के अधिकारियों को और कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मंत्री जी को एक पाठ पढ़ने के लिए विधान सभा में दे दिया और इन्होंने पढ़ दिया इसके लिये मैं आपको मुबारकबाद देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने खास तौर से इस बात को कहा है कि बिजली की सप्लाई किसानों को दिन में हो। यदि आप इस सम्बन्ध में कुछ करेंगे तो आपका करना भी सार्थक होगा और हम लोगों का विधान सभा में बहस करना भी सार्थक होगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नवरंगसिंह !

श्री नवरंगसिंह (नवलगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात के लिये तो मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं कि बिजली बोर्ड का जो बजट 1978-79 का आया वह पिछले बजट से 101 करोड़ रुपया अधिक है और यह बिजली बोर्ड के लिए वृद्धि का सूचक है। लेकिन साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान बिजली बोर्ड को 4,60,20,068 रुपया हर साल ब्याज का देना पड़ता है। बिजली बोर्ड का अधिकांश मुनाफा इसी में लग जाता है और इसमें घाटा रहता है। इसके लिए मेरा राज्य सरकार को एक निवेदन है कि राज्य सरकार को कम से कम बिजली बोर्ड को इतना अनुदान देना चाहिये इतनी ग्रान्ट देनी चाहिये कि वह अपने इस घाटे की पूर्ति कर सके और जो उसका ब्याज में पैसा जाता है वह भी किसी तरह से बच सके।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि 132 के०वी० की जो लाइन जयपुर से रतनगढ़ को गयी है उसमें पतला तार लगा है। वह केवल 200 मेगावाट की पावर को ही सहन कर सकता है जब कि इसी लाइन पर 300 मेगावाट का लोड है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस लाइन को दुरुस्त किया जाये और 300 मेगावाट के अनुकूल जो तार है उस तार को वहां पर दुबारा लाइन लगाकर खींचा जाय। इसी तरह से मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि यह लाइन, जो जयपुर रतनगढ़ है, सीकर और झुंझुनू को भी बिजली सप्लाई करती है। जैसा कि मैंने बताया कि पतला तार होने के कारण

(श्री नवरंग सिंह)

से पूरी बिजली की सप्लाई नहीं हो पाती है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि खेतड़ी में 220 के० वी० और और 132 के०वी० का ट्रान्सफार्मर लगायें। इस लाइन को सीकर और झुंझुनू तक खींचा जाये तो जो ग्रामीण इलाकों में और विशेषकर सीकर और झुंझुनू में बिजली की कुओं के लिए शार्टेज हो जाती है और पूरी सप्लाई नहीं हो पाती है वह पूरी सप्लाई हो सकती है। उधर से लाइन लाने से वह नजदीक पड़ेगी और सुविधाजनक भी पड़ेगा।

इसी तरह से मैं यह भी कहना चाहूंगा कि पोंग डैम, जो कि हिमाचल प्रदेश में है; के लिये हमारी सरकार द्वारा पैसा दिया हुआ है लेकिन यह खेद है कि लाइनें तैयार नहीं हैं इस वजह से बिजली का हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इस कारण से भी बिजली बोर्ड अपने लक्ष्यों की पूर्ति नहीं कर सका है।

इसी तरह से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमने 1978 तक के जो लक्ष्य बनाये थे कि 1500 बस्तियों को बिजली देंगे, इस लक्ष्य की पूर्ति भी नहीं कर सके। उसके स्थान पर 745 बस्तियों को ही बिजली दे पाये। 11,050 कुओं को बिजली दे पाये। इसका कारण यह है कि बिजली बोर्ड समय पर सामान सप्लाई नहीं कर पाता है। अब की बार 32 हजार कुओं का लक्ष्य है और 1677 के करीब बस्तियों का है। सामान की किल्लत को दूर करने के लिए मैं राज्य सरकार से और मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि बिजली बोर्ड के अधिकारियों को, सदस्यों को और चेयरमैन को इसके बारे में सतर्क किया जाये। कहा यह जाता है कि मंत्री जी को बहुत से पत्र लिखे। मुझे खुशी है कि मंत्रीजी को जितने पत्र मैंने लिखे उन सभी का जवाब दिया है लेकिन हर बार उन्होंने अपनी विवशता जाहिर की और कहा कि फैक्ट्री समय पर सामान सप्लाई नहीं कर पा रही है पूरी सप्लाई नहीं होने के कारण से बिजली के जितने कनेक्शन दे सकते हैं उतने के लिए भी सामान सप्लाई नहीं कर पाते हैं। माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि फैक्ट्री माल सप्लाई नहीं करती है, यह कहने से काम चलने वाला नहीं है मंत्री जी से मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे झुन्झुनू जिले में 33 के. वी. की लाइन शुरू हुई। तार नहीं पहुंचने के कारण वह लाइन आज भी बन्द पड़ी है। मैंने माननीय चेयरमैन साहब को दो दिन पहले ही निवेदन किया था। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि संबंधित अधिकारियों से बातचीत करके और तार पहुंचा कर लाइन को पूरा करेंगे। मैं निवेदन करूंगा कि इस तरह की स्थिति आनी नहीं चाहिये कि टाइम पर सामान नहीं मिले और कनेक्शन नहीं मिलें। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप चाहे आगे कितनी छूट दे दें, फरवरी और मार्च में पैसा वसूल नहीं करें। यह ऐसा टाइम है जिसमें वे खेती में बिजली का उपयोग कर सकें तो उससे पूर्ति हो सकेगी। लेकिन उसके बाद कनेक्शन दिये तो खेती में उपयोग नहीं हो सकेगा। इसलिये मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि तत्काल बोर्ड के अधिकारियों को इस संबंध में सूचित करें और सामान की पूरी सप्लाई करें ताकि सामान की शार्टेज दूर हो सके।

Page No. 105

105

(श्री नवरंग सिंह)

इसके साथ ही यह भी निवेदन करना चाहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत कि बिजली बोर्ड के जो सदस्य होते हैं, वे अधिकांश किसान नहीं होते और खेती से उनका संबंध नहीं होता। मेरा सुझाव है कि बिजली बोर्ड में कम से कम दो तिहाई ऐसे सदस्य होने चाहियें जो खेती से सम्बन्धित हों, जो काश्तकार हों और काश्तकार की वस्तु स्थिति को समझते हों।

इसी तरह से मैं यह निवेदन करना चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय से कि जो बड़े-बड़े कारखाने हैं उनको बिजली बोर्ड 13 पैसे यूनिट में बिजली देता है, कुछ को छोड़कर, 5 पैसे भी हैं, अधिकतर 13 पैसे पर यूनिट देता है। राजस्थान में बिजली की दर 22 पैसे है इसलिये बड़े बड़े कारखानों को 13 पैसे यूनिट में देने के कारण बिजली बोर्ड को घाटा होता है और उस घाटे की पूर्ति किसानों से करने की चेष्टा की जाती है। इसलिये मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगा किसानों को भी 13 पैसे यूनिट में ही बिजली मिलनी चाहिये। उनका काम तो कारखानों से ज्यादा काम्पलीकेटेड है, उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है इसलिये अगर कारखानों को छूट देते हैं तो निश्चित रूप से किसानों को भी छूट दी जानी चाहिये।

मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपके यहां जो अधिकारी हैं उनकी लापरवाही की वजह से कोई काम नहीं होता है और सारे बोर्ड का पैसा बेकार जाता है....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि यू. पी. इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अन्डरटेकिंग के पैसा न देने से बोर्ड को 5 करोड़ का घाटा हो रहा है। इसी तरह कोटा में श्रीराम केमिकल्स द्वारा करीब 5 करोड़ का घाटा हो रहा है। सूझबूझ से इसकी पूर्ति की जा सकती है। जैसा मैंने आपको बताया अधिकारियों की लापरवाही के कारण ऐसा हो रहा है।

मैं यह भी निवेदन करूं कि आपकी अभियन्ताओं के चयन करने की नीति भी निश्चित नीति नहीं है। इस संबंध में एक निश्चित नीति होनी चाहिये। जब प्रमोशन होते हैं तो काफी लम्बा टाइम लग जाता है। जहां पर इन्जीनियर पहुंचने चाहिये वहां नहीं पहुंच पाते और काम शुरू नहीं हो पाता है। यही कारण है कि बोर्ड के करीब 120 कनिष्ट अभियन्ता और 60 सहायक अभियन्ता के स्थान खाली पड़े हैं। निश्चित कार्यक्रम न होने से आज भी भरे नहीं जा सके हैं। इस सम्बन्ध में आपकी कोई निश्चित नीति नहीं है। मंत्री जी से मैं यह भी निवेदन करूंगा कि वे स्वयं प्रोफेसर रह चुके हैं, उस स्थिति से गुजर चुके हैं इसलिये कर्मचारियों के लिये निश्चित नीति बना दीजिये....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

ताकि आगे चलकर हड़ताल की स्थिति न आये और समस्याएं सुलझ जायं।

इसी तरह से मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इस बिजली के काम को करने वाले कर्मचारियों में वेतनमानों को लेकर असंतोष है।

आपने हरिजन बस्तियों के लिये 34 लाख रुपये का प्रावधान रखा है। यह प्रावधान बहुत कम है। यद्यपि आपने मार्च, 79

(श्री नवरंगसिंह)

तक विद्युतीकरण करने के लिये रखा है लेकिन जो गति चल रही है उस गति से ऐसा संभव प्रतीत नहीं होता है मैं निवेदन करूं कि झुंझुनू जिले में 100 के करीब वस्तियां स्वीकृत हैं, हरिजन वस्तियों में कनेक्शन नहीं हो पायेगा। जब भी अभाव-अभियोग की मीटिंग होती है, मैं निवेदन करता रहता हूं, बोर्ड के अधिकारियों को कहता हूं....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अभी दो मिनट में समाप्त करता हूं।

इसी तरह से मैं यह भी निवेदन करूं कि 18, 20 प्रतिशत खर्चा प्रशासन पर होगा तो बोर्ड कैसे मुनाफे पर चलेगा? इसलिए मेरा निवेदन है कि इस खर्चे को घटाया जाये। वाहन भत्ता उन अभियंताओं को दिया जाता है जो अपने स्वयं का वाहन प्रयोग करते हैं। जो अभियन्ता वाहन भत्ता लेते हैं उनको स्वय की गाड़ियों का उपयोग करना चाहिये। वह न करके सरकारी, बोर्ड की गाड़ियों का उपयोग करते है और भत्ता उठाते हैं। माननीय मंत्री जी, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि निश्चित नियम बना दीजिये कि उनको आपको भत्ता देना ही है चाहे कच्चे के नाम से, चाहे पक्के के नाम से। आपको गाड़ियों के उपयोग पर रोक लगानी चाहिए। इससे आपका बहुत सा पैसा बच सकता है।

इसी तरह निवेदन करना चाहूंगा, आपने बजट सत्र में 1½ लाख की घोषणा की थी। किसानों में असंतोष है। इस पर कोई निर्णय नहीं हो सका। मंत्री जी को मैंने पत्र भी लिखा। यद्यपि उत्तर दिया कि आपने एक्साइज ड्यूटी की बात की है। यह पहले भी तय हो सकता था। मेरी ऐसी मान्यता है कि निश्चित रूप से फ्लेट रेट हो जानी चाहिए। नहीं तो किसानों को बदनाम करते हैं चोरी के नाम से, कभी किसी नाम से। बिजली बोर्ड के निश्चित कार्यक्रम के अनुसार चलते हैं तो निश्चित रूप से इस राज्य में फ्लेट रेट लागू करनी पड़ेगी....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इस तरह मंत्री महोदय आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि किसानों को बिना मतलब यह कहा जाता है कि 5 हार्स पावर की मोटर लगी है 10 की लगानी पड़ेगी। आपका सिस्टम ठीक नहीं रहता। इस तरह की दिक्कतों को दूर कीजिये। किसानों को हर हालत में बिजली पहुंचाई जायें। 26 जिलों में से 24 जिलों में अकाल है। अकाल की स्थिति में यदि सबसे बड़ा किसी का योगदान हो सकता है तो वह योगदान हो सकता है बिजली विभाग का। यदि बिजली बोर्ड अपने लक्ष्यों को नवम्बर तक पूरा कर दे तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि राजस्थान की अकाल की स्थिति पर हम नियंत्रण कर सकते हैं।

इसी तरीके से मैं....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया जल्दी चर्चा समाप्त करदें।

श्री नवरंगसिंह : अभी दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि किसानों से कहा जाता है कि तुम सामान खुद लेकर आओ। किसान स्वयं अपने क्षेत्र में सामान ले जाता है। मैंने देखा है कि किसानों के

(श्री नवरंगसिंह)

स्वयं सामान लेने के बाद भी बोर्ड के अधिकारियों द्वारा उससे पैसा वसूल किया जाता है। मैं यह नहीं कहता कि बोर्ड के अधिकारी उस पैसे को अपने पास रखते होंगे। बोर्ड का प्रोसीजर है, यह मुझे पता नहीं, पैसा बोर्ड में जमा होता है या क्या होता है ? लेकिन जब खुद किसान सामान ले जाता है तो उससे खर्चा किस हिसाब से वसूल किया जाता है ?

इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि सारे मुद्दों पर गंभीरता से विचार कीजिए और जो सुझाव मैंने दिए हैं उनके अनुसार कार्यवाही कीजिये। निश्चित रूप से आज राजस्थान में फ्लेट रेट लागू करने की घोषणा करें।

धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोपाल पचेरवाल।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : माननीय उपाध्यक्ष महोदयजी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का मेरे क्षेत्र की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा। सरकार की घोषणा के अनुसार पिछड़े हुए लोगों के क्षेत्रों में, किसानों के क्षेत्रों में विद्युतीकरण की योजना है। उसी संदर्भ में मैंने माननीय मंत्री महोदय को अप्रेल के महीने में एक पत्र लिखा था। श्रीमान, मैं जिस अनुसूचित जाति क्षेत्र से जीत कर आया हूं वह ऐसा क्षेत्र है जिसकी निरन्तर तीस सालों से कांग्रेस द्वारा विद्युत के मामले में उपेक्षा की गई है, उस पत्र में मैंने 66 ग्रामों के नाम दिए थे, उन ग्रामों में विद्युतीकरण अविलम्ब किया जाये ताकि उस क्षेत्र के किसानों को बिजली मिल सके। उन गांवों के नाम से, श्रीमान, मैं आपको अवगत कराऊंगा, वे ऐसे गांव है जिनको सिंचित एरिया माना जाता है, लेकिन उनके पास सिंचाई के साधन नहीं हैं। अगर उन गांवों में बिजली पहुंचा दी जाती है तो, श्रीमान्, मैं विश्वास दिला सकता हूं कि इन गांवों के किसान, जो कि छोटे किसान हैं, विद्युत के माध्यम से अपनी खेती का विकास नहीं कर सकते हैं। उस पत्र के बारे में मैं जिक्र कर रहा था। श्रीमान् मन्त्री महोदय का पत्र मेरे पास 20 अप्रेल को आया। श्रीमान ने अपने मुख्य अभियन्ता को लिखा कि विधायक गोपाल पचेरवाल का इस प्रकार का पत्र प्राप्त हुआ है। एक महीने के अन्दर पूर्ण जानकारी प्राप्त कर विधायक को अवगत कराया जावे। मैं विद्युत् विभाग की उसके अधिकारियों की कार्य क्षमता की सराहना करता हूं। श्रीमान का पत्र 20-4-78 का है जिसमें लिखा है कि विधायक को एक महीने में स्थिति से अवगत कराया जावे लेकिन अप्रेल 78 से आज तक मुख्य अभियन्ता का मुझे कोई पत्र नहीं मिला है और न ही मन्त्री महोदय द्वारा मुझे अवगत कराया गया है कि इसके बारे में क्या कार्यवाही की गई ? यह विद्युत् विभाग की कार्य क्षमता है जो मैं सदन में रख रहा हूं।

मैंने, श्रीमान, दूसरा पत्र लाखेरी के बारे में लिखा। लाखेरी में बहुत बड़ा सीमेंट का कारखाना है। उसके आसपास के कुछ गांवों में बिजली लगी हुई है। उन गांवों के लिए वहां पर सहायक अभियन्ता का कार्यालय स्थापित होना चाहिए। जब कोटा में मन्त्रिमण्डल की बैठक हुई थी तो उस समय भी हमारे जिला जनता पार्टी के नेताओं ने मन्त्री महोदय का और सरकार का ध्यान आकर्षित किया था कि लाखेरी में सहायक अभियन्ता का कार्यालय स्थापित किया जावे। उस

(श्री गोपाल पचेरवाल)

सम्बन्ध में मैंने मन्त्री जी को पत्र लिखा अप्रेल में। उसका जवाब भी मन्त्रीजी का 25 अप्रेल, 78 का मिला। उसमें आपने लिखा था, विद्युत् मण्डल के चेयरमैन साहब को आपने पत्र लिखा था कि आप आवश्यक जानकारी प्राप्त कर उचित कार्यवाही करके अवगत करावें। मैं कहना चाहूंगा कि चेयरमैन साहब की कार्य क्षमता के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। मेरा उनसे कोई सम्पर्क भी नहीं है लेकिन बहुत से माननीय सदस्यों से सुनता हूं कि ये बहुत ईमानदार हैं, कर्मठ हैं, योग्य हैं, ये सारी बातें हैं। उसके बावजूद जहां तक मेरी जानकारी है, मैं समझता हूं कि मेरे क्षेत्र के बारे में जिस तरह की विद्युत् मन्त्रीजी की उदासीनता है वैसी ही उनकी है। बल्कि मैं तो कहूंगा कि मन्त्रीजी की मानवता गिरती जा रही है। इसलिए मैं श्रीमान् के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह से विद्युतीकरण की योजनाएं चल रही हैं ऐसे उपेक्षित क्षेत्रों में, पिछड़े क्षेत्रों में जिनमें हरिजन, अल्पसंख्यक, आदिवासी ट्राइबल्स के लोग रहते हैं। जो अन्धकार में डूबे हुए हैं उनको अन्धेरे से प्रकाश में लाने के लिए हमारे विद्युत् विभाग को, हमारी सरकार को, हमारे प्रशासन को विद्युत् की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे उन लोगों को अन्धेरे से प्रकाश में लाया जा सके।

अब मैं, श्रीमान, जिस क्षेत्र का जिक्र करूंगा वे हैं बड़ाखेड़ा उतराण, फोलाई, गेण्डोली दहीखेड़ा, प्रतापगढ़, पापड़ी, झालजी का बरणा, ये सब ऐसे गांव हैं जिनमें सिंचाई विभाग की लघु ग्रामीण सिंचाई योजना लागू है। वहां योजना के लिए ऋण दिया जावे और ऋण दिया जाकर कुआ खोदने के लिए व्यवस्था की जावे। जब वे कुआ खोद कर विद्युतीकरण नहीं होने के कारण बैंक से मोटर खरीदने हेतु ऋण लेने जाते हैं तो वे कहते हैं कि यह महंगा पड़ेगा। आपके यहां विद्युतीकरण नहीं होने से सिंचाई नहीं हो सकेगी इसलिए उनको बैंक से भी ऋण नहीं दिया जाता है। निरन्तर प्रयत्नशील रहने पर भी ऋण नहीं मिलता है जिससे उनके चेहरों पर निराशा की लहर छाई हुई है। यह हमारी सरकार के लिए, हमारे उस क्षेत्र के लिए हाड़ोती क्षेत्र के लिए बहुत शर्म की बात है। इसलिए मैं माननीय मन्त्री महोदय से पुनः आग्रह करूंगा कि ऐसे क्षेत्र, जहां पर अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं, के लिये राज्य सरकार के दिल में दर्द होना चाहिए और सरकार को उस क्षेत्र के लिए ज्यादा विचार करना चाहिए। आज उस क्षेत्र की जनता ने जनता पार्टी के व्यक्ति को जिता कर भेजा है फिर भी उस क्षेत्र की निरन्तर उपेक्षा की जा रही है। जनता पार्टी की सरकार को चाहिए कि जिस क्षेत्र के लोगों ने आपके प्रतिनिधि को चुन कर भेजा है उस क्षेत्र को विशेष सुविधा दी जाय। आज तक उस क्षेत्र की निरन्तर उपेक्षा की जा रही है शर्म की बात है।

आपके द्वारा, श्रीमान, मैं माननीय मंत्री महोदय से अब बूंदी जिले के बारे में निवेदन करूंगा। आपकी इस रपट के अनुसार इस प्रगति रपट के अनुसार बून्दी जिले में 733 गांव हैं। इसके अनुसार ही 76-77 में 107 गांवों में विद्युतीकरण हुआ और 77-78 में 22 गांवों में विद्युतीकरण हुआ 31 मार्च, 78 तक 129 गांवों का विद्युतीकरण हुआ है और आगे अप्रेल, 78 से 43 गांवों के विद्युतीकरण का लक्ष्य है 78-79 में। श्रीमान, आप इससे अन्दाजा लगायें

(श्री गोपाल पचेरवाल

कि बून्दी जिले में 733 गांव है जिनमें से अभी तक 129 गांवों का विद्युतीकरण हुआ है और 78-79 में 43 गांवों का विद्युतीकरण उस क्षेत्र में होगा जिसको हम सिंचित एरिया कहते हैं, जो हमेशा से उपेक्षित रहा है। 30 वर्षीय कांग्रेस राज में मन्त्री वहां के होने के बावजूद बून्दी जिले की निरन्तर उपेक्षा की गई है और आज हमारी सरकार का लक्ष्य 78-79 में 43 गांवों का विद्युतीकरण करने का है, यह बड़े शर्म की बात है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्रीमान, दूसरा मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि अभी माननीय मन्त्री महोदय ने कुओं का जिक्र किया है अपने भाषण में और जो आपने रपट पेश की है सदन में उसमें भी मैं समझता हूं कि....

श्री उपाध्यक्ष : आप उस रिपोर्ट का रेफरेंस नहीं दें।

श्री गोपाल पचेरवाल : जो प्रगति रपट रखी है उसमें जो कमी रह गई है. हमारा फर्ज है कि हम मंत्री महोदय के ध्यान में कोई बात नहीं आई है तो वह लावें।

इसके साथ ही आपका छोटा सा भाषण हुआ, बड़ा ओजस्वी हरिजनों के बारे में, उसका मैं जिक्र करना चाहूंगा, दो मिनट में निवेदन करना चाहूंगा....

श्री मदनसिंह दांता : इसकी चर्चा थोड़ी बहुत कर सकते हैं, आप कहिये।

श्री उपाध्यक्ष : रिपोर्ट पढ़ कर सुनाना उचित नहीं होगा। आप अपने विचार रख दें।

श्री गोपाल पचेरवाल : क्या प्रगति हुई है और क्या कमी रही है, यह कहना चाहूंगा।

श्री राम कृष्णदास गुप्ता : आप तो नेकर पहिन लो सारे काम हो जाएंगे।

श्री गोपाल पचेरवाल : आपके सुझाव की आवश्यकता नहीं है। मैं आपसे ज्यादा योग्यता रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप तो पेज नम्बर बता दीजिए।

श्री गोपाल पचेरवाल: यह है पेज नम्बर 7, हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण। आपने फर्माया है कि हरिजन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बस्तियों में विद्युतीकरण करने के लिए 77-78 में 32 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है और वर्ष 78-79 में इसके लिए जो बजट रखा गया है. वह 34 लाख रुपये का है। इसके आगे यह भी कहा गया है इस सीमा के अतिरिक्त भी प्रावधान में पर्याप्त वृद्धि की जाएगी। लेकिन मैं बड़ी नम्रता से निवेदन करना चाहूंगा इन बस्तियों के बारे में, बूंदी जिले में जो विकास हुआ हैं, विद्युतीकरण हुआ है, यह आपकी जो रपट है, इसमें वर्ष 77-78 और 78-79 में हरिजन बस्तियों में जो विद्युतीकरण करने का विवरण दिया हैं, इस सम्बन्ध में बूंदी जिले के बारे में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि 31-3-77 तक सिर्फ 31 बस्तियों का ही विद्युतीकरण किया गया है लेकिन 77–78 में एक भी गांव का, एक भी हरिजन बस्ती का आपने अभी तक विद्युतीकरण नहीं किया है। यह कितने अफसोस की बात है। जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में

(श्री गोपाल पचेरवाल)

वह वायदा किया था कि हम कमजोर वर्ग की बस्तियों का पहले विद्युतीकरण करेंगे। जब हमें पूछा जाता है, तो हम क्या जवाब दें। हमारी जनता पार्टी की सरकार हमारे चुनाव घोषणा पत्र के विपरीत काम कर रही है। जनता सरकार ने जो वायदा किया था हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण करने का, यह जो रिपोर्ट है उसके अनुसार पूरे बूंदी जिले में 77 तक केवल 31 गांवों मे बिजली लगाई गई है और 78 में आज तक कोई गांव विद्युतीकृत नहीं किया गया है। यह शर्म की बात है। मैं निवेदन करना चाहता हूं मंत्री महोदय से वे हरिजन बस्तियों के प्रति अपनी उदासीनता को छोड़ें ....

श्री मथुरादास माथुर : You join our party.

श्री गोपाल पचेरवाल : माननीय माथुर साहब, आपकी पार्टी मर चुकी। मेरा जैसा जिन्दा दिल वाला व्यक्ति आपकी मुर्दा पार्टी का सदस्य नहीं बन सकता।

मंत्री जी यह घोषणा करेंगे कि राजस्थान की जितनी भी हरिजन बस्तियां हैं दूसरी बस्तियों का बजट काट कर के उनमें तत्काल बिजली लगा दी जाएगी। आपको 31 गांव की रिपोर्ट है। ये 32 नहीं हो पाये हैं। यह शर्म की बात है। जिन हरिजनों ने हमको जिताया है, वे क्या कहेंगे ? जनता सरकार को सहयोग वे कैसे देंगे ? वे सवाल करेंगे, विद्युत् में क्या प्रगति है तो हम क्या जवाब देंगे? मंत्री महोदय से निवेदन है कि वे अपने भाषण में इसका जवाब दें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवचरण सिंह।

(व्यवधान)

श्री शिवचरण सिंह (बयाना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जाना चाहता हूं इसलिए अर्ज कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, जनता पार्टी की सरकार आने के बाद इन्होंने अपने चुनाव घोषणा पत्र में कई वायदे किए थे, अलग-अलग रीति नीति की घोषणा की थी कि किसानों को बढ़ावा देंगे तो यह आशा बंधी थी कि जो कुछ इन्होंने घोषणा पत्र में कहा है वे घोषणाएं कार्य रूप में परिणित होंगी। मैं यह कहना चाहूंगा, यह सौभाग्य की बात है कि भूतपूर्व सरकार के रिटायर्ड टैक्नोक्रेट को आपने बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया। यदि आप भूतपूर्व सरकार के रिटायर्ड इन्जीनियर को चेयरमैन नहीं बनाते तो इस बोर्ड का बेड़ा गर्क हो जाता। यह काम तो आपने ठीक किया। पुराने जमाने में आई. ए. एस. और दूसरे केडर के प्रशासनिक आफिसर थे वे लोग बोर्ड के चेयरमैन होते थे उन्होंने इस बोर्ड का भट्टा बिठा दिया बेड़ा गर्क कर दिया। यह भूतपूर्व सरकार की गलती थी। सारे हिन्दुस्तान में आज भी आई. ए. एस. और टैक्नोक्रेट का झगड़ा है। इस झगड़े को हिन्दुस्तान की सरकार नहीं मिटा सकी। परन्तु यहां राजस्थान में जनता पार्टी की सरकार ने अवश्य ही एक टैक्नोक्रेट को बोर्ड का चेयरमैन बना दिया और आई. ए. एस. को नहीं बनाया, इसके लिए मैं इस सरकार को बधाई देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने जो वायदे किए थे बिजली के बारे में, उसके बारे में मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। किसी मुल्क के आम अवाम का जो लिविंग स्टेन्डर्ड है, आम किसान का, मजदूर का वह इस मापदंड से आंका जाता है कि उस देश में कितनी बिजली पैदा होती है, प्रति

(श्री शिवचरणसिंह)

व्यक्ति कितनी बिजली की खपत होती है। यदि इस आंकड़े को आप निकालेंगे तो आप पाएंगे कि आप कहां हैं, सारे हिन्दुस्तान में आपकी जनता पार्टी की सरकार है, सारे हिन्दुस्तान के राज्य के नाते आपको शर्म आनी चाहिए। राजस्थान के मंत्री के नाते आपको शर्म आनी चाहिए कि राजस्थान हिन्दुस्तान की अन्य स्टेट के मुकाबले बहुत ही पीछे है। मैं लम्बे चौड़े आंकड़े नहीं देना चाहता हूं। आप बार-बार पुरानी सरकार का उदाहरण देते हैं अंग्रेजों और मुगलों की हिस्ट्री बताने से कोई लाभ नहीं होगा। पुरानी सरकार की बातें आप महीने, दो महीने तक बताते रहें, बीस साल तक चिल्लाते रहें तो कोई लाभ नहीं होने वाला है। अब सवाल तो यह है कि आपने डेढ़ साल के कार्य-काल में क्या किया है? बोर्ड में आपने क्या सुधार किये? पहले इस बोर्ड का सारा प्लानिंग अनइकोनामिक था। उस जमाने में रीजनल इम्बेलेन्स था। सारी सत्ता पश्चिमी राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान के हाथ में थी। इससे राजस्थान का क्षेत्रीय असन्तुलन बढ़ गया। प्लान, नान प्लान, इलेक्ट्रिसिटी और दूसरे डिपार्टमेंट का जो रुपया था. उस मद का सारा पैसा उदयपुर और जोधपुर में खर्च हो गया और आप भी इसी लाइन पर चल रहे हैं। इसी लाइन पर आप चलते रहे तो आपका भी बेड़ा गर्क जल्दी होगा। मैं मंत्री महोदय, आपसे यह जानना चाहता हूं कि पूर्वी राजस्थान का यह जो फर्टीलाइज्ड इलाका है, जिसके अन्दर, अलवर, भरतपुर सवाई माधोपुर, कोटा, झालावाड़ जिले आते हैं. उसमें आपने एक भी लाइन नहीं डाली है। डाली है तो बता दीजिये। वहां पर कितने कुए हैं और एक लाइन से कितने कुए विद्युतीकृत हो जाएंगे यह आपने कभी नहीं सोचा है। यहां एक लाइन से 100 कुए विद्युतीकृत हो सकते हैं वहीं दूसरी तरफ 40 लाइन के बाद एक कुआ विद्युतीकृत होता है। बोर्ड के इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेन्शन की प्लानिंग किस प्रकार से है, यह बताने का कष्ट करें। जहां पर वाटर पोटेन्शियलिटी ज्यादा है वहां पर बोर्ड अगर खर्च करता है तो रिटर्न आपको मिलेगा। पोलिटिकल डिसीजन पर यह नहीं किया जाना चाहिए। यह एक आटोनोमस बोडी है। कार्मशियल इन्सटीट्यूशन है। ये सारे कारण हैं जिनसे बिजली विस्तार को धक्का पहुंचा है। पुरानी सरकार ने जो परम्परा डाल दी उस परम्परा को आप हिम्मत करके तोड़िये। जहां प्रोडक्टिव वेल्यू है, जहां बिजली देने के बाद एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, तो रिटर्न मिलता है। आपने घोषणा की थी कि वहीं बिजली का विस्तार किया जायगा जहां से रिटर्न मिलेगा और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अभी आपने रूपवास की स्कीम बनाई है। आप और मुख्य मंत्री यह राजनैतिक भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? इससे बड़ा और क्या भ्रष्टाचार है। स्कूलों में भी राजनैतिक भ्रष्टाचार आपने फैला दिया है और यह राजनैतिक भ्रष्टाचार आप कर रहे हैं रूपवास में चुनाव होने वाला है विधान सभा के लिए इसलिए आपने वहां 54 गांवों को विद्युतीकृत करने की स्कीम बनायी है। यह इसलिए किया कि बिजली का लालच बता कर, प्रलोभन बता कर आप वोट लेना चाहते हैं। आप यह बता दीजिये आपने 54 गांवों की योजना कब बनाई? क्या ये गांव आर० ई० सी०

(श्री शिवचरणसिंह)

योजना के अन्तर्गत आते हैं? क्या ये गांव 11 के. वी. लाइन के लास्ट पाइन्ट पर आते हैं। क्या फेज प्रोग्राम इसके अन्दर हैं? यह सरासर बेईमानी है। इन 54 गांवों के पास ही मेरी कान्स्टीट्यूएन्सी बयाना है। यह 11 के० वी० लाइन के लास्ट पाइन्ट पर है। एक किलोमीटर लाइन डालने पर मेरे क्षेत्र में 22 कुओं को आप बिजली दे सकते हैं। क्या आपने यह स्कीम बनायी? आपको शर्म नहीं आती है। यह राजनैतिक आधार नहीं तो क्या है? आपको फेज प्रोग्राम के तहत नवम्बर में सैंक्शन निकाल देनी चाहिए क्या यह सैंक्शन निकाली है? गांवों के किसानों को आप सैंक्शन फरवरी में देंगे। हमें तो यह आशा थी कि जैसे डी० सी० एम. का सवाल यहां पर आया था, उस समय आपने यह कहा था कि बड़े कल कारखानों को जो सुविधा बिजली की दे रखी है वह बंद कर दी जाएगी। यह आश्वासन आपने विधान सभा में दिया था तो हमारा यह ख्याल था कि भूतपूर्व सरकार ने यह सुविधा किसी प्रलोभन से उनको दे रखी थी, वह बंद होगी और किसानों को सुविधा नहीं देंगे तो उनकी रेट भी हमारे बराबर होगी। क्या आपने ऐसा किया? आपने तो सारी सुविधाएं उनको चालू कर रखी हैं। आपने उनको रोकने की कोशिश नहीं की।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : शेम।

श्री शिवचरणसिंह : शेम है कहां। मैं आपको सुना रहा हूं। बहुत घोषणाएं की हैं आपने आपने फिर चिकमंगलूर के चुनाव में दो ही बातें कही। इमर्जेन्सी की ज्यादती और किसानों व गरीबों के ओरियन्टेशन की बात। क्या आपने इलेक्ट्रिसिटी की रेट कम की है? क्या यह कोशिश की है कि किसान और सेठ साहूकार की बिजली की रेट कम से कम एक कर दें? पार्टी मीटिंग में जो किसान सदस्य हैं उनको आप बोलने नहीं देते हैं। इन बेचारों की बात आप सुनते नहीं हैं। आपके मुख्य मंत्री पार्टी मीटिंग होने नहीं देते हैं। कितने दिन इन बेचारों का आप गला घोटेंगे? यह आप समझ लें किसी भी दिन ये आपको डाइवोर्स कर जाएंगे यह स्टेज आ गई है....

श्री रतनलाल शर्मा : ये बेचारे, बेचारे शब्द का सदस्यों के लिए उच्चारण न करें।

(व्यवधान)

श्री शिवचरण सिंह : माननीय सदस्य, आपको धन्यवाद।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : हम डर के रहने वाले नहीं हैं। आप 1-2 का नाम ले सकते हैं।

श्री शिवचरण सिंह : मैं आपको जानता हूं। आप ही कुछ कर सकेंगे।

श्री मथुरादास माथुर : शे·ों और मर्दों की बात करनी चाहिये।

श्री शिवचरण सिंह : इनको ठीक करने की सबसे पहले आप ही शुरूआत करेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि आप किसानों के प्रतिनिधि हैं मुझे आशा थी कि किसानों और उद्योगपतियों को आप एक केडर में खड़ा करेंगे। आपको देखना चाहिये।

(श्री शिवचरणसिंह)

आपकी उद्योग नीति में भी आप जानते हैं, यहां 80 प्रतिशत किसान हैं। सबसे बड़ी इंडस्ट्री आपकी 72 प्रतिशत एम्प्लायमेंट देने वाली इंडस्ट्री एग्रीकल्चर की है। यह इस देश का दुर्भाग्य है। भूतपूर्व सरकार ने गलती की कि किसानों को इग्नोर किया। लेकिन आप तो कुछ आगे बढ़ कर करो। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में आपने अपने सारे प्रतिनिधि भर लिये। क्या कोई किसानों का प्रतिनिधि है ? आप जरा हिम्मत करके....

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : आप जरा जानकारी करके बताना कौन-कौन से हमारे प्रतिनिधि हैं ?

श्री शिवचरणसिंह : आप सबके प्रतिनिधि हैं। आर.एस.एस. के प्रतिनिधि हैं....

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : जवाब सुनने की हिम्मत नहीं है।

श्री शिवचरणसिंह : जवाब तो हम रोज सुनते हैं। आपने किसानों के बारे में घोषणाएं की हैं उनको इम्प्लोमेंट करने की कोशिश करिये....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मुझे कोई ज्यादा बात नहीं करनी है। फ्लेट रेट होनी चाहिये। उत्तर प्रदेश, हरियाणा में फ्लेट रेट है तो आप फ्लेट रेट क्यों नहीं करते ? चोरी बढ़ाने के लिये तो आपने महकमे बढ़ा दिये। आय कर का प्रशासन खर्च 26 प्रतिशत आता है। बिजली की चोरी को रोकने के लिये पुलिस का महकमा बना दिया वे चैक करेंगे। आप ऐसा क्यों नहीं करते, फ्लेट रेट डिक्लेयर कर दो। मैं कहना चाहूंगा कि बिजली के जितने ठेकेदार हैं सब बिजली के इन्जीनियरों के साथ मिले हुए हैं और उनको रिश्वत का पैसा पहुंचाते हैं। ये कनेक्शन फीस लेते हैं 200, 250 और 300 रुपये की रेट बन्धी हुई है, आप डिनाई नहीं कर सकते। माननीय मंत्री महोदय, आपके घर में भी बिजली का जब कनेक्शन हुआ, आपने भी रिश्वत दी। यह जो एल- फार्म होता है उसकी फीस और 50, 100, 150 रुपये फुटकर खर्च के नाम से लिये जाते हैं, क्या यह आर. एस. एस. के जलसों की फीस है ? मैं जानता हूं कि आपके सोर्सेज बहुत हैं। यह जो आर्गेनाइजेशन है जिसके आप हैड हैं यह बहुत बड़ा है। इसमें आपने अगर भ्रष्टाचार समाप्त कर दिया तो निश्चित रूप से आप धन्यवाद के पात्र हैं, आप फ्लेट रेट करें जो बिजली की बड़ी-बड़ी स्कीमें हैं उनके लिये आप बैंकों से पैसा लीजिये, को-आपरेटिव्स से पैसा लीजिये। आपने 100 प्रतिशत विद्युतीकरण की घोषणा की है; आप भीलवाड़ा, भरतपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, झालावाड़ पर थोड़ी कृपा करिये। आपके शासन को डेढ़ साल तो हो गया, साढ़े तीन साल रहे हैं...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

कोई नहीं रखेगा आपको बाद में अगर आपने डवलपमेंट नहीं किया। थोड़ा जो घोषणाएं की हैं उनके अनुसार काम करिये नहीं तो आपका तो बंटाढ़ार होगा ही साथ में हमारी भी हो जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दाऊदयाल जोशी !

श्री इन्द्रपालसिंह मकासर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये तो घर में ही चर्चा कर लेंगे।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस वर्ष जो राज्य सरकार ने ग्रामीण ऋण लेने का तय किया है एक करोड़ का, मैं समझता हूं इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि पिछले कांग्रेस शासन ने जो लाइबिलिटीज, जिम्मेदारियां छोड़ीं, जो वसूलियां छोड़ी हैं राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल पर अगर जिम्मेदारी से विद्युत् मण्डल वह वसूली प्रारम्भ कर दे तो कर्जा लेने का कोई कारण नहीं, कर्जा लेने की आवश्यकता नहीं। मैं बोर्ड की जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पर कहना चाहता हूं कि जो बकाया राशि 74–75 में भूतपूर्व नरेशों पर 7.93 लाख रुपये, 75–76 में 8 91 लाख रुपये और 76–77 में 8.22 लाख रुपये थी भूतपूर्व नरेशों पर आज भी बिजली विभाग की बकाया चली आ रही है। रेलवे की 57.07 लाख की बकाया है, 74-75 में और 75-76 में 67.50 लाख और 76-77 में 64.69 लाख बकाया है। 17.46 लाख 74–75 की, 19.45 लाख 75-76 की और 21.38 लाख 76-77 की राज्य सरकार के विभागों में बकाया है। इसी प्रकार बड़े-बड़े उद्योगपतियों में 345-94 लाख 74-75 के, 470.29 लाख 75-76 के और 566.43 लाख 76-77 के बकाया पड़े हैं। इन धन्ना सेठों पर, उद्योगपतियों पर राजस्थान में जो 17-18 बड़े-बड़े कारखाने चलते हैं आज 1676-59 लाख रुपये बकाया हैं।

सदन की कार्यवाही
विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री सूर्यनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करूंगा कि सदन की बैठक का समय आज का कार्य पूरा होने तक बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है कि सदन की बैठक का समय आज का कार्य पूरा होने तक बढ़ा दिया जाय।

(स्वीकृत)

सदन की बैठक का समय कार्य पूरा होने तक बढ़ाया गया।

राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल के आय-व्ययक 1978–79 पर विचार

श्री दाऊदयाल जोशी : तो लाखों रुपये बकाया चले आ रहे हैं। अगर नगरपालिका, ग्राम पंचायतों को हम छोड़ भी दें तो राज्य सरकार पर जितना कर्जा और जितनी बकाया पिछली सरकार छोड़ कर गई है उस बकाया की धन्ना सेठों से तेजी के साथ वसूली करें तो राजस्थान को आगे बढ़ाने का जो स्वप्न देख रहे हैं वह निश्चित रूप से पूरा कर सकते हैं, और राजस्थान निश्चित रूप से आगे बढ़ सकता है।

इस प्रकार से यह जो बकाया रहता है उसके लिए मैं निवेदन कर रहा था कि बड़े उपभोक्ताओं से वसूली हो। आपूर्ति विद्युत् के प्रभारों की शीघ्र वसूली के लिए यह आवश्यक है कि मीटरों का सही पठन हो और समय पर हो। मीटरों का प्रथम पठन कनेक्शन देने की तारीख से एक माह में किया जाना चाहिए। उसमें काफी चोरियां होती हैं उनको रोका जाना चाहिए। 1976-77 को समाप्त होने वाले तीन वर्षों के लिए 29 उप-खण्डों के उपभोक्ताओं के खातों की नमूना जांच की है उससे पता चला है कि मीटरों का प्रथम पठन लेने में 2 माह से लेकर 60 माह तक की देरी हुई है। इसमें विद्युत् की चोरियां हुई हैं। 2 माह से 6 तक के विलम्ब के घरेलू उपभोक्ता 2832

(श्री दाऊदयाल जोशी)

थे और औद्योगिक इकाइयां 3 किलोवाट से 10) किलोवाट तक की 60 थीं, 6 माह से 12 माह तक के घरेलू उपभोक्ता 119 थे और औद्योगिक इकाइयां 2 थीं । 12 माह से 39 माह के घरेलू उपभोक्ता 42 और औद्योगिक ईकाइ 1 थी । 39 माह से 60 माह तक विलम्ब से पठन लेने के 29 घरेलू उपभोक्ताओं के मामले थे । जब इस प्रकार से मीटर रीडिंग में विलम्ब होगा तो कोई कारण नहीं है कि ठीक प्रकार से रकम की वसूली हो सके ।

मुझे निवेदन करना है, विद्युत् विक्रय के देनदारों के लेखों की समीक्षा में यह बताया गया है कि 459 बड़े उपभोक्ताओं के विरुद्ध 1073.83 लाख रुपये बकाया थे जिनमें से प्रत्येक के विरुद्ध 31 मार्च, 1977 को 10 हजार से अधिक बकाया थे 1 लाख से अधिक बकाया के मामलों की संख्या 95 थी । इन 95 व्यक्तियों में 663.17 लाख रुपये बकाया है । 10 हजार से 4 हजार तक की बकाया के 51 मामले हैं जिनमें 34.77 लाख रुपये बकाया चल रहे हैं । इन बड़े मामलों में से 69 मामले अदालतों में गये है । ऐसे लोगों से त्वरित गति से वसूली की जाय ।

श्री मदनसिंह दांता : अकाल के टाइम में यह राय दे रहे हैं ?

श्री दाऊदयाल जोशी : जो राजा महाराजा हैं और बड़े बड़े जागीरदार हैं, मदनसिह जी, आप जैसे उन जागीरदारों में बकाया है । भगवान की दया से लाखों रुपया राजाओं के पास है वे विद्युतीकरण का पैसा नहीं दे रहे हैं ।

श्री मदनसिंह दांता : हमने वह चीज दी है जो सरकार को किसी राजा महाराजा ने नहीं दी ।

एक माननीय सदस्य : कोटा के डी. सी. एम. में 24 करोड़ की बकाया हैं उसके लिए कहें ।

श्री दाऊदयाल जोशी : करोड़ों रुपया विद्युत मण्डल का बकाया है । कांग्रेस ने बड़े-बड़े धन्ना सेठों को कम दाम पर बिजली दी है उसका बकाया है ।

श्री मदनसिंह दांता : आपको एक साल से ज्यादा हो गया है आपने वसूली क्यों नहीं की?

श्री दाऊदयाल जोशी : मेरे एक गांव में बिजली दो दोगोद तहसील में ।

श्री मदनसिंह दांता : अब कितने गांव में लगी है ?

श्री दाऊदयाल जोशी : अब 16 गांवों में लग गई है । परसराम जी मदेरणा कोटा जाकर आये हैं । पहले केवल एक गांव में ही बिजली थी ।

श्री नूरा : आपकी पार्टी का शासन है । आप पर महरबानी करके घटकवाद से प्रेरित होकर दी ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : इतने क्यों गिड़गिड़ा रहे हो । हमारे ही पैर पकड़े होते तो कभी का विद्युतीकरण हो जाता ।

श्री रतनलाल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय खेतसिंहजी ने कहा कि हमारे पैर पकड़े होते । वह इतने गिरे हुए नहीं थे कि आपके पैर पकड़ते ।

श्री दाऊदयाल जोशी : माननीय उपाध्यक्ष, पिछली सरकार ने, कांग्रेस शासन ने 1 करोड 45 लाख रुपये की लागत के दोषपूर्ण एस. सी. एस. आर. जेबरा कन्डक्टर्स 1968 में खरीदे गये। सुनिये, माननीय खेतसिंहजी, आप देखिये कि दोषपूर्ण ....

श्री मदनसिंह दांता: एक साल में कितना घोटाला हुआ है वह भी बता दें।

श्री दाऊदयाल जोशी : राजस्थान के 4 उप-भण्डारों में इन दोषपूर्ण कन्डक्टरों को रखा गया। इन भण्डारों पर चौकीदार रखे गये। कांग्रेस शासन के मन्त्रीजी और डागा साहब आप सुनिये; उन यन्त्रों को रखने के जो चौकीदार रखे गये 1968 से 1974 तक उन चौकीदारों की तनख्वाह पर 2 लाख 37 हजार रुपये व्यय हुआ।

श्री मूलचन्द डागा : बड़ा दुःख हुआ।

श्री दाऊदयाल जोशी : उपाध्यक्षजी, गलत सामान खरीदा गया उसका डिस्पोजल नहीं किया क्योंकि उसमे कमीशन नहीं मिलता था। दोषपूर्ण सामग्री को गोदाम में रखा और 2 लाख 37 हजार राजस्थान विद्युत मण्डल का बरबाद हुआ। उन सारे के सारे यन्त्रों को भण्डारों में रखा और उनको आपने इस प्रकार से काम में लिया ····

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा: तथ्यान्वेषण कमेटी में माननीय दाऊदयालजी को रखा जाय, बड़े काबिल हैं। उचित सुझाव है। इन सब की जांच करवायें और दोषी आदमियों को दण्ड दिलवायें।

श्री दाऊदयाल जोशी उसके लिये कानसिंह आयोग बन गया है।

मैं अन्त में एक निवेदन करूंगा कि कोटा में ताप विद्युतीकरण हो रहा है उसकी 400 करोड़ की योजना है। उसमें एक बात अवश्य देख ली जाय, मैने राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के चेयरमैन साहब को भी निवेदन किया था कि जो रेल्वे लाइन बिछाई जा रही है कोटा में उसका बनना शुरू हो गया है। कोटा से जाने वाला मुख्य मार्ग है उस पर ओवरब्रिज की व्यवस्था नहीं की गई है। मैं राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के चेयरमैन साहब और मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा।

श्री मूलचन्द डागा : He can not address the Chairman, Sir I have got objection.

श्री दाऊदयाल जोशी : वहां से 368....

श्री मूलचन्द डागा : आप क्या कर रहे हैं? चेयरमैन बोर्ड को कैसे एड्रेस कर रहे हैं?

श्री दाऊदयाल जोशी : आज जैसा कि माननीय शिवचरणसिंहजी ने बताया, पहले राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के अध्यक्ष के पद पर केवल राजनैतिक आधार पर नियुक्तियां होती थीं। कांग्रेस दल में कोई बेकार हो गया, जिसको चुनाव में जनता ने ठुकरा दिया उन लोगों को पब्लिक अन्डर टेकिंग में चेयरमैनशिप पर लगाया जाता था अभी जो चेयरमैन हैं राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के, वह राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ·······

श्री श्योपतसिंह मकासर : 18 गांव तो मिल गये। और कितने गांव चाहते हो?

श्री दाऊदयाल जोशी : इस वक्त राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के चेयरमैनशिप

(श्री दाऊदयाल जोशी)

पर जिनको बैठाया गया है उससे आशा बंधती है कि हमारे विद्युत मंत्रीजी ललितकिशोरजी चतुर्वेदी के नेतृत्व में राजस्थान एक दिन निश्चित रूप से जहां हरा भरा होगा, वहां पर विद्युत जगमगाती हुई नजर आयेगी । आगे आने वाला समय हमारा है कांग्रेस का नहीं, इसके लिए तैयार रहें ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री एच. एन. शर्मा !

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : दो घंटे ही गये हैं । हमारी तरफ भी ध्यान दें, उपाध्यक्ष महोदय ।

(व्यवधान)

श्री एच. एन. शर्मा (वेगूं) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि अभी प्रस्तावना के रूप में बोल रहे थे । यहां लांग जम्प और हाई जम्प हो रहा है । यह 9-10 करोड़ रुपयों से ही काम चलने वाला नहीं है जो ग्रामीण विद्युतीकरण विभाग है, इस विभाग को यदि प्रापर तरीके से काम पर नहीं लगाया गया,तो कुछ होने वाला नहीं है। 101 करोड़ रुपये की आपने धनराशि बढ़ा दी है । आप देखिये, सन 77-78 मे प्रशासन व्यय राज्य का 2 प्रतिशत था । बाद में संस्था का नवीनीकरण किया गया है तब भी 2 प्रतिशत ही रहा था । अब वह 4 प्रतिशत हो गया है, प्रशासन का खर्चा इतना हो गया है । मैं तो तब मानता जब प्रशासन का खर्चा कम होता । यह छलांग गलत लगाई गई है । आपकी जानकारी के लिए मैं निवेदन करदूं कि 992 आफिसर हैं ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : कितने हैं ?

श्री एच. एन. शर्मा : 992 हैं ।

आफिसरों की संख्या और कर्मचारियों की संख्या का अनुपात लगायें तो अनुपात आता है, 15 कर्मचारियों पर एक अफसर। आप प्राइवेट फेक्ट्रीज में जायें तो वहां पर 100 कर्मचारियों पर एक आफिसर का औसत आता है इस विभाग में 15 कर्मचारियों पर एक अफसर है । अगर वह एक-एक पत्थर भी डालें तो पन्द्रह पत्थर हो सकते हैं फोर्थ क्लास कर्मचारी 5 हजार हैं । उन अफसरों के बंगलों पर आकर देखिये । एक बगीचे में माली चाहिए, एक खाना बनाने वाला चाहिए, एक कपड़े धोने वाला चाहिए एक बच्चे को खिलाने वाला चाहिए और एक बगीचे की रखवाली करने वाला चाहिये । इस तरह से कर्मचारियों को रखा हुआ है ।

एक माननीय सदस्य : साइनमैन होंगे ।

श्री एच. एन. शर्मा : आप चलिए। रावत भाटा में चलिए । आठ-आठ कर्मचारी काम कर रहे हैं ।

कई माननीय सदस्य : शेम ! शेम !

श्री एच. एन. शर्मा : आप नहीं मानते हैं तो चलिये मैं आपको दिखाता हूं ।

श्री श्योपत सिंह मकासर : आप तो रोकर दिखाइये ।

श्री एच. एन. शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय; यह तो कर्मचारियों की हालत है । प्रशासन की उछाल देख ली । पहले 2 प्रतिशत व्यय होता था अब 4 प्रतिशत व्यय हो गया है अभी माननीय सदस्य बोले मैं उनका जवाब दूंगा । जो परामर्शदात्री समिति के आपने मेम्बर बना रखे हैं उनको

(श्री एच. एन. शर्मा]

आप किसानों का प्रतिनिधि मान रहे हैं। आपने कौन से प्रतिनिधि बनाये हैं? कृषि निदेषक को आप किसानों का प्रतिनिधि मानते हैं। उनको आप किसानों का प्रतिनिधि नहीं माने।

एक माननीय सदस्य : यह तो आपकी पार्टी के ही हैं।

श्री एच. एन. शर्मा : परामर्शदात्री समिति में किसानों का कोई प्रतिनिधि नहीं है। मजदूरों का प्रतिनिधि रखा हुआ है, एक व्यापारियों का तथा एक स्थानीय निकायों का रखा है। लेकिन हिन्दुस्तान की जो असली 80 प्रतिशत जनता है उसका कोई प्रतिनिधि नहीं है: यह उछाल है, उपाध्यक्ष महोदय।

आगे मैं बताना चाहता हूं। यह एक लिस्ट है जिसमें करीब 36 पंचायत समितियां हैं। 45 पंचायत समितियां हैं जिनने आगे आर. ई. सी. स्कीम पास कर दी। 45 पचायत समितियां ऐसी थीं जिनमें एक भी पास नहीं की। राजस्थान में 270 मेगावाट बिजली का हमारे पंचायत समिति भैंसरोड़गढ़ क्षेत्र में उत्पादन करते हैं। राणाप्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध हमारी पंचायत समिति में हैं। आपको ताज्जुब होगा उन बांधों की वजह से गांव वालों को निष्कासित किया गया है। 25 हजार लोग विस्थापित हो गये, 722 बीघा जमीन जवाहर सागर की वजह से डूब में आई है। अनेक गावों को उजाड़ा गया। कई गांव उजाड़ दिये गये हैं। राष्ट्र के इन मन्दिरों को बनाने के लिए उन्होंने घरबार छोड़ दिया। पहले उन गावों का विद्युतीकरण होना चाहिये था लेकिन उनको वंचित कर दिया गया है। मेरे पास लिस्ट आई है। जब लिखते-लिखते परेशान हो गये तो पंचायत समिति खानपुर और पंचायत समिति अन्ता, इन दो में योजना पास की है, रघुवीरसिंह कौशल के क्षेत्र की योजना पास की है जो ललित जी के ज्यादा नजदीक है।

कई माननीय सदस्य : शेम! शेम!

एक माननीय सदस्य : यह भाई भतीजावाद खतम करो।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : वह तो झालावाड़ की पंचायत समिति है।

श्री एच.एन. शर्मा : राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध हमारी पंचायत समिति के हिस्से हैं। हम भैंसरोड़गढ़ के लिये दौड़ते हुए परेशान हो गये 16 महीने में जवाब मिला, उस पर अगले वर्ष विचार होगा। सरकार ने बड़े-बड़े भाषण दिये हैं। माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने कहा था, बिजली का अभियान चलेगा। लेकिन वह कहां चलेगा? वह उड़ गया है। हमें भी कहा गया था, बिजली अभियान चलेगा। पता नहीं कब अभियान चलेगा।

श्री श्योपतसिंह मकासर : ये आदमी भले मालूम पड़ते हैं।

श्री एच. एन. शर्मा : भाषण तो बहुत हो गये हैं। पता नहीं कब अभियान चलेगा। माननीय मन्त्री महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करूं, मेरे सम्माननीय सदस्य डागा साहब कहते हैं कि पाली में पानी का प्रदूषण हो रहा है। कोटा में जो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है वह कोटा शहर के बिल्कुल नजदीक बनाया जा रहा है। वहां पर जो राख उड़ेगी, उससे कोटा शहर में प्रदूषण

(श्री एच. एन. शर्मा)

होगा। इन अधिकारियों के भरोसे मत रहिये। कोटा के बिलकुल नजदीक लगाया गया है, अगर मन्त्री महोदय जागरूक होते, अगर सरकार जागरूक होती तो कोटा से दूर बोरावास के नजदीक 20 किलोमीटर की दूरी पर लगाया जा सकता था। लेकिन ये चाहते हैं कि लोग परेशान हों, इनको तो कोई परेशानी होती नहीं। मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा आप छलांग लगा रहे हैं तो चारों तरफ लगाइये। 101 करोड़ की राशि बढ़ा देने से ही कोई काम चलने वाला नहीं है। बड़े ही पुरजोर शब्दों में कहा गया है कि एक किलोमीटर के नजदीक जो गांव हैं उनका विद्युतीकरण किया जायगा। बजट तो पास हो गया मार्च-अप्रेल में और अभी तक कुछ डिसाइड ही नहीं हुआ, नवम्बर में मीटिंग होगी, 6 महीने तो ऐसे ही निकल गये। कौन-कौन से गांवों को बिजली देंगे, यह डिसाइड ही नहीं है। खाली लिस्टों से कोई काम चलने वाला नहीं है। अप्रेल से पहले लिस्टें बननी चाहिये थीं और अब तक काम शुरू हो जाना चाहिये था। लेकिन प्रशासन ने पांच-छः महीने गुजार दिये। काम शुरू होगा तो कहा जायगा खींचो, लोहा, लक्कड़, करो गड़बड़-घोटाले और पॉकट भराई। जनवरी, दिसम्बर में टेण्डर निकालेंगे। उसके बाद पोल लगाने की कार्यवाही शुरू होगी, गांवों में पोल खड़े होते हैं तो गांव वालों को कहते हैं कि खड्डे खोदो तब हम आपके यहां खम्भे लगा देंगे। खड्डे गांव वालों से खुदवाते हैं और पैसा कर्मचारियों की जेब में जाता है और दिखाया जाता है कि इतना पैसा खड्डे खुदाई में लगा दिया यह हालत है बिजली विभाग की।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़ा दुःखी हूं थोड़ा सा और निवेदन करना चाहूंगा।

मेरी पंचायत समिति बिजली पैदा कर रही है। आप ताज्जुब करेंगे सन् 74 में राणा प्रतापसागर बांध और जवाहरसागर बांध के कर्मचारियों ने हड़ताल की हार्ड ड्यूटी अलाउन्स के लिए। समझौता हो गया, सरकार ने आदेश कर दिये कि सभी कर्मचारियों को, चाहे वे राणा प्रतापसागर के हों या जवाहर सागर बांध के कर्मचारी हों हार्ड ड्यूटी अलाउन्स दिया जायगा। लेकिन ताज्जुब की बात है, उपाध्यक्ष महोदय, अधीक्षण अभियन्ता की इतनी हिम्मत हो गई कि उसके द्वारा राज्य सरकार के आदेश की अवहेलना की गई है। मैं चेयरमेन साहब से भी मिल चुका हूं। इससे पहले भी कई बार मैं यह बात ध्यान में ला चुका हूं परन्तु अभी तक मामला खटाई में पड़ा हुआ है। चार दिन पहले ही मैं वहां होकर आया हूं। उन्होंने कहा कि अभी डिसाइड नहीं हुआ है। अधिकारियों को तो दे दिया, असिस्टेन्ट इंजीनियर, एग्जिक्यूटिव इंजीनियर जूनियर इंजीनियर को हार्ड ड्यूटी अलाउन्स दे दिया क्योंकि वे लोग अधिकारी हैं और कर्मचारियों को नहीं दिया ऊपर से यह कहते हैं कि जो लोग केवल प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं उन्हीं को देंगे, मिनिस्ट्रियल स्टॉफ को नहीं देंगे। अरे भाई, तुम्हारे अधिकारी वहां पर बैठे हुए हैं, कर्मचारियों का उनसे डाइरेक्ट और इण्डाइरेक्ट सम्बन्ध है, तो उनको भी मिलना चाहिए। मेरा निवेदन है, उपाध्यक्ष महोदय, हार्ड ड्यूटी अलाउन्स का आर्डर जो राज्य सरकार ने निकाला है उसकी अविलम्ब पालना कराई जाय नहीं तो आन्दोलन होगा। मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो झण्डा लेकर चलूंगा।

श्री श्योपतसिंह मकासर : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत से माननीय सदस्य आफिसर लाबी की तरफ देखते हैं। उनको चाहिए कि आसन की तरफ मुंह करके बोल नहीं तो गलत परम्परा पड़ेगी।

श्री एच. एन. शर्मा : मैं माननीय मंत्री महोदय से आशा करता हूं कि जो भी सुझाव रखे हैं उनको ध्यान में रखते हुए कार्यवाही करेंगे। मेरी पंचायत समिति रावतभाटा बिजली का उत्पादन करती है, 220 मेगावाट बिजली का प्रमुख केन्द्र है, इसमें आर. ई. सी. की स्कीम लागू की जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आभार मानता हुआ अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, मैं 24 घंटे से लगातार आपको आई-कैच करने की कोशिश कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री श्योपतसिंह जी !

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विद्युत मंत्रीजी ने छलांग लगाने की बात कही है। दरअसल दुनिया में एक ही लम्बी छलांग लगाई थी माओ ने। आपको भी लम्बी छलांग लगानी चाहिए। विद्युत का काम सिर्फ छोटी छलांगों से नहीं चलता। आपको लम्बी छलांगों से काम करना पड़ेगा।

एक माननीय सदस्य : श्योपतसिंहजी, ज्यादा लम्बी छलांग लगाने से गिरने का डर भी रहता है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : बिजली को किसी भी देश के लिए लाइफ लाइन कहा गया है। आप ऊंचे उठ कर जरूर देखें। सन् 1917 की अक्टूबर क्रांति के बाद रूस में लेनिन ने एक बात कही थी, जल्दी तरक्की करनी है तो सबसे पहले बिजली की तरक्की करो। बिजली और एजूकेशन पर जोर देना चाहिए। इसी तरह से मैं अपने माननीय विद्युत मंत्री जी से कहूंगा कि राजस्थान का प्रदेश नदियों का प्रदेश नहीं है, यह सूखा, पहाड़ी और रेगिस्तानी प्रदेश है। बहुत कम ऐसे उपजाऊ इलाके हैं जहां पर नदियां हैं। इसलिए इस प्रदेश की तरक्की का आधार बिजली हो सकती है दूसरा और कोई तरक्की का आधार हो नहीं सकता। इसकी मिट्टी उपजाऊ है। हमारे पास राजस्थान का बहुत बड़ा भू-भाग है। अजीब विडम्बना है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम शहरों में जाते हैं चाहे हिन्दुस्तान का कोई शहर हो, दिल्ली हो, जयपुर हो, कोटा हो - हमको ऐसा अनुभव होता है कि जैसे बिजली देश के सारे साधन सम्पन्न लोगों के लिए ही है, ये ट्यूब लाइट्स, जगमगाती रोशनियां गांव वालों के लिए नहीं हैं। अभी विद्युत मंत्री ने कहा कि हमने हरिजनों के लिए बहुत कुछ किया है। आखिर बिजली का उत्पादन देश के लिए है। देश की परिभाषा क्या है ?

एक माननीय सदस्य : कोटा।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मेरे गांव में आज से 15 साल पहले बिजली आई और और आज 15 साल बाद भी जहां एक हजार घर मेरे गांव में हैं वहां बिजली केवल 200 घरों में है। बाकी घरों में दिया टिमटिमा रहा है। ये बिजली की योजनायें आपकी राष्ट्रीय योजनायें नहीं हैं। जब तक आम आदमी के पास आप बिजली नहीं पहुंचा सकेंगे तब तक चिमनी टिमटिमाती रहेगी। ये कुछ लोगों की योजनायें हैं इनका

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

जो शहरों में रहते हैं जिनके पास पैसा है वही उपभोग करते हैं, कम्युनिटी एज ए होल इनका उपभोग नहीं करती। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि देश की तरक्की हो तो बिजली घर घर पहुंचाने की जिम्मेदारी सरकार की है। केवल खंभे ही गाड़ने हैं तो पुण्य ले लो हरिजनों के मोहल्लों में गाढ़ दो। उस खंभे से कौन बिजली लेने जाएगा? बिल कौन देगा? बिलों के लिए अलग भाव, दूसरे सेठों के लिए अलग भाव, श्रीराम के लिये अलग भाव, गांव वालों के लिये अलग भाव, शहर वालों के लिये अलग भाव, ये अलग–अलग भाव नहीं चल सकते। क्या राष्ट्र की बात करते हैं? राष्ट्र की परिभाषा कुछ लोग नहीं होते हैं। संस्कृति के पैरोकार हैं हमारे विद्युत् मंत्री उस दिन हमें संस्कृति की याद आएगी जिस दिन बिजली खेत में जाएगी, देश के कोने-कोने में जाएगी नहीं तो संस्कृति चन्द पैसे वालों की संस्कृति है।

मैं एक सवाल पूछता हूं। राजस्थान के किसी गांव में आपने ट्यूबलाइट्स देखीं? गांवों के बच्चे शहर में आकर ट्यूब लाइट देखते हैं ....

श्री रामेश्वरलाल यादव : शायद आपने राजस्थान के सारे गांव नहीं देखें। आप मेरे साथ चलिए, चोमूं क्षेत्र में कई गांवों में आपको ट्यूबलाइट्स बताऊंगा।

श्री श्योपतसिंह मकासर : गांव में किसी चौधरी के यहां हो सकती है, ठेकेदार के यहां हो सकती है मगर शहर की तरह गांवों की गलियों में जगमगाती ट्यूब लाइट्स बता दो तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। मैं चोमू नहीं जाऊंगा। विद्युत् मंत्री जी, आप बिजली के प्लानिंग का तरीका, बांटने का तरीका बदलिए। इससे पहले मैंने देखा, 30 साल का तरीका क्या था? जहां-जहां नेता जाता था, जहां-जहां नेता पहुंचता था, बिजली नेता के पीछे चलती थी। जहां कुम्भाराम जाएगा वहां उसके खेत में बिजली जाएगी, मनफूलसिंह के खेत में जाएगी या और किसी सिंह के खेत में जाएगी। पहले यह व्यवस्था थी, बिजली जरूरत के अनुसार नहीं दी जाती थी। आप इसके लिए प्राथमिकता तय करें, जिस जमीन में पानी मीठा हो वहां सबसे पहले बिजली दें, फिर जिस गांव में आबादी ज्यादा हो वहां बिजली दें जिससे आपको पैसा वापस मिले, रिटर्न मिले। यह खयाल विद्युत् मंडल में नहीं किया गया। विद्युत् मंडल में इधर नेता बिजली मांगते रहे और उधर अधिकारी मौज मारते रहे। अब भी वैसे ही हो रहा है। अब भी कोई फर्क नहीं हो रहा है। अंधा बांटे रेवड़ी घर-घर में दे। स्कूलों का तो विभाग ही आपसे छीन लिया। अगर बिजली में भी ऐसा करेंगे तो साल बाद दूसरा विभाग आपको दे देंगे। तो यह तरीका गलत है कि अपना पेट भरो आगे छुट्टी। जिस तरह से शिक्षा में हमको निहाल किया, वैसे ही बिजली के मामले में निहाल मत करना। मेहरबानी करके आधार बनाइये। जिन इलाकों में बिजली नहीं पहुंची आप वहां नहीं दे सकते। आप कहते हैं कि कोटा में इसलिए ले गए क्योंकि कोटा में अब तक नहीं गई।

आप बिजली सस्ती करिए। मैं चित्तौड़गढ़ व डूंगरपुर हो कर आया हूं। शहर में भी बिजली के कारखाने लगे हुए हैं

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

सीमेन्ट के कारखाने लगे हुए हैं जे०के० के उनकी अलग दुनिया है वैसे स्वर्ग धरती पर उतर आया है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

उपाध्यक्षजी, यह व्यक्तिगत सवाल नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : व्यक्तिगत किसी का सवाल नहीं है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : अभी वे रो रहे थे।

मैं नहीं कहता कि हनुमानगढ़ में दें। मेरे क्षेत्र की बात नहीं है। मंत्री महोदय, जिन सेठों ने कांग्रेस सरकार से तीन-तीन पैसे यूनिट में बिजली ली अगर आप उसके बजाय 20 पैसे करो तो हम समझेंगे कि बड़ी हिम्मत की है।

आपने वायदा किया था, घोषणा की थी कि फ्लेट रेट करेंगे। जनता पार्टी की सरकार बनते ही आपने घोषणा कर दी, घोषणायें मत करो। यदि घोषणा करो तो कम से कम उसको लागू करो। किस बात की फ्लेट रेट ? क्यों फ्लेट रेट ? अजीब तमाशा है। जितनी बिजली किसान जलायेगा उतना पैसा देगा। मैंने चीफ इंजीनियर से बात की थी। उसने कहा कि खर्चा कहां से मीट करेंगे ? तुम जिम्मेदार हो; तुम्हारे खर्चे के लिये हम जिम्मेदार नहीं। तुम सोफा सेट लगाओगे, मखमल के गद्दे लगाओगे, आलीशान कोठियों में रहोगे तो हमने तुम्हारे खर्चे का ठेका नहीं लिया। कम करो खर्चा, हम पर क्यों भार पड़े ? सारा दिन जीपों में घूमते हो, यह खर्चा हमारा नहीं हैं। हमको कम पैसे में बिजली मिलनी चाहिए।

राजस्थान में सबसे ज्यादा दुर्घटनायें होती हैं। क्यों ? यह सोचने की बात है। एवरेज चार्ज क्या है ? आपने मिनीमम गारन्टी लगा दी, कुएं पर मिनीमम गारन्टी फिर एवरेज चार्ज क्यों ? आपने इन्सपेक्टर रखा है, वह हर महीने जाकर चैक करता है। फिर एवरेज चार्ज क्यों ? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तुम्हारे कर्मचारी चोर हैं और सजा हमको मिले। कर्मचारी घर बैठे रहते हैं, जाते नहीं रीडिंग करने के लिए और एवरेज चार्ज हम पर लगाते हैं।

एक माननीय सदस्य : यह तुम शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। यह संसदीय भाषा नहीं है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : कहीं हो गया होगा। लेकिन जो आपके लक्षण हैं वह ठीक नहीं है।

अभी छलांग की बातें कर रहे थे। आपके पास तार है क्या ? 1½ साल के बाद भी एक खंभे से दूसरे खंभे के लिए तार नहीं है छलांग कहां लगाओगे ? गिर जाओगे, हड्डी टूट जाएगी। तार आपके पास नहीं, मीटर आपके पास नहीं और कहते हैं कि छलांग लगा रहे हैं। है क्या आपके पास ? इसलिये मेहरबानी करके आप डींग हांक रहे हैं, उसके पहले तार तो ले आओ, मीटर तो ले आओ। छलांग लगाओगे तो रीढ की हड्डी टूट जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामप्रसाद लड्ढा !

श्री शीशराम ओला : उपाध्यक्ष महोदय, हमें भी बोलने का समय दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अगर आप कहें तो इसी बेंच को एक साथ ही बोलने के लिए अवसर दे दूं ।

श्री शीशराम ओला : तो ज्यादा अच्छा रहे ।

श्री उपाध्यक्ष : आप मुझे उचित तरीका बता दीजिये, मैं आपका सुझाव मानने के लिए तैयार हूं ।

(व्यवधान)

सबको समय दे रहा हूं ।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : 3 इधर से और 1 उधर से ।

(व्यवधान)

श्री नूरा : हम सुझाव देते हैं । अपनी बात कहते हैं । आप तो पार्टी मीटिंग में भी कह सकते हैं और मिनिस्टर्स से भी कह सकते हैं ।

श्री रतनलाल वर्मा : सदन में सब समान है । तीन इधर से एक उधर से

श्री रामप्रसाद लड्ढा (माण्डल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य बार-बार कह रहे हैं कि सदन में सत्ता पक्ष के लोगों को मौका दिया जा रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष : आप तो अपनी बात कह दीजिये ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज के विषय पर वाद-विवाद प्रारम्भ करते हुए विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने अल्प आयु की जनता सरकार को कोसा है । लोकतन्त्र में बोलना अच्छी और स्वस्थ परम्परा है लेकिन समझदारी से बोलें तब तो बुद्धिमता की बात होगी वरना गलत बात बोलना मूर्खता की बात होगी ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिजली प्रगति का आधार है । गांव की गली के अन्दर और झोंपड़ी के अन्दर रहने वाला मजदूर और किसान भी सोचता है कि मेरी झोंपड़ी में बिजली आये । यह सही बात है कि जब एक गरीब की झोंपड़ी के अन्दर एक बिजली का लट्टू लग जायेगा तो उसको इस बात का अहसास होगा कि आज मेरे जीवन में, आज मेरी झोंपड़ी में नयी चीज का सूत्रपात हुआ है गत तीस सालों में गांव में रहने वाले मजदूर और किसान की तरफ पिछली सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया । इसके साथ ही उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गत तीस सालों में जिस गांव में बिजली गई है उस गांव के रहने वाले हरिजन, काश्तकार और मजदूर इससे वंचित हैं । 12 महीने की जनता सरकार ने अपनी अच्छी योजनाओं के कारण छलांग की बात कही वह बिल्कुल सही है । पहले इस बिजली के मद पर खर्च होता था उससे कई गुना खर्च करके छलांग लगाने की बात कही है । आज बिजली का प्रसार हो रहा है । जो गरीब मजदूर और किसान बिजली से वंचित थे और उपेक्षित थे उनके घरों और झोंपड़ी के अन्दर बिजली पहुंची है । मैं आपको उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करूंगा कि तीस सालों के अन्दर कांग्रेस ने केवल चुनावों के समय खम्भे डाल कर वोट लिए थे । चुनावों के बाद खम्भे हटा लिए गए । मैं अपने क्षेत्र मालीखेड़ा की बात कर रहा हूं । भीलाखेड़ी बस्ती है जहां अभी बिजली पहुंची है । कांग्रेस सरकार गरीबों की कहलाने वाली सरकार

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

अनुसूचित जाति और जन-जाति की कहलाने वाली सरकार ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया है। जनता सरकार का शुक्रिया है कि उसने उन जगहों पर बिजली पहुंचाई है जहां बिजली के खम्भे हटाये गये थे। उन स्थानों पर बिजली देकर गरीबों के झोंपड़ों के अन्दर बिजली जलाई है।....

श्री अब्दुल अजीज : और दीपक बुझाया है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : दीपक बुझा कर बिजली जलाई है।

कांग्रेस सरकार गत तीस सालों के अन्दर बिजली वहां ले गई जहां उनको वोट मिलने वाले थे। जिन गांवों से बिजली निकली है और काश्तकारों के खेत और झोंपड़ी खराब हुई हैं उन गांवों की तरफ उसने ध्यान नहीं दिया है। जनता सरकार ने 11 के० वी० लाइन डाल कर गांवों में बिजली पहुंचाई है 150 लाख रुपये खर्च करके 200 गांवों में बिजली देने की बात जनता सरकार ने कही है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक माननीय सदस्य: आप डिप्टी मिनिस्टर हैं क्या ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 1977-78 के अन्दर जहां 15 हजार कुओं को बिजली देने का लक्ष्य था जनता सरकार बधाई की पात्र है कि उसने वह संख्या बढ़ाकर 20 हजार की, बल्कि उसके स्थान पर 20,688 कुओं को बिजली दी है। 1200 गांवों को बिजली पहुंचाने की बात थी वहां 1630 गांवों को बिजली पहुंचाई गई है। इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 1978-79 के अन्दर बिजली के कनेक्शन दिये जायेंगे। गत तीस सालों में बिजली के कनेक्शन के लिए 50 बार एक किसान चक्कर लगाता था आज वही काश्तकार बिजली लगवाने के लिए जाता है तो फौरन बिजली लग जाती है। मैं भीलवाड़ा जिले में माण्डल क्षेत्र के लिए कह सकता हूं कि एक भी पेन्डिंग केस नहीं है। दो-दो साल से केसेज पेन्डिंग चल रहे थे उनका निपटारा जनता सरकार ने किया है। जनता सरकार ने जिस गति से गांवों को बिजली दी है और प्रसार किया है उसके लिये भी सरकार धन्यवाद की पात्र है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस (आई) के रामनारायण जी चौधरी मेरे नीचे रहते हैं....

श्री शीशराम ओला (पिलानी) आन ए पाइन्ट ऑफ आर्डर, सर। मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि किस के नीचे रहते हैं ? माननीय सदस्य के नीचे रहते हैं या उनके फ्लेट के नीचे रहते हैं।

(व्यवधान)

श्री कौशलकिशोर जैन: और किसी मायने में नहीं उनके बंगले के नीचे रहते हैं।

(व्यवधान)

रामनारायण जी को नीचे रख कर करेंगे भी क्या ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय शीशराम जी, मैंने आप को सुना नहीं आप फिर से बोलें।

श्री रतनलाल वर्मा : श्री रामनारायण जी से पूछ लीजिये, उनके नीचे रहते हैं क्या ?

श्री शीशराम ओला : माननीय सदस्य का अपमान है। किस प्रकार से उनके नीचे रहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य को अपनी बात तो कहने दीजिये ।

श्री रतनलाल वर्मा : आपको किस बात की शंका हो गई।

एक माननीय सदस्य : वह मकान डबल स्टोरी है। ऊपर के पोर्शन में यह रहते हैं और नीचे के पोर्शन में वे रहते हैं....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बिराजिये।

श्री शीशराम ओला : उपाध्यक्ष महोदय, आप कृपया इस बात की व्यवस्था दें कि वे किस प्रकार से इनके नीचे रहते हैं।

एक माननीय सदस्य : आप बोलिये, आप को किस प्रकार की शंका है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री शीशराम जी, आप बैठिये ।

श्री शीशराम ओला : मैं नहीं बैठूंगा, जब तक व्यवस्था न हो....

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: बात का बतंगड़ बनाने के लिये हो।

श्री उपाध्यक्ष : मैं प्रोसीडिंग्स देख लूंगा, क्या है। मैं नहीं चाहता, माननीय सदस्य आवेश में आवें। मैं प्रोसीडिंग्स देख लेना चाहता हूं, कृपया आप शांति रखिये ।

श्री शीशराम ओला : इन्होंने यह कहा है कि राम नारायण जी मेरे नीचे रहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप स्पष्टीकरण करें, आपने कहा है ? अगर किसी भावना से अनुचित बात कही है तो खेद प्रकट करें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : रामदेवसिंहजी के लिये कह रहा हूं, आप ठीक कर लीजिये।

(व्यवधान)

रामदेवसिंह जी मेरे नीचे वाले फ्लेट में रहते हैं, उनकी बात कह रहा हूं ।

श्री कौशल किशोर जैन : खोदा पहाड़ निकली चुहिया।

श्री उपाध्यक्ष : यह दोष किसका है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उन्होंने मुझे कहा था कि कांग्रेस सरकार में मैं मंत्री रह चुका हूं। सीकर जिले में 275 ग्रामों का विद्युतीकरण किया है, बिजली पहुंची है। जब मैं डिप्टी मिनिस्टर था तब नहीं कर सका। कांग्रेस सरकार 30 साल में नहीं कर सकी····

श्री शीशराम ओला : रामदेवसिंह जी यहां नहीं हैं। आप अपनी बात कहिये। उनको बदनाम करने की बात नहीं करनी चाहिये·······

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उन्होंने प्रशंसा की है।

श्री हरीशकुमार : किसी के बोलने पर प्रतिबन्ध नहीं लगा सकते।

श्री शीशराम श्रोला : जो सदस्य हाउस में नहीं है, उनके बारे में गलत बात नहीं कही जा सकती।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राम प्रसाद जी, आप अपनी बात जल्दी समाप्त करें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सीकर जिले में 275 गांवों का विद्युतीकरण किया गया 12 महीने में, कोई गलत बात नहीं है। जो कुछ हुआ है हर बात नोट है। रिकार्ड स्पष्ट है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के अन्दर और खास तौर से भीलवाड़ा जिले के अन्दर चाहे आसीन्द हो, चाहे माण्डल हो, चाहे कोई और हो आर०ई०सी० की स्कीमें हैं वह पूरी हों। उनके बारे में निवेदन करना चाहता हूं आपने फ्लेट रेट की घोषणा की है। घोषणा कर चुके हैं एक बार नहीं अनेकों बार की हैं। उसकी क्रियान्विति हो।

इसके साथ ही निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार उद्योग के लिये छूट है, उसी प्रकार राजस्थान के अन्दर, सारे देश के अन्दर कृषि को उद्योग मान कर सुविधायें दीजिये, उसी प्रकार की रेट लीजिये ताकि घर-घर खेती का धन्धा उन्नत हो, गांव की माली हालत चमन हो, काश्तकार चमन हो। बस यही कह कर समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री करतारसिंह।

श्री अब्दुल अजीज : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सीकर जिले में बिजली मिलने के बारे में कहा है। सीकर के अन्दर 1977 तक कुछ गांवों में बिजली पहुंची है। 1978 के अन्दर कहीं बिजली नहीं दी हैं। यह गलत कहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य को जानकारी नहीं है।

श्री अब्दुल अजीज : यह रिपोर्ट है। हाथों हाथ झूठ।

श्री रामेश्वरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भी....

श्री करतारसिंह (किशनगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, सर्व प्रथम मन्त्री महोदय को इस बात का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने माननीय सदस्यों की इच्छा को ध्यान में रखते हुए बिजली बोर्ड के बजट की डिबेट का आयोजन किया ताकि इस माध्यम से अपने क्षेत्र की समस्यायें और बिजली बोर्ड के अन्दर जो घोटाले हैं उनको सामने रख सकें।

दूसरा धन्यवाद इस बात के लिये देना चाहूंगा कि उन्होंने 101 करोड़ रुपये का एडीशनल बजट बिजली बोर्ड को दिया है। यह सराहनीय काम है।

मन्त्री महोदय ने अपने भाषण में बताया था कि हम छलांग लगायेंगे। इसके लिये निवेदन है कि ऐसी लम्बी छलांग न लगायें कि कहीं बीच में रह जायें।

श्री उपाध्यक्ष : छलांग पर पहले माननीय सदस्य चर्चा कर चुके हैं।

श्री करतारसिंह : जितने भी माननीय सदस्य बोले उन्होंने बताया कि पहले 6

(श्री करतारसिंह)

महीने तो चुपचाप बैठे रहे, इन 3,4 महीनों में फटॅपट इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया। मेरे क्षेत्र का उदाहरण दूं, मेरा क्षेत्र शत-प्रतिशत इलेक्ट्रीफाइड है। आज मेरे सामने कई समस्यायें हैं। पिछले साल जो इलेक्ट्रिफाई किया, 2,3 महीने के अन्दर सारे गांवों में लाइन डाल दी वह लाइन गिरी हुई हैं। किसान परेशान हो रहे हैं। थोड़ा-थोड़ा काम करें लेकिन मजबूती के साथ करें। कनेक्शन के बारे निवेदन करना चाहता हूं जैसा एनुअल फाइनेन्शियल स्टेटमेंट बिजली बोर्ड से मिला है उसके अन्दर यह बताया है कि पिछले साल 1500 गांवों में लगभग 20 हजार कुओं को कनेक्शन देने थे उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई, उसकी असफलता के जो कारण बताये गये हैं उनमें मुख्य कारण बताये गये हैं उनकी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं, सभी माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए पढ़कर सुनाऊंगा :

"इन सीमाओं के अतिरिक्त कुओं के विद्युतीकरण की प्रगति में सम्भावित कृषि उपभोक्ताओं द्वारा मांग पत्रों की राशि जमा करा देने पर भी उनके कुओं के लिए विद्युत मोटर पम्प को खरीदने एवं लगाने में अक्षमता भी बाधक रही है। ऐसे कुछ मामलों में जहां कि 'एल' फार्म तो दे दिए गए थे लेकिन मोटर आदि नहीं लगाने से विद्युत सम्बन्ध नहीं दिए जा सके।"

मेरे कहने का मतलब यह है, मैं माननीय मंत्री महोदय के सामने स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि आज राजस्थान में कितने उनके पास ऐसे उदाहरण मौजूद हैं, वे गिन कर बता दें कि जिन किसानों ने एप्लाई किया हो, उनको डिमाण्ड नोटिस दिया हो, उन्होंने उसकी राशि जमा नहीं कराई हो और मोटर नहीं लगाई हो जिसकी वजह से उनको कनेक्शन नहीं दिया जा सका हो। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहूंगा कि विभागीय भ्रष्टाचार की वजह से किसानों को कनेक्शन मिलने में दिक्कत आ रही है। मैं मेरे विधान सभाई क्षेत्र के पास में ही रूपनगढ़ के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर छः छः महीने से कनेक्शन पेंडिंग पड़े हुए हैं भ्रष्टाचार के कारण से आज उनको कनेक्शन नहीं दिए जा रहे हैं। इसका परिणाम यह हो रहा है कि किसानों में बिजली के प्रति घोर असंतोष पैदा हो रहा है। मैं आपको बताता हूं कि आज करीब सौ से ऊपर डीजल इंजिन वहां पर लग गए हैं। किसान बिजली लेना पसन्द नहीं करते। मेरा निवेदन है कि नीचे के, लोअर लेवल पर जो भ्रष्टाचार है, जो विभागीय भ्रष्टाचार है, लाइन मैन से लेकर फोरमैन तक जो भ्रष्टाचार है, मैं एक्स० ई० एन० की बात नहीं कहता, ऊपर लेवल की बात नहीं कहता, लेकिन आज जो स्थिति है उसके कारण मेरे किशनगढ़ विधान सभाई क्षेत्र की बात बताता हूं कि जब तक दो सौ रुपया आफिस में नहीं पहुंचाता किसानों को कनेक्शन नहीं दिया जाता है। हर किसान तो मेरे पास आ नहीं सकता, हर किसान तो ऊपर तक नहीं पहुंच सकता इसलिए आपको निश्चित रूप से विभागीय व्यवस्था में सुधार करना पड़ेगा। मैं आपको निश्चित रूप से कहता हूं कि जो ऊपर के अधिकारी हैं, अजमेर में जो सुपरिटेंडिंग इन्जीनियर हैं, जो एक्स० ई० एन० हैं वे बहुत ईमानदार आदमी हैं। जो लोअर लेवल का स्टाफ है उसके अन्दर भ्रष्टाचार मिटाने की कोशिश करें। इसका एक ही तरीका है और वह यह है कि आप उपखण्ड स्तर पर जिला

(श्री करतारसिंह)

सलाहकार कमेटी का गठन कर दें, जिला स्तर पर सलाहकार समिति का गठन कर दें जिसके अन्दर जन प्रतिनिधि हों, सामाजिक कार्यकर्ता हों, किसानों के प्रतिनिधि हों। विभागीय अधिकारियों को मिला कर समिति का गठन करें जो किसानों की समस्याओं पर हर माह विचार कर उनका निपटारा कर सकें। इसी तरह से जो उपखण्ड हैं, जहां पर आर० ई० सी० की योजनायें हैं, जहां पर ज्यादा गांव इलेक्ट्रिफाइड हैं वहां की समस्याओं को सुनना चाहिए।

इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आपने आश्वासन दिया है कि हम जल्दी ही अभियान चलाना चाहते हैं और बिजली की समस्या को निपटाना चाहते हैं। मेरा निवेदन है कि पूरे राजस्थान में इस अभियान को चला कर जहां पर किसानों की बड़ी समस्या है वहां गांव-गांव में जाकर उनको निपटाना चाहिए। मैं विशेष रूप से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे किशनगढ़ निर्वाचन क्षेत्र में तो यह अभियान जल्दी ही चला दें और किसानों की जो परेशानी है उसको हल करें ताकि समस्याओं से छुटकारा मिले।

इसके साथ साथ मैं निवेदन करूंगा कि जो आपकी मीटर प्रणाली है उससे किसानों के अन्दर भयंकर असंतोष है। अधिकतर किसान अशिक्षित है, किशनगढ़ क्षेत्र में अधिकांश किसान अशिक्षित हैं, मीटर रीडिंग का मतलब वे जानते ही नहीं हैं। इस तरह के गिरे हुए लोग हैं, ऐसा उनका गिरा हुआ आचरण है कि लोग जबरदस्ती जाकर सील तोड़ देते हैं। किसान जानते ही नहीं हैं कि सील होती क्या है ? पहले तो सील तोड़ देते हैं फिर विभागीय विजिलेंस वाले जाते हैं वे उनको कहते हैं कि आपने चोरी की है, आपने मीटर को तोड़ा है और उनका कनेक्शन काट देते हैं। इस तरह की बहुत सी वारदातें मेरे किशनगढ़ निर्वाचन क्षेत्र में हुई हैं। जब कि फरवरी में पीक सीजन होता है, फसल को पानी पिलाने का समय होता है, उस समय कनेक्शन काट देना कहां तक उचित है ? दो-दो हजार का एरियर, तीन तीन साल का एरियर निकाला जाता है कहने का तात्पर्य यह है कि यह जो मीटर की प्रणाली है इसको खतम किया जाय और किसानों के लिए फ्लेट रेट लागू की जाय तो सही मायने में किसानों को सुविधा मिल सकेगी।

इसके साथ-साथ मैं माननीय मंत्री महोदय से बिलों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं, जो बिजली के बिल हैं, उनकी समस्या भी हमारे क्षेत्र में भयंकर है किसान हर महीने बिल जमा करा देते है उसके बाद जब विभागीय आडिट के अधिकारी जाते हैं, वे देखते हैं कि पिछले साल मान लीजिए कि एक हजार की बिजली जलाई और इस साल सात सौ रुपये का ही बिल आता है तो वे कहते हैं कि किसान बिजली की चोरी की है। इस तरह से उनसे एरियर वसूल किया जाता है। यह बिल्कुल गलत परम्परा है। एक तरफ आप मीटर लगाते हैं तो दूसरी तरफ अपनी मर्जी से इस प्रकार एरियर निकालना कहां तक उचित है। इस पर आपको चैक लगाना चाहिए।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि मीटर खराब होते हैं बार बार। किसान मीटर बोर्ड से लेता है, जिसका पैसा देता है। उस मीटर में जरा सी गड़बड़ हो जाती है

(श्री करतारसिंह)

तो मीटर का पूरा पैसा चार्ज कर लेते हैं, यह कहां का न्याय है। अगर मीटर की जरा सी कोइल भी जल जाती है तो पूरे मीटर की कीमत वसूल की जाती है। फिर मीटरों की भी इतनी कमी है मेरे क्षेत्र में कि जिसकी वजह से किसानों को बिजली के कनेक्शन नहीं दिए जा रहे हैं। कई जगह बिना मीटर के कनेक्शन दिए गए हैं।

इसके साथ साथ मैं आपसे यह भी निवेदन करूंगा कि मेरे विधान सभाई क्षेत्र रूपनगढ़ क्षेत्र में और अजमेर जिले में जितने बिल जमा होते हैं उनको सही मायने में देखा जाय तो मैं आपसे कहता हूं कि जितना अजमेर एक्स. ई. एन. के यहां पर वर्क लोड है उतना ही वर्क लोड मेरे विधान सभाई निर्वाचन क्षेत्र में है। दस पन्द्रह गांवों का मुश्किल से फर्क होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे क्षेत्र में 132 के. वी. लाइन का सब डिविजन बनने जा रहा है फिर भी किशनगढ में एक्स. ई. एन. नहीं है। इस-लिए अजमेर में जो एक्स ई. एन. हैं उसको किशनगढ में लाया जावे ताकि वहां के वर्क लोड को समय पर निपटाया जा सके। किशनगढ़ औद्योगिक क्षेत्र भी है। इसके अलावा एक एक्स. ई. एन. ब्यावर में मौजूद है और दूसरा अजमेर में हैं। इतना पास पास में होने से अजमेर में एक्स. ई. एन. की जरूरत नहीं है। रूपनगढ़ के अन्दर संभवत: 66 गांवों में इलेक्ट्रिफिकेशन है, उस एरिया की यह बहुत गंभीर समस्या है........

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ समय दिया जावे। मैं मेरे क्षेत्र की समस्या रख रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : समस्यायें तो बहुत हैं संक्षेप में कह दें।

श्री करतारसिंह : मैं मेरे क्षेत्र की और अजमेर जिले की गंभीर समस्यायें बता रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : पहले गंभीर सम-स्यायें कह दें।

श्री करतारसिंह : श्रीमान, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि ए. ई. एन. सिलोर में है और किशनगढ़ में भी है। इस तरह से दो जगह रखने से कोई फायदा नहीं है। गांवों के किसान चाहते हैं कि ए. ई. एन. को रूपनगढ़ में लगाया जाय। इसी तरह से तिलोनिया के अन्दर भी एक नए ए. ई. एन. आफिस की स्थापना की जाय क्योंकि किसानों को एक ही दिन बिल जमा कराने के लिए मिलता है। मैं इसके लिये आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि मेरे पंचायत क्षेत्र में जहां कि मैं खुद रहने वाला हूं, वहां के सरपच, ग्राम पंचायत का बिल जमा कराने किशनगढ़ आफिस में गए और एक बजे पहुंच गए। एक बजे पहुंचने के बाद भी जब कि आफिस का टाइम दो बजे तक का है उनसे रिश्वत मांगी गई बिल जमा करने के लिए। यह हमारे लिए बड़े शर्म की बात है। इसलिए जहां तक बिल जमा कराने की व्यवस्था है इसको भी आप सुधारने की कोशिश करें।

इसके साथ-साथ मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, विशेष रूप से मेरे क्षेत्र के अन्दर जो ट्रांसफार्मर्स हैं उनसे इतने कनेक्शन दिए गए हैं कि वे ट्रांसफार्मर ओवरलोड है। किसानों को पूरा वोल्टेज नहीं मिलता है, किसानों को समय पर बिजली नहीं मिलती

(श्री करतारसिंह)

है और उनकी मोटरें जल जाती हैं। पीक सीजन में उनको बिजली नहीं मिलती है, किसान त्राहि त्राहि कर रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि वहां पर पूरे पावर के ट्रांसफार्मर लगा दिए जावें।

इसके अलावा मैं माननीय विद्युत मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि हमारे क्षेत्र के अन्दर ओवर लोड की समस्या है इसको मद्देनजर रखते हुए आप अतिरिक्त बिजली देवें ताकि इस समस्या से निपट सकें।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इसके साथ-साथ मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे एरिया में जब लाइट लगाई तो गांव की स्ट्रीट लाइन भी शामिल थी उसके बावजूद आज तक गांव में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि वहां पर स्ट्रीट लाइट लगावें।

इसके अलावा मैं निवेदन करूंगा कि अजमेर जिले की बिजली के मामले में घोर उपेक्षा की गई है। अजमेर जिले में लगभग पांच हजार कुएं मौजूद हैं उनमें से आज भी अनेक गांवों को मिलाकर करीब 350 गांवों के अन्दर बिजली लगाई है। बाकी सब बिना बिजली के पड़े हुए है। इसलिए मेरा निवेदन है कि अजमेर के साथ सौतेला व्यवहार बन्द करें। हमारे यहां गांवों में जहां बिजली नहीं है वहां पर बिजली पहुंचाई जावे।

इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करूंगा, विद्युत मंत्री महोदय, जो हरिजन बस्ती में बिजली लगाई गई है, आप अजमेर की रिपोर्ट को देखिए, इसमें बताया गया है कि पिछले वर्ष केवल एक हरिजन बस्ती को इलेक्ट्रिफाइड किया गया है। अजमेर जिले में 350 गांवों में बिजली पहुंच चुकी है और मेरे क्षेत्र के अन्दर 120 गांवों में बिजली पहुंची है लेकिन अजमेर में केवल एक हरिजन बस्ती को इलेक्ट्रिफाइड किया गया है, यह हमारे लिए बड़े शर्म की बात है।

अन्त में मैं माननीय विद्युत मन्त्री से और विद्युत विभाग के अधिकारियों से निवेदन करूंगा कि राजस्व अभियान की तरह से अभियान चलायें और गांव-गांव की समस्या को निपटाया जावे।

इसके साथ-साथ जो मुख्य समस्या है वह यह है कि रूपनगढ़ और किशनगढ़ में जब कनेक्शन दिए गये थे तो उनको कहा गया था कि दस होर्स पावर की मोटर लगाओ, या साढ़े सात हार्स पावर की मोटर लगानी पड़ेगी। मेरा निवेदन है कि अब तो गारण्टी पीरियड पूरा हो गया है। वहां के किसान अपने कुओं पर पांच हार्स पावर की मोटर लगाना चाहते हैं तो उनको इसकी इजाजत दी जावे।

अन्त में मैं माननीय मंत्री महोदय और बोर्ड के अधिकारियों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कम से कम इस पर चर्चा करने का अवसर दिया।

श्री उपाध्यक्ष : माथुर साहब, शायद आपका नाम तो आपके दल की जो सूची है उसमें नहीं है। यह तो अभी मालूम पड़ा कि आप बोलना चाहते हैं।

(व्यवधान)

आप अपने दल के सदस्यों को किस तरह से बुलाना चाहते हैं उसकी सूची दे देंगे तो सुविधाजनक रहेगा।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कल ही अपना नाम दे दिया था ....

श्री मदनसिंह दांता : हम इन्डिपेन्डेन्ट है हमको भी समय मिलना चाहिए। हमारी कोई पार्टी नहीं है....

श्री उपाध्यक्ष : आप तीनों तय कर लीजिये कि पहले कौन बोलेंगे।

श्री शीशराम ओला।

श्री समरथलाल : उपाध्यक्ष महोदय, हमारा नाम कहां गायब हो गया।

श्री उपाध्यक्ष : जिस सूची में आपका नाम है उसके नाम आ रहे हैं धीरे-धीरे।

श्री समरथलाल : सुबह ही नाम दे दिया था।

श्री नूरा : उपाध्यक्ष महोदय, बिजली की समस्या के बारे में आज सब जगह असंतोष है, क्या मजदूरों में, क्या किसानों में....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य नूरा, कृपया विराजिये।

श्री नूरा : आपने मेरा नाम पुकारा था..

श्री उपाध्यक्ष : मैंने नहीं पुकारा है। श्री शीशराम ओला!

श्री शीशराम ओला (पिलानी) : उपाध्यक्ष महोदय, आज बिजली के मसले को लेकर सदन में विचार विमर्श हो रहा है। दो प्रकार की समस्याएं हैं। एक तो व्यवस्था की व दूसरी बिजली अधिक मिले, विद्युतीकरण अधिक हो। मेरे यहां दोनों प्रकार की समस्याएं हैं। इसके लिए मेरे जो सुझाव हैं उनको मैं आपके माध्यम से प्रस्तुत करना चाहूंगा। वैसे राजस्थान में भरतपुर जिला उत्तर प्रदेश से मिलता है इसलिए यू० पी० के विकास का प्रभाव उस पर पड़ता है। इसी प्रकार से अलवर, झुंझुनू और चूरू जिले हैं जो हरियाणा के पास हैं हरियाणा के विकास का प्रभाव उन पर पड़ता है। उधर बांसवाड़ा, डूंगरपुर बाड़मेर जिले गुजरात के नजदीक है वहां के विकास का प्रभाव उन पर पड़ता है।....

एक माननीय सदस्य : पाकिस्तान....

श्री शीशराम ओला : पाकिस्तान से हमारा कोई लेन देन नहीं है।

इसलिए हम कह सकते हैं कि वे जिले जो हरियाणा से लगते हैं–हरियाणा का गांव गांव बिजली, नहर और सड़क से जुड़ा हुआ है वहां पर चौमुखी विकास हुआ है। झुंझनूं जिले में आए दिन दुर्भिक्ष पड़ता है। तीन चार साल में जमाना होता है सिंचाई के लिए वहां पर कुएं के अलावा कोई साधन नहीं है। हरियाणा नजदीक है। पास के गांव में सारी सुविधा है लेकिन झुंझनूं जिले के उस गांव में कोई सुविधा न होने से वहां का काश्तकार निराश है, सरकार के प्रति, स्वयं के प्रति वह उदासीन है क्योंकि उनके पास जीविका का कोई साधन नहीं है। बिजली विभाग के इन्जीनियर चिड़ावा, झुंझनू, नवलगढ़ में रहते हैं उनकी व्यवस्था की ओर मैं आपके माध्यम से उपाध्यक्षजी, मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मंत्री महोदय ने फरमाया कि हमने अक्टूबर महीने में जो लक्ष्य थे इस साल के वे पूरे कर लिए हैं। लेकिन झुंझनू इससे विपरीत है। झुंझनूं जिले में आज भी 60,000 एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी है जिनके कुएं का कनेक्शन नहीं हो पाया है। इसके एक–दो उदाहरण मैं आपके

(श्री शीशराम ओला)

सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा, आज तक ऐसा नहीं हुआ है। जीताराम सन आफ छोटूराम एक भूतपूर्व सैनिक है। उसके तीन लड़के फौज में हैं। एक कमीशन आफिसर है दो सिपाही हैं। उसने 20-5-74 को कुएं के कनेक्शन के लिए एप्लाई किया और उसने 28-7-77 को 1850/- रुपये सिक्योरिटी के जमा करवा दिए। आज तक उसको कनेक्शन नहीं मिला। चिड़ावा के असिस्टेन्ट इन्जीनियर मि. दीक्षित ने उसको बिल भेज दिया। 23–9–78 को 821.70 पै. का बिल भेजा। बिल नम्बर है 096, कूप नं. 068981 आप सोच सकते हैं कनेक्शन नहीं मिला और झूठा बिल उस को भेज दिया। आज तक उसको कनेक्शन नहीं मिला है उसने सिक्योरिटी के पैसे जमा करा दिए इसलिए उस आधार पर आपने बिल भेज दिया। मोटर फिट कर ली, सारी व्यवस्था कर ली। मेरे खयाल से ऐसा कोई उदाहरण आपको आज तक नहीं मिला होगा, कनेक्शन देने के पहले ही बिल भेज दिया हो। यह तो आपकी उपलब्धि है। इसी प्रकार से करकीड़ा गांव है। वहां के पांच आदमियों ने 25-3–78 को सिक्योरिटी के पैसे जमा करा दिए। एल फार्म दे दिया। कुए पर फिटिंग करा ली। इनके नाम हैं सूताराम सन आफ लूनाराम, यह हरिजन है, हरिजन को प्रायोरिटी से ऊपर लेकर बिजली देने का हमारे मंत्री महोदय ने कहा है। तो मैं यह निवेदन करूं कि हरिजन को किस प्रकारसे प्रायोरिटी को छोड़कर तत्परता से बिजली दी जाती है। लूनाराम हरिजन ने 25–3–78 को सिक्योरिटी के 1850 रुपये जमा करा दिए। परन्तु अभी तक उसको कनेक्शन नही मिला है। इसके साथ ही सरदारा पुत्र पताराम, अमरसिंह, प्रभू पुत्र रामू और एक रक्षपाल इनके पैसे जमा हो गये। आज तक कनेक्शन नहीं दिए गए। इनमें से एक रक्षपाल की मृत्यु हो गई। बिजली का कनेक्शन लेने के लिए दफ्तर दफ्तर घूमते रहे लेकिन उसकी जिन्दगी में उसे बिजली नहीं मिल सकी। यह उदाहरण मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। आप इसको महसूस कीजिये– एक आदमी बिजली का कनेक्शन लेने के लिये फिरता रहा। उसकी मृत्यु हो गई और वह अपने कुए पर बिजली नहीं ले सका। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसी प्रकार कुओं पर कनेक्शन के लिये जो सिक्योरिटी जमा कराई जाती है बिजली विभाग की किस प्रकार की व्यवस्था है और मुझे समझ में नहीं आया। पृथ्वीसिंह जी के रहते हुए भी यह व्यवस्था नहीं हुई तो कोई करने वाला नहीं है। 320 रुपये सिक्योरिटी के और 1200 रु० लेबर चार्जेज के कंज्यूमर को देने होते हैं और फिर काश्तकार बिजली लेने के लिये दौड़ लगाता है बिजली बोर्ड में। सारा सामान खम्भा आदि उसे ही खेत तक लाना पड़ता है और 1200 रु० खुली रिश्वत ली जाती है। मैं कोई सुनी सुनाई बात नहीं, तथ्यों के साथ निवेदन कर रहा हूं यह एक सफेद रिश्वत। है आज तक के इतिहास में नहीं सुना होगा कि कोई असिस्टेन्ट इंजीनियर ने रुपयों की माला के रूप में रिश्वत ली। श्री दीक्षित चिड़ावा ओ.एण्ड एम. में असिसटेन्ट इन्जीनियर हैं। कनेक्शन के नाम से रुपयों की माला अपने पाकेट में डालते हैं। ऐसा शायद कभी नहीं हुआ होगा। पहली बार मैं निवेदन कर रहा हूं। रुपयों की माला—

एक माननीय सदस्य : विधायक भी पहनते हैं।

श्री शीशराम ओला : वह दूसरी बात है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

This time should be deducted from Hon'ble member's time who has interrupted me. He should not have interrupted me.

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं कह रहा था, चर्चा जल्दी समाप्त कर दीजिये।

(व्यवधान)

श्री शीशराम ओला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप दूसरों को कहें। मैं नहीं बोलता हूँ। मैं मेरे विषय की बात कह रहा हूं। आप नहीं बोलने देंगे तो मैं छोड़ दूंगा।

(व्यवधान)

आज किसानों को अपने सामने अकाल नजर आ रहा है, बच्चों के पालन पोषण की समस्या है। इसका एक मात्र हल है बिजली। बिजली के माध्यम से फसल आदि पैदा कर अपनी जीविका हेतु वह कुछ कर सकता है और आप कनेक्शन काट रहे हैं। चिड़ावा में आज कनेक्शन नहीं मिलते। अकाल से ग्रस्त क्षेत्र है पूरी तरह से। वहां इस बुरी तरह से कनेक्शन काटे जायं, यह समझ में नहीं आता। यही नहीं पूरे झुन्झुनू जिले में शायद ही कोई ऐसा गांव हो जहां 10 हार्स पावर से कम मोटर हो क्योंकि हमारे यहां पानी बहुत गहरा है। बहुत ज्यादा विद्युत रेवेन्यू किसान दे रहे हैं झुन्झुनू जिले में फिर भी आप कनेक्शन काट रहे हैं। झुन्झुनू जिले में बकाया हो सकती है लेकिन विद्युत रेवेन्यू भी सबसे हाई देता है। इसके बावजूद उसके नजदीक हरियाणा है जहां जिस काश्तकार के पास 50 फीट से गहरा यानि 51 फीट गहरा भी अगर पानी है तो उससे 12 पैसे लिये जाएंगे। हमारी सीमा से महेन्द्रगढ़, भिवानी या हिसार जो भी जिले लगते हैं। उनमें 50 फीट से कम पानी नहीं है वहां हरियाणा में 50 फीट से गहरा जहां भी पानी है वहां विद्युत चार्जेज 25 पैसे प्रति यूनिट से घटा कर 12 पैसे प्रति यूनिट कर दिया गया है। तो वहां तो पैसे इतने कम और हमारे यहां 13 पैसे से बढ़ा कर 24 पैसे कर दिये, 25 कर दिये। मैं इस सरकार को दोष नहीं दूंगा। यह उसी कल्याणकारी सरकार ने किया था। लेकिन कुछ भी हो, वहां काश्तकार को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। एक ओर हरियाणा सरकार के इतने कम चार्जेज और दूसरी ओर राजस्थान विद्युत मण्डल का इतना भार 10 हार्स पावर की एक मोटर के मिनिमम चार्जेज भी 1600-1700 रुपये हैं। तो यह भारी टैक्स है। हमारी सरकार, राजस्थान की सरकार, राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल नुकसान उठा कर भी इंडस्ट्रियलिस्ट्स को बिजली देता है - कम कीमत में....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं थोड़ा सा समय और लूंगा।

हमारे यहां एक गांव में थोड़ा सा गहरा पानी हो तो सर्वे करने वाले कह देते हैं कि यहां की योजना लाभप्रद नहीं है इसलिये बिजली नहीं दी जा सकती जब कि सारी इन्डस्ट्रीज का बेस खेती है। यदि खेती नहीं हो तो दूसरी कोई इंडस्ट्री नहीं चल सकती। सारी इंडस्ट्री खेती पर निर्भर है काश्तकारों के सामने सिवाय खेती के और कोई धन्धा नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं थोड़ा सा और अर्ज करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री शीशराम ओला : मैं आपके द्वारा सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि झुन्झुनूं जिले के काश्तकारों को अधिक बिजली कुओं पर देनी चाहिये। मेरा निवेदन आपके माध्यम से यह भी है कि इन्डस्ट्री को सब्सिडाइज करते हैं इसलिये काश्तकार को भी निश्चित रूप से कम कीमत पर बिजली दें। कोई भी कल्याणकारी सरकार हो, वह ऐसा नहीं कर सकती है कि इन्डस्ट्री में लाभ हो और किसान को नुकसान हो। कोई भी कल्याणकारी सरकार वह करती है जिसमें ज्यादा लोगों का लाभ हो। उनको जिन्दा रखने के लिए, उनका स्टेटस कायम रखने के लिए, उनके ... की व्यवस्था के लिए यदि सरकार को नुकसान भी होता हो तो वह करे। जब तक सरकार इसका भार वहन नहीं करेगी तब तक काश्तकार के लिये यह सम्भव नहीं है कि वह बिजली ले सके और खेती कर सके।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सभी माननीय सदस्य को बोलने के लिये इतना समय दूंगा तो कल तक यह खतम नहीं होगा।

श्री रतनलाल वर्मा : यह तो अभी बोल कर चले जायेंगे। आखरी समय तक हम बैठते हैं।

श्री शीशराम ओला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मैं आपके समय में कभी नहीं बोलूंगा। 5-7 दिन का जो सैशन है उसमें आपको तकलीफ नहीं दूंगा। This is not threat but it is a fact.

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि आप किसानों के लिये फ्लेट रेट कर दें। आपने अभी जो किया है उससे कोई असर नहीं होने वाला है और कोई फर्क नहीं हो सकता है। इसलिये जब तक आप फ्लेट रेट कायम नहीं करेंगे तब तक काश्तकारों को लाभ नहीं होगा और लाखों और करोड़ों रुपया एरियर में बोर्ड का पड़ा रहेगा। यदि फ्लेट रेट हो जाती है तो सारी व्यवस्था होगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, यदि आप बोलने नहीं देंगे तो कभी भी नहीं बोलूंगा This is worst.

श्री उपाध्यक्ष : यह आपके सोचने की बात है।

(व्यवधान)

श्री शीशराम ओला : मैं जब तक आप बैठेंगे नहीं बोलूंगा। जब तक आप आसन पर रहेंगे मैं नहीं बोलूंगा इस चालू अधिवेशन में।

श्री कौशल किशोर जैन : आपने 20 मिनट दे दिये उसके बाद भी माननीय सदस्य यह व्यवहार करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय ओलाजी, आप वरिष्ठ सदस्य हैं। माननीय सदस्यों ने कुछ कह दिया तो....

श्री शीशराम ओला : मैंने गलत बात अर्ज नहीं की। मैंने हकीकत में निवेदन किया है कि आप जब आसन पर विराजमान होंगे तो मैं कभी नहीं बोलूंगा। उपाध्यक्ष जी, मैं अध्यक्षजी के सामने बोलूंगा और दूसरे सभापति महोदय के सामने बोलूंगा। आपके सामने नहीं बोलूंगा इस पूरे वक्त में जब तक यह सेशन चलेगा।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे दुःख है आप इस तरह की भावना व्यक्त करते हैं तो।

श्री रघुनन्दन व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कल ही लिख कर दिया था और आज भी लेकिन मेरा नाम नहीं है।

श्री माधोसिंह कछवाह : उपाध्यक्ष महोदय, आप नाम का क्रम बता दें ताकि हमें पता चले कि कब बोलना है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यों से एक बात मैं कहना चाहता हूं कि मेरे पास नामों की लिस्ट आ रही है इसी क्रम से नाम आता रहेगा।

श्री मदनसिंह दांता : माननीय अध्यक्ष जी ने यह तय किया था कि दो-दो मिनट बोलेंगे।

श्री अब्दुल अजीज : कल भी 11 बजे तक बैठे रहे उसके बाद बोले हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकृष्ण दास गुप्ता।

मैं माननीय सदस्य, जो बोल रहे हैं, से निवेदन करूंगा कि जो समय दिया है उसमें ही समाप्त करें तो बड़ा आभार होगा। वैसे सदन की मर्जी है कि कब तक बैठे। शीशराम जी ओला को 18 मिनट दिये फिर भी उनको संतोष नहीं हुआ।

श्री मदनसिंह दांता जिन परिस्थितियों में कह रहे हैं यह सम्भव नहीं है

श्री रघुनन्दन व्यास : माननीय उपाध्यक्ष मैंने 24 घण्टे पहले लिख कर दिया है, वह कागज गायब है।

श्री उपाध्यक्ष: रामकृष्णदास जी ने पहले दिया इसलिये उनका नाम लिया। आपकी स्लिप नहीं मिली। मैं जांच करवा रहा हूं।

श्री रघुनन्दन व्यास : आप अध्यक्ष महोदय से पुछवा लें। सचिव महोदय से पूछ लें।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता (कठूमर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं कि इतने माननीय सदस्यों के बीच में मुझे सुअवसर दिया बोलने का।

श्रीमन्, हमारे माननीय विद्युत् मंत्रीजी ने वर्ष 1976-77, 1977-78 व 1978-79 इन तीन वर्षों में प्रति व्यक्ति यूनिट की मात्रा बढ़ रही है, उसकी ओर ध्यान दिला कर यह बताने की कोशिश की है कि विद्युत् मण्डल राज्य में अच्छा काम कर रहा है। मैं इस ओर माननीय विद्युत् मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि प्रति व्यक्ति यूनिट खपत बढ़ रही है वह कहां बढ़ रही है? श्रीमन् यह अलग बात है कि राजस्थान आज एक है परन्तु भौगोलिक स्थिति से राजस्थान के कई हिस्से हैं। पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में जमीन आसमान का अन्तर है। वर्ष 1977-78 में 74-76 यूनिट प्रति व्यक्ति जो आपने खर्चा बताया है यह राजस्थान का एवरेज खर्चा बताया है न कि किसी विशेष क्षेत्र का एवरेज खर्चा बताया है। मैं चाहूंगा कि विद्युत् मंत्रीजी अपने विवेक का उपयोग करके पश्चिमी राजस्थान की समस्या पर ध्यान दें तो आपको यह मालूम पड़ेगा कि पश्चिमी राजस्थान चाहे बीकानेर हो चाहे जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर या गंगानगर हो वहां ट्रांसमिशन लाइन से भाखरा बिजली मिलती है चाहे चम्बल से बिजली मिलती हो, जयपुर-रतनगढ़ लाइन या किसी और सोर्स से मिलती हो, पश्चिमी राजस्थान में टेरेन लैण्ड नहीं होने के कारण बिजली की काफी कास्ट रहती है। बीकानेर में ट्यूबवेल

(श्री राम कृष्णदास गुप्ता)

की समस्या बिजली के अभाव के कारण से रही है। यह मैं मानने को तैयार नहीं कि प्रति व्यक्ति यूनिट को मात्रा बढ़ी है, जो बढ़ी है वह दो-तिहाई राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से नहीं बढ़ी है। राजस्थान का दो-तिहाई भाग आबादी की दृष्टि से कम है। परन्तु वहां पर भी इन्सान बसते हैं उनको भी उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बिजली की जरूरत है। हम गर्मियों के अन्दर तीन साल से लगातार और इस वर्ष नवम्बर के माह में भी बिजली का अभाव महसूस कर रहे हैं। वोल्टेज की कमी काफी महसूस करते हैं। आप कहते हों यह मालूम नहीं, लेकिन हमारे यहां वोल्टेज कम आता है। इस समस्या को हल करने के बारे में आपके विद्युत् मण्डल ने किसी नई योजना पर प्रकाश नहीं डाला। मुझे याद है कि आपने इसी हाउस में कहा था। बीकानेर से 9 मील दूर ट्रान्समिशन लाइन आई हुई है, उसकी तारबन्दी की योजना बन रही है, कब तक वह पूरी होगी ? आपने चाहे गांवों में खम्भे खड़े कर दिये और तारबन्दी कर दी, मगर जब तक बिजली का उत्पादन नहीं बढ़ेगा, जब तक बिजली में पावर नहीं होगी आप किसी गांव को बिजली नहीं दे सकते, आपके एग्रीकल्चर के कुए बन्द रहेंगे।

आज राजस्थान का यह दुर्भाग्य है कि बिजली सप्लाई के दो केन्द्र बने हुए हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कोटा का जो सिस्टम है, वह प्रोपर नहीं है। हमें अमेरिका और अन्य देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। वह हमें सहायता दें या नहीं दें। सारे राजस्थान में इस वर्ष अच्छी वर्षा हुई है। भाखड़ा और चम्बल में पानी है। परन्तु तीन साल पहले पानी कम था। आप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पर अधिक निर्भर नहीं रहें। ताप बिजली घरों से जब तक आप अधिक उत्पादन नहीं करेंगे, तब तक समस्या हल नहीं होगी। आज जिस प्रकार की राजनैतिक स्थितियां हैं, उनमें यह सम्भव नहीं है कि यह बिजली सारे राजस्थान को सप्लाई करें। अगर आप छोटे छोटे यूनिट की स्थापना करें तो जो लेवर फ्रण्ट पर इनटरेस्ट है, वह नहीं होगा। इससे जो करोड़ों रुपये खर्च करने पड़ते हैं, वह नहीं करने पड़ेंगे। लम्बे समय तक जो बिजली का काम बन्द हो जाता है, वह समस्या नहीं रहेगी। अगर पश्चिमी राजस्थान की समस्या को हल करना चाहते हैं तो बीकानेर में ताप बिजली घर की जल्दी से जल्दी स्थापना करने का प्रयत्न करना चाहिए। इसके लिए भारत सरकार से सहयोग लेकर ताप बिजली घर बनायें। इससे पश्चिमी राजस्थान की समस्या हल होगी।

दूसरी मैं, माननीय मन्त्री महोदय, नीति सम्बन्धी बात कर रहा हूं। अगर आपकी नीति ठीक नहीं रही तो पश्चिमी राजस्थान का उद्धार नहीं होगा। योजना का जो मापदण्ड है, वह 18% का होना चाहिए। लेकिन अगर 18% के आधार पर राजस्थान के पश्चिमी हिस्से की कोई स्कीम नहीं बनाई जा सकेगी, तो करोड़ों रुपयों का लाभ हमको नहीं मिल सकेगा। आज राजस्थान सरकार ने यह कामन नीति बना ली है। अस्पताल की बात हो, तो आबादी की बात, रोड की बात हो तो आबादी की बात, स्कूल खोलने की बात हो तो आबादी की बात। जहां सबसे अधिक गरीब हैं वहां बिजली के अभाव में औद्योगीकरण नहीं हो पाता है ऐसी जगहों के लिए क्या कर रहे हैं ?

बीकानेर में देश की 44% ऊन पैदा होती है। वहां पर वूल इण्डस्ट्री के लिए

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)

बिजली की जरूरत है। पानी के कुए बहुत गहरे हैं। बिजली होगी तो इण्डस्ट्री लगेगी। लेकिन बिजली इसलिए नहीं देंगे कि इण्डस्ट्री नहीं है। यह नीति है आपकी। माननीय मन्त्री महोदय कोटा के हैं। कोटा में आपके पहले ही हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लाण्ट स्थापित हो गया था। आप कृपया पूर्वी राजस्थान में नया स्रोत चालू न करके हमारे पश्चिमी राजस्थान में बिजली पैदा करने के लिए प्लाण्ट लगाने की जल्दी करें। 18% का जो सिस्टम है, वह दूर करके जैसा कि आपने आदिवासी एरिया में 8% किया है, उसी प्रकार से रेगिस्तान में भी आपको 8% करना होगा। राजस्थान विद्युत मण्डल को 11 करोड़ रुपये का घाटा दिया गया। जब राजस्थान सरकार विद्युत मण्डल में 11 करोड़ का घाटा दे सकती है तो आप राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में आर. ई. सी. की स्कीम लागू करें। पश्चिमी राजस्थान से इस घाटे की पूर्ति की जा सकती है। बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर....

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, दस मिनट हो गये हैं।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट और।

श्री मदनसिंह दांता : यहां कई पार्टियों के सदस्य बैठे हैं। ऐसा मौका नहीं है। दो मिनट और दे दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य को काफी मौका दिया है।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : ग्रामों में जो बिजली का प्रतिशत है, उसी हिसाब से हमें टाइम मिलना चाहिए।

श्री मदनसिंह दांता : मेरे में हिम्मत थी तो हमने कांग्रेस से करवाया है। अब भी करायेंगे।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : हम लोगों को बोलने नहीं देंगे।

श्री मदनसिंह दांता : आपके चेयरमैन बीकानेर के हैं। फिर भी आप रोला मचाते हैं। लानत है।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : बीकानेर ने अच्छे से अच्छे अफसर दिये हैं।

श्री मदनसिंह दांता : मन्त्रियों की संख्या अभी बढ़ाई है। बीकानेर को कुछ नहीं दिया गया है।

एक माननीय सदस्य : मुख्य मन्त्री सीकर के हैं।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मुख्य मन्त्री जी सारे राजस्थान के हैं।

श्री मदनसिंह दांता : इन्होंने क्या दिया है? हमें तो सुखाड़िया ने दिया है।

श्री नवरंगसिंह : आपके यहां के तो मन्त्री हैं।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : हमारे मन्त्री को आपने प्लानिंग दिया है। रुपया दिया है, भरतपुर और कोटा को।

श्री एच. एन. शर्मा : मेरा निवेदन है कि पहले इनका कनेक्शन करवा दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : आप जल्दी समाप्त कर दीजिये। कुछ अन्तिम बात भी कह दीजिए।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : विद्युत् मण्डल ने ग्रामीणी विद्युतीकरण की अपनी योजना बनाई है....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो मिनट और।
राजस्थान विद्युत मण्डल ने अपने....

श्री रतनलाल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, आप तो समय निश्चित कर दीजिये, चाहे दस मिनट ही कर दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : मैं समय तो निश्चित कर दूंगा लेकिन, वर्माजी आप, ही....

श्री किशनसिंह भाटी (जैसलमेर) : मेरा एक पाइन्ट ऑफ आर्डर है। जिस प्रकार से बजट के टाइम पर कटौती प्रस्ताव देते हैं और समय बता दिया जाता है आज भी उसी प्रकार से सदन चलाया जाना चाहिये। जिन्होंने नाम दिये, प्रस्ताव दिये उनके नाम तो गायब हो गये और आपकी दया का इन्तजार कर रहे हैं। इस प्रकार से तो बहुत से माननीय सदस्य महरूम रह जायेंगे। जब इस प्रकार का प्रस्ताव आया तो हमने प्रस्ताव दिये, उनके लिये समय दिया जाना चाहिये और प्रस्तावों को प्रसारित किया जाना चाहिए ताकि हम लोग अपनी बात कह सकें। इस प्रकार से तो आपकी दया पर निर्भर रहना पड़ेगा। जिन्होंने नाम दिये 12 बजे भी उनका नम्बर नहीं आया तो उठ कर चले जायेंगे।

श्री दाऊदयाल जोशी : कल एक भी सदस्य ऐसा नहीं था जिसको समय नहीं दिया गया।

श्री किशनसिंह भाटी : मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं। इससे सदस्यों में असन्तोष होता है। अपनी बात जो कहना चाहते हैं वे नहीं कह सकते।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय भाटीजी, कृपया बिराजिये।

श्री किशनसिंह भाटी : आपकी इच्छा नहीं हो तो मैं चला जाऊं।

श्री उपाध्यक्ष : यह कोई बजट पर बहस नहीं है कि इस प्रकार से व्यवस्था की जाय।

श्री किशनसिंह भाटी : तो फिर इस चर्चा का कोई लाभ नहीं है। देश के धन का दुरुपयोग हो रहा है—

श्री उपाध्यक्ष : मैं कोई नये नियम तो बना नहीं सकता।

श्री किशनसिंह भाटी : मैंने नियमों को देख कर कहा है। इसका मतलब है हम कोई वाजिब बात भी नहीं कह सकते, हमको अधिकार नहीं है।

श्री नूरा : आप अध्यक्ष महोदय से निवेदन कर दीजिये, अब तक गुप्ताजी बोल लेते।

श्री किशनसिंह भाटी : आप सिम्पोजियम की तरह से इसको चला रहे हैं। मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की स्थिति पर पूरा सदन गम्भीरता से विचार करे।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, भाटीजी को सदन से बाहर निकाल दिया जाय, ये हमारे अधिकारों का हनन करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप अपनी चर्चा समाप्त करिये।

श्री माधोसिंह कछवाह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मैं माननीय सदस्य की कृपा पर बोलने के लिये नहीं खड़ा हुआ हूं इनको बाहर निकाल दिया जाय।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामकृष्ण दास जी।

श्री माधोसिंह कछवाह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आपके पास चिट भेजी गई है उसी प्रकार से व्यवस्था होनी चाहिए थी। उपाध्यक्ष महोदय, सिनेमा में भी लाइन लगती है। आपकी मर्जी आई जैसे नाम आते रहे और पहले चिट दी उसका पता ही नहीं है, यह आपकी कैसी व्यवस्था है? माननीय सदस्य बैठे रहते हैं. पता नहीं कब नम्बर आयेगा। इसलिए इसकी व्यवस्था चाहते हैं कोई निश्चित व्यवस्था होनी चाहिये। अनिश्चित बात होती है तो आसन की क्या गरिमा रहती है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कल से ही आपको नाम दे रखा है। हमने अब तक आसन से नहीं कहा, इसलिए कि हमारा नाम आ जायगा, जिन लोगों ने आज नाम दिये हैं उनके नाम आ गये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कटारिया जी, मैं आपकी बात से सहमति रखता हूं। लेकिन जिस तरह से माननीय सदस्य उग्रता दिखाते हैं उसके कारण खेदजनक निर्णय लेना पड़ता है। मैं यह निवेदन करूंगा कि इस ...गे ... अगर आप कोई सर्वमान्य सिद्धान्त तय कर लेते हैं तो आसन की तरफ से कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं यह चाहता हूं कि कोई सर्वमान्य सिद्धान्त बना लिया जाय तो उसके आधार पर चर्चा के लिये नाम बोल दिये जायेंगे। मैं आपको बताऊं कि अभी तक माननीय सदस्यों के नाम आ रहे हैं। श्री रामकृष्णदासजी ने पहले से ही निवेदन कर दिया था, इसलिए मैंने उनको समय दिया है लेकिन वे ज्यादा समय ले रहे हैं इसके लिये मैं क्या कर सकता हूं।

श्री अब्दुल अजीज : उपाध्यक्ष महोदय, आपको अधिकार है, समय कम कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : पांच मिनट के बाद मैं घण्टी बजा दूंगा।

(व्यवधान)

माननीय शीशरामजी ओला जब बोल रहे थे मैंने घण्टी बजाई थी, उनको 18 मिनट हो गये थे, वे नाराज होकर चले गये।

(व्यवधान)

माननीय रामकृष्ण दास जी, मैं चाहूंगा आप कृपया एक मिनट में अपनी चर्चा समाप्त कर दें।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, आर॰ई॰सी॰ की स्कीम मेरे क्षेत्र में लागू नहीं की जाती है। बीकानेर वृत्त में केवल 14 गांव लिये गये हैं। यह संख्या बहुत कम है इसलिए पहले आप मापदण्ड को चेन्ज कीजिये और इन इलाकों की तरफ ध्यान देकर रोशनी भिजवाइये जिससे विकास में सहयोग मिल सके।

अन्त में आपके प्रति आभार

श्री उपाध्यक्ष : इसकी आवश्यकता नहीं है।

श्री रामेश्वरदयाल यादव (चौमू) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नाम भी है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री हरीशकुमार शर्मा।

श्री हरीशकुमार शर्मा (रामगंज मण्डी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गांवों के विकास का विद्युत से वैसा ही सम्बन्ध है जिस प्रकार से मनुष्य के विकास और दूसरी जरूरी चीजों का सम्बन्ध है। आज हम गांवों में बैंकों के द्वारा लोगों को ऋण दिलाते हैं ताकि वे कुओं पर मोटर लगा सकें, यह सब उनके सिंचाई के साधनों को बढ़ाने के लिये करते हैं ताकि देश का उत्पादन बढ़ सके लेकिन विद्युत विभाग का सहयोग नहीं होने के कारण यह हम नहीं कर पाते हैं। आज हम देखते है कि विद्युत मण्डल घूतक मण्डल बन कर रह गया है। अपनी रिपोर्ट बढ़ा-बढ़ा कर आंकड़ों में उलझाते हैं जैसे बहुत ज्यादा लक्ष्य प्राप्त कर लिया हो। मेरे क्षेत्र में बहुत सा असिंचित क्षेत्र है वहां पर एक भी कनेक्शन नहीं दिया। यह बहुत ही दुखद और शर्मनाक बात है। ट्रान्सफार्मर जलते रहते हैं, पन्द्रह-पन्द्रह दिनों तक कोई व्यवस्था नहीं होती। मैंने पहले भी निवेदन किया था कि सहायक अभियन्ता के कार्यालय द्वारा जितने भी सामान की आवश्यकता हो, उसको तत्काल पहुंचाने की व्यवस्था की जाय, आगे 6 महीनों में जितने भी सामान की आवश्यकता पड़े उसकी व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे किसानों को दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र रामगंज मंडी में बिजली की कटोती कर रखी है जिसकी वजह से वाटर वर्क्स पूरा पानी नहीं दे रहा है। उसकी जिम्मेदारी विद्युत मण्डल की है। उनकी बिजली में कटौती कर रखी है अगर पर्याप्त बिजली दी जाए ताकि रामगंज मंडी में पानी की कमी नहीं रहे। सुपरिन्टेंडिंग इन्जीनियर व दूसरे इंजीनियरों ने प्रस्ताव भेजे हैं रामगंज मंडी के लिए। हम गांव गांव में आश्वासन देते हैं कि आपके यहां बिजली आयेगी। लेकिन हालत यह है कि 4 गांवों में बिजली है तो एक में नहीं है। ऐसा लगता है कि एक उस गांव ने पाप किया है इस कारण वहां बिजली नहीं पहुंच सकी। ऐसे अनेक गांव हैं जहां 100-100 कुए हैं लेकिन विद्युत की वजह से उनकी फसल की पैदावार कमजोर होती जा रही है।

दूसरा मेरा निवेदन है कि बोर्ड की जो परीक्षाएं होती हैं वह जहां आपको नियुक्ति करनी है वहीं के लोगों को लेकर उनका आप रिजल्ट निकालें। इससे सारे राजस्थान में युवकों को संतोष होगा। इस समय ऐसी व्यवस्था नहीं है। इससे नवयुवकों में निराशा की भावना पैदा होती है।

हमारी लाडपुरा पंचायत समिति के लिए कहते हैं कि भू-जल विभाग की रिपोर्ट नहीं आई है। उस क्षेत्र में 11 तालाब हैं जिनसे सिंचाई की जा सकती है और 150 कुए हैं। पानी चरस द्वारा लेते हैं। भू-जल विभाग की रिपोर्ट न होने के कारण बिजली नहीं पहुंच सकी। ऐसा दृष्टिकोण क्यों? भू-जल विभाग की रिपोर्ट को छोड़ कर व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनायें। आप गांवों को खुशहाल करना चाहते हैं, उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो भू-जल विभाग को इस

(श्री हरीश कुमार शर्मा)

काम से निकालना पड़ेगा। आपने कहा है कि जन-जाति क्षेत्रों में बिजली दी है। शाहबाद पंचायत समिति क्षेत्र के लिए सरकार ने घोषणा की है कि यह जनजाति क्षेत्र है लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि शाहबाद पंचायत समिति क्षेत्र में केवल एक गांव में बिजली है और किसी गांव में आज तक बिजली नहीं पहुंचाई गई।

लाडपुरा पंचायत समिति के 10 गांवों के लिए जल प्रदाय योजना बनाई जा रही है लेकिन वह योजना इसलिए रुकी हुई है कि वहां बिजली नहीं है....

श्री उपाध्यक्ष : 5 मिनट हो चुके हैं, कितना समय और लेंगे ?

श्री हरीश कुमार शर्मा: केवल एक मिनट।

हमारे यहां बोला बांध है। वहां की पाइंट पर विद्युत् मंडल ने पहले ट्रांसफार्मर लगा रखा था, खंभे गड़े हुए हैं। एक की पाइंट पर बिजली देने से आप 10 गांवों में बिजली देने की स्थिति में आयेंगे, इसमें संदेह नहीं। मैं विद्युत् मंडल को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उसने गांवों की योजनाओं को केन्द्रीय सरकार के पास भेजा है लेकिन आप उन कार्य स्थलों पर मैटीरियल पहुंचा दें। अगर मैटीरियल पहुंचा दिया तो कोई किसान शिकायत नहीं करेगा, उसको लाभ मिलेगा। मैटीरियल न होने से वह परेशान रहता है।

आप पंचायत समिति की मीटिंग बुलाने की व्यवस्था करें, उसमें निर्णय हो कि किसे मीटर दिए गए हैं, बिजली लगी या नहीं।

धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री आलम अली।

श्री आलम अली खां (फतेहपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, विद्युत् मंडल का लेखा जोखा पेश किया गया है। यह खुशी की बात है। आंकड़ों को तो मैं समझता नहीं और न आंकड़ों में मैं जाना चाहता हूं। सीकर जिले में तीन पंचायत समितियां हैं। जो प्लान बनाया है उसमें तीन साल में तीनों का एक साथ विद्युतीकरण करने का प्रावधान हो गया है।

(6.55 सायं)

(श्री लक्ष्मणसिंह अध्यक्ष, पदासीन)

मैं उसके लिए आभार प्रकट करता हूं। कोई भी नई बात आती है तो हर आदमी महसूस करता है। हर आदमी चाहता है कि मेरे को मिले सबकी पूर्ति एक साथ नहीं हो सकती।

श्री मदनसिंह दांता : आपकी पार्टी में जो नया भ्रष्टाचार आ गया है उसके लिए आप क्या कहते हैं ?

श्री आलम अली : माननीय सदस्य सब कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा आ गया है मैं तो नहीं समझता। भ्रष्टाचार अमरीका और ब्रिटेन से नहीं आया, यह हमारा अंदरूनी है। मेरा भाई अगर भ्रष्टाचार के मामले में सस्पेंड हो जाता है तो मैं उसको बचाने की कोशिश करता हूं। ऐसा नहीं होना चाहिये। अफसर भी सस्पेंड होते हैं, भ्रष्टाचार के मामले में तो हम उनकी सिफारिश करते हैं तो हम फिर क्या हैं ? इसलिए भ्रष्टाचार की जो बात है वह सबके सोचने की बात है। जब तक ये सब नहीं सोचेंगे तब तक भ्रष्टाचार खतम नहीं होगा।

(श्री आलम अली)

मंत्री महोदय, एक बात कहना चाहता हूं। हड़ताल आए दिन होती है, इसका इंतजाम होना चाहिये। फौजी जो देश की रक्षा करते हैं उनको तो हड़ताल करने का अधिकार नहीं है, जैसे फौज हमारे लिए जरूरी है इसी तरह से यह महकमा भी हमारे लिए जरूरी है। औरतों ने बिजली लगने से चक्की पीसना छोड़ दिया है हर चीज में बिजली की जरूरत पड़ती है, इसलिए इसमें हड़ताल नहीं होनी चाहिए। इसके लिए कोई नया कानून बनाना चाहिए ताकि हड़ताल न हो।

सीकर, झुंझुनूं और दूसरी जगह भी गहरा पानी है। वहां ज्यादा हार्स पावर की मोटर लगानी पड़ती है जिसके कारण उनको ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। जयपुर में पानी इतना गहरा नहीं है और 5 हार्स पावर मोटर से काम चलता और बिजली के पैसे कम लगते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि हमारे यहां जिन स्थानों पर पानी गहरा है और ज्यादा हार्स पावर की मोटर लगती है, वहां बिजली चार्जेज कम होने चाहिए जिससे किसान को फायदा हो।

अंत में मैं जिन अधिकारियों ने वहां का प्लान बनाया है, और स्कीम लागू की है, उन को व सरकार को धन्यवाद देते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री नूरा (मसूदा) : अध्यक्ष महोदय, बिजली की समस्या के लिए मजदूरों में असंतोष, किसानों में असन्तोष, ईमानदार अधिकारियों में असन्तोष और विधान सभा में विधायकों में भी असन्तोष है, इसके कारणों की गहराई में जाना चाहें तो इस असन्तोष का कारण कोई मजदूर नहीं है, इस असन्तोष का कारण कोई किसान नहीं है, इस असन्तोष का कारण कोई अधिकारी भी नहीं है। इसका कारण है सरकारी नीति और अगर सरकारी नीति की तरफ जायें तो देखेंगे कि एम० एल० ए०, जो ज्यादा बोलते हैं या ज्यादा असर वाले हैं, के क्षेत्र में बिजली दी जाती है या फिर जहां हास्पिटल खोल रखे हैं जैसे सन्तोकबा दुर्लभ जी हास्पिटल है उसको बिजली सस्ती मिलती है। वहां गरीबों को लूटा जाता है फिर भी आप वहां सस्ती बिजली देते हैं। वहां बिजली सस्ती क्यों मिले। बिजली देने का काम व्यापार की तरह नहीं है कि इससे मुनाफा कमाया जाये। सरकारी नीति के आधार पर घाटा खाकर भी गरीबों को सहूलियत देने के लिए, गरीबी को दूर करने के लिए जिस तरह से भी हो सके बिजली दी जानी चाहिए।

कुछ सरकारी कारखाने ब्यावर में चल रहे हैं, विजयनगर में चल रहे हैं और यह वह कारखाने हैं जिन्हें सेठ लोग छोड़ कर भाग गए, वह नहीं चला सके। पिछली सरकार ने उन कारखानों को अपने हाथ में लिया। जब बिजली का संकट आता है तो जो शक्तिशाली मिलें होती हैं उनकी बिजली की कटौती की जाती है। उनके साथ ही साथ बीमार मिलों की भी बिजली की कटौती कर दी जाती है। बीमार आदमी को खाना और दवा नहीं मिलेगी तो वह आदमी और ज्यादा बीमार हो जायेगा या फिर मर जायगा। सरकार के अपने जिन कारखानों में, 49 पर्सेन्ट तो राजस्थान सरकार की पूंजी लगती है और 51 पर्सेन्ट केन्द्रीय सरकार की, बिजली की कटौती के समय उन कारखानों में भी लेआफ होता है। इसके कारण से उसका प्रोडक्शन गिर जाता है और मजदूरों का भी आधा पैसा चला जाता है। ऐसी कमी के समय बिजली इन बीमार मिलों

(श्री नूरा)

को ज्यादा प्राथमिकता के साथ दी जानी चाहिए । बीमार को खाना दवाई नहीं मिलेगी तो वह और ज्यादा बीमार हो जायेगा या फिर मर जायेगा । उसी तरह से यह उद्योग भी खतम हो जायेंगे यदि इनको बिजली नहीं मिलेगी तो । इसलिए ऐसी बीमार मिलों की बिजली की कटौती नहीं करनी चाहिए ।

मैं मुख्य मंत्री महोदय से अर्ज करना चाहूंगा कि मंत्रिमण्डल में अजमेर जिले का कोई मंत्री नहीं है । वैसे तो आप सारे राजस्थान के ही मंत्री हैं और अजमेर के भी हैं । विद्युत् मंत्री जी मेरे क्षेत्र में दौरे के समय गये । वहां पर लोगों ने अपनी शिकायतें आपको एक मांग-पत्र के रूप में दी । जहां तालाब के पीछे जमीन है उसको तालाब से पिलायेंगे तो भी मिनिमम चार्जेज के आधार पर पैसे देने पड़ेंगे । वहां पर लोगों ने 5 हार्स पावर की मोटर लगाई है लेकिन उसके चार्जेज दस हार्स पावर के नाम से दर्ज किये जाते हैं । ऐसी शिकायतें मेरे क्षेत्र में हैं । यह बिल्कुल गलत तरीका है । इस तरह से जो कानूनी

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

दिक्कतों की वजह से परेशानी काश्तकारों को है वह कम की जानी चाहिए ।

साथ ही वोल्टेज की कमी के कारण जो मोटरें जल जाती हैं, गरीब मोटरें लगाते हैं उनको भी ठीक कराने में उनका काफी पैसा लग जाता है । सरकारी गलती की वजह से उनकी मोटरें जल जायें तो आप ही सोचें कि काश्तकारों को कितना नुकसान होता है । यह व्यापार नहीं है । सरकार की तरफ से सहायता पहुंचनी चाहिए । गरीबों को जिन्दा रखने का यही एक तरीका है । साथ ही यह भी कहूंगा कि बिजली की ज्यादातर जरूरत शहरों को है । यदि गांवों में भी बिजली जायेगी तो वहां भी उद्योग धंधे लगेंगे और दूसरे काम-काज चलेंगे । जहां कुओं पर बिजली की जरूरत है वह पूरी की जानी चाहिए । आप पायेंगे कि बिजली विभाग में भ्रष्टाचार है । लेकिन सारे आफिसर्स भ्रष्टाचारी नहीं हैं । ईमानदार अधिकारी भी बहुत हैं ।

अभी एक विधायक महोदय ने बताया था कि सीलें तोड़ दी जाती हैं और भोले-भाले किसानों पर इल्जाम लगाकर जुर्माना किया जाता है । किसी आदमी को भेज कर सीलें तुड़वा देंगे और फिर काश्तकार को कहेंगे कि तुमने इतनी सीलें तोड़ दी है । मीटर के हाथ लगाते हुए काश्तकार डरते हैं । फिर रिश्वतखोरी वगैरह भी चलती है । यह एक एम० एल० ए० के क्षेत्र की बात नहीं है ।

राज्य के पैमाने पर बिजली की समस्या हल की जानी चाहिए । अगर कोई यूनियन है और वह कोई सुझाव देती है तो उसको मान्यता दी जानी चाहिए और उस पर विचार किया जाना चाहिए । उनकी समस्याओं को हल करने की बात की जानी चाहिए । अभी मेरे एक साथी बोल रहे थे कि हड़तालें नहीं होनी चाहिए । मैं कहता हूं कि हड़तालें सरकारी नीतियों के कारण होती हैं । जहां पर सरकार को मांगों के बाबत नोटिस दिया जाता है वहां मजदूरों को मारने के लिए तैयारी कर ली जाती है लेकिन उनकी मेन समस्या का हल काफी समय के बाद मुख्य मंत्री जी के हस्तक्षेप से किया जाता है । मैं तो कहता हूं,

(श्री नूरा)

मंत्री महोदय, ज्यों ही आपके पास शिकायत आती है जायज बात पर तुरन्त फैसला करना चाहिए। यूनियनें कभी भ्रष्ट नहीं होती। जो यूनियन असल में काम करती है और सही मायने में न्याय की बात करती है उसको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जैसे पहले कांग्रेस सरकार ने इन्टक को पैदा किया वैसे ही आपकी सरकार भी यदि एक ही यूनियन को पनाह देने का प्रयास करेगी तो इससे काम नहीं चलेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उन यूनियनों को आप दबाने की कोशिश करेंगे तो आपके खिलाफ भी असन्तोष बढ़ेगा। न्याय की बात को नहीं दबाया जा सकता। न्याय के लिए भगवान श्रीकृष्ण ने भी संघर्ष किया है। उनका संघर्ष करने का अधिकार है और अधिकार रहेगा। मेरा निवेदन करना है कि संघर्ष मोल नहीं लेकर कर्मचारियों को समझें कि वह आपकी चैन हैं जिससे उनको हड़ताल की तरफ नहीं जाना पड़े। बिजली की समस्या को हल करने में राज्य स्तर पर सोचा जाना चाहिए किसी पार्टी विशेष के आधार पर नहीं तभी समस्या का हल होगा। आम समस्या को हल करने के लिए बिजली की समस्या का समाधान किया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों से मेरा विनम्र निवेदन है कि मेरे पास करीब 50 नाम हैं। अगर विधान सभा की बैठक चलानी है और पचासों को बोलना है तो 12 बजे के पहले समाप्ति, श्रीगणेश नहीं होगा। अतएव मेरा निवेदन है कि दल के नेता महोदय 10 मिनट बोलें, अन्य माननीय सदस्य 5 मिनट बोलें और मुझे सहयोग दें ताकि शीघ्रातिशीघ्र 12 बजे तक सरकारी उत्तर के साथ चर्चा समाप्त करने की कोशिश की जाये अन्यथा तो सदन आपका है, जैसी इच्छा हो वैसे चलायें। बिजली का विषय है, महत्वपूर्ण विषय है। सब बोलना चाहें तो जरा समय का ध्यान रखें।

श्री मदनसिंह दांता : यह तो पहले ही तय कर चुके हैं।

श्री अध्यक्ष : अभी से तय हो जाएगा तो फिर ठीक रहेगा।

श्री मदनसिंह दांता : ऐसा निर्णय तो उपाध्यक्ष महोदय दे चुके हैं कि पांच मिनट से ज्यादा नहीं बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री मथुरादास माथुर।

(व्यवधान)

श्री ओमप्रकाश शर्मा : आपको भी ज्यादा तकलीफ नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष : मैं तो बिल्कुल आनन्द से बैठा हूं। बोलने वाले तो आप हैं।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं शुरू से प्रयत्न कर रहा हूं मेरे नम्बर के लिए। मेरा नाम भी है या नहीं। मुझे अफसोस यह है कि दो रोज पहले जिन्होंने नाम दिये उनके नाम नहीं आ रहे हैं और जो सदन में नाम दे रहे हैं उनके नाम पुकारे जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं पांच नाम इधर के बोलूंगा और फिर मुझे अधिकार है कि किसका नाम बोलूं, किसका नाम नहीं बोलूं। श्री कौशलकिशोर जैन, श्री रामेश्वर

(श्री अध्यक्ष)

प्रसाद यादव, श्री बालचन्द आर्य, श्री ओम प्रकाश शर्मा और बहादुरसिंह नोहर। बस ये इतने पांच नाम हैं अभी।

श्री माधोसिंह (रेवदर), कांग्रेस की तरफ से तो एक भी सदस्य नहीं बोले हैं।

श्री कौशलकिशोर जैन : माननीय मथुरादास जी माथुर कांग्रेस के ही हैं।

श्री अध्यक्ष : सर्वश्री मूलचन्द, माधोसिंह, रणमलसिंह, मांगीलाल और हरिदेवजी, ये नाम हैं।

श्री अब्दुल अजीज : ये तो सब गए, साहब।

श्री अध्यक्ष : कोई रुकावट नहीं है। शुरू करिये फिर जो होगा सो देखेंगे।

श्री मथुरादास माथुर (डीडवाना) : अध्यक्ष महोदय, सदन में माननीय सदस्यों का उत्साह इस बात का द्योतक है कि इस विषय पर माननीय सदस्य काफी चिंतित हैं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि मैं आपका ध्यान किसी क्षेत्र या किसी कांस्टीट्यूएंसी की तरफ आकर्षित नहीं करना चाहता....

श्री किशनसिंह भाटी : क्योंकि Jodhpur is already electrified.

श्री मथुरादास माथुर : मैं आपके सामने कुछ आपके इस बोर्ड की आर्थिक तन्दुरुस्ती का चित्रण करना चाहूंगा। वैसे तो यह बोर्ड हमारा है, एडमिनिस्ट्रेशन का है और इसी बोर्ड की कामयाबी पर हमारे राजस्थान का आर्थिक विकास निर्भर है। चाहे हम हमारी इकोनोमिक ग्रोथ को लें, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर को लें, चाहे इंडस्ट्रियल सैक्टर को लें इनमें पावर एक बहुत बड़ा महत्व का काम अदा करता है। इसलिए इस बोर्ड के प्रति हमारी शुभकामना रहे तो यह बोर्ड बहुत काम कर सकता है। राजस्थान के विकास में हमारा सबका सहयोग मिले इसी भावना से मैं खड़ा हुआ हूं। बोर्ड के बजट को अगले साल से इस साल में कुछ लाख रुपये ज्यादा मिल जायं या ज्यादा खर्चा करने से बोर्ड की तन्दुरुस्ती नहीं आंकी जा सकेगी। जिस तरह से मोटा आदमी तन्दुरुस्त नहीं होता.......

श्री माधोसिंह कछवाह : आप जैसा।

श्री मथुरादास माथुर : मैं तो तुम्हारे मुकाबले में कहां हूं भाई।

इसलिए बोर्ड का बड़ा बजट बन जाने से बोर्ड की तन्दुरुस्ती नजर नहीं आती। अगर किसी साल बोर्ड के अधिकारी राजस्थान सरकार की आज्ञा से ज्यादा कर्जा लेने का फैसला करें तो बजट का रेवेन्यू बढ़ सकता है। मेरा निवेदन यह है कि बोर्ड की कामयाबी इसमें है कि उसका कितना रिटर्न है। कितना मुनाफा है यह नहीं है। मुनाफे में मैं नहीं जाता। कितना रिटर्न देता है इसके ऊपर निर्भर करेगा। मंत्रीजी, आप जानते होंगे कि इस सिलसिले में भारत सरकार की एक कमेटी बनी थी, वेंकटारमण कमेटी, उस कमेटी ने एक मापदण्ड जनरल तौर पर पेश किया था। उन्होंने यह कहा था कि जब बोर्ड दूसरे फेज में चला जावे, हिन्दुस्तान भर के सभी बोर्डों के लिए कहा था, हमारा बोर्ड भी सैकिंड फेज में आ गया है, उस वक्त रिटर्न 11 पर्सेन्ट होना चाहिये। बोर्ड के अधिकारियों से और खास तौर से चेयरमैन महोदय या किसी अधिकारी

(श्री मथुरादास माथुर)

की काबलियत में मुझे शक नहीं है। बोर्ड के उच्च अधिकारियों की ईमानदारी पर भी मुझे कोई शक नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कि हमारा रिटर्न इस वक्त 11 पर्सेन्ट से कम नहीं होना चाहिए। आपने जो आंकड़े दिये हैं उसमें हमारा रिटर्न 77–78 में साढ़े आठ पर्सेन्ट है। आपके 78–79 के बजट के अन्दर 9.7 पर्सेन्ट करने की कोशिश की है। मगर आज इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। वह तो पूरा साल हो जाएगा, जब फाइनल खर्चा हो जाएगा तब पता लगेगा; तभी कुछ अन्दाज निकल सकेगा वरना पिछले सालों में आपका रिटर्न 8 से 9 पर्सेन्ट तक रहा है। मैं बोर्ड से यह आशा लेकर चलता हूं कि आप प्रयत्न करें कि यह 11 पर्सेन्ट से अधिक होना चाहिये।

दूसरा मेरा नम्र निवेदन यह है कि यह रिटर्न तभी बढ़ेगा जब आपरेशनल कास्ट कम होगी। आपरेशनल कास्ट जो आपकी इस वक्त है, यह जो आडिटेड अकाउण्ट है उसके अनुसार 76 में 62 पर्सेन्ट आपरेशनल कास्ट थी। फिर 77 में आपकी आपरेशनल कास्ट 59 पर्सेन्ट के करीब थी और 78 में 64 पर्सेन्ट आपरेशनल कास्ट होगी। इस साल कम रखने का प्रयत्न कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। मगर पूरे साल में कितनी कास्ट आती यह तो बाद में पता चलेगा, अभी तो एस्टीमेटेड कास्ट दी है, उसी पर बोल रहा हूं। मैं निवेदन करूंगा कि जब तक आपरेशनल कास्ट कम नहीं होगी, तब तक ये करीब-करीब तीस हजार एम्पलाइज हैं इस बोर्ड के पास में, यह स्टेट बिजली दो स्टेट है। बड़े महत्व का बोर्ड है। इसलिए इस बोर्ड की आपरेशनल कास्ट जब तक कम नहीं करेंगे, तब तक आपके लीकेजेज कम नहीं होंगे। ओवर हेड सर्विसेज है, एफिशियेंसी को बिना मार किए हुए जितना कम कर सकते हैं वह नहीं करेंगे तब तक आपकी आपरेशनल कास्ट कम नहीं होगी, आपका यह करप्शन चाहे किसी लेवल पर होता हो वह कम नहीं होगा। आपकी पर्चेजेज टाइम पर नहीं होगी, सप्लाई पोजीशन ठीक नहीं होगी तब तक आपरेशनल कास्ट कम नहीं होगी। जब जरूरत पड़ी, लोहे की जरूरत पड़ी तो भागम भाग में चीज खरीद रहे हैं। यह जो फ्लक्चुएशन प्राइस लेवल पर आज हिन्दुस्तान में चल रहा है उसके लिए फार साइट प्लानिंग करने की जरूरत है। जब तक आप फार साइट प्लानिंग नहीं करेंगे तब तक आपरेशनल कास्ट कम नहीं हो सकेगी।

अध्यक्ष महोदय, एक अर्से के बाद पहले कांग्रेस सरकार थी, उसके बाद में आपके स्टेटमेंट आफ अकाउण्ट को डिस्कस करने का मौका मिला है। मैं एक बात हमारी पब्लिक अण्डरटेकिंग कमेटी से निवेदन करूंगा कि आपको इस स्टेटमेंट आफ अकाउन्ट्स के प्रजेन्टेशन को भी बदलना पड़ेगा। हमारी गवर्नमेंट के बजट के साथ में मेमोरेंडम, स्टेटिस्टिकल फिगर्स, इकोनोमिक रिव्यू, सब आते हैं लेकिन आपके सामने सिर्फ जैसे कोई कम्पनी का, प्राइवेट कम्पनी का स्टेटमेंट आफ अकाउण्ट आता है उसी तरह से यह आपके बोर्ड का स्टेटमेंट आफ अकाउण्ट आता है। गवर्नमेंट के बजट की तरह से आपके बोर्ड के अकाउण्ट और सारे स्टेटमेंट सदन में पेश किये जावें। उसके लिए काफी परिवर्तन की जरूरत है। यह काम पब्लिक अण्डरटेकिंग कर सकती है। अगर आप स्टेटमेंट आफ अकाउण्ट के साथ में हमको कुछ रिव्यू देते, स्टेटिस्टिकल कम्पे-

(श्री मथुरादास माथुर)

रिज़न देते, दूसरे बोर्डों के अन्दर आपरेशनल कास्ट कितनी है, उनका रिटर्न कितना है, कन्जम्पशन पर केपिटा कितना है या पर केपिटा एक्सपेन्डिचर कितना है, यह फिगर्स आते हैं कम्परेटिवली तो हम आपको तारीफ करते। मगर वह भी नहीं बताते हैं। बड़ी कोशिश करते हैं हम होम वर्क करने की। स्टेट बोर्ड के पिछले बजट हमारी लाइब्रेरी में नहीं है। ऐसी हालत में यह डिस्कशन होता है। इस बजट प्रजेन्टेशन को पब्लिक अन्डरटेकिंग एग्जामिन कर सकती है। आपको बता सकती है। With the consent of finance ministry, आपके बोर्ड का एक रिप्रेजेन्टेटिव हो जाए, अकाउन्टेन्ट जनरल का एक रिप्रेजेन्टेटिव हो जाय। वह बैठ कर इसको बता सकते हैं

अध्यक्ष महोदय, यह तो मैंने जनरल बातें कही। मैं आपके सामने दूसरी बात यह निवेदन करना चाहता हूं कि बोर्ड की काबलियत अच्छा रिटर्न देने में, आपरेशनल खर्चा कम करने में और एरियर की वसूली करने में है। कुल मिला कर आज एरियर करीब-करीब 76-77 के जो आंकड़े उपलब्ध हैं उसके अनुसार 17 करोड़ with in the state, outside the state वह 10.30 करोड़ है। यह एरियर है इसके अन्दर कुछ दलीलें भी हैं। कुछ कोर्ट में हैं। कुछ पर स्टे हो गया है। फिर भी तीस करोड़ का यह जो एरियर है वह जस्टिफाइड नहीं है। प्लानिंग कमीशन ने 1973 में एक सर्क्यूलर भेजा था उसमें यह कहा था 6 पर्सेन्ट से अधिक एरियर नहीं होने चाहिये। वह सर्क्यूलर आप देख लीजिए। मैं जानता हूं कि हमारे जो एरियर है वह ज्यादा हैं। इसको आप कम करने की कोशिश करें। ये एरियर मामूली कन्ज़्यूमर में नहीं है। भूतपूर्व नरेशों में हैं, बड़े-बड़े लोगों में हैं। दूसरी स्टेट में जो बाकी है वह 10 करोड़ है। मुख्तसर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में है। 30 करोड़ में से कम से कम आपको 15 करोड़ रुपया ही मिल जाए तो आपके इन्ट्रेस्ट चार्जेज़ कम होंगे और इससे आपरेशनल कास्ट अपने आप कम हो जाएगी।

इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, अब मैं आपके सामने एक चीज और अर्ज करना चाहता हूं। पहले मैं जनरेशन पर आता हूं। पावर प्रोडक्शन जब तक इरेक्टिक रहेगा यह बोर्ड कामयाब नहीं हो सकता है। हमारे यहां पर हाइडल स्कीम राणा प्रताप सागर में एटामिक की है। परन्तु इसका प्रोडक्शन इरेक्टिक है। कभी चालू रहता है तो कभी बंद हो जाता है। इससे हमें नुकसान होता है। इसलिए नई तरह से कोटा में थरमल प्लान्ट लगाने का फैसला किया गया है। छठी पंचवर्षीय योजना अभी तक हमारे सामने नहीं आई है उसमें हर डिविजन के अन्दर आपको एक-एक बड़ा थरमल स्टेशन लगाना चाहिये। कोटा से राणाप्रतापसागर से बिजली चलती है और वह जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर में जाती है। ट्रान्समिशन में कितना आपका लोस होता है। फ्लक्चुएशन होता है। लोगों की मोटरें जल जाती हैं। पावर लोड पूरा नहीं मिलता है। इससे वहां के लोगों को परेशानी होती है। जो लोग उस इलाके में खेती करते हैं वे साथ-साथ डीज़ल सैट भी रखते हैं ताकि जब पावर नहीं आवे तो डीजल सेट चालू करके खेतों को पानी दे दें। यह हाल है। वरना खेती जल जाए। किसानों को उस पर काफी खर्चा करना पड़ता है इसलिए, मन्त्री महोदय, मैं आपसे एक बात कहना

(श्री मथुरादास माथुर)

चाहता हूं कि आप इतना प्रावधान कर डालिए कि राजस्थान के अन्दर तीन, चार थरमल प्लांट लग सकें।

इसके बाद नेशनल ग्रिड की बात, रीजनल ग्रिड की बात मैं कहना चाहता हूं। यह रिपोर्ट में नहीं है आपको कितना फायदा होगा ग्रिड बनने के बाद। हमारी बिजली दिल्ली जाएगी। पावर की शार्टेज है। ग्रिड से हमारे यहां बिजली आ गई हो अमूमन हमको यह सुनने को मिलेगा कि दिल्ली में पावर फेल्योर हो गया है इसलिए उधर बिजली जा रही है। भाखड़ा का शेयर हमको पूरा नहीं मिलता है। पावर को दूसरी जगह डाइवर्ट कर देते हैं। आखिर में जाकर के हम लोगों को नुकसान होता है। इसके बारें मे चिन्तन किया जाए। रीजनल ग्रिड होना चाहिये परन्तु इसका फायदा हमें मिल सके इसके लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, हमारे मन्त्री महोदय बहुत ही उत्साह से कहते हैं। उनको उत्साह है हमको एतराज नहीं है। 13 मेगावाट से हमारे बिजली बोर्ड ने प्रोडक्शन शुरू किया था और आज 803 मेगावाट प्रोडक्शन हमारा है। डेढ़ वर्ष में जो प्रोडक्शन आपने बढ़ाया है उसके लिए आपको सेन्ट पर्सेन्ट क्रेडिट है परन्तु इस डेढ़ वर्ष में जनरेशन आपरेट नहीं हुई है। पुरानी सरकार ने क्या किया और क्या नहीं किया इसका जबाव देनेका अभी समय नहीं है परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि यह डवलपमेंट का एक कन्टीन्यूअस प्रोसेस है। शिशु अवस्था में 1952-54 में यह शुरू हुआ था आज हमारा बिजली बोर्ड जवान है। राजस्थान के एक तिहाई गांव एरिया रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन में आ गये हैं। इस साल आप 1200/1500 गांवों को इलेक्ट्रिफाई करेंगे। बाकी के गांव तो पहले ही इलेक्ट्रिफाइड हुए थे। आप हमको क्रेडिट नहीं देना चाहते हैं तो ठीक है परन्तु इस इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को तो क्रेडिट मिलना चाहिए। वह पुराना चला आ रहा है और उसका डवलपमेंट हो रहा है। मेरा निवेदन है कि हमारे यहां पर जो विकास की शृंखला बनी हुई है वह खास तौर से बिजली के मामले में बार-बार मेन्टेन होनी चाहिए।

एक निवेदन और करना चाहूंगा। हम लोगों को आपका स्टेटमेंट पढ़ने को मिलता है। इतने गांवों को कुओं को विद्युतीकृत किया जाएगा। परन्तु पिछले साल की रिपोर्ट हमारे पास नहीं आई है। जो काम आपने किया उसकी रिपोर्ट आप पेश नहीं कर सके हैं। आपने 1800 गांव और 25 हजार कुओं को इनर्जाइज कर दिया। बड़ी खुशी की बात है। यह तो ऐसे हो गया बिना रोटी खाये पेट भर गया। मगर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं तुमने क्या किया ? मैं सबका जबाब दे सकता हूं मगर इस समय, समय नहीं है। मगर 1800 गांव और 25000 कुओं को आप किस तरह से इनर्जाइज करेंगे, मुख्तलिफ इलाकों में ? क्या आपने इसके लिए कोई प्रिन्सीपल क्राइटेरिया तय किया है ? यह कहें तो ठीक हो कि हम आदिवासी एरिया में, ड्राट प्रोन एरिया में रेगिस्तानी एरिया में ज्यादा करेंगे। जहां पर अकाल पड़ता है वहां पर प्रायोरिटीज से करेंगे। यह आपकी पोलिसी डिक्लेयर्ड है। यह आपने पुस्तिका में भी छापा है। 25 हजार कुओं को आप इनर्जाइज करना चाहते हैं इसके लिये आपका क्या फार्मूला है ? नेशनल

(श्री मथुरादास माथुर)

डवलपमेंट कौंसिल बैकवर्ड एरिया का ख्याल रखती है, पापूलेशन का ख्याल रखती है, डिस्पेरिटी का ख्याल रखती है, फरदर डवलपमेंट का ख्याल रखती है, स्टेट सोर्स का खयाल रखती है। मैं मन्त्री महोदय से यह कहना चाहूंगा कि आपके ऊपर कोई अंगुली नहीं उठावे। आप कोटा के रहने वाले हैं। बिजली पास है और यह स्वाभाविक भी है कि वहां के लोग आपको तंग करें और फिर आप बिजली मिनिस्टर हैं, घर में ही बिजली, और घर का ही बिजली मिनिस्टर तो लोग आपको तंग करेंगे। आप चाहे कितने ही इन्साफ पसन्द हों कभी न कभी तो कुछ फेवर हो ही जाता है। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि आप एक फार्मूला इवोल्व कर लीजिए। राजस्थान के जो बैकवर्ड एरिया हैं, जो ड्राट प्रोन एरिया है, ट्राइबल एरिया है, वहां पर चालीस परसेंट पचास परसेंट बिजली देंगे। यह आप तय कर दीजिये। 1800 गांव हैं तो इसमें से इतने गांव में बिजली इन एरियाज में लगेगी। यह एक फार्मूला तय हो जाता है तो किसी को कोई शिकायत नहीं रहेगी। बरसात होती है हर हिस्से में होती है। पानी जहां बरस गया वहीं अच्छा है। मुझे दुःख इस बात का है कि पांच, सात साल मैं बाहर रहा, मेरे क्षेत्र का कोई गांव इलेक्ट्रिफाई नहीं हुआ। एक गांव नहीं हुआ। चिट्ठी लिखता हूं। मुझे कोई शिकायत शिकवा नहीं है। कई बार बहुत से लोग भूखे रह जाते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि फार्मूला इवोल्व करें। इतने परसेंट डिस्पेरिटी के कम करने के लिये मुकर्रर हैं, इतने परसेंट बैकवर्ड एरिया, ट्राइबल एरिया और बैकवर्ड, शिड्यूल्ड कास्ट्स एरिया में बिजली लगना मुकर्रर है। ऐसा एक फार्मूला आप बाइ एण्ड लार्ज बना लें जो कम्पेरेटिवली हो। इस सदन को इसमें कान्फिडेन्स में लिया जाए तो कोई अंगुली आप पर नहीं उठाएगा। 1800 गांव इलेक्ट्रिफाई करने हैं तो 40 परसेन्ट गांव बैकवर्ड एरियाज के लीजिए तो 802 गांव ये हो जाएंगे। आपका जहां प्रोडक्शन बढ़ सकता है उनको ले लिया जाय। आप इसे निश्चित कर लें ताकि बोर्ड को परेशानी नहीं हो, साथ ही हमको भी न हो। हमें दर्द इस बात का है कि गांव वाले कहते हैं कि हमारा नुमांइदा कमजोर है उसकी आवाज नहीं है। यह बात बड़ी कोंचती है। मैं मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूं कि राजस्थान का 20 प्रतिशत रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन पर खर्च कर रहे हैं और दुनिया भर के गांव हो गए। इतने गांव हो गये। तो मेरा निवेदन है आप 20 प्रतिशत रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन पर अदा करते हैं तो आप आंकड़े देख लें और फिर कह दें कि हमने इतने गांव कम-इलेक्ट्रिफाई कर दिये इतने पूरे कर दिये। कौनसे विलेज इलेक्ट्रिफाइड हैं? गांवों में बिजली गई और खम्भे पर बोर्ड लटका कर लिख दिया-इलेक्ट्रिफाइड विलेज तो क्या वह इलेक्ट्रिफाइड हो गया। वह गांव इलेक्ट्रिफाइड नहीं है। खम्भा लगा देने से इलेक्ट्रिफाइड नहीं हो जाता। इसलिये जब तक गांव की लोकेलिटी में बिजली नहीं जाती, कमजोर तबके की बस्ती के बीच खम्भा खड़ा नहीं कर देते।

माननीय सदस्य, आप बीच में कैसे खड़े हो गये।

श्री रतनलाल वर्मा : मैं इसलिये खड़ा हो गया क्योंकि आपको दस की बजाय 18 मिनट हो गये बोलते हुए।

श्री मथुरादास माथुर : मैं 2-4 मिनट में खतम कर दूंगा। वर्माजी, मुझे माफ करें।

श्री सूर्यनारायण चौधरी (उद्योग मंत्री) : बोलिये, आप बोलिये।

श्री मथुरादास माथुर : मेरा निवेदन है कि यह डिफाइन किया जाय आपके रूल्स में मेन्यूअल में कौनसा विलेज इलेक्ट्रिफाइड समझा जाएगा। वरना आप रोटी का मुंह में एक ग्रास देकर, गांव को खाली बिजली का खम्भा दिखाकर जैरामजी की कर लेंगे। इस लिये जब तक गांव में जो हरिजन बस्ती है, बैकवर्ड लोग रहते हैं वहां तक बिजली नही पहुंच जाय तब तक गांव इलेक्ट्रिफाइड नहीं समझा जाना चाहिये। कब तक आप हरिजनों के नाम पर धोखा देते रहेंगे।

मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं यह जो कंट्रोलर आडिटर जनरल आफ इंडिया की 76–77 की रिपोर्ट है इसका जितना जल्दी हो सके जवाब दे दो। इसमें कई तरह की बातें हैं। एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन वही है जो ऐसी चीजें बाकी न रखे। इसका आप जवाब दे दीजिये। इसमें जो बातें हैं उनको आप पूरा कर दीजिये।

इसके अलावा रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्पोरेशन है उससे आपने 53 करोड़ का कर्जा लिया और 33 करोड़ खर्च कर पाये। अमूमन मंत्री महोदय लिखते है-धन के अभाव से काम पूरा नहीं किया जा सकता। आपको शिकायत है कि पैसा नहीं है। आज आपके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है। गांवों में ट्रांसफार्मर नहीं है, दूसरे ट्रांसफार्मर मिलते नहीं, तार नहीं है खंभे नहीं है। हमारे गांवों में इतने भले आदमी हैं कि बिजली मिलने की खुशी में आपको ट्रक किराए पर लाकर देते हैं, खम्भा लाकर देते हैं, इंजीनियर साहब को बिठा कर ले जाते है। मैंने खुद देखा है। यह बातें मैं इसलिए उठा रहा हूं कि आपके एस्टीमेट में सभी चीजें हैं, इस एस्टीमेट के अन्दर 50-500 बचते हैं वे बच जाते हैं या चले जाते हैं ऊपर ही ऊपर, इसकी जांच होनी चाहिये।

दूसरे जहां जहां ए. ई एन., जे.ई.एन. है और टेक्निकल महकमा है। मेरे गांव वाले कहते है कि कोई कनेक्शन कुओं का लेना हो तो 250) रुपये फीस है। जैसे पहले पी० डब्ल्यू० डी० बदनाम था कि इतने पैसे दो वही आपके विभाग के बारे में हो रहा है। ऊपर ईमानदार लोग बैठे हुए है, किसी को शिकायत नहीं है तो आप बिजली बोर्ड में ऐसी कोई इन्स्टीट्यूशन डवलप करें ताकि यह करप्शन खतम हो। करप्शन को बदनाम करते हैं छोटे इंजीनियर बदनाम करते हैं आपके डिपार्टमेन्ट को। इसको रोकना चाहिये। वरना गांवों में पहले पुलिस फिर सप्लाई और फिर पी. डब्ल्यू. डी. बदनाम हुआ वैसे आपका विभाग होगा। इसलिए मै कह रहा हूं कि ऐसा मेकेनिज्म डवलप करें जो इसे चैक कर सके।

बस अन्तिम बात कह कर खतम करूंगा। हमारे शहरों में जो मीटर रीडर जाते हैं उन के लिए ऐसा हो जाय कि वे मकान में आकर मीटर रीडिंग करें, उसके दस्तखत लेकर आवे मकान से। यह एक हमेशा की शिकायत है। वैसे बड़े-बड़े काम आप करते हैं मगर जो लोगों की छोटी-छोटी परेशानी होती हैं उनके कारण आप बदनाम होते हैं। जिस तरह से रेलवे में रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव कमेटी बनी हुई है उसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी यूजर्स कंसल्टेटिव कमेटी बनाई जावे। एग्रीकल्चर

(श्री मथुरादास माथुर)

में इलेक्ट्रिसिटी यूज करने वाले, घरेलू खपत करने वाले जो यूजर्स हैं उनको एसोसियेशन से बनाई जाय जो साल में 4-4 महीने के बाद 3 दफे मिले। मैं कहूंगा कि कंसलटेटिव कमेटी बनाई जावे।

समय बहुत कम है। विषय बहुत महत्व का है और माननीय सदस्य भी समय लेना चाहेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपका बोर्ड बड़ा अच्छा काम करेगा और मुल्क की खिदमत करेगा।

श्री मदनसिंह दांता (दांता रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मै समझता हूं कि खेतड़ी या झुंझुनूं का जो इलाका है, सीकर इससे अलग नहीं है। माननीय सदस्यों ने अलग-अलग समस्याओं, मीटर की, फ्लेट रेट की समस्याओं के बारे में कहा है। मैं ज्यादा नहीं कह कर केवल इतना ही कहूंगा कि फ्लेट रेट पर मेरा ऑब्जेक्शन है। छोटा काश्तकार है उसके लिए भी वही फ्लेट रेट रख दी तो यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी। उसके पास सीमित साधन है। कोठी (कुआ) है। पांच बीघा पास में जमीन है, उस पर कुआ खोद दिया, उस पर फ्लेट रेट हो गई तो बड़ी गड़बड़ होगी। जैसे कि वाटर वर्क्स के लिए माननीय मुख्यमंत्रीजी ने एलान किया था कि जगह-जगह कुए खोदे जायेंगे, उनको अनुदान देंगे। वैसे ही माथुर साहब ने फरमा तो दिया लेकिन वह किस ढंग से लेंगे? आप प्रोडक्शन पर ले लें। जहां प्रोडक्शन ज्यादा हो उनको दिया जाय। मैं एक उदाहरण देता हूं कि सीकर डिस्ट्रिक्ट और झुंझुनूं में, अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी हमारी गलती समझिये या गवर्नमेंट की गलती समझिये, कलेक्टर, सीकर जो भंडारी साहब थे उन्होंने बड़ी हिम्मत से कोशिश की और गांव-गांव में कुए खोद दिये। इस विश्वास पर खोद दिये कि बिजली भी वह साथ-साथ देंगे। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में ऐसे बहुत कम कलेक्टर होंगे। उन्होंने बड़े पैमाने पर सीकर और झुंझुनूं में कुए खोदे, जो कि एक रिकार्ड है। अब यह कुए खोद लिए लोगों ने लोन लेकर और इस विश्वास पर कि साथ ही साथ बिजली भी दी जायगी। उन पर एक पर भी अभी तक बिजली नहीं लगी। आपने फरमा तो दिया, मंत्रीजी, उस एरिया में सबसे ज्यादा बिजली लगी है, इसलिए इतने गांव रह गये लेकिन, जैसा माथुर साहब ने फर्माया वैसे ही गांव-गांव में कर दिया, एक-एक खम्भा लगा दिया और सम्पूर्ण गांव में बिजली देने की मान्यता दे दी। यह भी कह देते कि दांता रामगढ़ में 41 गांव जो रहे हैं उनको भी दे देंगे। आयन्दा यह भी कहेंगे कि पूरे हिन्दुस्तान में ऐसा कोई एक इलाका है जहां पर बिजली की जरूरत नहीं है। फिर हम रोड की मांग करेंगे। वह भी पूरा कर देंगे, ऐसा आधा भूखा क्यों रखते हैं। आपने फर्माया एक लिस्ट देकर कि दो गांव कान्स्टीटुएन्सी में से बच गये हैं। आप लिस्ट देख लें कि वह दांता रामगढ़ की कान्स्टीटुएन्सी में है कि नहीं। एक तो क्राइटेरिया बने कि किस जगह पर आप देना चाहते हैं। आपका बोर्ड एक कामशियल संस्था है तो उसको बिजनेस की दृष्टि से देखें।

एक बात और मैं कहता हूं हीरजी भाई की गढ़ी में चाहे रोशनी हो गई हो, उससे ज्यादा फायदा नहीं। आप एक हरिजन को कुंए पर रोशनी देंगे तो वह ज्यादा फायदेमन्द है। उसमें जमीन से रिटर्न मिलेगा और इसमें लेस्टेज है। मान०

(श्री मदनसिंह दांता)

नीय विधायक, विधायकनगर में रहते हैं वहां पर आपने रोशनी देखी। वहां पर सिर्फ दो लाइट रखें उसको जब गांव वाले देखते हैं तो निराशा होती है। सारे राजस्थान में बिजली का जो कन्जपशन है वह ज्यादातर वेस्टेज हो रहा है। जहां हम जानते हैं कि जरूरत नहीं है वहां अगर उसको बन्द कर दें तो दो हरिजनों के कुंओं पर बिजली दे सकते हैं।

अब मैं अपनी कान्स्टीटूएन्सी से सम्बन्धित बात करूंगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक आधार नहीं बनायेंगे तब तक यह लड़ाई होती रहेगी। राजनैतिक आधार नहीं मानता। जहां बिजली लगाते हैं वहां सभी के लड़के होते हैं। कांग्रेस का काश्तकार भी होता है और जनसंघ का भी होता है। रोड्स की भी यही हालत है। एक आधार बनायें? मेरी कान्स्टीटूएन्सी में दो चार गांव रह गये हैं उनको दे दें तो आपका एक तरह से निपटारा हो जाय।

चोरों और भ्रष्टाचार का मामला था। मैं कहता हूं कि लॉ एण्ड ऑर्डर के बारे में पढ़े लिखों का एक बहुत गलत कन्सपशन चल रहा है। पुलिस में गड़बड़ होती है तो लॉ एण्ड आर्डर होता है। लॉ एण्ड आर्डर पटवारी का नहीं होता है। इस इलेक्ट्रिसिटी में छोटे से छोटे फोर्थ क्लास का कर्मचारी है जिसको माननीय चेयरमैन ने मेप दे दिया। वह वहां खड़ा हुआ है मगर चाहे तो नहीं रोक सकता है बिजली को? एक्जीक्यूशन तो उसके हाथ में है। एक्जीक्यूशन पटवारी के हाथ में है, दांता के थानेदार के हाथ में है। उस फोर्थ क्लास सर्वेन्ट के हाथ में है जो सुबह से शाम तक बिजली चैक करता है। कैसे उसके पास मैं आऊंगा? इसलिए दफा 197 को हटा दीजिये। इन सारों से हम बहुत घबरा गये हैं। पब्लिक बहुत घबरा गई है दफा 197 से। इसको हटा दें। यह मेरा मूव है, मेरा आन्दोलन है प्रजातन्त्र का। What is the law, what is your order? एक्जीक्यूशन तो वह करता है। बिजली विभाग का कानून बन गया। वह भ्रष्टाचार कानून से नहीं मिटेगा जब तक कि यह डर नहीं होगा। आम स्थानीय शिकायत है उसको न चेयरमेन मिटा सकता है और न आप। फोर्थ क्लास की जगह चेयरमैन नहीं जायगा। उसके हाथ में इतनी ताकत है कि आज वह काबू में नहीं आ रहा है। बिजली विभाग का वह फोर्थ क्लास आदमी यह सोचे कि दांता रामगढ़ को बिजली देना बन्द हो गया है तो उसको जल्दी से ठीक करें इसकी वह रोटी खा रहा है। हीरजी भाई फरमा रहे थे कि इस सेक्शन के जरिये काम करें तो मैं नहीं मानता हूं कि उस फोर्थ क्लास सर्वेन्ट, जिसको आपने सम्पूर्ण ताकत दे दी, पटवारी जिसको आपने सारी ताकत दे दी, कन्ट्रोल कर सकेंगे। जब यह धारा 197 हट जायगी तो मेरे को अधिकार होगा कि बिजली बन्द होने से मेरी खेती बरबाद हो गई तो उस आदमी पर मैं दावा करूं कि मेरी 3 हजार की खेती उसके कारण खतम हो गई। उसमें माननीय मंत्रीजी और चेयरमैन भी आ जायं तो ताज्जुब नहीं। जब हम पैसा देते हैं और बिजली नहीं मिलती है तो प्राइवेट कम्पनी से हम मुआवजा वसूल कर सकते हैं, लेकिन आपसे नहीं कर सकते। बिजली वहां पर नहीं मिलती है उस कारण मुझे घाटा लगता है या किसी फैक्ट्री को घाटा लगता है या काश्तकार को लगता है तो घाटा देने को तैयार होते हैं क्या?

(श्री मदनसिंह दांता)

अगर प्रजातन्त्र में भ्रष्टाचार को मिटाना है तो धारा 1 97 को, प्रोटेक्शन आफ गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स को हटा देंगे तो हम कोई भी ए० ई एन० या जे० ई एन० हो जो समय पर काम नहीं करते हैं उनसे हम निपट लेंगे, मैं इतना ही कहना चाहता था।

श्री अध्यक्ष : श्री उगमराज मेहता !

श्री कौशलकिशोर जैन : माननीय अध्यक्ष, मैंने निवेदन किया था कि आप मुझे अवसर दे दें मुझे एक आवश्यक मीटिंग में जाना है।

श्री अध्यक्ष : तीन नाम और हैं ओरीजनल लिस्ट में।

श्री कौशलकिशोर जैन : मेरा निवेदन किया हुआ है कि मुझे एक आवश्यक मीटिंग में जाना है।

श्री अध्यक्ष : श्री उगमराज बोल लें फिर आप बोल लें।

श्री कौशल किशोर जैन : मैंने पहले से बोला हुआ था। मुझे बताया गया कि मैं बोलूंगा, अब आप उनका नाम बोल रहे हैं। मुझे आवश्यक मीटिंग में जाना है।

श्री अध्यक्ष : इनको बोलने दें पहले।

मेजर श्री फतहसिंह : हमारी किस्मत का फैसला कब होगा।

श्री अध्यक्ष : मेजर साहब, जिन सदस्यों का नम्बर है उसमें आप आठवें नम्बर पर हैं।

श्री कौशलकिशोर जैन (भीलवाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान जनता सरकार के माननीय मुख्य मन्त्री महोदय को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने राजस्थान के विद्युत मण्डल के अध्यक्ष पद पर एक टेक्निकल व्यक्ति को नियुक्त किया है।

(व्यवधान)

सात लोगों का एक बोर्ड होता है। बोर्ड आफ डायरेक्टर्स में तीन सदस्य होते हैं, उनमें एक टेक्निकल मेम्बर है, एक अकाउण्ट्स मेम्बर और एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेम्बर होते हैं। यह मेम्बर फुल टाइम्स के होते हैं। मेरा निवेदन है कि एक चौथा आदमी और बढ़ाना चाहिए। वह चौथा आदमी जन प्रतिनिधि होना चाहिए। केवल एडवाइजरी कमेटी में आप प्रतिनिधि रखें। जनता के प्रतिनिधि को, इस सदन के प्रतिनिधियों को उसमें रखें ताकि सभी प्रकार की बातों से अवगत हो सके। भले ही इसके लिए मण्डल के विधान में संशोधन करना पड़े। विद्युत मन्त्री जी तो चले गये हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि डेढ़ वर्ष से कौन एम. एल. ए. है। पहले अजमेर की एक प्रभा मिश्रा प्रतिनिधि थी। लेकिन डेढ़ वर्ष से परामर्श समिति में कोई नहीं है।

श्री दाऊदयाल जोशी : रामेश्वरदयाल और रघुवीरसिंह इसमें मेम्बर है।

(व्यवधान)

श्री कौशलकिशोर जैन : मुझे मालूम नहीं है। ये कब बन गये–हैं ? समिति के अन्दर दो सदस्यों की व्यवस्था है। उसकी शीघ्र पूर्ति की जानी चाहिये।

एक माननीय सदस्य : एक भीलवाड़ा जिले का आना चाहिये।

श्री कौशल किशोर जैन : थोड़े दिनों पहले राजस्थान इण्टक के नेता दामोदर मौर्य

(श्री कौशल किशोर जैन)

के लिए जांच समिति बैठी है। 20 साल से राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की सम्पत्ति उसने हड़पी है। उस कमेटी की रिपोर्ट सदन के सामने रखें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा। भीलवाड़ा जिले में माननीय मुख्य मन्त्री महोदय पधारे थे। उन्होंने वहां पर घोषणा की थी कि भीलवाड़ा जिला पूर्ण विद्युतीकरण में आयेगा। 1 मार्च, 79 से पहले-पहले प्रत्येक गांव तक बिजली पहुंच जाएगी।

एक माननीय सदस्य : अपना मिनिस्टर बदलो।

श्री कौशल किशोर जैन : मैं निवेदन करूंगा एक घटना के बारे में, जो घटना घटी। हम उपदेश देना चाहते हैं, साधारण कर्मचारियों को थर्ड और फोर्थ क्लास के कर्मचारियों को। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, टेक्निकल मेम्बर, अकाउण्ट मेम्बर इन दो ही मेम्बरों ने मिलकर एक्सग्रेशिया 20% बोनस ऑफिसर्स को दिया जाये, इसका निर्णय कर लिया।

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह क्या कह रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री कौशल किशोर जैन : आप कृपया बैठ जायें।

वह एक्सग्रेशिया बोनस 20% ऑफिसरों के नाम से लिया गया है। यह 73-74 की ऑडिट रिपोर्ट रही। डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्य ने रेफरेंस दिया। उस कमेटी ने जो निर्णय दिया।

(व्यवधान)

बिजली की दरें क्या होंगी ? मार्च, 1972 में बिजली के फ्लैट रेट का निर्णय लिया गया लेकिन ढाई साल तक राजस्थान की कांग्रेस हुकूमत ने लागू नहीं करने दिया कारण यह था कि 1972 में चुनाव थे। मैं आर० एस० ई० बी० की ऑडिट रिपोर्ट पढ़कर सुनाना चाहता हूं। वह कहते हैं...

श्री श्योपतसिंह मकासर : वह हमें मालूम है।

श्री कौशल किशोर जैन : आप क्यों टोकते हैं बीच में।

वह कहते हैं-The Electricity Board has sustained a total loss of 2,207 lakhs up to 31st March, 1974.

एक माननीय सदस्य : हिन्दी में।

श्री कौशल किशोर जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं। भू० पू० सरकार ने राजनीतिक निर्णय के आधार पर इस प्रकार के कितने निर्णय किये होंगे ? हमारे राजस्थान के विद्युत मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वह राजनीतिज्ञों को विद्युत् विभाग में नहीं आने दें। एक बात मैं और कहना चाहूंगा। फ्लेट रेट की बातें चल रही हैं। अभी तक उसके ब्लू प्रिण्ट्स प्रकाशित नहीं किये गये हैं। मैं चाहूंगा कि मन्त्री महोदय जब उत्तर दें तो वह यह स्पष्ट करें कि फ्लेट कब से लागू होंगे।

श्री उगम राज मेहता (ब्यावर) : अध्यक्ष महोदय, गत विधान सभा सत्र में प्रश्न उठाया था, सभी ट्रांसफार्मर्स बहुत ओवरलोडेड रहते हैं। ब्यावर में जितने भी दूसरे कारखाने वाले हैं, उनको बिजली बराबर टाइम पर नहीं मिलती है। आखिर में

(श्री उगमराज मेहता)

मैंने चेयरमेन साहब से निवेदन किया है। परन्तु अभी तक लाइन ओवरलोडेड है, ट्रांसफार्मर्स की आवश्यकता है। गुलाबपुरा में 132 के. वी. लाइन आ रही है। मैंने, चेयरमेन महोदय को निवेदन किया है। दिग्विजय सीमेंट फैक्ट्री वालों ने श्री पर्सतली, निवेदन किया है कि 132 के. वी. लाइन से, उन्हें सीधी लाइन दी जावे लेकिन अभी तक लैटर उनको इश्यू नहीं हुआ है। मैं निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी लैटर इश्यू किया जाये।

दूसरे मेरे क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र में 125 गांव हैं जिनमें से 6 गांवों में बिजली है। बाकी गांवों के लिए हमने लिखा तो पांच गांवों का सर्वे हुआ है जिसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन अभी तक उन सारे गांवों में बिजली नहीं है, और अनेक गांव हैं आसन, तारागढ़, बड़ा खेड़ा, बराखज वहां पर बिजली लगाई जाये। मैंने निवेदन भी किया है और पत्र भी दिया है। ब्यावर एक इण्डस्ट्रियल एरिया है। कनेक्शन नहीं देंगे तो कारखाने किस प्रकार से चलेंगे? ट्रांसफार्मर्स ओवर लोडेड हैं, उनके लिए जल्दी से जल्दी कार्यवाही कराई जाये।

दूसरा, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि भारतीय विद्युत् नियम सन् 1910 के अनुसार कानूनन कोई प्रार्थना-पत्र देता है तो प्रार्थना-पत्र देने के एक महीने के अन्दर उसको कनेक्शन मिल जाना चाहिये। परन्तु, अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि ब्यावर में सैंकड़ों कनेक्शन पेण्डिंग पड़े हुए हैं। मैं बताना चाहता हूं कि खारची के गांव जेतपुरा में एक कुए में दो कनेक्शन दे दिये गये, एक कनेक्शन के 1257/- और दूसरे के 4457/- लिये गये। केवल 12 खम्भे लगा दिये। इसकी शिकायत आई तो उसका चैकिंग किया गया। अध्यक्ष महोदय, उन 12 खम्भों को हटा कर फिर 15 खम्भे और लगाये, उनके खड्डे मौजूद हैं। इसकी इन्क्वायरी कराई जा सकती है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : शिकायत किसके पास आई?

श्री उगमराज मेहता : एग्जिक्यूटिव इन्जिनियर के पास। इसी प्रकार से देसूरी क्षेत्र के वास्वा, मोरखा जूना, गुड़ा पृथ्वीराज गांवों में पोलस लगा दिए, लाइन खींची गई परन्तु अभी तक लोगों को कनेक्शन नहीं दिये गये, जिसके लिये निवेदन है कि जल्दी से जल्दी कनेक्शन दिलवाये जायं। जब आपके सामने समस्या आती है कि सामान की कमी है, कण्डक्टर की कमी है, पोल्स की कमी है, अभी उद्योग मंत्री साहब यहां नहीं हैं, मैं आपकी मार्फत उनका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं। सभी चीजों के साथ आपको सीमेन्ट का इन्तजाम करना चाहिए। केन्द्रीय सरकार से आपको ज्यादा कोटा लेना चाहिये। कण्डक्टर्स के लिए केन्द्रीय सरकार पर दबाव डालना चाहिए एल्यूमिनियम वायर के लिए जिससे कि आर. एस. ई. बी. की रिक्वायरमेन्ट्स पूरी हो सके। फ्लेट रेट्स के बारे में मेरा निवेदन है कि पंजाब में 156/- हरियाणा में 216 रुपया, और यू. पी. में 180 रुपया सालाना है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप किस प्रकार से फ्लेट रेट्स लाना चाहते हैं? किसानों के हितों की रक्षा करते हुए आप डिफरेन्स रखिये कि जो मिनिमम रेट लेते हैं उससे फ्लेट रेट में क्या डिफरेन्स है? उसकी आप आज ही घोषणा करेंगे कि लागू कर रहे हैं और कौन-कौनसी रेट कहां-कहां पर लागू कर रहे हैं।

(श्री उगमराज मेहता)

अब मैं बिल्स के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि अभी दो माह पहले मैं गांव खीमेल जिला पाली गया था। वहां पर यह शिकायत आई कि मीटर रीडर घरों में नहीं जाते हैं और Lock-Lock बिल्स में लिख देते हैं। शिकायतें भी एक्स. ई. एन. के पास भेजते हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : अपने इलाके की बात कहिये।

श्री उगमराज मेहता : कहीं की भी हो इसमें क्या हो गया।

गांव खीमेल का ट्रांसफार्मर ओवरलोडेड है। मैंने चेयरमेन साहब को भी निवेदन किया। कई स्थानों पर ट्रान्सफार्मर भेज दिये, लेकिन लाइन नहीं लगी। कनेक्शन नहीं हैं और मार्जिनल फार्मर्स को कनेक्शन नहीं दिये गये हैं। उन्होंने पैसा भी जमा करा दिया। फालना में 350 कनेक्शन किसानों को देने हैं। उन्होंने पैसा भी भर दिया लेकिन अभी तक उनको कोई कनेक्शन नहीं मिला है। इसी प्रकार से रानी स्टेशन का भी यही हाल है, वहां पर भी समस्या थी कि कनेक्शन नहीं मिल रहा है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि एक और शिकायत है सादड़ी की जो मैं आपको दे रहा हूं। जो कनेक्शन दिये जाते हैं, तो मिनिमम रेट है। गांवों में कोई कारखाना लगाना चाहता है, तो ग्रामीण क्षेत्र में कितनी कठिनाई है। मिनिमम रेट के हिसाब से उन्होंने 60813/– भरे। मिनिमम रेट में दो हजार का घाटा हर माह उठाना पड़ा है। इसलिए मिनिमम रेट जो गांवों में ली जाती है उस पर पुनर्विचार करना चाहिए।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय सदस्य, शिकायत तो घर पर दी जाती है।

श्री उगमराज मेहता : आप कहने दीजिये।

इस प्रकार से शिकायतें आती हैं। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिला लेवल पर और तहसील लेवल पर उचित इन्स्ट्रक्शन दिये जायं कि उसका चैकिंग किया जाय, हर माह किस-किसको कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं। उसकी फाइल मंगवाई जाये और चीफ इन्जीनियर को चाहिए कि दो-तीन महीने में जाकर वह चैक करे कि कितनी फाइलें सब डिविजन और डिस्ट्रिक्ट में पेण्डिग चल रही हैं। इतना ही कह कर मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जितने भी पाइन्ट्स मैने उठाये हैं उनका निवारण करें।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री गुलाबचन्द कटारिया!

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी ओर से विद्युत् मन्त्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनकी इस रिपोर्ट के आधार पर लगता है कि राजस्थान को जनता पार्टी सरकार विद्युतीकरण के सम्बन्ध में निश्चित तौर पर प्रगतिशील कदम उठा रही है। यह कोई मैं अपने मन की बात नहीं कहता बल्कि रिपोर्ट में जो आंकड़े दिये गये हैं उनके आधार पर यह बिल्कुल स्पष्ट है। गांवों का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ 1800 और 1648, दोनों मिलाकर कांग्रेस के राज में विद्युतीकरण हुआ 43 प्रतिशत गांवों में और जनता पार्टी के राज में 18 महीनों में या दो साल में 45 पर्सेन्ट गांवों में बिजली पहुंचाई गई जब कि पहले 57 प्रतिशत गांवों में बिजली पहुंची थी। इसी तरह से कुओं के क्षेत्र में जो पिछला रिकार्ड रहा 55

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

प्रतिशत कुओं पर बिजली लगाई गई और जनता पार्टी की सरकार ने दो सालों में 45 प्रतिशत कुओं पर बिजली लगाई। श्रीमान्, यह इस बात को सिद्ध करता है कि हमारा कदम निश्चित रूप से ठीक रास्ते पर चल रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी उदयपुर जिले की स्थिति बहुत ही दुखदायी है। जहां एक ओर बाकी स्थानों पर इलेक्ट्रिफिकेशन बढ़ा है, टोटल का औसत निकालें तो सम्पूर्ण राजस्थान के गांवों में विद्युतीकरण 34% हुआ है लेकिन उदयपुर में केवल 26 प्रतिशत, डूंगरपुर में 25 प्रतिशत और बांसवाड़ा में 25 प्रतिशत विद्युतीकरण हुआ है। यह इस बात को सिद्ध करता है कि वास्तव में इन जिलों को नकारा गया। इसलिए मेरा निवेदन है कि केवल एक क्षेत्र में नहीं सम्पूर्ण क्षेत्र को अन्त्योदय क्षेत्र मान कर उसमें विद्युतीकरण किया जाय।

इसी प्रकार से कुओं की स्थिति है। टोटल राजस्थान का जो पर्सेन्टेज है वह 20% आता है लेकिन उदयपुर जिले में 10 और 11 पर्सेन्ट ही आता है। यह इस बात को सिद्ध करता है कि प्रगति किस ओर अधिक हो रही है।

श्रीमन्, एक बात ओर निवेदन करना चाहता हूं और वह भी इसी रिपोर्ट के आधार पर कि 1-4-77 से 31-9-77 तक 232 गांवों का विद्युतीकरण किया गया और 1-4-78 से 31-9-78 तक अर्थात् इस साल 92 गांवों में विद्युतीकरण हुआ। यह हमारे मन में शंका पैदा करता है कि इस साल हमारी चलने की गति बहुत धीमी रही है। पिछले साल 232 गांवों में विद्युतीकरण हुआ था लेकिन इस साल केवल 92 गांवों में हुआ, यह इस बात को सिद्ध करता है कि कहीं-कहीं हमारी मशीनरी ढीली है, कहीं पर गलती है। जो हमने 1800 का लक्ष्य निर्धारित किया है उसमें से बचे हुए 7 महीने में आप 1700 गांवों में बिजली पहुंचायेंगे। अब कौनसी गति से दौड़ेंगे, आपकी मशीनरी कैसे काम करेगी ?

कुओं की स्थिति यह है कि गत वर्ष के 5 महीने की तुलना में 46 प्रतिशत अधिक है, यानि अधिक कुओं पर बिजली लगाई। 1-4-77 से 30-9-77 तक 2467 कुओं पर लगाई और 1-4-78 से 30-9-78 तक 3559 पर लगाई। लेकिन उदयपुर जिले में पिछले वर्ष 1-4-77 से 30-9-77 तक 260 और इस साल उसी अवधि में 217 कुओं पर ही बिजली लगाई। बाकी जगह तो 46 प्रतिशत बढ़ी हमारे क्षेत्र में कमी रही, इस तरह हम पीछे हट रहे हैं।

मैं उदयपुर व उदयपुर जिले की दिक्कतों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। जो ट्रांसफार्मर्स खराब हो जाते हैं जिनमें खराबी नहीं के बराबर है, आप उनको रद्दी की टोकरी में डाल देते हैं और कभी जयपुर आकर ठीक होते हैं। यदि आपने डिविज़नल मुख्यालयों पर ठीक करने की सुविधा दी तो मेरी मान्यता है कि केवल कुछ तार इत्यादि की खराबियां साधारण कर्मचारी ही ठीक कर सकता है। मैंने उनसे बात की। उन्होंने कहा, हम ही ठीक कर सकते हैं बिना किसी सामान के।

इसी तरह उदयपुर में विद्युत् की जो आंख मिचौनी चलती है वह अजीब है। पानी की सप्लाई व्यवस्था भी इस पर निर्भर करती है। एक तो महीने में एक-दो दिन ऐसे आते हैं जब लोगों को पानी के

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

लिए दौड़ना पड़ता है, कुओं व बावड़ियों को टटोलना पड़ता है। उदयपुर में जनरेटर सिस्टम भी आपको लागू करना चाहिये, ताकि संकट के समय उदयपुर में पानी उपलब्ध हो सके! भंडारी कम्पनी के समय जो तार बिछाए गए उनमें ऐसा लगता है कि अधिकांश गलियों में कभी भी संकट आ सकता है।

इसके अलावा कई लाइनें ऐसी हैं जहां 15-15 व 20-20 फीट तक आग के गोले छूटते हैं और दूर-दूर तक जाते हैं। इन खराब लाइनों के कारण कभी भी संकट आ जाता है, इसलिये नई लाइनें लगाई जायं।

पहले हर महीने बिल आता था, गरीब लोगों को आसानी रहती थी। पता नहीं जबसे भण्डारी को हाथ में लिया आपने कानून बनाया कि हर दो महीने में बिल जाएगा। यह मेरी समझ में नहीं आता। साधारण सा बनिया भी समझ सकता है कि यदि एक महीने का पैसा इकट्ठा किया जाय तो उस पर ब्याज मिलेगा। आप दो महीने तक क्यों पैसे रखने देते हैं? और उपभोक्ता को भी सुविधा होगी, एक महीने का पैसा आसानी से चुका सकेगा। पता नहीं वहां दुकानदारों के साथ आपकी क्या नाराजगी थी। एक तरफ आपका एक्ट है उसके अनुसार अगर किसी व्यक्ति की दुकान सारा दिन बंद रहती है और केवल घंटा या डेढ़ घंटा खोलता है तो उसको 10॥ रुपये देने पड़ते हैं। क्यों नहीं मीटर के हिसाब से लेते हैं ताकि जो अधिक बिजली जलाए उससे अधिक पैसे लें और कम वाले से कम पैसा। इस पद्धति से सारे उदयपुर में असंतोष है।

इसी प्रकार होटल को उद्योग माना गया है। उदयपुर पर्यटन केन्द्र है। सबसे बड़ा व्यवसाय होटल है। होटलों से वही रेट लेनी चाहिए जो घरों से ली जाती है। जब आपने होटल को उद्योग मान लिया तो उसी के अनुसार आपको सुविधा देनी चाहिये।

महाराणा भूपाल इलेक्ट्रिक कम्पनी, के क्षेत्र में नाई गांव है। वहां के 25 किसानों ने कुओं पर बिजली के लिए पैसे जमा कराये। 10 बार जयपुर आने के बाद और भूतपूर्व विद्युत मंत्री के दरवाजे खटखटाने के बाद मंत्रीजी ने आदेश दिया कि कनेक्शन हो जाना चाहिये। एस० ई० ने आदेश दिया लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि केवल एक व्यक्ति को ही कनेक्शन दिया जो उनका लीडर बन कर चल रहा था। यह बेईमानी है। इससे लोगों में धारणा होगी कि काम कराना है तो नेतागिरी करो। 24 आदिवासी जो हैं उनके मन में आता है कि नेता बनने से ही काम होता है। यह क्यों हुआ? उनका कोई परिचित व्यक्ति आपकी नौकरी में अधिकारी है उसका फायदा उठा कर केवल एक व्यक्ति को कनेक्शन दिया। भ्रष्टाचार को जन्म देने की यह पहली सीढ़ी है। आपने किसी व्यक्ति के लिये कह दिया कि इनका कनेक्शन हो जाना चाहिये, उसका जल्दी हो गया लेकिन बाकी व्यक्तियों को 8-8 महीने हो जाते हैं, जूतियां घिसाते रहते हैं लेकिन उनकी कोई नहीं सुनता। अगर यही न्याय रहा तो भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हो सकेगा।

आपकी रिपोर्ट में लिखा है कि जिस किसी के साथ दुर्घटना हो जाती है, किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसको 5000 रुपये दिये जाते हैं लेकिन पता नहीं उदयपुर का दुर्भाग्य है। एक वेणी नामक व्यक्ति की साल भर पहले मृत्यु हो गई

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

खम्भे के करेंट से। उसकी हालत यह थी कि उसकी लाश को जलाने के लिए कर्मचारियों ने पैसा इकट्ठा करके उसका दाह संस्कार किया लेकिन आज तक उसको पैसा नहीं मिला। दूसरा एक नाथू था जिसका हाथ टूट गया। आज तक उसको कोई राहत नहीं मिली। इसके अलावा उदयपुर में चमनपुरा में बिजली के खंभे के करेंट से एक मुस्लिम युवक की मृत्यु हो गई। आज तक आपके पास उसकी रिपोर्ट नहीं आई। विभाग की गलती के कारण आपके पास रिपोर्ट नहीं आई। उस व्यक्ति ने आपके बिजली के खंभे से चिपक कर प्राण त्याग दिये। यद्यपि हम प्रगति के रास्ते पर जा रहे हैं लेकिन जिस प्रकार से छोटे कर्मचारी किसानों को परेशान करते हैं उनकी कहानियां सुनी जायं तो ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार ऊपर से भले ही मिट गया हो लेकिन नीचे की लेविल पर है। जब तक उनकी जेब गर्म नहीं होती तब तक काम नहीं होता। आप उनको खींचने का प्रयास करें, फाइल देखकर अन्दाजा लगा सकते हैं कि 6-6, 12-12 महीने तक फाइलें क्यों पड़ी रहती है, उससे पता लगेगा कि उनकी मन्शा क्या है ?

श्री अध्यक्ष : श्री गोपालसिंह (खंडेला)!

श्री रामेश्वर दयाल यादव : मेरा नाम था।

श्री अध्यक्ष : बाद में।

मेजर श्री फतहसिंह : कहीं न कहीं गलती हुई है, अध्यक्ष महोदय। मैंने 11.30 बजे नाम दिया था। मेरा नाम अभी तक नहीं पुकारा गया है।

श्री बहादुरसिंह : मेरा नाम भी था।

श्री गोपालसिंह (खण्डेला) : अध्यक्ष महोदय, आज इस पवित्र सदन में विद्युत् मंडल के सम्बन्ध में चर्चा कर रहे हैं जिसका सम्बन्ध निश्चित रूप से हमारे प्रांत के विकास से जुड़ा हुआ है। यह बोर्ड जितना इफेक्टिव होकर, सतर्क होकर, निश्चित प्रोग्राम के साथ आगे चलेगा, उतना ही हमारे प्रांत का विकास होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब कांग्रेस का शासन था तब यह बहुत जोरदार शब्दों में कहा जाता था कि जो जगह जिस चीज के लिए पोटेन्शल है उन स्रोतों का वहां उपयोग किया जायेगा और जो दूसरे इलाके दूसरी चीजों के लिए पोटेन्शल हैं वहां उस तरह के प्रावधान किये जायेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के दक्षिणी भाग में, और मुख्य रूप से कोटा जिले में और उसके आस-पास के जिलों में जहां पानी बहुतायत में है, पानी जो नदियों में बहता हुआ बांधों में रोका गया और जहां से सीधे सिंचाई होती है जब कि राजस्थान के पश्चिमी जिलों के लोगों ने बार-बार यह प्रश्न खड़ा किया कि हमारे यहां न नहरें हैं और न इस तरह की कोई सम्भावना है कि यहां नहर आयेगी इसलिए इन जिलों के विकास की ओर विशेष ध्यान दीजिए। उस समय यही कहा गया कि हम पानी कोटा और उदयपुर से झुंझुनू, चूरू और सीकर में नहीं ला सकते। इसलिए आज जनता शासन में अध्यक्ष महोदय मैं आपकी मार्फत विद्युत मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान के पश्चिमी इलाके सीकर, झुंझुनूं और चूरू तथा उससे जुड़े हुए नागौर आदि जिले हैं इनका हमें विकास करना है वहां भविष्य में ऐसी किसी नहर के आने की सम्भावना नहीं है। ऐसी स्थिति में, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार

(1580)

(श्री गोपालसिंह)
को इन जिलों के विकास के लिए विद्युतीकरण के लिए अपेक्षाकृत कहीं ज्यादा बजट रखना चाहिए तभी मैं समझूंगा कि राजस्थान के इस भाग के सन्तुलन की ओर राजस्थान सरकार सतर्क है और इसके साथ सहानुभूति रखती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब तक के जो आंकड़े हमारे सामने हैं उनको देखने से लगता है कि अभी तक राजस्थान सरकार ने इन जिलों के प्रति इस दिशा में और इस पैमाने पर नहीं सोचा है। उदाहरण के तौर पर कोटा जिले के 1911 गांवों में से इस साल का जो लक्ष्य है वह 121 गांवों का रखा गया है जो कुल का करीब 6 प्रतिशत होता है। इसी तरह से अलवर के 1873 गांवों में से इस साल का जो लक्ष्य रखा गया है वह 121 का रखा गया है जो भी कुल का लगभग 6 प्रतिशत होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, चूरू के 861 गांवों में से कुल 25 गांवों का लक्ष्य रखा गया है इस साल का जो कि कुल का केवल 3 प्रतिशत होता है। सीकर के 817 गांवों में से कुल 47 गांवों का इस साल लक्ष्य रखा गया जो कि करीब 6 प्रतिशत होता है। इसी के आसपास झुंझुनूं जिले के गांवों का भी प्रतिशत है। ....

श्री श्योपतसिंह मकासर : गंगानगर का और बता दें।

श्री गोपालसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, गंगानगर के बारे में भी कहा गया लेकिन मैं सन्तुलित विकास की और पोटेन्शेलिटी की बात करता हूं। मैं अपनी बात बहुत जोर से कहना चाहता हूं कि गंगानगर जिले का भी विकास हो। मेरा विरोध नहीं है लेकिन वहां नहर का पानी उपलब्ध है ....

श्री श्योपतसिंह मकासर : ट्यूब वैल

श्री गोपालसिंह : ट्यूब वैल का कोई विरोध नहीं करता। गंगानगर जिले का एक्सपेन्शन हो लेकिन मैं उन इलाकों के बारे में विशेष रूप से निवेदन करना चाहता हूं जहां और साधन नहीं है सिंचाई के। इसलिए राजस्थान सरकार को प्रानेस्टली और सिन्सीयरली और स्टेट के संतुलित विकास के लिए अपेक्षाकृत अधिक धन देना चाहिए। मैं इस सम्बन्ध में यही कहना चाहता था।

अब तक के आंकड़ों की तरफ आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय, विद्युत मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है। अब तक जो इस दिशा में नीति अपनाई है वह इस तरह की नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसमें कुछ परिवर्तन करें और इन पश्चिमी जिलों के लिये आप ज्यादा बजट दें।

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दो तीन मिनट में समाप्त कर दूंगा।

इसके साथ ही साथ मुझे सरकार को धन्यवाद देने में बड़ी खुशी है कि डेजर्ट डवलपमेन्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत सीकर जिले में इस साल और धन रखा गया है। लक्ष्मणगढ़, फतहपुर पंचायत समितियों में कुछ विशेष प्रावधान रखा गया है। मैं इसीके साथ में, अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत विद्युत मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इसी जिले की नीम का थाना खण्डेला और दांता रामगढ़ की पंचायत समितियां है जहां विद्युतीकरण हुआ है लेकिन बीच में एग्रीकल्चर की दृष्टि से काफी पोटेन्शल इलाका है और कुछ पोकेट्स बाकी हैं उनको भी डेजर्ट डवलपमेन्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत लें जो बीस-पच्चीस गांव एक पंचायत समि

(श्री गोपालसिंह खण्डेला)

में शेष रह गये हैं उनको भी लिया जाना जरूरी है। उदाहरण के तौर पर नीम के थाने में एक इलाका है जो कि पोटेन्शली एग्रीकल्चरल है अगर वहां बिजली पहुंच जाती है तो ज्यादा अच्छा होता। खण्डेला में गुमानसिंह की ढाणी और केतपुरा आदि गांव है उनको भी डेजर्ट डवलपमेन्ट प्रोग्राम में लें और उन को बिजली दी जाये तो उस क्षेत्र की ज्यादा उन्नति हो सकती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ फ्लेट रेट के बारे में निवेदन करना चाहता हूं सूक्ष्म में। माननीय सदस्यों ने बहुत कुछ कहा है। कई तरह की शंकायें भी सदस्यों ने व्यक्त की हैं। विद्युत मण्डल का खर्च कम करना है तो आज जिन गांवों में विद्युतीकरण हुआ है एक-एक गांव में तीन-तीन और चार-चार लाइनमैन लगा रखे हैं। जहां फ्लेट रेट लागू हो जायेगा, यह सारा खर्चा वापस ले लिया जायेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब जागीरदारों का समय था तब हमारे क्षेत्रों में कोई राजा या बड़ा जागीरदार जाता था तो किसान डरते थे। आज वह बात नहीं है। आज तो गांवों में बिजली का लाइनमैन जायेगा तो समझेंगे कि यह कौन आगया यह कुछ न कुछ गड़बड़ी कर जायेगा। मीटर को हिला जायेगा, किसी का मीटर तोड़ कर चला जायेगा। अध्यक्ष महोदय, आप ताज्जुब करेंगे कि उससे कोई बात तक नहीं कर सकता। लाइनमैन इस तरह की हरकतें करते हैं। वह निहित स्वार्थों से करते हैं। इस तरह की बातें हमने राज्य सरकार के ध्यान में लाने की कोशिश की है और अधिकारियों के भी ध्यान में लाने की कोशिश की है लेकिन दुःख की बात है कि आज तक भी फ्लेट रेट के बारे में कोई निर्णय नहीं हुआ। इसमें आप्शन दिया जा सकता है कि जिसको फ्लेट रेट मुफीद नहीं है वह अपना मीटर लगाये और जो मीटर नहीं लगाये उसके लिए फ्लेट रेट लागू हो जानी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से हमारे सीकर जिले में श्री माधोपुर पंचायत समिति है उसमें भी अभी तक इस मीटर प्रणाली की वजह से गरीब किसानों में 30 लाख रुपये बकाया निकाल रखे हैं। यह बिल्कुल सरासर झूठा है और यह खुला डाका है। हमने इस बात को ध्यान में लाने की कोशिश की लेकिन हमें दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस बारे में सरकार ने कभी सहानुभूति के साथ नहीं सोचा। किसान को एक-एक केस में पैरवी करनी पड़ती है और यह पैरवी उसको बहुत महंगी पड़ती है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन सब बुराइयों को दूर करने के लिए फ्लेट रेट कायम की जाये इसी में देश का और किसान का भला है।

धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री रामेश्वर दयाल यादव !

श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्व प्रथम तो मैं माननीय विद्युत मन्त्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने विद्युत मण्डल सम्बन्धी आय-व्ययक के आंकड़े डिस्कस करने के लिए और जो समस्यायें जन-प्रतिनिधियों के दिमाग में आती हैं वह प्रस्तुत करने के लिए आज यह विषय रखा है। दूसरे मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जब जनता सरकार शासन में आई उस वक्त

(श्री रामेश्वर दयाल यादव)

राजस्थान में कुओं, जिनमें बिजली दी गयी थी, की संख्या केवल मात्र 1 लाख 7 हजार 355 थी। पिछले साल में 20881 कुओं को बिजली दी गई। इस साल के टार्गेट्स अगर देखें तो हमको मालूम पड़ता है कि 25 हजार कुओं को और बिजली दी जा रही है। इस पौने दो साल के अरसे में अगर जनता सरकार 45 हजार कुओं को बिजली दे देती है तो निश्चित रूप से जनता सरकार किसानों के कुओं पर बिजली पहुंचाने के लिए धन्यवाद की पात्र है।

इसी के साथ माननीय मंत्री महोदय ने कई बातों की चर्चा की है। मैं इस बात से सहमत हूं कि एडीशनल एडवांस स्कीम के अन्तर्गत एच. टी. लाइन पर कन्ज्यूमर्स को छूट दी है, लघु औद्योगिक उपभोक्ताओं को 11 के. वी. लाइन में छूट दी है, मिनिमम चार्ज में छूट दी है, 16 फरवरी और 30 सितम्बर के बीच कनेक्शन लेने वालों को जो छूट दी है, फ्लड अफेक्टेड एरिया में जो मिनिमम चार्ज की छूट दी है, लोड फैक्टर के आधार पर किसानों से जो वसूल किया जाता था उसमें भी जो छूट दी है, इन सभी मुद्दों के साथ जनता सरकार और माननीय विद्युत मन्त्री जी और विद्युत मण्डल के पदाधिकारी निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र हैं लेकिन इसके साथ ही कई ऐसी कमियां सामने नजर आ रही हैं जिनकी वजह से कुछ उपभोक्ताओं के दिमाग में एक शंका का विषय बना हुआ है।

प्रथम फ्लेट रेट की बात कहना चाहता हूं। माननीय मुख्य मन्त्री जी पिछले वर्ष राजस्व अभियान के दौरान जब मेरे क्षेत्र ग्राम जेतपुरा में 30 अक्टूबर को गये उन्होंने घोषणा की। राजस्थान में गांवों में कुओं पर जो बिजली दी जाती है उससे उत्पन्न कई चीजें सामने आती हैं, भ्रष्टाचार की बात सामने आती है, किसान चोरी करता है. इन सारी बातों को देखते हुए यह घोषणा की कि राजस्थान में फ्लेट रेट कायम की जायेगी। उसी सन्दर्भ में महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में पैरा 33 में उल्लेख किया है — ग्रामीण क्षेत्रों में मोटरिंग आदि के कारण उपभोक्ताओं को होने वाली कठिनाई को देखते हुए सरकार कृषि कार्यों में विद्युत के उपयोग पर फ्लेट रेट लगाने के प्रश्न पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है।

इसके बाद में माननीय विद्युत मन्त्री ने न केवल वनेहा में, मैं समझता हूं बीसों स्थानों पर घोषणा की होगी कि राजस्थान में फ्लेट रेट कायम की जा रही है। न केवल विद्युत मन्त्रीजी ने बल्कि राजस्थान के मंत्रिमण्डल के प्रत्येक सदस्य ने बीस-बीस जगह इस बात की घोषणा की होगी कि फ्लेट रेट कायम की जा रही है। हम लोगों ने भी जनता में जा कर चर्चा की कि फ्लेट रेट लागू हो रही है। किस तारीख से फ्लेट रेट लागू हो रही है और किस रूप में की जा रही है। अगर विद्युत् मन्त्री जी के दिमाग में शंका है, जैसा एक दो माननीय सदस्यों ने कहा, तो मेरा सुझाव है कि अगर छोटे किसान को नुकसान होता महसूस करते हैं तो उसमें आप्शन दे सकते हैं। जो फ्लेट रेट देना चाहे फ्लेट रेट दें। उसमें आपको ओप्शन देना चाहिये। मीटर व्यवस्था रखिये, उसमें मेरा सुझाव है मिनिमम चार्जेज मत रखिये। ऐक्चुअल रेट का पैसा लिया जाना चाहिये। मैं समझता हूं यह फ्लेट रेट की बात भूतपूर्व कांग्रेस

(श्री रामेश्वर दयाल यादव)

सरकार के मुख्य मन्त्री जी ने भी कही थी, हरिदेव जोशी ने भी कहा था और उस वक्त सुन्डा साहब कांग्रेस में बैठा करते थे उन्होने भी कहा था कि फ्लेट रेट कायम होने जा रही है। वह सरकार फ्लेट रेट कायम करती-करती चली गई। दूसरे मन्त्री पोर्टफोलिओ ले कर चले गये। आपसे, मन्त्री महोदय, निवेदन करता हूं कि फ्लेट रेट कायम करने के लिये अपनी कलम से, अपने मुंह से आज इस सदन में घोषणा करें। यदि आपको असुविधा है तो मैं कहूंगा कि विधान सभा का यह सत्र 15 या 16 तारीख तक चलने वाला है उससे पहले आप फ्लेट रेट का आश्वासन दें।

श्री मूलचन्द डागा : आज ही 12 बजे पहले करवा दो।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : आप सुनिये।

इसके बाद में वास्तविक उपभोक्ताओं को तकलीफ महसूस होती है उनके बारे में निवेदन करना चाहता हूं। भूतपूर्व सरकार ने उपभोक्ताओं से एडीशनल सिक्योरिटी वसूल करने के आदेश दिये थे सन 76 में। बड़े मजे की बात है चुनाव नजदीक आ रहे थे। एडीशनल सिक्योरिटी वसूल करने का स्टे कर दिया। वह वसूली नहीं हुई और पिछले कुछ दिनों के अन्दर वह वसूल की जा रही है। विद्युत् कनेक्शन जो 3 हार्स पावर के हैं 75 रुपये, 5 हार्स पावर के हैं 85 रुपये, $7\frac{1}{2}$ हार्स पावर के हैं 12 रु० और 10 हार्स पावर के 150 रुपये। सन् 61 के, सन् 50 के कनेक्शन हैं उनसे वसूल किये जा रहे हैं। मेरा निवेदन है कि कम से कम कोई अमेन्डमेंट कानून है तो From the date of enforcement करिये, रिट्रोस्पेक्टिव डेट से मत करिये वरना यह हो सकता है कि आज तो आप 23 या 21 पैसे ले रहे हो और भूतपूर्व सरकार ने 13 पैसे लिया है, तो कहीं ऐसा न करें कि आप रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से उससे 23 पैसे के हिसाब से वसूल करना शुरू करदें। इस आधार पर कनेक्शन नहीं काटना चाहिये लेकिन सैकड़ों के तादाद में कनेक्शन कटे हैं। मैंने जब मन्त्री महोदय से कहा तब उन्होंने आदेश दिये कि फिलहाल कनेक्शन नहीं काटे जायें।

जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है, मैं इस बात से सहमत हूं कि बोर्ड के उच्च अधिकारी हैं वह निश्चित रूप से ईमानदार हैं लेकिन उनके नीचे जो सहायक अभियन्ता और कनिष्ठ अभियन्ता हैं तथा एल०डी०सी० और हैल्पर हैं वह उतने ही बेईमान हैं।

श्री मूलचन्द डागा : बिजली में तो भ्रष्टाचार नहीं होना है, भ्रष्टाचार तो अन्धेरे में होता है।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : कनेक्शन के लिये सिक्योरिटी जमा कराने के बाद एल फार्म लेना पड़ता है। अब बोर्ड ने तय किया है कि गांव में जो फिटिंग्स हैं वह सहायक अभियन्ता और कनिष्ठ अभियन्ता करेंगे। इससे भ्रष्टाचार में और वृद्धि हुई। अध्यक्ष महोदय, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, मेरे चौमू क्षेत्र में कई गांव हैं जहां एच०टी० लाइन नहीं खींची गई हैं, जैसे ग्राम एसीकलां। अब वहां पर सहायक अभियन्ता और कनिष्ठ अभियन्तों ने कन्जूमर्स की गैर मोजूदगी में एल फार्म रिजेक्टेड कर दिये और कहने लगे कि जब तक आप पैसा नहीं दोगे तब तक आपका फार्म रिजेक्ट माना जायेगा। अब

(श्री रामेश्वर दयाल यादव)

एक दफा रिजेक्ट होने पर प्रायोरिटी टूटती है और छः माह पीछे चला जाता है। ऐसी बातों, जिनसे भ्रष्टाचार पैदा हो उनमें सुधार करना चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

बिजली बोर्ड के अन्दर जितने भी ठेकेदार हैं वह लाइसेन्स होल्डर नहीं हैं। इस बात की जानकारी बोर्ड के सहायक अभियन्ताओं और कनिष्ठ अभियन्ताओं को निश्चित रूप से है, लेकिन वह उन बिना लाइसेन्स होल्डर ठेकेदारों को जीपों में लेजा कर काश्तकारों को लूटते हैं। मैं विद्युत मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि ऐसे कितने बिना लाइसेन्स होल्डर ठेकेदारों का आपने चालान करवाया? मेरे चौमू क्षेत्र में ही सैकड़ों बिना लाइसेन्स ठेकेदार हैं लेकिन आज तक किसी का भी चालान नहीं किया गया। इसलिए भ्रष्टाचार को कम करने के लिये यह भी जरूरी है कि ऐसे बिना लाइसेन्स वाले ठेकेदारों को बिड में प्रवेश नहीं दिया जाये। आपको चाहिये कि "आई॰टी॰आई॰ पास छात्रों को लाइसेन्स दें और इस दिशा में प्रगति की जाये।

इसके अलावा मैं एक–दो बातें और कहना चाहूंगा।

पिछले साल से, एक साल से जिनकी सिक्योरिटी जमा है उनको कनेक्शन नहीं मिल रहा है माननीय अध्यक्ष महोदय; मैं यह कहना चाहूंगा कि जहां राजस्थान में 25 हजार कुओं को कनेक्शन देने का लक्ष्य है वहां पर विद्युत मन्त्रीजी ने जो नोट दिया है उसके अन्दर यह कहा गया है कि 3200 कुओं पर बिजली दी जा चुकी है। क्या हम इस बात की उम्मीद करें कि इस माह तक जब 3200 कुओं को बिजली दे पाये हैं तो चार महीनों के अन्दर 21800 कुओं को बिजली का कनेक्शन रिलीज कर पायेंगे। इसके साथ ही मैं यह पूछना चाहता हूं कि सारे राजस्थान का जितना टार्गेट है, डोमेस्टिक कामर्शियल और इंडस्ट्रियल, उसमें कितने पर्सेन्ट रिलीज किया है और रूरल एरिया में एग्रीकल्चर कनेक्शन कितने दिये हैं? एग्रीकल्चर में आपने सबसे कम कनेक्शन रिलीज किए हैं। तो यह फसल का टाइम है और इस वक्त अगर कनेक्शन रिलीज कर दिए जावें तो काफी किसानों को लाभ हो सकता है। मैंने एक प्रश्न विधान सभा में पूछा था उस संदर्भ में कहना चाहता हूं कि जो आपके बिजली बोर्ड के अधिकारी हैं जो कनिष्ठ कर्मचारी हैं वे मन्त्री महोदय, आपको मुगालते में रखते हैं, गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। इस प्रश्न का जवाब जो मेरे पास पहुंचा है उसमें बताया है कि 79 कनेक्शन पिछले माह सितम्बर तक रिलीज किए गए हैं। मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि कनेक्शन ज्यादा रिलीज हुए हैं। मेरी नालेज के अनुसार 79 नहीं बल्कि सौ से भी अधिक कनेक्शन मैंने देखे हैं लेकिन मुझे इसमें आपने गलत आंकड़े दिए हैं। ठीक इसी तरह से मैं कहना चाहता हूं कि इतने कनेक्शन की सिक्योरिटी जमा हुई है, सिक्योरिटी जमा है, एल फार्म जमा है लेकिन सामान नहीं है। किसानों ने भी अपने सारे बैल गाय बेच कर कुओं में फिटिंग करा दी, अगर मोटर बाहर निकाल लेता है तो एल फार्म रिजेक्ट कर देते हैं उसकी प्रायोरिटी छः महीने पीछे चली जाती है। अगर मोटर को अन्दर रख कर बैलों से चरस से सिंचाई करता है तो उसकी मोटर पानी में भीग जाती है और जब कनेक्शन मिलता है तो उसकी मोटर जल जाती है।

(श्री रामेश्वर दयाल यादव)

इन सारी बातों के साथ में मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब आप बिजली दे नहीं सकते तो उसकी फिटिंग को ही कम्पलीट क्यों देखना चाहते हैं। अगर यह भी करते हैं तो एल फार्म देने के 45 दिन की अवधि के अन्दर कनेक्शन रिलीज हो जाना चाहिए।

ठीक इसी के साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगा। जैसे कि कई माननीय सदस्यों ने एक बात रखी है, जहां तक मेरे ध्यान में है, वह निश्चित रूप से बोर्ड ने निर्णय लिया है, मैं माननीय विद्युत् मन्त्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि डिविजनल हैड क्वार्टर्स पर कन्सल्टेटिव कमेटी का गठन करके जन प्रतिनिधियों को साथ में लिया गया है और एक्जीक्यूटिव इंजीनियर उनको साथ लेकर वहां की लोकल समस्याओं का निपटारा करेंगे तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार मिटेगा कनेक्शन रिलीज करने में और हर प्रकार की जो बोर्ड में गलत चीजें हो रही हैं वह रुकेंगी और उनके बारे में संतोषप्रद बात होगी।

अन्त में मैं इन्हीं शब्दों के साथ में, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से राजस्थान के किसानों की ओर से पुरजोर शब्दों में विद्युत् मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि फ्लेट रेट की घोषणा तो आज निश्चित रूप से की जावे जिससे राजस्थान के किसान आपके बड़े आभारी होंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री रामसिंह विश्नोई।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान भारत का एक सबसे विशाल प्रान्त है और इस प्रान्त में माननीय मन्त्री महोदय को 23 हजार गावों के अन्दर और तीन करोड़ जनता तक बिजली पहुंचानी है। इस राजस्थान के अन्दर विद्युत मण्डल द्वारा 110 करोड़ रुपया साल में खर्च करने का प्रावधान है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बड़ी प्रशंसा की बात होगी कि 110 करोड़ रुपये राजस्थान की जनता के लिए खर्च होते। लेकिन मैं यह ठीक कहता हूं कि 110 करोड़ में से करीब 70-80 करोड़ रुपये तो ब्याज और मजदूरों की मजदूरी, अधिकारियों की तनख्वाह, उनके एशो आराम और गाड़ियों पर खर्च होता है। केवल दस, बीस और 25 करोड़ रुपया 110 करोड़ में से राजस्थान की जनता के लिए खर्चा करके 33 हजार गांवों के अन्दर बिजली पहुंचाने का सौ वर्षों का प्रोग्राम बनाया है तब तक यह विद्युत् मण्डल कर्जे में इतना डूब जायगा कि आने वाले पांच सालों के बाद विद्युत मण्डल एक भी गाव और एक भी कुएं और एक भी इन्डस्ट्रीज में कनेक्शन नहीं दे सकेगा।

मान्यवर, राजस्थान के अन्दर 700 मेगावाट बिजली प्राप्त है और दूसरी ओर अपने पडोसी प्रान्त गुजरात के अन्दर दो हजार मेगावाट बिजली मिलती है। दो हजार मेगावाट बिजली को हैंडल करने के लिए जहां पर बीस हजार मजदूर है वहां पर राजस्थान मे 700 मेगावाट को हेंडल करने लिए चालीस हजार मजदूर काम करते हैं करोड़ों रुपया उन लोगों की देख रेखमें चल जाता है। जिस मण्डल के अन्दर साल में 25 30 करोड रुपये का ब्याज चुकाना पड़ता हो और 20-25 करोड के आस-पास इन मजदूरों को देना पड़ता हो वहां पर यह अपेक्षा करना कि राजस्थान के अन्दर बिजली की व्यवस्था सुधरेगी, जिनको बिजली उपलब्ध है उनको मिलती रहेगी और नए

(श्री रामसिंह विश्नोई)

लोगों को बिजली दे पायेंगे, हम कतई आशा नहीं कर सकते। मान्यवर, मैं आपसे ठीक कह रहा हूं कि राजस्थान के अन्दर बिजली की व्यवस्था इतनी बिगड़ी हुई है कि 24 घण्टों में से पांच सात घण्टों से ज्यादा बिजली उपलब्ध नहीं होती है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय मंत्री महोदय, इस ओर ध्यान दें, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं सब ध्यान दे रहा हूं, आप कहे जाइये।

श्री रामसिंह विश्नोई : इस बात में कोई संदेह नहीं है कि एक किसान को, किसी इन्डस्ट्री को और किसी घर को पांच सात घण्टे से ज्यादा बिजली दे नहीं सकते उस मण्डल से हम यह अपेक्षा क्यों करते हैं कि वह करोड़ों रुपया लोगों से बिजली के प्राप्त कर सकेगा, जब कि इनकी बिजली जलती ही नहीं है। काफी ट्रांसफार्मर बिगड़े हुए है। राजस्थान के अन्दर पांच करोड़ रुपयों के ट्रांसफार्मर जले हुए पड़े हैं जिनकी रिपेयर होती नहीं। केपेसीटर इनके पास नहीं लोगों को कहते हैं कि उनके पास केपेसीटर नहीं है लेकिन इनके पास एक जमाने का पचास-साठ लाख का ट्रांसफार्मर हीरापुरा में पड़ा हुआ है। केपेसीटर को हैंडल नहीं कर सकते। इनके पास टेक्निकल आदमी नहीं हैं। पचास साठ हजार नहीं बल्कि लाखों रुपयों के राजस्थान की गरीब जनता की कमाई के ट्रांसफार्मर बेकार डाल रखे हैं, उसका कोई उपयोग नहीं है और गांव के लोगों से अपेक्षा करते हैं, हजार दो हजार के ट्रांसफार्मर अपने कुओं पर लगाने के लिए कहा जाता है। उनके ट्रांसफार्मर ओवरलोड चल रहा हैं। लाइट बिगड़ी हुई है, हालत खराब है. उनको 5-7 घण्टे से अधिक बिजली मिलती है तो मैं आपसे ठीक कहता हूं कि यह विद्युत मण्डल द्वारा आने वाले भविष्य के अन्दर किसानों को और बिजली देने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता, जिनको दी हुई है उनके लिए भी व्यवस्था नहीं कर पायेगा। पांच करोड़ रुपया आपको अभी देना पड़ा है, जो पांच साल के लेबर हैं हेल्पर के नाम पर, मुझे आपत्ति नहीं है कि गरीबों को मजदूरी मिलनी चाहिए लेकिन मण्डल को लापरवाही और अकर्मण्यता के कारण पिछले पांच साल का पांच करोड़ रुपया आपको उनको देना पड़ा और इसकी वजह से विद्युत मण्डल को नुकसान हुआ। पांच करोड़ तो वह गए और पांच करोड़ के ट्रांसफार्मर बेकार पड़े हैं। तीन करोड़ ब्याज का और तीस चालीस करोड़ रुपया उनकी मजदूरी का। राजस्थान की जनता को बिजली के तार खराब जो अच्छे-अच्छे ठेकेदार हैं जो मालिक है उनसे लेकर देते हैं किसानों के कुओं पर तीन चार घण्टे से ज्यादा बिजली चलती नहीं फिर भी मिनिमम एवरेज चार्जेज देने पड़ते हैं। जब एवरेज चार्जेज देने पड़ते हैं तो किसानों की माली हालत खराब होती है और जब हालत खराब होती है तो उनको देख कर दूसरा भी जो बिजली लेना चाहता है वह भी बिजली लेता नहीं है। अभी एक माननीय सदस्य ने कहा था कि गांव के अन्दर ट्रांसफार्मर तो लगा दिया लेकिन कोई बिजली लेने को तैयार नहीं है। जिन लोगों के घर बिजली है, जिनके घरों में, कुओं में और इंडस्ट्री में बिजली उपलब्ध होती है उनकी हालत को देख कर लोग सोचते हैं कि हम भी बिजली लेकर क्या करेंगे। इसलिए गांव के अन्दर जहां हजार हजार घरों की बस्ती है, पांच

(श्री रामसिंह बिश्नोई)

सौ घरों की बस्ती है, जहां पर कुए हैं वहां पर लोग बिजली को लेना नहीं चाहते, वहां पर अपने इंजिन लगाना उचित समझते हैं, बैलों से सिंचाई करना उचित समझते हैं। इसलिए, मान्यवर, आधुनिक जमाने में बिजली होना आवश्यक है और बिजली के बगैर किसान दूसरे प्रांतों के मुकाबले में दूसरे देशों के किसानों के मुकाबले में खड़ा हो नहीं सकता। उनकी यह मजबूरी है। 17 पैसे, 22 पैसे और 37 पैसे हमारे पर यूनिट का खर्चा बढ़ाया है यह खर्चा इसलिए बढ़ाया है कि ब्याज देना पड़ रहा है, मजदूरी ज्यादा देनी पड़ रही है। इस प्रकार हमारे पर कर्जा और बढ़ता जायगा और उसका सारा भार किसानों पर पड़ने वाला है। पचास पैसे और एक रुपया भी हो जाए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है।

मान्यवर, मैं यह उचित समझता हूं कि यह जो हमारा पिछड़ा हुआ जोधपुर का इलाका है वहां पर 220 के० वी० लाइन के अभाव में करोड़ों रुपयों का विद्युत बोर्ड को घाटा होता है और साथ ही करोड़ों रुपयों का किसानों को नुकसान होता है। कोटा से ब्यावर 220 के० वी० लाइन खींची जानी थी वहां से बिलाड़ा लाइन जाने का प्रावधान रखा गया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस लाइन के लिए आज से तीन साल पहले 1 करोड़ 65 लाख रुपये का बजट प्रावधान किया गया था परन्तु खेद है कि आज तक यह लाइन कम्पलीट नहीं की गई है। इसलिए यह जो स्वीकृत 220 के० वी० लाइन है इसको शीघ्र पूरा कर वहां की जनता को सहूलियत प्रदान करें।

मान्यवर मैं एक बात और फ्लेट रेट के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। मुझे शंका है अगर विद्युत मंडल ने राजस्थान के किसानों को बिजली फ्लेट रेट पर दी तो उनको भारी नुकसान होगा। फ्लेट रेट पर बिजली आप किसानों को देते हैं तो उनको बिजली आठ घंटा मिलनी चाहिए परन्तु एक घंटा भी बिजली आप उनको नहीं देते हैं। इससे तो किसान बर्बाद हो जायेगा। उससे बिजली विभाग फ्लेट रेट पर वसूली करेगा और आपका बिजली विभाग उनको पूरी तरह से बिजली दे नहीं पाएगा। बिजली पहुंचे या नहीं पहुंचे इसके लिए उनकी किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं होगी। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उन्हें बिजली मुफ्त नहीं मिलनी चाहिए। उनके लिए मोटर की व्यवस्था रखें। मोटर का सिस्टम रखें। किसी बनिए से, किसी बड़ी कम्पनी से या बंगलौर के कारखाने से गवर्नमेन्ट लेवल पर विद्युत मंडल इन मोटरों का उत्पादन कराये और किसानों के कुओं पर लगाने की व्यवस्था करे ताकि किसी प्रकार से बिजली विभाग को भी नुकसान न हो। इसकी देख-रेख ठीक तरह से की जाय। इससे किसानों का भला होगा। वरना फ्लेट रेट करने पर करप्शन ज्यादा होगा। मैं सारी बातें यहां पर नहीं कह सकता हूं लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी होगी, मैं यह चाहता हूं कि कुछ ऐसे मामले हैं लूनी, जोधपुर बिलाड़ा के एक्स. ई. एन. का आफिस है, एक कन्स्ट्रक्शन का आफिस अलग है वह बिलाड़ा से 2 किलोमीटर दूर ही गांव है वहां खोलें। उनको बार बार जोधपुर जाना पड़ता है। उस के पास म्युनिसिपलिटी क्षेत्र है। मंत्री महोदय बिलाड़ा पधारे थे। वहां पर उन्होंने उन लोगों की समस्या के बारे में बताया। मेरा निवेदन है कि आप उनको सुविधा प्रदान कर सकें तो अच्छा हो। एक्स. ई. एन. का आफिस

(श्री रामसिंह विश्नोई)

बिलाड़ा में खोला है। वहां पर आर. ई. सी. की स्कीम्स हैं। मेरा निवेदन यह है कि जो फाइनेन्शियल पावर्स एक्स. ई एन. की है वह ए. ई. एन को दी जावे ताकि उनको बार-बार एक्स. ई. एन. और एस ई के पास नहीं जाना पड़े। इनके लिए उनको जोधपुर, अजमेर जाना पड़ता है। इससे हमारा खर्चा भी बढ़ता है। लेबर बेकार बैठी रहती है। आप कृपया उनको एक्स ई.एन. की फाइनेन्शियल पावर दे ताकि काम अच्छी तरह से हो सके।

श्री अध्यक्ष : श्री जगतारसिंह।

श्री अब्दुल अजीज : मैं अकेला ही हूं मुझे भी मौका दिया जाय....

श्री अध्यक्ष : आपका नाम बिल्कुल आखिर मे है।

श्री अब्दुल अजीज : और कोई नहीं है। मैं ही हूं।

श्री अध्यक्ष : मैं नाम पुकारूंगा। और कोई खड़े नहीं होंगे तो एकदम आपका नाम आ जाएगा।

श्री जगतारसिंह।

श्री जगतारसिंह (करणपुर) : अध्यक्ष महोदय, आज बिजली बोर्ड पर डिस्कशन सदन में हो रहा है। उसका बजट पेश हुआ है। मान्यवर, राजस्थान के एक उपेक्षित जिले, जिसका नाम गंगानगर है, के सम्बन्ध में मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूं। मान्यवर, अभी माननीय सदस्यों ने कहा, गंगानगर में तो नहर है। तो, मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं यह नहर राजस्थान सरकार की बनाई हुई नहीं है। यह तो हमारे माननीय महाराज गंगासिंह जी की कोशिशों से बनी है। उनकी इस इलाके के साथ सद्भावना थी। यह उन्हीं की मेहनत का फल है। यह राजस्थान सरकार इस पिछड़े हुए क्षेत्र में भी राजस्थान नहर को नहीं आने देती अगर उसका बस चलता। इसका बस चलता तो इसका रुख नागौर की तरफ मोड़ देती।

विद्युत के बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पंजाब से, भाखरा से राजस्थान में बिजली आई और वह गंगानगर के पास से निकल गई। गंगानगर में जो बिजली के कनेक्शन हैं, वे राजस्थान के दूसरे हिस्सों के मुकाबले में बहुत ही कम हैं। गंगानगर के 18 पर्सेन्ट गांवों का ही विद्युतीकरण किया गया है। मंत्री महोदय ने सदन की मेज पर विद्युतीकरण के लिए जो रिपोर्ट रखी है उसमें यह कहा गया है कि गंगानगर जिले के अन्दर सिर्फ 1.5 प्रतिशत गांवों को ही लिया जाएगा विद्युतीकरण के लिए। अगर, मान्यवर इन आंकड़ों को देखते हैं तो मालूम होता है कि 1-4-78 के बाद सिर्फ अब तक एक ही गांव को वहां पर विद्युतीकृत किया गया है ....

श्री श्योपतसिंह मकासर : सिर्फ एक गांव। मंत्री महोदय लिख लीजिए।

श्री जगतारसिंह : मान्यवर, दूसरे जिलों के बारे में जो सूचना दी गयी है–कहीं पर यह 6 प्रतिशत है, कहीं 10 प्रतिशत रखा गया है और कहीं पर 8 प्रतिशत गांवों को विद्युतीकृत करने का प्रस्ताव रखा गया है। तो, मान्यवर, यह जिला इतना उपेक्षित क्यों रखा जा रहा है? यह जिला पाकिस्तान के बोर्डर पर है। यहां के किसानों को बड़ी-बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तीन, चार बार पाकिस्तान

(श्री जगतारसिंह)

का आक्रमण हो चुका है। ऐसे जिले को ऐसी उपेक्षा नहीं मिलना चाहिए। मान्यवर, राज्य सरकार को सभी जिलों के प्रति बराबर का व्यवहार करना चाहिए। जब हमारे एरिया के माननीय चेयरमेन पृथ्वीसिंह जी ने इस बोर्ड का कार्यभार संभाला तो हमें बड़ी खुशी हुई कि अब हमारे उपेक्षित जिला गंगानगर की ओर ध्यान दिया जाएगा क्योंकि वे उस एरिया के हैं। मान्यवर, विधान सभा में जब गंगानगर जिले की कुछ मांगों पर चर्चा हुई तो यह कहा गया कि वहां पर गंग केनाल है, राजस्थान केनाल है। यह प्रश्न सामने रखा गया। परन्तु, अध्यक्ष महोदय, हमारे चेयरमेन पृथ्वीसिंह जी बहुत ही निष्पक्ष हैं। मान्यवर, हम सभी उनकी निष्पक्षता का आदर करते हैं परन्तु हमारे यहां पर निष्पक्षता का आधार राज्य सरकार द्वारा नहीं किया जाता है। उसका जो विद्युतीकरण का आधार है वह सारा राजनैतिक आधार है। राजनैतिक आधार पर बिजली दी जाती है, मंत्री महोदय ने जो आंकड़े इस रिपोर्ट में दिए हैं उनसे स्वयं ही प्रदर्शित होता है। मान्यवर, गंगानगर जिले की स्थिति यह है कि वहां पर छोटे छोटे गांव हैं जिनकी आबादी कहीं 200, कहीं 300 और कहीं पर 400 है। तो, मान्यवर, आबादी के हिसाब से गंगानगर जिले का नम्बर कभी भी नहीं आएगा बिजली लेने के लिए। मान्यवर, राजस्थान सरकार को भारत सरकार से आर. ई. सी. के तहत कुछ पैसा मिलना है मगर उस पैसे का यूटिलाइजेशन गंगानगर में नहीं होता है। यह भी, मान्यवर, राजनैतिक आधार पर किया जाता है और गंगानगर को इससे बाहर रखा गया क्योंकि अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड की रिपोर्ट निल है कि गंगानगर जिले में पानी खारा है। इसके बाद गंगानगर को प्राइमरी हैल्थ सेन्टर से वंचित रखा गया। मान्यवर, गंगानगर ऐसा उपेक्षित जिला है जहां अभी तक भी 'ए' क्लास का अस्पताल नहीं है तो गांवों में हैल्थ सेन्टर होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो गांवों में आर. ई. सी. के तहत विद्युतीकरण होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मान्यवर, यह भी हमारे गंगानगर के लिये तय नहीं हुआ। इसके बाद मिनी एग्रीकल्चर ग्रोथ स्कीम, जिसके तहत हमारे जिले से 6, 7, 8, स्कीमें बनाई गई है परन्तु अभी तक ये स्कीमें कागजों में ही रखी गई हैं, इनकी कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं दी गई और न ही कोई ऐसी योजना सोची गई कि कैसे इन गांवों का विद्युतीकरण किया जाय। मान्यवर, मैं आपका ध्यान मेरे गंगानगर जिले और उस जिले के बोर्डर के पास करणपुर क्षेत्र की ओर ले जाना चाहता हूं। मान्यवर, इस उपेक्षित एरिया में जहां 5 वर्ष से 20 गांवों में विद्युतीकरण कागजों में सैंक्शन किया गया है वहां बिजली के नाम पर लाइनें नहीं हैं, ट्रांसफार्मर नहीं है। मान्यवर, इस सरकार की घोषित स्कीम में एक किलोमीटर एरिया का क्राइटेरिया रखा गया है इतने क्षेत्र में जहां 11 के. वी. की लाइन होगी वहां विद्युतीकरण किया जाएगा। तो मान्यवर, करणपुर में ऐसे कई गांव है जहां कनेक्शन नहीं दिये गये। एक गांव 20 ओ में करणपुर में लगे खम्भे से। 5 कनेक्शन दे सकते हैं। गजसिंह पुरा के पास चक 39 बी. बी. और 1 एफ. एफ. बी. है जहां 2-2 खम्भे लगा कर इलेक्ट्रिफाइड किया जा सकता है। मान्यवर, मैं निवेदन करूंगा क्योंकि बिजली के लिये ऐसी शर्तें बना रखी है कि दोनों गांवों में एक फुट का भी

(श्री जगतारसिंह)

डिफरेन्स हो तो दूसरे गांवों को बिजली नहीं दी जाएगी। मान्यवर, यह बहुत ही अन्याय-पूर्ण बात है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

थोड़ा समय बस और चाहूंगा। मान्यवर, हरिजनों के सम्बन्ध में कहते हैं हरिजनों को खुश करने के नाम पर। मेरे एरिया में ऐसे 10 गांव हैं-धनूर, खरलां, मोहलां, मांझीवाला, डेलबा जिनकी आबादी एक हजार के बीच है। ये गांव पूरे के पूरे हरिजन गांव हैं। इनको अभी तक बिजली नहीं दी गई जब कि बहुत पहले यह कहा गया था कि इन गांवों का विद्युतीकरण कर दिया जायगा। ऐसे एस्टीमेट दिये गये हैं फिर भी गंगानगर जिले के उपेक्षित गांवों पर विचार नहीं किया गया ट्यूब वैल के कनेक्शन में वहां केनाल एरिया के साथ मीठा पानी है वहां 45 से लेकर 55 फीट तक पानी गहरा है। तो, मान्यवर, सरकार ने चार्जेज 175) रुपये प्रति हार्स पावर का लगा रखे हैं। तो मान्यवर, सरकार और विद्युत् मंत्री जी इस बात पर गौर करें कि प्रति हार्स पावर जो रेट 45) रु० से बढ़ा कर 175) रु० की गयी वह ज्यादा से ज्यादा 75)रु0 प्रति हार्स पावर होनी चाहिये

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मान्यवर, किस तरह से एक विशाल वर्ग को उपेक्षित रखा गया है किसानों को नम्बर दो का नागरिक माना गया है। इंडस्ट्री लगाने वालों को बहुत कम रेट पर बिजली दी गई है। तो, जो घाटा होता है उसे कैसे पूरा किया जाय। वह गरीब किसानों से पूरा किया जाता है। यह डिफरेन्स पूरा करने के लिये किसानों पर इतना भारी टैक्स लगाया जाता है उनको 2 नम्बर के नागरिक कह कर जो टैक्स लगाया जाता है यह भेदभाव नहीं बरता जाना चाहिये। तो, मान्यवर, मैं समझता हूं कि गंगानगर के किसानों को इससे राहत दिलाई जानी चाहिये, गांवों का विद्युतीकरण किया जाना चाहिये और जो आबादी के हिसाब से गांवों का विद्युतीकरण किया जाता है वह प्रति वर्ग किलोमीटर आबादी के हिसाब से किया जाना चाहिये ताकि छोटे छोटे गांवों का विद्युतीकरण किया जा सके। अगर सरकार के पास, आर.एस.ई.बी. के पास पैसा नहीं है तो राज्य सरकार पैसा दे। गंगानगर में जितना जो रेवेन्यू मिलता है सरकार को, उसका भी कुछ प्रतिशत हमें विद्युतीकरण के लिये दिया जाय ताकि सरकार के जो प्रपोजल थे जैसे कृषि उपज मंडियों को रोड से मिला दिया जायगा वैसे ही बिजली भी दी जाय। तो, मान्यवर, कृषि उपज मंडी के पैसे में से गंगानगर जिले में भी सरकार विद्युतीकरण की व्यवस्था करे, और मंत्री कृषि मंत्रीजी, दोनों इस बात को तय करें ताकि जो हमारे गांवों का विद्युतीकरण कम हुआ है उसको दूसरे जिले से समानता प्राप्त हो सके। बस यही मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री श्री मूलचन्द डागा, 15 मिनट में आप

श्री मूलचन्द डागा : Action speaks louder than the words.

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी नाम है।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिए आप, शांति रखिये।

श्री मूलचन्द डागा : Action speaks louder than the words. अध्यक्ष महोदय, मैंने बात कही, मुझे खुशी होगी, कि ऐसा बोर्ड कायम रहना चाहिये और ऐसे मन्त्री हिज मास्टर्स वायस होने चाहिये। आपको क्या अधिकार है ? आप तो जैसे चाबी भरो वैसे बोल जायेंगे। मुझे एक्ट में बता दें, आपको क्या अधिकार है ? यह तो, ख्वामह ख्वाह आफत ले ली आप लोगों ने । वह तो एक ओटोनोमस बोडी, एक संस्था है रूल 782 में और कुछ नही है। आपको पावर क्या है एक्ट में ? आपने कौनसे डायरेक्शन दिये हैं ? आप बड़े क्रान्तिकारी मंत्री है ? बोर्ड आपको कागज थमा दे और आप बोलने लग जायें तो हम फट समझ जाते हैं कि यह हिज मास्टर्स वायस ठीक बोल रहे हैं। तीन हजार मुकदमे जिस बोर्ड में चलते हों, 10 हजार फाइलें सेक्रेटेरियट में पेंडिंग पड़ी हों उसका क्या कहना है ?

इसके 51 करोड़ ब्याज का देना है। 58 करोड़ आप मांगते हैं। चार अरब की सम्पत्ति लगाते हो फिर भी टैरिफ ज्यादा है। महाराष्ट्र में टैरिफ कम है। आपमें हिम्मत हो तो कम करें। क्यों आप हिम्मत कर सकते हैं ? इन्जीनियर्स की सीनियोरिटी लिस्ट न बने। जिसको चाहें सड़क पर भेज दें। डिप्लोमा होल्डर धक्के खाते फिरें, कई साल ओवरसियर बने रहें; भरतपुर के कारखानों और दूसरे कारखानों के ट्रान्सफार्मर्स जल जायं, कारखाने बन्द पड़े रहें और आपको रुपया देते रहें। ट्रान्सफार्मर्स ठीक हुए नहीं क्योंकि आपके पास में वाइंडिंग करने वाला एक्सपर्ट नहीं है। जीपों के लिये आपने 400 रु० दिया एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर को। वह जीप का मजा ले। असिस्टेन्ट इन्जीनियर गाड़ी रखें, वह घुमाये और खर्चा लगाये। वकील आपसे कितना कमाते हैं ? लाखों रुपये लिटीगेशन पर खर्च हो गये हैं। एक आर्बीट्रेशन के अन्दर 3 करोड़ का घाटा डाल दिया। आर्बीट्रेशन हो गया और राणावत के पास चला गया। रूल पढ़ लो। कहीं कोई रूल्स बनाये हैं। कहां रूल्स बना कर दिये सर्विसेज के। ऐसा वहां राम राज्य है। जहां कम कानून हो वहां अच्छा राज्य चलता है। एक होशियार आदमी बैठा हुआ है। एक तो आपका इन्डस्ट्री सेक्रेटरी जाता है। उसके पास बहुत कम टाइम है। एक मेम्बर पावर कमीशन का मेम्बर है वह है जिसको एक मिनट की फुर्सत नहीं है। वह जाकर काफी और चाय पीकर आ जाते हैं। रेल्वे बोर्ड को बदल डाला दिल्ली में। हमने सोचा था कि आप सारे बोर्ड को बदल देंगे। इस ढांचे को बदल दें। उसमें एक लेबर का रिप्रेजेन्टेटिव नहीं है। उसमें एक आपका इन्जीनियर नहीं है। रिटायर्ड इन्जीनियर नहीं है। यह बोर्ड का कानून है। मिनिट्स दिखाये कभी आपको ? आप तो देंगे पालिसी मेटर और वह चैलेंज कर दें, No, No Mr. Lalit Kishore Chaturvedi you are out. You have no business. This is autonomous institution. What are you ? इनको सबवेन्शन दो, इनको पैसा दो और इनको बिठा दो बोलने के लिए। कितना अच्छा तरीका है पब्लिक अण्डरटेकिंग का ? आपके हाथ में कुछ नहीं है। आप एक इन्जीनियर लगा नहीं सकते। आप सस्पैण्ड कर नहीं सकते। पाली में दो कारखाने खोल दिये मैंने पूछा आप कौन हैं ? मैं रूरल एरिया का हूं। दूसरे से पूछा, आप कौन हैं ? मैं भी रूरल एरिया का हूं बाप रे बाप। दो-दो सुपरिन्टेंडिंग इन्जीनियर

(श्री मूलचन्द डागा)

आ गये। फिर उनके नीचे सारा स्टाफ इनमें को-आर्डिनेशन का पता ही नहीं। No body can proceed with this way of working. एक छोटा सा एरिया पाली का है, वहां दो-दो सुपरिन्टेंडिंग इन्जीनियर बैठे हैं। काम नहीं तो करेंगे क्या, गार्डन लगायेंगे। काम भी हो तो नये छोरे आते हैं, शादी करते हैं। भ्रष्टाचार तो चला गया। भैरोंसिंह ने जिस दिन भाषण दिया 24 तारीख को, मैंने कहा, भ्रष्टाचार गया, उसकी जगह नजराना आ गया। नजराना कबूल करना पाप नहीं है, भ्रष्टाचार पाप है। हैड वर्क्स खोलेंगे। बड़े जोर का भाषण दिया, जान दे दूंगा, हैड वर्क्स खोलूंगा। मोरारजी भाई ने कहा, ले लेंगे कंट्रोल। कंट्रोल ले लिया हैड वर्क्स का? भाखरा नांगल में आपने 700 करोड़ का खर्चा किया। आपको पूछता कौन है? वह पंजाब है सरदार जी वहां बैठे हैं। आपको कोई पावर नहीं है। इस रिपोर्ट को पढ़िये, ठण्डी रात को पढ़ा करें आप। कोई कहे, अचीवमेन्ट है तो मुझे दुःख होता है। आपने चार्ज लगा दिया, दुनियां भर का लोन ले लिया। कितना वकीलों को आप पैसा देते हैं? मैं चाहता हूं कि आपके बोर्ड का वकील बनता तो एक पेशी की जगह तीस पेशी कराता। आपके 28 करोड़ डी.सी.एम. में बकाया है। भैरोंसिंह जी ने बोला था कि हम यह काम करेंगे कि कांग्रेस ने जिन पूंजीपतियों को कम पैसे पर बिजली दी है, यह हमारा पाप है। यह पाप था तभी इधर आकर पड़ गये यहां नर्क में आ गये। आप स्वर्ग में आ गये, लेकिन इन पापियों का क्या हुआ? कानून को आप बदलें कि इन्डस्ट्रीज को नहीं लगने देंगे at the cost of farmers. वही आप और वही बेशर्मी की चाल हमारे वाली। हमारे पीछे-पीछे उस पर आप चलने लग गये। डी. सी. एम. से दोस्ती कर ली। हिम्मत हो तो उससे बकाया वसूल करें। ठीक कहता हूं, अगर दिल्ली में पांच छः करोड़ बाकी है तो उसका आपने क्या किया? उसको बेक डेट में निकालिये। राजस्थान बड़ा दरिया दिल है। जहां पर ललित किशोर जी चतुर्वेदी विद्युत् मंत्री हैं, वह कर्जा माफ करते हैं। वह रुपया आयेगा नहीं, बेड डेट होगा। मैं कहना चाहूंगा, और यह बात कहता हूं कि माथुर साहब कह देंगे, मुझे टाइम नहीं है, अभी घण्टी बजेगी और बजते ही बैठना पड़ेगा चुपचाप। अध्यक्ष महोदय की कृपा है। इसमें लिखा है.......

श्री अध्यक्ष : आप कृपया समाप्त करिये।

श्री मूलचन्द डागा : अब समाप्त ही है।

तो मैंने यह देखा, आपने कहा कि इतने कुओं में कनेक्शन लग गये। इतना अचीवमेन्ट हुआ। अध्यक्ष महोदय, रूल 10, 5, 9

No Board shall cause loss. It is a mandatory provision, I tell you.

गवर्नमेन्ट में कौन बैठा हुआ है? आप समझते हैं बिजली के मामले में? आपने प्रोफेसरी की है। आपको उसका ज्ञान है। आपको टेक्निकल नालेज नहीं हो सकती। Only that Minister who has technical knowledge. वह बोर्ड में जाकर बैठे। आपके पास वह खूबियां हैं कि आप तार ही तार पर घूमते रहें? अपना विषय तो भाषण देने का है। यह काम हो जायेगा।

(श्री मूलचन्द डागा)

आप हिज मास्टर्स वोइस मत बनिये। बराबर प्रयत्न करिये इस बोर्ड के आर्टिकल्स में आते हैं। पब्लिक अण्डरटेकिंग का रिओरियेंटेशन होना चाहिये। यह पब्लिक अण्डरटेकिंग हिन्दुस्तान के लोगों की पूंजी को खतम कर देगी। एक अभी हमारे साथी बोल रहे थे, पब्लिक अण्डरटेकिंग खतम करें और डिपार्टमेन्ट के कंट्रोल में लें। आप यह हिम्मत करें। फिर आप विद्युत् मंत्री जी कहलायेंगे अभी तो नाम के विद्युत् मंत्री हैं, और पूछें तो कहते हैं कि मेरे को पावर नहीं है। तुम जानते हो कि यह आटोनोमस इंस्टीट्यूशन है। डीडवाना में घाटा हो गया। सारा री-थिंकिंग चाहिये। कौन इसे जानता है? क्योंकि मैं मेम्बर हूं, इसलिए आडिट की रिपोर्ट को कोट नहीं कर सकता लेकिन इस पर सारा री-थिंकिंग होना चाहिये ...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैंने कहा जोधपुर में लाइन लगानी है 220 के. वी. की, वह नहीं लगी। बिरदमल सिंघवी साहब मिनिस्टर बन गये हैं। अब लग जायेगी। मुझे यह मालूम हुआ, जयपुर से रतनगढ़ लाइन गई। लाइन 100 मेगावाट की है। लोड 250 का है। काश्तकारों पर आप दावा करें। रिकवरी करें। हमारा मीटर जल जाये तो हम रिकवरी कर नहीं सकते हैं। रात में बेचारे कहां जायें। कुछ कर नहीं सकते हैं, अनजान जो हैं। Can he go to the Court of Law? यह अरेंजमेन्ट है इनका। It is a question of going into this question. Can I be compensated?

मैं इस स्थिति को देख कर कहना चाहता हूं, मेहरबानी करके इस बोर्ड की इन्क्वायरी करायें। आप चाहे कानसिंह आयोग बैठायें या बेरी आयोग बैठायें। कोई भी आयोग बैठायें। It requires rethinking. लेकिन किया कुछ नहीं।

जितना कैपिटल है। सारा खर्चा ही खर्चा है। करोड़ों रुपया ब्याज का दिया जाता है। सिर्फ आंकड़े दिये जाते हैं। हमारे विद्युत् मंत्री जी कमजोर आदमी हैं। बीमार नहीं पड़े हैं लेकिन कमजोर आदमी हैं। ललित किशोर चतुर्वेदी कमजोर आदमी हैं। यह सारा दिमाग में नहीं बैठता है। अभी हड़ताल हुई। वह अकड़ गये। मजदूरों ने कर दी हड़ताल। इधर बोर्ड को घाटा हुआ। यह सब कौन सफर कर रहा है। इसके लिये बिना किसी दुर्भावना के री-थिंकिंग चाहिये।

बिजली के चार्ज के बारे में मैं निवेदन करूंगा, आप कारखाने वालों से कम लें और जो प्रोडक्शन करता है किसान, उत्पादन करता है, उससे ज्यादा लें। मैं कहता हूं रुपया दें, वापस, नहीं तो इतने बड़े-बड़े कुए खुद गये हैं, उसमें पड़ेंगे जाकर।

यह रिपोर्ट दी यह मेरे कभी दिमाग में ही नहीं बैठता है। Again go deep into the subject and find out there is nothing.

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं एक एक पाइण्ट पर डिस्कशन करूं तो मालूम होगा कि यह रिपोर्ट में आया ही नहीं है। मैं यह कहूंगा कि यह सारा खर्चा ही खर्चा है।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें। माननीय सदस्य।

श्री मूलचन्द डागा : समाप्त कर रहा हूं ।

आप नया बोर्ड बनायें । आप यों ही इसको ले आये हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री माधोसिंह ।

श्री माधोसिंह (रेवदर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि माननीय मन्त्री महोदय के पास दोनों ही ऐसे महकमे हैं, जिनसे समाज का विकास होता है । वह दोनों ही आपके पास हैं–सिचाई और विद्युत् । हमें यह मानना चाहिये । आप ग्रामों के विकास के लिये कब समय देंगे ? लेकिन जैसा कि माननीय माथुर साहब ने अभी कहा, आपका ध्यान 20% ही ग्रामों की तरफ है । यह ग्रामीण समाज के लिये अच्छी बात नहीं है । इसलिये मैं अनुरोध करूंगा, अभी जो स्थिति है, वह है लेकिन भविष्य में आप जो बजट बनायें तो मैं आशा करता हूं कि जैसे आप कह रहे हैं, वैसा ही करेंगे । ग्रामीण समस्याएं हैं आप अपनी कहनी और कथनी में फर्क नहीं लायेंगे ।

मैं निवेदन करूंगा, सिरोही जिले में आर. ई. सी. स्कीम तीन तहसीलों में चल रही है । जो आंकड़े आपने बताये हैं, 76 और 77 के अन्दर सिरोही में 130 गांव इलेक्ट्रिफाइड किये थे । 78-79 में 92 गांव इलेक्ट्रिफाइड किये हैं । मेरा अनुरोध है, अगर आप ये आंकड़े सही समझें । जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा है । वहां बाउण्ड्री पर जाकर खड़े हो गये हैं । मैंने गत माह ही अपने क्षेत्र का दौरा किया है । वहां मौके पर गया । सहायक अभियन्ता से भी मिला । जहां यह बताया कि 86 गांव इलेक्ट्रिफाइड हो गये हैं । बहुत अच्छी बात है लेकिन जब मौके पर गया तो 35 गांव ऐसे हैं, जहां कुछ भी नहीं किया गया है । कम से कम 18 गांव ऐसे हैं कि कहीं पर बांस खड़ा है या कहीं पर खम्भा ही खड़ा है । इस प्रकार की विद्युत् की स्थिति है । मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि इस स्थिति को सुधारा जाये । एक ऐसा भी क्षेत्र है जहां हमारा क्षेत्र आधा ही पड़ता है । जिस क्षेत्र में सबसे ज्यादा कुए हैं जो पहाड़ी क्षेत्र होते हुए भी मैदानी क्षेत्र है । अभी तक वहां कोई भी खम्भा नहीं लगाया गया है । मैंने अनुरोध किया है तो उसकेलिए आश्वासन दिया गया है । लेकिन छः महीने हो गये हैं अभी तक कोई फर्क नहीं आया है । कई समस्याएं हैं । सबसे बड़ी बात यह है कि आर. एस. ई. बी. की स्कीम रेवदर में लागू हुई है । 13 गांव थे । आर. एस. ई. बी. स्कीम चल रही है । उन 13 गांवों ने क्या कसूर किया है ? किसी भी गांव में जायें तो 30 मील होकर जाना पड़ता है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

दो मिनट में समाप्त करता हूं ।

तो इस प्रकार से गांवों की समस्या हल कीजिए । इस प्रकार की कार्यवाही की जाये जिससे कि समस्याएं जल्दी से जल्दी हल की जा सकें । कहीं भी फ्यूज हो जाये तो सहायक अभियन्ता कहते हैं कि सिरोही जाओ ।

दूसरा पाइन्ट यह अर्ज करना चाहूंगा कि आर. ई. सी. की स्कीम बनी उस समय कुछ गांवों का सर्वे हुआ था । ऐसे वीरान गांव हैं जहां पर उद्योग धन्धे तो नहीं हैं लेकिन कुएं जरूर हैं उन कुओं को भी विद्युती-

(श्री माधोसिंह)

करण के लिए लिया जाय। रिजमनखेड़ा, हड़मीता खेड़ा और गगराखेड़ा जहां पर दस कुओं से कम नहीं है वहां पर भी विद्युतीकरण कराया जाय।

तीसरा निवेदन यह है कि रेवदर सब-स्टेशन पर दो हजार के० वी० का ट्रान्सफार्मर होना चाहिए, जब कि 1 हजार का ही लगा हुआ है। इसके लिए मैंने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के द्वारा दिनांक 10-10-78 को भी निवेदन किया था कि लोगों का, किसानों का सीजन चल रहा है। बीस-बीस और पच्चीस पच्चीस वार फ्यूज उड़ जाते हैं जिससे कि बार-बार सब-स्टेशन पर पहुंचना सम्भव नहीं है और उत्पादन गिर रहा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जब किसान का उत्पादन गिरता है तो देश का उत्पादन गिरता है।

अन्त में एक और समस्या के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। एक मेरा आपसे अनुरोध है कि यह जो बिल और पैनल्टी की व्यवस्था है, काफी लोगों ने इस पर प्रकाश डाला है और मैं भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस समस्या को सुलझाया जाय। जो गलत काम होता है वह इन्हीं में होता है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जिस प्रकार से इरिगेशन के लिए एक कमेटी बना रखी है जिसमें सरपंच, एम. एल. ए., असिस्टेन्ट इंजीनियर वगैरह होते हैं, उसी प्रकार से विद्युतीकरण के लिए भी सहायक अभियन्ता के लेवल पर एक कमेटी बना दी जाय। जब डिमाण्ड नोट इश्यू हो तो उसको भी उस कमेटी के सामने रखा जाय और बिल पर जो पैनल्टी हो उस पर भी विचार किया जाय। इसके अलावा जैसा मैंने पहले भी निवेदन किया था 13 गांवों का मेरे क्षेत्र में सवाल है, इसके लिए सिरोही जाना पड़ता है।

दूसरी बात मेरे एरिया के अन्दर विद्युतीकरण के काम को करते हुए तीन-तीन आदमियों की मौत हो गई उनका मुआवजा नहीं मिला है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपके विभाग के ही कारीगर और मजदूर हैं चाहे परमानेन्ट हों या टेम्प्रेरी, इन बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए और उनके परिवारों की मदद दी जानी चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक जो एडवान्स स्कीम है उसके लिये निवेदन करना चाहूंगा। डिमाण्ड नोट जारी करते हैं उससे पहले एडवान्स लिया जाता है। कुओं पर एस्टीमेट नहीं बैठता है तो एडवान्स में लेने की जो व्यवस्था है एक कुए पर, 850/-, इस प्रकार से 13 कुओं पर 11050/- हो गये, इतना पैसा लगा देवें तो वे कहां से लावेंगे। इस प्रकार से आप गरीबों को परेशानी में डालेंगे। यह कहां तक उचित है। इसलिए इस एडवान्स की स्कीम को खतम करना चाहिए

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री बालचन्द आर्य।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सुझाव है कि विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों को भी भूख सता रही है, भूख उग्र रूप धारण कर रही है इसलिए एक विरोधी दल न और दो सत्ता पक्ष से लिये जायं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं आप को विश्वास दिलाता हूं कि जिस तरह से मैंने विभाजन किया है पचास-पचास प्रतिशत का उसके मुताबिक अनुपात से देखा जाय तो इनका प्रतिशत 7.5 है और विरोधी पक्ष का 25 प्रतिशत लेकिन मैंने फिफ्टी-फिफ्टी किया है और क्या कर सकता हूं। उनको भी अधिकार है।

श्री माधोसिंह कछवाह : अध्यक्ष महोदय, माधोसिंह सीरीज चल रही है इसमें मेरा नाम भी है।

श्री अध्यक्ष : तीन माधोसिंह हैं, एक रेवदर, एक आप हैं और एक दीवान है। मैं आशा करता हूं कि आप इस व्यवस्था से सन्तुष्ट होकर मुझे सहयोग देंगे और हाउस की कार्यवाही सुचारु रूप से चलने देंगे।

श्री बालचन्द आर्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : लिख कर दे दो।

श्री बालचन्द आर्य : कि झालावाड़ जिले में विद्युतीकरण के लिये ध्यान दिया गया है। झालावाड़ जिले में श्री भैरवलाल कालाबादल के क्षेत्र पर अधिक ध्यान दिया गया है। मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान अपने क्षेत्र डग की ओर दिलाना चाहता हूं। तीस साल तक कांग्रेस शासन ने मेरे क्षेत्र की उपेक्षा की और आज दिन तक मेरे क्षेत्र में विद्युतीकरण नहीं हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में, किसान लोग अधिक निवास करते हैं। भारतवर्ष किसानों का देश है। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान लोग ही राष्ट्र के भाग्य विधाता हैं। किसानों को बिजली नहीं दी जायेगी तो अन्न जो किसान पैदा करते है वह हमको नहीं मिल सकेगा। मैं अभी अपने क्षेत्र में प्रवास पर गया था वहां पर सभी प्रकार की समस्यायें किसानों ने बताई जो बिजली के सम्बन्ध में थी। मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र डग की उपेक्षा होती आई है और मेरे क्षेत्र डग में एक भी गांव में बिजली नहीं है यदि गांवों में बिजली नहीं होगी —

श्री श्योपतसिंह मकासर : बाकी के लोगों को आप रोटी पर इन्वाइट कर डालो।

श्री बालचन्द आर्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मन्त्रीजी हमारे पड़ोस में ही हैं, इन्होंने मेरे साथ कई बार इस क्षेत्र का दौरा किया और इनको मेरे क्षेत्र की सारी स्थिति मालूम हैं इसलिए मैं अधिक नहीं कह कर उनका ध्यान मेरे क्षेत्र की ओर आकर्षित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री ओम प्रकाश।

श्री ओमप्रकाश (बूंदी) : अध्यक्ष महोदय, बून्दी जिले की ओर मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। तालेड़ा पंचायत समिति में वर्तमान में 24.3 प्रतिशत गांवों में बिजली कागजों में दिखाई गई है। हमारी सरकार ने कई योजनायें बनाई हैं, बूंदी में 132 के.वी. लाइन की योजना है जो मार्च तक पूरी होने की संभावना है, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हू। लेकिन जिस प्रकार से हिंडोली और नैनवा पंचायत समितियों का सर्वे करा-कर विद्युतीकरण की योजना बनाई है उसके

(श्री ओमप्रकाश शर्मा)

साथ-साथ तालेड़ा पंचायत समिति और केशवरायपाटन पंचायत समिति में केवल 8.88 प्रतिशत गांवों में बिजली दी गई है। इन दोनों पंचायत समितियों को भी विद्युतीकरण में लिया जाए तो उचित होगा। वैसे जब कोटा में विद्युतीकरण के मामले में बैठक हुई थी और जो जवाहर सागर बांध है जो 99 मेगावाट बिजली उत्पादन करता है, जिस पंचायत में वह आता है उस पंचा-यत के ग्राम तक को विद्युतीकरण में नहीं लिया है। जो पंचायत बिजली उत्पादन करती है उस पंचायत को भी विद्युत नहीं मिली अर्थात दिया तले अन्धेरा वाली बात चल रही है। दो-तीन गांव हैं जिनके लिये मैंने मण्डल के अध्यक्ष श्री पृथ्वीसिंह से कहा था। उन्होंने कहा था कि दो महीने में उन गांवों को बिजली दी जाएगी वे हैं रघुवीरपुरा, कांटी, अस्तोली और डोरा। उनका सर्वे हुए लगभग तीन महीने हो गए। वह फाइल चेयरमेन के पास पड़ी हुई है। सर्वे कराने के बाद भी अब तक उन गांवों का विद्युती-करण नहीं किया गया। इसके क्या कारण थे, जब कि एक व्यक्ति विशेष के लिए 11 मील दूर तक बिजली की लाइन लेजा कर उस गांव का विद्युतीकरण किया जा सकता है तो जिस गांव से होकर बिजली जा रही है उस गांव को बिजली न दी जाए, यह खेद का विषय है। रघुवीरपुरा ग्राम के 15 व्यक्तियों ने 1971 से पैसा जमा कर रखा है। इसलिए जिन गांवों का सर्वे हो चुका है उनको विद्युत् दिया जाए। साथ में एक किलोमीटर दूरी तक के गांवों को विद्युती-करण की योजना है उनको छोटी लाइन से जोड़ा जाए तब तो यह योजना सार्थक होगी। वर्तमान में जिस गांव से बिजली जा रही है उस गांव से न लेकर बड़ी लाइन से दी जाती है उससे हम बचेंगे। जिस गांव से होकर बिजली निकाली गई उस गांव से जो एक किलोमीटर के अन्दर है उसको इस योजना में लिया जाना चाहिये। कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर विद्युत का दिया जाना अति आवश्यक है क्योंकि जहां नहर है वहां पर तो लोग नहरों से पानी खेतों को पहुंचा देते हैं परन्तु जहां नहर नहीं है वहां पर पहले बिजली दी जानी चाहिए, जैसे गोदगाल, गुमानपुरा, अमेड इन गांवों में नहर है और पागलीपुरिया, सुनूरपुरा आदि गांवों में जहां नहर नहीं है वहां बिजली पहले दी जाए।

श्री अय्यूब खां : कोरम नहीं है।

(गणपूरक घन्टी)

(गणपूर्ति के पश्चात्)

श्री रघुनन्दन व्यास : सदन को स्थगित किया जाए।

श्री अध्यक्ष : कोरम नहीं होगा तो अनिवार्यतः जो करना है वह होगा ही।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : डाबी क्षेत्र में पिछली सरकार ने एक योजना लागू की थी वह योजना कार्य रूप में परिणित नहीं हो पाई है। एक आर०ई०सी० की स्कीम और तालेड़ा पंचायत समिति के लिए बनाई जाए जिससे मेरे क्षेत्र में जो पिछड़े हुए गांव है वहां बिजली दी जा सके।

धन्यवाद

श्री अध्यक्ष : श्री बहादुरसिंह, श्री रतन लाल वर्मा आपका नाम नीचे है।

श्री बहादुरसिंह (नोहर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि विद्युत जिंदगी की बहुत बड़ी आवश्यक चीज बन गई है। इस आवश्यकता की पूर्ति बिना किसी भेदभाव के की जानी चाहिए। आज विद्युत का अभाव जन जीवन को बहुत प्रभावित करता है। राजस्थान में विद्युत की पहली समस्या है बिजली का उत्पादन-बिजली का बंटवारा और बिजली की रेट मेरे चुनाव क्षेत्र में ये तीनों समस्याएं नहीं हैं सिर्फ रोटी की समस्या है। पूरे चुनाव क्षेत्र में बिजली नहीं है। एक कस्बे में सिर्फ 50 प्रतिशत कस्बे में बिजली है और एक गांव में केवल 20 घरों में बिजली है इसके अलावा कोई विद्युत मेरे क्षेत्र में नहीं है इसलिए यह समस्या मेरे क्षेत्र में ज्यादा नहीं है। जहां तक उत्पादन का सवाल है, विभाग अगर सक्रीय रहे तो 10 से 20% तक उत्पादन बढ़ सकता है। बिजली की हर क्षेत्र में आवश्यकता है इसलिए पैदावार, व्यापार, कृषि उद्योग ये सब बिजली पर निर्भर करते हैं। इसलिए प्राथमिकता के आधार पर नये प्रोडक्शन पाइन्ट्स लेकर बिजली का उत्पादन बढ़ाया जाना चाहिए।

डिस्ट्रिब्यूशन के बारे में मैं सरकार पर गम्भीर आरोप लगाना चाहता हूं कि जनता सरकार ने इन्साफ नहीं किया है। मेरे चुनाव क्षेत्र में एक-एक कस्बा और गांव के बीच बिजली दी गई है, लाइन पहले की बिछी हुई थी, डेढ़ साल में एक गांव के अन्दर भी बिजली नहीं दी गई। सबसे बड़ी बात यह है कि एक कस्बे से दूसरे कस्बे तक जो बिजली दी जाती है।

8.48 रात्रि

(श्री रामचन्द्र, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

बड़े गांवों से पास होकर दी जाती है उन गांवों को नहीं दी जाती और 30-40 मील पर एक कस्बे को दी जाती है और 20 गांव जो रास्ते में पड़ते हैं उनको न देना शहर और गांवों में भेदभाव के सिवाय कुछ नहीं है। इसलिए 30 साल तक जो कांग्रेस के जमाने से ग्रामीण जनता के साथ और शहरकी जनता के साथ भेदभाव बरतते रहे हैं आज तक वह विद्यमान है सरकार इस भेदभाव को मिटाए। हमारी सरकार ने एलान किया है कि विद्युत लाइन के एक किलो मीटर के आसपास के गांवों में विद्युत दी जायगी यह इन्साफ नहीं है। रेगिस्तानी क्षेत्र में जहां गांवों का फासला 4-4, 5-5 मील का है वहां कम से कम विद्युत लाइन के आस-पास 5 मील के गांवों को विद्युत दी जानी चाहिए और ऐसे बड़े गांव जिनमें उद्योग धन्धे लगाए जा सकते हैं, जिनकी आबादी 10 हजार के करीब है, जहां 8-8, 10-10 आटे की चक्कियां चलती हैं ऐसे गांवों को प्राथमिकता के आधार पर बिजली दी जानी चाहिए। जहां मन्डी हो ऐसे गांवों की उपेक्षा करना ग्रामीण जनता की घोर उपेक्षा है। तो डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ सरकार ध्यान दे। मेरे क्षेत्र के अन्दर भादरा कस्बे से नोहर कस्बे को विद्युत लाइन जाती है। यह विद्युत लाइन कई गांवों से होकर जाती है, बड़े-बड़े गांवों से होकर जाती है सरकार को बिना ज्यादा खर्च किये उन गांवों को बिजली देने में कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए टेक्निकल पाइन्ट आता है कि 33 के०वी० की लाइन है इसलिए इससे इन गावों को बिजली नहीं दी जा सकती। नोहर और भादरा को जाकर इस 33 के० वी० लाइन से बिजली दी जा सकती है लेकिन बीच में पड़ने वाले गांवों, जो कि पूरे कस्बे के

(श्री बहादुरसिंह)

बराबर की आबादी के हैं, को बिजली नहीं दी जा सकती। यह ग्रामीण जनता के साथ पक्षपात है।

तीसरा जो पाइन्ट है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह रेट का है। रेट के बारे में बहुत बड़ा भेदभाव है। एक तरफ काश्तकार गेहूं पैदा करने के लिये अपने ट्यूब-वैल के लिये बिजली का कनेक्शन लेता है तो उसको 25 पैसा यूनिट के हिसाब से बिजली दी जाती है और उसी गेहूं की मैदा बनाने के लिए अगर किसी इन्डस्ट्रियलिस्ट को या बड़े कारखाने वाले को बिजली दी जाती है तो उसे कम रेट पर दी जाती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एग्रीकल्चर भी एक इन्डस्ट्री है और बेसिक इन्डस्ट्री है जिसके ऊपर देश की बहुत बड़ी-बड़ी इन्डस्ट्रीज निर्भर हैं, बेसिक इण्डस्ट्री को तो सहूलियतें नहीं दी जाती हैं और ऊपर की इन्डस्ट्री, जो कि इससे सेपरेट होकर चलती हैं, को यह सहूलियतें दी जा रही हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह भी ग्रामीण जनता के साथ भेदभाव है और ग्रामीण जनता की घोर उपेक्षा है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि फ्लेट रेट के साथ ही साथ जो बड़ी इन्डस्ट्रीज है और कृषि पैदावार पर आधारित इन्डस्ट्रीज चलती हैं उन इन्डस्ट्रीज को जिस रेट पर बिजली दी जाती है उसी आधार पर कृषि को भी बिजली दी जाय। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो यह ग्रामीण जनता के साथ बड़ा भेदभाव है, बहुत बड़ी बेइन्साफी है और सरकार की यह घोषणायें थोथी ही रह जायेंगी कि हम ग्रामीण औद्योगीकरण की तरफ और विकास की तरफ ध्यान देना चाहते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं रेट के बारे में यह भी ध्यान दिलाना चाहूंगा कि एक तरफ इन्डस्ट्रीज के ऊपर कितनी ही बिजली के बिल की बकाया हो उसका कनेक्शन नहीं काटा जाता है लेकिन गरीब काश्तकार, जिसको महीने के महीने आमदनी नहीं होती है, का बिल यदि महीने के महीने जमा नहीं होता है तो उसका कनेक्शन काट दिया जाता है और बड़े उद्योगपति, जो कि करोड़पति है, जो कि लाखों रुपया साल का मुनाफा कमाते हैं अगर साल भर भी बिजली का बिल नहीं दें और उनके ऊपर कितना ही बकाया हो फिर भी उनका कनेक्शन नही काटा जाता है। यह भी ग्रामीण जनता के साथ भेदभाव है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं सरकार का ध्यान इन समस्याओं की ओर दिलाना चाहता हूं कि एक कस्बे से दूसरे कस्बे को लाइन गई है उसके बीच में जो गांव पड़ते हैं उनको बिजली दी जानी चाहिए। नहीं तो आज गांव वाले इस बात के लिए तैयार हैं कि अगर इन गांवों को बिजली नहीं दी गयी, उनका कहना है कि हमारे गांवों से लाइन जाती है फिर भी अगर बिजली नहीं दी गयी तो वह दिन आयगा जब कि लोहे की छड़ें फेंक कर लाइन में फाल्ट करना पड़ेगा।

दूसरे रेट के बारे में घोर उपेक्षा है एक तरफ गरीब काश्तकार, जिसको काश्त से पी० डब्लू. डी. की रेट से भी कम मजदूरी पड़ती है, जो कि घाटे का उद्योग है और जो पैदावार की कीमत के आधार पर

(श्री बहादुरसिंह)

कमाते हैं उन्हें कम पैसे में बिजली दी जाये। इसलिए काश्तकार के साथ घोर अन्याय को फौरन रोका जाये ताकि हमारी घोषणाओं में जनता की आस्था हो सके।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरीकृष्ण !

(अनुपस्थित)

श्री लालचन्द !

(अनुपस्थित)

श्री हजारीमल सारण !

(अनुपस्थित)

श्री रतनलाल वर्मा !

श्री रामरघुनाथ चौधरी : ना पक्ष को भूल ही गये क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका नाम भी पुकारूंगा।

श्री रतनलाल वर्मा !

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, काफी माननीय सदस्यों ने भ्रष्टाचार से सम्बन्धित आरोप इस सदन में लगाये हैं और वह आरोप लगाकर चलते बने, उस बात को सुनने के लिए रुके भी नहीं। तो मैं सबसे स्पष्ट शब्दों में, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मय मंत्रियों और मय सदस्यों, एक मंत्री को छोड़कर जो कि यहां मौजूद हैं, पर यह आरोप लगाता हूं कि हम भ्रष्टाचार के जन्मदाता इस विधान सभा के अन्दर बैठे हैं और इसी कारण इन अधिकारियों पर अंकुश नहीं रहता है और अधिकारी निरंकुश रहते हैं। हम स्वयं समय के पाबंद नहीं हैं। जब हमको सरकार 51 रुपये दे रही है और जनता की गाढ़ी कमाई में से यह पैसा दिया जाता है और हम अपना भाषण देकर चलते बनें भ्रष्टाचार के जन्मदाता तो यहां से ही शुरू हो रहे हैं। इसलिए यह भ्रष्टाचार सम्पूर्ण राजस्थान में बढ़ता जा रहा है। इसके लिए मैंने सर्वप्रथम भी कहा था और तीन-चार बार लिख कर भी मुख्य सचेतक को दिया और नेता महोदय को भी लिख कर दिया है और मैं खुले रूप में आरोप लगाता हूं, आरोप लगाता हूं तभी यह आज कोरम के अभाव में घंटी बज रही है। तो उपाध्यक्ष महोदय, 20 तो मंत्री हैं और एक नेता महोदय हैं अगर यह 21 भी बैठे रहें तो सदन की कार्यवाही चलती रहे लेकिन वह नहीं बैठते। जो सरकार स्वयं सदन में नहीं बैठती है वह क्या काम करेगी....

श्री उपाध्यक्ष : वर्माजी, आप विद्युत् विभाग पर ही चर्चा करें।

श्री रतनलाल वर्मा : हम अच्छी बात कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। सुझाव माने वाले नहीं हैं। तो मैं यही निवेदन करूंगा कि मुझे खेद है कि 16 महीने में मेरी कान्स्टीट्यूएन्सी में एक भी गांव में बिजली नहीं दी।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : कोशिश नहीं की।

श्री रतनलाल वर्मा : सुन तो लीजिए आप। हमारी गलती तो है ही लेकिन जो मौजूदा प्रणाली, सबके सब कागज

(श्री रतनलाल वर्मा)

आये वह तो रखने की स्थिति में नहीं हूं क्योंकि समय कम है लेकिन आसार लगते हैं कि आने वाले समय में उपेक्षा नहीं होगी वास्तविक गांवों को लिया जायेगा। जिन तीस-तीस और चालीस-चालीस गांवों में बिजली लगने वाली है और वह बिजली लेने के इच्छुक हैं। मैं तो यह निवेदन करूंगा कि आप एक सिद्धान्त बना लीजिए कि 3½ साल में जो बकाया समय है हमारा हर पंचायत हैडक्वार्टर बिजली से जुड़ जाना चाहिए। हम एक पालिसी बना दें और यह पालिसी अगर आपने बना ली तो किसी को किसी प्रकार की शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा।

दूसरे मैं निवेदन कर दूं कि उच्च अधिकारियों ने तो अपना दिमाग सही कर लिया, इसमें दो राय नहीं है और अभी जो चेयरमैन बैठाये हैं वह बहुत होशियार है और समझदार हैं इसमें भी दो राय नहीं है लेकिन नीचे के जो छोटे कर्मचारी हैं और जिनके हराम मुंह लगा हुआ है उनमें सुधार नहीं आ रहा है। इसका मूल कारण यह है कि यह ऑफिसर्स दौरा नहीं करते, संभालते नहीं हैं चेकिंग नहीं करते हैं, उनके कामों की निगरानी नहीं करते हैं और उनके पास शिकायतें आती हैं तो उसकी वह जांच नहीं करते हैं। इसलिए स्पष्ट मालूम पड़ता है कि वह छोटे कर्मचारी हैं, असिस्टेंट इन्जीनियर और सुपरवाईजर हैं और वे सब लोग हैं उनसे लिंक है इनका। अभी कई माननीय सदस्यों ने आरोप लगाया कि बिना ढाई सौ रुपये, पांच सौ रुपये रिश्वत के लिये कनेक्शन नहीं दिया जाता है, यह आम शिकायत है। और इससे कैसे निपटा जाय तो मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आप इसका उपाय खोजें और आप अपने उच्चाधिकारियों की मीटिंग बुला कर विचार करिये कि इस बीमारी को कैसे मिटाया जाय? आप पालिसी तय कर लीजिए कि जिस दिन डिमाण्ड चली जाय, पैसा जमा हो जावे उसके एक महीने, पन्द्रह दिन, बीस दिन में उनका कनेक्शन कर दिया जाएगा। अगर इस अवधि में कनेक्शन नहीं होता है तो यहीं भ्रष्टाचार की जननी पैदा होती है इसलिये तत्काल उस आदमी के खिलाफ सख्त कार्यवाही करके दो चार-पांच आदमियों को घर बिठा दीजिए। कांग्रेस के टाइम में तो इमरजेन्सी में घर बिठा दिया था; लेकिन आप ऐसे कर्मचारी, जो किसानों को परेशान करते हैं, उनको कनेक्शन नहीं देते हैं, उनकी फसलों को बर्बाद करते हैं, उनको तत्काल घर बिठा दीजिए; इसमें कोई दो राय नहीं है। यह मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहता हूं क्योंकि यह वास्तविक बात है। इन्सानियत से और शराफत से 16 महीने में नहीं माने तो आगे भी नहीं मानेंगे। इसलिए माननीय मन्त्री महोदय, शासन का डन्डा आपको चलाना पड़ेगा, सख्ती आपको बरतनी पड़ेगी अनुशासन की कार्यवाही करनी पड़ेगी। आज जनता पार्टी के विधायक जो सदन में बैठे हैं, किसी भी विधायक ने यह नहीं कहा कि मैं सब किस्म से संतुष्ट हूं। हमारा काम ठीक हो रहा है। उधर बैठने वालों ने भी नहीं कहा, उन विधायकों ने भी और इन विधायकों ने भी नहीं कहा कि शासन से सब तरह से संतुष्ट हैं। किसी भी डिपार्टमेंट के लिए आज तक नहीं कहा। तीसरा सदन चल रहा है किसी भी विधायक ने नहीं कहा कि मैं सरकार

(श्री रतनलाल वर्मा)

के काम से संतुष्ट हूं। आखिर इसका मतलब क्या है, आखिर इसका कारण क्या है ? इन कारणों पर आप मन्त्रिमण्डल के अन्दर बैठ कर विचार करिये। अगर मन्त्रियों की फौज और बिठानी हो तो और बना दो मन्त्री। आप चाहो तो बेशक और मन्त्री बना दो, एक-एक गाड़ी और दे दो लेकिन इसमें कोई सुधार नहीं होगा उपाध्यक्ष महोदय; इसलिए मैं आपके माध्यम से यह निवेदन कर देना चाहता हूं और स्पष्ट शब्दों में निवेदन कर देना चाहता हूं कि हमको सुधार लाना होगा। लेकिन हम जो भ्रष्टाचार की जननी बने हुए हैं, मन्त्री महोदय, आप हमारे नेता को स्पष्ट शब्दों में कह दीजिए कि सदन के अन्दर यह स्पष्ट बात कही गई है कि सभी मन्त्रियों को जब तक सदन चलता है, यहां पर बैठना चाहिए। अगर वे बैठेंगे तो विधायक बैठेंगे और जब विधायक बैठेंगे तो सदन भरा रहेगा और मजाल नहीं अधिकारियों की कि किसी तरह की गड़बड़ कर सकें।

इसलिए मैं अधिक नहीं कहते हुए यही निवेदन करूंगा कि यों तो बातें बहुत हैं, कमियां बहुत हैं, उनको बताने से लाभ नहीं है, विद्युत मंडल के माननीय चेयरमेन साहब सब चीजों को जानते हैं और मैं यह समझता हूं कि वह जानते हुए जहर नहीं खायेंगे, ऐसी आशा है कि सुधार लायेंगे और जो इन्डस्ट्रीज से पांच पैसा प्रति यूनिट और किसानों से 25 पैसे प्रति यूनिट लिया जाता है, यह फर्क, यह दोगलापन जो भूतपूर्व सरकार की देन है, इस फर्क को मेहरबानी करके मिटाइये और कृषि को इन्डस्ट्री मानिये। कृषि इंडस्ट्री है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

कृषि से आम जनता का पेट भरता है और टाटा, बिड़ला और डालमिया को इण्डस्ट्री से चन्द आदमियों का पेट भरता है। इसलिए कृषि से आम जनता का पेट भरता है और गरीब अमीर सबको खाने को मिलता है। गेहूं, चना, दालें, चावल ये लोग खेतों से पैदा करते हैं और जो इन्डस्ट्री है भूतपूर्व शासन ने तो नहीं माना लेकिन जनता सरकार भी नहीं मानती है इसलिए आप यह कदम उठायें और सख्ती से कदम उठाये और उल्टी बात कर दें कि जिनसे पांच पैसा प्रति यूनिट लेते हैं उनसे 25 पैसा लेंगे और जिनसे 25 पैसे लेते हैं उन किसानों से पांच पैसा प्रति यूनिट लेंगे। जिन बड़े-बड़े पूंजीपति ने, जो कोठियों के मालिक बन कर बैठे हैं, जो गरीब किसान भूमि का मालिक नहीं है, छोटी-छोटी जमीन को काश्त करते हैं, खुद सूखी रोटी खाकर बड़े पूंजीपतियों का पेट भरते हैं, हमारा पेट भरते हैं उन किसान को राहत देने की कृपा करें। मैं बहुत नम्र शब्दों में आपसे निवेदन करता हूं कि हमारी सरकार यह कदम उठाये। अवश्य उठायेगी इस आशा के साथ, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय ने जो रिपोर्ट पेश की है उसके लिए धन्यवाद देता हूं और इससे आशा रखता हूं कि काम होगा और मुझे आने वाले समय के अन्दर अपने क्षेत्र के बारे में कहने का अवसर नहीं मिलेगा ? ऐसी आशा है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रणमलसिंह !

श्री रणमलसिंह (सीकर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आप तो बहुत ज्ञानवान व्यक्ति हैं, चतुर्वेद हैं, चार वेदों के ज्ञाता मान कर यह समझ कर कि आप देश को आगे की तरफ ले जा रहे हैं। आपने परसों मुझे इस प्रकार का जो जवाब दिया वह मेरे ख्याल से यह है कि जो सत्यमेव जयते सामने लिखा है उसे आपने पढ़ा नहीं है इसलिए कि यह कांग्रेस का लिखा हुआ है, इसलिए आपको परवाह नहीं है। सर्विस लाइन के बारे में आपने कहा है कि सौ फुट तक गवर्नमेंट देती है और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं और यह मैं रोज देखता हूं कि एक इंच का टुकड़ा भी नहीं दिया जाता है। मैंने खुद ने अपने कुए पर बिजली ली है और पैसा हमने दिया है और फिर भी यह कहते हैं कि सौ फुट तक गवर्नमेंट खर्च करेगी। मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि एक इंच का पैसा भी गवर्नमेंट नहीं देती है। खम्बा चाहे एल. टी. का हो चाहे एच. टी. का हो, मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि गांव-गांव के अन्दर सड़कों पर तो खम्बे हैं लेकिन इनके खड्डे भी हम खोदते हैं, कण्डक्टर भी हम लाते हैं और फिर भी हमसे बारह सौ रुपये लिए जाते हैं। ट्रांसफार्मर भी हम लाते हैं। सब चीजें हम खुद अपने लड्ढों पर लाद कर ले जाते हैं और फिर भी कहते हैं कि खर्चा तुम्हारा लगेगा। जिसके पास लड्ढा है वह खुद अपने लड्ढे में लाद कर लाता है, जिसके पास खुद का लड्ढा नहीं है वह किराया का करके लाता है और उसका खर्चा फिर भी उससे लिया जाता है। मीटर की जांच होती है और खराब होने पर 265 रुपया लिया जाता है। जब मीटर मर गया तो पैसा किस बात का। जब तीन रुपया माहवार किराया लो और मीटर ने जवाब दे दिया तो फिर 265 रुपया किस बात का? फिर वह मरा हुआ मीटर भी ले जाते हैं। वह इसलिए कि 26 रुपये में कोयल बदल कर फिर दूसरों से उसका 265 रु० ले लेते हैं। उस मरे हुए मीटर को ले जाने की क्या जरूरत है? क्या आपने कोई कबाड़ी की दुकान खोल रखी है कि सभी खराब मीटर वहां रखेंगे। इसके बाद आप क्या कर रहे हैं कि आपका लाईनमेन मौके पर रहता नहीं है। फ्यूज उड़ जाय तो उसकी रिपोर्ट करने के लिए सात-सात दिन तक चक्कर लगाने पड़ते हैं। आज की तारीख में मैं आपको कहता हूं कि कुंआ चलाया नहीं जा रहा है, पानी नहीं दिया जा रहा है फिर भी मीटर चालू है। इसके अलावा ट्रांसफार्मर पर जो कोयला और नमक पड़ता है उसके दो-दो रुपये कंज्यूमर से वसूल किए गये हैं यह मैं मेरे गांव की प्रेक्टिकल बात बता रहा हूं। पहले भी मैं कांग्रेस के राज में कांग्रेस के खिलाफ था तब तक हमारे यहां बिजली नहीं आई रामदेवसिंह जी की मेहरबानी के कारण। वे डिप्टी मिनिस्टर थे। अब जब आई तो फिर हम देख रहे हैं कि ऐसी बातें होती हैं। इसलिए मैंने कहा कि आपको सत्यमेव जयते का पता नहीं है और मेरे को इस तरह का उत्तर कन्वे करवा दिय गया है और आप चुपचाप हो जाते हैं।

इससे आगे और क्या होगा? असली बात मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं वह यह है कि भ्रष्टाचार वाली बात है। सारे ईमानदार अफसर हैं। मेरी समझ में नहीं आता है कि आपके मिनिस्टर को मालूम था जब

(श्री रणमलसिंह)

वह मिनिस्टर नहीं थे और आज भी उनको मालूम है कि पी० डब्ल्यू० डी० के जो इन्जीनियर हैं उनको हर ठेकेदार से दस प्रतिशत कमीशन मिलता है। सारे विधायक चाहे इस पक्ष के हों या उस पक्ष के हों, इस बात को जानते हैं कि नीचे भ्रष्टाचार है। सौ से तीन सो रुपये अलग-अलग जगह के हैं। वह ज्यादा होशियार हैं। जब इतने ऊपर ईमानदार हैं तो नीचे क्यों यह गडबड़ है? बदनामी तो उस महकमे की होती है जिसके चीफ इतने ईमानदार हैं, जिसके मिनिस्टर इतने ईमानदार हैं। तो इसकी क्या वजह है। ट्रान्सफार्मर नहीं रखे जाते हैं। एस. टी. लाइन नहीं खींची जाती है क्योंकि उसने रुपये नहीं दिये हैं। दूसरी तरफ उसने इस उम्मीद में कुएं पर फिटिंग करवा ली और उसका एल फार्म खारिज कर दिया। वे यह कहते हैं कि इस वास्ते दस हजार, बारह हजार रूपया खर्च हो गया। अपने आप आकर रुपया देगा नहीं तो आपके महकमे की तरफ से एस. टी. लाइन नहीं खींची जाती है। यह कहा जाता है कि ट्रान्सफार्मर नहीं है। जवाब यह आता है कि खम्भे नहीं हैं, कण्डक्टर नहीं है तो क्या हमारे पास, किसानों के पास कोई कारखाने हैं कि वे खम्भे और कण्डक्टर बना देंगे? एट दी इलेवेन्थ आवर पर यह कहा जाता है। बुवाई का टाइम आ गया, एक नवम्बर से 30 नवम्बर तक बुवाई होती है। वह बैठे रहते हैं। किसान सोचता है यहां तक फंस गया हूँ, इतना पैसा खर्च हो गया है, कनेक्शन नहीं मिल रहा है तो उसको मजबूर होकर रिश्वत देनी पड़ती है। इस प्रकार बिजली विभाग द्वारा किसान को मजबूर किया जाता है। कण्डक्टर भी आ सकते हैं, खम्भे भी आ सकते हैं, कनेक्शन भी दिए जा सकते हैं। जैसोर के मोर्चे पर हमारे गांव का सिपाही शहीद हुआ था उसका एक कुआं था। उसने बिजली का कनेक्शन लेना चाहा रिश्वत नहीं दी, इसके लिए हमारे यहां के जे. ई. एन. हैं उसने उसका एल फार्म खारिज कर दिया। जे. ई एन. ने कहा मैं देखता हूं वह रिश्वत कैसे नहीं देगा। एम. एल. ए क्या कर लेगा? हम लोग कांग्रेस वालों के सामने भी नतमस्तक नहीं हुए यह कहने के लिए हम कभी नहीं गये कि हमारे यहां कनेक्शन क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? नाम के लिए इलेक्ट्रिफिकेशन होता है। साढ़े चार साल पहले रामदेवसिंह जी के हल्के के एक गांव बाजोर में बिजली पहुंच गयी परन्तु आज तक एक को भी बिजली नहीं दी गयी। एक को भी कनेक्शन नहीं दिया गया। 13 आदमियों की सिक्योरिटी जमा है और 8 आदमियों के एल फार्म जमा हैं। इसी प्रकार दो गांव दीनारपुरा व भादवासी और हैं। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं वहां पर भी 30-32 की सिक्योरिटी जमा है 16 व 18 आदमियों के एल फार्म जमा हैं आज तक उनको कनेक्शन नहीं दिए गए हैं। कहा जाता है खम्भे नहीं हैं, एच.टी. नहीं है जब यह सामान नहीं है तो फिर आपने उन से यह सिक्यूरिटी क्यों ली? आपको पहले सोचना चाहिए था कि सामान नहीं है, ट्रान्सफार्मर आपके पास नहीं है, खम्भे नहीं है, कण्डक्टर नहीं है तो ऐसा काम क्यों करते हैं? यह जो आपकी स्कीम है वह बहुत लुभावनी है, ये आंकड़े आपके बढ़िया है। चीफ मिनिस्टर साहब के जिले का विधायक हूं इसलिए आप कह देंगे चीफ मिनिस्टर होने की वजह से सबसे ज्यादा दिया गय

(श्री रणमलसिंह)

है। 75 प्रतिशत इलेक्ट्रिफाय कर दिया गया है लेकिन फिर भी....

एक माननीय सदस्य : वह तो छवड़ा के हैं ?

श्री रणमलसिंह : पैदा तो हमारे जिले में हुए हैं। एक मिनट मुझे रोका गया है, मान्यवर, इसलिए एक मिनट और देने का कष्ट करें मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि सीकर जिले में जो यह कहा गया कि वहां पर 20105 कुएं हैं। यह जो कुओं के आंकड़े दिए गए हैं वे 74-75 के दिए गए हैं। तो क्या तीन साल हम खाली बैठे रहे? क्या नए कुएं नहीं खोदे गये ? आपने कनेक्शन नहीं दिए तो क्या कुएं नहीं खोदे गये? मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि तीन साल में वहां पर पांच हजार कुंए और खोदे गये हैं। जब आपने 77-78 में केवल दो हजार कुओं को बिजली देने को कहा है और अगले साल 2500 कुओं को बिजली देने को, सारे राजस्थान में और इसके पेटे आपने अभी तक 138 कुओं को कनेक्शन दिए हैं, जबकि लास्ट ईयर इसके मुकाबले आपने 196 कुओं को बिजली दी थी। इतनी धीमी गति से आप काम कर रहे हैं। तो यह ढ़ाई हजार का जो लक्ष्य है उसकी पूर्ति आप कैसे करेंगे ? तीस नवम्बर तक कनेक्शन आप नहीं दे पाएंगे। दिसम्बर, जनवरी में आप कनेक्शन देंगे तो वह कनेक्शन उनके लिए किस काम का होगा ? उस गरीब का रुपया आप खर्च करवा देंगे जिस पर उसको दो रुपया बैंक ड़े का ब्याज देना होता है और वह उस बिजली को यूटिलाइज़ नहीं कर पाता है। इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपको बिजली देनी है तो टाइम पर दीजिए ताकि किसानों को परेशानी नहीं हो और उनके लगाये हुए पैसे का सदुपयोग हो जाए। नहीं देनी है तो टाल दीजिए और किसानों को परेशान न किया जाए, सीकर के लिए आपने इस रिपोर्ट में लिखा है 31-3-77 तक 48 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और हरिजन बस्तियों को कनेक्शन दिए जाएंगे। वर्ष 77-78 में आपने एक को भी कनेक्शन नहीं दिया। या तो हमारी हरिजन बस्तियों में बिजली पहुंच गयी या उन्होंने बिजली लेने से ना कर दिया। जयपुर के तीस गांव लिए गए तो क्या हमारे जिले के अन्दर एक गांव भी इस लायक नहीं था कि उसको कनेक्शन दिया जाए। मेरा निवेदन है कि यह भेदभाव नहीं किया जाए

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बाल कृष्ण थानवी।

श्री बाल कृष्ण थानवी (फलौदी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से फलौदी क्षेत्र की बिजली समस्या के बारे में प्रकाश डालना चाहूंगा। हमारे यहां पर मलार एवं बाप नामक क्षेत्र हैं जिसमें हजारों कुए हैं। लाखों मन नमक हर साल पैदा होता है। वहां पर बिल्कुल ही बिजली नहीं पहुँचायी गयी है जब कि बिजली की सख्त जरूरत है। दूसरी तरफ फलौदी तहसील में कार्यरत जो ट्यूबवेल हैं, उन पर भी बिजली नहीं पहुँचायी गयी है। इसी तरह फलौदी तहसील में जो बड़े कस्बे हैं उनमें बीच के गांवों सहित बिजली पहुंचाने की

(श्री बालकृष्ण थानवी)

सख्त आवश्यकता है जैसे कि (1) फलौदी से लोर्डीया, छीला लोहावर एवं पीलवा (2) फलौदी से मलार, हिंदालगोल नामक रिण एवं बाया (3) खीचन से पलीना, देणोक, भाऊ, चोयीवा एवं चाडो (4) फलौदी से एकां, बीयड़ी, कलारा एवं खारा। इन सब में बिजली का पहुँचाया जाना बहुत ही जरूरी है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : इनकी सूची लिख कर दे दें। मंत्री महोदय बिजली दे देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आपने भाषण कर लिया। दूसरे माननीय सदस्यों को भी अपनी बात कहने दें।

श्री बाल कृष्ण थानवी : उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार फलौदी तहसील के ग्राम खीचन एवं फलौदी नगर को औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया गया है। वहाँ पर कारखाने लगाये जाएंगे इसलिए वहां पर ज्यादा बिजली की जरूरत होगी। अभी से इसके लिए सोचा जाएगा और व्यवस्था की जाएगी तो औद्योगिक क्षेत्र के विकास में कोई कठिनाई नहीं होगी। फलौदी क्षेत्र को पोकरण-जैसलमेर क्षेत्र के पेच्छू रास्ते से बिजली दी जाती है उसमें भी बहुत कमी आती है एक दिन में कई बार बिजली गुल हो जाती है इस व्यवस्था को ठीक करना चाहिए। पावर कनेक्शन लेने के लिए फलौदी बिजली घर में कई नमक पिसाई रोलर एवं चक्की वालों ने पैसे जमा करा रखे हैं परन्तु उनसे रिश्वत न मिलने के कारण उन्हें लम्बे समय से बिजली नहीं दी गयी है। इसलिए जब पैसा जमा हो जाए तो तत्काल बिजली देने की व्यवस्था होनी चाहिए वरना विभाग की बदनामी होती है। फलौदी बिजली घर के भूतपूर्व मोहनलाल नामक एक ए. इ एन. ने जोधपुर से डीजल की टंकियां मंगाई। वे नगरपालिका फलौदी की पेच्छू साइड के चुंगी चौकी रजिस्टर में दर्ज थीं परन्तु जे. ई.-एन. ने उनको ऊपर ही ऊपर बेच दिया और इन टंकियों का सारा पैसा हजम कर लिया। जो म्यूनिसिपेलिटी का रजिस्टर था वह बदलवा दिया और मूल रजिस्टर को गायब करवा दिया। मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, फलौदी के पास वर्षों से यह केस पड़ा हुआ है। संबन्धित व्यक्ति बिजली घर में ही कहीं न कहीं है। परन्तु आज तक वह पेशी पर हाजिर नहीं हुआ है। इसलिए मेरा निवेदन है कि बिजली विभाग को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

इसके अतिरिक्त फलौदी को जैसलमेर के रास्ते से बिजली दी गई है जिस रास्ते से यह बिजली की लाईन आई है, वहां पर कई गांव हैं परन्तु बीच के एक गांव को भी बिजली नहीं दी गयी है। साथ ही साथ सड़क के किनारे पर जो गांव आते हैं उनको तो आसानी से बिजली दी जा सकती है परन्तु बिजली नहीं दी गयी है। इसी प्रकार जैसलमेर क्षेत्र में भादराराम जी का एक मन्दिर है धार्मिक स्थान है, देश भर से काफी यात्री वहां पर जाते हैं। वहां पर बिजली की मांग की गई तो मंत्री जी ने वहां के महाराज जी के मांग पत्र पर यह आश्वासन दिया कि जांच के बाद संभव हुआ तो बिजली पहुँचाई जायगी। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि भादरिया गांव में बिजली पहुँचायी जाय। जैसलमेर जिले का कितना बड़ा भू-भाग है परन्तु कुल मिला कर पूरे जिले के एक गांव को भी

(श्री बाल कृष्ण थानवी)

बिजली नहीं पहुंचाई गयी है। हमें विद्युत विभाग की ओर से जो तखमीना दिया गया है उससे स्पष्ट है। अतः मेरी यह मांग है कि जोधपुर से जैसलमेर तक गई हुई बिजली लाइन के बीच पड़ने वाले सारे गांवों को बिजली दी जाय। अतः इस साल जोधपुर जिला क्षेत्र में भी कुल मिला कर दो गांवों को ही बिजली दी गयी है। जोधपुर के शेष रहे 47 गांवों के अन्दर जल्दी से जल्दी बिजली पहुंचाने की व्यवस्था की जाय और आगे के बजट के अन्दर ज्यादा गांवों को लिया जाए। इसी प्रकार जैसलमेर क्षेत्र एंव फलोदी तहसील क्षेत्र के गांवों की जो सूची है, उनकी तरफ भी ध्यान दिया जाय और उनमें यथाशीघ्र बिजली पहुंचाने की व्यवस्था की जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुनन्दन व्यास !

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के वर्ष 1978-79 के बजट प्रावधानों पर आज यहां पर सिम्पोजिम हो रहा है जैसा कि आपने बताया है, यह बोर्ड का जो कान्स्टीट्यूशन है, यह बोर्ड स्वयं ही राज्य सरकार के प्रति वफादार नहीं है। यही नहीं यह बोर्ड राज्य सरकार की आज्ञा मानने के लिये तत्पर नहीं है। हमने विधान सभा में तय कर दिया, उसके आधार पर योजनाएं बनाने के लिए कहा और उसको माना जाएगा और पालन किया जाएगा विद्युत बोर्ड के द्वारा इसके बारे में पूर्ण सन्देह है। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि इसके बारे में नियमों में परिवर्तन करके इस बोर्ड को पहले सरकार और जनता के प्रति वफादार बनाना चाहिए।

दूसरी ओर उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान विद्युत बोर्ड का जो ढांचा है और जिस प्रकार से इस बोर्ड के द्वारा करोड़पतियों को करोड़ों रुपयों का फायदा दिया गया है और जान बूझकर कानून से उलझा कर उनसे पैसा वसूल नहीं किया है; इस प्रकार इस बोर्ड ने अपनी ही नहीं देश की सम्पत्ति का दुरुपयोग किया है और देश के साथ गद्दारी की है। इसी प्रकार का जो कान्स्टीट्यूशन है, जब से बोर्ड बना है और जिस प्रकार से इसके सदस्य लिए गए हैं, उन सदस्यों ने नैतिक दृष्टि से, संवैधानिक दृष्टि से राजस्थान की जनता के साथ विश्वासघात किया है, उनको इनकी इच्छा पर लटकाए रखा और केवल उन्होंने चार, पांच, छः करोड़पतियों को हाजरी भरी। इस प्रकार इन्होंने राजस्थान को तीन करोड़ जनता को भूखा मार कर केवल करोड़पतियों का पेट भरा और उनसे पैसा, वसूल नही किया। उनमें सारा पैसा बाकी है। मैं समझता हूं कि उनसे पैसा वसूल नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से यह भयंकर भ्रष्टाचार है। हम कोटा में डी. सी. एम. को देखने गये थे जिस ढंग से वह विधायकों का स्वागत करते हैं, जिस ढंग से वह विधायकों की खरीद फरोख्त करने का प्रयत्न करते हैं, इन सारी चीजों को देखने के बाद में इस निश्चय पर आया हूं कि बकाया वसूली के बारे में बोर्ड और करोड़पतियों के बीच में सांठ-गांठ है और इस बोर्ड ने जान बूझकर करोड़ों रुपयों को डुबो दिया है। दूसरी तरफ हम इस रकम पर ब्याज दे रहे हैं और राजस्थान की गरीब जनता तकलीफ पा रही है। बोर्ड की इस स्थिति के कारणों में

(श्री रघुनन्दन व्यास)

हम अगर जायं तो सारी स्थिति मालूम हो जाती है। आज स्थिति यह है कि कोई एक विधायक जे. ई. एन. के पास जाता है, एक्स. ई. एन. के पास जाता है तो वह उसकी परवाह नहीं करता है। आपकी एक बात नहीं मानता है। यह उनकी दया पर निर्भर है कि वह कोई बात माने। इसलिए जब तक हम इस बोर्ड के ढांचे में बदलाव नहीं करते हैं, योजनाबद्ध कोई कार्यक्रम बना कर लागू नहीं करवा सकते हैं। आज दस नवम्बर है। जो लोग खेती करते हैं उनको बिजली की जरूरत है पर समय पर कनेक्शन नहीं दिये जाते हैं। किसानों को बिजली फ्लेट रेट पर देने की बात की जाती है। स्थिति आज यह है श्रीमान, सिरोही, जालोर के गांवों में इधर सूरज डूबता है और उधर साथ के साथ कुओं पर बिजली बंद हो जाती है। दो महीने हो गये यही स्थिति चल रही है। कभी-कभी घंटों बिजली नहीं आती है। दो घंटे तक बिजली नहीं आती है। जालोर के एक्स. ई. एन. को इससे कोई ताल्लुक नहीं है चाहे किसान परेशान हों। हमारे एक्स. ई. एन. की मर्जी पर निर्भर है। हमारा कोई लेना देना नहीं है, इससे। चार आर. ई. सी. की योजना है। इनमें एक जसवन्तपुरा की आर. ई. सी. योजना है। इसके लिए बजट दिया गया। डिपार्टमेन्ट ने दफ्तर खोला। मैं बीस तारीख को जसवन्तपुरा गया हूं और देखा कि वहां पर ए. ई. एन. का दफ्तर नहीं है। जसवन्तपुरा में कोई दफ्तर नहीं है। कोई किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। ऐसी स्थिति में बजट बनता है। जसवन्तपुरा में इस समय तक कोई ए. ई. एन. नहीं पहुंचा है फिर कैसे वहां पर काम होगा। त्रिलोकचन्द जी माथुर जिले के आफिसरों की मीटिंग में कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। ओ. एण्ड एम. से है। एक दूसरे का कोई लिंक नहीं है। जो आफिसर वहां पर विराजमान हैं वह किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं हैं। यह हालत तो सिरोही की है। अब हम क्या करेंगे? जो बजट बना दिया है, सौ करोड़ रुपया दे देंगे-उसका दुरुपयोग हो रहा है। समय पर काम नहीं होगा। तीन सौ रुपया लेकर कनेक्शन देने की बात कही जाती है। मेरा तो यह अन्दाज है कि एक कुए की बिजली के कनेक्शन में एक हजार रुपये की रिश्वत चलती है। सिरोही, जालोर जिले की रेट एक हजार रुपया है। दो वर्ष से चीफ इन्जीनियर के दफ्तर में लोग चक्कर लगा रहे हैं। वहां 15 कनेक्शन भी दो वर्ष में नहीं हुए, सिरोही के पास 3-4 गांवों के नहीं हुए। पिछले 6 महिनों से जालोर में घरों में मीटर की रीडिंग के हिसाब से बिल नहीं पहुंचे। मेरा भी जालोर में घर है। मेरी मां वहां रहती है। आज 6 महीने हो गये बिल नहीं पहुंचा। अब इस प्रकार की व्यवस्था जहां है, हम किस को कहें। मैं यह कहना चाहता हूं और यह माननीय इन्जीनियर है, कोई जिम्मेदारी नहीं और ये जालोर, जसवन्तगढ़, सांचोर, भीनमाल, आहोर इन सारे क्षेत्रों का जो एस. ई. का दफ्तर सिरोही में है—माननीय उपाध्यक्षजी, करोड़ों रुपयें को अगर बचाना हो तो वह जोधपुर में जो 2 एक्स. ई.एन.

(श्री रघुनन्दन व्यास)

और सी. ई. के जो दफ्तर हैं उनमें से एक सिरोही या जालोर भेजें। कोई जरूरत नहीं है जोधपुर में बगलों में मौज करने की। वह वेतन लेते हैं इतना ही नहीं, राजस्थान में जगह बहुत पड़ी है लेकिन एक गरीब बैकवर्ड क्लास के विद्यार्थी को इन्जीनियर नहीं बनाएंगे जो पिलानी से पढ़ कर बी. ई. आनर्स में आया है। क्योंकि वह पिलानी से आया है इसलिये आर. एस. ई. बो. उसको लेने के लिए तैयार नहीं। उसका नाम सुन्देशा लक्ष्मण है। बम्बई में नौकरी मिल जाएगी, तमिलनाडु में मिल जाएगी लेकिन पिलानी वालों को राजस्थान में नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी जबकि पिलानी का इन्स्टीट्यूट राजस्थान में है? वह बी.ई. आनर्स है। बी. ई. और नौकरी नहीं मिले—किस को कहें। जालोर में 4 हजार मकानों और करीब एक हजार कुओं की समस्या है। अकाल पड़ गया, क्रूड आयल का पता नहीं, डीजल का पता नहीं, बिजली का पता नहीं और इसका परिणाम यह होगा कि किसान भूखे मरेंगे। लेबर की झोंपड़ी में 11) रुपये क्योंकि वह किसान है और सेठजी के बंगले में 3 पैसे में बिजली। लेकिन किसान चाहे मरे, कोई परवाह नहीं कोई चिन्ता नहीं—

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इस प्रकार का रूप बना हुआ है। अभी आबू की स्थिति ऐसी है, हमेशा वहां बिजली गुल रहती है। 14-15 तारीख को गुजरात की गवर्नर पहुंच रही हैं—क्योंकि राजस्थान बिजली बोर्ड में आबू पर्वत को जोड़ दिया गया। अभी बिजली बोर्ड के चैयरमेन साहब पधारे। 8-10 मील का टुकड़ा है। अगर उनकी जीप पहुंच जाय 2 घण्टे में तो मैं इनाम दूंगा। कुछ भी व्यवस्था नहीं। इस प्रकार की हैप हैजार्ड स्थिति है यहां। ये प्लानिंग करने वाले, यह आर. एस. ई. बी. और इसका कांस्टीट्यूशन इस ढंग से बना हुआ है, राजस्थान के मंत्री महोदय नहीं चाहते कि नियमों में परिवर्तन हो इस पर सरकार का डायरेक्ट कन्ट्रोल हो और इसकी जिम्मेदारी हमारे सदन पर भी हो तब तो हम 100 करोड़ का जो हमने प्रावधान किया और जैसी योजना दी है वह पूरी कर सकते हैं चाहे शिड्यूल्ड कास्ट का मामला हो, चाहे किसान का मामला हो, चाहे फैक्ट्री लगाने का मामला हो जो नोट देगा उसको कनेक्शन मिलेगा। 3-3 महीने तक लाइन लगाते रहो कभी पैसा जमा नहीं होगा— It is a mess. The worst administration I have ever seen in my life. तो यह हाल है आर. एस. ई. बी. का। डेढ़ साल से जनता पार्टी की सरकार आने के बाद केवल बजट हमने दिया। हमने उनको अलोकेशन करवाया लेकिन एक नये पैसे का भी आर्थिक दृष्टि से सुधार नहीं किया गया तो राजस्थान पर करोड़ों का कर्जा हो—ये राजस्थान को दिवालिया बनाएंगे। इससे अफसरों का पेट भरेगा लेकिन उन गरीब काश्तकारों का भला नहीं होगा। गरीब मजदूरों का भला नहीं होगा—

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं निवेदन करूंगा हमारे स्वप्न तभी पूरे हो सकते हैं जब कि आर. एस. ई. बी. जनता के प्रति वफादार हो, वफादार बनें, उसके नियमों में परिवर्तन किया जाय। यही कह करके मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री माधोसिंह (रेवदर): रहुम ग्राम में राजनैतिक कारणों से सब डिवीजन नहीं बना। मैं निवेदन करूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है वह सेन्टर प्लेस है इसलिये लाइनों पर बराबर लोड का भार रहे इस दृष्टि से–

श्री रघुनन्दन व्यास: वहां लाइनमेन के रूकने की जगह है।

श्री मांगीलाल (जायल): उपाध्यक्ष महोदय, हमारा जो क्षेत्र है और जो गांव है वहां 7 हजार की आबादी है, वहां जो लोग संपन्न हैं उन्हें अगर बिजली दे दी जाय तो वे कूवें बना सकते हैं और सिंचाई का काम हो सकता है। कई जगह खम्भे लगे हुवे हैं लेकिन वहां तार नहीं लगे हैं। मैंने एक्सईएन. से मालूम किया तो उन्होंने कहा–यहां पर तार अभी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, एक अचम्भा और भी है–कई गांव जहां 7 हजार की आबादी नहीं है वहां तो बिजली लगी हुई है और कई बड़े-बड़े गांव है जैसे रोल है और भी जहां के 5-4 गांव पास वाले हैं वहां बिजली नहीं है तो उपाध्यक्ष महोदय, हमारे क्षेत्र में अगर बिजली हो तो वहां की जनता सुखी हो सकती है और उनकी व्यवस्था भी ठीक हो सकती है। जो हरिजन बस्तियों में बिजली लगाने का कहा जा रहा है, हरिजन तो आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं वहां बिजली जाएगी तो वहां घरों में लोग ले नहीं सकते और वैसे सरकार देगी नहीं तो अगर खम्भा लगा दें तो गलियों में लट्टू जरूर हो सकते हैं लेकिन महलों में बिजली लावें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। कालवी गांव में बिजली लग सकती मगर हमारे गांवों का अभी नम्बर नहीं है। कल्याणसिंह जी कालवी में तो रातों रात बिजली लग सकती है मगर–

श्री छ्योपतसिंह मकासर: आप तो कह रहे थे वहां नहीं है....

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (विद्युत् मंत्री): योजना सैंक्शन थी, साल भर हो गया।

उपाध्यक्ष महोदय, बिजली लगी लेकिन बिल्कुल अन्धेरा है। वहां पर पंचायत समिति है, वहां तहसील हैं और वहां पर सारे डिपार्टमेन्ट सरकार के हैं, लेकिन बिजली का पता नहीं चल रहा है। रोप दी तो तार डालना मुश्किल है। सामान ही नहीं है। नागौर में ही सामान नहीं। अध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना है कि मेरे क्षेत्र मे कम से कम 40-50 गांव बड़े-बड़े हैं वहां पर बिजली लगा दी जाय तो वहां के काश्तकारों को, हरिजनों को सुख हो सकेगा।

श्री छ्योपतसिंह मकासर: आधे में मान जाओगे। माननीय उपाध्यक्षजी, यह आधे में तैयार हैं

श्री मांगीलाल: उपाध्यक्षजी, इस पर ध्यान दिया जाय। बड़े जो लोग हैं आंखां मींचकर बैठ्या हैं। विठां का किसान अनपढ़ है तो विठां का ध्यान रखें।

श्री उपाध्यक्ष: श्री गंगाराम।

(अनुपस्थित)

श्री माधोसिंह कछवाह।

श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा): उपाध्यक्ष महोदय, आर. एस. ई. बी. ने यह विवरण प्रस्तुत किया है। यह रिपोर्ट, जिसमें स्टेटमेंट एकाउन्ट्स वगैरह हैं, कुछ दिन पहले मिली थी वर्ष 76-77 की।

(श्री माधोसिंह कछवाह)

इन सबका अवलोकन करने से पता चला कि यह हमारा बोर्ड एक गरीब बोर्ड है जिसके लिए अन्त्योदय योजना की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि हमारे जो मंत्री चतुर्वेदी साहब हैं उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती है। या तो उनको इस बोर्ड को सुधारना पड़ेगा, या साल दो साल के बाद इस्तीफा देना पड़ेगा। यह बोर्ड अगर इंग्लैण्ड या यूरोप के देशों में होता तो आधे से ज्यादा अधिकारियों, जो कि बोर्ड में बैठे हैं, उनको रातोंरात छुट्टी मिल जाती। शायद मंत्री महोदय ऐसा महकमा लेना पसन्द नहीं करते। जितनी यह बोर्ड रेवेन्यू उत्पन्न करता है उतना तो यह ब्याज देता है, यानि जो हमसे बिजली का पैसा लेते हैं किसानों से जो बिजली की रेट ली जाती है कन्ज्यूमर्स से बिजली की जो दर लेते हैं उसके अन्दर आधा पैसा ब्याज का है। यह मेरे ख्याल से पहली दफा नजर आ गया कि 76-77 के अन्दर 8 लाख रुपये का घाटा चल रहा है। उन्होंने एक बड़ी नदी योजना 900 करोड़ की बनाई है। उसका प्लानिंग ढंग से नहीं किया गया और जो निम्न लेवल के अधिकारी हैं ए. ई. एन., एक्स. ई. एन. तत्परता और ईमानदारी प्लान को एक्जीक्यूट करने में नहीं बरतें तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि बोर्ड डूब जायेगा। यह वस्तुस्थिति है इसलिए मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपके पास दो महकमें हैं। एक सिंचाई का और एक इलेक्ट्रिसिटी का। अब बाढ़ तो गई लेकिन बिजली का झटका हाई वोल्टेज का लग जायगा। इससे बचेंगे तो बाढ़ कहीं आ जायगी। इसलिए खास तौर से बोर्ड के लिए ज्यादा समय देना पड़ेगा।

इसके बारे में कुछ सुझाव भी देना चाहता था। लेकिन मैं समझता हूं कि मुझे मरुस्थल के मतदाताओं के साथ न्याय करना है, जोधपुर, सरदारपुरा और जोधपुर के जिले के लोगों के साथ न्याय करना है। उनके बारे में कुछ बातें आपसे कहना चाहूंगा। हमारे वहां जोधपुर जिले में बिजली की आंख मिचौनी होती रही है। वोल्टेज इस महीने में थोड़ा ठीक है, फिर भी एक-दो घण्टे बिजली चली जाती है। वैसे वहां पर मंत्रीजी पधारते हैं, प्रोग्राम उनका आता है, लेकिन वह रात को ही आते हैं और रात को ही चले जाते हैं, पता नहीं लगता है। अभी 30 तारीख को उनके आने का प्रोग्राम था। बहुत से लोगों ने इन्तजार किया, लेकिन वोल्टेज के साथ उनकी फ्रिक्वेन्सी मिली हुई है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पधारें और वस्तुस्थिति को देखें।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय सदस्य सिर्फ एक ही बार आ गया बाकी दो-दो दिन रहा।

श्री माधोसिंह कछवाह : मैंने बुरा नहीं माना है।

एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि 706 गांवों की जो विद्युतीकरण की योजना है उसका विवरण उन्होंने प्रस्तुत किया है उसमें 76-77 में 91 बस्तियां रखी हैं, 77-78 में 16 बस्तियां और 78-79 में 49 बस्तियों का नक्शा रखा है। एक तरफ तो गांवों की संख्या देते हैं और आगे जो विवरण देते हैं वह बस्तियों का देते हैं। भला यह किस प्रकार से मेल की बात है जो इन्डीकेट किये हैं वह गांव हैं या बस्तियां हैं उनकी डेफिनेशन अलग-अलग क्यों हैं? इसी

(श्री माधोसिंह कछवाह)

प्रकार से जो कुओं का विवरण दिया है। कुल कुंए 8527 हैं उनमें 76-77 में 3022 कुल कुओं पर विद्युत् लगाई, 77-78 में कुल 592 पर लगाई है और 78-79 में 700 का रखा है। मैं समझता हूं कि लक्ष्य जो रखे हैं चाहे गांव के हों, चाहे कुओं के हों, बस्तियों के हों बहुत कम हैं। यह जोधपुर जिले के साथ घोर अन्याय है। यह उनके साथ में दुतरफा अन्याय है। एक तो इसलिए अन्याय है कि उसको टेल एण्ड पर बताया जाता है। इससे पता चलता है कि बिजली के लिए लिफ्ट इरिगेशन की आवश्यकता है। पानी है और उनका बहाव नहीं मिलता है यह बात तो समझ में आती है, लेकिन जिस एरिया के अन्दर कोई साधन नहीं हैं विकास के और पानी और बिजली दोनों ही ऐसी चीजें हैं कि जिससे उनके साधन विकास के हो सकते हैं, उद्योग पैदा हो सकते हैं, वहां लोगों को रोजगार मिल सकता है, उस एरिया की तरक्की हो सकती है। कुंए गहरे हैं तो बिजली की तड़फ है। जानबूझ कर जोधपुर को चाहे जोधपुर संभाग, कह दें चाहे जिला कह दें या बीकानेर वगैरह को मिलाकर पश्चिमी राजस्थान कह दें उसके साथ इस तरह का भेद भाव क्यों है ? क्या आपको केवल कोटा को ही स्थिति बनानी है। मैं चार्ज की बात नहीं कहता। कोटा मे कुछ भी करें। लेकिन हमारे यहां जो 220 के.वी. लाइन की बात है उसके लिए कई दफा कहा। क्या दिक्कत है आप कहते हैं कि पलाना से लायेंगे, बीकानेर से देंगे। कब शादी होगी और कब बच्चा पैदा होगा। वह जब तक कमीशन्ड होगा। उसमें 5–6 साल निकल जायेंगे। जोधपुर में कई उद्योग लगाना चाहते हैं। वहां का माल विदेशों में जाता है। वहां पर आप बिजली उद्योग की व्यवस्था नहीं कर सकते तो आप उद्योगों को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। वहां पर न कोई उद्योग लगा सकता है। हमारे माननीय मुख्यमंत्रीजी जाते हैं और लोगों से कहते हैं कि यहां आकर उद्योग लगायें। वे यहां आकर क्या करेंगे जहां पर पानी की कमी है, बिजली की कमी है। उसकी पूर्ति की जाय। अगर आपकी मंशा ठीक है तब तो मैं समझता हूं कि वह लाइन तैयार हो सकती है 220 के. वी. की 4-6 महीने में। फिर पलाना से आये तो उससे कर दें। इस बात को लेकर अभी यह करेंगे और अभी वह करेंगे न जाने क्यों होती है ? यह बात समझ में कुछ नहीं आती है। विशेष रूप से माननीय मंत्री महोदय से, जिन्हें इस मामले में बड़ा जोश है, कहना चाहूंगा कि यह रेगिस्तानी इलाका है उसकी ओर विशेष ध्यान दें।

इस रिपोर्ट के अन्दर पेज पर आपने लिखा है आइटम नं. 2 जिसका हेडिंग "भौतिक" के उपखण्ड (इ) में – "ग्रामीण जनसंख्या क्षेत्रों मे प्रमुखतः रेतीले भागों में विद्युत् शक्ति की आपूर्ति की वृद्धि मे उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों एवं सीमाओं की अनुभूति करते हुए राज्य सरकार ने जो कि रेगिस्तान विकास कार्यक्रम में भी भाग ले रही है, शक्ति क्षेत्र को भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित करने के विशेष प्रयत्न किये एवं इसके आधार पर सीकर जिले के 275 गांवों को विद्युतीकरण एवं" आगे पढ़ा नहीं जाता है। कुछ डेजर्ट के जिलों और प्रदेश पर ध्यान देने की बात कही हैं। तो वह कहां का डेजर्ट है ? कोटा का डेजर्ट है, जयपुर का डेजर्ट है या खाली सीकर

(श्री माधोसिंह कछवाह)

का ही डेजर्ट है? जोधपुर और पश्चिमी राजस्थान के डेजर्ट के लिए आपने प्लेग्राउण्ड बना रखे हैं। अगर नहीं बना रखे हैं तो मेरा बहुत-बहुत निवेदन है कि आप भविष्य के लिए कुछ न कुछ योजना कीजिये।

मान्यवर, यह आर. एस. ई. बी. का प्रशासन है ऐसा मालूम पड़ता है कि ऊपर के लेवल पर बोर्ड के अन्दर वोल्टेज बहुत हाई है। वह इस प्रकार के काम करते हैं। चैयरमेन साहब है, वह भी ऐसे ही काम करते हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : चेयरमैन साहब का वोल्टेज भी हाई है।

श्री माधोसिंह कछवाह : उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर शहर में इस प्रकार की स्थिति हो रही है। इस प्रकार के काम करते हैं। कभी कहते हैं कि सामान नहीं है

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इस तरह से वहां पर काफी कनेक्शन बाकी रहते हैं। चार हजार डोमेस्टिक कनेक्शन है गोता खाते हैं तो जाकर कहना पड़ता है

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के बारे में इस प्रगति रिपोर्ट में विवरण दिया गया है लेकिन जोधपुर में कुछ नहीं हैं। यह उनके पास कौन सा चश्मा है। वह इनको चश्मा भी देदें और स्पेशल डायरी भी दे दें....

(व्यवधान)

चैनपुरा, उजरा, बाबलि, नाटियाबस्ती, डिगाडी कलां, इस तरह से कई बस्तियां हैं। आप कहते हैं कि लिखते नहीं बड़ा बेतुका सा जवाब है। हम साफ बात कहते हैं। वह इतने अच्छे व्यक्ति हैं कि कुछ असर ही नहीं होता है एडमिनिस्ट्रेशन की बात तो कुछ है ही नहीं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री श्योपतसिंह मकासर : उनकी नसबन्दी तो नहीं कर दी है।

श्री माधोसिंह कछवाह : आप ऐसे व्यक्ति को लगाइये जो ठीक हैं। मैं शिड्यूल कास्ट्स की बात कह रहा था।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, सदन की घण्टी कुछ देर से बज रही है।

श्री माधोसिंह कछवाह : इस वोल्टेज की वजह से ही बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : कह दीजिए।

श्री माधोसिंह कछवाह : उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने अच्छा तरीका निकाला हैं इनको विभिन्न योजनाओं को कवर करने के लिए दो-तीन योजनाएं बन रही हैं। जहां इच्छा होती है, वहीं सप्लाई होती है। इच्छा नहीं होती हैं, वहां सप्लाई नहीं होती है। जो पांच छह किलोमीटर हैं, उसके बारे में ही कोई जवाब नहीं है। विधायक जाता है। कोई जवाब नहीं मिलता हैं विधायक कोई नौकर तो नहीं है नौकर है तो जनता का है। हम उनके पास जाते हैं। एक विधायक आया है। उनका कोई रिस्पोंस ही नहीं है। इस तरह की उदासीनता रहे तो मैं, उपाध्यक्ष महोदय, कहना चाहता हूं, जो विधायक हैं चाहे वह जनता पार्टी से आये हो, जनसंघ से आये हों या आर.एस.एस. से आये हों, वह फिर मीठी-मीठी बातें नहीं करेंगे।

श्री श्योपतसिंह मकासर : गुड ।

श्री माधोसिंह कछवाह : वह इस तरह से बात करेंगे तो हम मजबूती से बात करेंगे। अगर पश्चिमी राजस्थान में आप यह बात कण्टीन्यू करेंगे तो यह उचित नहीं होगा ।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

यह हाई वोल्टेज वाली घण्टी है ।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : उपाध्यक्ष महोदय, हम भी बैठे हैं । जनता पार्टी के तो रोटियां खाकर वापस आ गये हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलने वालों की सूची में नहीं हैं ।

श्री रामरघुनाथ ।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय बागाजी बोल रहे थे । उन्होंने कई मुद्दे की बातें कही थीं । मैं समझता हूं कि मन्त्री महोदय जरूर उन पर विचार करने का प्रयत्न करेंगे । मैं उन पर जाकर कुछ अपनी ओर से सुझाव देना चाहूंगा । दो छोटी-छोटी बातें हैं । मैं आशा करता हूं कि आप उनका खयाल करेंगे । मैं सर्वप्रथम यह निवेदन करना चाहूंगा, जो आप बिजली का नया कनेक्शन देते हैं । उसके एवज में न तो खम्भे उनके यहां पहुंचाते हैं और न उनकी जो लाइन है, बिजली सप्लाई की, उसको जोड़ने के लिए ठीक करते हैं । यह बात सही है कि काट दी गई है । वह जे. ईएन. और ए. ईएन. लोग हैं । उनसे कहते हैं तो वह पहले ही कहते हैं कि हमारे पास आदमी उपलब्ध नहीं हैं । 15 दिन में 30 दिन में मजबूर होकर वह कराते हैं तो वह सारा खर्चा उपभोक्ता पर पड़ता है ।

हो सकता है कि इस पर आपको फायदा होता हो । लेकिन इसमें कई बार शंकायें भी व्यक्त की गई हैं । फर्ज करो उस किसान की कोस्ट पर किसान को फायदा हो रहा है तो कोई बात नहीं लेकिन ए. ईएन. और एक्स. ईएन. खा जाते है तो कितना बड़ा घोटाला होता है ।

फ्लेट रेट के बारे में कई माननीय सदस्यों ने निवेदन किया कि जो फ्लेट रेट लगाई है, गवर्नर साहब ने भी इसके बारे में अपने अभी भाषण में संकेत किया और माननीय मुख्य मन्त्री जी ने भी आश्वासन दिया कि हम जल्दी ही फ्लेट रेट करेंगे । लेकिन इसमें कुछ शंकायें हो रही हैं कि इससे किसानों को नुकसान होने वाला है । उसका कारण यह है कि आपने घोषणा तो की है फ्लेट रेट करने की लेकिन आप क्या करने जा रहे हैं यह नहीं बताया । मेरा इस सम्बन्ध में एक सुझाव है । हो सकता है आप अपनी घोषणा को पूरी करने जा रहे हो । फ्लेट रेट के बारे में हो सकता है कि जितने हॉर्स पावर की मीटर हो उसके हिसाब से आप फिक्स करो, यह भी हो सकता है कि जितनी जमीन पिलाई जावे, उसकी गिरदावरी कराके उसके हिसाब से रेट फिक्स करो । लेकिन अपने जमीन के हिसाब से फ्लेट रेट लगा दी और पटवारियों और तहसीलदारों के जिम्मे यह काम छोड़ दिया तो एक नई दिक्कत पैदा हो जायगी । इसलिये मेरा सुझाव है कि आप जमीन की पिलाई के हिसाब से नहीं करके हार्स पावर के हिसाब से फिक्स करें अगर आप यह सोचते हैं कि वे देर तक

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

चलायेंगे तो होर्स पावर की मोटर के साथ एक पटिक्यूलर डायमीटर का पाइप जोड़ दिया जाय कि इतने हॉर्स पावर की मोटर हो तो इससे ज्यादा डायामीटर को पाइप लाइन नहीं लगाई जायगी। इस तरह से उसको पाबन्द किया जा सकता है। जहां पर पानी गहरा है, वहां पर कुओं की गहराई को देखते हुए यह किया जा सकता है। एक और निवेदन है कि फ्लेट रेट लगाने में अगर कोई चाहे तो चोइस के अनुसार मीटर भी लगा सकता है और उसके साथ जो आप एवरेज बिल पकड़ा देते हैं कि उसका भी भुगतान करो। इस प्रकार से यह एवरेज का सिस्टम समाप्त हो जायगा। मिनिमम के साथ जो रोडीग आती है वह उसी पर छोड़ देना चाहिए।

इसके साथ ही गांवों में जो ट्रांसफार्मर लगाते हैं, तीन चार कुओं पर अलग-अलग लाईनें जारी हैं। उन पर फ्यूज भी लगे हैं। अगर फ्यूज उड़ गया और लाइनमैन की मेहरबानी हो गई तो जोड़ दिया, उसकी मेहरबानी हुई तो लाइन को बन्द करके फ्यूज को जोड़ देगा। मैंने कई बार यह बात चेयरमैन साहब के नोटिस में भी लाई है और मन्त्री जी भी अगर वे कहीं गावों में गये हों तो जानते हैं, काश्तकार भी जानता है कि पानी खेतों में रात को पिलाया जाता है। रात को फ्यूज उड़ गया तो लाईनमैन का पता नहीं। इसलिए फ्यूज लगा हुआ हो तो टाइम पर चालू कर सकता है और अगर डाइरेक्ट तार जुड़ा हुआ हो तो वह भी रिस्क नहीं ले सकता है। नतीजा यह होता है कि काश्तकार और उसके परिवार के लोग रात भर इन्तजार में बैठे रहते हैं, उनके साथ मजदूर भी बैठे रहते हैं। उनकी मजदूरी, काश्तकार का समय और फसल का सभी का नुकसान होता है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस दिक्कत को भी मिटाया जावे।

मीटर रीडिंग के बारे में निवेदन है कि मीटर रीडर घर बैठे ही पूरे इलाके की रीडिंग ले लेता है। एक दफे लिख लायगा तो दो-तीन बार जाने की जरूरत नहीं है। मेरे इलाके में एक कुआ पूरी तरह से फ्लड में डूब गया था और उसके ऊपर दस-पन्द्रह फुट पानी आ गया था। उसके लिए मीटर रीडर लिखता है कि मौके पर गये और ताला बन्द पाया गया। इसका मतलब यह हुआ कि मीटर रीडर जाता ही नहीं। इसके लिए मेरा सजेशन है कि जब रीडिंग करने जावे तो कन्जूमर के हस्ताक्षर होने चाहिएं। अगर कन्जूमर को शिकायत होगी तो वह भी सतर्क रहेगा और मीटर रीडर भी पाबन्द रहेगा, इसलिए यह व्यवस्था की जानी चाहिए। एक और एग्जाम्पल में आपसे निवेदन करूं, थावला गांव में सोहनलाल ने रिपोर्ट की कि मीटर बदल दिया गया है लेकिन मीटर रीडर पुराने मीटर की रीडिंग ही लेता रहा और 1700 यूनिट की रीडिंग निकाल दी। उसने रिपोर्ट की लेकिन आज तक डेढ़ साल से उसका मसला नहीं सुलझा है और उसको यह लिखा गया कि आपका कनेक्शन क्यों नहीं काट दिया जाय उसने नया कनक्शन भी ले लिया लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है आज तक जो गलती एक मीटर रीडर ने कर दी उसको कोई ठीक करने वाला नहीं है।

इसके साथ ही मीटर के सम्बन्ध में एक और निवेदन करना चाहता हूं कि

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

एग्जिक्यूटिव इन्जीनियर और असिस्टेन्ट इन्जीनियर की नाराजगी होगई तो सील तोड़ देंगे और किसान पर जुर्माना लगा देंगे, उस पर चोरी का अपराध लगा देंगे, मीटर का पैसा और जमा कराओ। एक एग्जाम्पल मेरे पास है, मेरे क्षेत्र में एक भागीरथ के कुए पर सील तोड़ दी। ए. ईएन. और एक्स. ईएन. की नजर में लाया गया तो उल्टा उस पर थोप दिया और लिख दिया कि आपसे पांच हजार रुपये क्यों न वसूल किये जाय। यह तो मैं आपके सामने वो एग्जाम्पल दे रहा हूं जो मेरी जानकारी में है। ऐसी कई दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि मीटर बाक्स पर डबल बाक्स लगाया जाय और एक चाबी काश्तकार के पास हो। और मीटर रीडर आये, रीडिंग के बाद अगर सील टूटती है तो काश्तकार जिम्मेदार है और काश्तकार हाथ नहीं लगाता है तो आप कैसे कह सकते हैं कि काश्तकार ने सील तोड़ी। इसलिए काश्तकार पर इसकी पेनल्टी नहीं की जानी चाहिए।

इसके साथ ही यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि मीटर बदलते हैं पहले तो बदलते नहीं और बदलते हैं तो उनको खोलकर रख देंगे।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

उसको टैस्ट नहीं करेंगे और दूसरे काश्तकार बदलवाने आयेंगे तो उनको दे देंगे। ऐसे भी कई मामले सामने आये हैं उससे किसानों की परेशानी बढ़ती है क्या आपके पास कोई ऐसी सूचना है कि कितने मीटर बदले गये इसकी कोई लिस्ट आपके पास है और कितने टैस्ट कराकर भेज दिये? अगर आपके पास आंकड़े हैं तो माना जा सकता है। मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जितने ऐसे मस्टर्स उन्होंने बदले हैं, अपने यहां रख लेते हैं और मीटर कम होने के कारण किसी दूसरे को चेंप देते हैं और किसानों को परेशान करते हैं। डी. पी. ए. पी. के अन्तर्गत भी आपने कुछ गांवों का विद्युतीकरण किया है। बड़ी मेहरबानी हुई। एक शेखावत है, अपने को मुख्य मंत्री के भाई से कम नहीं समझता। 30 खम्भे गाड़े हुए उसमें से 10-12 रह गए। खंभे गाड़ने के बाद न जाने विभाग को क्या लिखकर भेजा कि उन गांवों में पानी होते हुए भी, कुएं होते हुए भी, यह जाहिर किया कि यहां पर गुंजाइश नहीं है और खम्भे व तार जो डाले हुए थे उठाकर ले गए। इस तरह कोई व्यक्ति इस इलाके का बड़ा नुकसान करता है तो बरदाश्त नहीं किया जा सकता डी. पी० ए० पी० के अन्तर्गत, क्योंकि सारा कार्य आपके अन्तर्गत होता है इस प्रकार जो बंगलिंग होता है, कोई आदमी स्वार्थ के कारण स्कीम को फेल कर लेता है....

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : कौन सा गांव है?

श्री राम रघुनाथ चौधरी : नागौर जिले में डी० पी० ए० पी० का काम, एक ही व्यक्ति है, डेगाना तहसील में, श्री गोकुलसिंह शेखावत चांदनी चवस। तीन गांवों में उसने बिजली दी रसवा बस चलता तो शायद नहीं देता। एक गांव जो केवल 50 फीट पर है उसको नहीं दिया। उसको बिजली न लगाने का कारण समझ में नहीं आता जबकि वहां कुएं हैं। तीन गांव में बिजली लगी उसके बाद आदेश निकाल

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

दिया किसी कुंए को कनेक्शन नहीं दिया जाए। क्यों? आपको रिटर्न नहीं चाहिये, क्या आपका बोर्ड इतना लखपति है कि आपको रिटर्न नहीं चाहिये? आप बतायें कि आपने ट्रान्सफार्मर लगाए तीन गांवों में, आगे कनेक्शन क्यों नहीं दिए?

आपने जितनी योजनायें बनाई हैं और गांवों का विद्युतीकरण किया जब 10 गांवों को इलेक्ट्रिफाई कर रहे हैं तो बीच का एक गांव कैसे छूट जाता है? फर्ज कीजिए गलती रह गई लेकिन एक बार जब 10 गांवों को इलेक्ट्रिफाई किया है और उसको पता लगे कि एक गांव छूट गया तो फौरन इलेक्ट्रिफाई करना चाहिये। मेरे क्षेत्र में चारों तरफ से 13 गांव इलेक्ट्रिफाई हो चुके हैं और किसी न किसी कोने से लाइन निकली हुई है; कई साल से तड़फ रहे हैं....

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : कितने साल पहले की बात है?

श्री राम रघुनाथ चौधरी : 4 साल हो गए। इसके साथ दूसरी स्थिति है। जहां से 11 के वी. लाइन निकल चुकी है उसके बाद मे बोर्ड को इतना खर्च नहीं करना पड़ता है। अगर उसी जिले में और गांवों को इलेक्ट्रिफाई कर रहे है तो जिन गांवों में 11 के.वी. है और कुएं है वहां प्राथमिकता के आधार पर विद्युतीकरण होना चाहिए। मैंने चेयरमैन को पत्र लिखा था, मुझे आशा है इस पर गौर किया जाएगा। लेकिन आपका जो प्रतिवेदन प्रस्तुत हुआ उसमें कुछ नहीं लिखा। मैं आशा करता था कि इतना जरूर करेंगे कि जिनके चारों तरफ....

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : 150 लाख रुपये उन्हीं के लिए है

श्री राम रघुनाथ चौधरी : आपने कहां लिखा कि उनको प्राथमिकता दी जाएगी?

श्री श्योपतसिंह मकासर : आपने कहा कि जो एक किलोमीटर की परिया में रह गए।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : वह अलग है, पढ़िए।

श्री राम रघुनाथ चौधरी : मंत्री महोदय ने मेरी बात को सुना होगा और माथुर-साहब व डागा साहब की बातों को भी सुना होगा। वैसे बोर्ड के चेयरमेन अनुभवी हैं, टेक्नीकल व्यक्ति हैं, उनका लाभ राज्य सरकार नहीं पा सके तो दुर्भाग्य की बात है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आपके कितने कनेक्शन्स हैं?

श्री राम रघुनाथ चौधरी : 20 प्रतिशत भी नहीं हैं।

श्री जेठमल बरवड़ (परबतसर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में पिछली सरकार ने काफी गांवों में बिजली लगाई है और क्योंकि नागौर जिले में एक तहसील है जहां पानी जमीन में काफी है। क्योंकि जिस इलाके का पहाड़ी क्षेत्र है और वहां काफी बांध बने हुए हैं, इससे पानी पहुंचता है उससे काफी लोग किसान कुएं खोद रहे हैं लेकिन अभी जैसे राम रघुनाथ जी ने बताया हमारे यहां कुछ गांव ऐसे हैं जिनसे 11 केवी लाईन गई है और एक गांव इलेक्ट्रीफाई नहीं हो सका, चारों ओर रोशनी है लेकिन उन गांवों में अंधेरा है। उन गांवों को इलेक्ट्रीफाई किया जाए।

(श्री जेठमल बरबड़)

इस साल जिन किसानों ने कनेक्शन्स के लिए प्रार्थना पत्र दिए हैं उन लोगों को अगर इसी समय कनेक्शन्स मिल जांय तो अगली रबी की फसल से वे फायदा उठा सकेंगे।

तीसरे, परबतसर तहसील में आर, ई, सी. स्कीम ए. ईएन का आॅफिस है। वहां 6 महीने पहले की बात बताना चाहता हूं। वहां किसान यूनियन की मीटिंग हुई, किसान नेता कुंभाराम पहुंचे और किसानों ने बिजली के बारे में उनसे शिकायतें की जिस पर मीटीग समाप्त होने के बाद किसानों ने जाकर ए० ईएन का घेराव किया और कहा कि हर कनेक्शन पर तुम पैसे लेते हो। घेराव के बाद यहां तक कहा कि हम तुमको तब छोड़ेंगे जब मुंह में गू नहीं लोगे। आखिर उसके मुंह में गू का तिनका दिया तब उसको छोड़ा और कहा आइन्दा मैं पैसे नहीं लूंगा। मगर उस आदमी का 6 महीने में कुछ नहीं कर पाए।

हमारे मकराना में आप जानते है कि मार्बल की फैक्ट्रीज है और उनके अन्दर वोल्टेज कम होने से मशीनें बन्द हो जाती हैं और बन्द हो जानेके बाद वापस चलना मुश्किल हो जाता है और वहां के मजदूरों को परेशानी होती है इसलिए बिजली के बार-बार जाने से उद्योग को भारी नुकसान पहुंचता है।

रिवाइज्ड स्कीम आर० ई० सी० की ओर बनने जा रही है वह बोर्ड द्वारा आर० ई० सी० को भेजी गई है, मुझे ऐसी जानकारी मिली है इसलिए जो गांव रह गए हैं, काफी अच्छे गांव रह गए हैं मेरे नागौर जिले में ऐसे भी गांव हैं जहां गन्ना पैदा होता है उनको इलेक्ट्रिफाई नहीं किया गया। रघुनाथपुरा हैं, उसके लिए रिवाइज्ड स्कीम बनी है।

मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर जल्दी से जल्दी वह गांव सेंक्शन कर दें तो किसानों का भला हो जायगा और उत्पादन भी देश का बढ़ सके। इसलिए मैं आशा करता हुं कि मैंने जो सुझाव दिये हैं उनकी ओर ध्यान देंगे।

एक बात और कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा। आजकल जो भ्रष्टाचार हो रहा है वह ए० ई एन० सीधे पैसा नहीं लेता है। कहीं से भी आप जांच करालें, चाहे आप सी० आई० डी० भेजकर जांच करा लें ए० ई एन० कभी पैसा नहीं लेता और चाहे एन्टीकरप्शन में शिकायत करो तो भी नहीं पकड़ा जायगा मोटर वाले ठेकेदारों से सीधी बात होती है। मोटर वाले का पैसा भी बंधा हुआ होता है और ए० ई एन० का भी पैसा बंधा हुआ होता है और तब जाकर कनेक्शन मोटर वाले के मार्फत मिलता है। वही ठेकेदार वहां कामयाब हो सकता है जो कि मोटर के साथ कनेक्शन दिलवाता है। अगर कोई दूसरा आदमी वहां बिजली की दुकान खोल ले तो उसकी मोटर नहीं बिकेगी। ए० ई एन० उसके अ पैसा लेता है। मैंने कई किसानों को कहा कि एन्टीकरप्शन में जाओ और शिकायत करो। तो वह कहते हैं कि यह ठेकेदार पैसे लेते हैं और ए० ईएन० नहीं लेता। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा यह बात कहना चाहता हूं

(श्री जेठमल बरवड़)

कि अगर सी० आई० डी० भी इसकी जांच करे तो राजस्थान में जितने भी मोटर वाले ठेकेदार हैं इनके द्वारा ही सौदा बैठता है। हमारे माननीय सदस्यों ने कहा जो चेयरमेन बनाये गये हैं वह बहुत ईमानदार हैं। इसमें दो राय नहीं लेकिन नीचे सारे का सारा अमला खराब भरा पड़ा है। आपने ईमानदार आदमी को कहां लाकर बैठा दिया? उनकी फिर बदनामी होगी।

एक बात और कहना चाहता हूं *कि बिजली वालों से किसान नहीं लड़* सकता। किसान सबसे लड़ सकता है, आन्दोलन कर सकता है लेकिन बिजली वालों से लड़ नहीं सकता। अगर बिजली वालों से वह लड़ाई मोल ले ले तो उसको कनेक्शन नहीं दें, लाईट नहीं दें, मीटर की सील तोड़ दें। इसलिए किसान काफी परेशान है। अब तो आप इन हालात को सुधारें आप जवान हैं, जोशीले हैं और आप किसानों का कल्याण करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री खंगार सिंह।

श्री खंगारसिंह (खारची) : उपाध्यक्ष महोदय, आज इस बिजली के बजट के विषय में मेरे से पहले कई माननीय सदस्यों ने कई अच्छे सुझाव दिये परन्तु वह सुझाव सिर्फ कागजी पुलन्दों के अन्दर ही रहेंगे, इनके ऊपर जो कार्यवाही होनी चाहिये वह नहीं होगी। इसका कारण है कि हम यहां आकर बोलते हैं, बोलना हमारे हाथ है लेकिन बरसना इन्द्र के हाथ है। क्योंकि हम यहां आते हैं, बैठते हैं, बोलते हैं लेकिन इसके ऊपर कोई कार्य सुचारू रूप से जो होना चाहिए वह नहीं होता है।

इसके अलावा हमारी खारची तहसील में 1 लाख 40 हजार हैक्टर जमीन है और 4800 कुएं हैं और मीठा एरिया है। वहां आर० ई० सी० की स्कीम को मार्च के अन्दर तीन साल हो जायेंगे वह खतम हो जायेगी 180 कुओं पर कनेक्शन दिये हैं। पहले यहां किसी माननीय सदस्य ने कहा था कि पाली जिले में 60 प्रतिशत इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है, यह घोषणा गलत है। सिर्फ 4800 में से 180 कुओं का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है। मैं कुओं की नहीं मानता-96 गांव इलेक्ट्रिफाइड होने हैं वह मार्च तक पूरे किये जाएंगे लेकिन अभी 50 गांव भी पूरे नहीं हुए। सिर्फ एक दीया भी गांव में नहीं लग रहा है। दूसरा कारण यह भी है कि मंत्री महोदय, जब अभी थोड़े दिन पहले कन्डालिया गांव में बैंक का उद्घाटन करने पधारे थे तो जो स्टेज बनाया गया था वहां जरूर पंखा लगाया गया था। यह तो करना ही था क्योंकि उनको वहां पधारना था और वहां पंखा लगना बहुत जरूरी था। इसके अलावा बिजली विभाग वाले बताते हैं कि हमारे विभाग के अन्दर 27 पर्सेन्ट बिजली की चोरी होती है। वह चोरी कौन करते हैं? चोरी वह करते हैं जो कि बड़े-बड़े पूंजीपति हैं, उद्योगपति हैं, फैक्ट्री वाले हैं, वह चोरी करते हैं। इसका भार कौन वहन करता है? काश्तकार। उस पर एक्सट्रा बिल बना कर भेजे जाते हैं। एक-एक काश्तकार का पांच पांच और छ-छः हजार का बिल बनाकर दिया जाता है। यह हालत है, काश्तकार की। अगर वह जमीन भी बेच दे तो भी पूरा नहीं होता है। जो फैक्ट्री वाले हैं उनको बिजली दिन में दी जाती है और काश्तकारों को रात को दी जाती है। क्योंकि पूंजीपति की मालिक सरकार है और

(श्री खंगारसिंह)

काश्तकारों का मालिक ईश्वर है, इसलिए उसको रात को ही बिजली दी जाती है....

श्री इयोपतसिंह मकासर : ईश्वर कमजोर है।

श्री खंगारसिंह : ईश्वर कमजोर ही है। हमारे अन्दर जो ईश्वर था उसके आधार पर तो सरकार बना दी। ईश्वर को तो हमने इनको सौंप दिया है। हमारे अन्दर तो ईश्वर पांच साल बाद आयेगा।

जब कनेक्शन गांवों में दिया जाता है और जब लाइन खींची जाती है तो खम्भे डालने, खम्भों को रोपने और वायर को खींचने और लोहे का काम है वह करवाने यानि सबका खर्चा पूरा काश्तकार देता है और उसका बिल गवर्नमेंट से उठता है। ए० ई एन० उसका बिल बनाता है वह न तो काश्तकार के घर में पैसा रहता है और न सरकार के खजाने में ही जाता है। वह यों का यों ऊपर का ऊपर ही उड़ाया जाता है। अभी जैतपुरा के अन्दर तीन-चार गांव ऐसे थे कि जनवरी फरवरी में कनेक्शन देने थे। ए० ईएन० आया और उसने एस्टीमेट बनाया। 11 के० वी० की लाईन खींचने के लिए काश्तकार ने खम्भे डलवाये। जिस पर एक गांव का खर्चा सामूहिक रूप से 3 हजार रुपया आया। उन्होंने मेरे पास रिपोर्ट की लेकिन अभी तक उस गांव में एक भी कनेक्शन नहीं हुआ। क्योंकि उन्होंने कह दिया कि हमारा खर्चा गांव का 3 हजार रुपया हुआ है। मैंने यहां मंत्री जी को भी लिखकर दिया, लेकिन पता नहीं कार्यवाही हुई या नहीं। आपके पास नहीं पड़े होंगे। रबी की फसल जा रही है लेकिन एक भी कनेक्शन गांव में नहीं दिया। कितना अन्याय है। उनका फरवरी में 3 हजार रुपया खर्च हुआ और खम्भे डाले, खिचवाये और पूरा काम किया लेकिन एक भी कनेक्शन आज तक नहीं दिया। यही की यही हालत सब जगह है। एक गांव में पांच, छः कनेक्शन देने थे। फार्म 10 ही थे। 5 आदमियों ने ही पैसा दिया तो उनके कनेक्शन 30 तारीख को दिए गए। बाकी पांच कनेक्शन के लिए मैंने 4 तारीख को पूछा तो इन्जीनियर साहब ने कहा कि मैं सोमवार को दे दूंगा। मैंने कहा कि मैं फिर जयपुर चला जाऊंगा। लेकिन आज तक के समाचार हैं कि आज तक कनेक्शन नहीं दिये। इस ओर वे गौर करें, विचार करें और कुछ गांव तिजारा तहसील के इन स्कीम्स में ले लिये जावें। तिजारा तहसील में बिजली की लाइन है, छोटी-बड़ी दोनों लाइनें हैं। लेकिन बिजली तारों के द्वारा ऊपर-ऊपर से जाती है, माननीय मन्त्री जी, मेहरबानी फरमा कर आप उस बिजली को नीचे लावें और खेतों तक, कुओं तक पहुंचाएं। मेहरबानी होगी।

मैं आर. एस. ई. बी. के अधिकारियों और कर्मचारियों के बारे में कुछ भी नहीं कहते हुए इतना जरूर कहूंगा कि जितनी बिजली की कमी, करण्ट की कमी तारों में आ रही है, बिजली में आ रही है उससे कहीं ज्यादा विद्युत मण्डल के छोटे से छोटे कर्मचारियों में अधिक से अधिक करण्ट है और जितने उच्च अधिकारी हैं उनमें शराफत है उनके बारे में इतना ही कहूंगा और माननीय मंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके अन्दर ज्यादा से ज्यादा सुधार लाया जावे।

श्री रतनलाल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय वर्माजी, आप बोल चुके हैं।

श्री रतनलाल वर्मा : मैं बोल नहीं रहा हूं। बहुत बड़ी गलती रह गई है, मेरे अजमेर जिले में 976 गांव हैं और आपकी जो यह रिपोर्ट है इसमें 962 गांव बताए हैं तो यह 14 गांव कौन से छूट गए हैं? किन गांवों का भाग्य अधर में रहेगा?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : वीरान गांव हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोपालसिंह आहौर!

श्री गोपालसिंह (आहौर) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि मेरे क्षेत्र को आर. ई. सी. स्कीम में लिया गया है। इसके बाद में मैं यह भी चाहूंगा सरकार से और एक और धन्यवाद देते हुए आपको कहता हूं कि यह आर. ई. सी. की स्कीम में जिस शिथिलता से काम हो रहा है उस शिथिलता को खत्म किया जाय। शिथिलता क्यों है इसके दो कारण हैं। एक तो ट्रांसपोर्टेशन की कोई सुविधा नहीं है हमारे क्षेत्र में। एक तो ट्रक नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए और इस तरीके से जो मेटेरियल की कमी है और ट्रांसपोर्टेशन का इन्तजाम हो जावे तो जो मेटेरियल की कमी है उसका इन्तजाम हो जावे तो मेरे ख्याल से दूसरा धन्यवाद अगले सत्र में शायद मैं और भी दूंगा।

जालोर में आर. ई. सी. स्कीम शायद लागू होने वाली है और ओ. एण्ड एम. का जो ए. ई. एन. सिरोही और जालोर में है, यह अच्छी बात है कि जालोर पंचायत समिति के लोगों को अपना कार्य कराने के लिए ए. ईएन. सिरोही को जाना पड़ता है और आर. ई सी. का वहां पर ए. ईएन. बैठेगा। होना यह चाहिए कि हमारे यहां पर दो सब-डिविजन हैं। इनमें करीब पांच आर. ई. सी. स्कीम्स हैं। भ्रष्टाचार तो इतना बढ़ गया है कि जिसकी चरम सीमा है। पहले पुलिस विभाग चरम सीमा पर था और अब हो गया है इलेक्ट्रिसिटी विभाग। इसके अन्दर शिकायत भी नहीं कर सकते क्योंकि शिकायत करें तो फ्यूज होने पर तार बांधने नहीं आते। कई तरह की डिफिकल्टीज हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसलिए हमारे खारची तहसील की जो मौजूदा हालत है, एक हजार फाईलें तो घरों की पेंडिंग हैं, एक हजार फाइलें बेरों की जमा है और सौ फाइलें इंडस्ट्री की जमा है जिनको अभी तक कनेक्शन नहीं दिया गया है। यह भी आपको विचार करना है कि इससे कितना नुकसान है। लेकिन यह तो नफा नुकसान का विचार नहीं है। थोड़ा बहुत हो जाता है वह ईश्वर की देन से हो जाता है, नहीं तो बैठे रहो। यह हमारे एरिया की हालत है। 71 से लगातार रेगूलर स्कीम के अन्दर 14 गांवों को नोटिस दिया गया था कि हमारे पास पॉवर नहीं है इसलिए आपके फार्म रिजेक्ट किये जाते हैं। जो फार्म उस वक्त रिजेक्ट किये गये थे उनका अभी तक इन्तजाम नहीं हुआ है। 71 तक तो जो कुछ भी कनेक्शन होने थे, हुए। उसके बाद आज तक कनेक्शन नहीं दिया गया है। घरोड़ा के अन्दर 71 फार्म डिमाण्ड के जमा हो चुके हैं लेकिन कनेक्शन आज तक नहीं दिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अयूब खां!

श्री अयूब खां (तिजारा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बिजली की ऐसी समस्या है कि जिसको लेना भी समस्या है और न लेना भी समस्या है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में इतना ही निवेदन करूंगा कि अगर कोटा में इसका पर्याप्त कोटा हो तो उसका कुछ हिस्सा हमारी तरफ भी दिया जावे। मैंने इसी सदन में एक प्रश्न संख्या 221 पूछा था जिसका जवाब दिया गया कि 1963 से लेकर 75 तक तो मेरे तिजारा क्षेत्र के 71 गांवों का विद्युतीकरण हुआ लेकिन 75 से लेकर 78 तक इन तीन सालों में एक भी गांव का विद्युतीकरण नहीं हो पाया। यह मेरी शिकायत है और मुझे यह शिकायत जो इस समय विद्युत् मंत्री है उन से ही नहीं वल्कि श्री सम्पतराम जी से भी है क्योंकि उनके क्षेत्र में जो कि मेरे क्षेत्र से जुड़ा हुआ है वहां पर 65 गांवों का विद्युतीकरण हुआ है लेकिन मेरे क्षेत्र के एक भी गांव का विद्युतीकरण नहीं हुआ है। पास में हरियाणा पड़ता है। हरियाणा के हर गांव में बिजली है। यह देखते हुए हमें यह महसूस होता है कि हमारे जब पड़ौसियों के हर गांव में बिजली है तो हमारे यहां भी होनी चाहिए। 78-79 में जिला अलवर के 121 गांवों के विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है, इसमें भी माननीय मंत्री जी ने मेरे क्षेत्र में एक भी गांव रखने का कोई इरादा नहीं फरमाया है। मैं माननीय मंत्रीजी से दरख्वास्त करता हूं कि जालौर की स्कीम पहले से है और चार स्कीमें आज भी चालू हैं। इन चार स्कीमों के शुरू होने पर और ओ. एण्ड एम. की चार स्कीमें हैं, इसलिये जो दो ए. ईएन. होते हैं उनके हैड क्वार्टर अगर भीनमाल और जालौर में हो जाते हैं तो जो हमें सिरोही से आना जाना पड़ता है, हर कार्य के लिए वहां भाग दौड़ करनी पड़ती है, वह नहीं करनी पड़ेगी और उस हालत में एक ही एक्स. ईएन. दोनों को देख पाएगा।

एवरेज बिल्स के बारे में काफी समय से मामले पेंडिंग पड़े हैं। मेरे इलाके में काफी अर्से से पेंडिंग हैं और एवरेज बिल्स से कनेक्शन काटे गए हैं। उन्होंने अपने कुछ नए कनेक्शन लिए हैं और अभी भी उनके खिलाफ में आउटस्टेंडिंग बिल्स एवरेज बिल्स के पड़े हुए हैं। ये मामले जल्दी से जल्दी निपटा दिए जाएंगे तो किसानों को राहत मिलेगी। उसके बाद में जो सुझाव माननीय विधायकों ने दिए हैं, फ्लेट रेट जल्दी लागू की जावे और अगर लागू कर दें तो यह आप्शन भी रखा जावे कि उनको अगर फ्लेट रेट ठीक तरह से महसूस नहीं हो तो वह अभी भी मीटर से अपने चार्जेज दे सकें।

बिल पेमेंट के लिए हर किसान को जे. ईएन. हेड क्वार्टर पर जाना पड़ता है। मेरा सजेशन है कि जिन गांवों में फुल फ्लेज्ड पोस्ट आफिस हों, चाहे ग्रामीण बैंक या किसी तरह का बैंक हों, कम से कम उस क्षेत्र के आस पास के गांवों को उनके साथ कर दें। उनको पैसे जमा कराने के लिए जे. ईएन. के आफिस में करीब बीस तीस माईल के डिस्टेंन्स में जो जाना है, वह नहीं जाना पड़ेगा। वह पोस्ट आफिस या बैंक से कर दें तो उनको यह सुविधा प्राप्त हो जावेगी।

एग्रीकल्चर को भी मैं इन्डस्ट्री मानता हूं और जिस तरह से इन्डस्ट्री में आप कम रेट पर बिजली देते हैं अगर वही एग्रीकल्चर को दें तो उसमें किसानों को

(श्री मयूब खां)

कास्ट म्राफ प्रोडक्शन घट जाने से ज्यादा फायदा होगा और उनकी माली हालत सुधरेगी।

आजकल मीटर के साथ एस्टेबलाईजर लगाने का प्रोवीजन हुम्रा है। किसानों को यह सजेशन दिया गया है कि वह लोग अपनी तरफ से एस्टेबलाईजर लगावें जिससे फ्लक्चुएशन को कन्ट्रोल कर सकें, मोटरें नहीं जलें। जो एस्टेबलाईजर है वो सात सो या हजार रुपये में म्राता है। तो मैं चाहूंगा कि यह भी काफी बड़ा वजन पड़ जाता है कल्टीवेटर्स पर। इसलिए जिस तरह से गवर्नमेंट मीटर देकर रेंट वसूल करती है, उसी तरह से एस्टबलाईजर गवर्नमेन्ट दे तो उसका रेन्ट देने को तैयार हैं। बिजली की कमी को दूर करने, विद्युतीकरण करने में पूरी जागरुकता से काम कर रहे हैं, इसके लिये धन्यवाद दे चुका हूं। इसके साथ-साथ एक सुझाव दूंगा जैसे कोटा में 4-5 नदियां 12 महीनों बहने वाली हैं वहां अगर टरबाईन लगाये जा सकें तो लो-वाल्टेज की ट्रिपिंग होती है, वह नहीं होगी हमारे इलाके में विद्युत की जो तकलीफ हैं वह यह कि देबारी से होती हुई और दूसरी लाइन जालोर होती हुई म्राहोर पहुंचती है जो कमी करण्ट के कारण जहां सो प्रतिशत लोड मिलना चाहिये वहां 20 प्रतिशत दिया जा रहा है और 80 प्रतिशत लोड कटवाया जा रहा है। तो इस समय जो बुवाई का समय है अगर 40 प्रतिशत कम करके 60 प्रतिशत को दे दिया जाय तो ठीक रहेगा। नहीं तो वह किसानों के लिये नुकसानदायक होगा। धन्यवाद।

श्री रामेश्वर यादव (चौमूं): एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, उपाध्यक्ष महोदय, जो पहले किसी माननीय सदस्य ने नहीं बताया, वह यह कि किसानों से 3 रुपये मीटर का किराया लेते हैं और जब वह खराब होता है तो 200) रु० की कोस्ट चार्ज करते हैं। तो विद्युत मंत्री जी से पूछना चाहूंगा म्रार. एस. ई. बी. को वह मीटर कितने का पड़ता है। तीन रेट है उसकी 146, 168 और 172 लेकिन किसानों से चार्ज करते हैं 200)।

एक माननीय सदस्य : 265) रुपये।

एक माननीय सदस्य : नीम-का-थाना में 265 और 275 रुपये दो साल से तय कर रखे हैं तो क्या वहां से जयपुर म्राने का किराया 200) रु० हो जाता है? तो यह स्पष्ट करें कि मीटर खरीदते हैं वह कितनी रेट का होता है और यह जो 75 रुपये का डिफरेन्स है वह क्या जस्टिफाइड है। जब मीटर की कास्ट लेते हैं तो मीटर किसान को देना चाहिये

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय मन्त्री जी, एक आपने यह छलांग लगाने के लिये कहा था यह जो बीकानेर डिवीजन में 3 जिलों में दो गांवों को इलेक्ट्रिफाईड किया इसके लिये मैं चाहता हूं क्या कोई विशेष नियम बनाये हैं ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी: आदरणीय उपाध्यक्ष जी, मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं, सारे माननीय सदस्यों को, जिन्होंने म्रार. एस. ई. बी. की गतिविधियों को ठीक चलाने के सुझाव दिये। ये जो अमूल्य सुझाव आये इसके सारे मिनिट्स लेकर प्रत्येक पर विचार करेंगे और उन पर निर्णय लेंगे इसका म्राप विश्वास करें।

श्री श्योपत सिंह मकासर : लाइट के लिए-बैठे हैं अंधेरे में ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आर. एस. ई. बी. ने कई टार्गेट तय किये हैं इस बार । 25000 कुएं और 1800 ग्रामोण बस्तियों को कनेक्शन देने का टार्गेट रखा है । कई माननीय सदस्यों ने पांच महीनों की गतिविधि का दृश्य बता कर कहा जैसे हनुमानगढ़ से आने वाले विधायक महोदय ने कहा कि केवल दो ग्रामीण बस्तियां विद्युतीकृत हुई, अब क्या होगा ? मैं विलंब के बारे में कहना चाहता हूं कि पहले पांच महीनों में कुछ तो बरसात का समय रहा, कुछ पहले थोड़े से आन्दोलन चलते रहे । इस दृष्टि से थोड़ी सी लेट हुई । पहले 6 महीने प्रारंभ में आन्दोलन चला था, हिन्दाल्को एल्यूमिनियम की फैक्ट्री बन्द रही इस कारण कंडक्टर्स वगैरह जितने हम चाहते थे, नहीं मिल सके । इसके बावजूद भी मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, सदन को कि जो लक्ष्य हमने निर्धारित किये हैं उनको पूरा करने के लिए हम प्रयत्न करेंगे । वर्ष के अन्त तक आपको लगेगा कि टार्गेट्स पूरे कर लिये गये हैं ।

श्री श्योपत सिंह मकासर : वह तो वैसे ही हो जाते हैं ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : वैसे तो माननीय, उपाध्यक्ष महोदय, 25 हजार कुओं को इस वर्ष कनेक्शन देने का टार्जेट अपेक्षाकृत पिछले सालों के एक लाख दस हजार कुओं से काफी अधिक हैं । मुझे लगता नहीं कि सारे निर्णय लेने के पश्चात् भी अगर छलांग नहीं लगी तो उसका दुख: उनको होगा । अगर हो तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिजली देने की दृष्टि से कुछ प्राथमिकताएं हमने तय की हैं । राजस्थान के पश्चिमी जिलों में जहां गांव बहुत दूर-दूर हैं वहां अगर बिजली पहुंचानी है तो उसकी कोई दूसरी प्रक्रिया अपनानी होगी । जहां पीने के पानी के नलकूप हैं उनके लिये जल-प्रदाय विभाग से चर्चा की है कुछ खर्च हम बर्दाश्त करें, कुछ वे बर्दाश्त करें । इस प्रकार इनको प्रथम प्राथमिकता देना तय किया है । दूसरी प्राथमिकता हरिजन बस्तियों में बिजली देने की है । उसके लिये माननीय सदस्यों ने चर्चा के दौरान कई प्रकार की शंकाएं प्रकट की हैं । ऐसे क्षेत्र और ऐसी हरिजन बस्ती, जहां के बहुत समय से प्रार्थना पत्र पड़े हैं, में विद्युत् देना हमारे लिये नियमों के द्वारा संभव नहीं है ।

उसी प्रकार से नगरपालिका क्षेत्र के बारे में जैसा कि जोधपुर से आने वाले माननीय विधायक महोदय कह रहे थे, मैं उनकी जानकारी करूंगा । नगरपालिका हमको रिक्वीजिशन देगी तो उसका एस्टीमेट बनाकर हम नगरपालिका को देंगे, और देने के पश्चात् शहर के पास उन गांवों को, जो सिंचित होंगे, निश्चित रूप से बिजली पहुंचाने की कोशिश करेंगे । लेकिन शहर में नगरपालिका के सर्टिफिकेट के द्वारा देंगे । मैं चिन्ता करूंगा, एम. पी. चिन्ता करेंगे, माननीय विधायक महोदय, जो उस क्षेत्र के हैं....

श्री माधोसिंह कछवाह : सर्टिफिकेट दिला देंगे ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : धन्यवाद।

दूसरी प्राथमिकता गांवों में बिजली देने की है, यह बात सोचते हैं जिसकी चर्चा बहुत से माननीय सदस्यों ने की कि नवम्बर के अन्त तक अधिकतर बिजली मिल जाय तो इससे फायदा भी हो सकता है। लेकिन हमने जो टार्गेट तय किये हैं वह नवम्बर तक पूरे नहीं कर सकते हैं। मार्च तक हमने निश्चय किया है, जैसा कि प्रारम्भिक भाषण में कहा था, हमने यह तय किया है उस पीरियड में लेने वालों से मिनिमम चार्जेज नहीं लेंगे। हमने टार्गेट तय किये हैं। पिछली परम्परा की भूमिका में, कन्डक्टर की कमी की भूमिका में, बरसात के मौसम के कारण टार्गेट फिक्स किये हैं, कुओं में बिजली देने के। उसी प्रकार से बीच से कई माननीय सदस्यों ने, केशोरायपाटन से पधारे हुए, बून्दी से पधारे हुए माननीय विधायक महोदय ने तालेड़ा पंचायत समिति की चर्चा की। वह सिंचित क्षेत्र हैं नहर वहां जाती है और नहर का पानी पिलाया जाता है इसलिए प्राथमिकता उनकी ऐसे नहीं आती है। प्राथमिकता में वह स्थान आते हैं जहां कुएं हैं जिन पर पम्प लगाये जा सकते हैं पानी निकाला जा सकता है, धरती की प्यास बुझाई जा सकती है और अन्न की अधिक उपज ली जा सकती है इसलिए 25000 कुओं का टार्गेट तय किया है।

रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कार्पोरेशन सेंटर का है। सेन्टर ने उसके नियम बना रखे हैं। हम उनसे निवेदन अवश्य कर सकते हैं। हनुमानगढ़ से पधारे हुए माननीय सदस्य ने इसकी चर्चा की। उनसे अत्यन्त विनम्र शब्दों में कहना चाहता हूं कि यह केन्द्र का विषय है। हम निवेदन करना चाहते हैं लेकिन वाटर पोटेन्शियल, ज्यूलोजिकल कन्डीशन्स के नाते से सोचिये। यह बातें आवश्यक हैं, रिटर्न भी आवश्यक हैं, आंकड़ों में उलझना पड़ता है। 18 परसेन्ट वाली बात कहना चाहता हूं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : खास तौर से गावों को लिया जाना चाहिए।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : 18 परसेन्ट की चर्चा विधायक महोदय ने की। यह बड़ा आवश्यक है। कच्ची बस्तियों के बारे में कहा गया तो जिन बस्तियों के बारे में प्राथमिकता के रूप में निर्णय लिया है एक बात अवश्य कर सकता हूं कि आर. एस. ई. बी. पर दूसरा दबाव नहीं पड़ सके।

उसके बाद प्राथमिकता के आधार पर कुओं की बिजली की दर के बारे में कहा गया। अध्यक्ष महोदय, मैंने जांच की है, उनकी दरें और स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज की दरें बहुत अलग-अलग नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्टीकरण करना चाहता हूं, मैं मानता हूं और राजस्थान सरकार भी मानती है कि खेती का काम भी एक इन्डस्ट्री है उस रूप में किसान का काम इन्डस्ट्री के रूप में है. लेकिन स्माल स्केल इन्डस्ट्री के रूप में हैं। आज दूसरे जो छोटे उद्योग चल रहे हैं जो लो वाल्टेज लेते हैं स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज वाले उनका जो रेम्यूनरेशन है उसमें और जो कुए का है, उसमें कोई अन्तर नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि लो वोल्टेज की जो लाइन चल रही है उस पर 28 पैसे प्रति यूनिट और 5 पैसे की रिबेट इस तरह से 23 पैसे लिये जा रहे हैं और कुओं की जैसा कि मैंने कहा जो व्यवस्था

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

आज हैं वह उसी के नजदीक है, किन्तु 50 हजार यूनिट्स का जो कोई लेता है, वह लमसम देता है तो फायदा उतना ही मानते है इसलिये दो पैसे घटाकर 20 पैसा प्रति यूनिट लेते हैं। जो एक लाख यूनिट्स लेता है, इतना बडा कस्टमर देता हैं उसके लिये 18 पैसा प्रति यूनिट है और 1,50,000 यूनिट स लेता हैं तो 16 पैसे, 2 लाख से 14 पैसे के हिसाब से लो वोल्टेज लाइन का लेते है। हाई वोल्टेज का नहीं लेते हैं। उसमें सब-स्टेशन का खर्चा नहीं आता है। वह जायज खर्चा है, आज जनरेशन आफ पावर तैयार है तो खर्चा बराबर आता है। मैं विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि आपको थोड़ा विचार करना पड़ेगा।

सभी माननीय सदस्यों ने इस तरह की चर्चा की है। आर.एस.ई.बी. द्वारा अन्तर होता गया तो पिछली पोजीशन काल करनी पड़ेगी। यह मैं सोचता हूं कि पिछली पोजीशन से मुकाबला करने में अन्तर बहुत कम है, इस तरह की चीज है। उसमें जहां पैसे को देखते हैं तो उसके रेशों का ताल-मेल करके इस प्रकार की बातचीत की गई है। इतने पैसे लेते हैं इस कारण से रिबेट देने का उद्देश्य आया हुआ है, माननीय उपाध्यक्ष।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मुकाबला भी बिरला और हरिजन का मुकाबला।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अब मैं वितरण की दृष्टि से बात करता हूं। इसमें इम्बेलेंसेज को भी हमने ठीक किया है। कई माननीय सदस्यों ने इसकी चर्चा की है। पिछले सालों में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां एक भी गाव का विद्युतीकरण नहीं हुआ है। मैं कहना चाहता हूं कि दोगोद से पधारे हुए माननीय सदस्य ने कहा कि उनकी कान्स्टीट्यूएन्सी में 425 गांव हैं, जहां पानी है, धान और गेहूं के खेत हैं वहां पर एक गांव में बिजली पहुंची है, 25-25 मील में खेत वहां पर फैले हुए रहते हैं। दूसरे एक माननीय विधायक जो आज आए नहीं हैं, जो नेनवां क्षेत्र में रहते हैं वहां पर बड़े भारी क्षेत्र में अन्न की उपज होती है, गेहूं का बड़ा भारी क्षेत्र है वहां पर 5 स्थानों पर बिजली पहुंची, लेकिन चार स्थान ऐसे हैं जो बूंदी के नजदीक हैं। वहां पर चम्बल है। 5 पर्सेन्ट पापूलेशन जिधर रहती है उसमें चार जगह और 95 पर्सेन्ट पापूलेशन जिधर रहती है उधर एक गांव है। बिजली के देने में, उसके वितरण की व्यवस्था की दृष्टि से इसको ध्यान में रखा गया है और तय किया गया है कि इस प्रकार के इम्बेलेन्सेज को दूर किया जाय। मैं समझता हूं कि विद्युत मण्डल की जो नीति होगी, राजस्थान सरकार की जो नीति होगी, उससे आपको सहमति होगी। उसमें सभी माननीय सदस्यों का सहयोग मिल सकेगा।

माननीय उपाध्यक्ष, करप्शन के बारे में विचार बहुत किया गया। उसी संदर्भ में विचार हम भी करना चाहते हैं। उदयपुर से पधारे हुए माननीय सदस्य ने विचार प्रस्तुत किये। उन्होंने कुछ आंकड़े पेश किये। मैं चाहता हूं कि सहयोग उदयपुर से पधारे हुए, माननीय सदस्य का। आज जितने भी टार्गेट तय किये हैं, कुओं पर बिजली देने के, गांवों में बिजली पहुंचाई गई, करीब 15 गांवों में 3 बिजली के कनेक्शन केसेज हमारे पास आये। वहां पर कुएं हैं

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

आगे चलकर पोटेन्शियल की स्थिति क्या है? यह भी हमें देखना पड़ता है। पहले कनेक्शन कितने दिये जा सकते हैं। हम कुओं को बिजली देना चाहते हैं, बिजली पहुँचती है लेकिन बिजली के कनेक्शन लेने वाले कम हैं।

तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, करप्शन पर बहुत विचार किया गया। मैं आपके सामने विनम्र शब्दों में कहना चाहता हूँ कि जनता पार्टी ने करप्शन बिल्कुल जड़ से मिटा दिया हो यह बात सोचते हो तो यह ठीक नहीं है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : घोषणा से मिट गया है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : दल ने इस पर विचार किया है ....

श्री जेठमल बरखड़ : किसानों के खिलाफ एक्शन लिया है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष, जितनी चर्चा यहां पर की गई, एक-एक विषय को लेकर, उस पर निश्चित रूप से जांच की जायगी। एक भी विषय को नहीं छोड़ा जायगा, एक भी किसी को नहीं छोड़ा जायगा, और जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं कि मन्त्री ने काम नहीं किया, तो ललितकिशोर चतुर्वेदी मंत्री ने दस लोगों को सस्पेन्ड अपने हाथों से किया है, पृथ्वीसिंहजी को बुला कर। पैसा लेकर ही आदमी लाइन की प्रायोरिटी को खत्म करता है। जहां पर 10 आदमियों की एप्लीकेशन पहले से लाइन पर है तो पैसा लेने के बाद ही वह लाइन को तोड़ेगा, निश्चित रूप से वह 10 आदमियों को लांघ सकेगा। अब प्रायोरिटी को सीमा से बांध दिया गया है वह नहीं कर सकता है। उसके सिवाय उसको रोकने का कोई चारा नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ माननीय सदस्यों को, जिस दिन भी केस आ गया, जिस दिन भी समाचार मिले कि जे० ईएन०, ए० ईएन० या एक्स० ईएन० ने गड़बड़ की तो, उन लोगों को बुलाया और सारी फाइलें लेकर बुलाया पृथ्वी सिंह जी, और मैंने बैठकर 10 लोगों को सस्पेन्ड किया। उनमें से दौसा के, झुन्झुनु और जयपुर जिले के भी हैं। मैंने और पृथ्वीसिंह जी ने उनको सस्पेंण्ड किया।

मैं उपाध्यक्ष महोदय....

श्री श्योपतसिंह मकासर : बिना प्रोग्राम के, बिना कार के हमारे साथ चलिए।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : बिल्कुल ठीक है।

उत्तर से लेकर दक्षिण तक, कन्याकुमारी तक, सारा भारत एक है। मैं यह दोहराना नहीं चाहता। मैंने तय किया है। विजीलेंस विंग अब तक चोरी के केसेज देखा करती थी अब राजस्थान सरकार विचार कर रही है कि उनको करप्शन पकड़ने के अधिकार भी दे दिये जाएं। ऐसी बातें हैं जो नीति से सम्बन्धित होती हैं, माननीय विधायक यह जानते हैं। मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूं। इस प्रकार से करप्शन को दूर करने का प्रश्न है, विजीलेंस के बारे में मैंने कह दिया है। इस सम्बन्ध में आने वाले समय में सारे काम को करने के बारे में आस्थाएं हैं। यह मुख्य मंत्री जी ने कमिट किया है, हमने कमिट किया है। हम कमिटेड हैं।

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

इसमें कई प्रकार की नीति सम्बन्धी बातें हैं। एक्साइज ड्यूटी का है। किस प्रकार से किसान लेंगे किस प्रकार से केन्द्रीय सरकार छूट देगी। यह अभी तय नहीं हो पाया है। हम लोग तय करने वले हैं। जब मै शिक्षा मन्त्री था, तब भी मैंने पूरी कोशिश की है, मैं यह आश्वासन देना चाहता हूं। फ्लेट रेट के बारे में तय हो जायगा। आगे क्या एक्शन होगा। इस बारे में जनता पार्टी की निश्चित रूप से भूमिका मिलेगी।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : कोई अवधि तो होगी मुख्य मन्त्री जी ने 3-6-78 को कह दिया। पैराग्राफ 33 में कह दिया। तो दो रोज, दो साल विधान सभा के अन्त तक कोई टाईम तो होगा।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : उपाध्यक्ष महोदय, जो किसानों को उनके क्षेत्र में बिजली को कठिनाई होती है उसके बारे में भी सुनता हूं तो कष्ट होता है। हमने व्यक्तिगत चर्चा भी की है। मैं स्पष्ट रूप से यह कहना चाहता हूं— If I was committed to U. G. C. pay scales, then I am definately committed to flat rate also.

श्री ज्योतसिंह अकासर : सर्दी-सर्दी निकल जाने दें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : ऐसा नहीं है। काम करने वाले भाईयों का बहुत बड़ा सहयोग बिजली बोर्ड को मिलता है। इससे पहले 4% बोनस दिया है। लेकिन जनता पार्टी ने आकर उनको 8.33% बोनस दिया है। 87 लाख रुपयों का प्रावधान 78-79 में श्रमिक कल्याण के लिए रखा गया है। 20 हजार कर्मचारी हैं उनमें से जो दो साल पूरे कर लेगा, उसको स्थायी कर दिया जाएगा। मजदूर भाई अपने को स्थायी कराने के लिए परेशान था। जनता सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जो 2 साल कम्प्लीट कर लेगा, उसी दिन से वह स्थायी मान लिया जाएगा। 5 करोड़ रुपया इस पर लगाया गया है। यह एक तरफ देखते हैं तो कठिनाई ही पैदा होगी। इलेक्ट्रिसिटी एक एसेंशियल सर्विस है। कहां क्या आवश्यकता है इस सम्बन्ध में मिलजुल कर बात करके चलें। हम यह कोशिश कर रहे हैं। कहीं बड़ी कठिनाई हो रही है। इसकी चर्चा हम करना नहीं चाहते हैं। मैंने, उपाध्यक्ष महोदय, डीडवाना से पधारे हुए माननीय सदस्य से चर्चा की थी। यदि हम ग्रिड मे बंधे हुए हैं, एक दूसरे की कठिनाई में सहयोगी बनते हैं। फिर अपनी बात की चर्चा जरूर करनी होगी हमने पिछले वर्ष भी की है। हमें लाभ मिला है। आज हम ग्रिड में कटिबद्ध हैं फिर भी राजस्थान सरकार विचार करेगी।

यह बात सही है कि पश्चिमी राजस्थान में कुछ क्षेत्र ऐसे स्थानों पर हैं जो टेल पर है। पिछली बार पानी की व्यवस्था जोधपुर में करनी पड़ी। कितनी ही बार बैठ कर बात करनी पड़ी। जहां थर्मल बड़े-बड़े स्टेशन हैं। आबू में हमने देखा है, वहां पर पावर स्टेशन बन सकता है। पलाना और माही में बन सकता है। एक तरफ पलाना और आबू है, जो इलेक्ट्रिसिटी के जानकार हैं वह जानते हैं कि कई टेल पर बसे हुए हैं। भाखरा से यहां पर आती है, टेल पर आती है। कोटा से यहां पर आती है, टेल पर आती है। 220के.वी. की चर्चा है।

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

कहूंगा, पलाना की योजना पूरी करने के लिए योजनाबद्ध कार्य किया जाएगा।

एक माननीय सदस्य : पलाना में टाईम लगेगा।

श्री ग्योपतसिंह मकासर : लाइन तो शुरू कर दें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : राजस्थान में और भी स्थान हैं। झाड़ोल, चोहटन, शिव, सिपाड़िया हैं। मैं दौरा करके आया हूं। मैं वायदा करता हूं, इसी वर्ष जायल में लगेगी। इस प्रकार से प्रत्येक पंचायत समिति के केंद्र पर अगले साल तक बिजली पहुंच जाएगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पीपुल्स रिप्रेजेण्टेशन की बड़ी चर्चा की गई है। हमारा प्रजातन्त्र में विश्वास है। प्रदेश स्तर की एक कमेटी बनी हुई है। हमारी इच्छा है कि उसके जो मेम्बुपल्स बनायें, उसकी चर्चा हो ताकि आने वाले लोगों को फायदा हो। राजस्थान सरकार विचार कर रही है कि पीपुल्स रिप्रेजेण्टेटिव बॉडी बने ताकि पीपुल्स रिप्रेजेण्टेटिव बाडी से मिलजुल कर समस्याएं हल हो सकें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करूंगा, पांच क्षेत्रों की आबादी देखते हुए, पांच क्षेत्रों का निर्माण किया है। पांच डिप्टी चीफ इन्जीनियर बनाए हैं उस एरिया के सम्बन्ध में उनको पावर देने की बात है ताकि उनको वहां की समस्याओं को हल करने में सुविधा हो।

एक चर्चा यह की गई कि बोर्ड आटोनॉमस बॉडी है, सरकार का कुछ ताल्लुक नहीं है। पाली से आने वाले माननीय विधायक सुनने को तैयार नहीं थे, वे चले गये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बोर्ड में फाईनेन्सेज भी आते हैं। फाइनेन्सेज केवल सरकार के आधार पर ही नहीं आ सकते और इसलिए आटोनॉमस बोर्ड बनाना पड़ा है। बाडी आटोनॉमस होते हुए भी राज्य सरकार के हाथ में रीति-नीति है। फिर भी हम नहीं चाहते कि डे-टू-डे काम में दखलन्दाजी होती रहे लेकिन प्रगति में कोई बाधा पड़ी तो समय आ जायगा, एक नहीं दस बोर्डों को जनता सरकार समाप्त करेगी।

एक बात के लिए धन्यवाद दिया गया, मैं भी इसका पात्र इसलिए हूं कि दस साल के बाद पहली बार विद्युत् बोर्ड के बजट को यहां डिसकस करने के लिये लिया गया। कुछ कमियां हो सकती हैं, उन कमियों को दूर करने के लिए प्रयत्न किया जायगा। लेकिन मैं कह सकता हूं कि आज हमारे बोर्ड की हालत हिन्दुस्तान के कई बोर्डों से अच्छी है। डीडवाना से आने वाले माननीय विधायक ने कहा कि हमने खर्च बढ़ाया और आय घटाई है। आंकड़े देखकर बताया। मैं उनकी जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि 11 पर्सेन्ट से 12.09 पर्सेन्ट तक की आय में बढ़ोतरी हुई है। इसलिये हमारे कदम प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक चर्चा और की गई कि जब से जनता पार्टी आई है, ग्रामीणों को बिजली देने के लिए कटिबद्ध है। भादरा से आने वाले माननीय विधायक ने चर्चा की है कि केवल 20 पर्सेन्ट ही गांवों पर खर्च किया जाता है, पता नहीं उन्होंने कैसे इस बात का अध्ययन कर लिया?

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 101 करोड़ के बजट में 61.44 करोड़ गांवों के लिये और 39.66 करोड़ शहरों के लिये रखा गया है। Percentage in rural and urban transfusion बड़े पावर स्टेशन गांवों में देने की व्यवस्था की गई है. इसका प्रतिशत भी 89 पर्सेन्ट गांवों में और 10.12 पर्सेन्ट शहरों के लिये रखा गया है। ढाई एकड़ का लगान माफ करने की बात हो, पेन्शन देने का सवाल हो या बिजली गांवों में लाने की बात हो, जनता पार्टी इसके लिए कटिबद्ध है और हम इसके लिये निरन्तर प्रगतिशील हैं, यह मैंने निवेदन किया है।

अन्त में, मैं सभी माननीय सदस्यों को जिन्होंने चर्चा में भाग लिया, धन्यवाद देता हूं। उन्होंने जो मुद्दे उठाये उनके बारे में मैं जांच करके जानकारी करूंगा और उन समस्याओं का निवारण करने का प्रयत्न किया जायगा।

चौमूं से आने वाले माननीय विधायक ने जो मामला उठाया उसकी भी मैं जांच करूंगा कि कितने पैसे वसूल किये जाते हैं।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : क्या आप यह नहीं बतायेंगे कि इसका औचित्य भी है मीटर हम नहीं लगाते हैं, बोर्ड लगाता है और 265 वसूल करता है।

श्री रघुनन्दन व्यास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैंने एक बात कही थी, 50 पर्सेन्ट से ज्यादा मार्क्स जिनके हैं उनको पोस्टिंग दी जाय। पिलानी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों का सवाल है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने जो सवाल उठाया, मैं उनकी जानकारी के लिये निवेदन करना चाहता हूं कि 50 पर्सेन्ट से जिनके ज्यादा मार्क्स हैं उनको पोस्टिंग दे दिया गया है।

श्री रघुनन्दन व्यास : फिर ऑनर्स की डिग्री का क्या मूल्य है ? राजस्थान सरकार को इस बारे में निर्णय लेना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य पर्सनल फेक्ट प्लेस मत करिये।

श्री रघुनन्दन व्यास: उपाध्यक्ष महोदय, मैं पर्सनल नहीं कह रहा हूं, पिलानी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों का प्रश्न है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय सदस्य, जितनी भी एप्लीकेशन्स आई हैं और जिनके 50 पर्सेन्ट से ज्यादा मार्क्स हैं उनको पोस्टिंग दे दिया गया है।

श्री रघुनन्दन व्यास : मेरा आपसे चैलेन्ज है इस बारे में, बी॰ए॰ आनर्स में जिनके 56 पर्सेन्ट मार्क्स हैं उनको भी नहीं लिया गया। मैं चाहता हूं इसकी जांच की जाय।

श्री कौशलकिशोर जैन : मैंने निवेदन किया था कि क्या इलेक्ट्रिसिटी एक्ट को चेन्ज करके 8वें मेम्बर के स्थान पर जन-प्रतिनिधि को स्थान दिया जायगा ताकि जनता की आकांक्षाओं का बिजली बोर्ड में प्रतिनिधित्व किया जा सके।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं इस पर विचार करूंगा।

Page No. 211

(201)

श्री रघुनन्दन व्यास : जो केसेज चल रहे हैं उनका क्या होगा ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय सदस्य, जिन कन्सर्न ने कोर्ट में केसेज कर दिये हैं और कोर्ट में चल रहे हैं, उनके लिए, तो हम पाबन्द नहीं हैं....

श्री रघुनन्दन व्यास : कई वर्षों से केसेज चल रहे हैं।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : जहां पर कोर्ट केसेज नहीं चल रहे हैं वहां पर हम ऐसे लोगों से वसूल करने के लिए कदम उठायेंगे।

श्री श्योपतसिंह मकासर : उपाध्यक्ष महोदय, आपने एक बात बताई कि 18 महीनों के दौरान कांग्रेस सरकार ने सेठों को सस्ती रेट पर बिजली दी, लेकिन इमर्जेन्सी के दौरान किसानों के लिए गांवों में जो बिजली की रेट 12 पैसा थी, उसको आपने 23 पैसे कर दिया। आप यह बताने की कृपा करें कि कितने सेठों की आपने 18 महीनों के दौरान रेट बढ़ाई।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : इन्होंने नहीं बढ़ायी।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : किसने बढ़ाई है....

श्री श्योपतसिंह मकासर : मुख्य मन्त्री जी ने भी कह दिया कि कांग्रेस की हुकूमत ने उनको कनेक्शन दिया लेकिन आपने क्या किया ?

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। सदन की कार्यवाही आज दिनांक 11-11-78 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 12-20 मिनट पर शनिवार दिनांक 11 नवम्बर, 1978 के म० पू० 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई)

परिशिष्ट—1

(तारांकित प्रश्न संख्या 330 की सूची)

फहरिस्त पेंडिग नामान्तरकरणों की पटवार क्षेत्र थोक मालियान I व III आई. एल. आर. क्षेत्र अजमेर, तहसील अजमेर।

क्रम. सं.	नाम	विवरण उजरदारी	दिनांक प्राप्ति
1	2	3	4
	मालियान III		
1.	श्री शंकर दत्तक पुत्र श्री मंगला कुम्हार	विरासत नामा	28-9-78
2.	श्री लक्ष्मीनारायण वगै० पि० बल्देव माली	,,	,,
3.	श्री रामसिंह वगै. पुत्र सुखदेव माली	,,	,,
4.	श्री नाथूलाल वगै. पुत्र मांगू माली	,,	,,
5.	श्री भंवरलाल वगै. पुत्र रामदेव माली	,	18-9-78
6.	श्रीमती सुशीला देवी पत्नी जगदीश प्रसाद	नामान्तरकरण बेचान	,,
7.	श्रीमती मूलीदेवी पत्नी जमनालाल जैन	,,	,,
8.	श्रीमती प्रेमदेवी पत्नी रतनलाल जैन	,,	,,
9.	श्रीमती चांददेवी पत्नी सुन्दरलाल जैन	,,	,,
10.	श्रीमती पवनकुमारी पत्नी स्वरूपचन्द जैन	,,	,,
11.	श्री भंवरलाल वगै. पुत्र नथमल माली	ना० मा० आदेश श्री सिविल जज	,,
12.	श्रीमती कज्जी पत्नी रिकबा माली वगै.	नामा० आदेश श्रीमान तहसीलदार साहब	,,
13.	श्री शंकर पुत्र हजारी रावत	नामा० इन्द्राज दुरूस्ती	17-7-78
14.	श्री चुन्नीलाल पुत्र चन्दर माली	,,	28-9-78
15.	श्री रतनलाल पुत्र रामलाल माली	,,	3-8-76

203

1	2	3	4
16.	श्रीमती दुर्गा जाजे हीरालाल	नामा० खाता फटोतरी	3-8-78
	मालियान II		
17.	श्री बजरंग सिंह नाथावत	बेचान नामा०	18-2-76
18.	श्री सुल्तानसिंह पुत्र देवीलाल	,,	,,
19.	श्री महेन्द्रसिंह पुत्र चरणसिंह	,,	29-3-76
20.	श्रीमती प्रकाश देवी मांगा	,,	17-5-76
21.	श्री विशनसिंह दत्तक पुत्र पन्नालाल माली	विरासत नामा	26-9-78
22	श्री गुरुबचनसिंह रियाई मुख्तियार आम श्री गुरपालसिंह	बेचान नामा	30-9-78

फहरिस्त उजरदारियां पटवार क्षेत्र अजमेर थोक तेलियान भू-अभिलेख निरीक्षक अजमेर, तहसील व जिला अजमेर में प्रकार हैं :—

क्रम सं.	नाम प्रार्थी मयवल्दीयत	विषय	दिनांक	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
1.	श्री हरविलास पुत्र गौरीशंकर अग्रवाल	नामान्तरकरण हेतु	31-7-75	
2.	श्री सत्यनारायण	,,	20-3-74	
3.	श्री सुरेन्द्रनाथ चक्रवती पुत्र श्री मणीभूषण	,,	28-7-76	
4.	श्रीमती सुरजीत कौर पत्नी श्री मिल लियथ	,,	12-8-75	
5.	श्री एम. के. कुलगोद	,,	4-2-76	
6.	श्रीमती कमला गुप्ता पत्नी हरेन्द्रनाथ गुप्ता	,,	2-2-76	
7.	राजस्थान स्टेट इन्डस्ट्रीयल मिनरल डवलपमेण्ट कार्पो. लिमिटेड	,,	22-1-73	
8.	श्रीमती पार्वती पत्नी मोहनलाल वर्ग	,,	21-6-74	
9.	कुमारी विमला जैन पुत्री पूनमचन्द जैन	,,	24-7-76	

1	2	3	4	5
10.	कु. विमला जैन पुत्री पूनमचन्द जैन	नामान्तरकरण हेतु	28-7-75	
11.	,, ,,	,,	17-11-75	
12.	श्री राधेश्याम पुत्र मदनलाल खण्डेलवाल	,,	5-11-74	
13.	श्री प्रहलाद चन्द पुत्र लक्ष्मीचन्द	,,	1-11-74	
14.	श्री रतनलाल गर्ग ठेकेदार	,,	28-7-75	
15.	श्री मेघाराम पुत्र ताराचन्द	,,	18-3-76	
16.	श्री गोपाल कृष्ण पुत्र नाथ मल गोयल	,,	28-7-75	
17.	श्रीमती जाव पत्नी श्री रामकरण वर्ग	,,	7-6-76	
18.	श्री सुधा सक्सेना मार्फत एम. के. सक्सेना	,,	17-5-76	
19.	श्री गणेश वल्द घानू तेली	,,	31-8-76	
20.	श्री भैरु सिंह पुत्र श्री बाबू सिंह	,,	1-1-75	
21.	श्री मोहम्मद हुसैन पुत्र कासिम मोहम्मद	,,	22-1-76	
22.	श्री विजय नारायण पुत्र जानकीप्रसाद	,,	17-4-76	
23.	श्री मिट्ठूलाल पुत्र अबरीलाल	,,	19-8-75	
24.	श्री राम किशन शर्मा	,,	17-2-76	
25.	श्री भैरू सिंह चौहान	,,	10-8-75	
26.	श्री चेतसिंह बाग पुत्र आनन्दी प्रसाद	,,	16-11-77	
27.	श्री भंवर लाल पुचोली	,,	28-9-77	
28.	श्री ठेसूमल पुत्र कालूमल	,,	12-4-74	
29.	श्री रामस्वरूप वर्ग घास कटला	,,	7-9-77	
30	श्री राधाकिशन अहीर पुत्र कस्तूराम	,,	26-9-77	
31.	श्री रमेश करण पुंचोल	,,	19-9-77	
32.	श्री कानमल पृथ्वीराज वर्ग	,,	29-9-77	
33.	श्री प्रेम चन्द शर्मा	,,	5-12-75	
34.	श्री मुरलीधर पुत्र हनुमान प्रसाद	,,	15-4-74	
35.	श्री बद्रीलाल पुत्र रामपाल	,,	11-8-75	
36.	श्री परमानन्द पुत्र ओंकार लाल वर्ग	,,	16-1-74	
37.	श्री नानग पुत्र सामद	,,	11-4-74	
38.	श्री महावीर प्रसाद पुत्र बिहारी लाल	,,	22-1-75	
39.	श्रीमती गट्टूबाई पत्नी मुन्ना लाल	,,	30-10-74	
40.	श्री भगवती रांका मार्फत ताराचन्द वाँच कं०	,,	24-10-74	
41.	श्री मोहनलाल पुत्र पीरू तेली	,,	15-5-74	

205

1	2	3	4	5
42.	श्री रामदेव पुत्र चान्द चेली	नामान्तरणकरण हेतु	22-1-75	
43.	श्री चिरन्जी लाल पुत्र माधो लाल	,,	24-10-74	
44.	श्री लक्ष्मीनाथ पुत्र जीतमल	,,	1-11-74	
45.	श्री छत्र शेर सिंह	,,	20-3-74	
46.	श्री भंवरलाल पंचोली	,,	17-9-75	
47.	श्री बाबू लाल पुत्र मुन्ना लाल	,,	18-2-77	
48.	श्री हरनारायण चौधरी पुत्र हीरालाल	,,	22-2-75	
49.	श्रीमती फातमा बेगम पत्नी वली मोहम्मद	,,	11-8-75	
50.	श्री शिव दयाल पुत्र नन्द रामजी	,,	14-8-75	
51.	श्री रतन लाल पुत्र किशन लाल	,,	31-1-76	
52.	श्री छैल बिहारी लाल	,,	29-12-76	
53.	श्री के० सी० चौहान, पुरानी मण्डी	,,	21-7-76	
54.	श्री रतन सिंह वगैरह	,,	21-7-76	
55.	श्री शेर सिंह	,,	10-4-74	
56.	श्री ए० राबर्ट्स	,,	28-3-77	
57.	श्री लक्ष्मी नारायण पुत्र श्री नन्द राम	,,	3-8-75	
58.	श्रीमती तेल कंवर पत्नी ताराचन्द	,,	24-10-74	
59.	श्रीमती सरस्वती देवी पत्नी पूनमचन्द	,,	11-4-74	
60.	श्री सूरज सिंह पुत्र नन्द लाल	,,	17-9-75	
61.	लाल चन्द चोपड़ा	,,	6-1-73	
62.	श्री नूर मोहम्मद पुत्र आबदी खां	,,	11-4-74	
63.	श्री कम्मा पुत्र कालू	,,	31-3-75	
64.	श्री महमूद खां पुत्र नन्हे खां	,,	24-4-74	
65.	श्री रामेश्वर लाल डाणी	,,	15-12-75	
66.	श्री भगवान दास पुत्र नाहर सिंह	,,	9-4-74	
67.	श्री वृज मान ओझा फाईसागररो	,,	29-12-75	
68.	श्री कलाचन्द सोनी पुत्र होत चन्द	,,	29-12-75	
69.	श्री रामपाल पुत्र कम्मा	,,	18-2-77	
70.	श्री महेश चन्द पुत्र भूंवरलाल	,,	11-8-75	
71.	श्री रामचन्द्र पुत्र दूलाराम	,,	29-12-75	
72.	श्री भंवर लाल माली	,,	29-12-75	
73.	श्री मदन गोपाल यादव	,,	1-3-77	
74.	श्री दिनेश कुमार माथुर	,,	11-8-75	

1	2	3	4	5
75.	श्री जितेन्द्र कुमार जैन	नामान्तरकरण हेतु	12-4-74	
76.	श्री कन्हैयालाल बडगोती वर्ग	,,	2-8-75	
77.	श्री कैलाश नाथ भाग्य	,,	10-10-75	
78.	कैलीबाई	,,	11-4-74	
79.	श्रीमती शारदा पत्नी योगेन्द्र नाथ	,,	16-4-74	
80.	कंवर लाल सोलंकी	,,	15-9-77	
81.	मिलाप सिंह पुत्र धन्ना सिंह	,,	7-9-77	
82.	एफ०जे० मसीह पुत्र राहत मसीह	,,	3-10-77	
83.	श्री जानकीलाल वैष्णव मुख्तियार	,,	7-9-77	
84.	श्री रामेश्वरलाल खेतावत	,,	28-11-77	
85.	,,	,,	,,	
86.	,,	,,	22-11-77	
87.	श्री कमलेश कुमार शर्मा	,,	21-9-77	
88.	श्री रामेश्वरलाल खेतावत	,,	28-11-77	
89.	श्री रामदेव तेली	,,	15-9-77	
90.	बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा	,,	9-11-77	
91.	श्री मोहनलाल कामदार	,,	5-12-77	
92.	श्री हेरिसन नेलसन	,,	11-11-77	
93.	श्री रामसिंह कुमार	,,	18-2-77	
94.	श्री पेसूमल पुत्र कारू मल	,,	21-10-75	
95.	श्री रामकिशन पुत्र सहज राम	,,	30-1-76	
96.	श्री परमानन्द पुत्र ओंकार लाल	,,	15-12-75	
97.	श्रीमती सोनी देवी व सदा देवी	,,	8-4-75	
98.	श्री मोहम्मद उस्मान पुत्र मोहम्मद	,,	29-9-78	
99.	श्री नूर मोहम्मद पुत्र कालू	,,	,,	
100.	श्री राधेश्याम पुत्र रामपाल	,,	,,	
101.	श्री मुरलीधर अग्रवाल पार्टनर	,,	,,	
102.	श्री रामेश्वर लाल ओंकार मल	,,	,,	
103.	श्री बृज मोहन पुत्र मूलचन्द	,,	,,	
104.	श्री सैयद युसुफ शाह	,,	26-9-78	
105.	श्रीमती दुर्गा देवी बेवा डूंगर सिंह	,,	12-4-78	
105.	श्री चेत सिंह बाग	,,	,,	
107.	श्री मदन लाल पुत्र मेरू लाल	,,	,,	
108.	श्री जोसफ वगडावत	,,	17-3-78	

1	2	3	4	5
109.	श्री योगेश स्वरूप बग्गा	नामान्तरकरण करने हेतु	22-9-78	
110.	श्रीमती विमला कुमारी जैन पत्नी पूनम चन्द	,,	,,	
111.	श्रीमती सरवती देवी पत्नी पूनम चन्द	,,	,,	
112.	श्री भेरू सिंह	,,	,,	
113.	श्री मुरली मनोहर गोयल	,,	,,	
114.	श्री सागगिर पुत्र मोहन गिर	,,	,,	

पेन्डिग उजरदारियों की सूची पटवार मण्डल थोक मालियान अजमेर की

क. सं.	नाम प्रार्थी	थोक मालियान	विशेष विवरण
1	2	3	4
1.	श्री हमीदन उर्फ वहीदन जोजे गुलाब शाह लोहगल रोड, अजमेर ।	थोक मालियान	
2.	श्री भंवरलाल पुत्र किशनलाल माली गंज अजमेर बनाम खाजूशाह वगैरह अजमेर	,,	
3.	श्री भ्रमर पुत्र कालू कोली नि. रामगंज, अजमेर ।	,,	
4.	श्री लाल पुत्र लादू वगेरह रेगर नि0 सोमलपुर । अजमेर । चूना, छोपा, गोपा ।	,,	
5.	श्री कुशाल व सोमा पी० जेठू माली श्रृंगार चंवरी, अजमेर ।	,,	
6.	श्री गणेश पुत्र माणू माली, सोमलपुरा रोड, अजमेर ।	,,	
7.	श्री रामदेव पुत्र पांवू माली, लाखन कोटड़ी, अजमेर ।	,,	
8.	श्रीमती गंगा देवी पी० मनोहरसिंह अलवर गेट, अजमेर ।	,,	
9.	डा0 रामप्रकाश सोनी पुत्र साहनलाल सोनी मेटरनी हॉस्पीटल मदार गेट, अजमेर ।	,,	
10.	श्री प्यारेलाल मिश्रा पुत्र कुन्जबिहारी लाल मिश्रा, अवधपुरी जोन्सगंज, अजमेर ।	,,	
11.	श्री छोटू पुत्र सुन्दरलाल माली, भगवान गंज, अजमेर	,,	

1	2	3	4
12.	श्री तावलदास भागवानी, प्रेसीडेन्ट सोसायटी रेल्वे मैन को-आपरेटिव, अजमेर	थोक मालियान	
13.	श्रीमती पदमावती व श्रीमती इन्दु व श्रीमती सरोज व श्रीमती शैलजा सोमप्रकाश, अजमेर।	"	
14.	श्रीमती चूनकी पत्नी गिरधारीलाल पुलिस लाईन, अजमेर	"	
15.	श्री कन्हैयालाल आर्य, प्रवासी विद्यालय आदर्शनगर, अजमेर।	"	
16.	श्री गोविन्दराम पुत्र गंगाराम दरोगा, जोन्सगंज, अजमेर।	"	
17.	श्री बृजरानी शर्मा पत्नी मदन मोहन ब्राह्मण मदनगंज, अजमेर।	"	
18.	"		
19.	श्री रहीमबख्श पुत्र अकबर शाह, मुसलमान किसनपुरा, अजमेर।	"	
20.	श्री रामचन्द्र पुत्र सून्दा बालूपुरा, अजमेर।	"	
21.	श्री मुख्त्यारअली पुत्र गुलाम रसूल, अजमेर।	"	
22.	श्री लक्ष्मीनारायण पुत्र बलदेवजी माली, अजमेर जोन्सगंज मारोठिया का बेटा, अजमेर।	"	
23.	श्री भंवरलाल, सुवालाल पुत्र रामदेव, अजमेर।	"	
24.	श्रीमती पदमाबाई हाबाराम, नला बाजार, अजमेर।	"	
25.	श्री सूरजकरण पुत्र भंवरलाल जैसवाल गंज, अजमेर।	"	
26.	श्री रामेश्वरलाल मीणा, ब्यावर रोड डिस्टलरी के पास, अजमेर।	"	
27.	श्री राजेन्द्रसिंह चौहान पुत्र रणजीतसिंह नि० मून्दडी मोहल्ला, अजमेर।	"	
28.	श्री छोटूलाल भैरूजी पंवार पुलिस लाईन, अजमेर।	"	
29.	श्री आदर्शनगर कोआपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, आदर्शनगर, अजमेर।	"	
30.	श्रीमती आलाबाई पत्नी नरीमान साहब कारसी निवासी रामगंज, अजमेर।	"	
31.	मानमल पुत्र तुम्बा रावत नागीपुरा, अजमेर।	"	
32.	लक्ष्मणसिंह झाला पुत्र कल्याणसिंह, कल्याण भवन, जमनालाल बजाज मार्ग, जयपुर।	"	
33.	श्री भंवरलाल माली पुत्र किशनलाल, मालीगंज		

(209)

1	2	3	4
	अजमेर। बनाम खाजूशाह, ईस्माइल शाह मस्तान शाह वगेरह, अजमेर।	थोक मलियान	
34.	किशनसिंह दत्तक पुत्र पन्नालाल माली नया घर, गुलाब बाड़ी, अजमेर।	,,	
35.	श्री किशनलाल पुत्र गोपाल माली, नया घर, अजमेर।	,,	
36.	श्री मदन पुत्र धन्ना राजपूत, भगवानगंज, अजमेर।	,,	
37.	श्री सरदारसिंह कोठारी मार्फत जे० एस० कोठारी राजा साइकिल, बगलोव, अजमेर।	,,	
38.	कौशल्या बेवा रतणलाल माली गंगा बेवा पीरू माली, अजमेर।	,,	
39.	कौशल्या बेवा रतनलाल, गंगा बेवा पीरू माली पालवी घला, अन्धेरी पुलिया, अजमेर।	,,	
40.	बिस्मिल्ला बेवा श्री समदखां मुसलमान, खानपुरा।	,,	
41.	श्री राजेन्द्र मलहन मार्फत श्री आर. एन. मलहन बी–1, एम० टी० सी० सैनी, अजमेर।	,,	
42.	श्री गणपतसिंह पुत्र बेजनाथ वगैरह, अजमेर।	,,	
43.	श्रीमती शैल कुमारी पत्नी जहूर शाह फकीर, अजमेर।	,,	
44.	श्रीमती विद्यावती देवी पुत्री सूरजमल चम्पालाल।	,,	
45.	श्री सैयल बहीउदीन मोहनी, अजमेर मुख्तीयर आम।	,,	
46.	श्री बलबीरसिंह पुत्र गणेशीलाल।	,,	
47.	रूकमा बेवा करना माली।	,,	
48.	किशनसिंह पुत्र मलासिंह।	,,	
49.	जीवतराम पुत्र दौलतराम।	,,	
50.	मूलचन्द पुत्र देवाराम वगैरह माली।	,,	
51.	थनासिंह धीसासिंह रावत।	,,	

उजरदारियों की सूची थोक मालियान व तेलियान, अजमेर तहसील अजमेर।

क्र. सं	नाम प्रार्थी	नाम ग्राम	विशेष विवरण
1	2	3	4
1.	श्री उत्तमचन्द उपना महोतचन्द पुत्र चेलाराम	थोक तेलियान	
2.	श्री दुर्गा प्रसाद एकाउन्टेन्ट, जे० एल० एन० मेडिकल कालेज	अजमेर तेलियान	

1	2	3	4
3.	श्री रामेश्वरलाल डाणी पुत्र रतनलाल	अजमेर तेलियान	
4.	श्री बोदू पुत्र श्री केरजी मल, राम मगई	"	
5.	श्री ओमलता सोनी पत्नी पूनमचन्द	डिग्गी बाजार थोक तेलियान, अजमेर	
6.	श्री हजारी वल्द हपूता कुम्हार, देहली गेट	अजमेर थोक तेलियान	
7.	श्री राधाकिशन अहीर म. नं. 60/1 गंज	अजमेर तेलियान	
8.	श्री चान्दमल पुत्र नारायण तेली	"	
9.	श्री चान्दकवर पत्नी कन्हैयालाल, सुन्दर विलास	"	
10.	श्री महारानी देवी	"	
11.	श्री ब्रह्मदत भार्गव, सुशील कुमार	"	
12.	श्रीमती किशनदेवी पत्नी गोपीनाथ भार्गव, इमली मोहल्ला	थोक तेलियान, अजमेर	
13.	उमराव मल ढढ्ढा, करका चौक, अजमेर	"	
14.	मातादन पुत्र गोपालसिंह, राजेन्द्रपुरा हाथी भाटा, अजमेर।	"	

परिशिष्ट—2

(तारांकित प्रश्न संख्या 332 की सूची)

अप्रेल 78 से दिसम्बर 78 तक उप-खण्ड अधिकारी जैतारण के भ्रमण कार्यक्रम उनमें से स्थान एवं स्थगन के कारण की विवरण सूची।

क्र. सं.	मीटिंग की दिनांक	विधायक गण को सूचित किये जाने का पत्रांक व दिनांक	स्थगित की गई मिटिंग के दिनांक	स्थगन की सूचना जो विधायक गण को दी गई	स्थगन के कारण
1.	25-4-78 से 8-5-78	राजस्व 285—376 10-4-78	स्थगित नहीं की गई	—	
2.	5-6-78 से 11-6-78	,, 572—727 6-6-78	5 एवं 6/6/78	661—678 6-6-78	बिजली घर कर्मचारियों की हड़ताल होने से
3.	20-6-78 से 28-6-78	,, 565—590 15-6-78	स्थगित नहीं की गई	—	—
4.	28-7-78 से 7-8-78	,, 854—924 14-7-78	,,	—	—
5.	21-8-78 से 1-9-78	,, 1155-1225 5-8-78	,,	—	—
6.	18-9-78 से 30-9-78	,, 642—692 3-9-78	20-9-78 21-9-78 से 30-9-78	1746—55 12-9-78 746—755 19-9-78	घर डाक बंगले में मीटिंग होने से। लघु सिचाई योजना के रायपुर में शिविर के कारण।

परिशिष्ट–3

(तारांकित प्रश्न सं० 333 की सूची)

जयपुर जिले की कृषि उपज मंडी समितियों में प्रारम्भ से सितम्बर 78 तक मंडी शुल्क से प्राप्त कुल आय

क्रमांक	मण्डी समिति का नाम	अभी तक प्राप्त मण्डी शुल्क की कुल राशि
1.	जयपुर (अनाज)	1,88,78,458
2.	जयपुर (फल सब्जी)	26,89,759
3.	दौसा	28,57,632
4.	कोटपूतली	12,628,939
5.	बांदीकुई	16,65,753
6.	चाकसू	8,87,123
7.	नरेना	4,86,343
8.	चौमू	13,59,213

जयपुर जिले की कृषि उपज मन्डी समितियों में मन्डी शुल्क से आय

क्रमांक मण्डी समिति का नाम	1968-69	1969-70	1970-71	1971-72	1972-73	1973-74	1974-75	1975-76	1976-77	1977-78	1978-79
1. जयपुर (अनाज)	—	—	—	—		239784	1982024	3274950	6600561	4661875	2117264
2. जयपुर (फलसब्जी)	—	—	—	—	—	—	—	377185	803085	945093	564396
3. दौसा	—	—	34744	42970	50973	112140	256836	417823	948457	622823	368866
4. कोटपूतली	—	—	13252	14351	23229	33028	102174	227064	364584	298483	186774
5. बांदीकुई	1124	18365	16878	40233	37543	116513	196709	226556	445799	381990	174043
6. चाकसू	1517	10675	13991	14567	26791	61770	96509	140276	225209	161045	134773
7. नरेना	—	3298	5278	10296	9131	13994	28927	88048	137684	97899	91788
8. चौमू	813	18069	17128	—	23564	42009	120372	255030	381291	307633	190304

जयपुर जिले की मण्डी समितियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में किये गये विकास कार्यों का विवरण

क्रमांक	मण्डी समिति	विकास कार्य का विवरण	1974-75	1975-76	1976-77	1977-78	1978-79	कुल
1-	जयपुर (अनाज)	1. सड़कों का निर्माण	—	225604	745555	707785	120141	1799085
		2. बगर सब यार्ड के निर्माण कार्य		67452	178448	211283	—	457183
		योग:-	—	293055	924002	919058	120141	2256268
2-	जयपुर (फल सब्जी)	सड़कें	—	—	75595	91458	11461	169906
3-	कोटपूतली	सड़कें	—	—	—	—	—	145826
4-	बांदीकुई	—	—	—	—	—	—	—
5-	चाकसू	2 सड़कें	—	—	—	—	—	23281
6-	नारायना	दूदू सांभर रोड	—	—	—	—	27037	27037
7-	चौमू	सड़कें	—	—	—	—	26502	26502
8-	दौसा	सड़कें	10620	2198	272365	211158	3016	499357

जयपुर जिले की मण्डी समितियों द्वारा मण्डी प्रांगण में किये गये विकास कार्यों का विवरण

क्रमांक	मण्डी समिति	विकास कार्यों का विवरण	1974-75	1975-76	1976-77	1977-78	1978-79	कुल व्यय
1.	जयपुर (अनाज)	दुकान व गोदाम, ट्यूबवेल, प्याऊ, चबूतरे, गोदाम, कार्यालय भवन, वेब्रिज, फुटकर दुकानें	—	8,151	11,06,715	37,98,810	34,72,279	83,85,955
2.	जयपुर (फल एवं सब्जी)	नाले पर आर. सी. सी., प्लेट फार्म, गली का फर्श, शौचालय, शेड व नालियां	—	—	—	75,013	5,722	80,735
3.	कोटपूतली	प्याऊ, फर्श का कार्य	—	—	—	28,257	—	28,257
4.	बांदीकुई	प्याऊ व कुआ, कृषक विश्राम गृह, आन्तरिक सड़कें, केटल कचार, स्टोन, पिचिंग	—	—	3,21,776	—	—	3,21,776
5.	चाकसू	आन्तरिक सड़कें, चारदीवारी, दुकान व गोदाम, चबूतरे, कार्यालय भवन	—	—	—	1,67,258	1,81,989	3,49,247
6.	नरायना	—	—	—	—	—	—	—
7.	चौमू	दुकानों की मरम्मत, आन्तरिक सड़कें, बुर्ज तोड़ना, प्याऊ व शौचालय	—	—	—	1,42,078	—	1,42,078
8.	दौसा	प्याऊ, नाली, आन्तरिक सड़कें, खेल	3,979	8,160	5,7565	68,660	15,300	1,53,664

परिशिष्ट–4

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं पूछे जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर)

राज्य के मंडी क्षेत्रों में सड़क निर्माण

334. श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमूं)–क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड द्वारा राज्य की मन्डी क्षेत्रों में सड़क निर्माण कराने का मास्टर प्लान बनवा कर स्वीकृत किया गया है ? अगर हां, तो प्लान सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें। अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(2) जयपुर जिले में इस योजना के अन्तर्गत किन-किन सड़कों को चयनित किया गया है तथा उनका कार्य कब से प्रारम्भ करवा दिया जावेगा ?

(3) यदि चौमूं क्षेत्र की सड़कों को चयन किया गया है तो कार्य प्रारम्भ कब तक करा दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य के मंडी क्षेत्रों में सड़क निर्माण करवाने के लिए एक मास्टर प्लान बनाया गया है जिसे राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है। मास्टर प्लान की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई हैं। संलग्न :– ।

(2) जयपुर जिले की इस योजना के अन्तर्गत चयनित सड़क की सूची उक्त प्लान में पृष्ठ सं. 3.1 से 3.9 तक संलग्न है। वर्ष 1978-79 में जयपुर जिले की जिन सड़कों की वित्तीय स्वीकृति हुई है उनकी सूची संलग्न है जिनके कार्य इस वर्ष प्रारम्भ होने हैं। इनके निर्माण की दिशा में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है जिन्हें सम्पर्क सड़कों के निर्माण का दायित्व सौंपा गया है।

(3) जी हां। चौमूं क्षेत्र की सड़कों का चयन कर मास्टर प्लान में सम्मिलित किया गया है जिसका उल्लेख मास्टर प्लान में पृष्ठ सं. 3.9 पर किया गया है। इन सड़कों का निर्माण अभी तक इस वर्ष लिया जाना संभव नहीं है क्योंकि मण्डी समिति की वित्तीय स्थिति को देखते हुए उसके प्रशासनिक व्यय के उपरान्त प्राथमिकता के आधार पर ही कार्य हाथ में लिये जा सकेंगे।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

(227)

भारत से पाकिस्तान को जाने वाली गायें

335. श्री ओम प्रकाश शर्मा (बूंदी): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि भारत से पाकिस्तान में हजारों की संख्या में लगभग डेढ़ वर्ष से गायें जाती हैं? यदि हां, तो वर्तमान सरकार के बनने के बाद कितनी गायें गईं?

(2) क्या यह सही है कि शिव थाना, सेड़वा, बाकासर, गिराब, गरड़ा थाना, जिला बाड़मेर में गायों की जमानतें लेकर छोड़ी हैं? यदि हां, तो कितनी?

(3) क्या यह सही है कि जिलाधीश बाड़मेर ने 10-9-78 को पुलिस थाना गिराब एरिये में गायें पकड़ी थीं यदि हां, तो उनका क्या किया?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां।

1. सेडवा 8 गाय-बैल (कस्टम्स एक्ट के अन्तर्गत पकड़े गये)
2. रामसर–18 गायें धारा 102 जा. फौ.
3. गडरा रोड–18 गायें जब्त की गई और
4. शिव–149 गाय, बैल, बछड़े जमानत पर दी गईं।

(3) जी नहीं।

राज्य में पशु पालन सेवा का विकेन्द्रीकरण

336. श्री किशनसिंह भाटी (जैसलमेर): क्या पशुपालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वर्तमान समय में राज्य सरकार प्रति पशु चिकित्सा पर कितना धन व्यय करती है? क्या यह आंकड़ा सन्तोषजनक एवं पर्याप्त है? यदि नहीं, तो राज्य सरकार इस दिशा में क्या कदम उठा रही है?

(2) उचित, पर्याप्त तथा उच्च श्रेणी की चिकित्सा एवं तकनीकी सहायता राज्य सरकार पशु संख्या के आधार पर मुहैया करती है? यदि नहीं, तो क्यों? उक्त भेदभाव मिटाने के लिये तथा उक्त सेवाओं को विकेन्द्रित के आधार पर देने की राज्य सरकार के पास क्या व किस निश्चित अवधि वाली योजना है?

(3) क्या राज्य सरकार अधिक पशु संख्या वाले पश्चिमी राजस्थान में पशु पालन निदेशालय स्थापित करेगी?

Page No. 228

618

उत्तर

(1) व (2) वर्तमान में राज्य सरकार प्रति पशु चिकित्सा में औसतन रुपया 4–90 पैसा व्यय करती है यह व्यय पर्याप्त नहीं है। राज्य सरकार पशु चिकित्सा सेवा में सुधार हेतु जागरूक है एवं प्रति वर्ष इस व्यय में बढ़ोतरी की जा रही है। जी हां। विकेन्द्रित आधार पर सेवायें उपलब्ध कराने हेतु दवाइयों के लिये राशि का आंवटन चिकित्सा संस्थाओं के औसत उपचार किये गये पशुओं की संख्या के आधार पर दिये जाने की योजना है।

(3) जी नहीं।

राजस्थान न्यायिक सेवा अधिकारियों को सलेक्शन ग्रेड

337. श्री मदनसिंह दांता (दांतारामगढ) : क्या विधि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा (आर. ए. एस.) राजस्थान पुलिस सेवा (आर. पी. एस.) व राजस्थान न्यायिक सेवा (आर. जे. एस.) राज्य स्तरीय सेवा में आती हैं ?

(2) क्या यह सही है कि इन सेवाओं में भर्ती के लिये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता राजस्थान न्यायिक सेवा में सबसे अधिक होनी अनिवार्य है ?

(3) क्या यह सही है कि आर. ए. एस., आर. पी. एस. में पूरे केडर के 20 प्रतिशत अधिकारियों को सीनियर स्केल व 10 प्रतिशत अधिकारियों को सलेक्शन ग्रेड का प्रावधान है व उनको उक्त ग्रेड प्राप्त है ?

(4) क्या यह सही है कि राजस्थान न्यायिक सेवा के अधिकारियों को अन्य राज्य स्तरीय सेवाओं की भांति सीनियर स्केल व सलेक्शन ग्रेड प्राप्त नहीं है ? यदि ऐसा नहीं है तो इन अधिकारियों के साथ यह भेदभाव क्यों है ?

(5) क्या न्यायिक अधिकारियों द्वारा सीनियर स्केल व सलेक्शन ग्रेड के सम्बन्ध में राज्य सरकार के समक्ष बार–बार मांग पत्र पेश किये गये ? क्या राज्य सरकार उन मांगों को स्वीकार करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(6) क्या राज्य सरकार न्यायिक अधिकारियों को सरकारी आवास देने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक उन्हें सरकारी आवास की व्यवस्था कर दी जावेगी ?

(7) क्या यह सही है कि केन्द्रीय सरकार से न्यायपालिका के उत्थान के लिए राशि प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो कितनी राशि प्राप्त हुई और राज्य सरकार ने उसमें से कितनी राशि खर्च की है ? क्या यह सही है कि पूरी राशि खर्च नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां। यह लगभग सही है कि वर्तमान स्वीकृत कैडर के अनुसार स्वीकृत संवर्ग के 20 प्रतिशत पद सीनियर स्केल में एवं 10 प्रतिशत पद चयन वेतन श्रृंखला में स्वीकृत हैं।

(4) जी हां। वेतनमान बढ़ाने का मामला समस्त राज्य स्तर की सेवाओं से जुड़ा है।

(5) जी हां। यदि विषय समस्त राज्य स्तर की सेवाओं से जुड़ा हुआ है उन सबके साथ इस सम्बन्ध में भी विचार किया जा सकेगा।

(6) जी हां। जिला एवं सेशन न्यायाधीशों व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों के स्तर तक राजकीय आवास की सुविधायें राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। शेष पदों के लिये आवासीय भवन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने पर उन्हें भी यह सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी। जयपुर नगर में केवल जिला जज नगर व जिला को ही आवासीय सुविधा प्राप्त है।

(7) इस प्रश्न का सम्बन्ध वित्त विभाग से है।

राज्य में अधिकतम वेतन पर रुके कर्मचारी

338. श्री ईश्वर चन्द भटनागर (पिड़ावा),

श्री मूलचन्द डागा (पाली),

श्री नूरा (मसूदा): क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या राज्य सरकार ने आदेश प्रसारित किया है कि जो राज्य कर्मचारी अपने वेतन मान के मैक्जीमम पर रुका हुआ है, उसे तीन वर्ष रुके रहने पर एक वेतन वृद्धि और छः साल रुके रहने पर दो वेतन वृद्धियां दी जायेंगी? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि यह आदेश केवल अराजपत्रित कर्मचारियों के लिये ही लागू हैं?

(3) क्या राज्य सरकार इस आदेश को उन छोटे राजपत्रित कर्मचारियों के लिये भी लागू करने का विचार रखती है, जिनके वेतनमान का मैक्जीमम 1350 रुपये से कम है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। आदेश की प्रति संलग्न है।

(2) उक्त आदेश, चतुर्थ श्रेणी, मंत्रालयिक एवं अधीनस्थ सेवा संवर्ग के कर्मचारियों पर लागू है जिसमें राजपत्रित कर्मचारी भी सम्मिलित हैं।

(3) जी नहीं, क्योंकि यह आदेश उन राजपत्रित कर्मचारियों पर भी लागू होते हैं जो अधीनस्थ सेवा संवर्ग में आते हैं और जिनके वेतनमान का अधिकतम 1350 रु० से कम है।

तारांकित प्रश्न सं. ३6 वि. मं. की सूची

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

FINANCE (GROUP-2) DEPARTMENT

No. F. 10 (6)F D (Gr2)/77. Jaipur, Dated the 22nd July, 1977.

ORDER

Subject:–Grant of Personal Pay to the Government Servants blocked at the maximum of the Pay Scales under Rajasthan Civil Services (Revised New Pay Scales) Rules, 1976.

The question regarding providing relief Government Servants who are drawing pay at the maximum of the Pay Scale has been under consideration of the Government for some time past. The matter has been considered and the Governor has been pleased to order that Government Servants belonging to Class IV, Ministerial and Subordinate Services / Cadres who are drawing pay at the maximum of pay scale as on 1-9-1976 or thereafter under Rajasthan Civil Services (Revised New Pay Scales) Rules, 1976 shall be allowed one increment for every completed period of three years services after reaching maximum of the pay scale of the post held by him whether in substantive capacity or officiating capacity subject to a maximum of two increments. The amount of increment shall be equal to the amount of last rate of increment immediately before the maximum of the Revised New Pay Scales, 1976. The increment so granted would be treated as personal pay in addition to the personal pay granted, if any, as a result of fixation of pay in Revised New Pay Scales, 1976 or otherwise,

2. The grant of increment in para 1 above shall be admissible in the following type of cases viz: -

(1) Government Servants blocked at the maximum of the pay scale before 1-9-1976 and are again fixed at the maximum of pay scale as a result of fixation of pay in Revised New Pay Scales, 1976.

(2) Government Servants who were not drawing pay at maximum of pay scale prior to 1-9-1976 but begin to draw pay at the maximum of Revised New Scales, 1976 after fixation of pay under Rajasthan Civil Services (Revised New Pay Scales) Rules, 1976.

3. The benefit of grant of increment contemplated in para 1 above shall also be allowed to a Government Servant who after having officiated on higher post is reverted to his substantive post in his cadre/ service on or after 1-9-1976 provided the conditions mentioned in para 1 and 2 are fulfilled.

4. The personal pay allowed to a Government Servant inaccordance with para 1 above shall not be taken into account for the purpose of fixation of pay under rule 26A of R. S. R..

5. The benefit of increment under para 1 above shall not be admissible to a Government Servant who was drawing pay at maximum of his pay scale prior to 1-9-1976 but does not get blocked at maximum of the pay scale on fixation of pay under Revised New Pay Scale Rules, 1976.

6. The authority competent to make substantive appointment of a Government Servant shall be competent to grant increment under those orders.

by Order
of the Governor

Mangal Behari,
Secretary to Government.

Copy forwarded to:—

1. All Secretaries to Government.
2. All Private Secretaries to Ministers.
3. All Sections of the Secretariat.
4. All Heads of Departments.
5. All Treasury Officers.
6. Codification Section (O&M) with 7 copies
7. Accountant General, Rajasthan, Jaipur (150 copies).

Copy also to the:—

1. Secretary, Rajasthan Legislative Assembly, Jaipur.
2. Secretary, Rajasthan public Service Commission, Ajmer.
3. Registrar, Rajasthan High Court, Jodhpur.

(Mangi Lal Gaur),
Deputy Secretary to Government.

(R. N. P. S. 76-8/77)

GOVERNMENT OF RAJSTHAN.

Finance (Gr. 2) Department

CLARIFICATION

No. F. 10 (6) F. D. (Gr. 2)77 Dated, Jaipur, the 26-11-1977

Sub: Grant of Personal Pay to the Government servants blocked at the maximum of the Pay Sacles under Rajasthan Civil Services (Revised New Pay Scales) Rules, 1976.

The undersinged is directed to invite a reference to Finance Department Order of even number dated 22-7-1977 on the subject noted above and to say that Government servants belonging to Class IV, Ministerial & Subordinate Services/Cadres who are drawing pay at the maximum of pay scale as on 1-9-76 or thereafter under Rajasthan Civil Services (Revised New Pay Scales) Rules, 1976 shall be allowed one increment for every completed period of three years service after reaching maximum of the pay scale of the post held by him subject

to a maximum of two increments. In para 2 (1) of the aforesaid order it has been mentioned that Government servants blocked at the maximum of the pay scale before 1-9-1976 and are again fixed at the maximum of pay scale as a result of fixation of pay in Revised New Pay Scales, 1976 the increments referred to above shall be admissible.

2. Some doubts have been raised regarding the date from which the period of every three years or six years as the case may be is to be reckoned in cases of Government servants who were blocked prior to 1-9-76 and on fixation of pay on 1-9-76 under Revised New Pay Scales Rules, 1976 are again blocked at the maximum of pay scals in Revised New Pay Scales 1976.

3. It is clarified that the period of every three years or six years as the case may be, shall be reckoned from the date of reaching the Government servant at the maximum of the existing pay scale prior to 1-9-1976. In such cases the actual benefit of increments as contemplated in para 1 above shall admissible with effect from 1-9-1976 under Revised New Pay Scales, 1976 only. In cases where period of every three years or six years as the case may be is completed after 1-9-1976 the benefit of increments shall be admissible from the date they complete such period.

4. Some illustrations are given for guidance to make the point more clear in annexure.

ANNEXURE

S. No.	Name of Government servant with designation	Date of reaching at the maximum in the existing pay scale prior to 1-9-1976	Pay fixed on 1-9-76 in R. N. P. S. 76 with pay scale	Date on which period of every three years or six years has been completed for admissibility of increment.		Date from which first increment is admissible	Date from which second increment is admissible.
				Three years	Six years		
1.	'A' L. D. C.	29-12-72	570/(355-570)	29-12-75	29-12-78	1-9-70	29-12-78
2.	'B' L. D. C.	5-3-70	570/(355-570)	5-3-73	5-3-76	1-9-76	1-9-76
3.	'C' L. D. C.	8-10-73	570/(355-570)	8-10-76	8-10-79	8-10-76	8-10-79
4.	'D' Class IV	5-3-70	286/(240-290)	5-3-79	5-3-83	5-3-80	5-3-83
5.	'E' U. D. C.	—	650/(385-650)	1-9-79	1-9-82	1-9-79	1-9-82
6.	'F' U. D. C.	—	630/With next date of increment on 5-12-76 (385-650)	5-12-80	5-12-82	5-12-79	5-12-82

(Mangal Bihari)
Financial Commissioner &
Secretary to Government.

Copy forwarded to :—

1. All Secretaries to Government.
2. All Private Secretaries to Ministers/ State Ministers.
3. All Sections of the Secretariat.
4. All Heads of Departments.
5. All Treasury Officers.
6. Codification Section (O & M) with 7 copies.
7. Accountant General, Rajasthan, Jaipur (150 copies).
8. Vidhi Rachana Sangthan for Hindi Translation.

Copy also to the :—

1. Secretary, Rajasthan Legislative Assembly, Jaipur.
2. Secretary, Rajasthan Public Service Commission, Ajmer.
3. Registrar, Rajasthan High Court, Jodhpur.
4. Secretary, Lokayukth Sachivalaya, Jaipur

M. L. Gaur
Deputy Secretary to Govt.

पीलीबंगा में ईंट का भट्टा

339. श्री हरचन्दसिंह (पीलीबंगा) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या सहकारी श्रमिक ठेका समिति, गोलूवाला के द्वारा पीलीबंगा में ईंट का भट्टा चलाया जा रहा है ?

(2) क्या उक्त भट्टे द्वारा ईंटों की बिक्री पर आज तक कोई बिक्री कर चुकाया है ? अगर हां, तो सालवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(3) क्या राज्य सरकार उस भट्टे पर अवैध ईंटों की बिक्री जो बिक्री कर चोरी करके बेची जा रही है को रोकने की कार्यवाही कर रही है ? अगर हां, तो क्या ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी हां।

(वित्त मन्त्री)

(2) जी हां । 1-10-77 से 31-12-77 तक की अवधि का अस्थायी कर-निर्धारण किया जाकर रु० 3,500/- की मांग निकाली गई है, जिसकी वसूली की कार्यवाही जारी है। 6-1-78 से 31-3-78 तक रु० 280/- त्रैमासिक विवरणिका के अनुसार कर रूप में जमा कराये गये हैं। 1-4-78 से 30-6-78 की अवधि के व्यापारी ने विवरणिका पेश नहीं की है। अतः इस अवधि की अस्थायी कर निर्धारण कार्यवाही जारी है।

(3) अवैध रूप से ईंटों की बिक्री तथा संस्था द्वारा बिक्री कर चोरी करने के विषय में कोई शिकायत विभाग को अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। संबंधित अधिकारियों को इस विषय में पूर्ण सतर्कता बरतने एवं निगरानी रखने को निर्देश दिये जा रहे हैं।

राज्य में नये उद्योग लगाने हेतु ऋण

340. श्री नारायण मीणा (लसाड़िया) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

क्या यह सही है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों से नया उद्योग या धंधा लगाने के इच्छुक लोगों को ऋण प्राप्त करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? ऋण प्रदान करने संबंधी प्रक्रिया इतनी जटिल है कि सामान्य लोगों के लिए तो ऐसा ऋण प्राप्त करना एक प्रकार से असम्भव ही है ? यदि हां, तो राज्य सरकार ऋण प्रक्रिया को सरल करने के संबंध में क्या व्यवस्था कर रही है ?

उत्तर

यह सही है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों से नया उद्योग या धंधा लगाने के इच्छुक लोगों को ऋण प्राप्त करने में कुछ कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। प्रत्येक जिले में लीड बैंक की व्यवस्था है जो जिला स्तर पर जिलाधीश की अध्यक्षता में बैठकों का आयोजन करते हैं जिनमें आसामियों को दिए जाने वाले ऋणों की समीक्षा की जाती है और समस्याओं का समाधान किया जाता है। राज्य सरकार प्रशासनिक स्तर पर समस्याओं के समाधान में सहयोग करती हैं। ऋण प्रदान करने संबंधी प्रक्रिया कुछ जटिल अवश्य है परन्तु फिर भी सामान्य लोगों को ऋण प्राप्त हो रहा है। यह प्रक्रिया भारत सरकार द्वारा निर्धारित की हुई है जिसके सरलीकरण के बारे में भारत सरकार ही सक्षम है।

ग्राम भुनगढ़ा (अलवर) में पंचायत के चुनाव

341. श्री रामकरणसिंह (कोटपूतली) : क्या निर्वाचन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) यह सही है कि ग्राम भुनगढ़ा खुर्द तहसील मुण्डावर जिला अलवर में हुए सरपंचों के चुनावों में कुछ असामाजिक तत्वों ने मत पेटियां कुए में डाल दीं तथा मारपीट की थी जिसके कारण दुबारा चुनाव करवाना पड़ा है ?

(श्री रामकरणसिंह)

(2) इन असामाजिक तत्वों के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? क्या राज्य सरकार जांच कराकर असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्यवाही करने का विचार रखती है? अगर हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है।

(2) इनके खिलाफ पुलिस द्वारा मु० नं० 13 दिनांक 5-2-78 को धारा 392/353/332/440 आई० पी० सी० एवं धारा 136 एफ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत मुण्डावर में पंजीकृत हुआ है। इन असामाजिक तत्वों के खिलाफ उपरोक्त मुकदमे की तफतीश सी० आई० डी०, जयपुर द्वारा की जा रही है। वहां से जांच रिपोर्ट प्राप्त होते ही शीघ्रातिशीघ्र आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

पार्वती नदी पर पुल का निर्माण

342. श्री जगदीशसिंह (धौलपुर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

धौलपुर में पार्वती नदी का पुल सैंपउ के पास क्यों नहीं बनाया जा रहा है? क्या इस पुल के न बनने से धौलपुर की स्थिति ऐसी है जैसी हिन्दुस्तान पाकिस्तान की? क्या राज्य सरकार यह नहीं महसूस करती कि बगैर पुल के धौलपुर क्षेत्र की जनता धौलपुर आने से ही महरूम रह जाती है इस तरह से जनता का शहर से बिल्कुल सम्बन्ध विच्छेद हो जाता है। इस पर क्या कार्यवाही हो रही है? और क्या पुल की योजना पिछले दस वर्ष से नहीं चल रही है?

उत्तर

काम का एक कम्पनी को ठेका दिया था जिसने बीच में ही छोड़ दिया। अग्रिम कानूनी कार्यवाही चालू है।

जी नहीं।

अधिक वर्षा में आवागमन कुछ समय के लिए रुकता है।

दुबारा टैण्डर मांग लिए हैं।

जी हां।

जिला बूंदी में सड़क निर्माण कार्य

343. **श्री गोपाल पचेरवाल** (केशोरायपाटन) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला बूंदी में वर्तमान वित्तीय सत्र में किन-किन सड़कों के निर्माण को प्रस्तावित किया गया है तथा प्रस्तावित सड़क निर्माण में से कितनी सड़कों को निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है ?

(2) जिला अन्तर्गत तहसील केशोरायपाटन क्षेत्र में कितनी सड़कों के निर्माण प्रस्तावित किए गए थे और कितने निर्माणों की स्वीकृति दी जा चुकी है ? सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) वर्तमान वित्तीय सत्र में तीन सड़कें जिनकी अनुमानित लागत 19.75 लाख रु० है, स्वीकृत कर दिये गये हैं। इसके अलावा जो बूंदी जिले की सड़क पिछले वर्ष या पहले से स्वीकृत और इस वर्ष प्रावधान किया है (सूची 'अ' संलग्न) है।

(2) केशोरायपाटन क्षेत्र की सड़कों के सम्बन्ध वांछित सूचना को सूची 'अ' व 'ब' में दिखलाया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रख दी गयी)

जिला परिषदों का चुनाव

344. **श्री माणकचन्द ठाकोर** (नैनवा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में जिला परिषदों के चुनाव कब तक करा लिये जावेंगे ?

(2) क्या राज्य में पंचायत समितियों की प्रथा बन्द की जा रही है ?

(3) पंचायती राज्य से सम्बन्धी क्या–क्या परिवर्तन एवं सुधार राज्य सरकार करने जा रही है ?

उत्तर

(1) अभी निश्चित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब तक अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट पर राज्य सरकार पूरा विचार नहीं कर लेती है।

(2) मद संख्या एक के उत्तर को ध्यान में रखते हुए अभी प्रश्न पैदा नहीं होता।

(3) मद संख्या एक के उत्तर को ध्यान में रखते हुए अभी प्रश्न पैदा नहीं होता।

(229)

जोधपुर जिले में डेयरी मार्गों पर सड़क निर्माण कार्य

345. श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जोधपुर जिले में पश्चिमी राजस्थान दुग्ध उत्पादक संघ की ओर से; कौन-कौन से डेयरी रूट के लिए पक्की सड़कें; पुलिएं आदि का निर्माण करने हेतु डी.पी.ए.पी. द्वारा कितनी–कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है या स्वीकृत करने हेतु सिफारिश की गई है ?

(2) इन डेयरी मार्गों पर सड़कों के निर्माण हेतु स्वीकृति होने के बावजूद आज तक सड़क का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं करने के क्या कारण रहे हैं ?

(3) क्या यह सही है कि इन स्वीकृत मार्गों पर वर्षा के दिनों में दूध वाहनों के आने–जाने के लिये रास्ते बन्द हो जाते हैं और कच्ची सड़कें इतनी ज्यादा खराब हो चुकी हैं कि इस पर दूध के वाहन आने-जाने में दूध केन्स में से बाहर निकल जाता है जिससे प्रतिदिन हजारों रुपयों का नुकसान पशुपालकों को उठाना पड़ता है व वाहन भी समय पर नहीं पहुंच पाता जिससे दूध फट जाता है ? अगर हां, तो ये मार्ग कब तक पक्के बनाने शुरू कर दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) जोधपुर जिले में निम्न दुग्ध मार्गों पर पक्की सड़क बनाने हेतु डी.पी.ए.पी. के अन्तर्गत 47.69 लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं:—

1.	भाजी चिनढाणी	17 कि०मी०	14.44 लाख रुपये
2.	लाम्बा–बाल्दलाव	25 कि०मी०	21.25 " "
3.	पुड़ा–बारनेरा	12 कि०मी०	12.00 " "
		54 कि.मी.	47.69 लाख रुपये

(2) सड़कों के सर्वे और तखमीने का कार्य चालू है, व निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ होने की आशा है।

(3) जी हां, कच्चे मार्गों से दूध लाने में कुछ कठिनाइयां होती हैं उपलब्ध वित्तीय साधनों के अनुसार इन मार्गों को पक्का बनाने का कार्य इस वर्ष से प्रारम्भ, किया जा रहा है।

समाज कार्य एवं अनुसंधान केन्द्र तिलोनियां की जांच

346. श्री करतार सिंह (किशनगढ़) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि समाज कार्य एवं अनुसंधान केन्द्र, तिलोनियां (अजमेर) नामक संस्था के कार्य कलापों की जांच हेतु राज्य सरकार द्वारा पिछले कुछ माह पूर्व एक जांच अधिकारी की नियुक्ति की गई थी ? यदि हां, तो क्या जांच अधिकारी ने अपनी जांच पूर्ण कर रिपोर्ट राज्य सरकार को पेश कर दी है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह भी सही है कि जांच के दौरान यह सही पाया गया है कि समाज कार्य एवं अनुसंधान केन्द्र, तिलोनियां नामक संस्था ने उसे अनुदान में मिली धनराशि का दुरुपयोग किया है ?

(3) यदि हां, तो राज्य सरकार ने जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद इस संस्था के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है तथा आगे क्या कार्यवाही करने का राज्य सरकार विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां, प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जांच अधिकारी द्वारा केवल प्रारम्भिक जांच की गई थी। उनके द्वारा जांच रिपोर्ट में इस संस्था को भारत सरकार एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा अनुदान के रूप में जो धनराशि दी गई थी के उपयोग के सम्बन्ध में सन्देह व्यक्त करते हुए सम्बन्धित विभागों द्वारा अनुदान की राशि के उपयोग के सम्बन्ध में विस्तृत जांच कराने की सिफारिश की गई।

(3) इस संस्था को विभिन्न विभागों द्वारा जो अनुदान की राशि दी गई है उसके उपयोग के सम्बन्ध में विस्तृत जांच कराने हेतु सम्बन्धित विभागों को लिखा जा चुका है।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रख दी गयी)

अतिवृष्टि से मकानों को क्षति

347. श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) : क्या बाढ़ एवं राहत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) इस वर्ष हुई बाढ़ व अतिवृष्टि से झुन्झुनूं, सीकर व चूरू जिले में कितने मकान गिर गए हैं ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(237)

(श्री नवरंग सिंह)

(2) उक्त जिलों में जिन-जिन परिवारों के मकान गिरे हैं, उनको अब तक सरकारी व गैर सरकारी तौर पर क्या सहायता दी गई है ?

(3) झुन्झुनूं जिले के कौन-कौन से गांवों की जमीन बाढ़ के कारण नष्ट हो गई, तथा कितने कुए मिट्टी से पट गए हैं ? अब तक सरकारी स्तर पर क्या-क्या प्रयास किए गए हैं ? विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) सहायता विभाग में उपलब्ध सूचना के अनुसार झुन्झुनूं, सीकर व चूरू जिले में कुल 1, 72, 304 मकान क्षतिग्रस्त हुये हैं। जिलेवार सूची संलग्न है।

(2) बाढ़ से क्षतिग्रस्त मकानों के परिवारों को इन तीनों जिलों में 105.41 लाख रुपये की निःशुल्क सहायता दी गई है जिसका जिलेवार विवरण संलग्न सूची में दिया गया है।

उपरोक्त के अलावा ऐसे परिवारों को राहत प्रदान करने के लिए टीन की चद्दरें, तिरपाल, सिरकियां आदि भी उपलब्ध कराई हैं तथा जिलाधीशों को सीमेन्ट का विशेष कोटा भी आंवटित किया गया है।

राज्य सरकार के अलावा गैर सरकारी संस्थाओं एवं व्यक्तियों द्वारा भी प्रभावित लोगों को सहायता पहुंचाई गई है लेकिन उसकी सम्पूर्ण सूचना विभाग को प्राप्त नहीं हो सकी है। गैर सरकारी सहायता के सम्बन्ध में प्राप्त जानकारी का विवरण संलग्न है।

(3) जिलाधीश, झुन्झुनूं ने सूचित किया है कि उनके जिले की तहसील उदयपुरवाटी, चिड़ावा तथा खेतड़ी के निम्न गांवों की 1956 हेक्टर भूमि बाढ़–प्रभावित हुई है तथा जिले के 130 कुए मिट्टी से पट गए हैं:—

नाम तहसील	नाम ग्राम
उदयपुर वाटी	चिराना
चिड़ावा	तिमियास, छतरवाला, जखोड़ा, बजावा, खुडिया, बदनगढ़, बुडानिया
खेतड़ी	महनसर, सहड, रयां, डूमोली, बृजपुरा, पालोता, लोयल, बांसियाल, मान्दरी, इस्कपुरा, एवं लिखवा

प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने हेतु राज्य सरकार निःशुल्क गेहूं के वितरण की व्यवस्था कर रही है।

(बाढ़ एवं राहत मंत्री)

उपरोक्त के अलावा सहायता विभाग ने भारत सरकार से प्राप्त अग्रिम सहायता योजना राशि में से झुन्झुनूं जिले के बाढ बचाव कार्यों के लिए 10 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की है जिसका उपयोग जिले के प्रभावित बंध-सूक्ता नदी नालों की मरम्मत व पानी के बहाव के मार्ग को ठीक करने पर व्यय किया जायगा, ताकि बाढ से क्षतिग्रस्त भूमि की सुरक्षा हो सके।

तहसील सोजत जिला पाली के किस्म जमीनवार भूमि दरें प्रति हैक्टेयर

सूची "क"

क. सं.	नाम जमीन किस्म	कर निर्धारण मण्डलवार भूमि दरें प्रति हैक्टेयर		विशेष विवरण
		मण्डल प्रथम	मण्डल द्वितीय	
1	2	3	4	5
1–	चाही प्रथम	40–00	32–00	
2–	चाही द्वितीय	32–00	25–00	
3–	चाही तृतीय	19–00	18–00	
4–	चाही जाव प्रथम	14–00	11–00	
5–	चाही जाव द्वितीय	11–00	8–00	
6–	चाही जाव तृतीय	6–00	6–00	
7–	मेहन्दी	24–00	24–00	
8–	पेटा तालाबी	15–00	14–00	
9–	नहरी	15–00	14–00	
10–	सेवज	8–00	7–00	
11–	बारानी प्रथम	6–00	5–00	
12–	बारानी द्वितीय	5–00	4–00	
13–	बंजड	2–00	2–00	

233

तहसील खारची, जिला पाली की किस्म जमीनवार भूमि दरें प्रति हैक्टेयर

सूची "ख"

क्रम सं.	नाम किस्म जमीन	कर निर्धारण प्रति हैक्टेयर मण्डलवार भूमि दरें			विशेष विवरण
		मण्डल पहाड़ी	मण्डल मीठा पानी का मैदानी भाग	मण्डल खारा पानी का मैदानी भाग	
1	2	3	4	5	6
1–	चाही प्रथम	25–69	39–33	37–55	
2–	चाही द्वितीय	20–96	31–62	29–64	
3–	चाही तृतीय	15–81	21–74	19–76	
4–	चाही जाव प्रथम	5–93	7–12	7–12	
5–	चाही जाव द्वितीय	4–75	5–74	5–74	
6–	चाही जाव तृतीय	3–75	4–75	4–75	
7–	नहरी	7–90	11–86	9–88	
8–	पेटा तालाब	9–88	—	15–81	
9–	बारानी उत्तम	6–32	—	—	
10–	बारानी प्रथम	4–75	5–53	5–53	
11–	बारानी द्वितीय	3–95	3–95	3–95	
12–	बारानी तृतीय	2–77	2–96	2–96	
13–	बंजड	1–99	1–98	1–98	

तहसील, सलूम्बर में सड़कों का निर्माण

349. श्री मावजी (कुशलगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

1. तहसील सलूम्बर, जिला उदयपुर में निम्नलिखित सड़कों के निर्माण कार्य राज्य सरकार की योजना में हैं अगर योजना के अन्तर्गत हैं तो इस पर राज्य सरकार द्वारा कितनी राशि खर्च की जा रही है:—

(1) कूरावड़ से जगत वाया गिंगला सड़क निर्माण कार्य।

(2) कूरावड़ से खरका वाया बम्बोरा सड़क निर्माण कार्य।

(श्री मावजी)

(3) सलूम्बर से वेड़वल वाया बम्बोरा सड़क निर्माण कार्य।

(4) बोलड़ी से खेड़ा, खड़ेला पाल होते हुए माता सूला तक का कार्य।

(5) मातासूला से मबराना कच्ची सड़क को पक्की में परिवर्तित करने सम्बन्ध में

(6) खोलड़ी से अमलोदा होते हुए इनणीया पाडला तक सड़क निर्माण कार्य।

(7) सलूम्बर समिति से डार, टोडा, मलाड़ा, शक्तावतों का गुडा व सेमारी तक।

(8) डेगरी रोड से वस्सी, माटफार्म, सलाड़ा, उदयपरिया व डेगरी स्टेशन तक।

(9) खेराड़ से दौलपुरा, झाम्मुडा, माकड़सीम व करावली तक।

(2) उक्त सड़कों के निर्माण कार्य को कब तक पूरा करने का प्रस्ताव है ?

उत्तर

1. जी हां ?

(1) रुपये 6.30 लाख की लागत पुलियां में बनाने हेतु स्वीकृत करने का प्रावधान है। छठी पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित है।

(2) इस सड़क का केवल कूरावड से बम्बोरा भाग दो भागों में प्रस्तावित है पहले भाग में रू. 22 लाख कृषि उपज मण्डी स्कीम के तहत है दूसरा भाग रुपये 3 लाख की लागत से छठी योजना में प्रस्तावित है। इसी सड़क का बम्बोरा से खरका भाग भीण्डर-सलूम्बर सड़क के तहत चल रहा है।

(3) प्रस्तावित नहीं है।

(4) प्रस्तावित नहीं है।

(5) इस सड़क का पक्का करना, रुपया 2.50 लाख की लागत से कृषि उपज मण्डी स्कीम में प्रस्तावित है।

(6) प्रस्तावित नहीं है।

(7) प्रस्तावित नहीं है।

(8) प्रस्तावित नहीं है।

(9) प्रस्तावित नहीं है

2. सड़क की छठी योजना के अन्त तक पूरा होने का प्रस्ताव है। क्रम सं० 2 सड़क भी छठी योजना के अन्त तक पूरी होने की सम्भावना है व क्रम सं० 5 सन् 1978-79 तक पूरा होने की सम्भावना है।

(235)

तहसील सोजत एवं खारची में सेटलमेंट का कार्य

350. **श्री माधवसिंह दीवान (सोजत)** : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील सोजत तथा खारची जिला पाली में पिछले सेटिलमेंट आपरेशन कब शुरू हुए तथा कब पूरे हुए तथा पट्टों का वितरण कब किया गया ?

(2) दोनों तहसीलों में उपरोक्त सेटिलमेंट में कितने किस्म की भूमि मानी गई तथा उनकी प्रति हैक्टर क्या रेट तय की गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या ऊंची रेट लगाने (कुछ किस्मों में, खारची तहसील से दुगुनी) के विरुद्ध तथा मेहन्दी को भी किस्म मानने बाबत सोजत तहसील के किसानों के एक प्रतिनिधि मंडल ने भूतपूर्व- राजस्व मन्त्री को मिल कर एक ज्ञापन दिया था? यदि हां, तो उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें तथा उस ज्ञापन के उत्तर में सेटिलमेंट आफिसर, जोधपुर द्वारा जो पत्र कमिश्नर को लिखा गया उसकी प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। इस पत्र पर राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की? यदि नहीं की तो क्यों नहीं की ? तथा अब क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(4) क्या यह भी सही है कि सोजत तहसील में सेटिलमेंट आपरेशन के दौरान भ्रष्टाचार का खुला दौर रहा तो इस प्रकार भ्रष्टाचार फिर न पनपे इसलिए विभाग के वर्किंग में राज्य सरकार क्या फेर बदल करने जा रही है ?

उत्तर

(1) तहसील सोजत मे भू-प्रबन्ध कार्य राजस्थान राजपत्र दिनांक 10-12-70में राज० भू-राजस्व अधिनियम, 1956 का धारा 106, 107व 142 की विज्ञप्तियां प्रकाशित होने के बाद 1972 में आरम्भ कराया गया था इस तहसील में पर्चे लगानी का वितरण दिनांक5-5-77 से 13-5-77तक कराये गये हैं। इस समय इस तहसील की उजरदारी सुनी जाकर सफाई रेकार्ड तैयार कराया जा रहा है।

(ख) तहसील खारची मे भूप्रबन्ध कार्य राज० राज पत्र दिनांक 2-1-1969में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 106, 107 व 142 की विज्ञप्तियां प्रकाशित होने पर प्रारम्भ कराया जाकर दिनांक 4-9-75 को भूप्रबन्ध कार्यवाहियां बन्द करने की विज्ञप्तियां प्रकाशित होने पर बन्द करदिया गया था। व रेकार्ड राजस्व विभाग को दे दिया गया था इस तहसील के पर्चे लगानी दिनांक 25-12-72 से 7-1-73 तक वितरण किये गये थे।

(2) तहसील सोजत में 13 तथा खारची मे भी 13 ही किस्म की भूमि रखी गई थी। किस्म वार प्रति हैक्टेयर भूमि दर सूची 'क' व 'ख' संलग्न है।

(राजस्व मंत्री)

(3) जी हां। लेकिन यह कहना सही नहीं है कि तहसील सोजत की भूमि दरें तहसील खारची से दुगुनी स्वीकार की गई है इसकी सूची क,ख देखने से स्पष्ट हो जायगा। आपत्ति सम्बन्धी सम्पूर्ण जांच करके भू-प्रबन्ध अधिकारी ने इन आपत्तियों का निराकरण भी मौके पर उजरदारी सुनवाई के समय सम्बन्धित कृषकों को समझा करके करा दिया है अब कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती।

(4) इस विषय में कोई शिकायत विभाग को प्राप्त नहीं हुई है अतः विभाग के वर्किंग में फेर बदल करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

तारांकित प्रश्न संख्या 28 सा० नि० म० की सूची

विधान सभा प्रश्न संख्या 28/सा० नि० म० द्वारा माननीय श्री नवरंग सिंह सदस्य के साथ झुन्झुनूं, चूरू एवं सीकर में हुई बाढ एवं ओलावृष्टि से सम्बन्धित जानकारी का विवरण

क्र० सं०	नाम जिला	क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या एवं पुनर्निर्माण हेतु दी गई राजकीय सहायता								विवरण अन्य राजकीय सहायता		विवरण और सरकारी सहायता
		मकान संख्या				आवंटित राशि (लाख रुपये में)						
		कच्चे		पक्के								
		पूर्ण	आंशिक	पूर्ण	आंशिक	योग	पुर्नवास व्यवस्था	नकद सहायता मकानों के लिये	भोजन व्यवस्था	टीन शीट्स	सीमेन्ट	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	झुन्झुनूं	15883	18966	3584	10377	48810	1.25	32.32	0.93	150 मे. टन	1000 मे. टन सीमेंट का आवंटन 21682 परिवारों को 71715 बोरियां सीमेन्ट कीमत पर उपलब्ध कराई गई।	जिले में रेडक्रास ने 15000 रुपये के बिस्कुट, कपड़े व कम्बल तथा अन्य गैर सरकारी संस्थाओं ने 6 लाख रुपये की सहायता तथा 1600 टीन को चद्दरों का वितरण किया है।

2.	सीकर	21 01	–	994	4343	27438	1.25	19.33	0.92	100 मै. टन	1000 मै. टन	तहसील फतेहपुर में 1.70 लाख रु० की गैर सरकारी सहायता वितरित हुई है।
3.	चूरू	59457	–	36599	–	96056	3.47	53.76	1.77	100 मै. टन	1000 मै. टन	गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा भी टीन की चद्दरें, खाना व कपड़े की व्यवस्था की गई तथा बैंकों से मकानों के लिए कर्जा दिलाये जाने की सूचना दी है।
	कुल योग....	97441	18966	41177	14720	172304	5.97	105.41	3.62	350 मै. टन	3000 मै. टन	

मैंड़-मनोहरपुर सड़क का निर्माण कार्य

351. श्री रामेश्वर प्रसाद (जमवारामगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या मैंड़-मनोहरपुर रोड़ (जयपुर) के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है ? यदि हां, तो कार्य क्यों नहीं प्रारम्भ किया जा रहा है ?

(2) अब तक मिट्टी का कितनी बार कार्य इस रोड़ पर चल चुका है ?

(3) उक्त रोड़ पर अब तक कितना धन खर्च हुआ है तथा अब कितना धन स्वीकृत हुआ है ?

(4) अब तक इस पर जो धन खर्च हुआ वह क्या वर्षा के पानी के कारण व्यर्थ गया, इसकी जिम्मेदारी किस अधिकारी की है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

यह सड़क 21 कि. मी. लम्बी है जो केवल मैंड़ से खोरा लाडखानी जो 11 कि. मी. है तक स्वीकृत है और बाकी भाग छठी पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित है।
जी नहीं।

कार्य प्रारम्भ कर मैंड खोरा—लाडखानी का कार्य 6 कि. मी. मेटल बन चुकी है।

(2) एक बार में फेमिन के अन्तर्गत 4 कि. मी. व बाकी 2 भागों में विभागीय कार्य कराया गया।

(3) अभी तक 3.38 लाख खर्चा हुआ है। इस सड़क की प्रशासनिक स्वीकृति 4.20 लाख रु. की प्राप्त है।

(4) जी नहीं।

झाड़ोल में केम्पकोर्ट

352. श्री लालूदास (फलासिया) : क्या विधि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कोटड़ा में स्थित कोर्ट, झाड़ोल, फलासिया और ओगना से सम्बन्धित मामलों को डील करता है ?

(2) क्या यह सही है कि जन-जाति के लोगों को अपने केसों के लिये दुर्गम स्थानों से कोटड़ा आना पड़ता है जिससे कि बरसात में आवागमन अवरुद्ध होने के कारण केसों में उपस्थित नहीं हो पाते हैं? अगर हां, तो महीने के दस दिन क्यों नहीं कोर्ट को झाड़ोल में रखे जाने का राज्य सरकार विचार करती हैं ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) कोटड़ा भी जन-जाति व आदिवासी क्षेत्र होने से मुन्सिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय वहीं स्थापित किया गया है। झाडोल मे न्यायालय का शिविर लगाने मे वहां कठिनाई होनी सम्भव है। इससे न तो मुख्यालय पर, न ही शिविर न्यायालय पर कार्य सुचारू रूप से हो सकता है। इस सम्बन्ध में राजस्थान उच्च न्यायालय से परामर्श चल रहा है क्योंकि राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श के बिना कोई न्यायालय एवं शिविर न्यायालय स्थापित नहीं कर सकती। परामर्श प्राप्त होने पर इस मुद्दे पर विचार किया जा सकेगा।

स्पिनिंग मिल्स, गुलाबपुरा की खराब मशीनें

353. श्री कौशलकिशोर जैन (भीलवाड़ा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सहकारी स्पिनिंग मिल, गुलाबपुरा, जिला भीलवाड़ा में 6 लाख रुपये की 4 मशीनें 4 मास से बेकार पड़ी हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि डबलिंग मशीन 400 स्पेण्डिल की जगह 432 स्पेण्डिल की खरीदी गई जिसके कारण अन्य मशीनें भी बेकार पड़ी हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि 8 लाख मूल्य की रिलिंग, बेलिंग तथा प्रेसिंग मशीनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो क्या कारण है तथा राज्य सरकार अब इसके लिए क्या योजना रखती है ?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है कि सरकारी स्पिनिंग मिल, गुलाबपुरा में 6 लाख रुपये मूल्य की 4 मशीनें 4 मास से बेकार पड़ी हैं। हाल ही में क्रय की गई 4 डबलिंग मशीनों में से दो मशीनें काम में आ रही है और दो अण्डर करेक्शन है। इन्हें शीघ्र करेक्ट करवाने के लिये मिल उचित कार्यवाही कर रही है।

(2) यह सही है कि डबलिंग मशीनें 432 से स्पेण्डिल की ही खरीदी गई हैं किन्तु यह सही नहीं है कि इसके कारण अन्य मशीनें बेकार पड़ी हैं।

(3) यह सही नहीं है कि 8 लाख रुपये के मूल्य की रिलिंग, बेलिंग तथा प्रेसिंग मशीनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो रहा है। उक्त सभी मशीनें वैकल्पिक मशीनों की श्रेणी में आती है अर्थात् इन मशीनों का उपयोग समस्त टेक्सटाइल मिलों में समय-समय पर बाहर की स्थिति के अनुसार धागे निर्माण हेतु किया जाता है। उक्त मशीनें वर्ष 1948 में मिल की विस्तार योजना के अन्तर्गत पहली बार लगाई गई है एवं इन पर 2/20 व 20 काउन्ट

(सहकारिता मंत्री)

हैन्क के सूत का आवश्यकतानुसार सफल निर्माण किया जा रहा है। समय-समय पर 2/20 व 20 काउन्ट हैन्क सूत के यदि अन्य काउन्टों में तुलनात्मक अधिक लाभदायकता प्रतीत होगी तो इन मशीनों का पूर्ण या आंशिक रूप से उपयोग बन्द भी किया जा सकता है।

राज्य में जहरीली शराब पीने से मृत्यु

354. श्री **रामनारायण चौधरी** (मण्डावा) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : -

(1) चालू वित्तीय वर्ष में राजस्थान में कितने लोग नाजायज जहरीली शराब पीने के कारण मरे तथा इस सम्बन्ध में दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

(2) मृतक परिवारों के आश्रितों को राज्य सरकार की तरफ से कितनी सहायता दी गयी और यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) नाजायज जहरीली शराब के सेवन करने से कुल 29 लोगों की मृत्यु हुई है। इनसे सम्बन्धित मृतकों के विषय में जांच रिपोर्ट के आधार पर कोई भी विभागीय अधिकारी दोषी नहीं पाये गये।

(2) आबकारी विभाग द्वारा मृतकों के परिवारों के सदस्यों को किसी प्रकार की सहायता नहीं दी गई।

नागौर केन्द्रीय सहकारी बैंक से टोरडा ग्राम सेवा सहकारी समिति को ऋण

355. श्री **रामेश्वरलाल चौधरी** (नौवा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1976 में नागौर केन्द्रीय सहकारी बैंक से रूपपुरा–टोरडा ग्राम सेवा सहकारी समिति को कितना ऋण स्वीकृत किया गया ?

(2) किन-किन सदस्यों को कितना-कितना ऋण ग्राम सेवा सहकारी समिति द्वारा वितरण किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या ग्राम सेवा सहकारी समिति रूपपुरा-टोरड़ा का विलीनीकरण ग्राम सेवा सहकारी समिति रसाल में हो चुका है ? अगर हां, तो क्या विलीनीकरण के पश्चात् समस्त रिकार्ड ग्राम सेवा सहकारी समिति रसाल को दिया जा चुका है ?

(4) सदस्यों को जो ऋण वितरण हुआ है उसमें से अब तक कितनी वसूली हो चुकी है वसूली नहीं हुई, तो किस कारण ?

242

उत्तर

(1) वर्ष 1976 में नागौर सेन्ट्रल को-ओपरेटिव बैंक लि० रूपपुरा–टोरड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति को दिनांक 23-6-76 को 79400/–तथा 26-8-76 को 12600/– कुल 92000/– रु० का ऋण स्वीकृत किया गया था।

(2) समिति द्वारा सदस्यों को ऋण सूची के अनुसार स्वीकृत किया गया है। (सदस्यों की सूची व राशि को ऋण के रूप में दी गई है, संलग्न हैं)

(3) रूपपुरा-टोरडा ग्राम सेवा सहकारी समिति का विलीनीकरण रसाल ग्राम सेवा सहकारी समिति से हो चुका है। रूपपुरा टोरडा ग्राम सेवा सहकारी समिति के तत्कालीन मन्त्री द्वारा समिति का रेकार्ड अभी ग्राम सेवा सहकारी समिति रसाल के पदाधिकारियों को सुपुर्द नहीं किया गया है।

(4) सदस्यों को ऋण वितरण हुआ है किन्तु रूपपुरा टोरड़ा-ग्राम सेवा सहकारीसमिति के तत्कालीन मन्त्री द्वारा समिति का रेकार्ड रसाल ग्राम सेवा सहकारी समिति के पदाधिकारियों को नहीं सुपुर्द करने के कारण वसूली का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। मन्त्री से रिकार्ड प्राप्त करने की कार्यवाही अधिनियमों के अनुसार जारी है।

रूपपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति, विवरण-सूची

क्र.सं.	नाम सदस्य मय पिता	दिनांक	राशि
1	2	3	4.
1.	श्री मांगीलाल/ मुन्नाराम	3-7-76	400-00
2.	,, आसुक/सुखा	,,	400-00
3.	,, नन्दा/जयदेव	,,	300-00
4.	,, कल्याणसिंह/रोलानसिंह	,,	300-00
5.	,, जोधु/जेठु	,,	500-00
6.	,, सोहन/ जयदेव	,,	200-00
7.	,, चन्द्रसिंह/ अमरसिंह	,,	400-00
8.	,, हमीरसिंह/जयसिंह	,,	400-00
9.	,, मांगु /भोलु	,,	500-00
10.	,, चन्द्रा/ हुकमा	,,	300-00
11.	,, धीसा/उमा	,,	400-00
12.	,, रतनसिंह/ पनेसिंह	,,	400-00
13.	,, भोन्दू/ भेरु	,,	500-60
14.	,, उदाराम/बिडदाराम	,,	300-00
15.	,, पन्नाराम/ चन्द्राराम	,,	500-00

243

1	2	3	4
16.	श्री बालुराम/ चन्द्राराम	3-7-76	400-00
17.	,, केसाराम/ मोडूराम	,,	500-00
18.	,, रूपाराम/मोडूराम	,,	200-00
19.	,, घीसा देवी/ रामुराम	,,	300-00
20.	,, पुरण /सुखा	,,	400-00
21.	,, मुगा/गोपी	,,	400-00
22.	,, सुरखा/ मादू	,,	500-00
23.	,, सरजा/ उमा	,,	500-00
24.	,, गोगा/ तुलसी	,,	200-00
25.	,, जेतु/ भीमा	,,	500-00
26.	,, त्रिलोका/जेतु	,,	200-00
27.	,, सुरजा /मनरूप	4-7-76	400-00
28	,, भोरा /काना	,,	300-00
29	,, अर्जुन/बालू	,,	500-00
30	,, चांदू/ फूला	,,	400-00
31	,, चांदू/ भामीरथ	,,	400-00
32.	,, मादोदान/रामकरण दान	,,	400-00
33.	,, मोडू/ कल्ला	,,	200-00
34.	,, सुजानसिंह/ रूपसिंह	,,	400-00
35	,, सुवटी/ उमा	,,	400-00
36.	,, गगली/लोकू	,,	200-00
37.	,, लादू/घीसा	,,	300-00
38.	,, उमानाथ/ सुखानाथ	,,	200-00
39.	,, गोपीनाथ/ मानानाथ	,,	200-00
40.	,, चन्ददास/ बालदास	,,	300-00
41.	,, अर्जुन/जवाना	,,	300-00
42.	,, भेरूराम/ पदमा	,,	300-00
43.	,, सुखदेव/ धना	,,	300-00
44.	,, नाथूनाथ/ सुखनाथ	,,	300-00
45.	,, रामनाथ/सुखा जवाई	,,	200-00
46.	,, लक्ष्मणसिंह/ सुमेरसिंह	3-7-76	500-00
47.	,, जतनसिंह/ शैतानसिंह	,,	500-00
8	,, गिरधरदान/बालदान	,,	500-00
49.	,, भंवरसिंह/सुमेरसिंह	4-7-76	1000-00

1	2	3	4
50.	श्री रूपसिंह/बलवन्तसिंह	3-7-76	500-00
51.	,, नाथुसिंह/बलुसिंह	,,	500-00
52.	,, खादूसिंह/गंगासिंह	,,	500-00
53.	,, मोहनसिंह/मानसिंह	4-7-76	500-00
54.	,, चन्दा/वन्ना	,,	500-00
55.	,, भंवरसिंह/भीमसिंह	,,	500-00
56.	,, गोवर्धन/भोलिया	,,	500-00
57.	,, मांगू/लिछमणा	,,	500-00
58.	,, कल्याणसिंह/माधूसिंह	,,	500-00
59.	,, फूसकंवर/सुमेरसिंह	,,	700-00
60.	,, बोनेसिंह/गंगासिंह	,,	500-00
61.	,, तेजसिंह/ओंकारसिंह	3-7-76	700-00
62.	,, बजरंगसिंह/बचनसिंह	,,	500-00
63.	,, इन्द्रसिंह/प्रतापसिंह	,,	500-00
64.	,, रामसिंह/भंवरसिंह	,,	500-00
65.	,, भंवरसिंह/धीरसिंह	,,	500-00
66.	,, हरिसिंह/प्रतापसिंह	,,	500-00
67.	,, कल्याणसिंह/देवीसिंह	,,	500-00
68.	,, भूरकंवर/भंवरसिंह	,,	500-00
69.	,, भंवरसिंह/रतनसिंह	,,	700-00
70.	,, सुरजनसिंह/देवलसिंह	,,	500-00
71.	,, गुलाबसिंह/कल्याणसिंह	,,	300-00
72.	,, छीतरसिंह/नाथूसिंह	,,	500-00
73.	,, पूसा/देवा वक्ता	,,	500-00
74.	,, रूपसिंह/हुक्मा दरोगा	,,	500-00
75.	,, शैतान दान/हिंगलालदान	4-7-76	500-00
76.	,, महताबसिंह/मोहनसिंह	3-7-76	500-00
77.	,, भंवरलाल/हनुमान ब्राह्मण	,,	400-00
78.	,, समन्दरसिंह/दोलतसिंह	,,	500-00
79.	,, छगन/भंवरसिंह	,,	500-00
80.	,, बालु/शिवलाल	4-7-76	500-00
81.	,, नातू/पदमा	,,	400-00
82.	,, छोटू दास/बालदास	3-4-76	400-00
83.	,, उम्मेदसिंह/जतनसिंह	,,	400-00

245

1	2	3	4
84.	श्री खेमसिंह/दूधसिंह	3–4–76	400-00
85.	,, मोहनसिंह/ रावतसिंह	,,	400-00
86.	,, सज्जनकुंवर/ जतनसिंह	4-7-76	400-00
87.	,, खुमाणसिंह/शेतानसिंह	,,	500-00
88	,, किशनलाल/जोधदास	3-7-76	500-00
89.	,, रतनसिंह/मोहनसिंह	,,	400-00
90.	,, मानसिंह/प्रतापसिंह	,,	500-00
91.	,, रघुनाथमल /भूलराम	,,	400-00
92.	,, उम्मेदसिंह/ उगमसिंह	,,	500-00
93.	,, कानसिंह/ दुर्जनसिंह	,,	500-00
94.	,, भजेन्द्रसिंह/ भंवरसिंह	,,	400-00
95.	,, हनुमानसिंह/ रूपसिंह	4-7-76	500-00
96.	,, छगनकंवर/ हरिसिंह	,,	200-00
97.	,, रतनलाल/रामदीन	3-7-76	200-00
98.	,, राजेन्द्रसिंह/ गुमानसिंह	,,	400-00
99.	,, जगदीश /देवा	,,	400-00
100.	,, जनककुंवर/लक्ष्मणसिंह	,,	400-00
101.	,, मानसिंह/जतनसिंह	,,	400-00
102.	,, जतनकुंवर/ रूपसिंह	,,	400-00
103.	,, हनुमानसिंह/ भंवरसिंह	,,	400-00
104.	,, गुमाननाथ/गोपीनाथ	,,	400-00
105.	,, नाथी/शिवनारायण	,,	400-00
106.	,, घीसा/ गणेश	4-7-76	200-00
107.	,, नारायण/ हुरमा	,,	300-00
108.	,, देवीसिंह/ रतनसिंह	,,	500-00
109.	,, लक्ष्मकुंवर/ शैतानसिंह	,,	300-00
110.	,, नाथुसिंह/ शंभुसिंह	3-7-76	500-00
111.	,, सरोजकुंवर/ भंवरसिंह	,,	300-00
112.	,, रघुनाथ/मोतीसिंह	,,	200-00
113.	,, मोहनसिंह/ रावत सिंह	9-7-76	500-00
114.	,, छीतरसिंह/बोदु सिंह	,,	500-00
115.	,, मगेजसिंह/दनेल सिंह	,,	500-00
116.	,, इन्द्र सिंह/गोविन्द सिंह	,,	400-00
117.	,, अर्जुन सिंह/ भील सिंह	,,	500-00

1	2	3	4
118.	श्री दुर्जन सिंह/सांवर सिंह	9–7–76	400-00
119.	,, नारायण/शीला	,,	400-00
120.	,, किशोर सिंह/भूर सिंह	,,	400-00
121.	,, मदन सिंह/ भंवर सिंह	,,	400-00
122.	,, केशर सिंह/गोवर्धन	,,	400-00
123.	,, मोहन/ उदा	,,	300-00
124.	,, सज्जन कंवर/भेरू सिंह	,,	500-00
125.	,, धन्ना/ मांगू	,,	500-00
126.	,, राम प्रताप/ रूप दान	10-7-76	400-00
127.	,, भंवर लाल/बोदुदान	,,	500-00
128.	,, भंवर लाल/ छोटे दास	,,	400-00
129.	,, जुगल किशोर/ हनुमान	,,	500-00
130.	,, सुप्यार कंवर/राम सिंह	,,	400-00
131.	,, प्रताप सिंह/ कल्याण सिंह	,,	500-00
132.	,, धीर सिंह/ कल्याण सिंह	,,	500-00
133.	,, धन्ना/ जीवण	,,	400-00
134.	,, प्रभू/ दुला	,,	300-00
135.	,, रानू/ भूरा	,,	300-00
136.	,, भवानी सिंह/अमर सिंह	,,	500-00
137.	,, दाना राम/ माना राम	,,	400-00
138.	,, गोमा राम/ माना राम	,,	500-00
139.	,, भुगना राम/ माना राम	,,	400-00
140.	,, राजू राम/माना राम	,,	500-00
141.	,, प्रभु राम/माना राम	,,	500-00
142.	,, मांगू राम/दाना राम	,,	400-00
143.	,, भागी रथ/ बालू	,,	400-00
144.	,, धन्ना/ बालू	,,	500-00
145.	,, चिमना/ हुक्मा	,,	300-00
146.	,, गोर्वन/पुना	,,	400-00
147.	,, मुखना/ हुक्मा	,,	300-00
148.	,, लछमण दान/ बालदान	,,	300-00
149.	,, बन्ना राम/ सूखा राम	,,	200-00
150.	,, पतासी/ बोदू राम	,,	400-00
151.	,, भंवर लाल/चिमना	,,	200-00

1	2	3	4
152.	श्री पूना/ हरजी	10-7-76	500-00
153.	,, भंवरी/ पन्ना	,,	400-00
154.	,, नोपा/बागा	,,	400-00
155.	,, सरजू/ जूठू	,,	500-00
156.	,, लाली/मेन्जा	,,	500-00
157.	,, गुमाना राम/खेमा राम	,,	400-00
158.	,, फूसा राम/ जेठू राम	,,	200-00
159.	,, हुकमा/ जेठू	,,	200-00
160.	,, प्रभु नाथ/ सुखु नाथ	,,	300-00
161.	,, नाथू नाथ/ भेरू नाथ	,,	200-00
162.	,, निखंमा/ जूठू	,,	200-00
163.	,, मोती/शिव नाथ	,,	300-00
164.	,, रूपा/ घोला	,,	200-00
165.	,, खोसा/ बलसा	,,	200-00
166.	,, सेता/ धीसा	,,	200-00
167.	,, सोता/ लाला	,,	300-00
168.	,, जोधा/ माना	17-7-76	400-00
169.	,, छतरा/ जोधा	,,	300-00
170.	,, केला/ घोला	,,	300-00
171.	,, मोहना/ देव बल्ला	,,	200-00
172.	,, मना राम/काना राम	,,	300-00
173.	,, मोहन सिंह/सुजान सिंह	,,	400-00
174.	,, अमीर सिंह/मोती सिंह	,,	300-00
175.	,, चन्द्रा/ टोड़ा	,,	300-00
176.	,, नन्दा/ रूडा	,,	300-00
177.	,, खेमा/ रूडा	,,	300-00
178.	,, पाना राम/ दाना राम	20-7-76	400-00
179.	,, फुला राम/ सुधा राम	,,	400-00
180.	,, नन्दा राम/ सुधा राम	,,	400-00
181.	,, लिसना राम/पदमा राम	,,	400-00
182.	,, जोधा/माना	,,	300-00
183.	,, गंगा/पदमा	,,	300-00
184.	,, भीमा/ पदमा	,,	300-00
185.	,, अर्जना/ मोहू	,,	300-00

Page No. 258

248

1	2	3	4
186.	श्री नारायण/हरू	20-7-76	200-00
187.	,, मोहन/माना	,,	300-00
188.	,, नन्दा/अर्जुना	,,	400-00
189.	,, नन्दा/पूरा	,,	300-00
190.	,, रूपा/पन्ना	,,	300-00
191.	,, पन्ना/रूपा	,,	300-00
192.	,, सूरजा/पदमा	,,	300-00
193.	,, नाना/पन्ना	,,	300-00
194.	,, कमल किशोर/चन्द्र दास	,,	200-00
195.	,, चन्दा/गिरदा	,,	400-00
196.	,, हीरा/नूपा	,,	300-00
197.	,, नोपा/काना	,,	300-00
198.	,, जगदीश/देवा	2-9-76	200-00
199.	,, जतन सिंह/शैतान सिंह	,,	200-00
200.	,, छीतर सिंह/नाथू सिंह	,,	200-00
201.	,, भंवर सिंह/हीर सिंह	,,	200-00
202.	,, रतन लाल/राम दान	,,	200-00
203	,, नाथू सिंह/सवल सिंह	,,	200-00
204	,, चन्द्रा/पन्ना	,,	200-00
205.	,, भंवर सिंह/भीम सिंह	,,	200-00
206.	,, भोलू सिंह/गंगा सिंह	,,	200-00
207.	,, गोवर्धन/धूलिया	,,	200-00
208.	,, कल्याण सिंह/ज्ञान सिंह	,,	200-00
209.	,, तेज सिंह/धुमल सिंह	,,	200-00
210.	,, इन्द्र सिंह/प्रताप सिंह	,,	200-00
211.	,, राम सिंह/भंवर सिंह	,,	200-00
212	,, हरी सिंह/प्रताप सिंह	,,	200-00
213.	,, सूरजन सिंह/दलेल सिंह	,,	200-00
214.	,, गुलाब सिंह/कल्याण सिंह	,,	300-00
215.	,, शैतान दान/हीरालाल दान	,,	200-00
216.	,, उम्मेद सिंह/जतन सिंह	,,	300-00
217.	,, खेम सिंह/इन्द्र सिंह	,,	200-00
218.	,, किशोर दान/बग्गू दान	,,	300-00
219.	,, मोहन सिंह/रावत सिंह	,,	200-00

Page No. 259

249

1	2	3	4
220.	श्री रूप सिंह/हुक्मा	2-9-76	200-00
221.	,, मगे सिंह/ दलेल सिंह	,,	200-00
222.	,, कुशाल सिंह/शैतान सिंह	,,	200-00
223.	,, रघुनाथ प्रसाद/मूला	,,	300-00
224.	,, दुर्जन सिंह/सांवल सिंह	,,	300-00
225.	,, छीतर सिंह/लोदू सिंह	,,	200-00
226.	,, विजैन्द्र सिंह/ मेघ सिंह	,,	200-00
227.	,, हनुमान सिंह/ रूप सिंह	,,	200-00
228.	,, मान सिंह/जतन सिंह	8-5-76	200-00
229.	,, अर्जुन सिंह/ धीर सिंह	,,	200-00
230.	,, कान सिंह/अर्जन सिंह	,,	200-00
231.	,, किशोर सिंह/गोविन्द सिंह	,,	200-00
232.	,, नाथी/शिव नाथ	,,	200-00
233.	,, मोहन/ऊदा	,,	200-00
234.	,, नाथू सिंह/बालू सिंह	,,	200-00
235.	,, गुमान नाथ/ गोपी नाथ	,,	200-00
236.	,, बजरंग सिंह/बलम सिंह	,,	200-00
237.	,, मान सिंह/प्रताप सिंह	,,	200-00
238.	,, नारायण/घीसा	,,	200-00
239.	,, हनुमान सिंह/ भंवर सिंह	,,	200-00
240.	,, मदन सिंह/भंवर सिंह	,,	200-00
241.	,, हेमा सिंह/ समेर सिंह	,,	200-00
242.	,, रूप सिंह/चन्द्रवल सिंह	,,	200-00
243.	,, रघुनाथ सिंह/ मोती सिंह	,,	200-00
244.	,, राम लाल/भूरा	,,	200-00
245.	,, जीवन/गोपी राम	,,	300-00
246.	,, लच्छी राम/ गणेश राम	,,	400-00
247.	,, इन्द्र सिंह/ गोविन्द सिंह	,,	300-00
248.	,, मांगी लाल/ मुन्ना राम	2-9-76	100-00
249.	,, पुरा राम/माना राम	,,	200-00
250.	,, नह राम/ जै देव	,,	200-00
251.	,, सूरजा/मनरूपा	,,	100-00
252.	,, भर्जना/ जवाना	,,	200-00
253.	,, मोहन/जैदेव	,,	200-00

1	2	3	4
254.	श्री रूपा/ऊमा	2-9-75	100-00
255.	„ आसू/सूखा	„	100-00
256.	„ सुर्जन सिंह/सुजान सिंह	„	100-00
257.	„ नोपा राम/बागा राम	„	100-00
258.	„ गोवर्धन/चूना	„	100-00
259.	„ पतासी/बोदू राम	„	100-00
260.	„ रूपा/मोहू	„	200-00
261.	„ फूसा/गोपी	„	100-00
262.	„ धीसा/ऊमा	„	100-00
263.	„ लाला/मल्ला	„	100-00
264.	„ पूरण/राम सुखा	„	100-00
265.	„ मैरा/पदमा	„	100-00
			90900-00

सरकारी विभागों में गुप्त कोष

356. श्री बजरंगलाल शर्मा (बनीपार्क) : क्या वित्तमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) राज्य सरकार के किन-किन विभागों के पास गुप्त कोष हैं ? विभागानुसार इन कोषों को कौन-कौन अधिकारी संचालित करते हैं ?

(2) पिछले तीन वर्षों में विभागानुसार इन कोषों में कितना-कितना रुपया व्यय हुआ ?

(3) इन कोषों के व्यय पर नियंत्रण की विभागानुसार क्या पद्धति है ?

(4) उक्त कोषों का विभागानुसार किन प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जाता है ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार के निम्न विभागों के पास गुप्त कोष हैं तथा उन्हें उनके सामने अंकित अधिकारी संचालित करते हैं:—

1.	आबकारी विभाग :–	आयुक्त आबकारी विभाग, उदयपुर ।
2.	बिक्री कर :–	आयुक्त वाणिज्य कर विभाग, जयपुर ।
3.	पुलिस :–	(क) उप महा निरीक्षक (आरक्षी) राज० जयपुर ।

257

(ख) अपर पुलिस महा निरीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक विभाग,
राजस्थान जयपुर।

(2) विभाग एवं वर्षवार सूचना निम्न प्रकार है:—

क्र.	विभाग	(एक्च्युअल) 75–76	(एक्च्युअल) 76–77	(अन्तिम स्थिति) 77–78
1.	आबकारी	3000	3000	3400
2.	वाणिज्य कर	2000	—	—
3.	उप महा निरीक्षक (आरक्षी)	197000	279000	202000
4.	भ्रष्टाचार निरोधक	6000	10000	22000

उक्त खर्चे बजट में "गुप्त सेवा व्यय" के नाम से दर्शाये हुए है।

(3) इन कोषों से व्यय राज्य सरकार द्वारा बनायें हुए नियमानुसार किया जाता है तथा इस व्यय पर विभागाध्यक्ष का नियंत्रण रहता है।

(4) विभागानुसार सूचना निम्न प्रकार है:—

1. आयुक्त आबकारी:–अवैध शराब, अफीम, भंग, गांजा आदि के बारे में गुप्त सूचनाएं प्राप्त करने हेतु सूचना देने वाले व्यक्ति को इनाम देने में इस कोष का उपयोग किया जाता है।

2. आयुक्त वाणिज्य कर:–कर वंचना की सही सूचना देने वाले व्यक्ति को पारितोषिक देने के लिये किया जाता है।

3. भ्रष्टाचार निरोधक विभाग:–सूचनाएं एकत्रित करने पर मुखबिरों को किसी विशेष कार्य पर लगाने पर, सोर्स उत्पन्न करने पर खर्च किया जाता है।

4. पुलिस विभाग:–कोष का उपयोग गोपनीय कार्यों के लिए किया जाता है।

ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन

357. श्री एच. एन. शर्मा (बेगूं) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य सरकार ग्राम पंचायत के पुनर्गठन के बारे में क्या विचार रखती है? तथा यह पुनर्गठन का कार्य कब तक पूरा कर लिया जायगा?

(एच. एन. शर्मा)

(2) इस प्रकार के पुनर्गठन के लिए क्या राज्य सरकार ने जिलाधीशों अथवा अन्य सम्बद्ध अधिकारियों से जानकारी चाही है ? अगर हां, तो चित्तौड़ जिलाधीश द्वारा प्राप्त सिफारिशों की प्रतिलिपि सदन की पटल पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार ने ग्राम पंचायतों की वर्तमान सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं किये जाने का निर्णय दिनांक 6–12–77 द्वारा ले लिया है।

(2) जी नहीं।

पंचायत समिति ईटावा में गन्ना उपजाओ अभियान

368. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति ईटावा में 1964–65 में गन्ना उपजाओ अभियान चलाया गया था ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस अभियान के अन्तर्गत गन्ना वितरण तथा अनुदान के मामले में गबन तथा घोटाला हुआ है ?

(3) इस अभियान के अन्तर्गत किस गांव के किन-किन व्यक्तियों को कितनी मात्रा कितने रुपये का गन्ना तथा कितना रुपया अनुदान के रूप में दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या उक्त गन्ना काण्ड की जांच चल रही है ? यदि हां, तो कब से तथा इस जांच में क्या प्रगति हुई ?

(5) क्या राज्य सरकार इस काण्ड की जांच शीघ्र समाप्त कर दोषी व्यक्तियों को दण्डित कर किसानों को शीघ्र न्याय प्रदान करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किस प्रकार ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) प्राथमिक जांच रिपोर्ट के आधार पर इस मामले में गबन व घोटाले की संभावना प्रतीत होती है।

(3) जिन व्यक्तियों को जितनी-जितनी मात्रा में जितने रुपये का गन्ना अनुदान के रूप में दिया गया था उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(पंचायत मंत्री)

(4) जी हां। वर्ष 1965 से चल रही है। प्रारम्भिक जांच पूर्ण की जाकर विभागीय लेखा दल द्वारा भी इसकी जांच कराई जा चुकी है जिसकी जांच रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। इसी रिपोर्ट के आधार पर विस्तृत छानबीन व जांच हेतु मामला भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को भेजे जाने के आदेश दिये जा चुके हैं।

(5) जी हां। मामला भ्रष्टाचार विभाग को दिया जा रहा है और वहां से जांच रिपोर्ट आने पर जो भी दोषी पाया जावेगा, दण्डित किया जावेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गई)

भवानी मण्डो में एस. डो. एम. कोर्ट

359. श्री बालचन्द आर्य (डग) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या भवानी मण्डो में एस. डी. एम. कोर्ट है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या जनता सरकार शीघ्र भवानीमण्डी में एस. डी. एम. कोर्ट खोल कर जनता को सुविधा उपलब्ध कराएगी ?

उत्तर

(1) भवानीमण्डी में एस० डी० एम० कोर्ट नहीं है। नये एस० डी० एम० कोर्ट स्थापित करने का कोई विचार नहीं है।

(2) जी नहीं।

परिशिष्ट–5

(अतारांकित प्रश्न सं० की सूची)

सूची – 'अ'

1.	उदयपुर–चित्तौड़गढ़ रोड वाया कपासन कि० मी० 72 से 76		2 कि० मी०
2.	उदयपुर-चित्तौड़ रोड़ वाया कपासन कि० मी० 83 से 94		3 कि० मी०
3.	कीर की चौकी आकोला-भूपालसागर जासमा-गिलुन्ड रोड	कि० मी० 23 से 31 कि० मी० 37 व 38 कि० मी० 45, 42, 47	3 कि० मी० 2 कि० मी० 3 कि.मी.
4.	काकरवा फासिया एप्रोच	कि० मी० 1 व 2.00	1.30

—————

सूची–'ब'

1.	कपासन-कराई रोड (कपासन सुरजपुरा रोड)	13 कि० मी०
2.	भादसाड़ा-कपासन	17 कि० मी०
3.	कीर की चौकी–गिलुन्ड रोड	31 कि० मी०
4.	आकोला–फतेहनगर रोड	12 कि० मी०
5.	कपासन–सुरपुर रोड़	21 कि० मी०
6.	एप्रोच रोड़ काकरवा–फलासिया रोड	4 कि० मी०
7.	भोपालसागर रेलवे स्टेशन टू विलेज	1 कि० मी०
8.	कपासन पाण्डोली रोड वाया बेलाड	4 मी०

—————

(255)

परिशिष्ट-6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 280 की सूची)

सूची (क)

22 गोदाम औद्योगिक क्षेत्र में एक से अधिक प्लाट आंवन्टितियों की सूची

क्रम सं० 1	इकाई का नाम 2	शेड नं० 3	प्लाट नम्बर 4
1.	मै० चन्द्र इण्डस्ट्रीज	ए-1, ए-2	—
2.	,, आनन्द एण्ड कम्पनी	ए-4, ए-12	—
3.	,, इंडिया फैल्ट मैन्यू. कंपनी	ए-5, सी-24	—
4.	,, इन्डो' फैल्टस प्रा. लि.	ए-9, ए-10, बी-8	—
5.	,, राजस्थान लघु उद्योग निगम	ए-15, ए-16	—
6.	,, लघु उद्योग सेवा संस्थान	ए-17, ए-18	—
7.	,, मेटल उद्योग प्रा० लि०	बी-9, बी-11	—
8.	,, हणुत इन्डस्ट्रीज	बी-12	बी-90 बी 91-92 एवं पास की खुली भूमि
9.	,, राजस्थान इलेक्ट्रिक इन्डस्ट्रीज	सी-1, सी-2	—
10.	,, बैंदन केबल्स प्रा० लि०	सी-6, सी-8	—
11.	,, कलसी टायर्स प्रा० लि०	सी-25, सी-26	—
12.	,, सिंह स्टील	सी-29, सी-30	—
13.	,, फुलचन्द गंगाराम	—	ए-19, ए-20
14.	,, जय इण्डस्ट्रीयल वर्क्स	—	ए-22, ए-23, 24, ए-25, ए-26
15.	,, राज केमिकल इण्डस्ट्रीज	—	ए-31, ए-32
16.	,, कृष्णा वायर इण्डस्ट्री	—	बी 15, बी 16
17.	,, न्यू इण्डिया इलेक्ट्रीकल्स, इन्डस्ट्रीयल कम्पनी प्रा० लि०	—	बी 17, बी- 19, बी-20 बी-18, बी-83, बी-84 एवं पास की भूमि
18.	,, स्टीलोर्डस	—	बी-21, बी-23
19.	,, गुड एज मैन्यू. क०	—	बी-29, बी-30
20.	,, खण्डेलवाल उद्योग	—	बी-31, बी- 37
21.	,, मिनाक्षी इन्डस्ट्रीज	—	बी-41 बी-42

(253)

1	2	3	4
22. मै.	आर० एस० मैटल इण्डस्ट्री	—	स्पेशल 1-2, बी 59, बी-60
23. ,,	चुन्नीलाल लालचन्द	—	बी-71, बी-72
24. ,,	स्प्रींग मैन्यू० क० (राजस्थान)	—	बी-78, बी-79, बी-80
25. ,,	बक्सी फार्मेस्यूटिकलस	—	सी-87, बी-88
26. ,,	हितेषी होजरी	—	सी-43, सी-44
27. ,,	जैसन्स टेक्सटाईल्स	—	सी-39, सी-40
28. ,,	स्वदेशी फैल्ट मे० क प्रा० लि०	—	सी-47, सी-48
29. ,,	राजस्थान रबर इण्ड०	—	सी-37, सी-38
30. ,,	जुनेजा सेक कम्पनी	—	सी-34, सी-36
31. ,,	जुनेजा प्रा० लि०	—	सी-35, सी-33
32. ,,	पेकवेल	—	सी-49, सी-50, सी-51, सी-52
33 ,,	गेलड़ा इन्डस्ट्रीज	—	स्पेशल सी-51, सी-69 ए-27
34. ,,	शेलेन्द्र इन्जीनियरिंग वर्क्स	—	ए-27
35. ,,	शिव इन्जीनियरिंग वर्क्स	सी-12	स्पेशल सी-53, सी-54
36. ,,	स्टीलोक्राफ्ट	—	बी-63, बी-64

सूची (ख)

22 गोदाम इण्डस्ट्रीयल सम्पदा में शेड्स व प्लाट्स की सूची

मैसर्स क्रम. सं. 1	शेड्स व प्लाट नं० 2	इकाई का नाम 3
1.	ए–1	चन्द्रा इण्डस्ट्रीज
2.	ए–2, 3	प्रकाश इण्डस्ट्रीज़
3.	ए–4, 12	डायमण्ड एण्ड कम्पनी
4.	ए–5	इण्डिया फोर्स्टस मैन्यूफेक्चरिंग लि०
5.	ए–6	गमेरीलाल इण्डस्ट्रीज
6.	ए–7	बी. के. स्वामी एण्ड कम्पनी
7.	ए–8	न्यू प्लास्टिक इण्डस्ट्रीज
8.	ए–9, 10	इण्डो फ्लेक्स प्रा. लि.
9.	ए–11	आटो टेम्पो

Page No. 267

(257)

1	2	3
10.	ए-13	राजस्थान फूड प्रोडक्टस
11.	ए-14	टण्डन ब्रदर्स
12.	ए-15, 16	राम सिको
13.	ए-17, 18	लघु उद्योग सेवा संस्थान वर्कशोप
बी-शेड्स		
14.	1	राजस्थान आइरन एण्ड स्टील मैन्यु. कं.
15.	2	जय हिन्द स्टील वर्क्स
16.	3	सोमानी मेटल एण्ड जनरल इण्ड.
17.	4	आदित्य इण्डस्ट्रीज
18.	5, 6, 7	अनमोल एन्टरप्राईजेज
19.	8	इण्डो फ्लेम्स
20.	9, 11	मेटल उद्योग प्रा, लि.
21.	10	शुभ लक्ष्मी उद्योग
22.	12	इगुत इण्डस्ट्रीज
23.	13	राजस्थान पैकेज उद्योग
24.	बी-15	राज इण्डस्ट्रीज एण्ड साईंटिफिक कारपोरेशन
सी-शेड्स		
25.	1,2	राजस्थान इलेक्ट्रिक एण्ड जनरल इण्ड.
26.	3	सी. डी. मेटल वर्क्स
27.	4	जयपुर इलेक्ट्रीक एण्ड जनरल इण्डस्ट्रीज
28.	5	फैवको प्रा. लि.
29.	6, 8	पेन्ट व केबल्स
30.	7	बंसल स्टील इण्डस्ट्रीज
31.	सी 9	फारगा इण्डस्ट्रीज
32.	10	के. आर. इन्जीनियरिंग
33.	11	वाशिको इलेक्ट्रोनिक्स
34.	12	शिव इंजीनियरिंग वर्क्स
35.	13	ज्योति इण्डस्ट्रीज
36.	14	भारत मेटल वर्क्स
37.	15	जय भारत इण्डस्ट्रीयल कारपो.
38	16	विष्णु ट्रेडिंग एण्ड इन्वेस्टमेन्ट क.
39.	17	एप्लायन्सेज इन्डस्ट्रीज
40.	18	ओबराय ट्रेडस

1	2	3
41.	19	शान्तिलाल ब्रदर्स
42.	20	शक्ति इलेक्ट्रिकल्स प्रा. लि.
43.	21	नेशनल प्लास्टिक इण्डस्ट्रीज
44.	22	प्रिसिजन इन्जीनियरिंग इण्ड.
45.	23	कमल इन्जीनियरिंग वर्क्स
46.	24	हिन्दुस्तान लिमिटेड – इण्डिया फेल्ट
47.	25, 26	कलसी टायर्स प्रा. लि.
48.	27	गणपति इंजीनियरिंग इण्ड.
49.	28	सेन्ट्रल स्टील एण्ड जनरल इण्डस्ट्रीज
50.	29, 30	सिंघ स्टील इन्डस्ट्रीज
51.	31, 32	बापू मेटल इन्डस्ट्रीज
प्लाट्स		
52.	ए–19, 20	फूलचन्द गंगाराम
53.	ए–21	विष्णु ट्रेडिंग एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कं.
54.	ए–22,26	जय इण्डस्ट्रीयल वर्क्स
55.	ए–27	शैलेन्द्र इंजीनियरिंग
56.	ए–28	सन्तोष टायल्स
57.	ए–29	नाथ ब्रदर्स
58.	ए–30	पंजाब इंजीनियरिंग वर्क्स
59.	ए–31,32	सेनेट्री लेबोरेटरीज, – राजस्थान केमिकल्स
बी–प्लाट्स		
60.	15,16	कृष्णा वायर इन्डस्ट्रीज
61.	17,18	न्यू इण्डिया इलेक्ट्रीकल्स
	83-85	एण्ड इण्डस्ट्रीयल कं. प्रा. लि.
62.	21, 23	स्टीलोड्स
63.	22	इलेक्ट्रो प्लेट
64.	24	हिन्दुस्तान ट्रेडर्स
65.	25	सिंधी सेल्स कारपोरेशन
66.	26	जैन इंजीनियरिंग कारपोरेशन
67.	27	मैकेनीको इण्ड०
68.	28	स्टील कं० इण्डस्ट्रीज
69.	29, 30	गुडेज मैन्यूफैक्चरिंग कं०
70.	31, 30	खण्डेलवाल उद्योग

259

1	2	3
71.	32	स्टेन्डर्ड एग्रो इण्डस्ट्रीज
72.	24, 28, 34, 33, 36, 40, 39	डिसप्यूटेड
73.	41, 42	मिनाक्षी इण्डस्ट्रीज
74.	29, 50, 51, 52 से 58	डिसप्यूटेड
	57, 58	पौद्दार आईस एण्ड कोल्ड स्टोरेज कम्पनी
75.	43 से 46	डिसप्यूटेड
76.	59, 60	आर० एस० मेटल
77.	69	खण्डेलवाल इन्टरप्राइजेज
78.	62	इण्डिया मेटल रिफाइनरी
79.	63	एच० के० प्लास्टिक
80.	64, 65	स्टीलोक्राफ्ट्स
81.	66	राजू इण्डस्ट्रीयल
82.	67, 68	मेटल मैकेनिक
83.	69	एक्स मेटल इण्डस्ट्रीज
84.	70	शोमिको
85.	71, 72	चुन्नीलाल लालचन्द, अशोक कास्टिंग
86.	73	स्प्रिंग राजस्थान
87.	74	प्रिमियर ट्रेडिंग कारपोरेशन
88.	73, 75, 80	स्प्रिंग राजस्थान मैन्यूफेक्चरिंग कम्पनी
89.	81	दामोदरदास रामशरणदास
90.	82	राजस्थान केमिस्ट्स एण्ड इण्डस्ट्रीयल कारपोरेशन
91.	83, 84	न्यू इण्डिया एलेक्ट्रिकल्स प्रा० लि०
92.	85	दाऊचा इण्डस्ट्रीयल
93.	सी-86	राजस्थान आफ फास्ट प्रिन्टर्स
94.	सी-87, 88	बक्षी फारमास्यूटिकल्स
95.	सी-89	के० आर० इंजीनियरिंग
96.	सी-90, 91, 92	हरगुत इण्डस्ट्रीज

सी प्लाट्स

1	2	3
97.	33	जुनेजा प्रा० लि०
98.	34	जुनेजा सेफ कं०
99.	35	जुनेजा प्रा० लि०

1	2	3
100.	36	जुनेजा सेफ कं०
101.	सी–37, 38	राजस्थान रबर
102.	सी–39, 40	जय सन्स टेक्सटाईल
103.	41, 42	जे० आर० इन्जीनियरिंग वर्क्स
104.	43, 44	हि देशी हौजरी
105.	45	शक्ति टेक्सटाईल्स
106.	46	ताम्बी पावरलूम
107.	47, 48	स्वदेशी फेल्ट्स
108.	49, से 52	पैकवेल इण्ड०
109.	53, 54, 55 56, 57	प्लाटों का कब्जा आदिवासियों से प्राप्त नहीं हुआ है।
स्पेशल प्लाट्स		
110.	1	आर० एस० मेटल्स
111.	2	जयपुर फार्मेटिकल्स
112.	3	मंगल चन्द ट्यूब प्रा0 लि०
113.	सी–49, 51	गेलडा इण्ड0
114.	सी–52	कृष्णा इण्डस्ट्रीज
115.	53, 54	शिव इजीनियरिंग इण्डस्ट्रीज
116.	ए–1	शिव इंजीनियरिंग एन्टरप्राईजेज
117.	बी–1 बी–2	राजस्थान इण्डस्ट्रीज एण्ड सर्विस ब्योरों नेशनल कारपोरेशन
118.	सी	राजस्थान इण्डस्ट्रीज एण्ड सर्विस ब्योरो
119.	सी	सुभाष उद्योग
120.	ऐक-ई	न्यू इण्डिया इंजीनियरिंग कारपोरेशन
121.	एफ	राम ट्यूब एण्ड कं०
122.		राम इलेक्ट्रीकल्स

परिशिष्ट–7

(अतारांकित प्रश्न संख्या २८७ की सूची)

अजमेर जिला

जिला कृषि अधिकारी		श्री एम० पी० गांधी
विषय विशेषज्ञ - उपखण्ड अजमेर	..	1– श्री जी० एस० ढिल्लो
		2– श्री मदनस्वरूप सिमलोत
उपखण्ड ब्यावर	–	1– श्री रघुनाथसिंह राठौड़
		2– श्री सरदार चन्द सचेती

————

252

ग्राम विस्तार कार्यक्रम जिला अजमेर

क्रमांक	कलस्टर का नाम	पंचायत समिति	सहायक कृषि अधि० मुख्यावास	कृषि विस्तार कार्यकर्ता का मुख्यावास	कार्यक्षेत्र ग्राम पंचायत	कार्यक्षेत्र नगरपालिका अजमेर का ग्राम
1	2	3	4	5	6	7
1.	अजमेर	1. श्रीनगर	1. श्रीनगर श्री महेन्द्र कुमार मेहता	1. श्री नगर, श्री गुरुदेव	श्रीनगर	—
				2. श्री लादूराम (दांता)	दांता	—
				3. वीर, श्री प्रदीप कुमार शुक्ला	वीर, लवेरा	—
				4. कानाखेड़ी, श्री अब्दुल सत्तार	कानाखेड़ी	—
				5. माखुपुरा, श्री वोग खां	—	माखुपुरा
				6. भूडोल, श्री प्रकाश चन्द	भूडोल	—
			2. गगवाना श्री पदम कुमार जैन	1. गगवाना, श्री विजय कुमार	गगवाना	—
				2. चाचियावास, श्री पारस कुमार	चाचियावास	—
				3. नखर, श्री मदनलाल जाट	नखर	—
				4. बबाईचा, श्री शिवराज सिंह	बबाईचा	—
				5. घूघरा, श्री हनुमान प्रसाद	बबाईचा, अरड़का	—
				6. बड़लिया, श्री महाराज सिंह	—	बड़लिया
			3. नसीराबाद श्री जयसिंह राठौड़	1. रामसर, श्री रतनलाल	रामसर	—
				2. तिहारी, श्री जगदीश प्रसाद	तिहारी, कानपुरा	—
				3. सनोद, श्री श्यामलाल माली	सनोद ढाल	—

1	2	3	4	5	6	7
				4. लोहरवाड़ा, श्री हजारीलाल	लोहरवाड़ा	—
				5. साम्प्रोदा, श्री सुखलाल जैन	साम्प्रोदा	—
				6. दिलवाड़, श्री राजेन्द्र प्रसाद	दिलवाड़	—
		2. पीसांगन	4. पीसांगन	1. दुमाड़ा, श्री मदनलाल	दुमाड़ा-भांवता	—
				2. बुघवाड़ा, श्री घीसूसिंह	बुघवाड़ा, दोढ़ता	—
				3. जेठाना, श्री सूरज करण गेना	जेठाना	—
				4. पीसांगन	पीसांगन	—
			5. मांगलियावास	1. मांगलियावास, श्री मिश्रीलाल नाथ	मांगलियावास	—
			श्री नारायणलाल प्रजापति	2. बाघसूरी, श्री छतरसिंह	बाघसूरी	—
				3. भवानीखेड़ा, श्री ग्रीस कुमार	भवानीखेड़ा	—
				4. जड़वासा, श्री प्रभुदयाल	जड़वासा	—
			6. सराधना	1. सराधना, श्री भारमल	सराधना, डोडयाना	—
			श्री महेन्द्र कुमार गर्ग	2. तबीजी, श्री भंवरलाल	—	तबीजी
				3. दोराई, श्री माणक चन्द	—	दोराई
				4. मायापुर, श्री महेन्द्रसिंह मेड़तिया	मायापुर	—
				5. मकरेड़ा श्री शिव शंकरसिंह	कमरेड़ा, केसरपुरा	—
				6. राजगढ़ श्री रामनारायण शर्मा	राजगढ़	—
			7. गजाहेड़ा	1. गजाहेड़ा, श्री सत्यनारायण	गजाहेड़ा, तिलोरा	—
			श्री शीतल प्रसाद माथुर	2. नांद, श्री नरमोदीन	नांद, भगवानपुरा	—
				3. गोविन्दगढ़, श्री अखतर हुसैन	गोविन्दगढ़	—

			4. पिचोलिया, श्री भंवरलाल कागजी	पिचोलिया	—
			5. कड़ैल, श्री अशोक कुमार	कड़ैल	—
	3. सिलोरा	8. सिलोरा श्री किशनगोपाल काबरा	1. सिलोरा, श्री छोटूलाल चीता	सिलोरा	—
			2. बरणा, श्री ताराचन्द टाक	बरणा, सरगांव	—
			3. डीडवाड़ा, श्री दौलतराम	डीडवाड़ा	—
			4. पाटन, रामस्वरूप जोशी	पाटन, जूल	—
			5. हरमाड़ा, श्री बनवारीलाल मीणा	हरमाड़ा	—
अजमेर		9. मदनगंज श्री देवेन्द्रसिंह तोमर	1. कुचील श्री रामसिंह	कुचील	—
			2. खातोली, श्री किशनसिंह	खातोली. रलावता	—
			3. सलेमाबाद, श्री महावीर प्रसाद पारी	सलेमाबाद, थल	
			4. सांवतसर, श्री रामदेव शर्मा	सांवतसर	—
		10. रूपनगढ़ श्री सूरजनारायण शर्मा	1. रूपनगढ़, श्री सूरजभानसिंह	रूपनगढ़	—
			2. करकेड़ी, श्री रामप्रसाद टाक	करकेड़ी	—
			3. सुरसुरा, श्री रघुवीरसिंह	सुरसुरा, त्योंद	—
	4. अराई	11. अराई श्री बदरीनारायण माथुर	1. अराई श्री मग्गूराम	अराई	—
			2. आकोड़िया, श्री भंवरलाल शर्मा	आकोड़िया	—
			3. दादिया, श्री रामकरण जाट	दादिया, मंडावरिया	—

1	2	3	4	5	6	7
			12. सरवड़	1. अजगरा, श्री तख्तसिंह	अजगरा ललाई	—
			श्री जगदीशप्रसाद पारीक	2. रामपाल श्री भीमसिंह	रामपाली	—
				3. बोराड़ा, श्री भगवानप्रसाद	बोराड़ा	—
				4. फतहगढ़, श्री भूरे खां	फतहगढ़, खारिया	—
2.	ब्यावर	5. मसूदा	13. मसूदा	1. मसूदा श्री हाथीराम देवड़ा	मसूदा	—
			श्री इन्दरलाल सोमानी	2. अंधेरी देवरी, श्री घीसू खां	अंधेरीदेवरी, ललूवा	—
				3. लोणियाना, श्री भंवरलाल वैष्णव	लोणियाना	—
				4. नन्दवाड़ा, श्री मदनलाल चोरड़िया	नन्दवाड़ा	—
			14. खरवा	1. श्री नाथूलाल गोरा (खरवा)	खरवा	—
			श्री दिलीपसिंह गौड़	2. मायला, श्री घासीलाल शर्मा	मायला	—
				3. जामोला, श्री शकरसिंह	जामोला, सतावड़िया	—
				4. बेगलियावास, श्री कल्याणसिंह राठौड़	बेगलियावास	—
			15. विजयनगर	1. बाड़ी, श्री गोपाल पांडे	बाडी	—
			श्री हनुमानसिंह बोरड़िया	2. सरथाना श्री नाथूलाल जैन	सरथाना	—
				3. शिखराना, श्री रतनलाल जैन	शिखराना	—
				4. जालिया द्वितीय श्री रफी अहमद	जालिया द्वितीय	—
				5. कानिया, श्री सोभागसिंह	कानिया	—
				6. रामगढ़, ओमप्रकाश माली	रामगढ़, देवास	—
				7. झांक, श्री हजारीसिंह	झांक	—

6. जवाजा	16. जवाजा	1. जवाजा श्री जगदीशचन्द्र	जवाजा, बड़कोचरा	—
		2. राजियावास, श्री गोपालसिंह	राजियावास.प्रतीतमेड़	—
		3. दुर्गावास, श्री लालचंद ईनाणी	दुर्गावास, शिनपुरा	—
	17. ब्यावर	1. ब्यावर खास, श्री शिवदत्त शर्मा	—	ब्यावर, ग्राम ब्यावर खास रूपनगर
		2. नूनटी मेन्टातान श्री सुरेशकुमार	नून्टीमेन्टातान	—
		3. सरमालिया श्री चेताराम जाट	सरमालिया; जालिया	—
		4. देलवाडा श्री वोदूराम वर्मा	देलवाड़ा, सुवावा	—
		5. नरबदखेड़ा, श्री दौलतराम यादव	नरबदखेड़ा, गोहाना	—
		6. सेन्दरिया; जगदीशप्रसाद त्याति	सेन्दरिया, मालपुरा	—
		7. बलाड़ा, श्री शंकरसिंह खारोत	बलाड़ा	नयानगर
	18. बड़ाखेड़ा	1. टाटगढ़, श्री मोतीसिंह	टाटगढ़	—
		2. बराखन, श्री भंवरलाल चौधरी	बराखन, आसन	—
		3. बड़ाखेड़ा, श्री मुरलीधर	बड़ाखेड़ा; बंजारी	—
		4. सूरजपुरा श्री भंवरलाल चौधरी	सूरजपुरा, रावतभाल	—
7. भिनाय	19. भिनाय श्री भंवरलाल मेड़तवाल	1. भिनाय, श्री जयकिशन	भिनाय	—
		2. देवलिया, श्री मिश्रीलाल कलाल	देवलिया कलां	—
		3. चांपानेरी, श्री प्रतापसिंह	चांपानेरी, पाड़लिया	—
		4. बड़गांव, राधेश्याम	बड़गांव कनईकला	—

Page No. 277

1	2	3	4	5	6	7
			20. बादनवाड़ा श्री दुर्गासिंह राठौड़	1. बादनवाड़ा, श्री भंवरसिंह शर्मा	बादनवाड़ा	—
				2. गोयला, श्री ·मिश्वरलाल वर्मा	गोयला	—
				3. सराना, श्री गुलाबचंद वर्मा	सराना, शोकलिया	—
				4. पड़ांगा	पडांगा, राताकोट	—

———

परिशिष्ट–8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 289 के आदेश)

कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति, नरायना, जयपुर (राजस्थान)

क्रमांक दिनांक

कार्यालय आदेश

श्रीमान् प्रशासक महोदय के आदेशानुसार श्री कालूराम जाजोरिया (अनुसूचित जाति) पुत्र श्री चन्द्राराम रेगर निवासी बस्सी नागल, पोस्ट पचार कालवाड़, तहसील सांभर जिला जयपुर के नीलाम कर्त्ता के स्वीकृत पद पर वेतन श्रृंखला 355-10-415-15-550-20-570 पर छः माह के लिये अस्थाई तौर पर नियुक्त किया जाता है।

अतः श्री कालूराम जाजोरिया को आदेश दिया जाता है कि वह इस कार्यालय में आदेश जारी होने के 15 दिन के अन्दर-2 उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति रिपोर्ट सचिव, कृषि उपज मंडी समिति नरायना को पेश करें। कार्य संतोषप्रद न होने पर बिना किसी सूचना के कार्यभार से मुक्त कर दिया जावेगा।

हस्ताक्षर

सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति,
नरायना (जयपुर)

क्रमांक 533–38 दिनांक 28-12-77

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. श्रीमान् सचिव महोदय, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर।
2. ,, सहायक विपणन अधिकारीजी, अजमेर खण्ड (पश्चिम), जयपुर।
3. श्री कालूराम जाजोरिया पुत्र श्री चन्द्राराम रेगर निवासी बस्सी नागान को भेजकर लेख है कि वह उपस्थित होने पर अपना स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र, चरित्र प्रमाण-पत्र एवं अन्य प्रमाण-पत्र पेश करें।
4. व्यक्तिगत पत्रावली।
5. लेखा शाखा कार्यालय।
6. संस्थापन शाखा।

हस्ताक्षर

सचिव,
कृषि उपज मण्डी समिति,
नरायना (जयपुर)

269

कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति, नरायना, जयपुर (राजस्थान)

क्रमांक दिनांक

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 533-38 दिनांक 28-12-77 के तहत आदेशानुसार सूचित कर लेख हैं कि श्री कालूराम जाजोरिया की कार्यकाल अवधि जो कि दिनांक 29-6-78 को समाप्त हो रही है को और आगे बढ़ाया जाना सम्भव नहीं है।

अतः श्री कालूराम जाजोरिया की सेवायें दिनांक 29-6-78 को समाप्त की जाकर कार्यभार से मुक्त किया जाता है।

हस्ताक्षर

सचिव,
कृषि उपज मण्डी समिति,
नरायना (जयपुर)

क्रमांक 107–11 दिनांक 29-6-78

प्रतिलिपि प्रेषित वास्ते सूचनार्थ एवं पालनार्थ :–

1. श्रीमान सचिव महोदय, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर।
2. श्रीमान सहायक विपणन अधिकारी, अजमेर खण्ड (पश्चिम), जयपुर।
3. श्री कालूराम जाजोरिया।
4. व्यक्तिगत पत्रावली।
5. लेखा शाखा।
6. संस्थापन।

हस्ताक्षर

सचिव,
कृषि उपज मण्डी समिति,
नरायना (जयपुर)

राजस्थान कृषि उपज मण्डी (मण्डी समिति कर्मचारी) सेवा नियम, 1975

66. आवश्यक अस्थायी नियुक्तियां:–

उस दशा में जबकि किसी रिक्त पद को भरने के लिए कोई चयन नहीं किया गया हो या सचिव द्वारा चयनित प्रत्याशी उपलब्ध हो तो मण्डी समिति अस्थाई नियुक्ति कर सकेगी पर उसकी अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी या सचिव द्वारा चयनित प्रत्याशी को उपलब्ध होने तक जो भी पहले हो, होगी।

परिशिष्ट–9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 295 की सूची)

पंचायतों का नाम जहां व्यावहारिक पोषाहार कार्यक्रम आरम्भ किया गया है।

नाम पंचायत

1. सिलोरा
2. टिकावड़ा
3. सिलोरा
4. बरना
5. सिनोदिया
6. सांगतसर नगरपालिका क्षेत्र
7. बांदरा सीदंरी
8. हरमाड़ा
9. खावोली
10. खातोली
11. रलावता
12. रूपनगर
13. सलेमाबाद
14. पीगलोद
15. कुचील
16. करकेडी
17. डीडवाड़ा
18. नोसल
19 फरासिया नगरपालिका क्षेत्र

मतारांकित प्रश्न संख्या 114–अ०ता० के भाग (2) से सम्बन्धित सूचना

1	पंचायत का नाम 2	कुओं के निर्माण की राशि 3	बाड़ लगाने की राशि 4	जमीन को समतल कराने की राशि 5	नाली पर व्यय 6	पम्प हाऊस पर व्यय 7	कुल व्यय राशि 8
1.	सिलोरा	7,050.00	200.00	500.00	500.00	500.00	8,750.00
2.	टिकवाड़ा	2,810.00	200.00	500.00	500.00	700.00	4,710.00
3.	सिलोरा	2,400.00	200.00	500.00	200.00	1000.00	4,300.00
4.	बरना	—	—	—	—	—	—
5.	सिनोदिया	5,072.00	—	—	—	200.00	5,272.00
6.	नगरपालिका क्षेत्र	7,900.00	200.00	500.00	200.00	500.00	9,300.00
7.	बांदर सीदरी	3,481.00	200.00	500.00	200.00	500.00	4,881.00
8.	हरमाड़ा	—	210.00	500.00	200.00	—	900.00
9.	खातोली	—	—	—	—	—	—
10.	रलावता	1,000.00	200.00	500.00	500.00	500.00	2,700.00
11.	खातोली	—	200.00	500.00	200.00	1000.00	1,900.00
12.	रूपनगर	4,850.00	200.00	500.00	200.00	1300.00	6,050.00
13.	सलेमाबाद	3,850.00	400.00	500.00	500.00	500.00	5,750.00
14.	पोगलोट	4,595.00	200.00	500.00	200.00	1300.00	6,795.00
15.	कुचील	—	200.00	200.00	200.00	500.00	1,100.00

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	करकेड़ी	5,488.00	400.00	500.00	—	500.00	6,588.00
17.	डीडवाड़ा	3,500.00	200.00	500.00	200.00	700.00	5,100.00
18.	नोसल	3,460.00	200.00	500.00	—	—	4,160.00
19.	फरासिया नगरपालिका क्षेत्र	—	200.00	200.00	—	200.00	600.00

(273)

अतारांकित प्रश्न संख्या 114/अ० ता० भाग 3 की सूचना

पंचायत का नाम	पाठशाला का नाम	उपलब्ध उपकरण		उपकरण की स्थिति
1		2		3
नोसर		सामुदायिक उद्यान	5 सेट्स	ठीक हैं काम में आ रहे हैं।
पीगलोद		,, ,,	5 सेट्स	,, ,,
करकेड़ी		स्कूल गार्डन टूल सेट्स	14 सेट्स	,, ,,
,,	रलागता		5 ,,	टूट गये हैं काम में नहीं आ रहे हैं
,,	सीदड़ी		1 ,,	ठीक है काम में आ रहा है।
,,	रूपनगढ़			,, ,,
,,	सिलोरा		1 ,,	ठीक है कार्य बन्द हो जाने से कार्य में नहीं आ रहा है।
,,	बाड़ी		1 ,,	ठीक है काम में आ रहा है।
,,	नोसर		1 ,,	,, ,,
,,	पीगलोद		1 ,,	,, ,,
,,	सलेमाबाद		1 ,,	,, ,,
,,	टिकावड़ी		,,	,, ,,
,,	सिलोदयी		,,	,, ,,
रूपनगढ़		गृह उद्यान सेट्स	2 सेट्स	ठीक है काम में आ रहे हैं।
,,	कथारिया	,, ,,	7 ,,	,, ,,
	पालियों की बाड़ी	,,	18 ,,	,, ,,
पशु चिकित्सालय अजमेर		,, ,,	6 ,,	,, ,,
शिक्षा स्टोर सिलोरा		,, ,,	98 ,,	,, ,,
ग्राम पंचायत सिलोरा		,, ,,	–	,, ,,
		किचन गार्डन	38 ,,	,, ,,
		फैन्सिग वायर कांटेदार	19 ,,	,, ,,
		फैन्सिग के तार	23 ,,	,, ,,
		रूपनगढ़, सलेमावाद यूनिसेफ होज	5 पाईप	,, ,,
		पिगलोद, पाईप		
खातोली, सिनोदिया,		पम्पिगसेट इंजन आयल	5 सेट्स	पाईप खराब है ट्यूब वेल खराब होने से काम में नहीं आ रहे हैं।
बांदरसीदरी, डीडवाना टिकावड़ा				
पीगलोद, सिलोरा, सागरसर		पम्पिग सेट	7 सेट्स	इनमें 4 सेट्स ठीक हैं काम में आ रहे हैं 3 सेट्स खराब हैं काम में नहीं आ रहे हैं।

1	2	3
रूपनगढ़, कुराशिया, कुंचील रलागता	बिजली	
किशनगढ़	नीटिंग मशीन 1	ठीक है काम में आ रही है।
श्रीनगर	,, 1	,, ,,
किशनगढ़	,, 1	खराब है खराब ही प्राप्त हुई है।
महिला मण्डल	सिलाई मशीन मेरिट 5 सेटस	खराब हैं।
,,	,, उषा 4 ,,	ठीक है काम में आ रही हैं।
	क्राफ्ट टूल सेट्स मय बोर्ड 10 ,,	एक टूट गया है बाकी सब ठीक हैं।
बालवाड़ी रूपनगढ़, हरमाड़ा, सलेमाबाद, कुंचील, रलागता, करकेड़ी	सिलोने सेट्स 10 ,,	ठीक है काम में आ रहे हैं।

परिशिष्ट 10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 302 की रिपोर्ट)

कार्यालय तहसीलदार बाली

क्रमांक/आर/ 135 तारीख 12-8-72

प्रति :– श्रीमान जिलाधीश महोदय, पाली

विषय :–विधान सभा प्रश्न संख्या 44/रा.मं., द्वारा श्री मोहनराज, सदस्य, विधानसभा भूतपूर्व जोधपुर नरेश के निजी संपति कस्बा बाली के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि कस्बा बाली मिसल बन्दोबस्त संवत् 1998 (सन 1942) मे निम्नानुसार भूमि महकमें श्री ग्रास फार्म जोड नाम काबिज के खाने में दर्ज है।

खाता नम्बर	महकमें श्री ग्रास	ख. सं.	किस्म भूमि	रकबा
617	फार्म जोड	765	बा. 1 गै. मु.	1590॥)4
		766	बा. 1 गै. मु.	681)3
		767	बा. 1 गै. मु,	2212॥।)
		776	बा. 1 गै. मु.	2613)2 जोड़
				10॥)3 नाडी
		793	–	118॥)3 घोड़ों का तबेला लेन
		793/1	बा. 2 गै.	0)3 बेरा
		793/2		1॥) प. क.
				7229)2

मिसल बन्दोबस्त के खाता नम्बर 617 की प्रतिलिपि संलग्न प्रेषित है इसके अवलोकन से विदित होगा कि इसके खाना नम्बर 2 में महकमें श्री ग्रास फार्म जोड के नीचे "(हिज हाइनेस साहब)" दर्ज किया हुआ है जो इसकी स्याही से दर्ज किया हुआ है खाना नम्बर 9 में एक नोट लगाया गया है जिसमें हिजहाइनेस महाराज साहब श्री गजेसिंहजी साहब जोधपुर के पर्सनल प्रोपर्टी में होने से दर्ज की गई है। यह नोट भी इसी स्याही से लिखा हुआ है मिसल बन्दोबस्त की दूसरी प्रतिलिपि आपके कार्यालय या जिलाधीश कार्यालय जोधपुर में देखने से हो यह पता लग सकता है कि यह बाद के इन्द्राज Original (प्रथम प्रति) में है या नहीं अत: इस बाबत आपके स्तर पर मालूम कराने का कष्ट फरमावें।

उपरोक्त भूमि में से ख. नं. 793, 793/1 व 793।)2 को छोड़कर शेष आराजी पर भूतपूर्व जोधपुर के स्टेट के समय से ग्रास फार्म के सीमा चिन्ह लगे हुए हैं। तहसीलदार बाली के आदेश दिनांक 15-12-59 के द्वारा रेवेन्यू इन्सपेक्टर बाली को आदेश दिया गया था कि जोधपुर दरबार की खुद काश्त की जमीन का लगान ता. 7-4-49 से यानि तारीख स्टेट मर्ज होने से लगाया जावे रेवेन्यू इन्सपेक्टर ने इस आदेश को पटवारी बाली को भेजकर इसकी तामील करा ली व उपरोक्त भूमि का लगान संवत 2006 से सवत 2016 की डाल बाछ में लगा दिया गया, आदेश की प्रतिलिपि व ढाल बांछ तत्कालीन तहसीलदार बाली ने रेवेन्यू इन्सपेक्टर बाली को एक हुक्म दिया था कि कलेक्टर साहब के हुक्म नम्बर 2161 दिनांक 15–10–52 के अनुसार राजाओं की खेती बाड़ी की जमीन पर Ordinary land Revenue Rules लागू किये गये है अत: इस जमीन का इसी अनुसार लगान वसूल किया जावे। इस पर पटवारी बाली ने यह रिपोर्ट पेश कर दी थी कि बाली का जोड श्रीमान् महाराजा गजेसिंह जी साहब के है। जो नाबालिग है अत: लगान की रकम किसके नाम की लगाई जावे। इस पर आगे कोई आदेश दिया जाना कागजात से मालूम नहीं होता आदेशों की प्रतिलिपि संलग्न प्रेषित है।

संवत् 2019 से 2022 की जमाबंदी के खाता नम्बर 374 में श्रीमान हिज-हाइनेस महाराजा साहिब श्री गजेसिंहजी साहिब पुत्र हणवतसिंह जी साहिब एक्स महा-राजा राज जोधपुर पर्सनल प्रोपर्टी में दर्ज किया हुआ है व इस खाते की कुल आराजी जो पूर्व में लाल स्याही से 7229)2 लिखा हुआ है उसको नीली स्याही से घेरा डाल कर 7234) किया हुआ है अब तक की जांच से रकबा बढ़ोतरी का कारण ज्ञात नहीं हो सका इस खाते की नकल संलग्न प्रेषित है।

उक्त भूमि में से खसरा नम्बर 776 में से 15।) बीघा भूमि का नामान्तरकरण श्री रतनसिंह पुत्र रामलाल सा० जोधपुर के नाम तत्कालीन तहसीलदार द्वारा धारा 19 राज० टिने० एक्ट के तहत तस्दीक किया गया था। आदेश पुस्तक व नामान्तरकरण की प्रतिलिपि वास्ते मुलाहिजा संलग्न प्रेषित है।

श्री डी० आर० मेहता डिप्टी सेक्रेटरी द्वारा उनके अ० शा० पत्र क्रमांक एफ. 22 (5) जी० ए० 70 दिनांक 22–4–72 द्वारा हिजहाइनेस जोधपुर के पर्सनल प्रोपर्टी में निम्न जोड़ों का अंकन किया हुआ है।

1– खारडा 2– खारडी 3– बीजासनी - बिलाडा।

4– One jod in Jodhpur State to be selected by H. H. दर्ज किया हुआ है यह ज्ञात नहीं हो सका कि यह कौनसा जोड़ है जो एच० एच० जोधपुर ने चुना हो। इसके लिए मैंने ठाकुर मनोहरसिंह जी कम्पट्रोलर जनरल हिजहाईनेस प्रोपर्टी जोधपुर को नोटिस दिया है कि वे दिनांक 18–8–72 को तहसील कार्यालय में उपस्थित होकर मय सबूत पेश होवें नोटिस प्रतिलिपि संलग्न है।

(277)

अतः निवेदन है कि आप स्वयं के कार्यालय में उपलब्ध रेकार्ड व जिलाधीश कार्यालय जोधपुर में मिसल बन्दोबस्त की प्रथम प्रतिलिपि मंगाकर जांच करने का कष्ट करें। मैं स्वयं भी दिनांक 18–8–72 को सुनवाई कर आगामी रिपोर्ट पेश कर सकूंगा।

क्रमांक आर/136/ दिनांक 12-8-72

सही
12-8-72
तहसीलदार, बाली

प्रतिलिपि श्रीमान् उपखण्डीय अधिकारी महोदय बाली की सूचनार्थ प्रेषित है।

सही
तहसीलदार, बाली

क्रमांक/ एल/ आर/ 137 दिनांक 12-8-72

प्रेषक: – तहसीलदार, बाली।

प्रति :– श्रीमान् जिलाधीश महोदय, पाली।

विषय –– विधान सभा प्रश्न संख्या 44/रा० मं० द्वारा श्री मोहनराज, सदस्य, विधानसभा।

संदर्भ :– आपका पत्र सं० एफ. 40 (10) राज/72/8246 दिनांक 9-8-72

उपर्युक्त विषय में निम्नलिखित निवेदन हैं :—

1. जमाबन्दी कस्बा बाली खाता नं० 66 संवत् 2027 से 2030 में श्रीमान् हिज-हाईनेस महाराज साहिब श्री गजेसिंह जी पुत्र श्री हुणवतसिंह एक्स हिजहाईनेस जोधपुर के खाते में कुल भूमि 7084) है।

2. यह सही है कि इसमें से 125।।) 3 को छोड़कर बाकी भूमि पर भूतपूर्व जोधपुर स्टेट के समय में यह भूमि महकमें श्री ग्रास फार्म जोड का व उस समय से ही इस भूमि पर मौके पर ग्रास फार्म के पिलर्स लगे हुए हैं व संवत् 1998 (सन् 1942) की मिसलबंदोबस्त में भी यह भूमि महकमें श्री ग्रास फार्म दर्ज है।

3. यह सही है कि कई वर्षों से उक्त भूमि के कुछ हिस्से पर घास की कटाई होती थी तत्पश्चात् ग्राम की आम मवेशी चराई शुल्क (दहेज) देकर के ही मवेशी चरती थी।

4. यह सही है कि मिसल बन्दोबस्त संवत् 1998 में काबिज के खाते में महकमें श्रीग्रास फार्म जोड के अंकन के नीचे हिज हाइनेस साहिब का अंकन किया हुआ है व इसी मिसल बन्दोबस्त के केफियत के खाने में हिज हाइनेस महाराज साहिब श्री गजेसिंह जी साहिब जोधपुर की पर्सनल प्रोपर्टी में होने से दर्ज की गई अंकन किया हुआ है, यह अंकन किस अधिकारी के आदेश से व किसके द्वारा किया गया इसकी जांच की जा रही है।

5. यह प्रश्न इस कार्यालय से सम्बन्धित नहीं है।

इस सम्बन्ध में अब तक मेरे द्वारा जो जांच की गई है, उसकी विस्तृत रिपोर्ट इस कार्यालय पत्र क्रमांक 135, दिनांक 11-8-72 के द्वारा प्रेषित कर दी गई है।

सही

12-8-80

तहसीलदार बाली

क्रमांक/राजस्व/ 138 दिनांक 12-8-72

प्रतिलिपि श्रीमान् परगना अधिकारी महोदय, बाली को वास्ते सूचनार्थ प्रेषित है।

279

परिशिष्ट—11

(अतारांकित प्रश्न संख्या 307 की सूची)

सूची "क"

श्री रतनलाल ताम्बी भूतपूर्व प्रधान पंचायत समिति जहाजपुर को सन 1962 से 1976 तक आवंटन की गई भूमि का विवरण।

कम सं०	ग्राम	आराजी नं०	रकबा	समय
1.	पण्डेर	4855/1,2 / 81	13 बीघा	2022 (सम्वत्)
2.	तसवारिया	546	9 बीघा 18 बिस्वा	,, ,,
3.	तसवारिया	572/3	14 बीघा 9 बिस्वा	,, ,,
4.	तसवारिया	588/2	7 बीघा	नियमन हुआ।
5.	टिटोड़ा	1071	4 बीघा 10 बिस्वा	आवंटन सन् 1966
6.	ऊंचा	579/2	14 बीघा 15 बिस्वा	भू-प्रबन्ध दौरान दर्ज हुई।

सूची "ख"

श्री रतनलाल ताम्बी भू० पू० प्रधान पंचायत समिति जहाजपुर के निम्न रिश्तेदारों को भूमि आवंटन हुई:—

क० सं०	नाम व्यक्ति	रिश्ता	ग्राम	ख० नं०	रकबा	समय
1.	श्री धन्नालाल पिता भूरालाल ताम्बी	पिता	पण्डेर	4855/1,2 / 32	13 बीघा	सम्वत् 2022
2.	श्री चांदमल पिता धन्नालाल	भाई	,,	5534/38	15 बीघा	सम्वत् 2027
3.	श्री जगदीश पिता धन्नालाल	भाई	,,	2056/17	10 बीघा	सम्वत् 2023

परिशिष्ट—12

(अतारांकित प्रश्न संख्या 309 की सूची)

उप-जिलाधीशों के न्यायालयों में विचाराधीन मुकदमों की सूची

क्र० सं० 1	नाम जिला 2		नाम उप-जिलाधीश 3	मुकदमात 4
1.	अजमेर	1.	अजमेर	635
		2.	ब्यावर	1058
		3.	केकड़ी	684
		4.	किशनगढ़	158
2.	अलवर	5.	अलवर	914
		6.	राजगढ़	985
		7.	बहरोड़	464
		8.	किशनगढ़ वास	980
3.	बांसवाड़ा	9.	बांसवाड़ा	233
		10.	कुशलगढ़	159
4.	बाड़मेर	11.	बाड़मेर	147
		12.	बालोतरा	387
5.	भरतपुर	13.	भरतपुर	513
		14.	धोलपुर	980
		15.	बयाना	890
		16.	डीग	835
6.	भीलवाड़ा	17.	भीलवाड़ा	1994
		18.	माण्डलगढ़	716
		19.	गुलाबपुरा	356
		20.	शाहपुरा	677
7.	बीकानेर	21.	बीकानेर (उ)	229
		22.	बीकानेर (द)	246
8.	बूंदी	23.	बूंदी	776
		24.	नैनवा	373
9.	चित्तोड़गढ़	25.	चित्तोड़गढ़	618
		26.	निम्बाहेड़ा	772
		27.	परतापगढ़	524
		28.	कपासन	559
		29.	बेंगु	357

Page No. 291

(281)

1	2	3	4
10.	चूरू	30. चूरू	635
		31. रतनगढ़	1016
		32. राजगढ़	710
11.	डूंगरपुर	33. डूंगरपुर	317
12.	गंगानगर	34. गंगानगर	262
		35. करनपुर	1087
		36. नोहर	1094
		37. हनुमानगढ़	531
		38. रायसिंह नगर	510
13.	जयपुर	39. जयपुर	665
		40. आमेर	696
		41. दौसा	861
		42. कोटपूतली	313
		43. साम्भर	435
14.	जैसलमेर	44. जैसलमेर	317
		45. पोकरण	206
15.	जालौर	46. जालौर	389
		47. भीनमाल	191
16.	झालावाड़	48. झालावाड़	203
		49. अकलेरा	641
17.	झुन्झुनू	50. झुन्झुनू	227
		51. खेतड़ी	238
		52. नवलगढ़	156
18.	जोधपुर	53. जोधपुर	703
		54. फलौदी	527
19.	कोटा	55. कोटा	297
		56. बारां	200
		57. रामगंज मण्डी	606
		58. छापड़ा	786
20.	नागौर	59. नागौर	570
		60. मेड़ता	866
		61. डीडवाना	179
		62. परबतसर	473

1	2	3	4
21.	पाली	63. पाली	185
		64. बाली	504
		65. सोजत	177
		66. जेतारण	207
22.	सवाई माधोपुर	67. सवाई माधोपुर	786
		68. गंगापुर	909
		69. हिण्डौन	770
		70. करौली	658
23.	सीकर	71. सीकर	797
		72. फतहपुर	332
		73. नीम का थाना	742
24.	सीरोही	74. सीरोही	191
		75. आबू पर्वत	478
25.	टौंक	76. टौंक	413
		77. मालपुरा	541
26.	उदयपुर	78. उदयपुर	900
		79. राजसमन्द	254
		80. भीम	132
		81. वल्लभनगर	559
		82. सलूम्बर	280
		83. खाड़ोल	126
		योग....	44977

सहायक जिलाधीशों के न्यायालयों में विचाराधीन मुकदमों की सूची

क्रम सं० 1	नाम जिला 2	नाम सहायक जिलाधीश 3	मुकदमात 4
1.	अलवर	1. अलवर	674
		2. बहरोड़	461
		3. किशनगढ़ बास	6198
		4. राजगढ़	768

1	2	3	4
2.	बाड़मेर	5. बाड़मेर	295
3.	भीलवाड़ा	6. भीलवाड़ा	649
4.	बून्दी	7. बून्दी I	383
		8. बून्दी II	420
5.	चित्तौड़गढ़	9. रावतभाटा	35
		10. निम्बाहेड़ा	808
6.	गंगानगर	11. हनुमानगढ़	495
		12. नोहर	305
7.	जयपुर	13. जयपुर I	354
		14. जयपुर II	984
		15. जयपुर III	262
		16. बान्दीकुई	685
		17. साम्भर	368
		18. शाहपुरा	563
8.	जालौर	19. भीनमाल	695
9.	झालावाड़	20. झालावाड़	857
10.	झुंझुनूं	21. झुंझुनूं	477
11.	जोधपुर	22. जोधपुर	247
12.	कोटा	23. कोटा	1003
		24. बारां II	231
		25. बारां I	477
13.	नागौर	26. नागौर	495
		27. परबतसर	432
14.	सवाई माधोपुर	28. हिण्डोन	497
15	टौंक	29. टौंक I	480
		30. टौंक II	695
16	उदयपुर	31. राजसमंद	241
		योग	21224

भरतपुर से सूचना प्राप्त की हुई है।

परिशिष्ट—13

(अतारांकित प्रश्न संख्या 311 की सूची)

क्र. सं.	नाम रेंज	नाम तहसील	नाम ब्लाक	आरोपित वृक्षों की संख्या
1.	उदयपुर	नाथद्वारा	हल्दीघाटी	25,000
2.	उदयपुर	गिर्वा	नीमचमाता	15,000
3.	उदयपुर	गिर्वा	सज्जनगढ़	10,000
4.	उदयपुर	गिर्वा	बागदड़ा	5,000
5.	खेरवाड़ा	खेरवाड़ा	मंयूरी	50,000
6.	परशाद	सराड़ा	डिंगरी	30,000
7.	परशाद	सराड़ा	खेरकी लाल	20,000
8.	गोगुन्दा	गोगुन्दा	भाटवीगुड़ा	20,000
9.	गोगुन्दा	गोगुन्दा	पलेवाघाटी	10,000
10.	कोटड़ा	कोटड़ा	हुर	25,000
11.	कोटड़ा	कोटड़ा	बलदिया	25,000
12.	पानरवा	कोठड़ा	मामेर	10,000
13.	कुरावड़	गिर्वा	सादीमाले	25,000
14.	झाड़ोल	झाडोल	डमड़ो	20,000
15.	धरियावद	धरियावद	झड़ोल	10,000
16.	पानरवा	कोटड़ा	भुरीढेबर	90,000
17.	कोटड़ा	कोटड़ा	सुबरी-सुबरी	67,275
18.	सलूम्बर	सलूम्बर	विजयातलाई	60,000
19.	कोटड़ा	कोटड़ा	बल्दिया	20,400
20.	उदयपुर	गिर्वा	अलसीगढ़ (मरवड़)	31,000
21.	परशाद	सराड़ा	उदयपुरिया	32,000
22.	सलुम्बर	सलुम्बर	विजयातलाई	40,000
23.	बान्सी	धरियावद	बलिचा	60,000
24.	कोटड़ा	कोटड़ा	भेरपुर	6,000
25.	कोटड़ा	कोटड़ा	खोखरिया की नाल	12,000
26.	उदयपुर	गिर्वा	बांकी	10,000
27.	उदयपुर	गिर्वा	नादरा	20,000

205

जयपुर शहर में सहायक जिलाधीश के न्यायालयों में मुकदमात की सूची ।

क्र० सं०	नाम न्यायालय	राजस्व	फौजदारी	रेन्ट	कन्ट्रोल
1.	सहायक जिलाधीश एवं कार्यपालिका दण्डनायक जयपुर (प्रथम)	325	577	220	
2.	,, (द्वितीय)	713	271	—	
3.	,, (तृतीय)	283	141	—	
	योग....	1321	989	220	